त्रयोदश माला, खंड 14, अंक 9

शुक्रवार, 2 मार्च, 2001
11 फाल्गुन, 1922 (शक)

FOR REF... ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...51...
Date ...18/12/01...

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)]

अंक 9, शुक्रवार, 2 मार्च, 2001/11 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1–4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 125	5–30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 126 से 140	30–65
अतारांकित प्रश्न संख्या 1219 से 1439	66–411
सभा पटल पर रखे गए पत्र	411–419
राज्य सभा से संदेश	419
सभा का कार्य	420
समिति के लिए निर्वाचन	423
रबड़ बोर्ड	423
न्यायिक प्रशासन विधियां (निरसन) विधेयक	444–460
विचार करने के लिए प्रस्ताव	444
श्री अरूण जेटली	444
श्री वरकला राधाकृष्णन	446
प्रो. रासा सिंह रावत	449
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	450
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	451
श्री प्रभुनाथ सिंह	454
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	456
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे	457
खण्ड 2 और 1	459
पारित करने के लिए प्रस्ताव	460

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक	460
विचार करने के लिए प्रस्ताव	460
श्री अजय चक्रवर्ती	461
श्री यशवन्त सिन्हा	462
श्री रमेश चेन्नितला	462
श्री खारबेल स्वाइं	465
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	467
डा. बी.बी. रमैया	469
खंड 2 से 9 और 1	476
पारित करने के लिए प्रस्ताव	477
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
तालिबान का अफगानिस्तान में बौद्ध अवशेषों को नष्ट करने का अभियान	
श्री जसवन्त सिंह	477
अफगानिस्तान में बामियान में बुद्ध की प्रतिमाओं तथा बौद्ध पूजा स्थलों को नष्ट करने के सुनियोजित कार्य की भर्त्सना के बारे में संकल्प	478
विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक	479–508
विचार करने के लिए प्रस्ताव	480
श्री सुरेश प्रभु	479, 497
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	480
श्री पवन कुमार बंसल	483
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	487
श्री रमेश चेन्नितला	489
प्रो. रासा सिंह रावत	490
श्री वरकला राधाकृष्णन	492
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	494
खंड 2, 4 और 1	507
पारित करने के लिए प्रस्ताव	508

विषय	कॉलम
ओरोविल (आपात उपबंध) निरसन विधेयक	509
विचार करने के लिए प्रस्ताव	509
डा. मुरली मनोहर जोशी	509
श्री एम.ओ.एच. फारूक	510
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	512
खंड 2 और 1	514
पारित करने के लिए प्रस्ताव	516
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के (बारहवें) प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	516
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	516-566
(एक) अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निधियों का अल्प उपयोग	516
डा. वी. सरोजा	516
श्री अनादि साहू	526
श्री रामजी लाल सुमन	529
श्री जे.एस. बराड़	532
श्रीमती जस कौर मीणा	535
श्री सुकदेव पासवान	539
प्रो. रासा सिंह रावत	542
श्री वरकला राधाकृष्णन	544
श्री के.ए. सांगतम	546
श्री जुएल उराम	547
(दो) लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन	556
श्री रामानन्द सिंह	556

लोक सभा

शुक्रवार, 2 मार्च, 2001/11 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को अपने पांच पूर्व सहयोगियों अर्थात् सर्वश्री पूर्ण सिन्हा, के.आर. नटराजन, रूप नाथ सिंह यादव, प्रो. नारायण चन्द पराशर और सी.डी. पटेल के निधन की दु:खद सूचना देनी है।

श्री पूर्ण सिन्हा 1977 से 1979 तक असम के तेजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य थे।

एक सक्रिय संसदविद्, श्री सिन्हा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति और संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे।

पेशे से वकील और पत्रकार, श्री सिन्हा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। वह तेजपुर नगरपालिका आयुक्त भी रहे।

एक उत्साही सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री सिन्हा ने पद दलितों और आदिवासियों के उत्थान के लिए अथक रूप से कार्य किया। वह असम और अन्य पूर्वी राज्यों में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील रहे।

एक मजदूर-संघ नेता के रूप में श्री सिन्हा ने विभिन्न कामगार संघों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सिन्हा एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया तथा विभिन्न पत्रिकाओं में कतिपय लेख और लघु कहानियों भी प्रकाशित कराई। वह 'महाजाति' समाचार पत्रिका के संस्थापक और मुख्य सम्पादक भी थे।

श्री पूर्ण सिन्हा का निधन 88 वर्ष की आयु में 25 जनवरी, 2001 को तेजपुर, असम में हुआ।

श्री के.आर. नटराजन: 1984 से 1989 तक तमिलनाडु के डिंडिगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। एक योग्य सांसद, श्री नटराजन 1986-1987 और 1989 के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य थे। वह 1987 से 1989 के दौरान नियम समिति के सदस्य भी रहे।

पेशे से वकील, श्री नटराजन ने 1972 से 1976 तक तमिलनाडु राज्य के लोक अभियोजक के रूप में, 1981 से 1984 तक मद्रास उच्च न्यायालय के सरकारी अधिवक्ता और 1984 अप्रैल तक राज्य के अपर लोक अभियोजक के रूप में कार्य किया।

एक उत्साही और सामाजिक कार्यकर्ता, श्री नटराजन ने समाज के निर्धन, पद-दलित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक रूप से कार्य किया।

श्री के.आर. नटराजन का निधन 11 फरवरी, 2001 को 71 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ।

श्री रूप नाथ सिंह यादव 1977 से 1979 तक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निवार्चन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में छठी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व, श्री यादव उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे और राज्य में उन्होंने 1967-1970 के दौरान उप-कृषि मंत्री और स्थानीय स्वशासन कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया।

एक सक्रिय संसदविद्, श्री यादव सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति और संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य थे।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सैनानी, श्री यादव ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और कारावास झेला।

एक उत्साही सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री यादव ने समाज के पद दलितों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक रूप से कार्य किया।

श्री रूप नाथ सिंह यादव का निधन 13 फरवरी, 2001 को 83 वर्ष की आयु में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ।

प्रो. नारायाण चन्द पराशर 1971 से 1977 और 1980 से 1989 तक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में क्रमश: पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

एक सक्रिय संसदविद्, प्रो. पराशर ने लोक सभा की संसदीय समितियों और विभिन्न परामर्शदात्री समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

इससे पूर्व, प्रो. पराशर 1977 से 1980 तक हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे और उन्होंने राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया।

एक महान विद्वान, प्रो. पराशर चीनी और जापानी जैसी विदेशी भाषाओं सहित विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे। वह विभिन्न शैक्षणिक साहित्यिक और शिक्षा संस्थाओं से जुड़े रहे। उन्होंने पहाड़ी भाषा को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाई।

प्रो. पराशर ने विभिन्न भाषाओं में अनेक पुस्तकें लिखी। वह 'हिमधारा' एक पहाड़ी द्विमासिक पत्रिका, और एक हिन्दी मासिक 'युगदिशा' के सम्पादक भी थे।

प्रो. पराशर ने व्यापक भ्रमण किया था। उन्होंने 1974 में उलनबटोर, मंगोलिया में एशियाई शांति सम्मेलन में भाग लिया और वह 1979 में भारतीय विश्व मामलों संबंधी परिषद के सदस्य भी थे। वह 1980 में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य भी थे।

प्रो. नारायण चन्द पराशर का निधन 21 फरवरी, 2001 को 66 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री सी.डी. पटेल 1980 से 1989 तक गुजरात से सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में सातवीं और आठवीं लोक सभा में सदस्य रहे। इससे पूर्व, श्री पटेल 1972-1974 के दौरान गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे।

एक सक्रिय संसदविद्, श्री पटेल 1980-1982 के दौरान 'सभापटल पर रखे गये पत्रों संबंधी, संसदीय समिति' और 1982 से 1984 के दौरान अधीनस्थ विधायी संबंधी समिति' के सदस्य रहे। वह संचार और वाणिज्य मंत्रालय संबंधी परामर्शदात्री समितियों के सदस्य भी थे।

एक उत्साही और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, श्री पटेल विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे।

श्री सी.डी. पटेल का निधन 22 फरवरी, 2001 को कुछ समय बीमार रहने के बाद 70 वर्ष की आयु में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा सोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, कल सदन में इस बात पर चिंता प्रकट की गयी थी कि अफगानिस्तान में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। इसमें कम से कम सरकार की तरफ से कोई बयान आ जाता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। इसे आप 'शून्य-काल' के दौरान उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, इसे शून्य काल के दौरान उठाने के लिए मैंने नोटिस दिया था। चूंकि आप सरकार को वक्तव्य देने का निर्देश देने जा रहे हैं, अत:, मेरे विचार में यह वांछनीय होगा कि सरकार इस मामले पर वक्तव्य दे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कुछ कहेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष जी, भारत सरकार की तरफ से इस बारे में कोई स्टेटमेंट सदन में आना चाहिए। *...(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष जी, कट्टरपंथी दुनिया के सभी देशों में हैं। यहां पर मस्जिद तुड़वा दी गयी, वहां मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से सरकार इस पर कुछ कहने के लिए तैयार है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मध्याह्न भोजन के पश्चात् सभा में वक्तव्य दें।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राज्य सरकारों द्वारा वनस्पति के भंडार पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाना

*121. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्य सरकारों ने वनस्पति के भंडार पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिबंध से वनस्पति और खाद्य तेलों के मुक्त आवागमन में बाधा आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में सरकार के पास कोई विशिष्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है कि केन्द्रीय सरकार, खाद्य तेलों के संचलन में औपचारिक या अनौपचारिक, सांविधिक या स्वैच्छिक, किसी प्रकार के प्रतिबंध के विरुद्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अशोक ना. मोहोल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में माना है कि राज्य सरकारों ने अपने खाद्यान्न भंडारण पर रोक लगाई है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पास कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है।

लेकिन जानकारी तो होगी कि इसके बारे में किन राज्यों में प्रतिबन्ध लगे हैं। खाद्य तेलों के भंडारण पर रोक लगाने के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य मुक्त व्यापार संचालन में काफी बाधाएं आती हैं। इसके कारण खाद्य तेलों की आपूर्ति एवं कीमतों में भारी अन्तर रहता है। कई राज्यों में खाद्य तेलों की कीमत ज्यादा रहती है और कई राज्यों में इनकी कीमत कम रहती है। अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया। उन्होंने उत्तर में जो कहा, उसके अंग्रेजी और हिन्दी के उत्तर में फर्क है। मैं आपसे विनती करूंगा कि।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अनुरोध न करें, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आप सप्लीमैंट्री पूछिए।

[हिन्दी]

श्री अशोक ना. मोहोल: मैं सप्लीमैंट्री क्वश्चन ही पूछ रहा हूं। मैंने पूछा था कि क्या सरकारी प्रतिबन्धों को हटाने के लिए कोई निर्देश दिए जाएंगे लेकिन उन्होंने इसका कोई संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इन प्रतिबन्धों को हटाने का प्रयास करेगी ताकि खाद्य तेलों का एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त व्यापार हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या सरकार प्रतिबंधों को समाप्त करने जा रही है।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद: महोदय, बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने यह बिल्कुल साफ किया है कि सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है तथा कई खाद्यान्नों एवं कृषि उत्पादों पर लगाए गए अंतरराज्यीय मुक्त संचालन पर तथा ऐसी सामग्री के भंडारण और भंडार पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना चाहती है। अत: राज्य सरकारों से विचार विमर्श के बाद हम इस दिशा में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपका उत्तर क्या है? उनके अनुपूरक प्रश्न के बारे में आपका उत्तर क्या है?

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: वे जानना चाहते हैं कि प्रतिबंध हटेंगे अथवा नहीं?

[हिन्दी]

अशोक ना. मोहोल: आपने जवाब में कहा है कि रेस्ट्रिक्शन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे जानना चाहते हैं कि वनस्पति तथा खाद्य तेलों के मुक्त संचलन पर प्रतिबंध हटेगें या नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अनुपूरक प्रश्न का समय वर्वाद मत कीजिए।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद: इस भंडार सीमा पर कुछ अर्थों में प्रतिबंध लगा है। वनस्पति तथा खाद्य तेलों पर लगी भंडार सीमा के प्रतिबंध के बारे में 28 राज्यों में से 21 राज्यों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। 21 राज्यों में से नौ राज्यों में प्रतिबंध है। तथा सात राज्यों ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया नहीं भेजी है।

उन राज्यों ने जिन्होंने भंडार पर प्रतिबंध लगा रखा है कहा है कि इसके बावजूद मुक्त संचलन है तथा मुक्त संचलन में कोई बाधा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अशोक ना. मोहोल: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री यह है कि अभी जो आयात प्रतिबन्ध हटाए गए हैं, उससे बाहर के देशों से बहुत ज्यादा तेल आ रहा है। इस कारण डोमैस्टिक उद्योगों पर संकट आ रहा है। प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद और ज्यादा आयात होने के कारण नुकसान हो रहा है। क्या सरकार इन आयातों पर प्रतिबन्ध लगा कर घरेलू उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देकर, देश को खाद्य तेलों के मामले में स्वत: निर्भर बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद: महोदय, वर्ष 2001-2002 के बजट में आयातों पर प्रतिबंध के बारे में एक प्रस्ताव है। यही नहीं बल्कि सरकार भी इस बात को अच्छी तरह जानती है। इन आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए सीमा शुल्क चार गुणा बढ़ा दिया गया है। इन आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए वर्ष 2001-2002 के केन्द्रीय बजट में भी सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि राज्य सरकारों ने वनस्पति भंडार पर जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया है, वह किन-किन राज्यों ने और कितना-कितना लगाया है? इसके बाद देश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य तेलों का बाहर से कितना आयात किया जा रहा है और देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। फिर भी मंत्री महोदय क्या आपको इसकी जानकारी है?

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद: महोदय जैसा कि मैंने पहले ही कहा है नौ राज्यों में प्रतिबंध हैं। ये राज्य असम, बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मेरा प्रश्न भारत में गैर उत्पादक राज्यों से संबंधित है। वनस्पति और चीनी ऐसे पदार्थ हैं जिनका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब बजट प्रस्तावों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम लम्बे समय तक इस परिदृश्य में नहीं होगा। भारतीय खाद्य निगम कुल मिलाकर परिदृश्य से हट रहा है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे इसके लिए आगे आएं और सामान प्राप्त करें। परन्तु प्रतिबंधों के बिना यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? यह इसलिए है क्योंकि केरल ऐसा राज्य है जहां एक पौंड चीनी का भी उत्पादन नहीं होता है। उस राज्य में वितरण प्रणाली को बनाये रखने और उचित दर पर वनस्पति सहित चीनी उपलब्ध कराने के लिए क्या स्थिति होगी।

अध्यक्ष महोदय: आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, भारत में कमी वाले राज्यों के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जानना चाहते हैं कि आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि उत्पादन न करने वाले राज्यों के लिए किसी प्रकार का संरक्षण होना चाहिए। जो राज्य चीनी वनस्पति आदि का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद: महोदय, हम इसका ध्यान रखेंगे...*(व्यवधान)* केन्द्रीय सरकार इसका ध्यान रखेगी।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री कह रहे हैं कि वे इसका ध्यान रख रहे हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, माननीय मंत्री ने पहले ही स्वीकार किया है कि कुछ राज्यों ने खाद्य तेल और वनस्पति पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। कुछ राज्यों की सीमा समुद्रवर्ती है और पत्तन पर उतारने की अच्छी सुविधा है। तेल की दरों और वनस्पति की दरों में अन्तर के कारण जो प्रतिबंधित राज्य क्षेत्रों और राज्यों में विद्यमान हैं। और जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है। कोई भी सीमा-शुल्क लगाया गया है, वह इस तेल का आयातकों द्वारा सस्ती दर पर इसका आयात करने तथा इसे शेष देश में बेचने से उन्हें नहीं रोकता है। यह प्रक्रिया विकसित की गई है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उनका ऐसे राज्यों के साथ क्या करने का प्रस्ताव है (एक) जहां प्रतिबंध पहले से ही हैं, और (दो) क्या वे उन राज्यों पर सीमा शुल्क लगाकर विभेद करेंगे जहां प्रतिबंध लागू हैं और जहां प्रतिबंध लागू नहीं हैं। जहां तक सीमा शुल्क का संबंध है क्या सरकार दोहरी नीति आपनाने जा रही है?

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद: सीमा शुल्क में राज्य दर राज्य परिवर्तन नहीं किया जा रहा है चाहे वहां प्रतिबंध है अथवा नहीं। सीमा शुल्क का ड्यूटी ढांचा एक ओर समान है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: मैंने दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि सरकार उन राज्यों में क्या करने जा रही है जहां इस आवागमन पर प्रतिबंध हैं तथा जहां तेल की कीमतें ऊंची हैं तथा यदि वे आयात करते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमते कम हैं।...*(व्यवधान)* यह आयात शुल्क प्रभार रिजाइम निरर्थक होने जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद: महोदय, मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है कि स्वतंत्र आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति

*122. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार कई क्षेत्रों जैसे आवास, रक्षा, मुद्रित माध्यम (प्रिंट मीडिया) आदि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब सरकार का विचार उन कतिपय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का है, जिनमें पिछली नीति के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जाती थी;

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का नाम दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित करने हेतु दिल्ली मेट्रो रेल निगम को विशेष सुविधा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (च) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) विभिन्न क्षेत्रों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति का निर्धारण सरकार के संबद्ध मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करके क्षेत्र विशिष्ट की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। सरकार ने देश में और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से पहले ही एक पारदर्शी गतिशील और निवेशानुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति लागू कर दी है तथा एक लघु सूची को छोड़कर, लगभग सभी कार्यकलापों को 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किये जाने हेतु स्वत: मार्ग के तहत रख दिया है। आवास तथा स्थावर संपदा, कृषि, रक्षा, उद्योगों और प्रिंट (मुद्रण) मीडिया के क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है। सरकार द्वारा संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की निरंतर रूप में समीक्षा की जाती है।

(ङ) और (च) दिल्ली मेट्रो रेल निगम से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उक्त प्रस्ताव पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

श्री राम मोहन गाड्डे: महोदय, ढांचागत रूकावटों को दूर करने तथा ढांचागत नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए दिल्ली महानगर रेल निगम में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

महोदय, मैं दूसरा प्रश्न भी पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना दूसरा अनुपूरक पूछ सकते हैं। परन्तु एक समय में केवल एक अनुपूरक प्रश्न ही पूछें।

श्री मुरासोली मारन: महोदय, दिल्ली सरकार महानगर रेल निगम ने भूसम्पदा के विकास उन्हें छूट देने तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु अनुमति देने के लिए आवेदन किया है। सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है तथा यह बात उत्तर में भी बताई गयी है।

श्री राम मोहन गाड्डे: महोदय, देश में आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार भूसम्पदा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति देने का है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा गत वर्ष अनुमति दिये गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में इस वर्ष कुल कितने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है।

श्री मुरासोली मारन: महोदय, वृद्धि उन्मुख तथा निवेश अनुकूल बजट द्वारा इस मन्दी का ध्यान रखा गया है जो मेरे साथी-वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसमें कोई समस्या नहीं है। अगले वर्ष हम वृद्धि में उत्प्लावन रख सकते हैं। इस बारे में कोई आशंका नहीं है।

महोदय, अब तक अनुमति दिये गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001 में जनवरी से इन केलन्डर वर्ष में जी डी आर और ए डी आर सहित हमने 4498 मिलियन डालर प्राप्त किये हैं। यह लगभग 4.5 मिलियन डालर है।

श्री राम मोहन गाड्डे: भूसम्पदा के बारे में क्या स्थिति है? क्या आप इसकी अनुमति दे रहे हैं?

श्री मुरासोली मारन: अभी तक भूसम्पदा के बारे में कोई निर्णय नहीं है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रिंट मीडिया के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वर्तमान 'फेमा' नियम प्रिंट मीडिया में एक प्रतिशत से अधिक के निवेश की अनुमति नहीं देते हैं और वह भी भारतीय रिजर्व बैंक की स्पष्ट अनुमति से। परन्तु हाल ही में एक मल्टीमीडिया कम्पनी द्वारा एक आई पी ओ था, यह बात दिन में प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी, यह राशि 50 करोड़ रु. थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी अनुमति कैसे दे दी? ऐसा इसलिए है क्योंकि नियम 2, उपधारा 5 प्रिंट मीडिया में निवेश से मनाही करती है। अनेक पक्षों को इस बारे में आशंका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस नीति में छूट दे दी गई है, यदि हां, तो इसमें छूट कब दी गई है? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि प्रिंट मीडिया को विदेशी चन्दा मिल रहा है। यदि हां, तो इस पर सरकार का पक्ष क्या है तथा सरकार का इस बारे में क्या करने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय: क्या यह अत्यधिक विशिष्ट प्रश्न है या लम्बा प्रश्न है?

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, यह प्रिंट मीडिया के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न है।

श्री मुरासरेली मारन: महोदय, विदेशी संस्थागत निवेश मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। महोदय, मैं इस बारे में कुछ अस्पष्टताओं को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं जानता था कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है और इसलिए मैंने अन्य मंत्रालयों से स्पष्टीकरण प्राप्त किए थे। वित्त मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक को लिखा था जिसमें सलाह दी गई थी कि प्रिंट मीडिया क्षेत्र में किसी विदेशी निवेश की अनुमति न दी जाए। इसके अनुसरण में, अगले दिन 16 फरवरी, 2001 को आर.बी.आई. ने यह स्पष्ट करते हुए अधिसूचना जारी की थी कि प्रिंट मीडिया में संलिप्त किसी भी कम्पनी के शेयर या हाल ही में उच्च-प्रौद्योगिकी आर्थिक क्षेत्र का उद्घाटन हुआ, वाणिज्य मंत्री द्वारा मेरे जिलों नागेवेरी में नींव रखी गई। क्या ये पाटन रोधी शुल्क इस तरह के देशों को विश्व बाजार में भाग लेने के लिए प्रभावित करते हैं? उच्च-प्रौद्योगिकी आर्थिक क्षेत्र को स्थापित करने में भारत का क्या योगदान है? अमेरिका सहित अन्य देशों के निवेश का प्रतिशत कितना है? विश्व व्यापार संगठन में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में पनीर, मक्खन, आइसक्रीम और दुग्ध पाउडर के आयात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये है। क्या यह भारत में कृषकों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा? भारत में सरकार कृषकों के उद्धार के लिए क्या कर रही है? डिवेन्चर विदेशी संस्थागत निवेशकों को न दिये जाएं। अन्त में तथाकथित कम्पनी मिडडे ने यह स्पष्ट करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को एक पत्र लिखा कि उन्होंने निर्णय लिया है कि इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के बुक बिल्ट भाग का कोई शेयर विदेशी संस्थागत निवेशकों को न दिये जाएं। उन्होंने कहा कि वे नियमों के विरुद्ध कुछ भी करना नहीं चाहते। अत: यह स्पष्ट है कि प्रिंट मीडिया को नहीं खोला गया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: वह निर्गम 12 फरवरी, 2001 को जारी किया गया था।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: यह ठीक है। इसके बारे में बातचीत हुई थी। अब यह मामला समाप्त हो गया है।

श्री रमेश चेन्नितला: अध्यक्ष महोदय, भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) में बहुत पीछे है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में स्पट नीति की कमी के कारण है। निवेशकर्त्ताओं का सरकार और सरकार की कुछ नीतियों में विश्वास नहीं है। चीन, भारत और अन्य देशों की तुलना में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहा है? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे देश के मुख्य क्षेत्रों में अत्यधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित एक स्पष्ट नीति के साथ सामने आयेगी।

श्री मुरासोली मारन: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्रियों के एक दल द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की लगातार समीक्षा हो रही है। इसलिए यह एक विशिष्ट नीति है और यह स्थिर नहीं हो सकती है। इसी समय, मैं यह कहूंगा कि भारत में निवेश के लिए परिस्थितियां सुधर रही हैं विशेषत: तत्कालीन बजट के पश्चात्। हाल ही में, प्रसिद्ध कम्पनी "कियर ने" अपनी उपलब्धियों के साथ सामने आई है। यह बताता है कि भारत ने विदेशी निवेशकों में अपनी खोई हुई साख पुन: प्राप्त कर ली है। हमारा देश प्रमुख दस में इंगित किया गया था-पहले हम ग्यारहवें स्थान पर थे-क्योंकि वर्ष 2001 के इंडैक्स में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की प्रशंसा करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यदि उनका दल हमारी नीतियों का समर्थन करता है, हम सभा में अनेक प्रस्ताव लेकर आगे आयेंगे।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवास, सम्पत्ति, कृषि, रक्षा, उद्योगों और प्रिंट मीडिया के क्षेत्रों में अनुमति नहीं है। कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति न देने का क्या कारण है जबकि वास्तव में इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश कम है? क्या इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हमारे देश को कोई हानि पहुंचेगी?

श्री मुरासोली मारन: मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं की प्रशंसा करता हूं। यह मामला विचाराधीन है। इसलिए अभी तक हमने इसे अनुमति नहीं दी है। यह नीतिगत निर्णय है।

गुजरात में राहत कार्य

*123. **श्री सईदुज्जमा:**
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय गुजरात के भूकम्प प्रभावित लोगों को खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के मामले में अग्र पंक्ति में नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) मंत्रालय द्वारा भूकम्प के बाद राहत उपलब्ध कराने के लिये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अब जबकि रेल और सड़क संपर्क पुन: स्थापित हो गया है, प्रभावित लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार की आलू जोकि उत्तर प्रदेश में आवश्यकता से अधिक भारी मात्रा में मौजूद है को खरीदकर उसे गुजरात और देश में आलू की कमी वाले राज्यों को भेजने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (छ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल के भूकम्प से प्रभावित गुजरात की जनता के लिए राहत पहुंचाने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

(1) प्रभावित व्यक्तियों को वितरित करने हेतु गुजरात सरकार को 1 लाख टन खाद्यान्न (80 हजार टन गेहूं और 20 हजार टन चावल) आबंटित किये गये हैं। 27, 28 और 29 जनवरी, 2001 को तैयार भोजन के पैकेट भी वायुयान द्वारा गुजरात भेजे गये थे।

(2) राज्य सरकार को 10,000 टन लेवी चीनी भी अग्रिम रूप से रिलीज की गयी है।

(3) राज्य सरकार को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध पशुचारे को मुफ्त उठाने की अनुमति दी गयी है, ताकि भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को राहत पहुंचाई जा सके।

(4) मंत्रालय के अधीन उपक्रमों द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 5 करोड़ रुपये का अंशदान किया गया है। मंत्रालय के कर्मचारी भी एक दिन का वेतन दान में दे रहे हैं।

राज्य को और राहत पहुंचाने की दृष्टि से स्थिति पर नियमित रूप से नजर रखी जा रही है।

(च) और (छ) बागवानी की महत्वपूर्ण वस्तुओं, जिनके मूल्य आर्थिक स्तर से नीचे गिर जाते हैं और जिनकी किसानों को मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है, उनकी वसूली करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग बाजार हस्तक्षेप योजना लागू कर रहा है। यदि कोई राज्य सरकार चाहती है कि उक्त विभाग उनके राज्य में किसी बागवानी विशेष जिंस के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करे तो उसके लिए कृषि और सहकारिता विभाग से लिखित अनुरोध करना अपेक्षित होता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2000-2001 में उत्तर प्रदेश सरकार से बाजार हस्तक्षेप योजना के अधीन आलू की वसूली करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: मान्यवर, गुजरात के लोग जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनको राहत के लिए सरकार को और कोशिशों और प्रयास की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अनाथ बच्चे हैं या विधवाएं हैं या डिसेबल हो गए हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई योजना है? अगर है तो उस पर क्या किया जा रहा है? दूसरी बात यह है कि जो लोग डिसेबल हो गए हैं उनके लिए कोई पेन्शन योजना है?

सरकार ने जवाब में जो कहा है कि आलू के सिलसिले में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किसान गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। क्या सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार से मिलकर आलू खरीदने का प्रयास करेगी और इस योजना पर कार्य करेगी? अगर करेगी तो कब तक?

श्री श्रीराम चौहान: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। जो बच्चे अनाथ या विकलांग हो गए हैं, उनके बारे में यदि वहां की सरकार सूचना भेजेगी तो संबंधित मंत्रालय उसके संदर्भ में कार्य करेगा। मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए विषय को जरूर देखा जाएगा और उसका निदान किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

जहां तक उत्तर प्रदेश में आलू का प्रश्न है, जब प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सूचना मिलती है, खरीदने के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो वह खरीद करती है। उत्तर प्रदेश सरकार से इस संदर्भ में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। जहां तक आलू की पैदावार का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहले की अपेक्षा दस से पन्द्रह प्रतिशत तक आलू कम हुआ है। गत वर्ष के 101 लाख टन के विपरीत इस समय 85 लाख टन आलू की पैदावार हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा जो अनुरोध प्राप्त होता है, उसमें इधर-उधर भेजने में जो पचास प्रतिशत हानि होती है जैसे आलू सड़ गया या रास्ते में क्षति हो गई, उसका वहन आधा केन्द्र सरकार करती है और आधा प्रदेश सरकार करती है। इसलिए कम अनुरोध प्राप्त होता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई अनुरोध प्राप्त होगा तो निश्चित ही उसे देखेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, यह प्रश्न गुजरात में राहत कार्य से संबंधित है न कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री श्रीराम चौहान: इन्होंने उत्तर प्रदेश के आलू के संदर्भ में प्रश्न किया है।...*(व्यवधान)* गुजरात सरकार ने इस संदर्भ में कोई मांग नहीं की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: मंत्री जी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया कि क्या सरकार के पास कोई योजना है? क्या वह गुजरात में आलू भेजने का प्रयास करेगी?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न यू.पी. के बारे में नहीं है गुजरात के बारे में है।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य, यह गुजरात में राहत कार्य से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से पूछ रहा हूं कि वहां जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोजी-रोटी को तरस रहे हैं, सरकार के पास उनके लिए क्या योजना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास उत्तर प्रदेश से गुजरात में आलू भिजवाने की कोई योजना है? वह उनका अनुपूरक प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री श्रीराम चौहान: गुजरात में वैसे ही पर्याप्त आलू है। ...*(व्यवधान)* अगर गुजरात सरकार मांग करेगी तो जरूर भेजा जाएगा।

श्री सईदुज्जमा: यह इतना गंभीर प्रश्न है और मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। गुजरात इस समय गंभीर रूप से प्रभावित है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सैकिंड सप्लीमैंट्री गुजरात के बारे में है यू.पी. के बारे में नहीं है।

श्री सईदुज्जमा: यह भी गुजरात के बारे में था।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राहत कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए क्या कोई सर्वदलीय कमेटी बनाने पर सरकार विचार करेगी और अगर करेगी तो कब तक ताकि यह एहसास हो सके कि वहां खाद्यान्न का वितरण सही तरह हो रहा है या नहीं, गरीब लोगों को चीजें पहुंच रही हैं या नहीं? इस पर हाउस ने अपेक्षा जाहिर की है और महसूस किया है कि उन तक किस तरह सामान पहुंच सके। क्या ये समिति बनाने पर विचार करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा अनुपूरक प्रश्न है क्या सरकार गुजरात में राहत कार्यों की निगरानी के लिए कोई समिति गठित करने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री श्रीराम चौहान: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रयत्नशील है। प्रधान मंत्री जी की देख-रेख में समिति बनी हुई है। कैबिनेट सचिव की देख-रेख में सचिवों की समिति बनी हुई है जो बराबर बैठकें करके वहां की समीक्षा करती है और जैसी भी जरूरत होती है, उसे पूरा करने का प्रयास करती है।

श्री सईदुज्जमा: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं आया। मैंने जानना चाहा था कि ये समिति बनाएंगे या नहीं ताकि सरकार पर जो आरोप लगे हैं, वे सही हो सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने कहा है कि इस संदर्भ में माननीय प्रधान मंत्री जी पहले ही एक समिति का गठन कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुजरात में जो भूकम्प आया।

उसके अन्दर बहुत अच्छी सहायता मिल रही है, लेकिन इसके साथ-साथ गुजरात में पिछले तीन सालों से दुष्काल की परिस्थिति है, वहां बरसात नहीं हुई है। ऐसे में वहां, अनाज की, खाद्यान्न की बहुत शॉर्टेज है। जो भूकम्पग्रस्त परिवार हैं, उन्हें गुजरात सरकार की ओर से प्रत्येक व्यक्ति को 20 किलो गेहूं और पांच किलो चावल मुफ्त में देने का कार्य शुरू हो गया है। आपकी तरफ से 80 हजार टन गेहूं, 20 हजार टन चावल और 20 हजार टन लेवी चीनी भी दी गई है। लेकिन मेरी मान्यता के मुताबिक यह बहुत कम पड़ेगा। इसलिए बरसात आये, तब तक गरीब लोगों को खाद्यान्न, चावल और गेहूं बांटना पड़ेगा। क्या माननीय मंत्री जी बरसात आये, तब तक सस्ते दाम पर गुजरात सरकार को गेहूं, चावल और चीनी देने के लिए क्या कोई प्रबन्ध करेंगे?

श्री श्रीराम चौहान: भारत सरकार ने 80 हजार टन गेहूं और 20 हजार टन चावल दिया है, लेकिन उसका उठान पूरा नहीं हो पाया है। अभी तक आधे से कम उठान ही हो पाया है। यदि गुजरात सरकार गरीबों को, पीड़ितों को राहत देने के सन्दर्भ में और कुछ मांग करेगी, तो उसके ऊपर विचार किया जायेगा।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: भंडारों में अनाज पड़ा है और गुजरात सरकार ने ऑलरेडी मांग की है, उसे दिया जाये।

[अनुवाद]

पाटन रोधी शुल्क

***124. श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक देश अपने उत्पादों जैसे उपभोक्ता वस्तुएं, इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पादों और जीवनरक्षक औषधियों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराके भारतीय बाजार को पाट रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सामानों को भारतीय बाजार में पाटने से घरेलू उद्योग/निर्माता किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों द्वारा भारत में सामान पाटने पर रोक लगाने/उसे निरूत्साहित करने हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों के विरूद्ध पाटनरोधी उपाय किये गये हैं;

(ङ) कितने मामलों में और किन-किन देशों के विरूद्ध अभी भी जांच चल रही है;

(च) उक्त जांच कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(छ) विदेशों द्वारा अपने उत्पादों के पाटन को रोकने के लिये आगे और क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) उपभोक्ता वस्तुओं, इंजीनियरिंग वस्तुओं, औषधि एवं रसायनों के घरेलू उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इन वस्तुओं का देश में हो रहे पाटन के बारे में शिकायत की गई है। क्षति की मात्रा उत्पाद-दर-उत्पाद भिन्न-भिन्न होती है और इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश में दर्शाया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। अब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 87 पाटनरोधी मामलों की शुरूआत की गई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 60 मामलों में कार्रवाई पूरी कर उन पर निश्यचात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त, 16 मामलों में अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है। जिन देशों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू की गई है, उनके नाम हैं:-चीन, रूस, मैक्सिको, कोरिया, यूएसए, जापान, कजाकिस्तान, जर्मनी, थाईलैंड, डेनमार्क, इंडोनेशिया, स्पेन, इटली, बेल्जियम, आस्ट्रिया, फ्रांस, ताईवान, मलेशिया, उक्रेन, पुर्तगाल, रोमानिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, मेकेडोनिया, चैक गणराज्य, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण अरब, इरान, पोलैंड, हंगरी, बंगलादेश, यूएई, नीदरलैंड और यूरोपीय संघ।

(ङ) 11 मामलों में अनंतिम शुल्क लगाए जाने के लिए पाटनरोधी जांच चल रही है। जिन देशों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच चल रही है, उनके नामों में शामिल हैं:- चीन, रूस, यूएसए, सिंगापुर, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, ताईवान, थाईलैंड, मलेशिया, पोलैंड, जापान, कोरिया, बंगलादेश, हांगकांग, इरान, यूएई, दक्षिण अरब, फ्रांस उक्रेन तथा यूरोपीय संघ।

(च) अंतिम निष्कर्षों को पूरा करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुमत्य सामान्य समय सीमा जांच शुरुआत की तिथि से एक वर्ष की होती है। तथापि, अनंतिम शुल्क 60 दिनों की न्यूनतम अवधि के पश्चात तथा दूसरी बार उन प्रभावित पक्षों के उत्तरों की जांच करने के पश्चात लगाया जा सकता है जो कार्रवाई शुरू करने के बारे में जारी की गई सूचनाओं का उत्तर देने के लिए 40 दिनों की अधिकतम अवधि के पात्र होते हैं।

(छ) पाटन के खतरे का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ अन्य कदम निम्नानुसार हैं:

(1) वर्ष 2001-2002 के बजट सहित पिछले कुछ समय में कई मदों पर आयात शुल्कों में वृद्धि की गई है।

(2) सभी डिब्बा बंद वस्तुओं के आयात को घरेलू उत्पादकों पर लागू होने वाले मानक भार एवं माप (डिब्बा बंद वस्तु) आदेश, 1977 की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन रखा गया है।

(3) 131 उत्पादों के आयात को घरेलू वस्तुओं पर लागू होने वाले अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया है। इस अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए सभी विनिर्माताओं/भारत को इन उत्पादों के निर्यातकों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास पंजीकृत करना अपेक्षित होगा। 131 उत्पादों की सूची में शामिल हैं- विभिन्न खाद्य परिरक्षक एवं अभिवर्धक, दुग्ध पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, कुछेक प्रकार की सीमेंट, घरेलू चीजें तथा इसी प्रकार की बिजली के उपकरण, गैस सिलेंडर और बहुउद्देशीय शुष्क बैटरियां।

श्री एस. बंगरप्पा: महोदय, मेरा एक सुझाव है। आप इस प्रश्न के साथ प्रश्न सं. 136 को जोड़ सकते हैं। यह पाटनरोधी शुल्क से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अलग प्रश्न है।

श्री एस. बंगरप्पा: तब मुझे इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, अनेक देश उपभोक्ता वस्तुओं, इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पाद, जीवनावश्यक औषधियों

को सस्ती दरों से हमारे देश में उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमारा बाजार भरा पड़ा है। वैसे तो यह बहुत गम्भीर मामला है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इस उत्तर में मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिये हैं, मुझे लगता है कि वे गम्भीरता से नहीं लिए हैं। अभी हाल ही में वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें कुछ मदों पर तो एण्टी डम्पिंग ड्यूटी लगाई है, लेकिन आज भी हिन्दुस्तान के बड़े शहरों में विदेशी उत्पादों से बाजार भरे पड़े हैं और इसके लिए सरकार को जो कारगर कदम उठाने चाहिए थे, वे नहीं उठाये हैं तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान कर ली है, जहां विदेशी सामान पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकें ताकि हमारे घरेलू उद्योग बच सकें?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: वाणिज्य मंत्रालय में एक पाटन रोधी शुल्क अनुभाग है और वित्त मंत्रालय में एक सुरक्षात्मक अनुभाग है। हम उनकी ध्यानपूर्वक निगरानी कर रहे है।

प्रथम, सूचना के एकत्रीकरण के बारे में, कोलकाता में कमिंशयल इनटैलीजन्स एण्ड स्टैटिक्स के निदेशक-जनरल है। पहले हम दस महीनों में आयात के बारे में विस्तार से सूचना प्राप्त किया करते थे। अब यह दो से तीन महीने तक सीमित हो गई है। यह सूचना के एकत्रीकरण की स्थिति है। तब सूचना के विस्तार के लिए, हमारे वाणिज्य मंत्रालय के पास एक प्रकोष्ठ है जो उन सभी व्यक्तियों को सूचना देगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है और औद्योगिक संगठनों को भी सूचना प्रदान करेगा।

हम स्थिति पर सतत रूप से निगरानी रखे हुए हैं और पाटन रोधी शुल्क लगा रहे हैं, परिणामत: हम और पाटन रोधी शुल्क लगाने में विश्व में सबसे पहले स्थान पर हैं।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका सप्लीमेंटरी नहीं है, आप बैठ जाइये।

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ कारगर कदम उन्होंने उठाये हैं, लेकिन नेपाल और श्रीलंका के साथ हमारी मुक्त व्यापार की व्यवस्था है और दुख की बात यह है कि चीन से भारतीय बाजार में नेपाल और श्रीलंका के रास्ते माल पहुंचता है, उस पर कोई रोक नहीं है।

जो भी उपाय हमारे मंत्रालय ने किए हैं, वे इतने लम्बे हैं कि ये विदेशी सामानों को हमारे बाजार में आने से नहीं रोक सके। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार इसके लिए क्या कार्रवाई कर रही है, ताकि नेपाल और श्रीलंका के रास्ते तस्करी से हमारे देश में जो सामान आना रूक नहीं रहा है, उस पर रोक लगे? सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, लेकिन दूसरे रास्ते से जो चीन के सामान की डम्पिंग हो रही है, उससे हमारा सारा उद्योग चरमरा गया है। यह गम्भीर मामला है, इसे सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है इसलिए इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: डम्पिंग और तस्करी दो भिन्न चीजें हैं। जहां तक डम्पिंग का सम्बन्ध है, हम इसके बारे में बहुत गंभीर है। वास्तव में, विश्व व्यापार संगठन बुलेटिन के अनुसार,...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार: आप कितने गंभीर है?...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन: इस संदर्भ में कि हमारे पास मंत्रालय में प्रकोष्ठ है ...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार: आप बाजार में जा सकते हैं और जांच पड़ताल कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे गम्भीरतापूर्वक उत्तर दे रहे हैं। कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

श्री मुरासोली मारन: तस्करी कुछ अलग मामला है। हमने 700 और असंगत वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाया है। *...(व्यवधान)* हमें आशा थी अथवा हमने आशंका जताई थी कि इससे अत्यधिक आयात होगा परन्तु परिणाम यह हुआ है कि हमारा गैर-तैलीय आयात कम हो गया है अथवा इसमें डालर के रूप में इस आयात में 8.16 प्रतिशत कमी आ गई है, और रुपये में आयात में 15.88 प्रतिशत की कमी आई है। अत: आयात में कोई तेजी नहीं आई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठिये। यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिये। कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि यह प्रश्न काल है और आप को इस तरह से बाधा नहीं डालनी चाहिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: वे इस बारे में गंभीर हैं और आप उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइये। कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री वर्मा कृपया अपने स्थान पर बैठिये। माननीय मंत्री के बयान के अतिरिक्त और कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: वे उत्तर दे रहे हैं। यह आप क्या कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे पहले उत्तर देंगे। अब आप क्यों खड़े हैं?

श्री मुरासोली मारन: हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि इस वर्ष चीन को हमारे निर्यात में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इसलिए एकाएक चीन के साथ हमें अपने सम्बन्धों को उत्साहहीन नहीं बनाना चाहिए।

एक अन्य माननीय सदस्य ने साईकिल के बारे में बताया। उन्होंने मिश्र धातू से ''फोल्डेड साईकिल'' का निर्माण किया है और हम यहां क्या कर रहे हैं? साईकिल निर्माण के क्षेत्र में हमारा विश्व में प्रथम स्थान है। परन्तु हमारे लोग इसे कोई परिस्कृत रूप नहीं दे पाए हैं।

उत्पादन में विभिन्नता लाना एक बात है और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना दूसरी बात है। हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की बढ़ावा मिलना चाहिए। यह पहला उत्तर है अथवा चीन के बारे में प्रश्न का उत्तर है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्नों की सूची में दूसरा नाम है। कृपया आप इसे देखें। आप दूसरा नाम नहीं देख रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी: अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है उसमें से मेरा प्रश्न यह है कि क्या विदेशी व्यापार के वैध-अवैध आयात के अनुमानित आंकड़े आपके पास हैं, अगर हैं तो बताया जाए? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहती हूं कि विदेशी वस्तुओं का भारत में अवैध व्यापार रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उसके लिए शासन क्या कार्रवाई कर रहा है, इसकी भी जानकारी दी जाए?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: वित्त मंत्री ने बताया कि बाजार तथा तस्करी के संदर्भ में प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं। चीनी वस्तुओं के बारे में, मैं कुछ समाचार पत्रों के मुख्य शीर्षकों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। ''द इकनॉमिक टाइम'' कहता है, ''गवर्नमेंट मिल्स क्यू.आर. बोगी-लिंतिल राइज इन इम्पोर्टस पोस्ट-ओपनिंग अप.'' चीनी आयात में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आंकड़े हैं।

हम तस्करी के बारे में प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं और वित्त मंत्रालय भी प्रभावशाली कदम उठा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी: अध्यक्ष महोदय, हमें फिगर्स की संख्या दे दी जाए और उसके बारे में जानकारी दी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैडम, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके बारे में कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: अध्यक्ष महोदय, मनोनीत अधिकारी ने पहले ही विभिन्न देशों के विरुद्ध अमेरिका को शामिल करते हुये लगभग 60 मुकदमे शुरू कर दिये हैं।

श्री मुरासोली मारन: महोदय, उनका पहला प्रश्न उनके निर्वाचन क्षेत्र में उद्घाटन किए गये आर्थिक क्षेत्र के बारे में है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए जोनों को विदेशी प्रदेश माना जायेगा। इसलिए, उन पर कोई कर नहीं लगाये जायेंगे। जो कुछ भी उत्पादन होगा वह पत्तन को जाना चाहिए। यदि वे घरेलू क्षेत्र में आते हैं, तो निस्संदेह उनको घरेलू शुल्क अदा करना होगा।

दूसरा, हमारे पास अत्यधिक आयात को बंद करने के लिए अनेक तरीके हैं। उनमें से एक शुल्क में वृद्धि करना है जो कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने परसों ही किया है। हम ऐसा करना जारी रखेंगे। तीसरा, रक्षोपाय प्रक्रिया के लागू करने के बारे में है। उसके लिए मैं एक विधेयक ला रहा हूं ताकि खतरनाक स्तर तक पहुंच गये आयात पक्ष अस्थाई रूप से मात्रात्मक प्रतिबन्ध इसे कम किया जा सके।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस. बंगरप्पा: यह मामला कृषि से संबंधित है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। हमारे कृषक समुदाय का उनकी भूमि में अत्यधिक विश्वास है। यदि वे वह विश्वास खो देते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था नीचे से ऊपर तक प्रभावित होगी। यहां बहुत से उदाहरण हैं जब चावल और मटन जैसी वस्तुओं से हमारे बाजार पाट दिए गये है। हमारा देश डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है। यह "गैट" विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अधीन विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य समझौतों के परिणामस्वरूप हुआ है। मेरा सुझाव है कि डब्ल्यू.टी.ओ. गैट और कई अन्य समझौतों पर पूर्ण रूप से चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय: आपकी सूचना के लिए हम इस माह की 12 और 13 तारीख को कृषि और कृषकों के दूसरे मुद्दों पर बहस करने जा रहे हैं।

श्री एस. बंगरप्पा: यह सिर्फ कृषि से ही संबंधित नहीं है। डब्ल्यू.टी.ओ. अनेक दूसरे पक्षों को भी प्रभावित करता है। यह उद्योग बागवानी आदि से संबंधित है यहां पर अनेक दूसरी शाखायें हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि वे पाटन रोधी संबंधी एक विधान ला रहे हैं।

श्री एस. बंगरप्पा: इससे सिर्फ डंपिंग-रोधी पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन को लीजिए। हमारे सैल फोन की कीमत लगभग 7 रुपये से 7.50 रुपये है। यह मामला डब्ल्यू.टी.ओ. के अन्तर्गत आता है। जबकि चीन के सैल फोन की कीमत सिर्फ एक रुपये है। कलकत्ता में ऐसल फोन 0.60 रुपये में बेचा जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बंगलौर में इसकी कीमत सिर्फ एक रुपये है। वह चीन में बनाया गया सैल फोन है। जिन लोगों ने इन उद्योगों के लिए ऋण लिया है वे बैंकों को ऋण वापस नहीं कर पायेंगे। वे पूरी तरह बंद होने जा रहे हैं। मटन का मामला लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: अनुपूरक प्रश्न के बारे में क्या है?

श्री एस. बंगरप्पा: आस्ट्रेलियन मटन आइस पैक्ड है और स्वास्थ्य के अनुकूल पैक है। यह कर्नाटक में मंगलौर में 40 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। यह जहाज से आता है। हमारे मटन की कीमत 100 रुपये से 120 रुपये है। हमारा मटन कौन खरीदेगा? एक किलो चावल 5 रुपये से 6 रुपये में उपलब्ध है, जबकि यहां इसकी कीमत 8 रुपये से 12 रुपये है। खुले बाजार में इसकी कीमत 15 रुपये है। आप मेरी बात मानिये, सभी वस्तुओं का हमारे बाजार में ढेर लगता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, आपका अनुपूरक प्रश्न है कि क्या सरकार सिर्फ हमारा मटन बेचेगी।

श्री एस. बंगरप्पा: महोदय, मैं आपके माध्यम से, मांग करता हूं, शीघ्र जांच की जाये ताकि हमारा कृषक समुदाय अपनी भूमि से विश्वास न खोये। वे कृषि अर्थव्यवस्था को अत्यधिक योगदान दे रहे हैं। यदि इसमें बिखराव आता है तो मेरी बात मानिए, आपकी औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी ढह जायेगी। यही वस्तु स्थिति है, जो चल रही है। सरकार को हमारे देश में डंपिंग-रोधी कर और वस्तुओं की तस्करी की जांच के संदर्भ में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत सभी वस्तुओं को अनुमति देने की बजाय, सरकार को इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस संदर्भ में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री मुरासोली मारन: महोदय, मैं श्री बंगरप्पा और सभा के अन्य माननीय मंत्रियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम भारत को डंपिंग ग्राउण्ड नहीं बनने देंगे। हम पर्याप्त एहतियात बरतेंगे। हम शुल्कों को बढ़ा रहे हैं। परसों ही घोषित किए गये केन्द्रीय बजट में हमने यह प्रावधान किया है। दुग्ध पाउडर पर कर शून्य प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है चिकन मीट पर कर 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, गेहूं पर कर शून्य प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है; छिलके उतरे हुये चावल पर कर अर्थात टूटे हुये चावल पर कर शून्य प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक बढ़ाया गया और चाय के मामले में यह 35 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।

हमने बेहतर कार्य किया है। यह पहला कदम है। परन्तु, इसके बावजूद यदि अधिक वस्तुएं देश में आती हैं, तो हम अवश्य ही कार्यवाही करेंगे। जैसा कि आपने सही कहा, हम एक विधेयक ला रहे हैं जिस पर हम विस्तार से बहस कर सकते हैं। मेरी जानकारी में मटन का आयात नहीं किया जा रहा है?

श्री एस. बंगरप्पा: हम मटन का आयात नहीं कर रहे हैं परन्तु यह हमारे देश में आ रहा है। इस संदर्भ में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन: पुरातन समय से ही तस्करी हो रही है।

एच.एम.टी. की इकाइयों का बंद होना

***125. श्री पुष्प जैन:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की कितनी इकाइयां अब तक बंद हो गई हैं अथवा उनका पुनरुद्धार किया गया है;

(ख) कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकार किया है;

(ग) अब तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कितने मामलों का निपटान किया गया है और कितने मामले अभी भी सरकार के पास निपटान हेतु लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार की एच.एम.टी. के कर्मचारियों को किसी अन्य क्षेत्र में प्रशिक्षित करने की योजना है जिनके पास इसकी इकाइयों के बंद होने के बाद कोई काम नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या व्यापक रणनीति बनाई गयी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) सरकार द्वारा अनुमोदित एच.एम.टी. की टर्नअराउण्ड योजना में रोकड़ निवेश तथा वित्तीय एवं संगठनात्मक पुनर्संरचना करना शामिल है। इसमें निरंतर घाटा उठा रहे इसके पांच अजैव्य यूनिटों को बंद करना भी शामिल है। चार अजैव्य यूनिटों को अभी तक बंद किया जा चुका है।

(ख) और (ग) विगत के तीन वर्षों में 4432 कर्मचारियों ने वीआरएस ले ली है। 241 आवेदन कंपनी में लम्बित हैं।

(घ) और (ङ) कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को यूनिटों से, जिन्हें बंद किया जाना था, पुन: तैनात किया है तथा उन्हें नये ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री पुष्प जैन: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के इस सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। एस.एम.टी. की घड़ियां, ट्रैक्टर और मशीनरी वगैरह की बहुत अच्छी मांग थी। यहां तक कि लोग एच.एम.टी. की घड़ियां प्रीमियम पर खरीदते थे, लेकिन धीरे-धीरे बाजार में इसकी मांग घट गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार जानना चाहता हूं, एच.एम.टी. की जो खस्ता हालत हुई है और यह उपक्रम घाटे में गया है, इसके मुख्य कारण क्या हैं और भविष्य में यह उपक्रम घाटे में न जाए, इसके बारे में कोई योजना सरकार ने बनाई है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री मनोहर जोशी: हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी एक बार फिर न सिर्फ घड़ियों के मामले में बल्कि मशीन टूल्स के मामले में भी अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगी। इसलिए, 18 जुलाई 2000 को हुई बैठक में सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना अनुमोदित की है। इस योजना के साथ, हमें विश्वास है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी अपना स्थान दुबारा प्राप्त कर लेगी।

[हिन्दी]

श्री पुष्प जैन: महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि पैकेज की घोषणा की गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एच.एम.टी. का घरेलू उत्पाद बाजार में स्थापित हो, मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा सामान की खरीद को बढ़ाया जाए, इसके बारे में कोई योजना है या नहीं।

श्री मनोहर जोशी: महोदय, इस विषय में रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज, से चर्चा हुई है। कश्मीर में जो एच.एम.टी. की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से जितनी वाचेज चाहिए, उनको खरीदने की योजना रक्षा मंत्रालय ने दिखाई है। परिस्थिति सुधारने की अपेक्षा जो माननीय सभासद ने की है, वह संभव है इससे पूरी हो जाएगी।

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बता सकेंगे कि टोटल इक्विटी क्या है, लॉसेस क्या हैं, लेबर फोर्स कितनी है और कॉम्पीटीटर्स से कम्पीट करने के लिए रिवाइवल प्लान क्या बना, उसकी जानकारी देंगे?

[अनुवाद]

श्री मनोहर जोशी: महोदय, इस योजना के अस्तित्व में आने से पूर्व, कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 20,000 थी और 6000 कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को चुनने के लिए सहमत हैं। इसलिए, इन कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के पश्चात् कम्पनी में लगभग 14,000 कर्मचारी रह जायेंगे। बहुत सी वस्तुओं के लिए यह योजना अनुमोदित हुई है। उनमें से कुछ है, भारत सरकार के 39.70 लाख रुपये के ऋण का परिवर्तन, 250 करोड़ रुपये के भाड़ा इक्विटी का समावेश घाटे में चल रही पांच इकाईयों को बंद करना। सरकार दो वर्षों में सेवानिवृत होने वाले 6493 कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 469 करोड़ रुपये को एकत्र कर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बांडों को जारी करने की गारंटी पर सहमत हो गई है। और मशीन टूल्स एंड वॉच ग्रुप को

अनुषंगी कम्पनी में परिवर्तित किया जायेगा। विभिन्न अनुषंगी कम्पनियां बनाई जा रही हैं। इन सभी कदमों और उठाये गये ऐसे अनेक कदमों, के कारण सरकार को विश्वास है कि जिन अनुषंगी कम्पनियों का पुनरुद्धार होना है। पुनरुद्धार होगा और जिन इकाईयों को बंद करना है उन्हें शीघ्र ही बंद किया जायेगा।

श्री राजैया मल्याला: महोदय, उद्योग से सम्बन्धित यह बहुत गंभीर मामला है। यह उद्योग हैदराबाद में स्थापित किया गया था। आरंभ में, इस कम्पनी में 6000 कर्मचारी थे। परंतु वर्ष दर वर्ष, उन्होंने सारी इकाईयां बंद कर दी। अब कर्मचारियों की संख्या केवल 1200 है। अब एक ईकाई जिसका नाम वाच केस विभाग है, उसे भी पहले ही बंद कर दिया गया है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना स्वीकार करने के पश्चात् केवल 56 कर्मचारी बचे हैं और इन कर्मचारियों को भी पहले ही देश के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

ट्रैक्टर इकाई जोकि वहां पर अस्तित्व में है उसके विस्तार को लिया क्या कोई प्रस्ताव है? क्या सभी 56 कर्मचारियों को हैदराबाद में ही समायोजित करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री मनोहर जोशी: महोदय, हैदराबाद में तीन इकाईयां हैं जिन्हें बंद करने का प्रस्ताव है वास्तव में उन्हें बंद कर दिया गया है। महोदय, वाच केस विभाग, हैदराबाद जहां पर केस निर्मित किए जाते थे, उसे बंद किए जाने का कारण पुरानी प्रौद्योगिकी थी। खरीददारी के समय, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। परन्तु यह बहुत पहले किया गया था। हैदराबाद में लैम्प इकाई के संदर्भ में लागत बढ़ गई थी। इसलिए, यह घाटे में थी। तीसरी इकाई सैन्ट्रल मैटल फर्मिंग इंस्ट्रीट्यूट थी। इस संस्थान में केवल 28 कर्मचारी थे।

महोदय, हमने इस मामले पर बड़ी गंभीरता से विचार किया है। कम्पी में कार्य करने वाले अधिकतर कर्मचारियों को हैदराबाद में ही विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया गया है। परन्तु हम उन सभी को वहां पर नहीं रख पाये। परन्तु शायद यह केवल एक मामला है जहां अधिकतर कर्मचारी जो कार्य करना चाहते थे उन्हें कार्य करने की अनुमति दी गई। वह बेरोजगार नहीं हैं। महोदय, माननीय मंत्री ने अत्यधिक रुचि ली। महोदय, उन्हें जानकारी है कि मैंने भी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि ली थी। इसलिए, हमने देखा है कि हैदराबाद में कोई भी बेरोजगार न हो।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मालूम होगा कि रांची में एक एच.एम.टी. यूनिट है, वह काफी समय से बंद है। वहां सैंकड़ों पढ़ी-लिखी महिलाएं काम करती थीं और वह बंद हो गया है।...*(व्यवधान)* उस कारखाने को चलाने के लिए सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है और बेरोजगार महिलाओं के लिए क्या सोच रही है?

[अनुवाद]

श्री मनोहर जोशी: महोदय, यह सम्भव नहीं है कि रांची इकाई को पुन: आरंभ किया जाये क्योंकि यह लम्बे समय से बंद है। परन्तु, हम योजना पर विचार कर रहे हैं जहां उन कर्मचारियों को, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को चुना है और उन कर्मचारियों को जो बेरोजगार हैं, विशेषकर विधवाओं को काम दिया जाये। इसलिए, इस समस्या का कुछ हद तक निदान हो सकता है।

डा. मन्दा जगन्नाथ: महोदय, छ: हजार लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को चुना है। वास्तव में यह उन पर थोपी गई थी। हैदराबाद में तीन इकाईयां बंद हो गई थी। जो हाल ही में बन्द हुई हैं वह वाच केस यूनिट है। इन इकाईयों के कारोबार के अनुसार कुल पांच इकाईयों को बंद करना था। मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि औरंगाबाद में खाद्य प्रसंस्करण इकाई को बन्द क्यों नहीं किया गया है। अन्य चार इकाईयों के नाम भी नहीं दिये गये हैं। कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए दबाव डालने की मंशा के साथ, हैदराबाद के लोगों को सिलीगुड़ी, असम और अन्य जगहों पर भेजा गया है। 490 लोगों के पश्चात् 130 और लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को चुना है। इन लोगों को अभी तक हटाया जा रहा है। यह बहुत अन्याय है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि औरंगाबाद इकाई जो 31 दिसम्बर 2000 को बंद होनी थी, अभी तक बंद क्यों नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को लिखित उत्तर भेज सकते हैं।

श्री मनोहर जोशी: हां, महोदय।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कमजोर बैंकों के बारे में तलवार समिति की रिपोर्ट

*126. **श्री शिवाजी माने:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तलवार समिति ने कमजोर बैंकों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों/दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के उप गर्वनर श्री एस.पी. तलवार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल ने, जिसने तीन कमजोर राष्ट्रीयकृत बैंकों की पुनर्गठन योजनाओं की जांच की थी, विभिन्न विकल्पों पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि तीन कमजोर राष्ट्रीयकृत बैंकों के आमूल परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा विकल्प यह है कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित पूंजी देकर कमजोर बैंकों को पुनर्गठित किया जाए।

इसने तीन कमजोर बैंकों के लिए दो वर्ष में 2300 करोड़ रुपए की पुन: पूंजीकरण सहायता की सिफारिश की, ताकि वे निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त कर सकें/उसे बनाए रख सकें।

तीन कमजोर बैंकों की प्रस्तावित व्यापक पुनर्गठन योजनाओं में वित्तीय और साथ ही गैर वित्तीय पैरामीटर निहित हैं, जिनमें जमाराशि की लागत में कमी, अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली में तेजी लाना, बंधी लागतों एवं संचालन खर्चों में कमी, शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाना, लाभ न दे पाने वाले अनुषंगियों को अलग करना, गैर-अर्थक्षम विदेशी परिचालनों को बंद करना, गैर-निधि व्यवसाय में वृद्धि, बेहतर नकदी प्रबंधन, कर्मचारियों का अधिकतम पुनर्नियोजन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, छवि बनाना और समुचित उत्तराधिकार योजनाएं आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार इस दल की सिफारिशों की जांच कर रही है।

विनिवेश लक्ष्य की प्राप्ति

*127. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विनिवेश के अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार को विनिवेश की प्रक्रिया में किन-किन मुख्य बाधाओं का सामना करना पड़ा है; और

(घ) इन बाधाओं को हटाने के लिये क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) 10,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान विनिवेश के माध्यम से 1,829 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई गई।

(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 40 उद्यमों में से, जिनमें 31 मार्च 2000 तक सरकारी इक्विटी का विनिवेश किया गया था, 39 मामलों में अल्पांश भागीदारीयों की बिक्री कर दी गई थी। केवल एक ही मामले में अर्थात् मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीस लि. में अनुकूल बिक्री की गई थी। अल्पांश भागीदारी की बिक्री की तुलना में अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश करने के निहित लाभ को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्यमों में विनिवेश करने की अपनाई जा रही अनुकूल बिक्री की प्रणाली पर जोर दिया गया था। विशेष रूप से अनुकूल बिक्री के लेन-देन को पूरा करने के लिए ली गई समयावधि अल्पांश बिक्री में लगे समय से अधिक होती है। इसके अलावा, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश एक निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। विनिवेश प्रक्रिया का पूरा होना, बाजार परिस्थितियों, विधिवत अध्यवसाय के लिए संभावित बोलीदाताओं द्वारा लिया गया समय, करारों को अन्तिम रूप देने, पेशकश की गई भागीदारी में निवेशकों से प्राप्त प्रतिक्रिया इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। बाजार से संबंधित ऐसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विनिवेश के लिए किसी समय-सीमा का कड़ाई से पालन करना संभव नहीं है। इसके अलावा, सरकार जैसे भी हो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में विनिवेश करने के लिए बचनबद्ध नहीं है। फिर भी, यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जाता है कि प्रक्रिया को सुगम बनाकर विलम्ब होने से बचा जाए।

(ग) और (घ) विनिवेश पारदर्शी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में पारदर्शिता की कभी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती।

पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

*128. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थाएं पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनायें स्थापित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उधार देने में संकोच करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वित्तीय संस्थाएं और बैंक, पिछड़े क्षेत्रों सहित, पूरे देश में अर्थक्षम परियोजनाओं को तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक, वित्तीय एवं वाणिज्यिक पैरामीटरों के संबंध में उनकी अर्थक्षमता के आधार पर वित्त प्रदान करते हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा सभी अर्थक्षम परियोजनाओं को, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की शुरूआत होने से, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से कम लागत वाली निधियों तक संस्थाओं की पहुंच या कर रियायतों की उपलब्धता समाप्त हो गई है और संस्थाओं को बाजार दरों पर संसाधन जुटाने के लिए बाजार में जाना पड़ता है। इन परिस्थितियों में वित्तीय संस्थाओं के लिए परियोजनाओं को कहीं भी रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना संभव नहीं है।

असम में चाय उद्योग

*129. **श्री जी. वेंकटेस्वरलु:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर असम में चाय उद्योग, चाय के कम मूल्यों, अन्य देशों से सस्ते मूल्य पर चाय के आयात तथा अन्य पेयों से कठिन प्रतियोगिता के कारण, कठिन दौर से गुजर रहा है;

(ख) क्या अन्य देशों में भारतीय चाय के बदले चाय की अन्य किस्मों का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कठिनाई से बाहर निकलने में चाय उद्योग की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) यद्यपि वर्ष 1999 की तुलना में वर्ष 2000 में चाय की औसत नीलामी कीमत में गिरावट रही है, तथापि, असम चाय की कीमतें जनवरी-फरवरी, 2001 में जनवरी-फरवरी, 2000 की तुलना में उच्च स्तर पर चल रही हैं। असम चाय की औसत नीलामी कीमत जनवरी-फरवरी, 2001 के दौरान 86.97 रुपये प्रति किलोग्राम रही जबकि जनवरी-फरवरी, 2000 के दौरान यह 72.59 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इससे 14.38 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि प्रदर्शित होती है। नीचे की सारणी में गत पांच वर्षों के दौरान चाय की औसत नीलामी कीमतें नीचे दी गई हैं:-

(रुपये प्रति किलोग्राम)

वर्ष	असम चाय	सभी भारतीय चाय
1996	51.65	48.77
1997	70.66	66.89
1998	80.34	76.43
1999	82.04	72.83
2000	72.83	61.96

वर्ष 1999-2000 के दौरान 816.06 मिलियन किलोग्राम कुल उत्पादन के मुकाबले चाय का आयात 9.79 मिलियन किग्रा. रहा था। चूंकि चाय का आयात देश के कुल उत्पादन का लगभग 1 प्रतिशत ही है, इसलिए असम सहित घरेलू चाय उद्योग पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। यह एक सच्चाई है कि घरेलू चाय उद्योग अन्य पेय पदार्थों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। प्रतिस्पर्धा के बावजूद चाय की घरेलू खपत वर्ष 1998-99 के 648 मिलियन किग्रा. से बढ़कर 1999-2000 में 657 मिलियन किग्रा. हो गई।

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान कुछ विदेशी बाजारों में भारतीय चाय के हिस्से में कमी आई जिसके कई कारण हैं जैसे बढ़ी हुई मांग, अन्य उत्पादक देशों जैसे कि श्रीलंका, केन्या इत्यादि से प्रतिस्पर्धा और कजाकिस्तान, यू.ए.ई. ईराक, ए.आर.ई. तुर्की आदि को निर्यात में कमी आदि।

विदेशों में भारतीय चाय के बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए सरकार/चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं: चुनिंदा बाजारों में उपभोक्ताओं को विशिष्टीकृत चाय की जानकारी देने का कार्यक्रम, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, मीडिया प्रचार, भारत और चाय आयातक देशों के बीच चाय शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान आदि।

सरकार/चाय बोर्ड को कुछ विदेशी बाजारों में अन्य देशों द्वारा उत्पादित चाय को भारतीय चाय के रूप में गलत लेबल लगाए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस अवांछित कार्यकलाप को रोकने के लिए चाय बोर्ड ने प्रमुख आयातकर्त्ता देशों में भारतीय चाय के लोगों को पंजीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं। चाय बोर्ड ने प्रमुख बाजारों में चाय बोर्ड के विपणन चिह्न को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया प्रचार भी शुरू किया है।

इसके अलावा, चाय उद्योग की मदद करने के प्रयोजन से सरकार/चाय बोर्ड ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं:-

* चाय बोर्ड द्वारा दिनांक 1.5.2000 से एक कीमत इमदाद योजना का कार्यान्वयन, जिसके तहत नीलामी कीमत और 55 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच के अंदर के बराबर अधिकतम 8 रुपए प्रति किलोग्राम की एक राशि चाय के लघु उपजकर्त्ताओं (चाय की खेती के 10.12 हैक्टेयर तक स्वामित्व वाले) को इमदाद दी जाती है;

* चाय उत्पादन के 75 प्रतिशत की बिक्री सार्वजनिक नीलामी के द्वारा अनिवार्य रूप से करने की शर्त को हटाने के लिए चाय विपणन नियंत्रण आदेश, 1984 में संशोधन;

* तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में लघु उपजकर्त्ताओं द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम शुरू करना;

* चाय पर मूल सीमाशुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना जैसा कि वर्ष 2001-2002 के बजट में घोषणा की गई है; और

* 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों (ई.ओ.यू.) और निर्यात प्रसंस्करण जोनों (ई.पी.जेड) में स्थित एककों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में चाय की बिक्री पर प्रतिबंध।

सकल घरेलू उत्पाद में बीमा प्रीमियम का अनुपात

***130. श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बीमा प्रीमियम का अनुपात 1:2 प्रतिशत ही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार बीमा कारोबार को सकल घरेलू उत्पाद के 18 प्रतिशत तक करने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के बढ़ने वाले कारोबार का 40 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से आता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बीमा प्रीमियम (जीवन तथा गैर-जीवन दोनों) 2.12 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) बीमा क्षेत्र को खोलने का प्रमुख उद्देश्य बीमा कारोबार के कार्य-क्षेत्र को विस्तृत करना था। नई बीमा कम्पनियों के आगमन से यह आशा की जा रही है कि आगामी वर्षों में बीमा का कार्य-क्षेत्र विस्तृत होगा। आईआरडीए ने अब तक 10 भारतीय बीमा कम्पनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं जिनमें 6 भारत में जीवन बीमा कारोबार तथा 4 साधारण बीमा कारोबार से संबंधित हैं। इनमें से कुछ बीमा कम्पनियों ने अपना कारोबार पहले ही शुरू कर दिया है।

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान नई वैयक्तिक जीवन बीमा पालिसियों के अंतर्गत कुल पहली प्रीमियम आय को 41.45 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कारोबार को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से, जीवन बीमा निगम की कुल शाखाओं में से 50 प्रतिशत से अधिक शाखाएं इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिनका संचालन विकास अधिकारियों के एक विशाल क्षेत्रीय दल द्वारा किया जा रहा है। जीवन बीमा निगम प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिए जीवन बीमा को लोकप्रिय बनाने के उपाय भी कर रहा है।

(ङ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमा कर्ताओं का दायित्व) विनियम, 2000 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में निर्दिष्ट प्रतिशत तक का कारोबार करेगा। इसके परिणाम-स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा के कार्य-क्षेत्र में वृद्धि होगी।

बिक्री कर की न्यूनतम दर

***131. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर:**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 16 नवम्बर, 1999 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक में सभी मुख्य मंत्रियों द्वारा बिक्री कर की न्यूनतम दर को लागू करने और 1 जनवरी, 2000 से बिक्री कर आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को समाप्त करने पर सहमति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस निर्णय को लागू नहीं किया है; और

(ग) सरकार इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उक्त निर्णय को लागू कराने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बिक्री कर संशोधनों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राज्यों के वित्त-मंत्रियों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य-सचिव ने यह बताया है कि कुल मिलाकर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बिक्री कर की एक-समान न्यूनतम दरों को लागू कर दिया है। बिक्री कर से संबंधित प्रोत्साहनों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समाप्त कर दिया गया है सिवाए विशेष क्षेत्रों के राज्यों के जिन्हें अपनी विशेष स्थिति के कारण उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा छूट प्रदान की गयी है।

[हिन्दी]

नई विज्ञापन नीति

***132. श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी करने हेतु नई विज्ञापन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति कब तक तैयार कर ली जायेगी;

(ग) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) ने वर्ष 2000-2001 के लिये समाचार पत्रों विशेषकर क्षेत्रीय समाचार पत्रों हेतु विज्ञापन दरों को संशोधित किया है और उन्हें परिचालित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) सरकार ने फरवरी, 2001 में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में समाचारपत्रों के सूचीकरण के लिए संशोधित विज्ञापन नीति एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। ये नई नीति एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त क्षेत्रीय समाचारपत्रों सहित सभी समाचारपत्रों पर लागू हैं।

(ग) से (ङ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन दरों को हर चौथे वर्ष संशोधित किया जाता है। पिछली बार ये दरें 1.1.1999 को संशोधित की गई थीं और इसलिए वर्ष 2000-2001 में कोई संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं था। मूल यूनिट दरें क्षेत्रीय समाचार पत्रों सहित सभी समाचार पत्रों पर समान रूप से लागू हैं।

[अनुवाद]

फिल्म प्रभाग और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय का पुनर्गठन

***133. श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की फिल्म प्रभाग और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पुनर्गठन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा फिल्मों, वृत्त चित्रों और लघु फिल्मों के निर्माण पर किए जा रहे खर्च में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हुये खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा फिल्म डिवीजन इकाई तथा इसके द्वारा बनाई गई फिल्मों का स्तर सुधारने तथा भारत में फिल्म निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष योजनाओं के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) फिल्म प्रभाग तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय जैसे मीडिया एककों के कार्यकरण की सतत रूप से समीक्षा की जाती है और बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा फिल्मों, वृत्तिचित्रों तथा लघु फिल्मों के निर्माण पर किसी प्रकार का अत्यधिक व्यय जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) स्वतन्त्र फिल्म निर्माताओं को फिल्म प्रभाग के निर्माण कार्य सौंपकर भारत में वृत्तचित्रों संबंधी अभियान के विकास को

प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। फिल्म प्रभाग वृत्तचित्रों, लघु एवं एनीमेशन फिल्मों का द्वैवार्षिक मुम्बई अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करता है जिससे वृत्तचित्रों निर्माताओं को अपनी फिल्मों को भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दर्शकों के समक्ष प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। फिल्म प्रभाग पूरे वर्ष विभिन्न राज्यों की राजधानियों में वृत्तचित्र फिल्म समारोह भी आयोजित करता है। फिल्म उद्योग के लिए और अधिक सांस्थानिक वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'फिल्मों' सहित मनोरंजन उद्योग को आई.डी.बी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत 'औद्योगिक संस्था' के तहत एक अनुमोदित कार्यकलाप के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कर अपवचंन

*134. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:**
श्री रामानन्द सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कर अपवंचन के मामलों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गत एक वर्ष के दौरान, आज तक कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार का कर अपवंचन में संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई करने हेतु कृतिक बल के गठन का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) उन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिनके विरुद्ध आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अपवंचन के मामलों का पता चला है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समिति में एक एजेंसी द्वारा अन्य एजेंसियों के साथ युक किए महत्वपूर्ण मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए और अपने-अपने क्षेत्रों में वित्तीय अपराधों को निपटाने वाली आसूचना और अन्वेषणात्मक एजेंसियों के बीच प्रचालनात्मक समन्वय करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण भारत में स्थित 18 स्टेशनों पर क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आयकर (अन्वेषण) निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय और राजस्व आसूचना निदेशालय पहले से ही मौजूद हैं जिनको आसूचना एकत्र करने और अपवंचन के मामलों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया है। अत: एक अलग कार्यदल का गठन करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

विवरण

(1) आयकर

एक करोड़ या उससे अधिक की आय छिपाने वाली कंपनियों की सूची जिन पर वित्तीय वर्ष 2000-2001 (31.1.2001 तक) आयकर अधिनियम की धारा 271 (1) (ग)/158 ख च क (2) के अन्तर्गत शास्ति लगाई गई

क्रम सं.	कम्पनियों के नाम
1	2
1.	एन.ई.पी.सी. टेक्साटाइल लि.
2.	एन.ई.पी.सी. एग्रो फूड्स लि.
3.	केडिया कान्टीनेन्टल प्रा. लि.
4.	सृष्टि कैरियर्स प्रा. लि.
5.	सीतापुर प्लाईवुड मैन्यु.
6.	हैलोस फाइनांस एण्ड इन्व. लि.
7.	साल सर्विस स्टेशन लि.
8.	एलसेप्स कैपिसेटर्स
9.	गुलाबदास फैल्क्सीपैक इं.लि.
10.	सतीश एण्ड मनीश मर्केण्टाइल लि.
11.	सबदीप इण्ड. लि.
12.	एस.वाई.पी. एग्रो फूड्स लि.
13.	पैन इंडिया फारेस्ट लैण्ड डेव. लि.
14.	गेलार्ड इंडिया लि.

1	2
15.	मैरीन कार्गो लि.
16.	ग्रोवेल फाइनांस लि.
17.	इंडिट्राल हाइड्रालिक्स कं. प्रा. लि.
18.	अमृत इण्ड. लि.
19.	नीलकमल ज्वैलरी एक्सपोर्टस प्रा.लि.
20.	महाराष्ट्र आरगेनो केमिकल्स
21.	कुलॉन ट्रेडिंग प्रा.लि.
22.	ओरियन लेबोरेट्रीज लि.
23.	सी हार्स शिप एजेंसिज प्रा. लि.
24.	निशाचन्द्र स्टील एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
25.	चौगुले लोहा एण्ड रसायना प्रा. लि.
26.	इम्पीरियल डाइंग लि.
27.	कोणार्क इंजि.
28.	हाफलैण्ड फाइनांस लि.
29.	केपिटल सर्विसेज लि.
30.	ए.के.जी. एक्वास्टिक (आई) लि.
31.	अल्टोस (आई) लि.
32.	चोखानी शिपयार्ड (बंगाल) लि.
33.	मोसर बीयर (आई) लि.
34.	इनर्शिया इं. लि.
35.	परटेक कम्प्यूटर लि.
36.	इंडिया कैरियस लि.
37.	नार्थलैण्ड शुगर काम्प्लैक्स
38.	जे.वी.जी. सिक्योरिटीज
39.	एल.एल.सी. स्टील प्रा. लि.
40.	ओकारा एग्रो इण्ड.
41.	पाल एयरोमैटिक्स प्रा.लि.
42.	गुलमोहर एस्टेट लि.
43.	नेहा एक्सपोर्टस प्रा.लि.
44.	यूनिकार्प इण्ड. लि.
45.	श्वेताम्बरी लीजिंग एण्ड फाइनांस लि.
46.	वर्षा स्पीनिंग मिल्स लि.

उन कम्पनियों (तलाशी मामलों) की सूची जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2000-2001 (31.1.2001 तक) के दौरान आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दायर की गई ब्लॉक विवरणियों में एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक अघोषित आय को घोषित किया है।

क्रम सं.	कम्पनी का नाम
1	2
1.	डालमिया लेमीनेटर्स लि.
2.	एपीजे प्रा.लि.
3.	बी.पी.एल. लि.
4.	पारेख मैराइन एजेन्सिज
5.	मैग्ना लेबोरेट्रीज (मुज) लि.
6.	दीपे ग्लोबल शिपिंग एजेन्सीज प्रा.लि.
7.	मैग्ना पब्लिशिंग प्रा. लि. कं.
8.	स्टरलाइट इण्ड. इंडिया लि.
9.	भारती शिपयार्ड लि.
10.	मनीष फार्मेस्यूटिकल्स लि.
11.	लुपने लबोट्रीज लि.
12.	फेट एण्ड ट्रैवल्स प्रा. लि.
13.	रे कन्स्ट्रक्शन लि.
14.	कन्टेनर मरीन एजेन्सीज प्रा. लि.
15.	टिप्स फिल्मस प्रा. लि.
16.	कोटेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि.
17.	ए.बी.सी. एण्ड सन्स लि.

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:

क्र.सं.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (100 लाख रुपए और अधिक) के तथाकथित अपवंचन के मुख्य मामलों के लिए उन निजी कंपनियों के नाम जिनको पिछले 1 वर्ष (1 अप्रैल, 2000 से 31 जनवरी, 2001) के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।
1	2
1.	इंडियन जिप्सम लि. जीन्द (हरियाणा)
2.	क्राफ्टटेक प्रोडक्ट्स इन्डस्ट्रीज, सिल्वासा
3.	यूरीसन कॉसमैटिक्स लि. मुम्बई
4.	हरियाणा शीट. ग्लास लि., सोनीपत
5.	मारूति उद्योग लि., गुड़गांव
6.	संगीत सिन्टेक्स प्राई. लि. सिल्वासा
7.	जे.पी. टैक्सटाईल्स, सिल्वासा
8.	अवनी पैट्रोकेम लि., बड़ोदरा
9.	वियाकॉम इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि., वड़ोदरा
10.	व्हाइट क्लीफ टी.के.लि.
11.	प्रीमीयर सिन्थेटिक्स लि., प्लाट सं. 9, रूंगटा इन्ड. स्टेट, दमन
12.	एशिया पोलीटेक्स (इंडिया) लि., 66 सी, सिल्वासा
13.	एमटी पोली यार्न लि., यूनिट सं.-1, पिपारिया, सिल्वासा
14.	मेहराटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा.लि., यूनिट-3, सिल्वासा
15.	न्यूफेब इंडस्ट्रीज लि, अछरड़
16.	फिलाटेक्स इंडिया लि., दादरा, सिल्वासा
17.	आरयम्मा पोलीटेक्स लि., हलोल
18.	यूनीमिन इंडिया लि., दमन
19.	पालघर प्लाइवुड प्रोडक्ट्स प्रा.लि. पालघर, थाने
20.	सिल्वरकेम इंडस्ट्रीज (बम्बई) प्रा.लि., तलोजा
21.	भाग्यशाली टेक्सटाइल मिल्स (प्रा.) लि., मुरादाबाद
22.	डी-टेक इंडिया, चैम्बूर
23.	मनियार प्लास्ट लि, जलगांव
24.	आई.जी. पैट्रोकेमिकल्स लि., तलोजा
25.	नार्थ इस्टर्न टोबाको कं. शिलांग कमीशनरेट
26.	नार्थ इस्टर्न टोबाको कं. शिलांग कमीशनरेट
27.	आल्फ्स ओवरसीज प्रा.लि.
28.	प्रोमिसिंग इस्टेट्स
29.	अमरनाथ एनविरोप्लास्ट
30.	कोस्टल पेपर्स लि. एम.आर. पालेम, आंध्र प्रदेश
31.	थेजो इंजी. सर्विसेज प्रा.लि. चेन्नई
32.	एम.आर.एफ. लि. सदाशिवपेट, आंध्र प्रदेश
33.	रेस्टाईल सेरामिक्स लि. नरसापुर
34.	फ्यूचूरा पोलीमर्स लि., चेन्नई
35.	जम्बो बैग्स लि. पंजेटी
36.	ब्लो प्लास्ट लि., एरगोनोमिक्स डिविजन, चेन्नई
37.	श्री विष्णु सीमेन्ट्स लि., मालगोण्डा
38.	मै. जी. टी.सी. इंड. लि. वड़ोदरा
39.	श्याम इन्टरमीडिएटर्स, अहमदाबाद
40.	आर.वी. डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट्स लि. अहमदाबाद
41.	बिनाल टेक्साटाईल्स एंड अदर्स
42.	आशीर्वाद यार्न प्रा. लि.
43.	अभ्युदय सिन्थे. प्रा.लि.
44.	इन्डोनिपॉन फिलामेन्टस लि.
45.	भगतराम परमानन्द/ओपल फैबरिक्स (100% ई.ओ.यू.)
46.	बेगानी डाईंग एंड प्रिंटिंग मिल्स (प्रा.) लि. सूरत
47.	मै. एनके टेक्सो फूड इंड. लि. सिल्वासा (100% ई.ओ.यू.)
48.	पारस शिप ब्रेकिंग शोर, भावनगर
49.	जेनेका आई.सी.आई. एग्रो कैमीकल्स लि.

1	2
50.	कारबोरेन्डम यूनीवर्सल लि.
51.	ज्योती लैबोरेट्रीज
52.	हथसन फूट कम्पनी
53.	सूर्या फाईन कैमिकल्स लि.
54.	कुबेर इन्टरनेशनल
55.	कुबेर टोबाको
56.	डी.पी. इंडस्ट्रीज
57.	ट्रेजर टैक इलैक्ट्रोनिक्स लि.
58.	जे.बी.एम. टूल्स लि.
59.	आयशर ट्रेक्टर्स लि.
60.	एस्कोर्ट्स ट्रैक्टर्स लि.
61.	असाही इंडिया सेफ्टी ग्लास लि.
62.	पेशावर सोप एंड कैमीकल्स लि. गुड़गांव
63.	यूरो कोट्स पिन लि.
64.	आत्मा ट्यूब प्रोडक्ट्स लि., डेराबस्सी
65.	एलोरा स्टील्स
66.	पेप्सी फूड्स लि. (स्नैक्स डिव.) चन्नो
67.	नेस्ले इंडिया लि., मीगा
68.	मै. महेन्द्रा यूगाईन स्टील कं. लि.
69.	मै. हिन्दुस्तान लीवर लि. यवतमाल
70.	मै. संकेत फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि. जालना
71.	मै. सबरोई रैफ्रीजरेशन इंडिया लि.
72.	बृन्दावन फॉस्फेट्स
73.	जैमिनी डाईंग एंड प्रिंटिंग
74.	आई.टी.सी. लि.
75.	लाइट मैटल एक्सट्रयूसन, मैसूर

1	2
76.	एम.के. स्टील्स, बेल्लारी
77.	जिन्दल प्राक्सेयर ऑक्सीजन कं. लि., तोरंगालू
78.	कल्याणी फेरोयूस इंड. लि.
79.	बी.एस. टैक्सटाईल्स
80.	के.एल.आर. रिग्स
81.	सांघी टैक्सटाईल्स
82.	राधा माधव इंजी. एन्टरप्राइजेज प्रा.लि.
83.	एली गेन्ट् कैमीकल्स
84.	कोस्टल पेपर्स लि.
85.	डेकन वेनियर्स प्रा.लि.
86.	बजरंग इस्पात लि.
87.	मै. जर्मन रेमीडीज
88.	मै. टैक्नो क्राफ्ट इंड. (इंडिया) लि.
89.	मै. ब्राईट ब्रोदर्स
90.	मै. मिरान्डा टूल्स
91.	देवीदयाल एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्रा.लि. 149 जी.टी रोड, साहिबाबाद
92.	डाबर इंडिया लि., गाजियाबाद
93.	किटप्लाई इंडस्ट्रीज, रामपुर
94.	हिन्डालको इंडस्ट्रीज लि, रेनूकूट, जिला-सोनभद्र
95.	स्कैन सिन्थैटिक्स, भिवाड़ी
96.	पुष्पा सिल्क मिल प्रा.लि. (100% इ.ओ.यू.) डूंगरपुर
97.	डी. इंडस्ट्रीयल गैसेस लि., चित्तोगड़गढ़
98.	बी.आर.एसो. मैग्नम स्टील्स लि., आई.आर.एस. इंज. प्रा.लि., बनमोर
99.	रेनबक्सी लेब लि., देवास
100.	सोनिक इलैक्ट्रो कैमी. पीतमपुर
101.	प्रेस्टीज एक्सपोर्ट प्रा.लि., पीतमपुर

(3) सीमा शुल्क

1.2.2000 से 31.1.2001 की अवधि के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पता लगाए गए एक करोड़ रुपए अथवा अधिक राशि के लिए सीमा शुल्क अपवंचन के मामलों वाली निजी क्षेत्र की कम्पनियों की सूची:

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1	2
1.	स्ट्रक्चरल इंडिया प्रा.लि.
2.	हुसैन इंडस्ट्रीज लि.
3.	आई.ओ.सी. लि., बरौनी
4.	देवी दयाल एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज लि. साहिबाबाद
5.	डाबर इंडिया लि., गाजियाबाद
6.	बी.एस.एल., भीलवाड़ा
7.	आर.एस.डब्ल्यू.एम., गुलाब पुरा
8.	आर.एस.डब्ल्यू.एम., बांसवाड़ा
9.	कंसारा मोडलर लि., जोधपुर
10.	मल्लया (बंगलौर) हास्पिटल
11.	माइक्रोविलेज कम्युनीकेशन
12.	तौरूस नोवल्टीज लि.
13.	मैटरोपोली ओवरसीज लि.
14.	कोचीन प्लास्टिक (प्राई.) लि., कोचीन
15.	एस्सार स्टील्स लि.
16.	इंडियन पोटाश लि.
17.	होन्डा एस.आई.ई.एल.
18.	रामाकृष्णा साल्इस प्राई. लि.
19.	बेअर कारपोरेशन लि.
20.	गणपति कॉमर्स लि.
21.	गणपति कम्बाईन लि.
22.	जरसी इंडिया लि.
23.	मेहरासंस प्राई. लि.
24.	सुन्दरम एक्सपोर्ट्स लि.
25.	सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लि.
26.	सजावट इण्डस्ट्रीज
27.	एशियानेट कम्यूनिकेशन (प्रा.) लि.
28.	हर्ष इन्टरनेशनल
29.	वगड़ सिन्थेटिक्स प्रा.लि., सूरत
30.	राजवाणी सिन्थेटिक्स प्रा.लि.
31.	शिवानी सिजीस प्रा.लि., सूरत
32.	सर्वोत्तम यार्न मार्किटिंग (प्रा.) लि.
33.	सौदागर एक्सपोर्ट्स
34.	शसुम केमिकल्स
35.	टीना इलैक्ट्रानिक्स लि., हैदराबाद
36.	देनमुर फेक्स रोल्स लि. कोयम्बटूर
37.	मेरठ एक्जिम
38.	प्रदीप मास्टर बेच्स प्रा.लि.
39.	लिविया एक्सपोर्ट्स, जयपुर
40.	कन्हैया एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लि.
41.	रमापति एक्सपोर्ट्स
42.	सौराष्ट्र सीमेन्ट लि.
43.	गुजरात सिद्धी सीमेन्ट
44.	आर.एस.आई. लि.
45.	रिलायन्स इन्डस्ट्रीज
46.	अमर तरण, बंगलौर
47.	शिप्रा इन्टरनेशनल
48.	चन्द्रा जैम्स
49.	एसोशिएटिड इण्डस्ट्रीज
50.	जिन्दल विजय नगर स्टील लि., बंगलौर

1	2
51.	जी.एस.क्यू. इण्डस्ट्रीज आई.लि.
52.	आई.टी.डब्ल्यू. सिगन्नोड आई.लि.
53.	अग्रवाल एक्सपोर्ट्स
54.	मोर इन्टरनेशनल
55.	हिन्दुस्तान नेशनल बैग्स एंड बुरलप कं. (प्रा.) लि.
56.	एम.के. एक्सपोर्ट्स
57.	यूनीएक्सल इन्टरनेशनल
58.	नेशनल इम्पेक्स
59.	केतन कन्सट्रक्शन कं.
60.	हालबर्टन ऑफशोर सर्विसेज इंक
61.	रेशम एक्पोर्ट्स, गुजरात
62.	रामा सिन्टेक्स प्रा.लि.
63.	दीप इन्टरप्राइजिज
64.	केलदिया एक्सपोर्ट्स
65.	यूरो एशिया
66.	रसेन्ट
67.	ट्रेड लिंक
68.	इनडेज
69.	क्रेस्सेट
70.	स्टेरलाइट इन्डस्ट्रीज
71.	कन्सालिडैटिड फोटो फिनवेस्ट लि.
72.	जिन्दल फोटो फिल्म्स लि.
73.	माथुर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लि.
74.	फ्रन्टियर ट्रेडिंग
75.	लॉरसन एंड टुबरो लि.
76.	पुना मेडिकल फाऊण्डेशन

ब्याज दर में कमी के कारण बैंकों में जमा धनराशि में कमी

***135. डा. अशोक पटेल:**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्याज दर में कमी के परिणामस्वरूप बैंकों में जमा धनराशि में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बैंक के ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु अन्य वैकल्पिक योजनायें शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं। वस्तुत: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 9 फरवरी, 2001 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों में, पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान 84,588 करोड़ रुपए (11.8 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 1,28,442 करोड़ रुपए (15.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन के समझौतों का प्रभाव

***136. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन के साथ कृषि क्षेत्र से संबंधित जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन समझौतों से भारतीय किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब विश्व व्यापार संगठन के साथ बातचीत हेतु सुरक्षा और आजीविका के संबंध में किसानों की चिंताओं पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो कृषि विशेषज्ञों और ऐसोचेम (एएसएसओसीएचएएम) ने भी इस संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में चर्चा के लिए इस मुद्दे पर अन्य विकासशील देशों का समर्थन जुटाया है;

(छ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं, जो कृषि क्षेत्र पर भारत की चिंताओं का समर्थन करने पर सहमत हो गये हैं; और

(ज) सरकार द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के परिणामस्वरूप उत्पन्न दुष्प्रभावों से भारतीय किसानों के हितों की रक्षा हेतु कौन-से अन्य कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ज) भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की स्थापना करने वाले मराकेश करार पर हस्ताक्षर किए हैं और यह टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994, कृषि करार तथा डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत 14 अन्य बहुपक्षीय करारों में भी एक पक्ष है। जिन डब्ल्यू.टी.ओ. करारों का कृषि क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है, उनमें शामिल हैं-सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी उपायों संबंधी करार, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू, रक्षोपाय, पाटनरोधी, इमदाद एवं प्रतिसंतुलनकारी उपाय तथा विवाद निपटान को शासित करने वाले नियमों एवं क्रियाविधियों संबंधी समझौता।

डब्ल्यू.टी.ओ. करार पर हस्ताक्षर करने से भारत डब्ल्यू.टी.ओ. के अन्य सदस्यों से अपने निर्यातों के लिए परम-मित्र राष्ट्र (एम.एफ.एन.) तथा राष्ट्रीय व्यवहार पाने का स्वत: ही हकदार है। मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यू.आर.) जो कि भुगतान संतुलन के आधार पर लगाए जा रहे हैं, को हटाये जाने की स्थिति में सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात की निगरानी के लिए एक उपयुक्त तंत्री भी स्थापित किया है और यह डब्ल्यू.टी.ओ. से सुसंगत विभिन्न उपाय करके घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है, जिसमें निर्धारित टैरिफ सीमाओं के भीतर लागू टैरिफों का उचित अंशांकन, पाटनरोधी एवं रक्षोपाय संबंधी कार्रवाई तथा कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों का लगाया जाना शामिल है।

सरकार द्वारा किए गए व्यापक परामर्शों के दौरान आमतौर पर यह अवधारणा थी कि खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संबंधी चिंता भारत के लिए सर्वाधिक महत्व का मुद्दा है और कुछ कृषि विशेषज्ञों एवं एसोचेम सहित इस बात पर लगभग आमराय बनी थी कि भारत अपने वार्ता संबंधी प्रस्तावों में अपनी खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संबंधी चिंताओं को अवश्य उजागर करे।

तदनुसार, भारत ने कृषि करार के अंतर्गत चल रही वार्ताओं के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. में प्रस्तुत किए गए अपने प्रस्तावों में एक ''खाद्य सुरक्षा बॉक्स'' का सृजन करने की मांग करते हुए ''खाद्य सुरक्षा'' पर एक विस्तृत प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग की गई है कि विकासशील देशों की गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार तथा कृषि के विविधीकरण हेतु घरेलू नीतिगत उपाय करने के लिए पर्याप्त लोचशीलता उपलब्ध की जानी चाहिए और यह कि विकासशील देशों को अपनी जनसंख्या के बड़े हिस्से की आजीविका की सुरक्षा करने की दृष्टि से आयातों में होने वाली किसी वृद्धि अथवा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में पूर्व निर्धारित स्तर से नीचे होने वाली किसी गिरावट के विरुद्ध घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा हेतु एक विशेष रक्षोपाय तंत्र उपलब्ध किया जाना चाहिए।

डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्य देशों से अपने प्रस्तावों के लिए समर्थन हासिल करने हेतु सरकार द्वारा संयुक्त प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में, भारत ने क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक एल सेल्वाडोर, होंडरास, केन्या, नाईजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूगांडा, जिम्बांबे तथा हैती के साथ ''बाजार पहुंच'' के संबंध में एक दस्तावेज भी सह-प्रायोजित किया है। सरकार द्वारा बाजार पहुंच, घरेलू सहायता, निर्यात प्रतिस्पर्धा तथा खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में अपने वार्ता संबंधी प्रस्तावों के लिए समर्थन जुटाने हेतु कुछ विकासशील देशों के साथ परामर्श भी किए गए हैं। कृषि संबंधी समिति के विशेष सत्रों में अब तक हुए विचार-विमर्शों में भारत के प्रस्ताव का कोलम्बिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, नाईजीरिया, हंगरी, मॉरीशस श्रीलंका, पैरागुवे तथा वेनेजुएला सहित कई विकासशील देशों द्वारा आमतौर पर समर्थन किया गया था। हमारे प्रस्तावों के लिए सदस्य देशों का समर्थन हासिल करने के प्रयोजनार्थ उनके साथ आगे और विचार-विमर्श किए जा रहे हैं।

निवेशकों की बाधाएं

***137. श्री गंता श्रीनिवास राव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक नीतियों के धीमे कार्यान्वयन से निवेशकों के लिए बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये बाधाएं विदेशी और भारतीय दोनों प्रकार के निवेशकों को प्रभावित कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन बाधाओं को दूर करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) सरकार ने आर्थिक सुधारों को लाए जाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को और अधिक आकर्षित करने के उद्देश्य से पहले ही एक पारदर्शी, जीवंत और निवेशकों के अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति लागू कर दी है, और एक लघु सूची के अलावा, लगभग सभी कार्यकलापों को 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वत: मार्ग के तहत रख दिया गया है।

भारत में निगमित हो जाने पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली एक कंपनी भारतीय कंपनी बन जाती है और ऐसी कंपनी पर देश के सभी कानून लागू होते हैं।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में और सुधार करने तथा एक निवेश लक्ष्य के रूप में भारत के प्रति आकर्षण में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति का उदारीकरण किया जाना एक निरंतर तथा पारमर्शदात्री प्रक्रिया के रूप में है, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्र-विशिष्ट की आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श किए जाने की प्रक्रिया अंतर्ग्रस्त है।

परियोजनाओं की स्थापना करने में होने वाले प्रक्रियात्मक विलंबों को दूर किए जाने तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दृष्टि से सरकार ने एक विदेशी कार्यान्वयन प्राधिकरण का गठन किया है ताकि केन्द्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर विदेशी निवेशकों तथा सरकारी तंत्र के बीच एक संपर्क प्रणाली उपलब्ध करायी जा सके।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

***138. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री किये जाने वाले गेहूं, चावल और चीनी के खरीद मूल्य में कई बार वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खरीद मूल्य बढ़ाने से पहले उत्पादन लागत का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक बार की गई मूल्य वृद्धि के समय उत्पादन लागत क्या थी;

(ङ) इस संबंध में मूल्य वृद्धि हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(च) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) विभिन्न राज्यों, विशेषकर बिहार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न कोटा जारी करने में हुई देरी के कारण भारतीय खाद्य निगम को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं और लेवी चावल के वसूली मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और 2 में दिए गए हैं।

भारत सरकार प्रत्येक चीनी मौसम के लिए लेवी चीनी के जोनल निकासी मूल्य अधिसूचित करती है। चीनी मौसम 1997-98 से 2000-2001 तक के लिए लेवी चीनी के जोनल निकासी मूल्य विवरण-3 में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थम मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा अन्य संगत घटकों को हिसाब में लेकर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय राष्ट्रीय आवश्यकता की दृष्टि में व्यापक रूप से उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन देने और उत्पादन पैटर्न विकसित करने की आवश्यकता, भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता तथा मूल्य नीति का शेष अर्थव्यवस्था

पर पड़ने वाले प्रभाव, विशेष रूप से निर्वाह लागत, मजदूरी के स्तर, औद्योगिक लागत ढांचे आदि पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को ध्यान में रखता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपयोग करने हेतु लेवी चीनी के उत्पादन की लागत, गन्ने के लिए अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मूल्य, चीनी की उत्पादन लागत अर्थात् रूपातंरण लागत और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा 3 (ग) के अधीन उस पर विहित अदा किया गया अथवा अदा किया जाने वाला शुल्क अथवा कर, यदि कोई हो, को हिसाब में लेकर निर्धारित की जाती हैं। लेवी चीनी के निकासी मूल्य निर्धारित करते समय नियोजित पूंजी पर उचित लाभ को भी हिसाब में लिया जाता है। चीनी की उत्पादन लागत की गणना प्रशुल्क आयोग/वित्त मंत्रालय की लागत गणना शाखा जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा संस्तुत लागत अनुसूची के आधार पर की जाती है।

धान, गेहूं और चीनी की उत्पादन लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV से VI में दिए गए हैं।

(च) और (छ) 1 अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 तक की अवधि और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन समूचे देश के लिए गेहूं और चावल का उठान निम्नानुसार हुआ है:-

(आंकड़े लाख टन में)

	2000-2001		1999-2000	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
गरीबी रेखा से नीचे	30.68	50.64	23.76	31.76
गरीबी रेखा से ऊपर	1.68	15.24	23.87	60.15

बिहार में निम्नानुसार उठान हुआ था:-

	2000-2001		1999-2000	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
गरीबी रेखा से नीचे	3.83	1.29	5.5	1.9
गरीबी रेखा से ऊपर	0.01	0.01	0.37	0.02

(ज) और (झ) स्थिति सुनिश्चित की जा रही है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के लिए गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

विपणन वर्ष	गेहूं
1997-98	475.00*
1998-99	510.00$
1999-2000	550.00
2000-2001	580.00

*17.3.1997 से 30.6.1997 तक 60 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस सहित।

$1.4.1998 से 30.6.1998 तक 55 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस सहित।

विवरण-II

1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 खरीफ विपणन मौसम के दौरान लेवी चावल (राँ और सेला) के वसूली मूल्य

दर: रुपये/क्विंटल

लेवी चावल का मूल्य

क्षेत्र	1997-98				1998-99				1999-2000				2000-2001			
	साधारण		ग्रेड "ए"		साधारण		ग्रेड "ए"		साधारण		ग्रेड "ए"		साधारण		ग्रेड "ए"	
	राँ	सेला	राँ	सेला	राँ	सेला	राँ	सेला	राँ	सेला	राँ	सेला	राँ	सेला	राँ	सेला
पंजाब	736.60	740.20	786.00	788.80	788.40	791.20	838.00	840.10	870.90	872.50	920.40	921.30	903.60	904.70	953.70	954.00
हरियाणा	729.40	733.10	778.20	781.20	780.70	783.60	829.80	831.90	864.20	865.90	913.30	914.20	904.20	905.30	954.30	954.70
उ.प्र.	707.20	711.20	754.50	757.80	757.20	760.40	804.60	807.20	838.00	840.10	885.50	886.80	868.90	870.60	917.00	918.00
राजस्थान	720.20	724.00	768.40	771.50	767.70	770.80	815.90	818.20	849.50	851.60	897.90	899.10	881.30	882.70	930.00	930.70
दिल्ली	729.40	733.10	778.20	781.20	780.70	783.60	829.80	831.90	864.20	865.90	913.30	914.20	896.50	897.70	946.20	946.60
छत्तीसगढ़	716.50	720.40	764.40	767.60	763.70	766.90	811.60	814.10	845.30	847.30	893.20	894.50	876.76	878.20	925.10	925.90
आंध्र प्रदेश	735.10	738.70	784.40	787.20	783.40	786.30	832.70	834.80	867.30	868.90	916.50	917.40	899.80	900.90	949.60	950.00
कर्नाटक	679.40	683.80	724.60	728.80	724.30	728.10	769.60	772.60	801.40	804.00	846.70	848.60	830.40	832.60	876.20	877.70
मध्य प्रदेश	679.40	683.80	724.60	728.80	724.30	728.10	769.60	772.60	802.90	805.50	848.20	850.10	839.50	841.70	886.00	887.30
महाराष्ट्र	680.50	684.90	725.70	729.40	725.50	729.20	770.60	773.70	802.50	805.10	847.70	849.60	831.50	833.70	877.20	878.70
प. बंगाल	676.30	680.70	721.30	725.00	721.00	724.80	766.00	769.20	797.80	800.40	842.80	844.80	826.60	828.80	872.10	873.70
पांडिचेरी	673.20	677.70	717.90	721.80	717.80	721.80	762.50	765.70	794.10	796.80	838.90	841.00	822.70	825.00	868.00	869.70
उड़ीसा	710.30	714.30	757.80	761.60	757.20	760.40	804.60	807.20	838.00	840.10	885.50	886.80	869.00	870.60	917.00	917.90
असम	691.80	696.00	737.90	741.40	737.50	741.00	783.60	786.40	816.10	818.50	862.50	863.90	845.90	847.80	892.50	893.80
बिहार	704.20	708.20	751.20	754.50	-	-	-	-	830.70	832.90	877.70	879.20	861.20	863.00	908.80	909.80
गुजरात	-	-	-	-	721.00	724.80	766.00	769.20	792.80	800.40	842.80	844.60	826.60	828.80	872.10	873.70

विवरण-III

चार चीनी मौसमों अर्थात् 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए लेवी चीनी के जोनल निकासी मूल्य बताने वाला विवरण

क्रम सं.	जोन	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	पंजाब	1044.76	1082.32	1075.18	1278.57
2.	हरियाणा	1000.80	1056.51	1053.25	1150.08
3.	राजस्थान	1101.44	1194.89	1139.07	1210.14
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	1011.17	1039.79	1051.67	1135.75
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	1012.61	1049.09	1075.41	1160.81
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	1045.55	1137.79	1160.20	1263.48
7.	उत्तरी बिहार	1125.81	1171.51	1085.43	1165.24
8.	दक्षिणी गुजरात	930.66	981.57	1050.78	1104.90
9.	सौराष्ट्र	1062.45	1051.89	1126.38	1130.92
10.	मध्य प्रदेश	1088.04	1117.30	1175.73	1265.34
11.	मध्य महाराष्ट्र	985.31	1008.49	1086.45	1119.42
12.	दक्षिणी महाराष्ट्र	991.35	1028.74	1118.63	1169.54
13.	उत्तरी महाराष्ट्र	1019.11	1081.67	1169.03	1186.4
14.	उत्तर पश्चिम कर्नाटक	993.02	1008.28	1143.59	1190.72
15.	शेष कर्नाटक	1009.11	1028.37	1102.72	1147.24
16.	आंध्र प्रदेश	1087.07	1092.77	1189.34	1239.02
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	1048.54	1069.82	1177.93	1220.49
18.	असम/पश्चिम बंगाल/उड़ीसा/ नागालैंड	1438.14	1460.58	1091.51	1171.63
19.	केरल/गोवा/तटीय कर्नाटक	1086.12	1125.07	1232.44	1283.56

विवरण-IV

धान (सी-3) की खेती की लागत

रुपये प्रति क्विंटल

क्रम सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	439	485	518
2.	असम	444	521	517

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा	521	559	569
4.	मध्य प्रदेश	413	492	502
5.	उड़ीसा	383	410	434
6.	पंजाब	350	388	425
7.	उत्तर प्रदेश	–	391	426
8.	पश्चिम बंगाल	410	459	497

लागत सी-3: किसानों की प्रबंधकीय आदानों के साथ कुल लागत

विवरण-V

गेहूं (सी-3) के खेती की लागत

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्रम सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	गुजरात	470.21	531	529
2.	हरियाणा	407.25	415	459
3.	मध्य प्रदेश	541.90	550	590
4.	पंजाब	443.70	450	466
5.	राजस्थान	456.59	466	499
6.	उत्तर प्रदेश	–	436	470

लागत सी-3: किसानों के प्रबंधकीय आदानों के साथ कुल लागत

विवरण-VI

लेवी चीनी निकासी मूल्यों के निर्धारण के समय हिसाब में लिए गए क्षेत्रीय उत्पादन लागत को दर्शाने वाला विवरण

रुपये/क्विंटल

क्रम सं.	क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	924.47	961.51	942.56	1152.19
2.	हरियाणा	880.51	935.70	920.63	1023.70
3.	राजस्थान	981.15	1074.08	1006.45	1083.76

1	2	3	4	5	6
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	890.88	918.98	919.05	1009.37
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	892.32	928.28	942.79	1034.43
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	925.26	1016.98	1027.58	1137.10
7.	उत्तरी बिहार	1005.52	1050.70	952.81	1038.86
8.	दक्षिणी गुजरात	810.37	860.76	918.16	978.52
9.	सौराष्ट्र	942.16	931.08	993.76	1004.54
10.	मध्य प्रदेश	967.75	996.49	1043.11	1138.96
11.	मध्य महाराष्ट्र	865.02	887.68	953.83	993.04
12.	दक्षिणी महाराष्ट्र	871.06	907.93	986.01	1043.16
13.	उत्तरी महाराष्ट्र	898.82	960.86	1036.41	1060.02
14.	उत्तर पश्चिम कर्नाटक	872.73	887.47	1010.97	1064.34
15.	शेष कर्नाटक	882.82	907.56	970.10	1020.86
16.	आंध्र प्रदेश	966.78	971.96	1056.72	1112.64
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	928.25	949.01	1045.31	1094.11
18.	असम/पश्चिम बंगाल/उड़ीसा/ नागालैंड	1317.85	1339.77	958.89	1045.25
19.	केरल/गोवा/तटीय कर्नाटक	965.83	1004.26	1099.82	1157.18

उपभोक्ता आन्दोलन

*139. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल में उपभोक्ता न्यायालयों, मीडिया और उपभोक्ता सहकारी संगठनों के कारण देश में उपभोक्ता आंदोलन को काफी बढ़ावा मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपभोक्ता आंदोलन को और बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या थोक और खुदरा व्यापारियों के कई संगठन तथा बिचौलिये देश में उपभोक्ता आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन गठजोड़ों को तोड़ने हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, उपभोक्ता आंदोलन का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और देश में उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता आंदोलन के प्रसार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, उपभोक्ता न्यायालयों, स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्यों द्वारा लगातार प्रयास किए गए हैं।

सरकार ने उपभोक्ताओं की सहायता और मार्गदर्शन के लिए उपयोगी सूचना के प्रसार हेतु प्रत्येक जिले में जिला सूचना केंद्र स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता देने का निर्णय लिया है। सरकार उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए दृश्य, श्रव्य और प्रिंट मीडिया के

जरिए भी प्रचार उपाय कर रही है। सरकार उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों में मामलों को तेजी से निपटाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार को देश में उपभोक्ता आंदोलन को कमजोर करने के लिए व्यापारी, थोक और खुदरा दोनों, संगठनों और बिचौलियों द्वारा चलाई जा रही कथित गतिविधियों की जानकारी नहीं है। तथापि, सरकार चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के खुले बाजार मूल्यों की नियमित रूप से निगरानी करती है, व्यापारियों द्वारा की जा रही चोरबाजारी, यदि कोई हो, को रोकने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क बनाए रखती है और खुले बाजार में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर निरंतर आधार पर नजर रखती है।

[अनुवाद]

महिला उद्यमियों के लिए बैंकों की विशेषीकृत शाखाएं

*140. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल महिला उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेषकृत शाखा स्थापित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इन निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की है; और

(ग) अब तक स्थापित ऐसी शाखाओं की बैंक-वार संख्या क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अगले एक वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक जिले में विशेषीकृत शाखाएं खोलने के संबंध में दिनांक 12 दिसम्बर, 2000 को सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को अब तक ऐसी शाखाओं के लिए बैंकों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

वनस्पति की मांग और आपूर्ति

1219. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनस्पति की मांग इसके उत्पादन अथवा आपूर्ति से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य हैं; और

(ग) वनस्पति की मांग पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) वनस्पति के लिए मांग का अलग से आकलन नहीं किया गया है। तथापि, खाद्य तेलों (वनस्पति वस्तुत: एक संसाधित खाद्य तेल है) की मांग का आकलन किया गया है।

तेल वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर) 1999-2000 और 2000-2001 के लिए खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति का निम्नानुसार अनुमान लगाया गया है:-

(आंकड़े लाख टन में)

तेल वर्ष	मांग	आपूर्ति*
1999-2000	96.43	61.50
2000-2001	100.96	56.16

*कृषि मंत्रालय के तिलहन उत्पादन आंकड़ों के आधार पर परिकलित।

(ग) वनस्पति की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम नीचे दिए गए हैं:—

(1) आयात शुल्क ढांचे को इस प्रकार तैयार किया गया है कि वनस्पति उद्योग सहित घरेलू प्रसंस्करण उद्योग को क्षमता का बेहतर उपयोग करने और उच्च मूल्य वर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(2) प्रसंस्करण के लिए खाद्य तेलों पर शुल्क को परिष्कृत खाद्य तेलों पर लगने वाले शुल्क की तुलना में कम रखा गया है।

(3) वनस्पति के उत्पादन के लिए आयातित कच्चे पाम तेल (सी.पी.ओ.) पर शुल्क 25% के न्यूनतम स्तर पर रखा गया है। इसका मूल कारण अन्य देशों जैसे नेपाल से आयातित शुल्क-मुक्त और लाइसेंस मुक्त वनस्पति की तुलना में स्वदेशी वनस्पति उद्योग को समान अवसर उपलब्ध कराना है।

(4) वनस्पति को उत्पाद-शुल्क से छूट जी गयी है।

परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

1220. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार को देश में राज्य परियोजनाओं के लिए विदेशों/संस्थाओं से कुल कितना ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) देशों/संस्थाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कुल ऋण पर केन्द्र सरकार द्वारा कितना ब्याज देय है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राज्य परियोजनाओं के लिए विदेशों/विदेशी संस्थाओं से केन्द्र सरकार को वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्राप्त कुल ऋण क्रमश: 4780.00 करोड़ रुपए, 5962.11 करोड़ रुपए और 7632.94 करोड़ रुपए था।

(ख) परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

(ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान विदेशी ऋणों पर केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान की गयी कुल ब्याज की राशि क्रमश: 4110.00 करोड़ रुपए, 4364.08 करोड़ रुपए और 4507.81 करोड़ रुपए थी।

विवरण

क्र.	परियोजना का नाम	स्रोत	अनुमोदन की तारीख	करेंसी	ऋण (मिलियन में डी.सी.	वर्ष के दौरान संवितरण (करोड़ रुपये)		
						1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश								
1.	आ.प्र. आपदा प्रशमन और आपातिक चक्रवात	आई.डी.ए.	9.7.97	अम. डालर	100.00	31.41	83.56	99.68
2.	आ.प्र. आपदा प्रशमन और आपातिक चक्रवात	आई.बी.आर.डी.	3.6.97	अम. डालर	50.00	-	0.00	0.00
3.	आन्ध्र प्रदेश वानिकी	आई.डी.ए.	9.3.94	अम. डालर	77.40	60.72	55.75	70.69
4.	आन्ध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र	आई.बी.आर.डी.	5.3.99	अम. डालर	210.00	-	43.05	196.67
5.	श्रीसेलम बाया बैंक विद्युत स्टेशन परियोजना-1	जापान	10.2.88	जापानी येन	26101.00	107.41	14.98	-
6.	श्रीसेलम विद्युत सम्प्रेषण प्रणाली	जापान	21.12.92	जापानी येन	3806.00	5.00	45.28	28.82
7.	श्रीसेलम बांया बैंक विद्युत स्टेशन परियोजना-2	जापान	28.2.95	जापानी येन	22567.00	145.65	85.82	92.48
8.	श्रीसेलम विद्युत सम्प्रेषण परियोजना-2	जापान	28.2.95	जापानी येन	9546.00	9.99	69.15	128.05
9.	कोठागुडम एतापीय विद्युत स्टेशन पुनर्स्थापन	जापान	28.2.95	जापानी येन	5092.00	40.20	13.79	11.62
10.	सिंहाद्री और विजान सम्प्रेषण प्रणाली	जापान	12.12.97	जापानी येन	10629.00	0.00	0.00	2.45
11.	श्रीसेलम बांया बांध विद्युत स्टेशन	जापान	12.12.97	जापानी येन	14499.00	20.89	46.49	147.80
12.	रायलसीमा थर्मल पावर	ए.डी.बी.	14.3.90	अम. डालर	178.20	0.49	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	आन्ध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग	आई.बी.आर.डी.	30.7.97	अम. डालर	350.00	45.95	44.02	174.47
14.	हैदराबाद जलापूर्ति और सफाई	आई.डी.ए.	25.5.90	अम. डालर	79.90	37.13	29.04	-
15.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-3	आई.डी.ए.	3.6.97	अम. डालर	150.00	216.60	37.00	59.64
16.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई	आई.बी.आर.डी.	3.6.97	अम. डालर	175.00	-	0.00	0.00
17.	कुर्नूल कुडप्पा नहर	जापान	25.1.96	जापानी येन	16049.00	0.00	3.56	56.43
18.	आन्ध्र प्रदेश परामर्शी स्वास्थ्य प्रणाली	आई.डी.ए.	22.12.94	अम. डालर	133.00	70.79	130.90	78.11
19.	3103-इन आं.प्र. आर्थिक पुनर्सरंचना	आई.डी.ए.	4.2.99	अम. डालर	241.90	-	123.21	118.44
20.	4360 इन आं.प्र. आर्थिक पुनर्सरंचना	आई.बी.आर.डी.	4.2.99	अम. डालर	301.30	-	137.09	174.49
21.	आं.प्र. जनजातीय विकास	आई.एफ.ए.डी.	5.5.91	अम. डालर	7.20	-	6.80	19.46
22.	आं.प्र. भागीदारी जनजातीय विकास	आई.एफ.ए.डी.	13.5.94	अम. डालर	26.71	-	11.11	8.44
असम								
1.	असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा	आई.डी.ए.	6.6.95	अम. डालर	126.00	6.23	29.31	44.71
बिहार								
1.	बिहार पठार विकास	आई.डी.ए.	7.12.92	अम. डालर	117.00	50.08	100.35	98.87
2.	डी.पी.ई.पी.-3	आई.डी.ए.	3.2.98	अम. डालर	152.00	17.75	33.45	37.14
गुजरात								
1.	पर्यावरण प्रबन्धन क्षमता निर्माण	आई.डी.ए.	14.3.97	अम. डालर	50.00	10.73	3.63	7.71
2.	गुजरात वानिकी	जापान	25.1.96	जापानी येन	15760.00	100.28	110.04	118.17
3.	पिपावव में जहाज तोड़ने का विकास	जापान	5.1.96	जापानी येन	7046.00	53.67	80.77	69.92
4.	गुजरात सार्वजनिक क्षेत्र संसाधन प्रबंध	ए.डी.बी.	20.12.96	अम. डालर	250.00	0.00	0.00	215.00
हरियाणा								
1.	मेवात क्षेत्र विकास	आई.एफ.ए.डी.	29.5.95	अम. डालर	15.08	0.18	5.93	3.49
2.	हरियाणा विद्युत पुनर्सरंचना	आई.बी.आर.डी.	16.1.98	अम. डालर	60.00	0.00	78.29	57.38
3.	जल संसाधन समेकन	आई.डी.ए.	6.4.94	अम. डालर	258.00	105.46	81.33	142.35
हिमाचल प्रदेश								
1.	शिमला मल निकासी परियोजना	ओपेक	21.8.1997	अम. डालर	10.00	0.06	0.02	0.02
2.	पर्यावरण कार्यक्रम	नार्वे	13.12.1994	ना. क्रोनर	12.00	1.32	0.57	0.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक								
1.	पूर्वी कर्नाटक वनरोपण	जापान	25.2.1997	जापानी येन	15968.00	27.17	78.13	84.84
2.	रायचुर तापीय विद्युत केन्द्र विस्तार	जापान	15.12.88	जापानी येन	23142.00	6.95	-	-
3.	कालिन्दी पन बिजली परियोजना चरण-1	कुवैती निधि	12.2.1986	कुवैती दीनार	7.00	8.76	2.65	0.67
4.	मैसूर पेपरमिल्स आधुनि. और पुनर्सज्जा परियोजना	जापान	15.12.88	जापानी येन	2381.00	35.96	16.69	-
5.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई	आई.डी.ए.	4.6.1993	अम. डालर	92.00	30.75	123.47	130.56
6.	ऊपरी कृष्णा चरण-3	आई.बी.आर.डी.	16.6.89	अम. डालर	6.82	12.36	-	-
7.	कर्नाटक जलापूर्ति प्रबंध	आई.बी.आर.डी.	23.12.99	अम. डालर	1.50	-	-	0.00
8.	रायचूर जिला अस्पताल	ओपेक	6.6.91	अम. डालर	9.00	2.61	7.36	7.46
9.	बंगलौर जलापूर्ति	जापान	25.1.96	जापानी येन	28452.00	7.24	23.88	106.20
10.	कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचा विकास	ए.डी.बी.	10.5.96	अम. डालर	85.00	10.33	22.30	66.75
केरल								
1.	केरल मीन उद्योग-झींगा पालन विकास	कुवैती फंड	24.12.89	कुवैती दीनार	7.00	0.03	0.00	-
2.	केरल वर्षा सिंचित खेती विकास	ओपेक	27.6.91	अम. डालर	10.00	1.46	3.04	4.68
3.	केरल वानिकी	आई.डी.ए.	13.8.98	अम. डालर	39.00	-	16.60	20.63
4.	अट्टापाडी बंजर भूमि विकास	जापान	25.1.96	जापानी येन	5112.00	0.66	0.21	3.82
5.	केरल जलापूर्ति	जापान	25.2.97	जापानी येन	11997.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश								
1.	मध्य प्रदेश वानिकी	आई.डी.ए.	11.4.95	अम. डालर	58.00	39.50	61.20	79.58
2.	भोपाल झील संरक्षण एवं प्रबंध	जापान	28.2.95	जापानी येन	7055.00	10.31	17.65	24.77
3.	मध्य प्रदेश रेशम कीट पालन	जापान	12.12.97	जापानी येन	2212.00	0.00	1.77	5.54
4.	राजघाट नहर सिंचाई	जापान	25.2.97	जापानी येन	13222.00	0.00	20.19	32.22
5.	रेवा अस्पताल	ओपेक	8.2.89	अम. डालर	10.00	1.46	9.62	7.26
6.	म.प्र. लोक संसाधन प्रबंध	ए.डी.बी.	14.12.1999	अम. डालर	250.00	-	-	434.90
महाराष्ट्र								
1.	महाराष्ट्र वानिकी	आई.डी.ए.	29.1.92	अम. डालर	107.82	30.99	82.53	34.39
2.	महाराष्ट्र विद्युत	आई.बी.आर.डी.	11.9.89	अम. डालर	337.00	230.34	180.35	-
3.	द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत	आई.बी.आर.डी.	8.7.92	अम. डालर	112.25	0.00	0.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	घाटघर पम्पचालित भण्डारण	जापान	15.12.88	जापानी येन	11414.00	6.36	26.17	27.73
5.	उरम कम्बाइंड माइक्रल विद्युत केन्द्र	जर्मनी	22.11.90	डयूश मार्क	308.88	0.67	-	-
6.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, उरण	जर्मनी	11.12.95	डयूश मार्क	29.74	21.79	3.03	0.00
7.	निजी आधारभूत ढांचा (आई.एल.ओ.एफ.एस)	आई.डी.ए.	10.7.96	अम. डालर	5.00	0.00	1.74	1.11
8.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति	आई.डी.ए.	5.6.91	अम. डालर	109.90	49.96	83.62	-
9.	लघु सिंचाई	जर्मनी	31.12.98	डयूश मार्क	45.00	61.63	0.00	0.00
10.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आई.डी.ए.	14.1.99	अम. डालर	134.00	-	13.08	0.00
11.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण	आई.एफ.ए.डी.	1.6.93	अम. डालर	29.44	8.16	9.33	14.24
12.	मुम्बई मल व्ययन	आई.बी.आर.डी.	28.12.95	अम. डालर	167.00	100.07	65.29	66.55
मणिपुर								
1.	मणिपुर रेशम कीट पालन	जापान	12.12.97	जापानी येन	3962.00	0.00	7.38	6.19
मेघालय								
1.	उमियम पन बिजली केन्द्र नवीकरण	जापान	25.2.97	जापानी येन	1700.00	0.00	0.00	0.62
उड़ीसा								
1.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	आई.बी.आर.डी.	10.7.96	अम. डालर	350.00	15.66	81.48	236.54
2.	भारत उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार	यू.के.	29.8.96	यू.के. पौण्ड	42.00	17.24	83.15	23.48
3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन	आई.डी.ए.	5.1.96	अम. डालर	290.00	153.53	127.57	124.52
4.	ऊपरी कोलाब सिंचाई	जापान	15.12.88	जापानी येन	3769.00	11.50	12.52	-
5.	ऊपरी इंद्रावती सिंचाई	जापान	15.12.88	जापानी येन	3744.00	17.24	18.21	-
6.	रेंगली सिंचाई	जापान	12.12.97	जापानी येन	7760.00	4.30	21.80	41.28
7.	लिफ्ट सिंचाई, उड़ीसा	जर्मनी	19.2.93	डयूश मार्क	55.00	17.96	20.49	15.73
8.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आई.डी.ए.	13.8.98	अम. डालर	76.40	-	15.26	2.79
पंजाब								
1.	पंजाब वनरोपण	जापान	12.12.97	जापानी येन	6193.00	1.92	19.53	33.19
2.	पंजाब सिंचाई	आई.डी.ए.	9.2.90	अम. डालर	145.29	61.39	91.22	-
राजस्थान								
1.	ए.डी.पी. राजस्थान कृषि विकास	आई.डी.ए.	17.12.92	अम. डालर	106.00	42.38	55.66	36.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	इंदिरा गांधी वनरोपण	जापान	23.1.91	जापानी येन	7869.00	17.79	18.35	14.79
3.	वनरोपण परि. अरावली पहाड़ियां	जापान	9.1.92	जापानी येन	8095.00	36.96	38.40	38.52
4.	राजस्थान खनिकी विकास	जापान	28.2.95	जापानी येन	4219.00	26.40	29.32	29.97
5.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा	आई.डी.ए.	6.7.99	अम. डालर	81.90	-	-	15.07
6.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति चरण-1	जर्मनी	17.6.94	डयूश मार्क	40.00	22.38	19.50	7.85
7.	राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा	ए.डी.बी.	1.12.99	अम. डालर	250.00	-	-	0.00
तमिलनाडु								
1.	तमिलनाडु कृषि विकास	आई.डी.ए.	-	अम. डालर	92.00	41.33	24.46	-
2.	तमिलनाडु कृषि विकास	आई.बी.आर.डी.	-	अम. डालर	20.00	0.00	39.26	-
3.	तमिलनाडु वनरोपण	जापान	25.2.97	जापानी येन	13324.00	32.48	58.91	78.13
4.	बेसिन क्रिय गैस टरबाइन-2	जापान	27.3.90	जापानी येन	11450.00	17.76	-	-
5.	लिग्नाइट खान और विद्युत केन्द्रों का विस्तार	जर्मनी	13.3.97	डयूश मार्क	375.20	39.15	259.78	-
6.	उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत	ए.डी.बी.	21.1.87	अम. डालर	112.98	25.25	8.28	-
7.	द्वितीय उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत	ए.डी.बी.	6.12.90	अम. डालर	170.00	26.74	28.51	4.19
8.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	आई.डी.ए.	22.9.95	अम. डालर	282.90	7.41	81.52	249.52
9.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति	आई.बी.आर.डी.	20.11.95	अम. डालर	86.50	36.79	55.83	86.32
10.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास	आई.बी.आर.डी.	14.7.99	अम. डालर	105.00	-	-	63.01
11.	तमिलनाडु शहरी विकास	आई.डी.ए.	16.9.88	अम. डालर	254.73	97.56	-	-
12.	चेन्नई मल-व्यवन नवीकरण तथा कार्यकलाप सुधार	जापान	28.2.95	जापानी येन	17098.00	6.51	2.46	33.65
उत्तर प्रदेश								
1.	उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि सुधार	आई.डी.ए.	24.6.93	अम. डालर	54.70	30.43	51.40	45.20
2.	उ.प्र. विविधकृत कृषि समर्थन	आई.डी.ए.	30.7.98	अम. डालर	50.80	-	23.14	24.53
3.	उ.प्र. सोडिक भूमि सुधार-2	आई.डी.ए.	4.2.99	अम. डालर	194.10	-	-	32.76
4.	उ.प्र. विविधकृत कृषि	आई.बी.आर.डी.	30.7.98	अम. डालर	79.90	-	0.00	0.00
5.	उ.प्र. खनिकी	आई.डी.ए.	30.12.97	अम. डालर	52.94	0.00	30.81	29.11
6.	अनपरा विद्युत पारेषण प्रणाली-1	जापान	13.6.91	जापानी येन	19318.00	155.32	74.70	-
7.	अनपरा "ख"	जापान	24.1.94	जापानी येन	17638.00	85.54	38.53	33.03
8.	अनपरा विद्युत पारेषण-2	जापान	25.1.96	जापानी येन	12020.00	102.90	45.62	48.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	उ.प्र. ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरण सफाई	आई.बी.आर.डी.	22.7.96	अम. डालर	52.40	2.62	25.99	23.66
10.	उ.प्र. प्राथमिकी शिक्षा	आई.डी.ए.	7.7.93	अम. डालर	165.00	124.90	85.33	51.54
11.	उ.प्र. बुनियादी शिक्षा-2	आई.डी.ए.	3.3.98	अम. डालर	59.40	29.58	87.07	70.53
12.	बस्ती जिला अस्पताल	ओपेक	4.5.90	अम. डालर	6.50	5.52	0.00	10.11
पश्चिम बंगाल								
1.	पश्चिम बंगाल खनिकी	आई.डी.ए.	25.3.92	अम. डालर	34.00	1375.00	4.30	-
2.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	जापान	28.2.95	जापानी येन	1525.00	3.45	3.20	3.61
3.	तीस्ता नहर एच.ई.पी.-आई.डी.पी.-40	जापान	18.12.86	जापानी येन	8025.00	14.21	14.13	10.89
4.	तीस्ता नहर एच.ई.पी.-आई.डी.पी.-72	जापान	23.1.91	जापानी येन	6222.00	30.91	18.09	20.28
5.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत परियोजना	जापान	24.1.94	जापानी येन	27069.00	384.19	313.16	-
6.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत एकक-3 विस्तार	जापान	28.2.95	जापानी येन	8659.00	70.90	184.76	24.56
7.	पुरुलिया पम्प भंडारण	जापान	28.2.95	जापानी येन	20520.00	14.81	12.97	17.56
8.	प. बंगाल संप्रेषण प्रणाली	जापान	25.2.97	जापानी येन	11087.00	1.92	2.55	25.45
9.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र परि.-2	जापान	12.12.97	जापानी येन	34151.00	0.13	379.62	438.80
10.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र एकक-3	जापान	24.3.99	जापानी येन	11537.00	-	0.00	167.83
11.	कलकत्ता परिवहन आधारभूत ढांचा	जापान	25.2.97	जापानी येन	10679.00	10.33	2.82	19.46
12.	कलकत्ता जलापूर्ति, मल व्यवन और जल निकासी	आई.बी.आर.डी.	23.7.99	अम. डालर	2.50	-	-	0.00
दिल्ली								
1.	दिल्ली व्या. द्रुतगामी परिवहन प्रणाली	जापान	25.2.97	जापानी येन	14760.00	0.00	8.79	41.49
2.	दिल्ली जलापूर्ति और सफाई	आई.बी.आर.डी.	20.4.99	अम. डालर	2.50	-	0.00	0.00
बहुराज्यीय परियोजनाएं (परियोजना नाम में नीचे आने वाले राज्य के नाम)								
1.	एकीकृत जलसंभर विकास (मैदान) गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा	आई.डी.ए.	22.8.90	अम. डालर	55.00	45.00	34.99	-
2.	एकीकृत जलसंभर विकास (पहाड़ी) हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा	आई.डी.ए.	11.1.91	अम. डालर	75.00	26.79	50.61	4.49
3.	झींगा मछली तथा मत्स्य पालन हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यू.पी. प. बंगाल	आई.डी.ए.	29.1.92	अम. डालर	36.49	0.00	34.05	3.70
4.	कृषि और मानव संसाधन हि. प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु	आई.डी.ए.	11.4.1995	अम. डालर	59.50	26.72	32.72	47.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	एकीकृत जलसंभर विकास परियोजना (पहाड़ी)	आई.डी.ए.	14.7.99	अम. डालर	50.18	-	-	40.65
6.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु	आई.डी.ए.	18.6.92	अम. डालर	163.63	198.16	152.55	3.41
7.	राज्य सड़क परियोजना बिहार, महाराष्ट्र, यू.पी., राजस्थान	आई.बी.आर.डी.	17.11.88	अम. डालर	103.38	17.43	0.17	-
8.	सड़क सुधार परियोजना आ.प्र., कर्नाटक, तमिलनाडु	ए.डी.बी.	27.12.88	अम. डालर	172.86	66.95	10.89	-
9.	सड़क आधारभूत ढांचा विकास तकनीकी सहायता परियोजना आ.प्र., गुज., हरि., राज., तमिलनाडु	आई.बी.आर.डी.	15.1.1999	अमे. डालर	51.50	-	-	52.89
10.	द्वितीय सड़क परियोजना-1041-आई.एन.डी. आ.प्र., उ.प्र., उड़ीसा, प.बं., राज., कर्ना. केरल	ए.डी.बी.	28.5.1991	अम. डालर	250.00	151.18	46.15	42.94
11.	द्वितीय पत्तन परियोजना आंध्र प्रदेश	ए.डी.बी.	10.8.90	अम. डालर	109.26	24.57	-	-
12.	मिश्रित परियोजना महा., मेघालय, प.बं.	फ्रांस	25.1.98	फ्रांस फ्रांक	88.02	-	3.22	25.77
13.	बांध सुरक्षा परियोजना (आर.एफ.) उ.प्र., राज., उड़ीसा., त.ना., प.बं.	आई.डी.ए.	10.6.1991	अम. डालर	92.97	61.42	77.17	73.33
14.	भारत में पन-बिजली आ.प्र., गु., हरि., महा., के., उड़ी., त.ना.	आई.डी.ए.	22.9.95	अम. डालर	142.00	23.40	69.18	61.79
15.	तकनीकी शिक्षा-2 (आर.एफ.)-2223-आई.एफ. आ.प्र., अ., हरि., हि.प्र., महा., के., उ., त.ना.	आई.डी.ए.		अम. डालर	255.73	113.79	114.05	275.24
16.	तकनीकी शिक्षा बि., गुज., कर्ना., के., म.प्र., राज., उ.प्र., गो., प.बं.	आई.डी.ए.		अम. डालर	210.74	95.25	152.75	-
17.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं आ.प्र., उ.प्र., म.प्र.	आई.डी.ए.	23.10.90	अम. डालर	74.35	76.48	7.10	-
18.	परिवार कल्याण अ., कर्ना., राज.,	आई.डी.ए.	24.6.94	अम. डालर	88.60	53.67	41.21	30.12
19.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा अ., गु., हरि., हि.प्र., कर्ना., के., महा., म.प्र.,	आई.डी.ए.	15.7.1996	अम. डालर	425.20	62.79	271.20	341.89
20.	ग्रामीण महिलाओं का विकास बि., गु., हरि., कर्ना., म.प्र., उ.प्र.,	आई.डी.ए.	14.9.98	अम. डालर	19.50	-	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	महिला एवं बाल विकास के., राज., त.ना., उ.प्र., महा.,	आई.डी.ए.	6.7.99	अम. डालर	300.00	-	-	43.35
22.	क्षय रोग नियंत्रण	आई.डी.ए.	14.3.97	अम. डालर	142.40	18.31	0.00	-
23.	ग्रामीण महिलाओं का विकास एवं अधिकरण बि., गु., हरि., कर्ना., म.प्र., उ.प्र.,	आई.एफ.ए.डी.	27.3.97	अम. डालर	18.44	-	0.00	0.00
24.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन असम, मणि., मेघा.,	आई.एफ.ए.डी.	20.5.97	अमरीकी डालर	27.12	-	0.00	5.22
25.	अजंता एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास	जापान	9.1.92	जापानी येन	3745.00	-	15.64	10.60

कर्नाटक में नशीली दवाओं के दुरूपयोग को रोकने हेतु केन्द्रीय सहायता

1221. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने राशि जारी कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक राशि जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही प्रस्तुत की जाएगी।

सार्क देशों में व्यापार का विकास

1222. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत व्यापार अवरोध हटाने के पश्चात् सार्क देशों के बीच व्यापार के विकास की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान सार्क देशों की तुलना में भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार का कार्य-निष्पादन कैसा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) डब्ल्यू.टी.ओ. करार 1.1.1995 से प्रभावी हुआ था। अन्य सार्क सदस्य देशों नामत: बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ 1994-95 से हुए भारत के व्यापार के ब्यौरे अनुबंध-क पर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2000-2001 (अप्रैल-नवम्बर 2000) के दौरान सभी देशों को हुए भारत के निर्यात और वहां से आयात क्रमश: 128151.39 करोड़ रु. और 155392.04 करोड़ रु. के हुए थे जिनमें से सार्क सदस्य देशों को किए गए निर्यात और वहां से हुए आयात क्रमश: 4950.01 करोड़ रु. और 1264.77 करोड़ रु. के हुए थे।

विवरण

सार्क सदस्य देशों के साथ भारत से व्यापार को दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य: करोड़ रु. में)

देश	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000		अप्रैल-नवम्बर-99		अप्रैल-नवम्बर-2000	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
बंगलादेश	2024.13	119.85	3469.91	282.14	2912.41	210.42	2922.87	188.85	4188.50	262.52	2769.02	348.56	1739.93	194.04	2140.80	179.31
भूटान	34.83	57.4	57.56	107.2	69.44	102.51	49.53	49.95	40.22	25.77	32.83	79.83	32.51	49.64	4.32	42.30
मालदीव	48.28	0.73	52.52	0.55	36.08	0.61	32.46	0.89	35.24	0.22	33.85	1.40	20.93	0.83	78.97	0.37
नेपाल	377	114.89	536.45	166.95	588.3	227.75	631.99	353.64	514.96	609.40	663.77	489.90	466.28	456.91	396.60	654.24
पाकिस्तान	179.71	165.61	256.8	150.8	557.83	129.55	532.02	165.19	466.38	902.19	405.35	296.74	237.84	197.53	506.38	260.66
श्रीलंका	1151.08	96.49	1335.62	145.83	1678.25	189.06	1818.23	112.26	1839.01	158.50	2196.16	192.79	1368.21	137.23	1822.94	127.89
कुल	3815.03	554.97	5708.86	853.47	5841.22	859.88	6987.1	1052.78	7084.31	1958.6	6100.98	1409.22	3865.70	1036.18	4950.01	1264.77

पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर

1223. श्री पवन कुमार बंसल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान बिक्री कर लगाने के परिणामस्वरूप संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में इसके आस-पास के पंजाब तथा हरियाणा के शहरों के मुकाबले बहुत ऊंचा बिक्री मूल्य निर्धारित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सभी पेट्रोलियम उत्पादों में बिक्री मूल्य को पंजाब तथा हरियाणा में विद्यमान बिक्री मूल्यों के बराबर लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन. रामचन्द्रन): (क) संघ राज्य क्षेत्र चन्डीगढ़ में पेट्रोल का विक्रय मूल्य चन्डीगढ़ के समीप के पंजाब तथा हरियाणा के जिलों की तुलना में थोड़ा सा अधिक है चूंकि चन्डीगढ़ के लिए केन्द्रीय बिक्री-कर (के.बि.क.) की देयता है परन्तु यह हरियाणा अथवा पंजाब के लिए नहीं है।

(ख) चन्डीगढ़ के संघ राज्य प्रशासन ने यह सूचित किया है कि भारत पेट्रोलियम लि. को एक डिपो की स्थापना करने के लिए चन्डीगढ़ में एक स्थल आवंटित किया गया है। इस से चन्डीगढ़ को स्थानीय रूप से सप्लाई मिल सकेगी तथा केन्द्रीय बिक्री कर की कोई देयता नहीं होगी।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. क्षेत्रों में निर्यातोन्मुखी इकाइयां

1224. श्री रामदास आठवले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जानजाति क्षेत्रों में अभी तक कोई निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(घ) ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने निर्यात के वायदे पूरे किए हैं और उनकी आय क्या रही है;

(ङ) ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो अपना निर्यात वायदा पूरा करने में असफल रही हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(च) निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा निर्यात वायदे पूरा करने संबंधी उनके कार्य-निष्पादन पर नजर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए/उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) देश के अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ई.ओ.यू. के स्थान के बारे में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

(घ) से (च) निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के पास अपनी निर्यात बचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए पांच वर्ष की अवधि होती है। उनके कार्य निष्पादन की निगरानी वार्षिक तथा संचयी आधार पर की जाती है बशर्ते कि उन्होंने उत्पादन का एक वर्ष पूरा कर लिया हो। तदनुसार, जिन 1051 इकाइयों ने दिनांक 31 मार्च 1999 की स्थिति के अनुसार उत्पादन का एक वर्ष पूरा कर लिया था उनके निर्यात निष्पादन की निगरानी की गई थी जिससे यह पता चलता है कि 670 इकाइयों ने या तो निर्यात बचनबद्धता को पूरा कर लिया है अथवा उनके मामले में मामूली कमी रह गई है। 81 इकाइयों के मामले में निर्यात निष्पादन में आई कमी 10% से अधिक नहीं थी और उनके निष्पादन को निगरानी में रखा गया था। 300 इकाइयों के मामले में निर्यात निष्पादन में आई कमी 10% से अधिक थी और इन मामलों को दिशा-निर्देशों के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक के पास भेज दिया गया था। इस वर्ष के दौरान ई.ओ.यू. ने 12,058.27 करोड़ रुपए का निर्यात किया था। खराब निष्पादन के कारण थे: - विपणन में कमी, वित्तीय अथवा प्रबंधकीय समस्याएं तथा भारत में सौदों की उच्च लागत। इकाइयों के विदेशी विपणन प्रयासों में भारत सरकार द्वारा बाजार विकास सहायता योजना के तहत व्यापार प्रदर्शनियों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करके सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

पूंजी बाजार पर भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड का नियंत्रण

1225. श्री रामजी मांझी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी पूंजी बाजारों को निवेशकों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने में असफल रहा है और ये जुए के अड्डे बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 26 अगस्त, 2000 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "डिस्क्लोजर: सेबीज शेडी सिक्रेट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पूंजी बाजारों को विशेष रूप से लघु निवेशकों के लिए तथा सामान्य रूप में सभी के लिए सुरक्षित स्थान बनाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार का ध्यान संदर्भित समाचार की ओर गया है।

(ग) सरकार तथा बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) विभिन्न पूंजी बाजार लिखतों से जुड़े जोखिम-प्रतिलाभ अनुपात के बारे में निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने तथा निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में संबंधित बाजार की सुरक्षा, सुस्वस्थता तथा पारदर्शिता में वृद्धि करने के प्रयोजन में प्रकटीकरण मानकों का प्रवर्तन, आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश के लिए प्रवेश मानदण्डों को कड़ा करना, प्रतिभूति निर्गम के लिए बुक बिल्डिंग प्रक्रिया की शुरूआत, लॉक-इन प्रावधानों को लागू करने आदि जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

ढांचागत संतुलन योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

1226. श्री राजो सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण ढांचागत संतुलन योजना के अंतर्गत कौन सी परियोजनाएं प्रारंभ की गई;

(ख) प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ग) प्रत्येक परियोजना के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि जारी की गई;

(घ) प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत अब तक क्या प्रगति हुई;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने किसी परियोजना की लागत इत्यादि में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) आकस्मिक ढांचागत संतुलन योजना केवल आठवीं योजना के अन्तिम वित्तीय वर्ष में ही प्रचालन में आई थी जिसके दौरान बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे और ऐसी कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) नौवीं योजना में स्वीकृत की गई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

राशि (लाख रु. में)

परियोजना का नाम	स्वीकृत	जारी
निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क, हाजीपुर में सार्वजनिक निस्सारण उपचारी संयंत्र	70.62	35.31
निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क, हाजीपुर में स्टोर्म वाटर ड्रेनेज	44.15	24.15
निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क, हाजीपुर के लिए 33 के वी ए विद्युत लाइन	8.65	4.35
हाजीपुर-जनदाहा सड़क को सुदृढ़ बनाना	72.06	36.00

(घ) से (छ) न तो कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है और न ही राज्य सरकार ने लागत में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

चीन से शहद का आयात

1227. **डा. संजय पासवान:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन से सस्ती दरों पर घटिया शहद का आयात किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप शहद उत्पादन में लगे हुए लाखों परिवारों के बेरोजगार होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चीन से शहद का आयात रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय शहद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान चीन से शहद का कोई आयात नहीं किया गया था। 1999-2000 के दौरान चीन से शहद का कुल आयात केवल 18,000/- रु. मूल्य का हुआ था। अप्रैल-सितम्बर, 2000 की अवधि के दौरान चीन से शहद का पुन: कोई आयात नहीं किया गया था। जैसा कि आयातों के वर्तमान स्तर से देखा जा सकता है, चीन से होने वाले आयात से शहद के घरेलू किसानों को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा, शहद के आयात पर 44.04% का कुल सीमाशुल्क लगाया जाता है। इससे घरेलू किसानों को पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिए।

सभी खाद्य वस्तुओं के आयात की जांच पत्तन पर की जाती है ताकि मानव उपभोग के लिए उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित की जा सके। निर्धारित मानदण्डों को पूरा न करने वाली खेपों पर प्राधिकारियों द्वारा उतराई पत्तन पर प्रवेश तथा/अथवा पुनर्लदान की मनाही सहित उपायों के माध्यम से समुचित कार्रवाई की जाएगी किन्तु ये उपाय इन्ही तक सीमित नहीं होंगे।

सरकार निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, जिनमें निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित विभिन्न निविष्टियों पर अदा किए जाने वाले शुल्कों/करों से छूट प्रदान की जाती है/ उनकी प्रतिपूर्ति की जाती है।

[अनुवाद]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव

1228. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अक्तूबर, 2000 से अब तक मंजूर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और कीमत, क्षेत्र देश तथा राज्यों के नामों, जिनके लिए मंजूरी इन प्रस्तावों को दी गई है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रस्तावकों में नीदरलैंड स्थित कोनिक्लिंग फिलिप्स इलैक्ट्रानिक्स एन.वी. का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) अक्तूबर, 2000 से दिसंबर, 2000 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कुल 352 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है, जिनमें 8777.61 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है। इन प्रस्तावों के क्षेत्रवार देशवार और राज्यवार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने (1) उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक्स, लाइटिंग, उपकरणों, व्यवसाय, इलैक्ट्रोनिक्स, प्लास्टिक्स तथा संघटकों को विनिर्माण में लगी मैं. फिलिप्स इंडिया लि., की प्रदत्त पूंजी में सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से शेयरों के अधिग्रहण द्वारा 74% तक विदेशी इक्विटी बढ़ाने के लिए और (2) इंकैनडीसैंट लैम्पों, फ्लोरोसैंट ट्यूबों तथा कांच के शैल्स के विनिर्माण में लगी मै. पंजाब आनन्द लैम्प्स इंडस्ट्रीज लि. की प्रदत्त पूंजी में सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से शेयरों के अधिग्रहण द्वारा 76.4% तक विदेशी इक्विटी बढ़ाने के लिए नीदरलैंड स्थित कोनिक्लिंक फिलिप्स इलैट्रानिक्स एन.वी. को 24.10.2000 के दो वित्तीय सहयोग अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान की है। दोनों अनुमोदन सेबी (शेयरों की पर्याप्त प्राप्ति और अधिग्रहण) विनियम, 1997 तथा सेबी/आर.बी.आई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार शेयरों के निर्गम/अंतरण/मूल्यांकन के अध्यधीन हैं।

विवरण-I

नीति के बाद की अवधि के दौरान 1.10.2000 से 31.12.2000 तक सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रवार ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित एफ डी आई की राशि	अनुमोदित कुल राशि से प्रतिशत
		कुल	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7
1.	वैद्युत उपकरण	140	8	132	4636.22	52.82
2.	ईंधन (विद्युत और तेल रिफाइनरी)	19	5	14	1874.16	21.35
3.	ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स	14	9	5	944.76	10.76
4.	दूरसंचार	24	2	22	526.09	5.99
5.	विविध उद्योग	47	17	30	225.07	2.56
6.	व्यापार	9	1	8	140.14	1.60
7.	परिवहन उद्योग	23	9	14	135.95	1.55
8.	सेवा क्षेत्र	14	1	13	72.30	0.82
9.	होटल और पर्यटन	13	2	11	67.38	0.77
10.	धातुकर्मी उद्योग	9	2	7	49.72	0.57
11.	रसायन (उर्वरक के अतिरिक्त)	20	11	9	24.07	0.27

1	2	3	4	5	6	7
12.	परामर्शदायी सेवाएं	21	2	19	18.13	0.21
13.	औद्योगिक मशीनें	22	8	14	16.03	0.18
14.	विविध मैकेनिकल और इंजीनियरिंग	27	10	17	14.48	0.16
15.	मशीनरी औजार	3	0	3	11.21	0.13
16.	कांच	6	0	6	10.61	0.12
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	14	5	9	3.54	0.04
18.	सिरेमिक	2	0	2	2.30	0.03
19.	वस्त्र (रंगे/छपे वस्त्र सहित)	9	3	6	1.98	0.02
20.	चिकित्सालय तथा शल्य चिकित्सालय उपकरण	5	0	5	1.82	0.02
21.	रबड़ वस्तुएं	3	1	2	0.75	0.01
22.	कृषि मशीनरी	1	0	1	0.65	0.01
23.	औद्योगिक उपकरण	3	2	1	0.25	0.00
24.	अर्थमूविंग मशीनरी	1	1	0	0.00	0.00
25.	वैज्ञानिक उपकरण	2	1	1	0.00	0.00
26.	कागज उत्पाद सहित कागज और लुगदी	1	0	1	0.00	0.00
27.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर्स	1	1	0	0.00	0.00
28.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	3	3	0	0.00	0.00
	जोड़	456	104	352	8777.61	

विवरण-II

अक्तूबर, 2000 से दिसंबर, 2000 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) और विदेशी प्रौद्योगिकी मामलों (एफ.टी.सी.) के देशवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित एफडीआई की राशि
		कुल	तकनीकी	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6
1.	आस्ट्रेलिया	5	0	5	16.21

1	2	3	4	5	6
2.	आस्ट्रिया	2	1	1	0.09
3.	बेल्जियम	5	1	4	1.37
4.	कनाडा	3	2	1	0.00
5.	कैमेन द्वीपसमूह	3	0	3	17.48
6.	चीन	5	5	0	0.00
7.	साइप्रस	2	0	2	2.02
8.	डेनमार्क	5	0	5	7.87
9.	फिनलैंड	2	2	0	0.00
10.	फ्रांस	12	3	9	24.96
11.	जर्मनी	49	19	30	188.17
12.	हांगकांग	8	0	8	46.25
13.	इण्डोनेशिया	1	0	1	0.00
14.	आयरलैंड	2	0	2	13.95
15.	इटली	12	6	6	4.87
16.	जापान	20	12	8	-4.17
17.	कोरिया (दक्षिण)	4	2	2	0.21
18.	कुवैत	2	1	1	0.43
19.	मलेशिया	8	2	6	7.73
20.	मारिशस	32	1	31	2318.29
21.	एन आर आई	38	0	38	773.91
22.	नीदरलैंड	19	5	14	41.82
23.	नाइजीरिया	1	0	1	3.00
24.	नार्वे	1	0	1	0.04
25.	ओमान	1	0	1	2.41
26.	फिलिपींस	1	0	1	0.43
27.	रूस	2	2	0	0.00
28.	सिंगापुर	18	0	18	175.15

1	2	3	4	5	6
29.	दक्षिण अफ्रीका	1	1	0	0.00
30.	स्पेन	4	1	3	0.77
31.	स्वीडन	1	0	1	4.60
32.	स्विटजरलैंड	21	10	11	5.80
33.	थाईलैंड	2	2	0	0.00
34.	यू.ए.ई.	1	0	1	3.84
35.	यू.के.	42	11	31	131.99
36.	यू.एस.ए.	110	14	96	300.35
37.	यूरो इशू (जी.डी.आर.)	4	0	4	4685.50
38.	ब्रिट्रीश ब्रिजिनिया	1	0	1	0.50
39.	यूगोस्लाविया	1	0	1	1.00
40.	देश जिन्हें दर्शाया नहीं गया	3	1	2	0.00
41.	ईरान	1	0	1	0.26
42.	केनिया	1	0	1	0.49
	योग	456	104	352	8777.61

विवरण-III

अक्तूबर, 2000 से दिसंबर, 2000 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग (एफ.डी.आई.) और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे।

(करोड़ रुपये में)

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित एफ.डी.आई. की राशि	प्रतिशत
	कुल	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	27	3	24	2652.18	30.22
बिहार	1	1	0	0.00	0.00
गुजरात	22	12	10	4.12	0.05
हरियाणा	9	2	7	7.58	0.09
हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	72	10	62	124.59	1.42
केरल	15	4	11	15.03	0.17
मध्य प्रदेश	4	1	3	3.98	0.05
महाराष्ट्र	122	44	78	1024.05	11.67
उड़ीसा	1	0	1	0.05	0.00
पंजाब	4	0	4	13.02	0.15
राजस्थान	7	0	7	51.47	0.59
तमिलनाडु	47	9	38	2045.39	23.30
उत्तर प्रदेश	8	3	5	74.50	0.85
पश्चिम बंगाल	10	2	8	13.34	0.15
चंडीगढ़	3	2	1	1.24	0.01
दिल्ली	64	5	59	417.02	4.75
गोवा	3	1	2	1.11	0.01
राज्य जिनका उल्लेख नहीं है	36	4	32	2328.94	26.53
कुल	456	104	352	8777.61	

क्षतिग्रस्त बैगेज की कुरियर द्वारा सुपुर्दगी

1229. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई एक प्रमुख पहल में अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को क्षतिग्रस्त या देर से पहुंचने वाले सामान को यात्रियों को कुरियर के सुपुर्द करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर कुल यात्रियों के 7% यात्रियों का सामान क्षतिग्रस्त होता है अथवा उसी उड़ान से नहीं पहुंचता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या यह शर्त राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर लागू है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनंजय एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली के सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने क्षतिग्रस्त असबाब की निकासी के लिए एक सरल प्रक्रिया आरम्भ की है। यह सुविधा केवल उस तरह के असबाब को उपलब्ध है जिस पर शुल्क नहीं लगता है और जो किसी भी प्रकार के आयात प्रतिबंध से मुक्त है और गैर-संवेदनशील उड़ानों से पहुंचता है। यात्री के प्राधिकरण/घोषणा के आधार पर संबंधित एयर-लाइनों द्वारा क्षतिग्रस्त असबाब की निकासी की जाती है और उसे या तो कूरियर कंपनियों द्वारा यात्री को सौंप दिया जाता है अथवा उसका एयर-लाइनों की सुविधानुसार निपटान किया जाता है।

(ग) चूंकि यात्री द्वारा लाए गए बैगों की कुल संख्या के रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए क्षतिग्रस्त असबाब की मात्रा को प्रतिशत के रूप में बताना संभव नहीं है।

(घ) क्षतिग्रस्त असबाब के भण्डारण और निकासी के कार्य को युक्ति संगत बनाने के लिए किए गए अन्य उपायों में केन्द्रीय भण्डागार निगम को क्षतिग्रस्त असबाब के अभिरक्षक के रूप में नियुक्ति करना और असबाब की त्वरित निकासी के लिए एक विशेष काउंटर की स्थापना करना शामिल है।

(ङ) और (च) क्षतिग्रस्त असबाब से संबंधित यह सरल प्रक्रिया केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ही लागू है।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थान

1230. डा. वी. सरोजा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की परिभाषा में एकरूपता बनाये रखने के विचार से लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता का दायित्व) अधिनियम, 1983 और कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 में विश्वस्तता एवं गोपनीयता के संबंध में लोक वित्तीय संस्थाओं की बाध्यताओं का प्रावधान है और यह लोक वित्तीय संस्थाओं को अपने ग्राहकों या उनके क्रियाकलापों से संबंधित कोई सूचना प्रकट करने से रोकता है। उक्त अधिनियम के अधीन लोक वित्तीय संस्थाओं की परिभाषा में वे सभी संस्थाएं शामिल नहीं हैं, जिनके नाम का उल्लेख कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया है। सामान्यतया, अधिनियम, में दी गई परिभाषा इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या एवं समझ के लिए सुसंगत होती है। सामान्य परिभाषा से संबंधित मामले की आगे जांच एवं परामर्श करना अपेक्षित होगा और इस प्रकार उक्त अधिनियमों को संशोधित करने के बारे में इस समय कोई अभिमत/निर्णय नहीं हुआ है।

फिल्म संस्थान, पुणे में पाठ्यक्रम

1231. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे के छात्रों ने संस्थान से 1996 में अभिकल्पित तीन वर्षीय संशोधित पाठ्यक्रम पर वापस जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1996 में अभिकल्पित पाठ्यक्रम शैक्षिक परिषद द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया था;

(ग) यदि हां, तो 1996 में अभिकल्पित पाठ्यक्रम को बदलने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। इसे सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित करते समय अकादमी परिषद ने इच्छा व्यक्त की थी कि अवसंरचना, बजट, संकाय, समय की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की जांच की जाए। इस उद्देश्य के लिए गठित संकाय को एक समिति ने अप्रै, 1999 में अकादमी परिषद को सिफारिश की थी कि पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने के लिए इसकी पुन: संरचना करने तथा संशोधित करने की आवश्यकता है। अकादमी परिषद ने इसे स्वीकार कर लिया था और अगस्त, 1999 में संशोधित तथा पुन: संरचित पाठ्यक्रम को अनुमोदित कर दिया गया था।

(घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए अक्तूबर, 2000 में एक समीक्षा समिति गठित की गई थी। समीक्षा समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इस्पात का निर्यात

1232. श्री एस.डी.एन.आर. चाडियार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन देशों को इस्पात तथा इस्पात मदों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) कौन-कौन सी सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियां इस्पात तथा इस्पात मदों का निर्यात कर रही हैं;

(ग) क्या कई देशों ने इन मदों पर डम्पिंग प्रभार लगाये हैं;

(घ) यदि हां, तो किन देशों ने तथा किस सीमा तक; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) भारतीय इस्पात एवं इस्पात मदों के निर्यात के लिए प्रमुख बाजार रहे हैं—इंडोनेशिया, इटली, मध्य पूर्व, नेपाल, ताईवान, यूएसए, बेल्जियम, कनाडा, मलेशिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड तथा ईयू के सदस्य देश

(ख) इस्पात एवं इस्पात मदों के प्रमुख भारतीय निर्यातक हैं:- स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि., एस्सार स्टील लि., लायड्स स्टील इंडस्ट्रीज लि., इस्पात इंडस्ट्रीज तथा जिंदल आयरन एंड स्टील कं.

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान विभिन्न देशों द्वारा इस्पात एवं इस्पात मदों के निर्यात के खिलाफ लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

देश	मद	वर्ष	मद पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की दर
यूएसए	कट-टू-लेंथ कार्बन स्टील प्लेट	1999	72.49%
कनाडा	1. कतिपय स्टेनलेस स्टील राउन्ड बार	1998	शुल्क 18.8% से 52.4% के बीच है।
	2. कतिपय हॉट रोल्ड कार्बन स्टील प्लेट		14.9%
		2000	
दक्षिण अफ्रीका	पेपर इनसुलेटेड लेड कवर्ड केबल्स	1999	शुल्क 2.14% से 34.7% के बीच है।
इंडोनेशिया	स्टील वायर रॉड	1998	23%
यूरोपिय संघ	1. स्टेनलेश स्टील फास्टनर्स एवं पार्ट्स	1998	शुल्क 11.2% से 54% के बीच है।
	2. स्टील रोप्स एवं केबल्स		शुल्क 23.8% से 30.8% के बीच है।
		1999	(भारतीय निर्यातक मै. उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज तथा उषा बेल्ट्रॉन लि. द्वारा दिए गए कीमत संबंधी वचन पत्र के मद्देनजर इस वचनपत्र के प्रवृत्त रहने की अवधि तक उपरोक्त शुल्क नहीं लगाया जाना है।)
			शुल्क 1.2% से 35.8% के बीच है।
	3. एक मिमि अथवा अधिक के व्यास वाले स्टेनलेस स्टील वॉयर		शुल्क 1.5% से 11.5% के बीच है।
		1999	
	4. लौह अथवा अलौह इस्पात के कतिपय फ्लैट रॉल्ड उत्पाद		भारत के सभी निर्यातकों के विरुद्ध 22.3%। चूंकि स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया, जिस
	5. क्वार्टो प्लेट्स	2000	एकमात्र निर्यातक को विशेष रूप से लक्ष्य बनाया गया है, ने कीमत संबंधी वचनपत्र दिया है इसलिए इस वचनपत्र के प्रवृत्त रहने की अवधि तक
		2000	उनके खिलाफ लगाए गए इस शुल्क को वसूल नहीं किया जाएगा।

(ङ) सरकार की सक्रिय सहायता एवं समर्थन के साथ भारतीय उद्योग द्वारा इस्पात एवं इस्पात मदों के आयात के खिलाफ शुरू किए गए पाटनरोधी मामलों का बचाव किया जा रहा है।

कश्मीरी भाषा में आकाशवाणी समाचार बुलेटिन को बंद करना

1233. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कश्मीरी भाषा में आकाशवाणी समाचार बुलेटिन को बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय निवेश केन्द्र

1234. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय निवेश केन्द्र को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार वर्तमान में भारतीय निवेश केन्द्र के कार्यकरण की समीक्षा कर रही है।

फिल्म संस्थान का नाम परिवर्तित करना

1235. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का नाम परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थाव, पुणे ने संस्थान का नाम परिवर्तित करने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफ.टी.आई.आई.), पुणे के पुन: नामकरण के लिए कई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की सोसायटी ने मामले पर विचार किया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संस्थान का नाम न बदला जाए क्योंकि यह इसका ब्राण्ड नाम है जिसकी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है।

सरकार ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

नेपाल से आए सामानों की डम्पिंग

1236. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल भारत-नेपाल व्यापार समझौते का दुरूपयोग कर रहा है और अपनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में पाट रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप देश को हुए अनुमानित नुकसान का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उपरोक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के माध्यम से उक्त स्थिति के समाधान हेतु प्रयास किये हैं; और

(च) यदि हां, तो बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (च) भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत-नेपाल व्यापार संधि द्वारा शासित होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि भारत सरकार सहमत निषेधात्मक सूची की मदों को छोड़कर, नेपाल में विनिर्मित सभी वस्तुओं के लिए सीमाशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त भारतीय बाजार में पहुंच प्रदान करेगी। इस संधि में यह भी व्यवस्था है कि इस सुविधा की वजह से आमतौर पर आयातों में अथवा किसी विशेष

वस्तु के आयात में वृद्धि होने की स्थिति में दोनों सरकारें समुचित उपाय करने की दृष्टि से विचार-विमर्श करेंगी।

भारतीय उद्योद तथा अन्य ने इस आशय की शिकायतें की है कि इस सुविधा से नेपाल से कुछेक विनिर्मित वस्तुओं के आयातों में वृद्धि हुई है जिससे भारतीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यद्यपि नेपाल से होने वाले आयातों के शुल्क मुक्त प्रवेश के कारण सरकार को हुए राजस्व घाटे को कोई अनुमान नहीं लगाया गया है तथापि संधि में की गई व्यवस्था के अनुसार समुचित उपाय करने के लिए नेपाल की सरकार के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

[अनुवाद]

निर्यात ऋण संबंधी नियम

1237. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्यात ऋण संबंधी नियमों में ढील दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 6 फरवरी, 2001 के परिपत्र के तहत गुजरात राज्य में भूकम्प से प्रभावित निर्यातकों को निम्नलिखित रियायतें दी हैं:-

(1) लदानपूर्व ऋण का विस्तार

उन मामलों में जहां पर लदाई में विपत्ति के कारण विशिष्ट समय से परे तक विलम्ब हुआ है, तो बैंक मामले की वास्तविकता से स्वयं संतुष्ट हो जाने के बाद, 180 दिनों से कम की अवधि (उत्पादन सर्किल पर आधारित) के लिए मंजूर किए गए लदानपूर्व ऋण का 180 दिनों (10 प्रतिशत वार्षिक) तक की अवधि के लिए लागू ब्याज दर पर 180 दिनों तक बढ़ा सकते हैं। 180 दिनों से परे और 360 दिनों तक की अवधि के लिए, बैंक, 180 दिनों से परे और 270 दिनों (13 प्रतिशत प्रतिवर्ष) के लिए लागू रियायती दर लागू कर सकते हैं। जहां आवश्यक हो, 360 दिनों से परे ऋण के विस्तार पर भी बैंक के वाणिज्यिक निर्णय और अन्यथा अविनिर्दिष्ट निर्यात ऋण (ई.सी.एन.ओ.एस.)- लदानपूर्व के लिए लागू दर पर स्व-निर्णय और बैंक के बोर्ड के अनुमोदन से विचार किया जा सकता है।

उन मामलों में, जहां लदानपूर्व ऋण, विदेशी मुद्रा में मंजूर किया गया है, विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार 180 दिनों तक की अवधि के लिए प्रभारित दर की अपेक्षा 2 प्रतिशत लागू करने के बजाय आवर्ती के वास्तविक लागत के अनुसार 180 दिनों से परे की अवधि के विस्तार की अनुमति दी जा सकती है।

(2) देयराशियों का अल्पावधि ऋणों में परिवर्तन

जहां कहीं आवश्यक हो, बैंक अतिदेय लदानपूर्व ऋण को अल्पावधि ऋण में परिवर्तित कर सकते हैं जिसकी वापसी अदायगी, बैंक द्वारा ली गई गारंटियों के संबंध में, भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम का दावा, यदि कोई हो, के निपटान को ध्यान में रखने के बाद उपयुक्त समायावधि के अन्दर की जा सकती है। ऐसे मामलों में गैर-लदान के मामले में दाण्डिक ब्याज, अग्रिम की तारीख से नहीं लिया जाना चाहिए।

(3) आस्ति वर्गीकरण मानदण्ड का प्रयोग

बैंकों को निर्यातकों को मंजूर किए गए लदान-पूर्व ऋण को अनुपयोज्य (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, जहां ऋण की अवधि उपर्युक्त पैराग्राफ (1) की शर्तों के अनुसार बढ़ाई गई है अथवा उपर्युक्त पैराग्राफ (2) की शर्तों के अनुसार लदानपूर्व ऋण को अल्पावधि ऋण में परिवर्तित किया गया है। अग्रिमों को एन.पी.ए. के रूप में माना जाएगा यदि अवधि के विस्तार करने अथवा लदानपूर्व ऋण के परिवर्तन जैसा भी मामला हो, बैंकों द्वारा निर्धारित संशोधित नियत तारीखों को ध्यान में रखते हुए, यह अतिदेय हो गया है, के बाद मूल का ब्याज और/अथवा किश्त 180 दिनों के लिए अदत्त हो गई है।

अल्जीरिया के साथ व्यापार संबंध

1238. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्जीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच किन-किन क्षेत्रों में व्यापार संबंध स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या हाल ही में दोनों देशों के बीच किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत और अल्जीरिया के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) भारत के अल्जीरिया के साथ पहले से ही सुव्यवस्थित द्विपक्षीय संबंध हैं। भारत-अल्जीरियाई व्यापार में गत पांच वर्षों के दौरान 128% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है और वर्तमान में यह 25 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। भारत से अल्जीरिया को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदों में शामिल हैं: कॉफी, मशीनरी एवं औजार, वस्त्र एवं परिधान और हस्तशिल्प। अल्जीरिया से भारत में आयात मुख्य रूप से अलौह धातुओं, परिवहन उपस्करों, लौह एवं इस्पात, कार्बनिक रसायनों और अकार्बनिक रसायनों के होते हैं।

(ग) और (घ) हाल ही में भारत अल्जीरिया द्वारा हवाई सेवा, दोहरे कराधान के परिवर्द्धन और वित्तीय अपवंचन पर रोक, पादप स्वास्थ्य नियंत्रण एवं पशु स्वास्थ्य विनियमन के क्षेत्र में अनेक करार किए गए हैं। इन सभी करारों में और अधिक द्विपक्षीय आर्थिक सम्पर्क और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के रास्ते को आसान बनाने का प्रावधान है।

(ङ) अल्जीयर्स में जून, 2000 में आयोजित भारत-अल्जीरिया संयुक्त आयोग की पिछली बैठक के दौरान और जनवरी, 2001 में अल्जीरियाई राष्ट्रपति के हाल के भारत दौरे के दौरान सहयोग के अनेक क्षेत्रों का पता लगाया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। भारत-अल्जीरियाई व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए इन निर्णयों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

कम मूल्य वाले सिक्कों के लिए वेंडिंग मशीन

1239. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम मूल्य वाले स्किों की मांग को पूरा करने हेतु अब तक कितनी वेंडिंग मशीनों की स्थापना की गई है और किन-किन स्थानों पर की गई है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों से भी ऐसी वेंडिंग मशीनों की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार किन-किन बैंकों ने ऐसी वेंडिंग मशीनों को स्थापित किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोगिक तौर पर मुम्बई, नई दिल्ली, चैन्नई, चंडीगढ़ और कलकत्ता स्थित अपने कार्यालयों में प्रत्येक में एक और बंगलौर में दो, कुल सात सिक्का वेंडिंग मशीनें स्थापित की हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्यात

1240. श्री सईदुज्जमा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एपेडा के अंतर्गत कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्यात नहीं बढ़ा है;

(ख) क्या विशेषज्ञता के बावजूद एपेडा निर्यात हेतु कार्बनिक खाद्य पदार्थों के प्रमाण को प्रोत्साहन दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को हाल ही में एक प्रख्यात वैज्ञानिक द्वारा लिखित विज्ञान प्रसार से "अल्टरनेटिव्स टू पेस्टीसाइड्स इन ट्रापिकल कंट्रीज" नामक शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक को देखा है जो पूरे विश्व में इस समस्या के समाधान का वर्णन करती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त पुस्तक में वर्णित व्यावहारिक निष्कर्षों को लागू करने हेतु एक कृतिक बल का गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी, नहीं। एपीडा का कार्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य मदों, जिनमें कार्बनिक तरीके से उत्पादित मदें भी शामिल हैं, के निर्यात का संवर्धन करना है। कार्बनिक उत्पादों के निर्यातों के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, उपलब्ध सूचना के आधार पर, एपीडा द्वारा किया गया कार्बनिक खाद्य मदों का निर्यात 1998-99 में हुए 26.06 लाख रुपए के अनुमानित निर्यात से बढ़कर 1999-2000 के दौरान लगभग 2.82 करोड़ रुपए के अनुमानित स्तर तक पहुंच गया; कार्बनिक उत्पादन और उसका वाणिज्यिक विपणन तुलनात्मक दृष्टि से वाणिज्यिक हित का एक नया क्षेत्र है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कार्बनिक उत्पादों के निर्यातों के लिए मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में कार्बनिक उत्पादों के लिए एक सुविकसित प्रमाणन प्रणाली तैयार नहीं की गई है, इसलिए कार्बनिक उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करने वाले एपीडा और अन्य वस्तु बोर्डों द्वारा कार्बनिक निर्यातों के लिए प्रमाणन प्रणाली का विकास करने की कार्रवाई की जा रही है।

(घ) विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित "अल्टरनेटिव्स टू पेस्टीसाइड्स इन ट्रापिकल कंट्रीज" नामक पुस्तक में कार्बनिक खाद्य के निर्यात की समस्या का विशिष्ट समाधान नहीं है और न ही उससे एपीडा के तहत निर्यात में वृद्धि हुई है अथवा निर्यातों के लिए कार्बनिक प्रमाणन को बढ़ावा मिलता है।

(ङ) किसी कार्य बल के गठन करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपिय समुदाय के शिष्टमंडल के साथ बैठक

1241. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में भारत के दौरे पर आए "यूरोपीय समुदाय विदेश संबंध" के आयुक्त के साथ वस्तुओं के पाटन-रोधी प्रश्न को उठाया था;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या मुद्दों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने की दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रहें, किसी संयुक्त परामर्शदात्री समूह का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) यूरोपीय समुदाय, विदेश संबंध के आयुक्त के साथ भारतीय वस्तुओं के विरुद्ध ईसी की पाटनरोधी कार्रवाईयों का प्रश्न विशेष तौर पर नहीं उठाया गया था। तथापि, दिनांक 6.2.2001 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गयी थी और व्यापार विवादों से बचने के उद्देश्य से व्यापार बचाव संबंधी द्विपक्षीय तकनीकी कार्य दल का गठन करने की संभावना पर विचार किया गया था।

बकाया उत्पाद शुल्क

1242. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** बकाया उत्पाद शुल्क के बारे में दिनांक 4.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2006 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक कंपनी से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कितनी बकाया धनराशि प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधारी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दी फिल्मों का प्रसारण

1243. श्री अमर राय प्रधान: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दूरदर्शन द्वारा फिल्म के निर्माता की मंजूरी लिए बिना कितनी हिन्दी फिल्मों को दिखाया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन फिल्मों के निर्माताओं से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) प्रत्येक निर्माता को सरकार द्वारा भुगतान की गई मुआवजा धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में इन त्रुटियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) कोई नहीं, श्रीमान। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन, न्यूनतम गारंटी के आधार पर विपणन एजेन्टों से हिन्दी फीचर फिल्म प्राप्त करता है विपणन एजेन्ट, निर्माताओं से इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है तथा वे दूरदर्शन को फिल्मों के अधिकार हेतु किसी वाद या दावे के लिए क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र के साथ हलफनामा देते हैं।

(ख) दूरदर्शन को ऐसी दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा विवाद को निपटाने के लिए ये दोनों शिकायतें विपणन एजेन्टों को भिजवा दी गई हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में चीनी का अधिक आवंटन

1244. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में चीनी का आवंटन अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पंजाब और हरियाणा जैसे अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए खाद्यान्नों की कुल खरीद बहुत ही कम रही है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन मामलों की जांच करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) न्यूनतम 500 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति प्रति माह के मानदंड की बजाय कुछ राज्यों को वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण अधिक दर पर लेवी चीनी का आबंटन किया जा रहा है। इन राज्यों के संबंध में लेवी चीनी के आबंटन की दर निम्नवत है:-

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	मानदंड (ग्राम)
1	2
अंडमान और निकोबार	1008
चंडीगढ़	611
दिल्ली	1271
लक्षद्वीप	1625
जम्मू और कश्मीर	700
पांडिचेरी	583
नागालैंड	700
अरुणाचल प्रदेश	700
असम	700
त्रिपुरा	700
मेघालय	700
मिजोरम	700
मणिपुर	700
हिमाचल प्रदेश	700
उत्तरांचल	700

(ग) से (च) 1 अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान खाद्यान्नों (चावल तथा गेहूं) का आबंटन तथा उठान निम्नानुसार है:-

(टन में)

चावल

राज्य	आबंटन			उठान		
	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से उपर	कुल	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से उपर	कुल
पंजाब	13840	2800	16640	256	70	326
हरियाणा	-	-	-	-	-	-

गेहूं

राज्य	आबंटन			उठान		
	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से उपर	कुल	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से उपर	कुल
पंजाब	73678	15100	88778	6474	1515	7989
हरियाणा	146598	7200	153798	38374	-	38374

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का उठान खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों तथा खुले बाजार में मूल्यों के बीच समानता सहित कई बातों पर निर्भर करता है। हाल ही में, सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कल्याण योजनाओं, आदि के अधीन केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं।

क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी

1245. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में "क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों" को कार्य करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में कार्य कर रही विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को किसी शुल्क का भुगतान करना होता है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभारित शुल्कों का ब्यौरा क्या है तथा क्या-क्या सेवाएं प्रदान की गई हैं;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक उन शुल्कों का निर्धारण करता है जिन्हें ये एजेन्सियां प्रभारित कर सकती हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारत में कार्य कर रही सभी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियां भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा सेबी केवल प्रतिभूतियों की रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को पंजीकरण प्रदान करता है।

(ख) विदेशी रेटिंग एजेंसियों ने भारत आधारित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में निवेश किए हैं। किए गए निवेशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा किए गए निवेशों के ब्यौरे

क्रम संख्या	विदेशी रेटिंग एजेंसी का नाम	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी रेटिंग एजेंसी द्वारा धारित प्रतिशत इक्विटी
1	2	3	4
1.	डफ रेटिंग फैल्प्स क्रेडिट रेटिंग संयुक्त-राज्य अमरीका	बी.आर. सुले गेटवे बिल्डिंग अपोलो बंडर मुम्बई-400001	54.00 प्रतिशत
2.	मैसर्स थामसन बैंकवाच इंक न्यूयार्क, संयुक्त-राज्य अमरीका	बैंकवाच (इंडिया) लि. बी-6/6, कमर्शियल काम्प्लेक्स, सफदरजंग इंक्लेव, नई दिल्ली-110029	51.00 प्रतिशत

1	2	3	4
3.	मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस इंक संयुक्त राज्य अमरीका	आई.सी.आर.ए. लि. चौथा तल, कैलाश बिल्डिंग 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	12.15 प्रतिशत
4.	स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स फाइनेंसियल सर्विसिज संयुक्त राज्य अमरीका	क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज इण्डिया लि. (क्रिसिल)	9.68 प्रतिशत

एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स में विनिवेश हेतु प्रस्ताव

1246. **श्री अनंत नायक:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री माधव राव सिंधिया:
श्री पुष्प जैन:
श्री वी. वेद्रिसेलवन:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) देश और विदेश में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की कुल परिसंपत्तियां भारतीय रुपये के संदर्भ में कितनी हैं;

(ग) क्या किसी निजी पार्टी की ओर से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विनिवेश कार्यक्रम में साझेदार होने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) हित की अभिव्यक्ति आमन्त्रित करने के सार्वजनिक विज्ञापनों के उत्तर में, सम्भावित पार्टियों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं। इसके पश्चात् कतिपय सम्भावित बोलीदाताओं को सूचना ज्ञापन, गोपनीयता करार, शेयर खरीद करार और शेयर धारक करार के मसौदे से युक्त बिड़ पैकस जारी किए गए हैं। सार्वभौमिक सलाहकारों द्वारा प्राप्त तकनीकी बोलियों की छानबीन की जा रही है और इच्छुक बोली दाताओं के संबंध में सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) एयर इन्डिया और इन्डियन एयर लाईन्स दोनों की परिसम्पत्तियों के मूल्य-निर्धारण की प्रक्रिया अभी आरंभ की जानी है।

(ग) और (घ) यह प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणों में है। इसलिए और अधिक ब्यौरों का खुलासा करना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि ऐसा करने से सौदे की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

[हिन्दी]

जाली रसीदी टिकट

1247. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री मोहन रावले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अत्यधिक संख्या में जाली रसीदी टिकट बेचे जा रहे हैं जिसके कारण राजकोष को करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) रसीदी टीकट भारत प्रतिपूर्ति मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित किए जाते हैं और डाक विभाग द्वारा वितरित किए जाते

हैं। डाक विभाग के रिकार्ड के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाई गई जाली रसीदी टिकटों का कुल मूल्य 6,94,734/- रुपये है। इसके अलावा, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक ने विभिन्न प्राधिकारियों से पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 10,461 जाली टिकटों (इनका मूल्य 10,461/- रुपये है) की रिपोर्ट प्राप्त की है। इस कदाचार में अंतर्ग्रस्त विभागीय अधिकारियों और बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है।

[अनुवाद]

समझौता एक्सप्रेस के जरिए तस्करी

1248. श्री के.पी. सिंह देव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान समझौता एक्सप्रेस के जरिए तस्करी की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तस्करी को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) समझौता एक्सप्रेस के जरिए तस्करी की रोकथाम के लिए अभी हाल ही में सरकार द्वारा कई उपाय किये गये हैं। इस संबंध में किये गये कुछेक महत्वपूर्ण उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से जीरो प्वाइंट से अटारी रोड भू-सीमा शुल्क चौकी तक और अटारी रोड भू-सीमा शुल्क चौकी से जीरो प्वाइंट तक समझौता एक्सप्रेस के साथ मार्गरक्षक भेजना।

(2) देश में आने वाले यात्रियों द्वारा लाये गये सामान की असबाब एक्स-रे मशीनों द्वारा 100% वास्तविक जांच और स्क्रीनिंग करना।

(3) व्यापारिक/वाणिज्यिक मात्राओं में माल लाने वाले यात्रियों पर कठोर विमोचन जुर्माना और व्यक्तिगत अर्थदंड लगाना।

(4) भूमि-मार्ग से पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों के संबंध में नि:शुल्क असबाब छूट को 12,000/- रु. से घटाकर 3,000/- रु. करना।

(5) अटारी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नं. 2 और 3 पर रेलवे कुलियों के प्रवेश पर रोक लगाना।

(6) अटारी रेलवे स्टेशन पर तैनात सीमा शुल्क, आव्रजन, आई.बी. और पुलिस जैसी विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के बीच नियमित रूप से संयुक्त समन्वय बैठकों का आयोजन करवाना।

(7) सीमा शुल्क, जी.आर.पी. और आव्रजन अधिकारियों द्वारा समझौता एक्सप्रेस की संयुक्त रूप से छान-बीन करना।

(8) अटारी रेलवे स्टेशन के सभी प्रवेश/निकास द्वारों पर सीमा शुल्क, जी.आर.पी. एवं आव्रजन विभाग के कार्मिक संयुक्त रूप से तैनात रहते हैं।

गीत और नाटक प्रभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग

1249. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1993 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित डा. अंबेडकर जन्मशती समारोह समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति के लोगों हेतु आरक्षित पदों/रिक्तियों पर पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्त/तैनात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गीत और नाटक प्रभाग द्वारा गायकों, नर्तकों, संगीतज्ञों और ऐसे अन्य कुल कितने कलाकारों को वर्षवार नियुक्त किया गया;

(घ) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान की गई कुल नियुक्तियों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना है; और

(ङ) उक्त सिफारिशों को संतोषजनक रूप से लागू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय ने पिछली रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया था और इन रिक्तियों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रोजगार कार्यालय जैसी सम्बन्धित भर्ती एजेंसियों को भी सूचित किया गया था।

(ग) और (घ) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान गीत एवं नाटक प्रभाग में नियुक्त किए गए कलाकारों का वर्ष-वार ब्यौरा (प्रतिशत कोष्ठक में दिया गया है)

1998		शून्य		
		कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.
1		2	3	4
1999	गायक	14	02	01
	मंच सहायक	20	04	01
	वाद्य कलाकार	38	09	01
	नर्तक	10	04	00
	रूप सज्जा कलाकार	05	01	–
	अभिनेता	09	01	–
	निष्पादक	56	15	04
	प्रशिक्षण सहायक	02	01	01
	वार्ड रोब सहायक	01	–	–
	ग्रीन रूप सहायक	03	01	–
	लाईन मैन (ध्वनि)	04	02	–
	लाईन मैन (प्रकाश)	03	–	–
2000	गायक	03	–	–
	वाद्य कलाकार	1	–	–
	निष्पादक	32	06	03
	लाइन मैन (ध्वनि)	02	01	–
	मंच सहायक	04	01	–
	प्रशिक्षण सहायक	01	–	01
	कुल	208	48	12
			(23%)	(5.76%)

[हिन्दी]

निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा सेवा-शुल्क

1250. श्री अरुण कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेशकों से सेवा शुल्क के नाम पर धनराशि प्रभारित करने से संबंधित शिकायतों को दूर करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा धनराशि की वापसी हेतु परिपक्वता अवधि को निर्धारित करने में की जाने वाली मनमानी को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए विनियामक प्राधिकारी हैं। भारतीज रिजर्व बैंक ने आरएनबीसी (भारतीय रिजर्व बैंक) निदेश, 1987 के पैरा 4क के क्रम में आरएनबीसी को नए अमानतदार/अभिदाता से विवरणिका, आवेदन फार्म जारी करने संबंधी खर्च की लागत जमाकर्ता के खाते के सर्विसिंग के पक्ष में उन मामलों में एक बारगी (नावापसी योग्य) 80 रुपए (अस्सी रुपए मात्र) से अनधिक राशि लेने की अनुमति दी है जहां ऐसी जमाराशि का कुल वार्षिक अभिदान 500 रुपए या उससे अधिक है। जहां एकत्रित जमा राशि 500 रुपए से कम है, 80 रुपए की एकबारगी नावापसी योग्य उक्त राशि में यथानुपात कटौती की जाएगी। तथापि, दैनिक जमाराशि योजनाओं के अधीन प्राप्त जमाराशि पर ऐसी कोई राशि एकत्र किए जाने की अनुमति नहीं है। आरएनबीसी से इतर एनबीएफसी को अपने जमाकर्ताओं से कोई सेवा प्रभार लेने की अनुमति नहीं दी जाती है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार में अनियमितताएं

1251. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सुपर बाजार में अनियमितता/भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना अभी शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सुपर बाजार में अनियमितता और कदाचार निर्बाध रूप से जारी है; और

(ङ) यदि हां, तो सुपर बाजार में इन अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। ऐसे मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ग) इस अवस्था में कोई कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है।

(घ) और (ङ) सुपर बाजार का प्रबंधक मंडल अपने सतर्कता अधिकारियों की सहायता से नियमानुसार सुपर बाजार के कार्यकरण पर नजर रखता है। जब भी कोई घटना ध्यान में आती है या उसकी रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है। सुपर बाजार के सतर्कता विभाग द्वारा शाखाओं की औचक जांच भी की जाती है।

विवरण

1. सुपर बाजार की गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के अनुमोदन के बिना घटिया किस्म की दालों की खरीद।
2. उत्पाद शुल्क में कमी किए जाने के पूर्व दिवस को दालों की खरीद के लिए थोक में आदेश देना।
3. सुपर बाजार के अध्यक्ष द्वारा किसी उचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना सप्लायरों को बिना बारी के भुगतान करना।
4. घटिया किस्म के आलू की खरीद करना जिससे क्षतियां हुई।
5. एक निजी व्यापारी (मैसर्स वीप्स सिस्टम लि.) को सुपर बाजार में दुकान खोलने की अनुमति देना।
6. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा कोट की गई दरों से उच्च दरों पर मसालों की खरीद में अनियमितताएं।
7. राजेंद्र नगर में लौंगोवाल टावर के निर्माण के लिए सुपर बाजार द्वारा मैसर्स वी.वी. कंस्ट्रक्शन को ठेका देने में अनियमितताएं।
8. श्री आई.एस. अग्रवाल, सहायक महाप्रबंधक (खरीद) के त्यागपत्र को स्वीकार करना।
9. सुपर बाजार के दो कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में श्रीमती दीपा अग्रवाल, प्रबंध (कार्मिक) पर दबाव डालना।

प्राइवेट टी.वी. चैनलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा

1252. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्राइवेट टी.वी. चैनलों के बीच चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा की जानकारी है, जिससे उपभोक्ता बुरी तरह प्रभावित हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार "ट्राई" की तर्ज पर विनियामक निकाय के गठन पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) सरकार को मालूम है कि विभिन्न निजी चैनलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

(ख) से (घ) दर्शकों के हितों की रक्षा के लिए केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अभी हाल ही में संशोधित किए गए प्रावधानों को लागू करने के देश के अन्य तत्संबंधी नियम जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम भी उपलब्ध है। अभी हाल ही में समाचारपत्रों में प्रकाशित खबर के अनुसार

एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार आयोग ने ग्राहकों से ये चैनलों के लिए अधिक प्रभार वसूलने के लिए टी.वी. नेटवर्कों को नोटिस जारी किए थे।

भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता

1253. **श्री मुद्रागाड़ा पद्मानाभम:**
श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री बी.एम. सुधीरन:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री सुनील खां:
श्री के. येरननायडू:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में छत तथा बिना छत वाले दोनों प्रकार के अलग-अलग कितने गोदाम हैं;

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास वर्तमान में खाद्यान्नवार सही-सही कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्यान्न खुले में पड़े हुए हैं;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों को और सड़ने से रोकने हेतु बिना छत वाले गोदामों को छत लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों को सड़ने से रोकने हेतु कोई निगरानी एजेन्सी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कैप भंडारण में पड़ी खाद्यान्नों की सही मात्रा और कीमत निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख टन में)
(कीमत करोड़ रुपयों में)

जिंस	मात्रा	कीमत
गेहूं	39.78	2798.96
चावल (चावल के रूप में धान)	14.27	1430.58

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम के पास रखा खाद्यान्नों के स्टाक का परिरक्षण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है ताकि क्षति को रोका जा सके। खाद्यान्नों का परिरक्षण करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किये जाते हैं:

(1) खाद्यान्नों का भंडारण मूषक और नमी रोधी गोदामों में किया जाता है।

(2) जन्तुबाधा नियंत्रण उपाय नियमित रूप से किये जाते हैं।

(3) खाद्यान्नों के उचित रखरखाव के लिए आवधिक निरीक्षण करने हेतु योग्य और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी लगाये जाते हैं।

(4) मार्गस्थ हानियों से बचने के लिए जहां तक संभव होता है, खाद्यान्नों का संचलन ढके हुए वैगनों में किया जाता है। जब यह संचालन खुले वैगनों में करना पड़ता है तब इन्हें तारपोलिन आदि से ढका जाता है।

(5) रोगनिरोधी और रोगहर उपचार भी किये जाते हैं।

(6) कैप भंडारण में स्टाक को लकड़ी की क्रेटों में भंडारित किया जाता है और इसे कम घनत्व के काले पोलीथिन कवरों (एल.डी.पी.ई.) से ढका जाता है जो वाटरप्रूफ होते हैं। इन्हें नायलोन की रस्सियों से बांधा जाता है ताकि तेज हवा के दौरान इनके अन्दर हवा भरने से होने वाली क्षति से बचा जा सके।

विवरण

31.12.2000 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास गोदामों की राज्य-वार संख्या बताने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी हुई			कैप (खुली)			सकल
	अपनी	किराए की	जोड़	अपनी	किराए की	जोड़	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	20	32	52	3	–	3	55

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	22	31	53	–	–	–	53
पश्चिम बंगाल	26	26	52	–	–	–	52
सिक्किम	1	1	2	–	–	–	2
असम	18	24	42	–	–	–	42
अरुणाचल प्रदेश	4	–	4	–	–	–	4
मेघालय	2	3	5	–	–	–	5
मणिपुर	2	2	4	–	–	–	4
मिजोरम	4	1	5	–	–	–	5
नागालैण्ड	4	2	6	–	–	–	6
त्रिपुरा	2	5	7	–	–	–	7
दिल्ली	7	1	8	4	–	4	12
हरियाणा	37	97	134	24	5	29	163
हिमाचल प्रदेश	4	12	16	7	–	–	16
जम्मू और कश्मीर	11	6	17	–	–	–	17
पंजाब	111	265	376	89	109	198	574
चंडीगढ़	4	9	13	4	5	9	22
राजस्थान	35	38	73	14	14	28	101
उत्तर प्रदेश	56	98	154	31	5	36	190
आन्ध्र प्रदेश	35	169	204	11	1	12	216
केरल	22	2	24	6	–	6	30
कर्नाटक	16	59	75	12	4	16	91
तमिलनाडु	16	20	36	10	–	10	46
पांडिचेरी	3	–	3	2	1	3	6
गुजरात	15	22	37	13	8	21	58
महाराष्ट्र	17	46	63	10	2	12	75
गोवा	1	–	1	–	–	–	1
मध्य प्रदेश	41	86	127	16	7	23	150
सकल जोड़ (अखिल भारत)	536	1057	1593	249	161	410	2003

भूकम्प पीड़ितों के दावे

1254. श्री नरेश पुगलिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा के क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियों ने इस आधार पर 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आये भूकंप के कारण बीमाधारकों की संपत्ति को हुये नुकसान का मुआवजा देने से इन्कार कर दिया है कि भूकम्प संबंधी खंड का बीमा पॉलिसी में उल्लेख नहीं था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में साधारण बीमा कम्पनियों में भूकंप पीड़ितों के दु:ख दर्दों पर सहानुभूतिपूर्वक और मानवता आधार पर विचार करने के लिए कहने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) साधारण बीमा कम्पनियों ने सूचित किया है कि बीमा पालिसियां केवल बीमित जोखिमों को ही कवच प्रदान करती हैं और जिन पालिसी धारकों ने भूकम्प कवच नहीं लिया है उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा सकता।

(ग) और (घ) जी, हां। बीमा कम्पनियों ने दावों के शीघ्र निपटान के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की है और दावों के निपटान के लिए अपनी अधिकांश सामान्य उपेक्षाओं को भी छोड़ दिया है, जैसे कि:-

(1) शव-परीक्षा रिपोर्ट का अधित्याग।

(2) यदि मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तो सरपंच, तालती, मामलातदार आदि से इस संबंध में पत्र प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से किसी भी प्रमाणपत्र के न होने पर भी मृत्यु संबंधी दावों का निपटान 20 रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति पत्र के आधार पर ही कर दिया जाता है।

(3) सम्पत्ति दावों के मामले में पुलिस पंचनामा और मौसग विज्ञानी रिपोर्ट पर जोर नहीं दिया जाता।

(4) मोटर दावों के मामले में चालन (ड्राइविंग) लाइसेंस पर जोर नहीं दिया जाएगा।

(5) यदि प्राधिकारियों द्वारा मलबे के साथ-साथ बचाए गए माल को भी हटा दिया गया हो तो हलफनामा या क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करने के पश्चात बचाए हुए माल की अपेक्षा को छोड़ा जा सकेगा।

(6) 5 लाख रुपए से कम के मृत्यु दावों के लिए उत्तराधिकारी को मजिस्ट्रेट या मामलातदार के समक्ष हलफनामा देकर प्रमाणित होना चाहिए।

(7) उच्च वित्तीय प्राधिकारियों को क्षेत्रीय/मंडलीय प्रभारी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।

(8) कार्यालयों को प्राधिकृत किया गया है कि वे दावों का निपाटन वित्तीय प्राधिकार के प्रयोजनार्थ "व्यक्तिगत" मानते हुए करें।

(9) सर्वेक्षण रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए सर्वेक्षकों के लिए समय-सूची निर्धारित की गयी है।

खेल प्रतियोगिताओं के प्रायोजन पर प्रतिबंध

1255. श्री रामपाल सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रायोजन उन कंपनियों को नहीं देने का फैसला किया है, जो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन/आकाशवाणी और फिल्मों में विज्ञापनों पर रोक से सरकार को प्रतिवर्ष अनुमानत: कितना घाटा होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रायोजकता किसी भी कम्पनी को नहीं देता है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सिगरेट, बीड़ी, गुटका तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्माण में लगी कम्पनियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रायोजकता नहीं देने के बारे में उसने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) दूरदर्शन पर विज्ञापनों के प्रदर्शन से अर्जित राजस्व सरकार को प्राप्त नहीं होता।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा राजसहायता प्राप्त वस्तुओं की बिक्री नहीं करना

1256. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 2001 के "हिन्दुस्तान" में "गरीबों को राशन वितरण नहीं करने वाले रोजगार की खाद्यान्न सब्सिडी बंद होगी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) कौन से राज्य गरीबों को राशन का वितरण नहीं कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे राज्यों की राजसहायता बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक बंद की जाएगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सरकार, उन राज्यों को छोड़ कर जो विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन खाद्यान्नों अर्थात् गेहूं और चावल की वसूली करने पर सहमत हो गए हैं, किसी भी राज्य को सीधे राजसहायता उपलब्ध नहीं कराती है। वर्तमान में, केवल पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश सरकारें विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन खाद्यान्नों की वसूली और वितरण करती हैं। उन्हें राजसहायता का भुगतान बंद नहीं किया गया है।

तथापि, चूंकि यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, अत: इन राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, ताकि विभाग उनके शेष दावों का निपटान कर सके।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच

1257. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री पवन कुमार बंसल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने लोग इस समय पंजीकृत हैं और कितने लोग खाद्यान्न वस्तुएं ले रहे हैं;

(ख) क्या बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित होने से वंचित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें यह सुविधा देने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्यवार राशनकार्डों (गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे) की संख्या दी गई है।

(ख) और (ग) देश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बड़ी संख्या को देखते हुए गरीबी रेखा से नीचे के लाभभोगियों की सूची में कुछ पात्र परिवारों के नाम शामिल न होने तथा उन्हें गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड जारी न किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लाभभोगियों अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी की पहचान करना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के दिशा-निर्देशों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग में वास्तव में गरीब तथा समाज के कमजोर वर्गों को शामिल करें और पहचान की प्रक्रिया में ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे नियमित अंतरालों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची की समीक्षा करें, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित न होने पाएं।

विवरण

राज्य-वार परिवारों की संख्या, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या और राशनकार्डों की संख्या को बतला विवरण (20.2.2001 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000 को प्रक्षेपित जनसंख्या (लाख में)	विशेषज्ञ समूह के अनुसार गरेनी%	2000 में परिवारों की संख्या (लाख में)	2000 में गरेनी परिवारों की संख्या (लाख में)				निम्न तारीख को सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	754.66	25.68	158.21	40.63	113.60	53.97	167.57	नवम्बर, 2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	11.92	40.86	2.42	0.99	0.82	2.75	3.57	सितम्बर, 2000
असम	261.96	40.86	44.93	18.36	18.82	25.72	44.54	नवम्बर, 2000
बिहार	999.42	54.96	162.24	89.17	84.26	88.74	173.00	नवम्बर-97
गोवा	15.95	14.92	3.20	0.48	0.08	3.05	3.13	दिसम्बर-2000
गुजरात	482.52	24.21	87.57	21.20	33.89	72.38	106.27	नवम्बर-2000
हरियाणा	198.31	25.05	31.48	7.89	5.83	38.18	44.01	दिसम्बर-2000
हिमाचल प्रदेश	67.11	40.86	12.57	5.14	2.86	9.39	12.25	अगस्त-2000
जम्मू व कश्मीर	99.45	40.86	18.02	7.36	3.36	10.12	13.48	सितम्बर-97
कर्नाटक	520.91	33.16	94.37	31.29	62.83	49.16	111.99	नवम्बर-2000
केरल	322.62	25.43	61.10	15.54	20.47	42.54	63.01	दिसम्बर-2000
मध्य प्रदेश	797.47	42.52	141.15	60.01	43.65	134.18	177.83	मार्च-2000
महाराष्ट्र	911.15	36.86	177.27	65.34	58.11	136.27	194.38	अप्रैल-2000
मणिपुर	25.18	40.86	4.07	1.66	0.67	1.13	1.80	जून-97
मेघालय	24.34	40.86	4.49	1.83	0.97	0.98	1.95	मार्च-97
मिजोरम	9.52	40.86	1.67	0.68	उ.न.	1.66	1.66	अप्रैल-2000
नागालैण्ड	16.84	40.86	3.02	1.24	0.96	1.05	2.01	मार्च-99
उड़ीसा	358.57	48.56	67.91	32.98	41.23	39.85	81.08	दिसम्बर-99
पंजाब	235.36	11.77	39.76	4.68	5.00	50.00	55.00	दिसम्बर-2000
राजस्थान	535.59	27.41	88.67	24.31	22.87	81.36	104.23	जून-2000
सिक्किम	5.59	41.43	1.05	0.43	उ.न.	उ.न.	0.66	अक्तूबर-97
तमिलनाडु	617.74	35.03	138.82	48.63	65.51	92.24	157.75	दिसम्बर-2000
त्रिपुरा	37.82	40.86	7.22	2.95	2.31	4.55	6.86	अगस्त-2000
उत्तर प्रदेश	1701.88	40.85	273.61	111.77	95.48	159.96	255.44	जुलाई-98
पश्चिम बंगाल	790.06	35.66	145.23	51.79	46.49	110.14	156.63	अगस्त-2000
अ. और निको. द्वीप समूह	3.86	34.47	0.81	0.28	0.12	0.74	0.86	सितम्बर-2000
चंडीगढ़	8.88	11.35	2.03	0.23	0.00	2.12	2.12	अप्रैल-2000
दा.।व ना. हवेली	1.90	50.84	0.36	0.18	0.16	0.16	0.32	दिसम्बर-2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दमन व द्वीप	1.40	15.80	0.26	0.04	0.02	0.28	0.30	मई-2000
दिल्ली	139.64	14.69	27.82	4.09	उ.न.	36.55	36.55	अक्तूबर-2000
लक्षद्वीप	0.71	25.04	0.11	0.03	उ.न.	0.13	0.13	नवम्बर-2000
पांडिचेरी	11.11	37.40	2.24	0.84	0.90	1.66	2.56	दिसम्बर-2000
जोड़	9969.44		1803.68	652.04	731.27	1251.01	1982.94	

दसवें/ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा धनराशि आवंटन

1258. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने दसवें वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि का अब तक उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दसवें वित्त आयोग ने किए जाने वाले खर्च के शीर्षों में या निर्धारित मानदंडों में कोई परिवर्तन किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल अनुमानित अंतरणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) अनुदानों के समग्र रूप से उपयोग न हो पाने के कारण सामान्यतया कार्य योजनाओं के देरी से संरूपण/निष्पादन, भूमि की अनुपलब्धता, मुकदमेंबाजी, स्थानीय निकायों के चुनाव न कराना तथा इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदानों के बारे में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न करना है।

(घ) और (ङ) राज्यों को स्तरोन्नयन, विशेष समस्याओं और स्थानीय निकायों के लिए अनुदान दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत प्रावधानों के उपयोग के लिए विनिर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों को आयोग की सिफारिशों को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।

विवरण

दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुमानित कुल अंतरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	दसवां वित्त आयोग (1995-2000)						ग्यारहवां वित्त आयोग (2000-2005)					
		करों और शुल्कों में अंशदान	गैर-योजनागत राजस्व घाटा अनुदान	स्तरोन्नयन एवं विशेष समस्या	स्थानीय निकाय अनुदान	राहत व्यय	कुल अंतरण (कालम 2 से 6)	करों और शुल्कों में अंशदान	गैर-योजनागत राजस्व घाटा अनुदान	स्तरोन्नयन एवं विशेष समस्या	स्थानीय निकाय अनुदान	राहत व्यय	कुल अंतरण (कालम 8 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	16325.94	686.45	153.88	424.94	490.33	18081.54	28980.25	0.00	285.23	924.90	820.80	31011.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	1360.03	307.60	68.31	4.83	27.79	1768.36	918.22	1228.02	90.59	28.52	49.83	2315.18
3.	असम	7064.14	712.03	206.86	147.56	197.46	8328.05	12362.05	110.68	132.54	254.99	420.60	13280.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	23302.45	333.06	240.63	574.28	205.14	24655.56	54934.90	0.00	401.60	878.94	512.46	56727.90
5.	गोवा	524.06	77.26	10.79	5.91	4.23	622.25	775.22	0.00	27.28	13.91	5.15	821.56
6.	गुजरात	8014.95	0.00	50.00	259.47	551.17	8875.59	10615.93	0.00	234.85	480.56	668.88	12000.22
7.	हरियाणा	2554.96	0.00	40.00	99.22	98.93	2793.11	3552.44	0.00	132.65	183.73	336.95	4205.77
8.	हिमाचल प्रदेश	3743.81	772.18	105.03	34.23	106.41	4761.66	2570.25	4549.26	91.16	69.56	180.20	7460.43
9.	जम्मू और कश्मीर	5904.70	1184.13	105.77	49.68	77.80	7322.08	4854.50	11211.19	127.82	90.07	144.64	16428.22
10.	कर्नाटक	10034.64	0.00	29.00	291.96	165.23	10520.83	18552.48	0.00	311.53	518.94	309.03	19691.98
11.	केरल	7217.00	0.00	81.83	204.24	218.74	7721.81	11504.04	0.00	129.14	404.88	278.66	12316.72
12.	मध्य प्रदेश	15275.50	0.00	206.37	410.43	201.67	16093.97	33258.98	0.00	494.52	871.48	373.40	34998.38
13.	महाराष्ट्र	12859.84	0.00	100.00	479.96	269.28	13709.08	17431.05	0.00	331.97	972.98	651.49	19387.49
14.	मणिपुर	1699.83	350.92	74.74	11.54	9.79	2136.82	1377.32	1744.94	58.59	23.17	11.89	3215.91
15.	मेघालय	1534.58	316.42	16.72	10.12	11.01	1888.85	1287.01	1572.38	57.39	28.31	16.32	2961.41
16.	मिजोरम	1398.37	331.19	64.13	3.32	5.00	1802.01	745.11	1676.30	89.84	11.70	12.32	2535.27
17.	नागालैंड	2197.38	529.78	53.96	5.21	6.71	2793.04	827.90	3536.24	62.84	14.66	8.12	4448.76
18.	उड़ीसा	8783.41	371.74	137.79	220.10	193.51	9706.55	19026.64	673.60	215.05	385.55	453.66	20754.50
19.	पंजाब	3160.41	0.00	81.31	133.95	213.80	3589.47	4316.37	284.21	110.01	209.37	508.57	5428.53
20.	राजस्थान	10255.26	33.45	149.87	255.40	706.89	11400.87	20595.88	1244.68	299.85	590.37	857.85	23588.63
21.	सिक्किम	562.07	105.69	10.06	2.48	18.59	698.89	692.43	840.58	66.78	5.50	28.63	1633.92
22.	तमिलनाडु	12622.54	0.00	100.84	402.86	234.33	13360.57	20264.72	0.00	251.86	659.49	425.36	21601.43
23.	त्रिपुरा	2325.81	466.78	25.90	14.97	17.75	2873.21	1832.67	2414.16	60.18	32.48	21.55	4361.04
24.	उत्तर प्रदेश	33526.67	982.00	275.54	880.70	494.00	36158.91	74501.56	1026.74	669.91	1570.76	740.33	78509.30
25.	पश्चिम बंगाल	14104.85	0.00	219.17	453.77	202.63	14980.42	30540.09	3246.09	239.45	775.22	419.00	35219.85
	कुल	206343.00	7582.68	2608.50	5380.93	4728.19	226643.30	376318.01	35359.07	4972.63	10000.00	8255.69	434906.40

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के पास राशन कार्ड न होना

1259. श्री के. येरननायडू: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के कई परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवारों की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) यदि हां, तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ उन तक कैसे पहुचेंगे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के प्रक्षेपित आबादी के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 6.52 करोड़ है। देश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लाभभोगियों की सूची में से कुछ पात्र परिवारों के नाम शामिल न होने तथा उन्हें राशन कार्ड जारी न किए जाने की संभावना से ईकार नहीं किया जा सकता है।

लाभभोगियों अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी की पहचान करना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के दिशा-निर्देशों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग में वास्तव में गरीब तथा समाज के कमजोर वर्गों को शामिल करें और पहचान की प्रक्रिया में ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे नियमित अंतरालों पर राशन कार्डों की जांच करे ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित न होने पाएं।

[हिन्दी]

अपर्याप्त भंडारण सुविधा

1260. डा. बलिराम:
डा. संजय पासवान:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय भंडारण नीति शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में खरीदे गए गेहूं और चावल, पर्याप्त भंडारण सुविधा के अभाव में खुले में पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अगले मौसम में खरीदे जाने वाले गेहूं और चावल के भंडारण के लिए व्यवस्था कर ली गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां। सरकार ने 4 जुलाई, 2000 को खाद्यान्नों के हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई के लिए एक राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की है ताकि भण्डारण और ढुलाई में होने वाली हानियों को कम किया जा सके और भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों का बल्क हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई शुरू की जा सके।

(ख) इस नीति में देश में अनाजों के बल्क हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सार्वजनिक और निजी, घरेलू और विदेशी दोनों, क्षेत्रों के प्रयासों और संसाधनों का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति से संबंधित दिनांक 4 जुलाई, 2000 के संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम और इसकी एजेंसियों द्वारा दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में वसूल की गई चावल की कोई भी मात्रा भारतीय खाद्य निगम के खुले भण्डारण में नहीं पड़ी है। तथापि, 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार, ढके हुए भण्डारण स्थान की कमी के कारण दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कैंप (कवर और प्लिंथ) परिसरों में 16.55 लाख टन गेहूं का भण्डारण किया गया है। इन स्टाकों का वैज्ञानिक विधि से भण्डारण किया गया है और इनकी सुरक्षा के लिए उचित ध्यान दिया जा रहा है। कैंप भण्डारण में गेहूं की राज्य-वार स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है:

राज्य	मात्रा लाख टन में
दिल्ली	00.81
पंजाब	12.67
उत्तर प्रदेश	03.07
जोड़	16.55

(ङ) और (च) जी, हां। अगले मौसम में वसूल किए जाने वाले गेहूं और चावल के भण्डारण के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए पंजाब में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, पंजाब में भण्डारित खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) को अन्य राज्यों में भण्डारण के लिए/वितरण के लिए भेजा जा रहा है, ताकि अगले गेहूं और चावल मौसम के दौरान आवश्यक भण्डारण स्थान उपलब्ध किया जा सके। सरकार गेहूं के स्टाकों का खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) और निर्यात के माध्यम से निपटान करने के लिए भी कदम उठा रही है।

भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ
टी.एफ.सी.-14/99-वाल्यूम-3
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 4 जुलाई, 2000

संकल्प

फार्म और वाणिज्यिक स्तर पर खाद्यान्नों की भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने, भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई की प्रणाली को आधुनिक बनाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन लाने के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की हैंडलिंग, संग्रह और ढुलाई के लिए एक राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. नीति के उद्देश्य

इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(1) फार्म स्तर पर खाद्यान्न के कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग रखा जाता है और इसका उपभोग किया जाता है। इसी फार्म स्तर पर भंडारण और मार्गस्थ हानियों में कमी करना और किसानों को वैज्ञानिक भंडारण विधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करना।

(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई की प्रणाली को आधुनिक बनाना।

(3) देश में खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग भण्डारण और ढुलाई शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना और इसके प्रचालन के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी स्तर पर प्रयासों में तेजी लाना और संसाधनों का इस्तेमाल करना।

2. घरेलू भंडारण के लिए नीति

2.1 चूंकि घरों में कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग रखा जाता है और अनुपयुक्त भंडारण के कारण फार्म स्तर पर खाद्यान्नों की काफी मात्रा बर्बाद हो जाती है इसलिए फार्म स्तर पर भंडारण मानको में सुधार करने पर प्रमुख ध्यान देना होगा। वर्तमान में; इस जरूरत को लक्षित करने वाली एकमात्र योजना अन्न सुरक्षा अभियान है जो धात्विक और गैर-धात्विक भंडारण ढांचों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाता है और भंडारण की वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के लिए किसानों को शिक्षित करता है। योजना का उद्देश्य गैर-धात्विक परम्परागत भंडारण ढांचों का विकास करना/ इनमें सुधार करना भी है।

2.2 इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की आवश्यकता है:-

(1) वैज्ञानिक फार्म स्तर पर धात्विक और गैर-धात्विक भंडारण ढांचों को बढ़ावा देना और उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ सामुदायिक स्तर पर आर.सी.सी. बिनों के निर्माण के लिए योजना शुरू करना।

(2) खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण और परिरक्षण तथा किसानों के बीच उनके प्रचार के लिए अन्न सुरक्षा अभियान के मौजूदा अनुसंधान और प्रशिक्षण घटकों को सुदृढ़ बनाना।

3. अनाज की बल्क हैंडलिंग ढांचे का आधुनिकीकरण और उच्च श्रेणीकरण

3.1 भंडारण हानियों को कम करने के लिए भारत में समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के ढांचे का विकास करना और इसका आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। नीति निम्नलिखित पर केन्द्रित होनी चाहिए:

(1) फार्म और मंडी स्तर पर यंत्रीकृत कटाई, सफाई और शुष्कन को बढ़ावा देना।

(2) विशेष रूप से डिजाइन किए गए ट्रकों द्वारा फार्म से साइलों तक अनाज की ढुलाई करना।

(3) वसूली और वितरण केन्द्रों पर साइलों की श्रृंखला का निर्माण करना।

(4) विशेष रूप से डिजाइन किए गए ट्रकों/रेल वैगनों (टॉप फिलिंग और बॉटम डिस्चार्ज सुविधा सहित)/

"डेडीकेटिड" रेल गाड़ियों द्वारा साइलों से रेल शीर्षों तक और उसके बाद पूर्व निर्धारित गतंव्य तक अनाज की ढुलाई।

(5) खाद्यान्न भंडारण की अवसंरचना के रूप में घोषणा करना।

3.2 भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल खाद्यान्नों के भंडारण के लिए गेहूं के लिए विशाल क्षमता के साइलों सहित समन्वित बल्क हैंडलिंग सुविधाएं, जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण के लिए परीक्षण सुविधाएं होंगी, उत्पादक और उपभोक्ता क्षेत्रों तथा कुछेक पत्तन शहरों में पहचान किए गए लगभग 20 केन्द्रीय स्थलों पर सृजित की जाएगी। इन केन्द्रों तक बल्क ढुलाई के ढांचे सहित इन सुविधाओं का सृजन भारतीय खाद्य निगम के समग्र सहयोग के तहत निजी क्षेत्र में किया जाएगा और इसका रख-रखाव भी निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। "टाप फिलिंग" और "बाटम डिस्चार्ज" विशेष डिब्बों की डिजाइन के बारे में निर्णय रेल मंत्रालय से परामर्श करते हुए लिया जाएगा। इन स्थलों और सर्किटों, जहां इन डिब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा, का निर्णय लेते समय रेल मंत्रालय से भी परामर्श किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम पहले दस वर्षों के लिए इन सुविधाओं की 100 प्रतिशत तक उपयोग और अगले 10 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत तक उपयोग की गारंटी देगा। इन बिन्दुओं से खाद्यान्नों की अनुषंगी ढुलाई विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्थलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वामित्व में रखे और रख-रखाव किए जाने वाले लगभग 500 गोदामों को बोरियों के रूप में की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खुदरा वितरण के लिए उपभोक्ता केन्द्रों तक आगे ढुलाई राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी।

3.3 निजी क्षेत्र को भंडारण क्षमताओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें वे सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूल खाद्यान्नों का भंडारण और इनका रख-रखाव करेंगे जिनके लिए वे भंडारण प्रभारों के लिए पात्र होंगे।

3.4 निम्नलिखित के माध्यम से समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के लिए ढांचे के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी मांगी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

(1) "बिल्ड-ऑन-आपरेट-ट्रांसफर", "बिल्ड-ऑन-लीज-ट्रांसफर", "बिल्ड-ऑन-आपरेट", "लीज-डेवलप-आपरेट" "ज्वाइंच वेंचर" आदि जैसे उपाय।

(2) निजी उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से निधियों का सृजन।

(3) 100 प्रतिशत तक सीधे बाह्य निवेश के लिए स्वत: मंजूरी।

(4) वित्तीय संस्थाओं, नाबार्ड, बाहरी वाणिज्यिक उधारियों से ऋण।

(5) राजकोषीय प्रोत्साहन जैसाकि नीचे दिए गए हैं:-

(क) पहले पांच वर्षों के लिए आयकर के प्रयोजन के लिए लाभ 100 प्रतिशत कटौती और अगले पांच वर्षों के लिए लाभ में 30 प्रतिशत कटौती।

(ख) ऐसी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने वाले वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त लाभों में 40 प्रतिशत लाभ की कटौती करना जैसा कि अन्य बातों के साथ-साथ कृषिगत विकास के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण करने के कार्य में लगे वित्तीय निगमों के लिए व्यवस्था की गई है।

(ग) भारत में न बनाई गई वस्तुओं के लिए मामला-दर-मामला आधार सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना बशर्ते ऐसे उपकरणों की सूची अग्रिम रूप से प्रस्तुत की जाए।

4. पत्तनों पर अवसंरचनात्मक ढांचे संबंधी सुविधाओं का विकास

परंपरागत रूप से भारत खाद्यान्नों का आयात करता रहा है। अत: पत्तन संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाएं केवल अनाज के उतरान प्रचार के लिए ही हैं, निर्यात के लिए नहीं। उतरान प्रचालन के लिए सामान्य रूप से जहाज के गियर का उपयोग किया जाता है। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर उपलब्ध अद्यतन आंतरिक सुविधाएं केवल आयात के प्रयोजन के लिए ही सृजित की गई हैं। बड़े पत्तनों पर सामान्य माल उतारने के लिए बर्थ की कमी है और पत्तन पर खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भांडागारण सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध है। निर्यात के प्रयोजनार्थ खाद्यान्नों हेतु यथा समय उचित पत्तन की सुविधाएं सृजित करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करनी होंगी, जिसके लिए निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है:-

(1) खाद्यान्नों के निर्यात हेतु ऐसे पत्तनों की पहचान की जाए जिन्हें विकसित किया जा सके। खाद्यान्नों के वितरण हेतु खाद्यान्नों के यातायात का वितरण ऐसे अपरंपरागत पत्तनों पर किया जाए जहां पर अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है जैसे नया मैंगलोर एवं कोचीन पत्तन पर है।

(2) पत्तनों पर पत्तनों द्वारा स्वयं अथवा निजी भागीदारी से और अधिक सामान्य माल चढ़ाने-उतारने के लिए सुविधाओं का विकास करना।

(3) विकास जल सीमाएं तथा बर्थ उन उपयोगकर्ताओं को लीज पर दी जाएं जो अपने लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें: और

(4) चुनिंदा पत्तनों पर केवल अनाज के हैंडलिंग के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करना।

5. केन्द्रीय सरकार की भूमिका

केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि

(क) एक अनुमोदन बोर्ड की स्थापना करे जो अनाज के बल्क हैंडलिंग, ढुलाई और भंडारण की परियोजनाओं को शीघ्र अनुमोदन करने हेतु सक्षम हो।

(ख) तकनीकी/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय समझौता करें।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए स्टाक नियंत्रण आदेश/संचलन नियंत्रण आदेशों को समाप्त करने के लिए आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक कदम उठाए।

(घ) सफाई, सुखाने हेतु, भंडारण एवं संचलन आदि की दरें निश्चित करने/विनियमित करने मौजूदा स्वतंत्र विनियामक कार्यप्रणाली की सेवाओं का उपयोग करें।

(ङ) अनाज के बल्क ढुलाई के लिए रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(च) विनिमय भांडागारण रसीद प्रणाली को इस प्रकार प्रोन्नत करना जिससे किसान इन रसीदों के बदले बैंक से अपनी आवश्यकतानुसार कार्यकारी पूंजी/अल्पावधि आवश्यकताओं हेतु राशि उधार ले सकें एवं किसान को अपना अनाज तुरंत बाजार में न बेचना पड़े और

(छ) निर्यात अनाज भंडारण प्रौद्योगिकी जैसी वैकल्पिक भंडारण तकनीकियों के विकास के लिए अनुसंधान प्रोन्नत करना जिससे अनाज के भंडारण की समय सीमा बढ़ाई जा सके तथा निर्यात पैकों में अनाज का निर्यात किया जा सके।

9. राज्य सरकार की भूमिका:

राज्य सरकारों को चाहिए कि

(क) जनहित के प्रयोजन जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण कराना और

(ख) पानी, विद्युत मार्ग आदि जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।

हस्ता./-
(बी.के. बल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के मुख्य सचिव, भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष और महाप्रबंधक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ता./-
(बी.के. बल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार प्रेस,
फरीदाबाद

[अनुवाद]

विदेशी बैंक बनाम भारतीय बैंक

1261. प्रो. दुखा भगत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने विदेशी बैंक कार्यरत हैं;

(ख) क्या विदेशी बैंक, भारतीय बैंकों के मुकाबले अधिक लाभ कमा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित लाभ और भुगते गये नुकसान के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि वर्तमान में 42 विदेशी बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से भारत में कार्यरत हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय बैंकों एवं विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित निवल लाभ नीचे दिया गया है:-

करोड़ रुपए में

		1997-98	1998-99	1999-2000
(1)	भारतीय बैंक (भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक)	5812.92	3971.00	6338.37
(2)	विदेशी बैंक	632.11	529.41	967.99

केरल में रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार

1262. श्री के. मुरलीधरन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल से गत तीन वर्षों के दौरान रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु बी.आई.एफ.आर. को भेजे गये प्रस्तावों की संख्या क्या है; और

(ख) बी.आई.एफ.आर. द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के उपबंधों के तहत केरल राज्य से 82 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों बोर्ड में पंजीकृत की गई थी। इन कंपनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इन 82 मामलों में से 59 मामले निपटा दिए गए हैं और 23 मामले बोर्ड में जांच के विभिन्न चरणों में लंबित हैं। निपटाए गये 59 मामलों में से 11 कंपनियों के संबंध में मंजूर की गई पुनर्वास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण

केरल के मामलों की सूची-राज्य वार

क्रमांक	मामला संख्या	कंपनी
1	2	3
	धारा 18(4) के तहत मंजूर पुनरूज्जीवन योजना	
1.	39/1967	प्रीमियर टायर्स लि.
2.	232/1987	ट्रावणकोर रेयान
3.	198/1966	साउथ इंडिया वायर रोप
4.	173/1989	सुदर्शन क्ले
5.	614/1992	स्टील कांप्लेक्स लि.
6.	619/1992	केल्ट्रोन काउडर्स लि.

1	2	3
7.	621/1992	केरला स्टेट डिटरजेंट एण्ड केमिकल्स लि.
8.	630/1992	केरला आटोमोबाइल्स लि.
9.	617/1993	त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स लि.
10.	610/1995	ट्रांसफोरमर एंड इलेक्ट्रीकैल्स केरला लि.
11.	106/1998	हिन्दुस्तानी सिलिंडर कंपनी लि.
	रख-रखाव योग्य न होने के कारण रद्द	
1.	172/1967	पुनलूर पेपर मिल्स लि.
2.	119/1988	माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स (इ) लि.
3.	220/1986	मरमैड यैरन प्रोडक्ट्स
4.	299/1988	ट्रावणकोर आक्सीजन लि.
5.	126/1989	अलंपल्लि ब्रदर्श लि.
6.	79/1991	टी.के. केमिकैल्स लि.
7.	50/1992	पुनलूर पेपर लि.
8.	73/1992	सेंचुरी पेरिफरेल लि.
9.	91/1992	भगवती बीवरेज लि.
10.	626/1992	केरला स्टेट सालीसिलेट्स एंड कैमिकल्स लि.
11.	603/1993	केरला स्टेट ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि.
12.	604/1993	केरला स्टेट वुड इंडस्ट्रीस लि.
13.	612/1993	ट्रावणकोर प्लाइवुड इंडस्ट्रीस लि.
14.	621/1993	केरला सोप्स एंड आयल्स लि.
15.	27/1994	ओप्टिमा पैकिंग्स लि.
16.	143/1994	यूनिवर्सल ग्लूवस प्रा.लि.
17.	8/1995	सेंचूरी पेरिफरेल लि.
18.	13/1996	ट्रावणकोर सल्फेट लि.
19.	602/1996	केल्ट्रोन क्रिस्टल लि.
20.	244/1999	स्टार रिफाइनरीज लि.
21.	332/1999	कोपुतरा एक्सपोर्टस लि.
22.	106/2000	श्रीसाई महाने पल्प एंड पेपर मिल्स लि.

1	2	3
	प्रारूप स्कीम परिचालित	
1.	608/1995	दि ट्रावणकोर शुगर्स एंड केमिकैल्स लि.
	धारा 20 (1) के तहत बंद करने के लिए सिफारिश किये गये	
1.	62/1987	पर्ललाइट वायर प्रोडक्ट्स
2.	103/1987	प्रीमियर मोरारजी कैम
3.	183/1987	केरला ऐसिड्स एंड केमिकैल्स
4.	189/1987	वेलट्रोन पेरफेव एलिमेंट्स लि.
5.	229/1987	वंचिनाड लैदर्स
6.	232/1988	लक्ष्मी स्टार्च लि.
7.	26/1989	त्रिचूर कॉटन मिल्स
8.	74/1990	के.टी.सी. टायर्स (इं.) लि.
9.	32/1991	विनियर्स एंड लेमिनेशन (इं.) लि.
10.	62/1991	प्रीमियर केबल्स कंपनी लि.
11.	89/1991	तोशिबा आनंद बैट्रिस लि.
12.	118/1991	थोमसन ड्रग्स एंड केमिकल्स लि.
13.	52/1992	ओरियंटल प्लास्टिक एंड लेमिनेशन लि.
14.	67/1992	सेवन सीज नाईलोन लि.
15.	18/1993	प्रीमियर पोली कैटर्स लि.
16.	15/1994	चांस्लर पेपर मिल्स लि.
	बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया	
1.	605/1992	केल्ट्रोन रेक्टीफायर्स लि.
2.	21/1996	ओवरसीज लैटेक्स प्रा.लि.
3.	266/1998	मलबार आर्गेनिक्स लि.
	जांच के अधीन	
1.	1/1989	गुजरात इंजैक्ट केरल लि.
2.	210/1999	इनोवेटिव भरीन फूड्स लि.
3.	32/2000	आमिसन फुड्स लि.

1	2	3
4.	76/2000	एम टैक्स इंटरनैशनल लि.
5.	158/2000	कोवेमा फिलामैंट्स लि.
6.	161/2000	मधुमिलन सिडैक्स लि.
7.	251/2000	टीकटैक्स प्रोसेसिंग कांप्लेक्स लि.
8.	289/2000	यूनिरॉयल मरीन एक्सपोर्ट्स लि.
9.	290/2000	श्रीसाई महाराज पल्प एंड पेपर मिल्स लि.
10.	382/2000	कोलंतरा एक्सपोर्ट्स लि.
11.	396/2000	सुपरस्टार डिस्टिलरीज एंड फूड्स लि.
	असफल और पुन: खोले गए	
1.	6/1989	तिरूवेपदि मिल्स
2.	89/1990	पिगमेंट्स इंडिया
3.	604/1992	ऑटोकास्ट लि.
4.	606/1992	केल्ट्रोन पावर डिवाइसेस लि.
5.	105/1994	येलीरा सबस्ट्रेट्स लि.
6.	63/1997	सदर्न रिफाइनिरीज लि.
	ए.ए.आई.एफ.आर. द्वारा वापस किये गये	
1.	604/1999	केरला हाइटेक इंडस्ट्रीज लि.
	न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश	
1.	93/1987	एलूमिनियम इंडस्ट्रीज
	जिन्हें अब रूग्ण घोषित नहीं किया गया है	
1.	94/1988	कताई कोट्टन मिल्स
2.	104/1989	कार्बन एंड कैमिकल्स
3.	24/1989	केरल इलेक्ट्रीक लैम्प वर्क्स लि.
4.	182/1989	तोशिबा आनन्द बैट्रीज लि.
5.	137/1991	पेनिनशुला पोलीमर्श लि.
6.	147/1991	पी.एस.आई. डाटा सिस्टम
7.	608/1992	स्टील एंड इंडस्ट्रीयल फोरजिंग लि.
8.	623/1992	कैल्ट्रोन एल्कट्रो श्रमिक
9.	628/1992	केरला मिनरल्स एंड मैटल्स लि.
10.	171/1994	डाटा कैल्ट्रोन लि.

ऑटो पॉलिसी

1263. **श्रीमती कांति सिंह:**
मोहम्मद अनवारूल हक:
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'ऑटो पॉलिसी' लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके कब तक लाये जाने की संभावना है;

(घ) क्या कार निर्माण उद्योग ने नई ऑटो पॉलिसी तैयार करते समय निर्यात की आवश्यकता को समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके दृष्टिकोण पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (च) जी, हां। नीति तैयार की जा रही है तथा अंतिम रूप देने के बाद इसे घोषित कर दिया जाएगा। नीति तैयार करते समय, विभिन्न मंचों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा।

चीनी का निर्यात

1264. **श्री वाई.एस विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी.एस. बसवराज:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी निर्यात हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन देशों को और किस मूल्य तथा कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दिसम्बर, 2000 के अंत तक देश में चीनी की अनुमानित मात्रा कितनी थी;

(ङ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे मूल्य की वजह से भारतीय चीनी को अन्य देश नहीं खरीद रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या पाकिस्तान में भारतीय चीनी की मांग बढ़ रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सरकार ने लाइसेंसिंग वर्ष 2000-2001 के दौरान 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.), कलकत्ता के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान (नवम्बर, 2000 तक) लगभग 1,40,863 मी. टन चीनी का निर्यात किया गया है। इस संबंध में देशवार ब्यौरा तथा इसका मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

निर्यातकों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार, 17.02.2001 तक वास्तव में लगभग 3.72 लाख टन (अनंतिम) चीनी का निर्यात किया गया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय और संयुक्त राज्य अमेरिका को तरहीजी कोटों का निर्यात करने के अतिरिक्त, सितम्बर, 2000 से 17 फरवरी, 2001 तक चीनी के राज्यवार निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अनंतिम
(मात्रा मी. टन में)

क्रम सं.	देश का नाम	मात्रा
1.	बगंलादेश	51,750
2.	श्रीलंका	37,350
3.	पाकिस्तान	1,70,735
4.	यमन	6,000
5.	अफगानिस्तान	420
6.	गन्तव्य स्थान ज्ञात नहीं	1,05,315
	कुल	3,71,570 (अ)

चूंकि चीनी का निर्यात विभिन्न निजी निर्यातकों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए निर्यात की गई चीनी के मूल्य आदि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

31.12.2000 को स्थिति के अनुसार, देश में लगभग 108.32 लाख टन चीनी का स्टाक था।

(ङ) और (च) देश में चीनी की उत्पादन लागत अधिक होने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य कम होने के कारण चीनी का निर्यात व्यवहार्य साबित नहीं हो रहा है। चीनी के निर्यात को व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) निर्यात की जाने वाली चीनी को लेवी की देयता से छूट दी गई है। प्रारम्भ में यह छूट 01 जून, 2000 से छः माह की अवधि के लिए दी गई थी और यह अवधि 31.3.2001 तक बढ़ा दी गई है।

(2) यह निर्णय किया गया है कि वाणिज्यिक निर्यात के लिए निर्यात की गई चीनी की मात्रा को अग्रिम खुली बिक्री की चीनी को निर्मुक्ति के रूप में माना जाये जिसका समायोजन निर्मुक्ति की तारीख से 12 माह की अवधि के पश्चात किया जाएगा।

(3) यह भी निर्णय किया गया है कि वाणिज्यिक निर्यात के लिए निर्धारित चीनी पर लेवी देयता से छूट का लाभ, यदि चीनी फैक्ट्री 1999-2000 मौसम के उत्पादन से अपनी लेवी देयता को पूरा कर देने के कारण, नहीं उठा सकी है, तो संबंधित चीनी फैक्ट्री आगामी चीनी मौसम के उत्पादन से यह लाभ उठा सकती है।

(4) चीनी के निर्यात के मूल्य जहाज तक निष्प्रभार 5% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

(छ) और (ज) 17.2.2001 तक लगभग 3.72 लाख टन चीनी के वास्तविक निर्यात में से लगभग 1.71 लाख टन चीनी पाकिस्तान को निर्यात की गई है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2000-2001 (नवम्बर, 2000 तक) के दौरान देशवार चीनी का निर्यात तथा इसका मूल्य दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	देश का नाम	मात्रा मी. टन में	मूल्य करोड़ रु. में
1.	आस्ट्रेलिया	151	0.13
2.	बगंलादेश	14898	18.59
3.	भूटान	110	0.16
4.	कनाडा	108	0.25
5.	इटली	126	0.30
6.	मलेशिया	5579	5.57
7.	नेपाल	981	1.55
8.	पाकिस्तान	95746	133.02
9.	पुर्तगाल	340	0.47
10.	सिंगापुर	167	0.18
11.	श्रीलंका	13799	17.66
12.	संयुक्त अरब अमीरात	232	0.39
13.	सं.रा. अमेरिका	241	0.93
14.	यमन गणराज्य	7307	9.27
15.	अन्य गन्तव्य	1078	1.65
	कुल	140,863	190.12

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.), कोलकाता।

आई.टी.सी. के विरुद्ध उत्पाद शुल्क अपवंचन का मामला

1265. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में आई.टी.सी. द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन का मामला कुछ वर्ष पहले लाया गया था;

(ख) यदि हां, तो आई.टी.सी. पर कितनी धनराशि के अपवंचन का आरोप है; और

(ग) उस उत्पाद शुल्क मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार आई.टी.सी. द्वारा भुगतान किये जाने वाले शुल्क को वसूलने और उगाहने के लिए कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां। एक बड़े मामले में, जिसमें 803.79 करोड़ रुपए की सीमा तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन का आरोप था, मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड तथा उनके उजरती कामगारों को वर्ष 1987 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

(ग) मैसर्स आई.टी.सी. तथा उनके उजरती कामगारों के विरुद्ध 799 करोड़ रु. की राशि की पुष्टि की गई थी तथा न्यायनिर्णायक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों पर अर्थदंड लगाया गया था। मैसर्स आई.टी.सी. तथा उजरती कामगारों ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीगेट) में अपील दायर की जिसने मैसर्स आई.टी.सी. द्वारा 350 करोड़ रुपए की राशि पूर्व जमा कराने पर मामले की सुनवाई की। केवल मैसर्स आई.टी.सी. के विरुद्ध मांग की पुष्टि करते हुए आदेश जारी किया गया तथा साथ ही न्यायनिर्णायक को शुल्क राशि पुनः निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। विभाग तथा मैसर्स आई.टी.सी. दोनों ने सीगेट के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है, जो न्यायाधीन है। इसी बीच न्यायनिर्णायक ने शुल्क की राशि को पुनः निर्धारित कर दिया है लेकिन उच्चतम न्यायालय के इस आशय के निर्देशों को देखते हुए वे कोई आदेश पारित नहीं कर सकते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी

1266. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के क्या नाम हैं जिनका अब तक विनिवेश किया जा चुका है और इन उपक्रमों में सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावित विनिवेश का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) उन कंपनियों की सूची जिनमें अब तक विनिवेश किया गया है उनमें विनिवेश की प्रतिशतता/और इक्विटी में सरकारी होल्डिंग की वर्तमान प्रतिशतता को दर्शाने वाली जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/इनकी सहायक कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है जैसे सलाहकारों की नियुक्ति, हितों की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रित करना, बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची बनाना, बिक्री की शर्तों को अंतिम रूप देना।

विवरण

विनिवेश और वर्तमान सरकारी शेयर धारिता की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वार प्रतिशतता

क्रम संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	दिनांक 26.2.2001 की स्थिति के अनुसार	
		विनिवेश की प्रतिशतता	सरकारी धारिता की प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	एण्ड्रयू यूल	9.60	62.84**
2.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	39.19*	60.81
3.	भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड	24.14	75.86
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	32.28	67.72
5.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	33.80	66.20

1	2	3	4
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	25.54	74.46
7.	सी.एम.सी. लिमिटेड	16.69	83.31
8.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	6.12	55.04**
9.	कांटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	36.92	63.08
10.	ड्रेजिग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1.44	98.56
11.	इंजीनियरस इंडिया लिमिटेड	5.98	94.02
12.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड	1.70	97.38**
13.	गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	32.66	67.34
14.	एच.एम.टी. लिमिटेड	8.44	91.56
15.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	1.04	98.96
16.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	1.24	98.76
17.	हिन्दुस्तान औरगेनिक केमिकल लिमिटेड	41.39*	58.61
18.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम लिमिटेड	48.94*	51.06
19.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैनिफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	9.87	90.13
20.	हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड	24.08	75.92
21.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	17.85	82.03
22.	इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड	40.05*	59.95
23.	इरकोन इन्टरनैशनल लिमिटेड	0.27	99.73
24.	इंडियन टेलिफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	22.98	76.67**
25.	इण्डिया टूरिज्म एड डेवलपमैन्ट कारपोरेशन	10.03	89.97
26.	कूद्रमुख आइरन एण्ड ओर कम्पनी लिमिटेड	1.00	99.00
27.	मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड	16.92	53.80**
28.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	43.80*	56.20
29.	मिनिरल एण्ड मैटल ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	0.67	99.33
30.	नेशनल एलिमूनियम लिमिटेड	12.85	87.15
31.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2.35	97.65
32.	नेशनल मिनिरल डेवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1.62	96.36**
33.	नवेली लिगिनाइट डेवलपमैन्ट कारपोरेशन	6.01	93.99

1	2	3	4
34.	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन	16.36	83.64
35.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	7.50	92.50
36.	सिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	19.88	80.12
37.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन	8.97	91.03
38.	स्टील अथोरटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	14.18*	85.82
39.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	47.04	52.96
40.	मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	74.00	26.00

*सार्वजनिक इस्यू/जी.डी.आर. इस्यू द्वारा सरकारी शेयर धारिता के अवमिश्रण सहित
**शेष इक्विटी राज्य सरकारों/अन्य सहयोगियों के पास है।

मध्याह्न भोजन योजना हेतु अतिरिक्त खाद्यान्न

1267. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की, हमारे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे अतिरिक्त खाद्यान्न को स्कूलों के मध्याह्न खाद्यान्न योजना में उपयोग करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की अतिरिक्त खाद्यान्न को सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों और अनाथलयों को देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) सरकार ने भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित मध्याह्न भोजन योजना सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न जारी करने का निर्णय लिया है। अनाथालयों, भिक्षु गृहों, नारी निकेतनों आदि जैसी कल्याणकारी संस्थाओं में रहने वाले अकिंचन लोगों की श्रेणियों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से खाद्यान्नों का आवंटन भी किया जाता है।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

1268. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान, उड़ीसा स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की स्थिति उपक्रम-वार क्या रही; और

(ख) इनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) दिनांक 27.2.2001 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1999-2000 के अनुसार 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 5 थी। विगत 3 वर्षों के दौरान कुल कारोबार तथा लाभकारिता के रूप में सरकारी क्षेत्र का उपक्रमवार निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कार्य निष्पादन सुधार एक सतत प्रक्रिया है। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समय-समय पर उद्यम सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। तथापि, किए गए कुछ सामान्य उपायों में मामले के अनुसार प्रबन्धकीय तथा वित्तीय पुनर्गठन, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, प्रौद्योगिकी की समुन्नयन, संयंत्रों और मशीनरी का आधुनिकीकरण, लागत नियंत्रण उपाय, कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण तथा बेहतर विपणन रणनीतियां शामिल हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान कुल कारोबार लाभकारिता के संदर्भ में उड़ीसा में स्थित सरकारी उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

(लाख रुपए)

क्र.सं.	सरकारी उपक्रम का नाम	कुल कारोबार			निवल लाभ/हानि		
		1999-200	1998-99	1997-98	1999-2000	1998-99	1997-98
1.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	159627	155818	155287	37655	40631	43411
2.	नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.	214232	150665	185354	51153	24825	54697
3.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.	281	142	381	-97	-94	-71
4.	पारादीप फास्फेट्स लि.	88777	100319	116802	-10575	-5795	-10553
5.	उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन निगम लि.	27	45	53	-103	-69	-48
	जोड़	462944	406989	457877	78033	59498	87436

चीन निर्मित सामान की तस्करी

1269. श्री रामजीवन सिंह:
श्री अमर राय प्रधान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नेपाल के रास्ते देश में दोयम और घटिया दर्जे के चीन निर्मित सामान की लगातार तस्करी किए जाने के विषय में अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आकलन किया गया है कि वर्ष भर में देश में इस प्रकार का चीनी सामान कितनी मात्रा में लाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रकार की तस्करी के कारण राजकोष को कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधी एम. रामचन्द्रन): (क) से (घ) चूंकि तस्करी एक चोरी छिपे किया जाने वाला धन्धा है, अत: तस्करी करके लाई गई वस्तुओं की मात्रा के बारे में कोई आकलन करना संभव नहीं है। तथापि, उपलब्ध आसूचना तथा रिपोर्टों से अवश्य ही यह पता चलता है कि भारत-नेपाल सीमा से चीनी मूल की वस्तुओं की भारत में तस्करी की जा रही है।

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय चीनी मूल की वस्तुओं की तस्करी सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए सजग तथा चौकस रहते हैं। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे चीनी तथा अन्य विदेशी वस्तुओं के कम मूल्य के बीजक बनाने के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें।

राज्य उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त खंडपीठों का गठन

1270. श्री चन्द्रकान्त खैरे: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1999 में यह अनुरोध किया था कि उसे नागपुर और औरंगाबाद में राज्य उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त खंडपीठों का गठन करने की अनुमति दी जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने दिसंबर, 1999 में पुन: अपना यह अनुरोध दोहराया था;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस अनुरोध के संबंध में कोई निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ग) जी, हां।

(ख) और (घ) से (च) राज्य आयोगों की खण्डपीठों का गठन करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने की आवश्यकता है, जो सरकार के विचाराधीन है।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानांतरित करना

1271. श्री संतोष मोहन देव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का "यूनाइटेड कमर्शियल बैंक" के क्षेत्रीय कार्यालय को सिल्चर से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, बैंकों के क्षेत्रीय/प्रशासनिक/अंचल, नियंत्रक कार्यालयों को खोलने, बंद करने या स्थानांतरित करने का प्रश्न बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यूको बैंक ने सूचित किया है कि वह पूर्वोत्तर राज्यों में अपने प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और उसका सिल्चर क्षेत्रीय कार्यालय इस प्रस्ताव के दायरे के अन्तर्गत आएगा। यूको बैंक ने आगे सूचित किया है कि उसने सिचर से अपने क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानांतरित करने के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) बैंक ने आगे सूचित किया है कि उसे बैंक के सिल्चर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को बंद करने के संबंध में श्री वर्णेन्दु भट्टाचार्यजी, संसद सदस्य (राज्य सभा) से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसका उत्तर बैंक द्वारा दे दिया गया है।

आई.टी.डी.सी. होटलों का विनिवेश

1272. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के दिल्ली स्थित आठ होटलों, जिसमें 'अशोक होटल' भी शामिल है, को निजी क्षेत्र को बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में स्थित आई.टी.डी.सी. के अठारह अन्य होटलों को भी निजी क्षेत्र को बेचा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार, नई दिल्ली स्थित 'अशोक होटल' के पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबंध के लिए पहले ही इस आशय के उद्गार व्यक्त कर चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (घ) विनिवेश आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के सभी 26 होटलों का निम्न तरीके से विनिवेश करने का निर्णय लिया:-

1. चार होटलों नामत: अशोक होटल, नई दिल्ली, होटल सम्राट, नई दिल्ली, बैंगलौर अशोक, बैंगलौर, और होटल ललिथा महल पैलेस, मैसूर का लीज-कम-प्रबन्धन आधार पर; और

2. अन्य 22 होटलों का बिक्री के आधार पर।

17 होटलों नामत: अशोक होटल, नई दिल्ली, होटल सम्राट, नई दिल्ली, होटल कनिष्का, नई दिल्ली, होटल इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली, कुतुब होटल, नई दिल्ली, होटल जनपथ, नई दिल्ली, होटल रनजीत, नई दिल्ली, लोधी होटल, नई दिल्ली, लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर और होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी, बैंगलौर, होटल आगरा, अशोक, होटल मदुराई अशोक, मदुराई, होटल मनाली अशोक, मनाली, होटल बौद्धगया अशोक, बौद्धगया, होटल हसन अशोक, हसन, टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट, मामल्लापुरम, के लिए हित की अभिव्यक्तियां पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं।

गैर-प्रमुख क्षेत्र की कम्पनियों का विनिवेश

1273. **श्री दह्याभाई छल्लभभाई पटेल:** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्हें 'गैर-प्रमुख क्षेत्र' की कम्पनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा विनिवेश आयोग ने जिनका विनिवेश कर देने की अनुशंसा की है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ क्या मापदण्ड रखे गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) विनिवेश आयोग ने फरवरी, 1997 में अपनी पहली रिपोर्ट में और विभिन्न रिपोर्टों में अलग-अलग कम्पनियों के मामले में सिफारिशें करते समय सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों को 'महत्वपूर्ण' और 'गैर महत्वपूर्ण' के रूप में सूचीबद्ध किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के 37 उपक्रमों की ऐसी सूची जिन्हें विनिवेश आयोग ने स्पष्ट रूप से गैर-महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकृत किया है संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकृत करने में विनिवेश आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार हैं:-

> ''वे क्षेत्र, जिनमें पूंजी अथवा प्रौद्योगिकी की अतिशयता होती है, उनमें अत्यन्त विद्यमान बाजार संरचना की सीमित प्रतिस्पर्धा हो सकती है। इन पूंजी अतिशयता के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के प्रवेश के साथ कम प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार संरचना की प्रवृत्ति हो सकती है। दूरसंचार, विद्युत उत्पादन और पारेषण अथवा पेट्रोलियम की खोज और तेल शोधक उद्योग इसके उदाहरण हैं। यह महसूस किया गया है कि कभी-कभी बराबर की ताकत का सामना करने के रूप में और निजी आर्थिक शक्ति के दबदबे को रोकने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी आवश्यक होगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए विशेषकर गैर-प्रतियोगी बाजार में उद्योगों को विनियमित करने के लिए उपयुक्त नियामक तन्त्र को इसमें लगाया जाना चाहिए।''

इसके अतिरिक्त, व्यापक और छिन्न-भिन्न अग्रगामी संम्पर्कों के साथ बुनियादी उद्योगों पर भी नजर डालना उपयुक्त होगा। कुछ क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की बाजार में अच्छी खासी पकड़ है और निजी क्षेत्र अभी उसमें पूर्ण रूप से परिपक्कव नहीं है। अत: इन बुनियादी उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी को तब तक के लिए जारी रखना वांछनीय होगा जब तक बाजार पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हो जाता।

इस विश्लेषण के द्वारा ऐसे उद्योगों को महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकृत किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश को अधिकतम 49 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए। तथापि यह भी उल्लेखनीय है कि 'महत्वपूर्ण' उद्योगों की संरचना में कुछ समय के बाद तब तक के लिए परिवर्तन भी हो सकता है जब तक निजी निवेश बाजार को पूर्णतया और प्रतिस्पर्धात्मक नहीं बना लिया जाता और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विशेष भूमिका नहीं रह जाती। इसके अतिरिक्त, यह उम्मीद की जाती है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एक उपयुक्त नियामक तन्त्र की व्यवस्था हो जाएगी। 49 प्रतिशत से अधिक के विनिवेश के प्रश्न पर उस समय विचार किया जा सकता है।

गैर-प्रमुख-समूह

पिछले चार दशकों से अधिक समय से कई उद्योगों में निजी क्षेत्र के निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई है। परिपक्व निजी क्षेत्र के प्रतियोगी सहित बड़ी संख्या में प्रतियोगियों की मौजूदगी और इन उद्योगों में प्रतियोगी बलों ने बाजार को पूरा प्रतिस्पर्द्धात्मक बना दिया है। इनसे यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ताओं के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसे उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के आरंभिक उद्देश्यों की पूर्ति कर ली गई है। इन उद्योगों में और निवेश मांग और पूर्ति के असंतुलन द्वारा और बिगड़ जाएगा और सार्वजनिक निवेश की इसमें और आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसे उद्योगों को ''गैर महत्वपूर्ण'' के रूप में श्रेणीबद्ध करना उपयोगी रहेगा। इन उद्योगों में मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र का कोई अनन्य अथवा विशेष उत्तरदायित्व नहीं रह जाएगा। अत: ऐसे मामलों में 74 प्रतिशत तक अथवा उससे अधिक का विनिवेश वांछनीय रहेगा।

विवरण

1. मॉडन फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
2. भारत पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.)
3. एच.टी.एल. लि.
4. आई.टी.आई. लि.
5. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
6. मैगनीज ओर इण्डिया लि.

7. हिन्दुस्तान कॉपर लि. (एच.सी.एल.)

8. सिपिंग कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड

9. इंजीनियरस प्रोजैक्ट (इण्डिया) लिमिटेड

10. हिन्दुस्तान प्रिफैब लि.

11. नेपा लि.

12. रांची अशोक बिहार होटल कोर्पोरेशन

13. उत्कल अशोक होटल कार्पोरेशन लि.

14. इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलौजी डवलपमेन्ट कार्पोरेशन

15. हिन्दुस्तान वैजिटेबल ऑयल कार्पोरेशन लि.

16. हिन्दुस्तान जिंक लि.

17. पायरैइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.

18. फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लि.

19. इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि.

20. नैशनल फर्टिलाइजर लि.

21. हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कनस्ट्रक्सन लि.

22. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन

23. मिनिरलस एण्ड मैटल ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि.

24. पारादीप फासफेट्स लि.

25. प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्यूपमैंट कार्पोरेशन लि.

26. मैकोन लि.

27. एम.एस.टी.सी. लि.

28. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि.

29. स्पोन्ज आयरन इंडिया लि.

30. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.

31. हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि.

32. हिन्दुस्तान ओरगैनिक कैमिकल्स लि.

33. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजरस लि.

34. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.

35. होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.

36. हिन्दुस्तान लेटैक्स लि.

37. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि.*

*प्रारंभ में महत्वपूर्ण लेकिन बाद में गैर-महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकृत की गई।

अरुणाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र

1274. श्री राजकुमार वंग्वा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वहां के कुछ उपयुक्त स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में, केन्द्र सरकार की मंजूरी हेतु भेजे गए प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं तथा संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है; और यदि हां, तो संबंधित क्षेत्रों के बारे में अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्र की मंजूरी दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने विषयक केन्द्र सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है, जिसमें पूर्व में दिए गए उन कतिपय करगत उत्पाद शुल्कगत लाभों को समाप्त कर देना भी शामिल है, जिन्हें इस आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में औद्योगिक उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उपाय के रूप में इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार से इन प्रोत्साहक उपायों को समाप्त कर देने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधारी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार ने उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने के प्रयोजन से अधिसूचित किए जाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों/एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्रों की सूची प्रेषित की है। तथापि, इन क्षेत्रों की वैधानिक सीमाएं नहीं दी गई है। ये आवश्यक अधिसूचना जारी करने के लिए अपेक्षित है।

(ग) और (घ) पहले से प्रदान किए गए कर लाभों में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल सिगरेट को छोड़कर जो कि दोषपूर्ण माल है, उसे उत्तर-पूर्व की यूनिटों पर लागू उत्पाद शुल्क छूटों की योजना में शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

पशुचारे का निर्यात

1275. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पशुचारे का निर्यात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में पशुचारे के निर्यात की स्वीकृति दी गई है और इससे कितनी विदेशी-मुद्रा अर्जित किए जाने का अनुमान है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में सरकार ने चारे के निर्यात की अनुमति दी है, जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए गेहूं/चावल की भूसी के लिए 15,000 मी. टन तथा दाल के छिलके के लिए 10,000 मी. टन की एक समग्र उच्चतम सीमा के भीतर निर्धारित की गई है। उपरोक्त निर्यात से लगभग 3.5 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है।

[अनुवाद]

कमीशन-राशि में बढोत्तरी

1276. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में स्थित उचित मूल्य की दुकानों के संचालक उन्हें मिलने वाली कमीशन-राशि में बढ़ोत्तरी कर दिए जाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उनकी मांगों पर उचितार्थ में विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन पर कब तक विचार किया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) उचित दर दुकानदारों के लिए कमीशन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय-समय पर गेहूं और खाद्य तेल के मामले में उनके द्वारा संशोधित भी किया जाता है। जून, 1997 में शुरू की गयी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों के खुदरा निर्गम मूल्य, उचित दर दुकान के स्तर पर इस तरह निर्धारित करने का निदेश दिया गया है कि वे ढुलाई पर व्यय और गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के लिए नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर उचित दर दुकानदारों को मिलने वाले मार्जिन को मिलाकर 50 पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक न हो।

मिट्टी के तेल के संबंध में सरकार ने 27 अक्तूबर, 2000 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मिट्टी के तेल के थोक वितरकों के लिए वितरक कमीशन की दर को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय किया है:-

थोक विक्रेता (फार्म XIII के साथ) रुपये प्रति किलो लीटर –	170/- रुपये
थोक विक्रेता (फार्म XIII वितरकों के अलावा) रुपये प्रति किलो लीटर –	127/- रुपये

थोक वितरकों के कमीशन की ये संशोधित दरें जिला/स्थानीय अधिकारियों द्वारा शहरी/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के खुदरा (उपभोक्ता) मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश का काम करेंगी। यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने स्वयं कमीशन की दरों में संशोधन कर दिया है तो उन्हें सलाह दी गई है कि वे निर्धारित की गई ऐसी दरों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित करने पर विचार करें।

चीनी के संबंध में, सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिनों में संशोधन किया जाता है।

गेहूं का निर्यात

1277. श्री अनन्त गुडे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान, दिनांक 2 जनवरी, 2001 के "दि बिजनिस स्टैण्डर्ड" समाचार पत्र में "फ्लोर मिल्स डिमाण्ड एक्सपोर्ट ऑफ मैदा, नॉन व्हीट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आटा-मिलों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें उल्लिखित बिन्दुओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस विषय में तथ्य क्या है; और

(घ) इस संबंध में जो कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है, उसका ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) गेहूं के उत्पादों का निर्यात करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र रोलर फ्लोर मिल संघ ने संकेत दिया है कि इसके सदस्य प्रति महा लगभग 2 लाख टन मैदा निर्यात करने के लिए तैयार हैं। संघ ने निम्नलिखित विकल्प भी सुझाए हैं:-

(क) इसके सदस्य विदेशी खरीदारों से बात करेंगे और साख-पत्र के साथ पक्के आदेश प्राप्त करेंगे। इसके बाद वे पिसाई के लिए 90.00 अमरीकी डालर जहाज-पर्यन्त नि:शुल्क के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर गेहूं के आवंटन के लिए भारतीय खाद्य निगम से संपर्क करेंगे। 50% परिणामी मैदे का निर्यात कर दिया जाएगा। लदान की निकासी पर निर्यात के प्रभाव के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

(ख) मिल मालिक अपने पास पहले से उपलब्ध गेहूं के स्टाक से निर्यात के लिए 50% मैदा तैयार करेंगे। भारतीय खाद्य निगम को मिल मालिकों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 90.00 अमरीकी डालर जहाज-पर्यन्त नि:शुल्क की निर्यात दर पर उपयोग किए गए गेहूं की 100% प्रतिपूर्ति करने का आश्वासन देना चाहिए।

(ग) यदि मिल मालिकों को 90.00 अमरीकी डालर जहाज-पर्यन्त नि:शुल्क के निर्यात दर पर गेहूं उपलब्ध कराया जाता है, जबकि वर्तमान बाजार दर 7240/- रुपये प्रति टन है, तो मिल मालिकों का लागत में अंतर के लिए बैंक गारंटी देने का प्रस्ताव है जो मिल मालिकों को निर्यात कारोबार के अंत में वापस कर दिया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करना

1278. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अन्तर-मंत्रालयी समूह को यह कार्य सौंपा गया है कि वह सरकारी क्षेत्र के अलाभप्रद उपक्रमों को चरणबद्ध ढंग से बन्द किए जाने के बारे में विचार करे, जिससे कि राजकोष को होने वाले घाटे को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समूह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई समूह गठित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अस्थायी पदों को समाप्त करना

1279. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कार्यालयों के स्थायी पदों की संख्या में दस प्रतिशत की कटौती करने के साथ-ही-साथ, सभी अस्थायी पदों को समाप्त कर देने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन सभी अस्थायी पदों को समाप्त कर देने तथा उक्त दस प्रतिशत कटौती कब तक किए जाने का अनुमान है;

(ग) क्या उक्त योजना सरकारी नियंत्रण वाली सहकारी उपभोक्ता समितियों तथा परिसंघों में भी लागू होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी कार्यालयों तथा सहकारी उपभोक्ता समितियों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क)से (घ)सरकार ने दिनांक 1.1.92 को यथा-विद्यमान स्वीकृत संख्या में 10 प्रतिशत कटौती के आदेश दिए हैं। अस्थायी पदों की भी समीक्षा की जानी है। ये अनुदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: या आंशिक रूप से वित्तपोषित स्वायत्तशासी निकायों सहित सभी केन्द्रीय सरकार कार्यालयों पर लागू हैं। इस प्रक्रिया का पालन अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाना है। वित्त मंत्रालय में ये आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

500 रु. के जाली नोट

1280. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दरलाल तिवारी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 500 रु. के मूल्य वर्ग के जाली नोटों का चलन बहुत अधिक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस चलन को रोकने के लिए 500 रु. के नए नोट जारी किए हैं और बैंकों को केवल नए नोट ही जारी करने के निदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो जो बैंक इन निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि सरकार के निदेश प्राप्त होने के बाद भी, बैंक उपभोक्ताओं को पुराने नोट दे रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) 500 रुपए मूल्यवर्ग के नकली नोटों के चलन के मामले सरकार के नोटिस में आए हैं। लेकिन, इस मूल्यवर्ग के अब तक पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या इस मूल्यवर्ग के चलन में नोटों की कुल संख्या की तुलना में काफी कम है। 500 रुपए मूल्यवर्ग में नए डिजाइन के नोट जारी किए गए हैं और बैंकों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि इन्हें अशोक स्तम्भ के वाटर-मार्क वाले 1987 की श्रृंखला के पुराने डिजाइन वाले नोटों से बदला जाए क्योंकि ज्यादातर नकली नोट इसी श्रृंखला में पाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 500 रुपए मूल्यवर्ग के 1987 की श्रृंखला के नोट लोगों को पुन: जारी न करने की सलाह दी है। तथापि, महात्मा गांधी के वाटरमार्क वाले 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोट बैंकों द्वारा पुन: जारी किए जाते रहेंगे।

(ग) और (घ) सरकार के नोटिस में कोई विशेष मामले नहीं आए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसार भारती बोर्ड का पुनर्गठन

1281. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "प्रसार भारती बोर्ड" का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रसार भारती के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने प्रसार भारती के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने 20 मई, 2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसकी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों, प्रसार भारती की जवाबदेही तथा ढांचे, वित्त-पोषण एवं निधि प्रणाली, चैनलों को स्थापित करने, कार्यक्रमों की विषय-वस्तु और निर्माण, प्रसारण एवं इंजीनियरिंग सेवाओं की पुनर्संरचना, विपणन में सुधार, मानव संसाधन विकास तथा नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित हैं तथा इसमें प्रसार भारती की स्टपिंग पद्धति भी शामिल है। रिपोर्ट की एक प्रति मंत्रालय की वेबसाइट एम.आई.बी.एन.आई.सी.इन पर उपलब्ध है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा-शुल्क संबंधी मामले

1282. श्री महेश्वर सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आयात नीति को उदारीकृत कर देने के परिणामत:, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क संबंधी मामलों की संख्या में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या घट गए कार्यभार के मद्देनजर, सरकार स्थापना संबंधी व्ययों में आने वाली भारी लागत को कम करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, ऊपर सूचित की गई स्थिति के बावजूद, प्रशासन की क्षमता तथा प्रभावकारिता में सुधार लाने एवं संस्थापना व्यय में कमी लाने की दृष्टि से सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में समूह ''क'', ''ख'', ''ग'' और ''घ'' के संवर्गों के लिए समेकित संवर्ग पुनर्गठन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है तथा यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कर्मचारी संख्या में करीब 5% की कमी हो सकती है तथा इससे आवर्ती बचत भी होगी।

चावल का निर्यात

1283. श्री रामजी लाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चावल-भंडार के घरेलू मांग से अधिक हो जाने के मद्देनजर, सरकार ने चावल का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों के कम होने के कारण, निर्यात के वास्ते माल उठाया नहीं जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) दिसम्बर, 2000 और जनवरी, 2001 के दौरान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चावल की कीमतें क्या थीं; और

(च) भारत ने किस कीमत पर चावल बेचना तय किया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख)चूंकि 1.10.2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 65 लाख टन के बफर मानदंड की तुलना में चावल का 132.14 लाख टन स्टाक था और जिसका अर्थ 67.14 लाख टन अधिशेष स्टाक होना है, अत: भारतीय खाद्य निगम को खुले व्यापार के जरिये, निर्यात के लिए 31 मार्च, 2001 तक 20 लाख टन चावल देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) संलग्न विवरण के अनुसार।

(च) चावल का निर्यात शुरू नहीं हुआ है।

विवरण

चावल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य (अमरीकी डालर प्रति टन)

	5% टूटा				10% टूटा				15% टूटा				20%	25% टूटा				35% टूटा			
देश	भारत	पाकिस्तान	थाईलैण्ड	वियतनाम	भारत	पाकिस्तान	थाईलैण्ड	वियतनाम	भारत	पाकिस्तान	थाईलैण्ड	वियतनाम	पाकिस्तान	भारत	पाकिस्तान	थाईलैण्ड	वियतनाम	भारत	पाकिस्तान	थाईलैण्ड	वियतनाम
दिसम्बर 2000	237	-	181	171	-	170	174	166	-	154	170	160	149	220	145	155	150	-	-	150	146
जनवरी, 2001	237	-	178	170	-	170	174	165	-	154	169	159	149	220	145	155	149	-	-	151	145

मिश्र

महीना	ग्रेड-1 3% टूटा	ग्रेड-2 6% टूटा	ग्रेड-3 12% टूटा	ग्रेड-3 15% टूटा	ग्रेड-3 20% टूटा
दिसम्बर, 2000	237-262	221-247	212-235	204	198-220
जनवरी, 2001	237-262	221-247	212-235	204	198-220

संयुक्त राज्य अमेरिका

महीना	लम्बे दाने 2/4	लम्बे दाने 5/20	लम्बे दाने 2/4/75
दिसम्बर, 2000	13.00	10.75	11.75
जनवरी, 2001	13.00	10.75	11.75

मूल्य अमरीकी डालर
मात्रा प्रति 100 पौंड
स्रोत: लंदन राइस ब्रोकर्स एसोसिएट्स, लंदन

पंजीकृत हिन्दी समाचार-पत्र-पत्रिकाएं

1284. श्री पदमसेन चौधरी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाचार-पत्र पंजीयक के कार्यालय में कितने हिंदी समाचार-पत्र/पत्रिकाएं पंजीकृत हैं;

(ख) इनमें से कितने समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन प्राप्त होते हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दी समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी राशि का विज्ञापन प्रदान किया गया; और

(घ) हिन्दी समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के स्तर को सुधारने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं अथवा किये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई.) द्वारा बनाए गए रिकार्ड के अनुसार 31.12.2000 को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के पास 20210 हिन्दी समाचारपत्र/पत्रिकाएं पंजीकृत थी।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) में 3746 हिन्दी समाचारपत्र/पत्रिकाएं सूचीबद्ध की गई थी।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार की प्रचार अपेक्षाओं और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय हिन्दी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करता है।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा हिन्दी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को जारी विज्ञापन सम्बन्धी मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	दी गई राशि (रुपयों में)		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,30,816	7,13,991	7,26,068
2.	असम	1,35,872	2,28,242	2,77,557
3.	बिहार	1,18,92,188	1,51,99,401	1,74,05,869
4.	चंडीगढ़	14,23,551	17,27,643	17,59,268

1	2	3	4	5
5.	दिल्ली	3,62,24,230	4,52,23,133	5,47,10,522
6.	गुजरात	18,47,484	21,07,558	23,35,489
7.	हरियाणा	29,55,048	28,82,918	33,58,745
8.	हिमाचल प्रदेश	11,67,041	18,75,400	24,22,816
9.	जम्मू और कश्मीर	6,82,363	9,94,627	11,69,363
10.	कर्नाटक	79,250	1,49,283	2,11,658
11.	मध्य प्रदेश	2,36,96,349	3,04,04,522	3,37,71,221
12.	महाराष्ट्र	39,75,267	58,47,796	66,44,364
13.	उड़ीसा	2,20,742	3,90,935	4,13,581
14.	पंजाब	1,39,58,066	1,73,49,295	2,20,84,483
15.	राजस्थान	2,03,21,367	2,90,64,431	3,64,41,061
16.	तमिलनाडु	4,797	–	84,366
17.	उत्तर प्रदेश	3,73,00,869	4,63,53,230	5,03,16,886
18.	पश्चिम बंगाल	33,41,215	41,66,212	50,06,229
	योग	15,98,56,515	20,46,78,617	23,91,39,546

[अनुवाद]

घरेलू इलायची उत्पादकों को संरक्षण

1285. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों ने भारतीय बाजार में अपने यहां उत्पादित इलायची भर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू इलायची उत्पादकों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के छोटे इलायची उत्पादकों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इलायची के घरेलू उत्पादक किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं कर रहे हैं जैसाकि पिछले वर्ष की तुलना में छोटी इलायची के उत्पादन तथा निर्यात में हुई वृद्धि से स्पष्ट है। इलायची के घरेलू उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी कीमतें भी मिल रही हैं। जनवरी, 2001 में इलायची की औसत नीलामी कीमत जनवरी, 2000 में रही 444.47 रुपए/कि.ग्रा. की तुलना में 617.35 रुपए/कि.ग्रा. रही है।

(घ) लघु एवं सीमांत इलायची उत्पादकों की मदद हेतु उठाए गए कुछेक कदमों में जिन योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है वे हैं गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, पुराने जर्जर एवं अलाभकारी बागानों का पुनर्रोपण, सिंचाई भूमि विकास इत्यादि।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए यूटीआई की नई योजना

1286. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए हाल ही में एक विशेष योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) उक्त योजना महिलाओं के लिए किस सीमा तक लाभप्रद होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट 8 मार्च, 2001 से केवल महिलाओं के लिए "यू.टी.आई. महिला यूनिट योजना" नामक योजना चलाने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

(ख) एक बार योजना के शुरू हो जाने पर योजना के ब्यौरे भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा उनके एजेंटों/प्रतिनिधियों के पास उपलब्ध हो जाएंगे।

(ग) और (घ) योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपनी बचतें किसी निवेश साधन में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। निवेशक इस योजना में अपने निवेशों का उपयोग विभिन्न सामाजिक दायित्वों/आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं।

विकास केन्द्र

1287. **श्री रतन लाल कटारिया:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंबाला जिले में विकास केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इसे कहां पर खोले जाने का प्रस्ताव था;

(ग) क्या उक्त परियोजना को आरंभ करने हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(घ) केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, हां विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत हरियाणा के अम्बाला जिले में साहा में एक विकास केन्द्र को स्वीकृति दी गई है।

(ग) से (ङ) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने इस विकास केन्द्र के लिए 301 एकड़ 5 कनाल भूमि का अधिग्रहण किया है। केन्द्र सरकार ने 200 लाख रुपये की राशि जारी की है और राज्य सरकार ने इस परियोजना के क्रियान्वयन पर 1091.60 लाख रुपये की कुल राशि व्यय की है। यह परियोजना क्रियान्वयन के चरण में है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में विनिवेश

1288. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में अपने संपूर्ण शेयरों का विनिवेश करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने फरवरी, 2001 में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की 74 प्रतिशत इक्विटी के लिए इच्छुक निवेशकों से हित की अभिव्यक्ति आमन्त्रित की है।

गैर-सरकारी संगठनों को आयकर में छूट

1289. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई गैर-सरकारी संगठनों ने गुजरात के प्रभावित क्षेत्रों में सूखा/चक्रवात/समाज सेवा के लिए धारा 80-जी. के अन्तर्गत आयकर में छूट के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सर्कल में इस प्रकार की छूट के लिए आवेदन करने वाले गैर-सरकारी

संगठनों का ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक सरकार के पास कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) इन आवेदनों के निपटान में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) धारा 80 छ के अंतर्गत सम्बद्ध आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदन की अनुमति दी जाती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कोई केन्द्रीयकृत सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) वित्त वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (दिनांक 27.2.2001 तक) के दौरान धारा 80 छ के अंतर्गत 8222 गैर सरकारी संगठनों ने छूट के लिए आवेदन किया था। दिनांक 27.2.2001 की स्थिति के अनुसार इसमें से 802 आवेदन लंबित हैं।

(ग) ये आवेदन या तो प्रक्रियात्मक रूप से अपूर्ण पाये गये थे या त्रुटिपूर्ण थे। त्रुटियों के दूर हो जाने के बाद इन आवेदनों का निपटान कर दिया जायेगा।

(घ) इनमें से अधिकतर आवेदनों का निपटारा दिनांक 31.3.2001 तक कर दिया जाएगा बशर्ते कि आवेदकों द्वारा त्रुटियां दूर कर दी जाएं। किसी भी मामले में उसका निपटारा आयकर नियमावली के नियम 11 क क (6) में किए गए प्रावधान के अनुसार आवेदन की तारीख से छः माह की अवधि की सीमा के भीतर कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

असंतोषजनक उपभोक्ता सेवा

1290. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में असंतोषजनक उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो दोषी पाये गये बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा गैर-सरकारी और विदेशी बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक-सेवा से संबंधित शिकायतें समय-समय पर मिलती रहती हैं।

(ख) बैंकों को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु शिकायतों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। उपयुक्त मामलों में बैंकों को यह भी सलाह दी जाती है कि कर्मचारियों के उत्तरदायित्व की जांच करें और चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें।

(ग) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में व्यापक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं। ग्राहकों की शिकायतों के समुचित निवारण की निगरानी करने के लिए प्रत्येक बैंक में नोडल अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वर्ष 1995 से संचालन में है और भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र एवं सस्ता समाधान करने के लिए 15 बैंकिंग ओम्बड्समैन नियुक्त किए हैं। 36 ग्राहक सेवा केन्द्र भी स्थापित किए गये हैं। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा उचित बैंकिंग के संकेत के रूप में एक सिटीजन चार्टर बनाया गया है। सरकार प्रत्येक माह सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जन-शिकायतों के निवारण की निगरानी करती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों द्वारा ग्राहक सेवाओं के स्तरों की भी पुनरीक्षा की जाती है।

समाचार बुलेटिनों में विश्लेषक

1291. श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन पर प्रतिदिन कितने समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं;

(ख) इनके लिए कितना प्रसारण समय निश्चित किया गया है;

(ग) क्या प्रत्येक बुलेटिन में किसी विशेषज्ञ अथवा विश्लेषक को आमन्त्रित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इन बुलेटिनों में इनके लिए कितना प्रसारण समय निश्चित किया गया है;

(ङ) दूरदर्शन द्वारा उपरोक्त विशेषज्ञों को कितनी मानदेय राशि का भुगतान किया जाता है; और

(च) ऐसे विशेषज्ञों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि समाचार मुख्यालय, दिल्ली से प्रतिदिन 25 समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जा रहे हैं। रविवार को निम्नलिखित दो अतिरिक्त समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं:-

(1) संस्कृत में समाचार

(2) मूक बधिरों के लिए समाचार

संसद सत्र के दौरान, नियमित समाचार बुलेटिनों के साथ-साथ हिन्दी और अंग्रेजी में संसद समाचार भी प्रसारित किए जाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रतिदिन 48 समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं।

(ख)समाचार बुलेटिनों के लिए आबंटित समय स्लाटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। दिल्ली से निम्नलिखित समयों पर प्रसारित चार समाचार बुलेटिनों में विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है:-

(1) अपराह्न 4.00 बजे

(2) अपराह्न 4.30 बजे

(3) रात्रि 8.00 बजे

(4) रात्रि 8.30 बजे

(घ) संबंधित दिवस की समाचार सामग्री को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त बुलेटिनों में विशेषज्ञों के लिए 5-10 मिनट का समय निर्धारित/आबंटित किया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय/समाचार चैनल बुलेटिनों में भाग लेने वाले विशेषज्ञ को 2000/-रु. प्रति दिन का शुल्क प्रदान किया जाता है।

(च) विशेषज्ञों का चयन, संबंधित विशेषज्ञ की सुविज्ञता और दिन विशेष की समाचार सामग्री संबंधी अपेक्षा के आधार पर किया जाता है।

विवरण

दूरदर्शन के दिल्ली मुख्यालय तथा क्षेत्रीय समाचार एककों से प्रसारित समाचार बुलेटिनों का ब्यौरा

(क) दिल्ली (मुख्यालय) से प्रसारित समाचार बुलेटिन

क्र.सं.	भाषा	समय	अवधि
1	2	3	4
1.	हिन्दी	0700	15 मि.
2.	अंग्रेजी	0800	15 मि.
3.	हिन्दी (प्रमुख समाचार)	0900	02 मि.
4.	अंग्रेजी (समाचार)	1000	02 मि.
5.	हिन्दी (मुख्य समाचार)	1100	02 मि.
6.	हिन्दी (मुख्य भारत समाचार)	1130	15 मि.
7.	अंग्रेजी (मुख्य समाचार)	1200	02 मि.
8.	हिन्दी (मुख्य समाचार)	1300	02 मि.
9.	हिन्दी	1400	10 मि.
10.	अंग्रेजी	1410	10 मि.
11.	उर्दू	1450	10 मि.
12.	हिन्दी (मुख्य समाचार)	1500	02 मि.
13.	अंग्रेजी (मुख्य समाचार)	1600	02 मि.
14.	हिन्दी (मुख्य समाचार)	1700	02 मि.
15.	अंग्रेजी (मुख्य समाचार)	1800	02 मि.
16.	हिन्दी	1608	25 मि.
17.	अंग्रेजी	1630	25 मि.
18.	अंग्रेजी	1703	15 मि.
19.	हिन्दी (क्षेत्रीय)	1900	15 मि.
20.	अंग्रेजी (प्राइम टाइम)	200**	30 मि.
21.	हिन्दी (प्राइम टाइम)	2030**	30 मि.

1	2	3	4
22.	हिन्दी	2100	30 मि.
23.	अंग्रेजी	2130	30 मि.
24.	हिन्दी (मुख्य समाचार)	2300	02 मि.
25.	अंग्रेजी (मुख्य समाचार)	2400	02 मि.
	रविवार को (समाचार पत्रिका)		
1.	मूक बधिर	1420	15 मि.
2.	संस्कृत	1435	10 मि.
	**संसद समाचार (संसद सत्र के दौरान)		
1.	अंग्रेजी	2020	10 मि.
2.	हिन्दी	2050	10 मि.

(ख) 31.1.2001 के अनुसार, दूरदर्शन के विभिन्न क्षेत्रीय समचार एककों से प्रसारित समाचार बुलेटिन

क्र.सं.	केन्द्र	भाषा	समय	अवधि
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	गुजराती	1. 0830-0850 (सोम. से शनि.) 0900-0920 (रवि).	20 मि.
			2. 1600-1605	5 मि.
			3. 1900-1920	20 मि.
2	बंगलौर	कन्नड़	1. 0745-0755	10 मि.
			2. 1900-1915	15 मि.
3.	भुवनेश्वर	उड़िया	1. 1900-1915	15 मि.
4.	भोपाल	हिन्दी	1. 1900-1915	15 मि.
5.	कलकत्ता	बंगाली	1. 0645-0655	10 मि.
			2. 0850-0900	10 मि.
			3. 1002-1007	5 मि.
			4. 1700-1710	10 मि.
			5. 1900-1915	15 मि.
			6. 2225-2235	10 मि.
		उर्दू	7. 1915-1925	10 मि.
6.	चेन्नई	तमिल	(i) 0700-0715	15 मिनट
			0715-0720	05 मिनट (समाचारपत्रों से)
			(ii) 1200-1205	05 मिनट

1	2	3	4	5
			(iii) 1430-1440	10 मिनट
			(iv) 1900-1903 (शनि. तथा रवि.)	03 मिनट
			(v) 2030-2100	30 मिनट
7.	गुवाहाटी	असमी	(i) 0902-0907	05 मिनट
			(ii) 1915-1930	15 मिनट
		अंग्रेजी	(iii) 1900-1915	15 मिनट
8.	हैदराबाद	तेलुगु	(i) 0750-0800	10 मिनट
			(ii) 1900-1915	15 मिनट
9.	जयपुर	राजस्थानी	(i) 1600-1615	15 मिनट
		हिन्दी	(ii) 1900-1915	15 मिनट
10.	जालंधर	पंजाबी	(i) 0815-0830	15 मिनट
			(ii) 1700-1705	05 मिनट
			(iii) 1900-1915	15 मिनट
11.	जम्मू	डोगरी	(i) 1900-1910	10 मिनट
12.	लखनऊ	उर्दू	(i) 1900-1915	15 मिनट
			(ii) 1915-1920	05 मिनट
13.	मुम्बई	मराठी	(i) 0830-0840 (सोमवार से शनिवार)	10 मिनट
			0900-0910 (रविवार)	10 मिनट
			(ii) 1430-1440	10 मिनट
			(iii) 1900-1915	15 मिनट
			(iv) 2130-2200	30 मिनट
14.	पटना	हिन्दी	(i) 1900-1915	15 मिनट
		उर्दू	(ii) 1915-1925	10 मिनट
15.	श्रीनगर	कश्मीरी	(i) 0900-0905	05 मिनट
			(ii) 1430-1435	05 मिनट
			(iii) 1900-1915	15 मिनट

1	2	3	4	5
		उर्दू	(iv) 1915-1930	15 मिनट
			(v) 1930-1935 (समाचार पत्रिका कार्यक्रम)	05 मिनट
16.	शिमला	हिन्दी	(i) 1900-1915	15 मिनट
17.	त्रिवेन्द्रम	मलयालम	(i) 0815-0825	10 मिनट
			(ii) 1700-1705	05 मिनट
			(iii) 1900-1915	15 मिनट

टिप्पणी

(1) विशेष रूप से विधान सभा सत्रों के दौरान अभी क्षेत्रीय समाचार एककों द्वारा सायं 1900 बजे से बुलेटिन के बाद विधान सभा समाचार प्रसारित किए जाते हैं।

(2) दिनांक 1.3.2000 से रविवार को सांयकालीन क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों के समय को 1900 बजे से बदलकर 1830 बजे कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम

1292. श्री सिमरनजीत सिंह मान:
श्री राजो सिंह:
श्री मोइनुल हसन:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार केन्द्र सरकार के कितने उपक्रम कार्यरत हैं;

(ख) केन्द्र सरकार के प्रत्येक उपक्रम की राज्यवार विशेषकर बिहार और पंजाब में वित्तीय स्थिति क्या है;

(ग) उपक्रमवार और राज्यवार केन्द्र सरकार के कितने उपक्रम या तो बन्द कर दिये गये हैं या रूग्ण घोषित कर दिये गये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु इनका पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) वांछित सूचना लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1999-2000 में दी गई है। उक्त सर्वेक्षण एक प्रकाशित दस्तावेज है और इसे संसद में 27.2.2001 को प्रस्तुत किया गया था।

(ग) बी.आई.एफ.आर. को सौंपे गए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण I में दी गई है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले जिन उद्यमों की बी.आई.एफ.आर./ सरकार ने बन्द करने की सिफारिश की है, उनकी सूची संलग्न विवरण II में दी गई है।

(घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण/घाटा उठाने वाले उपक्रमों के पुनरुद्धार एवं उनके कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए किए गए/ किए जा रहे उपायों में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा वार्षिक समीक्षा, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विविधीकरण तथा उत्पाद मिश्र में परिवर्तन, वित्तीय एवं व्यापारिक पुनर्गठन, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, जन शक्ति में उचित कमी, संयंत्रों, एवं मशिनों का आधुनिकीकरण, बेहतर विपणन रणनीतियां, प्रबन्धन का व्यवसायीकरण और यथास्थिति केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के निदेशक मण्डलों का पुनर्गठन आदि शामिल हैं।

विवरण-I

31.12.2000 की स्थिति के अनुसार बी.आई.एफ.आर. को सौंपे गए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थिति
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	हिन्दुस्तान फलूरोकार्बन्स लि.	असफल एवं पुन: खोला गया
2.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो. लि.	असफल एवं पुन: खोला गया
3.	प्रागा टूल्स लि.	जांचाधीन
असम		
1.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
बिहार		
1.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
2.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
3.	भारत कोकिंग कोल लि.	परिसंपत्ति धनात्मक हो गई, छोड़ दिया गया है
4.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि.	असफल एवं पुन: खोला गया
5.	पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.	जांचाधीन
दिल्ली		
1.	सीमेंट कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	मसौदा योजना परिचालित
2.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.	मसौदा योजना परिचालित
3.	फर्टिलाइजरर्स कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	जांचाधीन
4.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.	जांचाधीन
5.	हिन्दुस्तान बेजीटेबल ऑयल कारपो. लि.	जांचाधीन
गुजरात		
1.	नेटेका (गुजरात) लि.	बंद करने का नोटिस जारी
हरियाणा		
1.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	असफल एवं पुन: खोला गया
कर्नाटक		
1.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
2.	भारत गोल्ड माइन्स लि.	बंद करने की सिफारिश की गई

1	2	3
3.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.	बंद करने की सिफारिश की गई
4.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.	बंद करने का नोटिस जारी
मध्य प्रदेश		
1.	नेपा. लि.	जांचाधीन
2.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.	बंद करने का नोटिस जारी
महाराष्ट्र		
1.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
2.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	बंद करने की सिफारिश की गई
3.	नेशनल बाईसाईकिल कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	बंद करने की सिफारिश की गई
4.	नेटेका (महाराट्र नार्थ) लि.	मसौदा योजना परिचालित
5.	नेटेका (साथ महाराष्ट्र) लि.	मसौदा योजना परिचालित
6.	हिन्दुस्तान एंडीबायोटिक्स लि.	जांचाधीन
मणिपुर		
1.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	अननुरक्षणीय होने पर रद्द कर दिया गया है
नागालैण्ड		
1.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.	अननुरक्षणीय होने पर रद्द कर दिया गया है
उड़ीसा		
1.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
राजस्थान		
1.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
2.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	जांचाधीन
तमिलनाडु		
1.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. कारपो. लि.	बंद करने का नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश		
1.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
2.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
3.	ब्रिटिश इण्डिया कारपो. लि.	बंद करने की सिफारिश की गई
4.	कानपुर टैक्सटाईल्स लि.	बंद करने की सिफारिश की गई
5.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.	बंद करने की सिफारिश की गई
6.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	बंद करने की सिफारिश की गई
7.	स्कूटर्स इण्डिया लि.	अननुरक्षणीय होने पर रद्द कर दिया गया है

1	2	3
8.	भारत इम्युनोलॉजीकल एण्ड बायोलॉजीकल कारपो. लि.	जांचाधीन
9.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.	बंद करने का नोटिस जारी
10.	यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	बंद करने का नोटिस जारी
पश्चिम बंगाल		
1.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
2.	बंगाल इम्युनिटी लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
3.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
4.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
5.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
6.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत
7.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.	बंद करने की सिफारिश की गई
8.	साईकिल कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	बंद करने की सिफारिश की गई
9.	वेबर्ड (इण्डिया) लि.	बंद करने की सिफारिश की गई
10.	बीको लॉरी लि.	अननुरक्षणीय होने पर रद्द कर दिया गया है
11.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.	मसौदा योजना परिचालित
12.	टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	मसौदा योजना परिचालित
13.	जेसप एण्ड कंपनी लि.	असफल एवं पुनः खोला गया
14.	आरबीएल लि.	असफल एवं पुनः खोला गया
15.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	असफल एवं पुनः खोला गया
16.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश
17.	बह्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.	जांचाधीन
18.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	जांचाधीन
19.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं. लि.	जांचाधीन
20.	नेशनल जूट मैन्यू. कारपो. लि.	जांचाधीन
21.	नेटेका (प. बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.	बंद करने का नोटिस जारी

विवरण-II

घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की राज्यवार सूची, जिनके संबंध में बीआईएफआर/सरकार ने बंद करने की सिफारिश

क्र.सं.	कंपनी का नाम
कर्नाटक	
1.	भारत गोल्ड माइन्स लि.*
2.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.*
महाराष्ट्र	
3.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.*
4.	नेशनल बाइसाईकिल कारपो. ऑफ इण्डिया लि.*
उत्तर प्रदेश	
5.	ब्रिटिश इण्डिया कारपो. लि.*
6.	कानपुर टेक्सटाईल्स लि.*
7.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.*
8.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.*
पश्चिम बंगाल	
9.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.*
10.	साईकिल कारपो. ऑफ इण्डिया लि.*
11.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.
12.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.
13.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि.
14.	वेबर्ड (इण्डिया) लि.*
दिल्ली	
15.	इलेक्ट्रिनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेन्ट कारपो. लि.
16.	इण्डियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपो. लि.

*बीआईएफआर द्वारा बंद करने की सिफारिश। शेष सरकारी निर्णय के अनुसार।

[हिन्दी]

भारी उद्योग क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

1293. श्री रामशकल: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी उद्योग क्षेत्र में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं और इन कंपनियों द्वारा तैयार उत्पादित वस्तुओं का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से घरेलू कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू कंपनियों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) "भारी" के रूप में उद्योगों का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं हुआ है। इसलिए, अपेक्षित सूचना देना संभव नहीं है। हालांकि, 1.8.1991 से 31.10.2000 की अवधि के दौरान, धात्विक, विद्युतीय उपस्कर, ढुलाई (ट्रांसपोर्टेशन), अभियांत्रिक सामग्री इत्यादि में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 242294.52 करोड़ रुपये की राशि के विदेशी सहयोग वाले प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। निर्माण/कार्यकलाप की मदों सहित ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एसआईए) के मासिक न्यूज लेटर में प्रकाशित किये जाते हैं जिसे संसद पुस्तकालय सहित बड़े पैमाने पर परिचालित किया जाता है।

(ग) और (घ) कंपनियों का निष्पादन वित्तीय स्थिति प्रतिस्पर्द्धात्मकता और बाजार मांग इत्यादि सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। सरकार अन्य बातों के साथ-साथ कंपनियों के निष्पादन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बेहतर बनाने के लिए कर (टैरिफ) ढांचा के युक्तिकरण और आधारभूत विकास आदि सहित विभिन्न नीतिमूलक पहल कर रही है।

चीनी का 'बफर स्टॉक'

1294. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीनी के अत्यधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए चीनी के बफर स्टॉक को रखने के पक्ष में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या चीनी उद्योग ने देश में बीस लाख टन चीनी के बफर स्टॉक को रखने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चानी का बफर स्टॉक देश के हित में है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (च) चीनी उद्योग के शीर्षस्थ संगठनों अर्थात् भारतीय चीनी मिल संघ और राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल परिसंघ लिमिटेड ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि चीनी के अत्यधिक इतिशेष स्टाक को ध्यान में रखते हुए सरकार 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक सृजित करे।

चीनी के बफर स्टॉक का सृजन और रखरखाव खाद्यान्नों के बफर स्टाक के सृजन और रखरखाव से भिन्न है। चीनी के बफर स्टाक के सृजन और रखरखाव में सरकार वास्तव में चीनी खरीद कर अपने गोदामों में भंडारण नहीं करती है बल्कि बफर स्टाक के लिए चीनी की ली गई मात्रा पर चीनी मिलों को चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 के उपबंधों के अनुसार ब्याज, बीमा और भण्डारण प्रभारों की प्रतिपूर्ति करती है।

चीनी के बफर स्टाक के सृजन और रखरखाव से स्टाक में कमी नहां होती है। चीनी के स्टाक में कमी चीनी की अधिक मात्रा में निर्मुक्तियां करके और चीनी का निर्यात करके हो सकती है। चीनी की मांग में संभावित वृद्धि, गुड़, खांडसारी जैसे वैकल्पिक स्वीटनरों की उपलब्धता और मूल्यों को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार खुली बिक्री की चीनी की अधिक मात्रा में निर्मुक्ति कर रही है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 10 लाख मी. टन चीनी का निर्यात करने की भी अनुमति दी है। चीनी का अधिक निर्यात करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए है:-

* चीनी का निर्यात करने वाली चीनी फैक्ट्रियों को उनके द्वारा निर्यात की गई चीनी की मात्रा पर लेवी से छूट दी गई है। यह छूट 31.3.2001 तक उपलब्ध है।
* चीनी का निर्यात करने वाली चीनी फैक्ट्रियों को निर्यात की तारीख से 12 महीनों के अंत में निर्यात की गई मात्रा को उनके मुक्त बिक्री के स्टाक से समायोजित करने का लाभ दिया गया है।
* चीनी के निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य की 5% की दर से डी.ई.पी.बी. लाभ दिया गया है।

[अनुवाद]

कॉफी प्रतिधारण योजना

1295. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉफी प्रतिधारण योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कॉफी बोर्ड ने उक्त योजना के कार्यान्वयन की विधियों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ग) विश्व कॉफी बाजार में भारत की भागीदारी कितनी है;

(घ) विश्व कॉफी बाजार में भारत की भागीदारी पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) उक्त योजना को कार्यान्वित किये जाने के क्या लाभ हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार ने कॉफी उत्पादक देशों की एसोसिएशन (एसीपीसी) की प्रतिधारण योजना में भारत की भागीदारी को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। काफी बोर्ड ने प्रतिधारण योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है।

(ग) विश्व व्यापार में कॉफी के निर्यातों में भारत का हिस्सा 4.69% है।

(घ) और (ङ) एसीपीसी की प्रतिधारण योजना के अनुसार कॉफी उत्पादक देशों को कॉफी की गिरती हुई कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से प्रत्येक देश निर्यात करने के लिए निर्यात योग्य कॉफी का 20% हिस्सा रखना अपेक्षित है। आशा है कि इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय काफी की कीमतों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में कॉफी बोर्ड

1296. श्री के.ए. संगतम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में काफी बोर्ड के कार्यकरण को सुदृढ़ करने के लिए कोई उपाय आरंभ किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नागालैंड राज्य में काफी बोर्ड की गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर राज्यों में कॉफी के विकास हेतु कॉफी बोर्ड ने तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने और बोर्ड के विभिन्न योजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए इस क्षेत्र के सातों राज्यों को शामिल करते हुए संयुक्त निदेशक (विस्तार), शिलांग (मेघालय) के अधीन विस्तार कार्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। कॉफी बागानों के वैज्ञानिक/आधुनिक/उन्नत तरीकों का विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र में पॉच कॉफी प्रदर्शन फार्म भी कार्य कर रहे हैं। कॉफी की खेती से जुड़ी समस्याओं का निदान करने और कॉफी के उत्पादन तथा उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से समुचित स्थान विशिष्ट तरीकों का पैकेज तैयार करने के लिए भी असम के दिफू में एक क्षेत्रीय कॉफी अनुसंधान केन्द्र भी कार्य कर रहा है।

(ग) नागालैंड राज्य में कॉफी के विस्तार और बुनियादी सुविधाओं के लिए कॉफी बोर्ड ने दिमापुर और मोकोकचुंग में क्रमशः वरिष्ठ संपर्क अधिकारी और कनिष्ठ संपर्क अधिकारी के कार्यालयों की स्थापना की है। इसके अलावा राज्य के कॉफी उत्पादकों के पास कॉफी बागानों के वैज्ञानिक और उन्नत तरीकों की जानकारी पहुंचाने के लिए 1981 से किरूफेमा में एक काफी प्रदर्शन फार्म भी कार्य कर रहा है।

मलयाली कार्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रसारण समय

1297. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन ने मलयाली कार्यक्रमों के प्रसारण समय में कटौती कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली अर्थात् दिल्ली-अल्प शक्ति ट्रांसमीटर अथवा एकल मैट्रो की क्षेत्रीय सेवा में मलयालम कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कभी भी कोई स्लॉट नहीं रहा था। इसलिए, समय कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण अपीलीय न्यायाधिकरण

1298. श्री किरीट सोमैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सीमा शुल्क उत्पाद और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सी.ई.जी.ए.टी.) के इस समय कितने पीठ (बेंच) हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या ये पीठ लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) इस समय प्रत्येक पीठ में कितने मामले लंबित है;

(घ) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या और समय पर उनके निपटान को ध्यान में रखते हुए कुछ और पीठ खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां खोले जाएंगे;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सी.ई.जी.ए.टी.) का कोई पूर्ण-कालिक अध्यक्ष है; और

(ज) यदि नहीं, तो सी.ई.जी.ए.टी. को कब तक पूर्ण कालिक अध्यक्ष उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिजा एन. रामचन्द्रन): (क) महोदय, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण (सीगेट) की 11 (ग्यारह) पीठें दिल्ली, मुम्बई कोलकाता, चेन्नई तथा बंगलौर में स्थित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

दिल्ली	:	2,426
मुम्बई	:	17,037
कोलकाता	:	541
चेन्नई एवं बंगलौर*	:	8,407
कुल लम्बित मामले	:	28,411

*(बंगलौर स्थित पीठ 14.12.2000 को अधिसूचित की गई थी तथा इसके क्षेत्राधिकार को चेन्नई स्थित तत्कालीन दक्षिण क्षेत्रीय पीठ में से लिया गया है। इसलिए चेन्नई तथा बंगलौर के लम्बित मामलों को मिला दिया गया है।)

(घ) से (च) चूंकि मुम्बई में लम्बित मामले अधिक हैं, इसलिए चार सदस्यों को दिल्ली से मुम्बई स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया है।

(छ) जी, हां।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक और सिंगापुर के बीच समझौता

1299. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर और कर्नाटक सरकार के बीच हाल ही में किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या नवम्बर, 2000 के दौरान सिंगापुर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने बंगलौर का दौरा किया; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर दोनों पक्षों ने मिलकर कार्य करने संबंधी अपनी सहमति जताई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) बंगलौर आई.टी. कॉम 2000 प्रदर्शनी एवं सेमिनार में भाग लेने और पारस्परिक हित के मामलों पर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श भी करने के लिए व्यापार एवं उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नवम्बर, 2000 में बंगलौर का दौरा किया था।

(ग) विचार-विमर्श के दौरान किसी विशिष्ट परियोजना को अभिज्ञात नहीं किया गया था।

रेशम की तस्करी

1300. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेशम के मूल्य में कमी होने के कारण देश में कच्चे रेशम की तस्करी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) कच्चे रेशम की तस्करी इसलिए होती है क्योंकि अपवंचित शुल्क से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने की गुंजाइश रहती है।

(ख) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमाशुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, कच्चे रेशम सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने तथा इसे रोकने के लिए सजग तथा चौकस रहते हैं।

[हिन्दी]

बिहार की परियोजनाओं में वित्तीय संस्थानों का निवेश

1301. **श्री राजो सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में औद्योगिक परियोजनाएं शुरू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों ने निजी क्षेत्र को ऋण दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऋण मंजूरी के लिए आवश्यक निबंधन और शर्तें क्या हैं और इन ऋणों से किस तरह परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस ऋण से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत और जर्मनी के बीच वार्ता

1302. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल की उनकी जर्मनी यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने पेंशन संबंधी सुधार के मामले में सूचना के व्यापक आदान-प्रदान पर सहमति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जी-20 की अध्यक्षता के संबंध में इन दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अन्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां दोनों देशों में वित्तीय क्षेत्र में सहयोग पर सहमति जताई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) नई दिल्ली में जनवरी, 2001 में आयोजित भारत तथा जर्मनी के वित्त मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक के दौरान यह सहमति हुई थी कि पेंशन सुधारों पर तथा पेंशन निधियों की संभावित भूमिका के संबंध में विचारों का व्यापक आदान-प्रदान जारी रखा जाना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, हां। इस मुद्दे को नई दिल्ली में आयोजित वित्त मंत्रियों की उक्त बैठक में उठाया गया था। वित्त मंत्री ने विचार व्यक्त किया कि जी-20 की अध्यक्षता बारी-बारी से विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों द्वारा की जानी चाहिए।

(ङ) नई दिल्ली में हुई बैठक में सहयोग के क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए संघीय प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, बीमा, निजीकरण तथा वित्तीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

भारतीय निवेश केन्द्र में सुनिश्चित प्रोन्नति योजना

1303. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुनिश्चित प्रोन्नति योजना को भारतीय निवेश केन्द्र में लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं या होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना को भारतीय निवेश केन्द्र में कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सरकार वर्तमान में भारतीय निवेश केन्द्र के कार्यकरण की समीक्षा कर रही है। भारतीय निवेश केन्द्र में सुनिश्चित कैरियर उन्नति योजना के प्रवर्तन संबंधी निर्णय ऐसी समीक्षा के परिणाम पर निर्भर करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन

1304. डा. वी. सरोजा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भुगतान में चूक के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण "विलफुल डिफाल्ट" को परिभाषित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जानबूझकर चूक करने वालों के नाम प्रकट करने का प्रावधान शामिल है। यह मामला सरकार की जांच के अधीन है।

तिलहन और दलहनों का आयात

1305. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तिलहनों/दलहनों और अन्य कृषि उत्पादों का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में आयात किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस पर लगने वाले आयात शुल्क की प्रतिशतता क्या है और उपभोक्ताओं व किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस मामले में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) खाद्य तेलों और दालों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक

1306. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने बीमा व्यवसाय शुरू करने के उद्देश्य से अपनी 100 शाखाओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो एस.बी.आई. की ऐसी शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शाखाओं के चयन के लिए एस.बी.आई. द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या इन में से अधिकांश शाखाएं शहरी क्षेत्र में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और एस.बी.आई. द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने बीमा कारोबार की शुरूआत के लिए अनुषंगी को लाइसेंस की मंजूरी के लम्बित रहने के कारण वितरण योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

पटाखों के मामले में ध्वनि और वायुप्रदूषण सीमा

1307. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने पटाखे बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि 1 नवंबर, 2000 से प्रत्येक पटाखे पर ध्वनि और वायु प्रदूषण की सीमा छापी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या देश में पटाखे बनाने वाली कंपनियां अपनी लाईसेंस क्षमता से कहीं अधिक मात्रा में अपने माल की थोक व्यापारियों को आपूर्ति कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां।

(ख) विस्फोटक विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित ध्वनि स्तर से अधिक शोर करने वाली आतिशबाजी के विनिर्माण पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 682 (ई) दिनांक 5.10.99 के तहत लाइसेंस प्रपत्र में अतिरिक्त शर्त जोड़ दी है।

(ग) और (घ) विनिर्माता, थोक विक्रेताओं को अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक आतिशबाजी/पटाखों की खेप नहीं भेजते हैं। उक्त नियम के अधीन, उत्पादित आतिशबाजी के 125 कि.ग्रा. तक अतिरिक्त भंडारण ही अनुमत है जिसके लिए नियत शुल्क प्रभारित किया जाता है और उसके बाद अस्थाई परमिट दिया जाता है। लाइसेंसशुदा परिसरों में जिला प्रशासन पुलिस अधिकारियों और विस्फोटक विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किये जाते हैं। कानून का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 1983 के तहत लाइसेंस निलंबित/रद्द करने हेतु कार्यवाही की जाती है।

पश्चिम बंगाल के प्रसारण से अछूते क्षेत्र

1308. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसारण उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन स्थानों में विशेषकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल क्षेत्र में दूरदर्शन/आकाशवाणी की प्रसारण सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है और इन सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) हालांकि सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल को आकाशवाणी संकेतों द्वारा कवर किया जाता है तथापि, वर्तमान में राज्य की 96.2 प्रतिशत लगभग जनसंख्या (सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या सहित) को टी.वी. कवरेज उपलब्ध होने का अनुमान है। पश्चिमी बंगाल में आकाशवाणी और टी.वी. कवरेज के और विस्तार में सिलीगुड़ी मे 10 कि.वा. का एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टूडियो की स्थापना, शान्तिनिकेतन में 3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर एवं बहु-प्रयोजनीय स्टूडियो सहित स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र, दार्जिलिंग में 10 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर सहित रिले केन्द्र और बालूरघाट, कृष्णानगर, खड़गपुर, शान्तिनिकेतन, आसनसोल में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा झालदा में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर शामिल हैं। इनमें से सिलीगुड़ी, बालूरघाट और दार्जिलिंग की परियोजनाएं उत्तरी बंगाल क्षेत्र में पड़ती हैं। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आई.डी.बी.आई. की इक्विटी

1309. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) का विचार अपनी इक्विटी को गैर-प्राथमिकता वाले उपभोक्ता उद्योगों में इस्तेमाल करने का है;

(ख) आई.डी.बी.आई. की बहुत बड़ी राशि गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र की कम्पनियों में है;

(ग) क्या गैर-प्राथमिकता वाले उपभोक्ता क्षेत्र में आई.डी.बी.आई. की इक्विटी के बाजार मूल्य का कोई मूल्यांकन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी इक्विटी का मूल्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के पास गैर-प्राथमिकता वाले उपभोक्ता क्षेत्र की कम्पनियों की इक्विटी में अपने कुल निवेश के लिए अलग से कोई वर्गीकरण नहीं है। 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक कम्पनियों की इक्विटी में इसका कुल निवेश 72,523 करोड़ रु. की इसकी कुल आस्तियों की तुलना में सिर्फ 1687.78 करोड़ था।

(ग) और (घ) आई.डी.बी.आई. आस्तियों के वर्गीकरण और मूल्यांकन सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों के आधार पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों की संतुष्टि के अनुरूप सार्वभौमिक रूप से अपने समस्त निवेश पोर्ट फोलियो के मूल्यांकन के लिए निरंतर आधार पर कार्य करते हैं। 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक कम्पनियों में भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्यांकन मानदंड के अनुसार आई.डी.बी.आई. के निदेश का कुल मूल्य 1788.79 करोड़ रु. था।

बैंक दर में कटौती

1310. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक दरों में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे अर्थव्यवस्था पर विशेष कर मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय बाजारों में हाल की गतिविधियों की पुनरीक्षा के पश्चात् 16 फरवरी, 2001 से बैंक दरों को आधा प्रतिशत बिन्दु कम करके 8.0 प्रतिशत वार्षिक से 7.5 प्रतिशत वार्षिक कर दिया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि बैंक दरों में कमी से औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में वृद्धि में तेजी आ सकती है। बैंक दर में कटौती का मुद्रास्फीति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कॉफी का उत्पादन

1311. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री कोलूर बसवनागौड:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व में कुल कॉफी उत्पादन के लगभग 4 प्रतिशत का उत्पादन कर रहा है और अपने कुल उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कॉफी के वार्षिक उत्पादन और इसकी घरेलू खपत कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या चालू वर्ष में देश का कॉफी-उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुकूल होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने और घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या घरेलू बाजार में कॉफी के मूल्य में निरंतर कमी आ रही है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मूल्य में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में कॉफी का

उत्पादन 2,92,000 मी. टन हुआ था। कॉफी की घरेलू खपत देश में उत्पादित कुल काफी की लगभग 19% है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के लिए कॉफी उत्पादन के 2.80 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले कॉफी का उत्पादन 2.95 लाख टन होने का अनुमान है।

(ङ) उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार कॉफी बोर्ड के जरिए गहन कृषि, पुनरोंपण, गुणवत्ता सुधार और जल संवर्द्धन कार्यक्रमों को लक्षित कर अनेक योजना स्कीमों को चलाने के अलावा, कृषि अनुसंधान, विस्तार ऋण एवं वित्त प्रबंधन के रूप में आवश्यक सहायता और रोपण प्रयोजनार्थ बीजों की आपूर्ति इत्यादि जैसी अन्य अनुपूरक सहायता भी उपलब्ध करवा रही है।

कॉफी की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए कॉफी बोर्ड सभी प्रमुख स्वदेशी मेलों में भाग लेने और बोर्ड द्वारा संचारित कॉफी गृहों के कार्यनिष्पादन को सुदृढ़ करने एवं श्रव्य/दृश्य तथा प्रिंट मीडिया के जरिए प्रचार करने के अलावा कॉफी उत्सवों का आयोजन एवं होटल क्षेत्र के लिए कॉफी की ब्रुइंग हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता आ रहा है।

(च) और (छ) हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी की कीमतों में कमी अधिक उत्पादन के कारण बेशी आपूर्ति होने की वजह से आई है। चूंकि भारत में उत्पादित कॉफी का लगभग 80% निर्यात किया जाता है, इसलिए यह उद्योग कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर ही निर्भर रहता है। अत: भारतीय कॉफी के उपजकर्त्ता आज कॉफी की वही लाभकारी कीमतें प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें 2-3 वर्ष पहले प्राप्त हो रही थी। भारत सरकार ने सिद्धान्तत: हाल ही में एसोसिएशन ऑफ कॉफी प्रोडयूसिंग कंटरीज (ए.सी.पी.सी.) की प्रतिधारण योजना में भारत की भागीदारी की स्वीकृति दी है। यह आशा की जाती है कि भारतीय कॉफी के लिए उक्त योजना के कार्यान्वयन से कॉफी की कीमतें बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

वनस्पति तेल का आयात

1312. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गत छह महीनों के दौरान देश में वनस्पति तेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों से वनस्पति तेल के आयात में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पहल से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर समर्थन मूल्य मिल सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) सरकार ने 11 महीने की अवधि में खाद्य तेलों के शुल्क में तीन बार परिवर्तन किया है। शुल्क को युक्तियुक्त बनाने का प्रमुख उद्देश्य खाद्य तेलों के आयात स्तर में कमी लाना है।

(ख) डी.जी.सी.आई.एस. वाणिज्य मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार खाद्य तेलों का आयात 1998-99 के 38.59 लाख टन से घट कर 1999-2000 में 34.55 लाख टन रह गया है।

(ग) और (घ) इस उपाय का अन्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना है। फिलहाल सरसों/रेपसीड और छिलकायुक्त मूंगफली, जो सब मिलकर कुल तिलहन उत्पादन का लगभग 60% बैठते हैं, के थोक मूल्य उनके तदनुरूपी न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

(रुपये प्रति क्विंटल:

बीज	न्यूनतम समर्थन मूल्य	23.2.2001 की स्थिति के अनुसार थोक मूल्य
सरसों/रेपसीड	1100	1205
मूंगफली (छिलकायुक्त)	1220	1435

सी.आर.आई.एस.आई.एल.

1313. श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की अग्रणी-क्रेडिट रेटिंग एजेंसी-क्रेडिट रेटिंग इनफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया (क्रिसिल) ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाली इकाइयों की बांड की रेटिंग में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) क्रिसिल ने यह सूचित किया है कि उन्होंने 5.2.2001 को महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाले निम्नांकित निकायों के बांड कार्यक्रमों के दर-निर्धारण (रेटिंग) का दर्जा घटाया है:

(1) महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम

(2) कोंकण सिंचाई विकास निगम

(3) तापी सिंचाई विकास निगम

(4) विदर्भ सिंचाई विकास निगम

(ख) क्रिसिल ने यह भी सूचित किया है कि बांड निर्गमकर्ताओं द्वारा ऋण शोधन के लिए पर्याप्त सहायता की आवश्यकता होगी। क्रिसिल के अनुसार दर निर्धारण (रेटिंग) से महाराष्ट्र सरकार की ऋण गुणवत्ता प्रतिविम्बित होती है।

(ग) राज्य सरकारें राज्य के सरकार के स्वामित्व वाले निकायों की वित्तीय सुस्वस्थता के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्र सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निकायों की उत्पादकता में वृद्धि करने के महत्व पर बल दिया है।

कर्नाटक को विश्व बैंक से सहायता

1314. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने कर्नाटक को देश के उन राज्यों की श्रेणी में रखा है जिनको महत्व दिये जाने की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में वे कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता ली जा रही है; और

(ग) ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए हुई वार्ता में प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) विश्व बैंक के सुझाव के अनुसार कर्नाटक उन राज्यों में से है जिस पर विश्व बैंक द्वारा ध्यान केन्द्रित किया जाना है।

(ख) और (ग) कर्नाटक से संबंधित परियोजानाओं जिन्हें वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, का विवरण संलग्न है। ये परियोजनाएं विश्व बैंक के विचाराधीन हैं।

विवरण

वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक को भेजी गई कर्नाटक राज्य की परियोजनाएं

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्रगति/स्थिति
1.	कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना	विश्व बैंक को 4.6.2000 को भेजी गई।
2.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक सुधार परियोजना	विश्व बैंक को 5.10.2000 को भेजी गई।
3.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और वातावरण स्वच्छता परियोजना चरण-2	विश्व बैंक को 25.5.99 को भेजी गई
4.	कर्नाटक जल और शहरी प्रबन्धन परियोजना	परियोजना निर्माण सुविधा (पीपीएफ) पर जनवरी, 2000 में हस्ताक्षर किए गए।
5.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	विश्व बैंक से प्राप्त तकनीकी सहायता से निर्माणाधीन परियोजना
6.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्गठन कार्यक्रम	विश्व बैंक को भेजा गया।

हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन में विनिवेश

1315. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन में अपने शेयरों का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (घ) सरकार ने विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लि. (एच.वी.ओ.सी.) अथवा इसकी किसी इकाई के पुनरुद्धार/पुनर्वास करने का प्रयास व्यवहार्य नहीं है। सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक वियोजन योजना (वी.एस.एस.) की पेशकश करने का भी निर्णय लिया है। तदनुसार, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को, जिसने हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लि. को एक रूग्ण कम्पनी घोषित किया है, सूचित कर दिया गया है और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जो हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लि. के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है, द्वारा स्वैच्छिक वियोजन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

सेवा कर संबंधी डा.एम. गोविन्दराव समिति

1316. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या वित्त मंत्री 1 दिसम्बर, 2000 के अतारांकि प्रश्न संख्या 2067 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा.एम. गोविन्दराव की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधी एन. रामचन्द्रन): (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेवा कर संबंधी विशेषज्ञ दल ने 31 मार्च, 2001 तक समय बढ़ाने की मांग की है ताकि वे अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए सेवाओं के कराधान से जुड़े अनेकों मुद्दों की जांच कर सकें और व्यापारिक वर्ग और उद्योग जगत के विशेषज्ञों और जनता से विस्तापूर्वक सलाह-मशवरा कर सकें।

[हिन्दी]

दसवां वित्त आयोग

1317. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश के लि 616.75 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया था;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार को 31.3.2000 की निर्धारित तारीख तक 360.86 करोड़ रुपये प्राप्त हो गए हैं;

(ग) क्या शेष निधियों के उपयोग के लिए समय-सीमा बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है;

(घ) दसवें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई और राज्य सरकार ने इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया;

(ङ) क्या ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराई गई शेष राशि के उपयोग के लिए समय-सीमा बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) दसवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने स्तरोन्नयन, विशेष समस्या और स्थानीय निकायों के लिए मध्य प्रदेश को 616.80 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी। आबंटित अनुदान और दिनांक 31.3.2000 तक जारी अनुदान का स्कीम-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

	स्कीम	आबंटित अनुदान (करोड़ रुपए में)	जारी किए गए अनुदान (करोड़ रुपए में)
1.	स्तरोन्नयन और विशेष समस्या अनुदान	206.37	129.99
2.	स्थानीय निकायों को अनुदान		
	(क) पंचायती राज संस्थाएं	348.69	342.86
	(ख) शहरी स्थानीय निकाय	61.74	58.65
	योग	616.80	531.50

स्तरोन्नयन और विशेष समस्या अनुदानों में से 31.3.2000 तक जारी प्रमुख कार्यों के पूरा होने की सीमा को राज्य सरकारों के अनुरोध पर 31.3.2001 तक बढ़ाया गया है। समय का यह विस्तार स्थानीय निकाय अनुदानों के लिए लागू नहीं है।

स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड

1318. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्तियों ने वर्ष-वार और राज्य-वार स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन किया;

(ख) क्या अभी तक अधिकांश व्यक्तियों को स्थायी लेखा संख्या कार्ड जारी नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इनको यथाशीघ्र "पैन" कार्ड जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) 8 दिसम्बर, 2000 तक कुल 1,82,66,786 मामलों में जिनमें पैन आवंटित कर दिया गया है, में से 1,61,70,360 आवेदनों को स्थाई खाता संख्या कार्ड जारी कर दिए गए हैं। स्थायी खाता संख्या आवंटित न करने तथा/अथवा स्थायी खाता संख्या कार्ड जारी न करने का कारण बहुत से आवेदन पत्रों में मूलभूत त्रुटियां तथा हाल ही में प्राप्त बहुत से आवेदन पत्रों का होना है।

(घ) सरकार आवेदकों को शीघ्र पैन के आवंटन और पैन कार्ड जारी करने के लिए सतत रूप से सभी कदम उठाती है।

विवरण

प्राप्त पैन आवेदन पत्रों की वर्ष वार स्थिति।

वर्ष के दौरान	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1995-96	992.447
1996-97	830.062
1997-98	885.076
1998-99	14,623.988
1999-2000	1,566.577
2000-2001	1,373.419 (31.12.2000 तक)
योग	20,271,569

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषदें

1319. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश से सिले-सिलाए वस्त्रों, चमड़े, हीरे-जवाहरात, मसालों और खाद्य उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए देश में और अधिक निर्यात संवर्धन परिषदें बनाए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्ष के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये निर्यात संवर्धन परिषदें भारत से होने वाले सम्पूर्ण निर्यात और प्रतिवर्ष लाखों डालर विदेशी मुद्रा देश में लाने में सहायक होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने देश से होने वाले निर्यात की मात्रा में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) निर्यात संवर्धन परिषदों (ई.पी.सी.) की स्थापना उद्योग के विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उद्योग जगत द्वारा की जाती है और उसके बाद नई ई.पी.सी. को मान्यता प्रदान करने के मानदण्डों को पूरा करने पर सरकार द्वारा उसे मान्यता प्रदान की जाती है। परिधानों, चमड़ा, रत्न और कीमती पत्थरों के निर्यातों को सुकर बनाने और उनके संवर्धन के लिए अनुमोदित ई.पी.सी. पहले से ही मौजूद हैं और उद्योग जगत की ओर से इन उत्पादों के निर्यात के लिए और अधिक ई.पी.सी. की स्थापना करने का कोई अनुरोध अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार, मसालों के निर्यात के लिए मसाला बोर्ड और खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण पहले से ही कार्य कर रहे हैं। तथापि, सरकार ने हाल ही में, नई निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप दिया है। बशर्ते कि वे निर्धारित मानदण्ड पूरे करते हों और इन दिशा-निर्देशों को मार्गदर्शन हेतु ई.पी.सी. इत्यादि के जरिए उद्योग जगत में 11 अक्तूबर 2000 को परिचालित किया गया है।

(ग) और (घ) निर्यात संवर्धन परिषदें निम्नलिखित क्रियाकलाप करके देश के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करने और उसके विविधिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है:-

1. भारत से उत्पादों और वस्तुओं के निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यम और अल्पावधि दोनों आधार पर कार्यनीतियां तैयार करना।
2. बाजार सर्वेक्षण करना, विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी की व्यवस्था करना।
3. अलग-अलग निर्यातकों द्वारा बिक्री सह-अध्ययन दौरे करने और व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने की व्यवस्था करना।
4. भारतीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए विदेशी बाजार में प्रचार और विज्ञापन करना।
5. विदेशों में पाटनरोधी शुल्क और प्रति संतुलनकारी शुल्क संबंधी मामलों को लड़ना।
6. बाजार आसूचना संबंधी आंकड़े एकत्र करना और उन्हें अपने सदस्यों को उपलब्ध कराना।

(ङ) विभिन्न देशों में बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यापार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसी बाजार संभाव्यताओं का दोहन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में, सभी ई.पी.सी. वस्तु बोर्डों और निर्यात विकास प्राधिकरणों से अनुरोध किया गया था कि वे विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को शामिल करके भारत से उत्पदों और वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने हेतु अगले पांच वर्षों के लिए मध्यावधि निर्यात कार्यनीतियों को अंतिम रूप प्रदान करें। मौजूदा निर्यात संवर्धन उपायों की समीक्षा करने और उनकी क्षमता का आगे और संवर्धन करने के तौर-तरीकों पर सुझाव देने के लिए नई दिल्ली में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ के तत्वावधान में दिसम्बर, 2000 में एक विचार मंथन सत्र का आयोजन भी किया गया था, जिसमें ई.पी.सी. वस्तु बोर्डों और वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया था।

निर्यात संवर्द्धन एक सतत प्रक्रिया है और सरकार ने निर्यात संवर्द्धन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें शामिल हैं- विकेन्द्रीकरण के जरिए कारोबार लागत में कमी करना, क्रियाविधियों को आसान बनाना और निर्यात-आयात नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों, थ्रस्ट क्षेत्रों में फोकस क्षेत्रों को अभिज्ञात करके भी निर्यात संवर्धन के लिए कदम उठाए हैं। सरकार विपणन विकास सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों इत्यादि के विभिन्न क्रियाकलापों/प्रयासों में मदद भी करती है।

[हिन्दी]

तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

1320. डा. अशोक पटेल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त निर्णय के कब से लागू होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 8.9.2000 की अधिसूचना के माध्यम से यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ सिगरेट तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्माण, उनकी बिक्री या उनके उपयोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हों।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक

1321. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 1 दिसंबर, 2000 को आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या चर्चा की मुख्य मद सस्ता आयात थी;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय उद्योग के प्रमुख वर्गों की ओर से स्थानीय विनिर्माताओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए और अधिक समय देने हेतु शुल्क सुधारों की गति धीमी करने के लिए दबाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक में अन्य कौन-कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ङ) क्या सस्ते आयात के बारे में कोई ठोस निर्णय लिया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) 1 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की कोई बैठक नहीं हुई। तथापि 30 नवम्बर, 2000 को आर्थिक सुधारों की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करने हेतु एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दिए गये सुझावों की संबंधित मंत्रालयों द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

आई.बी.पी.एल. का एच.पी.सी.एल./बी.पी.सी.एल. में विलय

1322. **श्री गंता श्रीनिवास राव:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नितीश सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट में आई.बी.पी.एल. के भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में विलय करने संबंधी सिफारिश पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार ने इंडो-बर्मा पेट्रोलियम के संबंध में की गई सिफारिशों को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (ग) विनिवेश आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार आई.बी.पी. में 26 प्रतिशत इक्विटी अपने पास रखते हुए शेष शेयरों की पेशकश, अन्तर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किसी भारतीय तेल कम्पनी अथवा संयुक्त क्षेत्र की तेल कम्पनी अथवा विदेशी तेल कम्पनियों को कर सकती है। तथापि, नितीश सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश सहित, विभिन्न विकल्पों और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि सरकार आई.बी.पी.क.लि. में केवल 26 प्रतिशत इक्विटी अपने पास रखेगी और शेष 33.6 प्रतिशत का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विनिवेश कर सकती है, जिस बोली में स्वदेशी तेल कम्पनियां भी भाग ले सकती हैं।

[हिन्दी]

मक्का का उत्पादन

1323. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष देश के प्रत्येक राज्य में मक्का का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने प्रत्येक राज्य से कितनी मात्रा में मक्का खरीदा; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिहार में मक्का की खरीद नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) कृषि वर्ष समाप्त होने

के पश्चात ही राज्यवार मक्का के उत्पादन का पता चलता है। तथापि, कृषि मंत्रालय द्वारा लगाए गए अग्रिम अनुमान के अनुसार समूचे देश में खरीफ मौसम 2000 में मक्का का उत्पादन 9.96 मिलियन टन हुआ है।

(ख) खरीफ विपणन मौसम 1999-2000 के दौरान किसी भी राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा मक्का की वसूली नहीं की गई।

(ग) चूंकि वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित औसत किस्म के विनिर्दिष्टियों के अनुरूप मक्का के मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् 415 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक चल रहे थे, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कोई वसूली नहीं की जा सकी।

[अनुवाद]

करों की वसूली के लिए समय-बद्ध कार्य योजना

1324. श्री नरेश पुगलिया:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 62,392 करोड़ रुपये के बकाया आयकर, कार्पोरेशन कर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद कर की वसूली के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है;

(ख) सौ शीर्ष चूककर्ताओं का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इन कम्पनियों में से प्रत्येक से कितनी राशि वसूल की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) बकाया की वसूली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। विवादाधीन मामलों के संबंध में निर्धारिती सामान्यतया विभाग द्वारा बकाया समझे जाने वाले करों की निश्चित मांग तब तक अदा नहीं करते जब तक कि वे सभी कानूनी उपायों का उपयोग नहीं कर लेते। बकाया मांग के ऐसे मामले जो कि स्थगनाधीन या विवादाधीन नहीं है, वहां वसूली एक सतत प्रक्रिया होती है तथा संग कानून की अन्तर्गत विहित अनुनेय एवं अवपीड़क कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार शीर्षस्थ सौ कर चूककर्ताओं में से प्रत्येक के सामने बकाया राशि और 1.4.2000 से 30.6.2000 के दौरान प्रत्येक मामले में कटौती/वसूली दर्शाते हुए ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(रु. लाखों में)

शीर्षस्थ 100 चुककर्त्ता

क्रम सं.	नाम	के अनुसार बकाया 31.3.2000	कमी		संग्रहण	
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही
1	2	3	4	5	6	7
1.	हर्षद एस. मेहता	542324	–	–	2350	–
2.	हितेन पी. दलाल	141087	–	–	–	–
3.	विदेश संचार निगम लि.	92425	–	9672	29200	–
4.	सहारा इंडिया फा. कार्पो. लि.एस.आई.एस.आइ.	83092	176	–	–	–
5.	भूपेन्द्र सी. दलाल	74545	–	–	–	–
6.	अश्विन एस. मेहता	63775	–	–	491	–
7.	एस. रामास्वामी	56489	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
8.	ज्योति एच. मेहता	55330	–	–	504	–
9.	सहारा इंडिया म्यूचल बेनिफिट कं.	54953	–	–	–	699
10.	आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन	46383	–	46383	–	–
11.	गणपति एक्सपोर्टस लि.	32877	–	27631	–	–
12.	आई.सी.आई.लि.	31438	–	–	–	1288
13.	आई.डी.बी.आई.	31026	–	–	–	–
14.	गैस अथारिटी आफ इं.लि.	28696	–	1253	1500	9607
15.	जी.टी.सी. इण्ड.लि.	26157	–	–	–	–
16.	ग्रोमोर रिसर्च एण्ड एसेट लि.	25207	2126	–	–	–
17.	सुरेन्द्रा खंधार	24539	258	–	–	–
18.	टाटा केमिकल्स लि.	23930	–	1375	–	1871
19.	सुधीर एस. मेहता	23849	–	–	277	–
20.	पियरलेस जनरल फा. एण्ड इन्वे. कं.लि.	21855	–	–	–	408
21.	फेयरग्रोथ फाइ. सर्वि. लि.	21845	–	–	–	–
22.	प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि.	20352	–	–	–	–
23.	एशिया सेटेलाइट टेलीकम्यूनिकेशन कं. लि.	19570	–	2180	–	–
24.	कैनरा बैंक	19235	19235	–	–	–
25.	सुब्रतो राय	19142	–	7811	–	9
26.	टाटा सन्स लि.	18798	–	1070	–	6400
27.	गणपति कम्बाइन्स लि.	18040	–	–	–	–
28.	पावर कं. लि.	17354	–	–	–	–
29.	धनराज मिल्स प्रा.लि.	16632	473	–	–	–
30.	ईस्ट वेस्ट ट्रेवल एण्ड ट्रेड लिंक्स लि.	16292	–	–	–	–
31.	केसकेड होल्डिंग प्रा.लि.	16017	–	–	–	–
32.	लार्सन एण्ड टुब्रो लि.	15703	780	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
33.	मिड इस्ट इंडिया लि.	15561	–	–	–	–
34.	कुबेर म्यूचल बेनिफिट्स लि.	15480	–	–	–	–
35.	आर.ई.पी.एल. इंजी.लि.	15277	–	–	–	–
36.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्प. लि.आई.पी.सी.एल.	15223	–	556	–	145
37.	हर्षद एस. मेहता धन कर	14873	–	–	–	–
38.	एन.ई.पी.सी.निकान लि.	14834	–	–	–	–
39.	केडिया केसल डेलन इण्ड.	14776	–	–	–	–
40.	राजेन्द्रा स्टील लि.	14627	–	–	–	–
41.	बजाज आटो लि.	14468	–	10415	–	–
42.	एम. विश्वेशरैया इण्ड. री. एण्ड डेव. सी.ई.	14311	–	–	150	28
43.	आर.एम. मशीन्स प्रा.लि.	14037	–	–	–	–
44.	करीबजेट इंक	13265	–	–	–	–
45.	जे.पी. गांधी	12947	–	–	–	–
46.	निरंजन जे. शाह	12719	–	–	–	–
47.	शबरी ग्रुप	12632	–	–	–	–
48.	ल्यूसेंट टैक्नालाजिस प्रा.लि.	12587	–	–	–	–
49.	सहारा इंडिया एफ.आई.आर.एम.	12552	–	–	–	116
50.	नोकिया नेटवर्क	11981	–	598	–	–
51.	नार्दन कोल फील्डस लि.	11904	–	3041	–	–
52.	टाटा इंजी. एण्ड लोकोमोटिव कं. लि.	11585	–	–	–	5192
53.	इंडियन आयल कार्पो.लि.	11458	–	–	1000	3522
54.	वेस्टर्न कोल फील्डस लि.	11308	–	2541	–	3963
55.	ग्रोमोर लीजिंग इन्वे. प्रा.लि.	11006	–	–	–	–
56.	पल्लव एस. सेठ	10931	–	–	–	–
57.	एशिया ब्राउन ब्रोवरी लि.	10838	–	–	3550	–

1	2	3	4	5	6	7
58.	पी.के. शर्मा	10423	–	–	–	–
59.	आन्ध्रा वैली पावर सप्लाई कं.लि.	10313	–	–	–	–
60.	उदय एम. आचार्या	10204	300	–	–	–
61.	अरविन्द मिल्स लि.	10033	–	1483	2420	–
62.	शॉ वालेस एण्ड कं.लि.	10012	–	–	50	–
63.	एलायड सिग्नल इंक	9750	–	–	–	–
64.	दीपेश चांडक एण्ड संस	9703	–	–	–	–
65.	कोचीन रिफाइनरीज लि.	9640	–	–	–	–
66.	मेट्रोपोलिटन कॉपरेटिव बैंक लि.	9464	–	–	–	–
67.	एशियन कन्सालेडेटेड इण्ड लि.	8807	–	–	–	–
68.	टाटा इलै. कं.	8735	–	–	402	–
69.	टाटा फाइनांस लि.	8650	–	–	1100	500
70.	सी.आर.बी. केपिटल मार्केट कं. लि.	8631	–	–	–	–
71.	शिरीष सी. शाह	8595	–	–	–	–
72.	इंडियन होटल कं.लि.	8530	–	–	10	85
73.	महाराष्ट्र स्टेट इलै. बोर्ड	8507	–	–	–	–
74.	रिलायंश इण्ड लि.	8462	–	–	–	260
75.	बाम्बे बर्मा ट्रेडिंग कार्प. लि.	8328	–	–	–	–
76.	फेडरल बैंक लि.	8319	–	–	–	–
77.	कल्पेश एल. ठक्कर	8313	–	–	–	–
78.	इंडियन ओवरसीज बैंक लि.	8200	–	160	2719	–
79.	वुड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स लि.	8150	7892	–	256	–
80.	एस. के. जैन बी.ई.सी.लि. के निदेशक	7984	–	–	–	–
81.	ओरसन इलैक्ट्रानिक्स लि.	7507	–	–	–	–
82.	रिषभ केपिटल एण्ड फाईनांस लि.	7323	–	–	–	–
83.	स्पैक्टार पावर जेनरेशन लि.	7300	–	–	160	60

1	2	3	4	5	6	7
84.	गुजरात इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	7102	–	67	–	–
85.	एरीक्शन रेडियो सिस्टम्स ए.बी.	6940	–	409	–	–
86.	विमल एस. गांधी	6906	–	–	–	–
87.	टाटा हाइड्रो इलै. पावर सप्लाई कं.लि.	6848	–	–	–	–
88.	अपोलो ट्यूब्स एण्ड स्टील इण्ड. लि.	6515	–	–	–	–
89.	ओकरा एग्रो प्रोडक्टस प्रा.लि.	6502	–	–	–	–
90.	ए.डी. नरोत्तम	6485	–	–	–	–
91.	जे.वी.जी. फाइनांस लि.	6413	–	–	–	–
92.	ट्राइडेन्ट स्टील लि.	6359	–	–	–	–
93.	प्रतिमा एच. मेहता	6316	–	–	–	–
94.	बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया	6238	29	–	–	–
95.	कृषि फाइनेंशियल सर्विसेज	6137	–	–	–	–
96.	पथीजा फोर्जिंग्स एण्ड ऑटो पार्टस मैन्यु. क.	6010	–	–	–	–
97.	चिनार सिगरेटस प्रा. लि.	5925	–	–	–	–
98.	एस्सार प्रोजेक्टस लि.	5894	217	–	–	–
99.	सेटेलाइट टेलीविजन एशियन रीजन लि.	5876	–	–	–	–
100.	एमाइ्यूश मार्केटिंग	5807	–	–	1000	–
		2368293	31228	116903	47342	34153

[हिन्दी]

सीमा शुल्क माल गोदाम

1325. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क माल गोदाम से लाखों रुपये मूल्य की वस्तुओं की बार-बार चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में आए चोरी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये चोरियां सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों की मिली-भगत से हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां, गत तीन वर्षों के दौरान इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, दिल्ली स्थित सीमा शुल्क भाण्डागार से चोरी होने के 9 मामले घटे हैं। इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

लाख रुपए में

	मामलों की संख्या	मूल्य
1998-99	-	-
1999-2000	1	1.90
2000-2001	8	27.28

(ग) और (घ) सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज करवाई गई हैं और पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। इनमें से अधिकांश मामले बाहरी व्यक्तियों द्वारा सेंध मारकर चोरी करने के हैं और अब तक किसी भी सीमा शुल्क अधिकारी की मिली-भगत होने का कोई भी मामला जांच कार्य के दौरान प्रकाश में नहीं आया है। 1999 के मामले में एक विभागीय जांच में कुछेक अधिकारियों की लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है और उसमें उपयुक्त विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

प्रशासनिक व्यय

1326. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्री वी.एम. सुधीरन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय पर रोक लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कौन से विभिन्न कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का आई.ए.एस., आई.पी.एस. और अन्य संबद्ध संवर्गों के पदों को कम करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या में भी कमी का जानी चाहिए;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या व्यय पर रोक लगाने की दृष्टि से कोई अन्य सुधारात्मक उपाय किए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ज) प्रशासनिक व्यय को सीमित रखना सरकार का अनवरत प्रयास रहता है और तदनुसार सरकारी खर्च में मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर हिदायतें जारी की जाती रही हैं। अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के प्रकार्यों, गतिविधियों और उसकी प्रशासनिक संरचना को घटाने तथा केन्द्रीय मंत्रालयों, सम्बद्ध कार्यालयों और संस्थाओं में कार्यरत विभिन्न संवर्गों और स्टाफ को तर्कसम्मत बनाने के लिए व्यय सुधार आयोग का गठन भी किया गया है। व्यय सुधार आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:-

1. सरकार की बढ़ती हुई भूमिका, पोषण सीमा की जरूरत और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और सम्बद्ध कार्यालयों के कार्यकलापों की परस्पर व्याप्ति और राज्य सरकारों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के प्रकार्यों, गतिविधियों तथा प्रशासनिक संरचना को घटाने के लिए एक रूपरेखा सुझाना।

2. प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही किस्म की सब्सिडी की संवीक्षा, उनके जारी बने रहने की आर्थिक तर्कसंगति की जांच करना और सब्सिडीज को पारदर्शी बनाने के लिए सिफारिश करना तथा लक्षित आबादी पर न्यूनतम लागत पर उनका अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करने की दृष्टि से उपाय सुझाना।

3. विभागीय और वाणिज्यिक वस्तुओं के उपभोक्ता प्रभारों के निर्धारण की रूपरेखा की समीक्षा और उपभोक्ता प्रभारों के जरिए उनकी लागत वसूली की एक प्रभावी कार्यनीति सुझाना।

4. केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, सम्बद्ध कार्यालयों और संस्थाओं के तहत कर्मचारियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना और विभिन्न सेवाओं के संवर्गों और स्टाफ की तर्कसम्मति के लिए उपाय सुझाना। इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करने के लिए, कि सरकारी क्रियाकलापों के नए क्षेत्र के लिए किसी अतिरिक्त जनशक्ति को पुनर्रोजगार द्वारा पूरा किया जा सके, पुनर्रोजगार और अधिशेष स्टाफ के पुनर्प्रशिक्षण के मौजूदा प्रबंधों की समीक्षा करना।

5. सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया उनके वित्तपोषण के पैटर्न की समीक्षा करना उसमें प्रभावी सुधार उनकी गतिविधियों के लिए बजटीय समर्थन घटाने के उपाय सुझाना।

6. सरकार में व्यय प्रबन्धन से संबंध रखने वाले किसी अन्य प्रासंगिक मुद्दे पर विचार करना और उपयुक्त सिफारिशें करना।

काकीनाड़ा में विशेष आर्थिक जोन

1327. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काकीनाड़ा-विजाग विशेष आर्थिक जोन परियोजना अनुमोदित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से राज्य सम्मिलित हैं और इसमें कितनी राशि का निवेश किया जाएगा; और

(ग) इससे कौन-कौन से उद्योगों को लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश की सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर काकीनाडा और विशाखापत्तनम के बीच एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने के लिए सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश की सरकार से निवेश की जाने वाली राशि और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले संभावित उद्योगों सहित सभी ब्यौरे दर्शाते हुए औपचारिक प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

स्वापक औषधियों और सोने की जब्ती

1328. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान जनवरी, 2001 तक सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा कितनी मात्रा में सोना और स्वापक औषधियों की जब्ती की गई है और उसका अनुमानित मूल्य क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) सोने और स्वापक औषधियों की ऐसी अवैध तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिलगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नवम्बर, 2000 से जनवरी, 2001 की अवधि के दौरान जब्त किए गए सोने तथा स्वापक औषधियों का मूल्य तथा उनकी मात्रा तथा इसके संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, सोने तथा स्वापक औषधियों सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए सजग एवं चौकस रहते हैं तथा इसके अतिरिक्त स्वापक औषधि एवं विस्फोटकों की तस्करी का पता लगाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई स्थित चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर स्वापक एवं विस्फोटक खोजी यंत्र लगाए गए हैं।

विवरण

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 1.11.2000 से 31.1.2001 तक जब्त किये गये सोने तथा स्वापक औषधियों एवं इसके संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे

क्र.सं.	मद	मात्रा (कि.ग्रा. में)	जब्ती का मूल्य (लाख रुपए में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1.	सोना	205.931	848.85	29
2.	स्वापक औषधि			
	(क) हेरोइन	64.680	475.41	13
	(ख) गांजा	4183.150	133.10	12
	(ग) हशीश	58.314	40.31	2
	(घ) चरस	125.000	38.40	3
	(ङ) डाइजीपाम	1.528	0.75	3
		4432.672	687.97	33

[हिन्दी]

मनोरंजन क्षेत्र को केन्द्र सरकार के अधीन लाया जाना

1329. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मनोरंजन क्षेत्र को राज्य सूची से हटाकर इसे केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अधिशेष खाद्यान्न

1330. श्री के. येरननायडू:
श्री रतनलाल कटारिया:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश अधिशेष खाद्यान्नों की समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अधिशेष खाद्यान्न होने के बावजूद विशिष्ट मात्रा में भारत में खाद्यान्नों का आयात करना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) 1 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में बफर मानदंड की तुलना में गेहूं और चावल के स्टाक की स्थिति निम्नानुसार है:

(आंकड़े लाख टन में)

जिन्स	1.2.2001 की स्थिति के अनुसार	1.1.2001 की स्थिति के अनुसार बफर मानदंड	अधिशेष
गेहूं	241.18	84	157.18
चावल	223.96	84	139.86

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) सरकार ने स्थिति को ठीक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) 11.07.2000 से घटी हुई कीमतों पर गेहूं की खुली बिक्री प्रारंभ की गई है।

(2) 4.9.2000 से चावल की खुली बिक्री प्रारंभ की गई है।

(3) 25.7.2000 को गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में संशोधन कर इन्हें कम किया गया था।

(4) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 100% या समय-समय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित किए गए खुली बाजार बिक्री के मूल्य, जो भी कम न हो, पर निर्धारित किए गए हैं। खुली बाजार दरों के आर्थिक लागत से कम होने की स्थिति में राज्य इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या को कम दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं।

(5) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्नों का आवंटन 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति महीने की दर से 1995 की प्रक्षेपित जनसंख्या की बजाय अब 1.3.2000 को महापंजीयक द्वारा प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है।

(6) राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भिक्षु गृहों/अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़े

वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावासों/नारी निकेतनों आदि जैसी कल्याणकारी संस्थाओं में रहने वाले निराश्रित लोगों को कवर करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से राज्य सरकारों को आवंटन के लिए उपलब्ध है। अन्नपूर्णा योजना के अधीन खाद्यान्न का आवंटन उन अकिंचन वृद्ध व्यक्तियों को भी किया जा सकता है जो राज्य सरकारों से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(7) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू की गई सभी कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा।

(8) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों पर राज्य सरकारों को "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम तथा हरित भारत अभियान चलाने के लिए भी खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा।

(9) राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित तथा भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित गैर-सरकारी संगठनों, तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कार्यान्वित विकास योजनाओं (जिनमें लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग से संबंध रखते हों) के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा।

(10) भारतीय खाद्य निगम को उस मूल्य पर गेहूं के निर्यात की पेशकश करने की अनुमति दी गई है जो गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जो वर्तमान में 4150 रुपये प्रति टन हैं. से कम न हों।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में भेल द्वारा निष्पादित परियोजनाएं

1331. डा. बलिराम: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश और विदेशों में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा क्या है जो लाभ/घाटे में चल रही हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) भेल एक इंजीनियरिंग और निर्माणकारी संगठन है जो विद्युत संयंत्र के उपस्करों की आपूर्ति तथा विद्युत उपभोक्ताओं/प्रोमोटरों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं के लिए इन उपस्करों का निर्माण कार्य करता है।

देश तथा विदेश की विद्युत परियोजनाओं जिनके लिए भेल, इस समय उपस्कर तथा सेवाएं मुहैया करा रहा है, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विद्युत क्षेत्र को आपूर्तियां करना भेल का प्रमुख कार्य रहा है तथा भेल 1971-72 से लाभ कमाता रहा है। भेल की लाभदायकता, निर्माणकारी इकाई/प्रभाग वार निकाली जाती है। भेल का क्षेत्र सामान्यतया सम्पूर्ण परियोजना और इसके प्रचालन में नहीं आता है, और इसलिए परियोजनाओं के लाभ/हानियों के ब्यौरे भेल के पास उपलब्ध नहीं होते हैं।

विवरण

भारत तथा विदेशों में क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं जिन्हें भेल उपस्कर और सेवाएं मुहैया कर रही है, की सूची

क्रमसंख्या	ग्राहक/उपयोगिता स्तर की परियोजना	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	भारत में		
	(क) थर्मल पावर परियोजनाएं		
1.	बकरेश्वर डब्ल्यूबीपीडीसीएल, पश्चिम बंगाल	टर्नकी*	3×210
2.	खापरखेदा, एमएसइबी, महाराष्ट्र	बायलर, टीजी एवं सी एंड आई का निर्माण, आपूर्ति	2×210

1	2	3	4
3.	पानीपत-6 एचपीजीसीएल, हरियाणा	बायलर, टीजी एवं सी एंड आई का निर्माण, आपूर्ति	1×210
4.	रायचूर-7 केपीसीएल, कर्नाटक	बायलर, टीजी एवं सी एंड आई का निर्माण, आपूर्ति	1×210
5.	सिंहादरी, एनटीपीसी आन्ध्र प्रदेश	टर्नकी*	2×500
6.	सूरतगढ़, आरएसईबी, राजस्थान	बायलर, टीजी एवं सी एंड आई का निर्माण, आपूर्ति	3×250
7.	सूरतलिगनाइट जीआईपीसीएल गुजरात	बायलर, टीजी का निर्माण, आपूर्ति	2×125
8.	तलचर, जोआईपीसीएल, उड़ीसा	बायलर, टीजी का निर्माण आपूर्ति	4×500
9.	अनचाहर, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश	बायलर, टीजी एवं सी एंड आई का निर्माण, आपूर्ति	2×210
10.	विन्धयाचल, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश	बायलर टीजी एवं सी एंड आईका निर्माण, आपूर्ति	2×500
ख. गैस आधारित तथा सम्मिलित परियोजना चक्र:			
1.	फरीदीबाद सीसीपी, एनटीपीसी, हरियाणा	टर्नकी*	430
2.	कायमकुलाम सीसीपी, एनटीपीसी,केरल	टर्नकी*	350
3.	कोची, बीएसईबी, केरल	टीजी एवं अनुषंगियों की आपूर्ति निर्माण	39
4.	कोवीलकलापल, डीएनईबी, तमिलनाडु	टर्नकी*	107
5.	डीवीबी प्रगति डी.वी.बी, दिल्ली	टर्नकी*	330
6.	पेरूनगुलाम, टीएनईबी तमिलनाडु	टर्नकी*	95
7.	रोखिया जीओटी, त्रिपुरा	जीटी एवं अनषंगियों की आपूर्ति, निर्माण	21
8.	बारामुरा जीओटी. त्रिपुरा	जी.टी. एवं अनुषंगियों की आपूर्ति, निर्माण	21
9.	कथालगुरी सीसीपी निपको, आसाम	सिविल वर्क्स के अलावा टर्नकी	2×34+ 3×30

*भेल के टर्नकी संविदाओं में, आमतौर पर एक निर्धारित सीमा में बायलर, टीजी, सी एंड आई तथा सिविल कार्यों की आपूर्ति, निर्माण एवं आरंभ शामिल होते हैं।

1	2	3	4
ग.	नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं		
1.	आरएपीपी, एनपीसी, राजस्थान	टीजी एवं अनुषंगियों की आपूर्ति, निर्माण	2×220
2.	टीएपी, एनपीसी, महाराष्ट्र	टीजी एवं अनुषंगियों की आपूर्ति, निर्माण	2×500
घ.	हाइड्रो परियोजनाएं		
1.	बंसागर पीएच. 2 मध्य प्रदेश	टीजी सेटों की आपूर्ति, निर्माण एवं आरंभ	2×15
2.	मालाना, हिमाचल प्रदेश	टीजी सेटों की आपूर्ति, निर्माण एवं आरंभ	2×43
3.	कोपीली एसटी. 2 आसाम	टीजी सेटों की आपूर्ति	1×25
4.	घाटघर (एनआईसी, जापान के साथ संयुक्त रूप से) महाराष्ट्र	टीजी सेट की पार्ट आपूर्ति	2×125 (पार्ट आपूर्ति)
5.	इन्द्रासागर, मध्य प्रदेश	टीजी सेट की आपूर्ति	8×125
6.	सरदार सरोवर पीएसएस (सुमितोमो, जापान के साथ संयुक्त रूप से) गुजरात	टीजी सेट की पार्ट आपूर्ति	6×200 (पार्ट आपूर्ति)
7.	काबिनी, कर्नाटक	टीजी सेट की आपूर्ति, निर्माण और आरंभ	2×10
8.	तला, भूटान	टीजी सेट की आपूर्ति, निर्माण और आरंभ	6×170
9.	कुरीचू इकाई-4, भूटान	टीजी सेट की आपूर्ति	1×15
10.	लारजी, भूटान	टीजी सेट, ट्रांसफोर्मर एवं जीआईएस की आपूर्ति, निर्माण और आरंभ	3×42
11.	पायकरा अल्टीमेट, तमिलनाडु	टीजी सेट की आपूर्ति, निर्माण और आरंभ	3×50
12.	रंगानदी, नार्थ ईस्ट	टीजी सेट की आपूर्ति	3×135
13.	श्रीसेलम एलबीपीएस (सुमीतोमो जापान के साथ संयुक्त रूप से) आन्ध्र प्रदेश	टीजी सेट की पार्ट आपूर्ति	6×200
14.	गेरूसौपा-2, 3 एवं 4 कर्नाटक	टीजी सेट की आपूर्ति	3×60
15.	एसएस केनल, गुजरात	टीजी सेट की आपूर्ति	5×50

1	2	3	4
16.	बंसागर पीएच-3 गुजरात	टीजी सेटों की आपूर्ति, निर्माण एवं आरंभ	3×20
17.	चंडील, बिहार	टीजी सेट की आपूर्ति	2×4
18.	अपर सिंध 2 एवं 3, जम्मू एवं कश्मीर	टीजी सेट की आपूर्ति	2×35
19.	कुरीचू-1, 2 एवं 3 भूटान	टीजी सेट की आपूर्ति	3×15
2. विदेश			
1.	बेजी यूनिट 1 एवं 3, ईराक	गैस टरबाईन, विद्युत संयंत्र एवं अनुषंगियों की आपूर्ति	2×150
2.	बेजी यूनिट 3 एवं 4, ईराक	गैस टरबाईन, विद्युत संयंत्र एवं अनुषंगियों की आपूर्ति	2×150
3.	रेहाब, जाम्बिया	330 केवी सब स्टेशन	330 केवी
4.	बाधाबारी, बंगलादेश	गैस टरबाईन विद्युत संयंत्र	100
5.	मिंगेचेयूर, अजेरबेजान	हाइड्रो जनरेटर पैकेज	78.2 एमवीए

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा

1332. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्रता आदि संबंधी नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं/करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) सरकार ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन शुरू किए हैं:-

(1) लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से दोगुना कर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है और 1.4.2000 से गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आवंटन आर्थिक लागत पर ही रखा गया है।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 1995 के जनसंख्या के बजाए 1.3.2000 को महापंजीयक की प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से ऊपर के दरों अर्थात् आर्थिक लागत के 100% या खुली बाजार बिक्री दरों, जो भी कम हो, पर गरीबी रेखा से ऊपर के आवंटन के प्रति चावल और गेहूं का उठान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि यह राज्य के लिए चावल के लेवी मूल्य से कम नहीं होगा।

(4) 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधान मंत्री द्वारा प्रारंभ की गई अंत्योदय अन्न योजना निर्धनों में निर्धनतम 1 करोड़ परिवारों की पहचान करने और उन्हें 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों—गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपयए प्रति किलोग्राम—पर खाद्यान्न देने की परिकल्पना की गई है।

(5) लेवी चीनी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनर्संरचना करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि पहली फरवरी, 2001 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति उत्तर-पूर्वी राज्यों, पर्वतीय राज्यों और द्वीप समूह क्षेत्रों, जहां वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी, को छोड़कर अन्य राज्यों में केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित रखी जाएगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी की आपूर्ति के लिए कवर की जाने वाली जनसंख्या 1 मार्च, 2000 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर परिकलित की जाएगी। प्रति व्यक्ति प्रति मापदण्ड को 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम कर दिया गया है ताकि गरीबी रेखा से नीचे के लाभभोगियों को और अधिक लाभ मिल सके।

विकास केन्द्र

1333. श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री गुनीपाटी रामैया:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख तक राज्य-वार कितने विकास केन्द्र हैं और ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले गए;

(ख) इन केन्द्रों के पोषण की विधि क्या है;

(ग) इन केन्द्रों को आज तक वर्ष-वार और केन्द्र-वार कितनी केन्द्रीय सहायता जारी की गई;

(घ) प्रत्येक राज्य में इन विकास केन्द्रों द्वारा किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त कर लिए है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कुछ और विकास केन्द्र खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) देश भर में विकसित किये जाने वाले 71 विकास केन्द्रों में से अब तक केन्द्र सरकार ने 68 विकास केन्द्र अनुमोदित कर दिये हैं। इनकी राज्य-वार संख्या और स्थापनास्थल के नाम तथा वर्षवार व राज्यवार जारी की गई केन्द्रीय सहायता राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

1995 में बने वित्तीय पैटर्न के अनुसार केन्द्र सरकार प्रत्येक विकास केन्द्र को इक्विटी के रूप में 10 करोड़ रुपये मुहैया कराती है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास केन्द्रों के लिए यह राशि बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दी गई हैं। शेष धन राशि परियोजना कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकार तथा उसके अधिकरणों द्वारा जुटाई जानी होती है।

(घ) विकास केन्द्र योजना का उद्देश्य संबंधित राज्यों द्वारा उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में चुनिंदा स्थलों पर मौलिक अवस्थापनापरक सुविधाओं को विकसित करना है। राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-II पर दिये गये हैं।

(ङ) और (च) तीन विकास केन्द्रों को मंजूरी दी जानी है जो असम, सिक्किम व उत्तरांचल राज्यों में प्रत्येक में एक-एक केन्द्र के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

विकास केन्द्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विकास केन्द्र का नाम	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-20002000-2001		योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	आन्ध्र प्रदेश												
1.	हिन्दपुर	50	150	—	—	—	—	—	—	1-	—	—	200
2.	खम्माम	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	बोबिली	50	150	—	—	—	100	140	—	100	11	—	551
4.	अंगोले	50	150	—	—	—	100	—	150	200	—	—	650
II.	अरुणाचल प्रदेश												
5.	निकलोक नगोरलंग	—	—	—	—	—	—	50	—	48	50	—	148
III.	असम												
6.	जारीद्वार	—	—	—	--	—	—	50	—	—	150	100	300
7.	मटिया	—	—	—	—	—	—	—	50	—	100	100	250
IV	बिहार												
8.	बेगुसराय	—	—	—	—	—	250	50	—	—	—	—	300
9.	भागलपुर	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	50
10.	छपरा	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	50
11.	दरभंगा	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	50
12.	मुजफ्फरपुर	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	50
V.	छत्तीसगढ़												
13.	बोरई	100	100	100	—	68	200	100	—	—	125	—	793
14.	सिलतारा	50	150	—	—	668	134	—	—	—	—	—	1000
VI.	गोवा												
15.	इलैक्ट्रोनिक सिटी	—	50	—	—	474	—	—	150	—	—	—	674
VII.	गुजरात												
16.	गांधीधाम	—	50	—	—	50	—	—	—	—	—	250	350
17.	पालनपुर	—	50	—	—	50	—	—	—	—	—	150	250
18.	वागरा	—	50	150	100	660	40	—	—	—	—	—	1000
VIII.	हरियाणा												
19.	बावल	—	200	—	—	800	—	—	—	—	—	—	1000
20.	शहा	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	150	200
IX.	हिमाचल प्रदेश												
21.	कांगड़ा	—	—	—	—	—	—	450	—	—	—	—	450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X.	जम्मू और कश्मीर												
22.	लासीपोरा	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	200	250
23.	साम्बा	50	150	—	—	—	—	400	—	50	200	—	850
XI.	झारखंड												
24.	हजारीबाग	—	—	—	—	—	150	50	—	—	—	—	200
XII.	कर्नाटक												
25.	धारवाड़	50	150	—	100	120	380	200	—	—	—	—	1000
26.	रायचूर	50	150	—	—	120	140	220	—	120	—	—	800
27.	हस्सन	50	150	—	—	100	500	140	60	—	—	—	1000
XIII.	केरल												
28.	अलपुज्झा-मालापुरम	—	50	—	—	118	100	—	200	532	—	—	1000
29.	कन्नूर-कोझीकोड	—	50	—	—	434	400	116	—	—	—	—	1000
XIV.	मध्य प्रदेश												
30.	चैनपुरा	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
31.	घीरोंगी	100	100	300	100	400	—	—	—	—	—	—	1000
32.	खेड़ा	100	—	200	100	23	577	—	—	—	—	—	1000
33.	सतलापुर	—	—	50	—	—	135	250	—	—	—	100	535
XV.	महाराष्ट्र												
34.	अकोला	—	200	—	—	—	—	100	450	—	200	—	950
35.	चन्द्रापुर	—	200	—	—	—	100	—	100	200	60	—	660
36.	धुले	—	200	—	—	—	—	—	—	50	200	50	500
37.	नांदेड	—	—	—	—	—	—	—	550	—	200	50	800
38.	रत्नागिरी	—	200	—	—	—	—	40	200	—	—	—	440
XVI.	मणिपुर												
39.	लामलाई-नापेट	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	100	150
XVII.	मेघालय												
40.	मेन्दीपत्थर	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	50
XVIII.	मिजोरम												
41.	लुआंगमुआल	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	250	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XIX.	नागालैण्ड												
42.	गणेशनगर	50	—	—	—	—	—	—	-	500	500	—	1050
XX.	उड़ीसा												
43.	छत्तरपुर	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
44.	कलिंगनगर-दूबरी	—	50	—	—	—	—	—	—	50	50	—	150
45	झारसुगुड़ा	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
46.	केसिंगा	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	50
XXI.	पांडिचेरी												
47.	पोलागाम	—	—	—	—	—	—	—	50	—	250	—	300
XXII.	पंजाब												
48.	भटिंडा	100	—	500	100	200	100	—	—	—	—	—	1000
49.	पठानकोट	50	150	74	—	526	200	—	—	—	—	—	1000
XXIII.	राजस्थान												
50.	आबू रोड़	50	150	—	—	300	360	140	—	—	—	—	1000
51.	खेरा	50	150	—	—	100	—	—	50	—	100	—	450
52.	भीलवाड़ा	50	—	—	—	—	—	—	—	100	150	—	300
53.	धोलपुर	—	—	50	—	150	50	—	70	—	—	—	320
54.	झालावाड़	50	—	—	—	250	—	—	—	—	—	—	320
XXIV.	तमिलनाडु												
55.	ईरोड	50	—	—	100	850	—	—	—	—	—	—	1000
56.	तिरूनेलवेली	50	150	—	—	730	—	—	—	—	—	—	930
57.	ओरंगाडाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	150	200
XXV.	त्रिपुरा												
58.	बोद्धजंग नगर	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	300
XXVI.	उत्तर प्रदेश												
59.	बिजौली	—	50	—	—	—	—	—	—	—	100	200	350
60.	जामूर	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	200	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61.	पकबारा	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	200	250
62.	डिबीयापुर	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	50	100
63.	खुर्जा	—	—	50	—	—	200	—	170	—	—	—	420
64.	सथारिया	50	—	—	—	—	400	—	—	—	—	—	450
65.	साहजनवा	50	—	—	100	850	—	—	—	—	—	—	1000
XXVII.	पश्चिम बंगाल												
66.	बोलपुर	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	50
67.	जलपाईगुड़ी	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	50
68.	मालदा	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	50
	योग	1500	3650	1474	700	8039	4616	2896	2500	2000	2496	2550	32371

विवरण-II

राज्यवार विकास केन्द्रों के तहत प्राप्त लक्ष्य
(15.9.2000 की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कार्यशील विकास केन्द्र जहां औद्योगिक भूखंड देने शुरू हो गये हैं	स्थापित औद्योगिक इकाईयों की संख्या	पूंजी निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार सृजन
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	01	—	—	—
2.	छत्तीसगढ़	02	41	62483.00	2861
3.	गोवा	01	69	28617.18	5953
4.	गुजरात	01	—	—	—
5.	हरियाणा	01	15	30000.00	300
6.	हिमाचल प्रदेश	01	41	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	01	—	—	—

1	2	3	4	5	6
8.	कर्नाटक	03	300	509323.00	2686
9.	केरल	01	—	5150	25
10.	मध्य प्रदेश	02	43	146732.40	8769
11.	महाराष्ट्र	02	—	361.30	—
12.	पंजाब	02	01	—	—
13.	राजस्थान	04	136	4031.00	1342
14.	तमिलनाडु	01	07	1036.50	323
15.	त्रिपुरा	01	—	—	—
16.	उत्तर प्रदेश	03	133	6499.09	2856
	योग	27	786	789134.97	25115

चीन द्वारा निवेश

1334. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन निवेश के अवसरों और संयुक्त उद्यमों हेतु भारतीय उद्योग में अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नजर रखे हुए है और उन्होंने दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार को बढ़ाने के लिए भारतीय व्यापार के बारे में और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच किस सीमा तक व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या चीन ने भारतीय उद्योग पर यह बात स्पष्ट कर दी है कि चीनी सामान से भारतीय बाजार को कोई खतरा नहीं है जो भारत के कुल आयात का 2.4 प्रतिशत है;

(ङ) यदि हां, तो क्या चीन ने यह भी सुझाव दिया है कि भारतीय कम्पनियों को चीनी बाजार में निवेश हेतु विशाल संभावनाओं में गति लानी चाहिए; और

(च) यदि हां, तो भारत किस सीमा तक चीनी बाजार में प्रवेश करने में सफल हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) भारतीय विदेश प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) व्यवस्था की सतत् उदारीकरण के फलस्वरूप चीन सहित कई देशों ने भारत में निवेश के मुख्य क्षेत्रों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उदारीकरण के पश्चात् की अवधि में चीन के अनुमोदित निवेश का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा दूरसंचार एवं धातुकर्मीय उद्योग में हुआ है।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर, 2000-2001 के दौरान भारत-चीन व्यापार में अप्रैल-अक्तूबर, 1999-2000 की तुलना में रुपये के रूप में 36.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ग) भारत सरकार चीन के साथ व्यापार में सुधार और इसका विस्तार करने की ओर कार्यरत है। उठाए गए विभिन्न कदमों में शामिल हैं:- प्रतिनिधिमंडलों का आदान प्रदान, संयुक्त व्यापार समिति की बैठकें आयोजित करना, वाणिज्यिक सूचना का आदान-प्रदान, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, इत्यादि।

(घ) चीन प्राधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे चीन से हो रहे ऐसे अवैध आयातों को रोकने में भारत के साथ सहयोग करने को तैयार हैं जिससे भारत को चीन के वैध निर्यातों से नुकसान पहुंचता है।

(ङ) दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर पर और जे.बी.सी स्तर पर यह सहमति हुई थी कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश को सुगम किया जाए और बढ़ाया जाए।

(च) चीन में पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के लिए भारतीय व्यापारियों के अनेक प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिसमें मैसर्स बोकहार्ड लि., सिपला लि., रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज लि., मेकास्टर इंटरनेशनल लि., ओरिन एक्सपोर्ट्स लि. इत्यादि के प्रस्ताव शामिल हैं।

[हिन्दी]

बैंक ऑफ राजस्थान में अनियमितताएं

1335. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा जांच के क्या निष्कर्ष निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) अखिल भारत बैंक ऑफ राजस्थान अधिकारी परिसंघ और बैंक ऑफ राजस्थान कर्मचारी यूनियन से बैंक ऑफ राजस्थान लि. के कार्य के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.12.1995 की स्थिति के अनुसार बैंक ऑफ राजस्थान लि. की वित्तीय स्थिति के सन्दर्भ में इसके निरीक्षण और उसके पश्चात् इसके द्वारा की गई विशेष समीक्षा से बैंक के कारोबार संचालन में गंभीर अनियमितताओं का पता चला था जिनमें से अधिकांश बॉगुर समूह से सम्बन्धित कतिपय उधार खातों में हुई थी इसके परिणामस्वरूप बांगूर समूह से जुड़े बैंक के दो प्रवर्तक निदेशकों को अक्तूबर, 1997 में बैंक के बोर्ड से भारतीय रिजर्व बैंक ने हटा दिया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि अखिल भारतीय बैंक ऑफ राजस्थान कर्मचारी संघ द्वारा दायर रिट याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई के अपने निर्णय में भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक ऑफ राजस्थान के कार्य-कलाप में भाग लेने से बांगुर समूह के नामितियों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निदेश दिया है। तदनुसार, बैंक के दो और निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के बोर्ड से हटा दिया गया था जो बांगुर समूह के नामिति थे और 4 और निदेशक जो कि बांगूर समूह के नामिति थे, भी अब बैंक के बोर्ड के निदेशक नहीं हैं क्योंकि उन्हें दुबारा नहीं चुना गया था। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय कर्मचारी संघ द्वारा दायर रिट याचिका पर 27 सितम्बर, 1999 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को यह निदेश दिया कि वे बांगूर समूह द्वारा निधियों की निकासी की जांच करें और आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। चूंकि सी.बी.आई. जांच पूरी नहीं कर पाई है, अत: उसने जांच पूरी करने के लिए माननीय न्यायालय से 6 महीने का और समय मांगा है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में गैर-बैंकिंग कम्पनियां

1336. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कितनी गैर-बैंकिंग कंपनियां काम कर रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने जमाकर्ताओं ने अपना धन गैर-बैंकिंग कंपनियों में जमा किया है और यह धनराशि कितनी है;

(ग) उपरोक्त गैर-बैंकिंग कंपनियों में से कितनी गैर-बैंकिंग कंपिनयां जमाकर्ताओं से धन एकत्र करके गायब हो गई;

(घ) सरकार द्वारा इन गैर-बैंकिंग कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा ऐसे कदाचार रोकने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा राज्य में निगमित 187 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए अपने आवेदन भेजे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान इन कंपनियों में अपनी धनराशि जमा कराने वालों की संख्या के संबंध में जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, उपलब्ध

सूचना के आधार पर पिछले तीन वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास बकाया सार्वजनिक जमाराशियां निम्नानुसार थी:-

31.3.1998	787.70 लाख रुपए
31.3.1999	771.43 लाख रुपए
31.3.2000	1005.44 लाख रुपए

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 12 कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध पते पर नहीं मिली थी।

(घ) और (ङ) व्यापक विनियामक ढांचा तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सुदृढ़ एवं सही तरीके से कार्य करें। इन विनियामक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं: अनिवार्य पंजीकरण, चल-निधि बनाए रखा जाना, कम से कम निवल लाभ के 20 प्रतिशत का आरक्षित निधि में अंतरण तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश जारी करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को शक्ति प्रदान करना। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न चूकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए दोषी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न कार्रवाई करता है। सरकार ने हाल ही में लोक सभा में एक विधेयक पेश किया है जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की आशा की गई है।

सेंसर बोर्ड संबंधी खोसला समिति

1337. श्री रामजीवन सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म सेंसरशिप की व्यवहार्यता की समीक्षा करने हेतु गठित खोसला समिति ने सेंसर बोर्ड और इससे संबंधित नियमों के पुनर्गठन हेतु कुछ सिफारिशें की हैं/सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) श्री जी.डी. खोसला, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पंजाब की अध्यक्षता में गठित खोसला समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 जुलाई, 1969 को प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशें जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ फिल्मों के त्रिस्तरीय वर्गीकरण संबंधी प्रणाली शुरू करना और सेंसर संहिता के स्थान पर प्रमाणन दिशानिर्देश तैयार करना शामिल है, को चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 तैयार करते समय उपयुक्त रूप से ध्यान में रखा गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1338. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान में उसका अपने स्टाफ के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का कोई इरादा नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को भरा जाना

1339. डा. संजय पासवान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत की अनेक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कमिश्नरी में विशेषकर पटना कमिश्नरी में प्रोन्नति वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उसी श्रेणी में कुछ पद आरक्षण मुक्त कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को इस प्रकार आरक्षण मुक्त करने का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, पटना में अधीक्षक के दस पदों, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए थे, को उसी श्रेणी में प्रोन्नति हेतु उपलब्ध अनुसूचित जाति के योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी करते हुए अनारक्षित करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति तथा पैनल बनाने से संबंधित मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, पैनल वर्षवार बनाये जाने होते हैं और रिक्तियों को एक साथ मिलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। चूंकि किसी वर्ष विशेष की रिक्तियों के संबंध में विचार हेतु विस्तारित जोन के अन्दर कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं थे और रिक्तियों को एक साथ मिलाने की अनुमति नहीं है, इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 10 पदों को अनारक्षित करने के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय/पटना के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा सहमति दे दी गई थी।

सी.आई.आई. द्वारा आर्थिक परिवर्तन योजना

1340. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य परिसंघ ने सरकार से सन् 2005 तक आर्थिक परिवर्तन योजना तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वाणिज्य परिसंघ ने भी 2005 तक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन के उपायों का पता लगाया है और कुछ उपाय सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) जी, नहीं।

परन्तु "मध्यावधि में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के मार्ग-दर्शक 24 कारक-सी.आई.आई. विश्लेषण" नामक ज्ञापन में सी.आई.आई. ने 24 कारकों को सूचीबद्ध किया है जो औद्योगिक उत्पादन में आई गिरावट को पलट देंगे।

मुख्य कारक हैं: सहस्राब्दी जमा अन्तर्प्रवाह में वृद्धि; राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के माध्यम से सब्सिडी और व्यय में कमी; वित्तीय क्षेत्र से नियन्त्रण हटाना; विनिवेश एवं निजीकरण तथा साफ्टवेयर निर्यातों सहित निर्यात में भारी वृद्धि।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

1341. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को गेहूं और चावल की गुणात्मक आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अन्य कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित समूचे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किये हैं।

(1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 1.4.2000 से खाद्यान्नों का आवंटन आर्थिक लागत के 50% पर 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह करके दूगना कर दिया गया है और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए इसे आर्थिक लागत पर रखा गया है।

(2) किसी राज्य द्वारा की गयी अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग को सरकार द्वारा आर्थिक लागत पर पूरा किया जाता है।

(3) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए 1995 की बजाय 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के आबादी प्रक्षपणों के आधार पर किया जाता है।

(4) 2000 टन तक की क्षमता के गोदामों का निर्माण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "गोदामों का निर्माण" नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान का जाती है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, विशेष रूप से ग्रामीण दूरस्थ, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में इनकी सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। विशेष रूप से दूरदराज और दूरगामी क्षेत्रों में मोबाइल उचित दर दुकान के रूप में उपयोग करने और उचित दर दुकान पर सुपुदर्गी देने के लिए खाद्यान्नों के वाहक के रूप में उपयोग करने के लिए "वैनों की खरीद" नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अधीन भी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

(5) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से उपभोक्ताओं तक कुशलता से पहुंचाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक माडल सीटीजन चार्टर तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रचालित किया गया ताकि वे इसे अपना सकें।

(6) इस विश्वास के आधार पर कि नौकरशाही की अपेक्षा सच्ची लोकतांत्रिक संस्थायें सभी की खाद्य सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की बेहतर सुरक्षा कर सकती हैं, सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श भी दिया है कि वे विशेष रूप से उचित दर दुकान स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण और मानीटरिंग में सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में ग्राम पंचायतों को अधिकाधिक रूप से शामिल करें।

(7) 25.12.2000 से अन्त्योदय अन्न योजना शुरू की गयी है, ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आबादी के 5% वर्ग, जिसे भूखग्रस्त कहा जा सकता है, के लिए अधिक लक्षित किया जा सके।

(ग) और (घ) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:-

(1) राज्य सरकारों को वे खाद्यान्न (गेहूं और चावल) जारी किये जाते हैं जो उचित औसत किस्म के होते हैं, कीट जन्तुबाधा से मुक्त होते हैं और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप होते हैं। इसके लिए राज्य सरकारों को उनकी गुणवत्ता और मात्रा के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाता है।

(2) राज्य सरकार के अधिकारियों को इस बात के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाते हैं कि वे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जारी करने से पूर्व स्टाक का निरीक्षण कर लें। इस विभाग द्वारा सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न जारी करने से पूर्व उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षक पद से कम का अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(3) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी किये जाने वाले स्टाक से राज्य सरकार को और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उचित दर दुकानों के कांऊटर पर प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त रूप से नमूने लिये और सील किये जाते हैं।

(4) भारत सरकार के अधिकारी उचित दर दुकानों की अचानक जांच करते हैं, ताकि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच कर सकें।

मिट्टी का तेल जारी करना

1342. श्री अनंत गुढे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में और पिछड़े राज्यों की तुलना में विकसित राज्यों में मिट्टी का तेल अधिक मात्रा में जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों में मिट्टी के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बराबर मात्रा में सख्ती से नियमानुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उपभोता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) मिट्टी का तेल एक आवंटित उत्पाद है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए इसका वार्षिक/मासिक आवंटन किया जाता है। मिट्टी के तेल का आबंटन काफी समय पूर्व निश्चित किए गए आधार पर किया जाता है, जिसका अर्थ है कि विगत वर्ष के आवंटन में प्रति व्यक्ति कम उपलब्धता वाले राज्यों को अधिक वृद्धि देने के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर की गई वृद्धि में से किए गए अतिरिक्त आवंटन को जोड़कर आवंटन करना है, ताकि अन्तर्राज्यीय विषमता को कम किया जा सके। राज्य के अंदर मिट्टी के तेल के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना आयोग के राज्य-वार गरीबी अनुमानों के आधार पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। 1.4.2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह आवंटन 10 किलोग्राम से दुगुना कर 20 किलोग्राम कर दिया गया है और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए उसे 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आरंभ के समय के स्तर पर रखा गया है।

1.12.2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 1995 के प्रक्षेपित जनसंख्या के बजाए 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर प्रतिस्थापित कर और बढ़ा दिया गया है।

लेवी चीनी के आवंटन के संबंध में सरकार ने निर्णय लिया है कि पहली, फरवरी, 2001 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति उत्तर-पूर्वी राज्यों, पर्वतीय राज्यों और द्वीप समूह क्षेत्रों, जहां वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी, को छोड़कर अन्य राज्यों में केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित रखी जाएगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी की आपूर्ति के लिए कवर की जाने वाली जनसंख्या 1 मार्च, 2000 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर परिवर्तित की जाएगी। प्रति व्यक्ति प्रति माह मापदण्ड को 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम कर दिया गया है, ताकि गरीबी रेखा से नीचे के लाभभोगियों को और अधिक लाभ मिल सकें।

टी.वी. धारावाहिकों का चयन

1343. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टी.वी. धारावाहिकों के चयन और उनकी समयावधि के संबंध में कोई नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अचानक रोके गए कुछ लोकप्रिय सीरियलों को दूरदर्शन पर पुन: शुरू किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है। तथापि, दूरदर्शन दर्शकों की रूचि बनाए रखने के लिए विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों का चयन करते समय वृत्तचित्रों, टेलीफिल्मों, धारावाहिकों श्रृंखलाओं, फीचरों, गीतों, संगीत कार्यक्रमों, रंगारंग कार्यक्रमों जैसे विभिन्न रूपों में मनोरंजन सूचना और शिक्षा के बीच उचित संतुलन बनाने का प्रयास करता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन समिति किसी कार्यक्रम को अनुमति प्रदान करते समय प्रकरणों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है। दूरदर्शन द्वारा प्रकरणों की विनिर्दिष्ट संख्या से और आगे विस्तार की अनुमति कार्यक्रम की लोकप्रियता, वाणिज्यिक आय, निर्माण की गुणवत्ता तथा कार्यक्रम अपेक्षाओं आदि को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क

1344. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए;

(ग) क्या देश में ऐसे और अधिक पार्क स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के पास मंजूरी हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अब तक 23 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों (ई.पी.आई.पी.) की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में ई.पी.आई.पी. की स्थापना के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों से कतिपय सूचना के अभाव में लम्बित पड़े हुए हैं।

विवरण

राज्यों के नाम	ई.पी.आई.पी. का स्थान
1	2
केरल	काक्कानाड, जिला-एर्णाकुलम
महाराष्ट्र	अम्बरनाथ, जिला-थाणे
कर्नाटक	(1) हुड़ी, जिला-बंगलौर
	(2) मंगलौर*
राजस्थान	(1) सीतापुरा, जिला-जयपुर
	(2) तापुकारा, जिला-अलवर*

1	2
उत्तर प्रदेश	(1) सूरजपूर, जिला-गौतमबुद्ध नगर
	(2) आगरा
तमिलनाडु	गूम्मिडीपूंडी, चेंगलपट्टू जिला
असम	अमीनगांव, गुवाहाटी के निकट, कामरूप जिला
अरुणाचल प्रदेश	परामीलरम, जिला-मेढ़क
हरियाणा	कुंडली, जिला-सोनीपत
पंजाब	धंदरी कलां, जिला-लुधियाना
हिमाचल प्रदेश	बद्दी, जिला-सोलन
गुजरात	साल्वी, जिला-बडौदा
बिहार	हाजीपुर, जिला-वैशाली
मेघालय	बिर्नीहाट, जिला-रिभोइ
मध्य प्रदेश	पीतमपुर, जिला-धार
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर, जिला-वर्दवान
उड़ीसा	भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा
जम्मू एवं कश्मीर	सांबा, जिला-जम्मू
नागालैंड	गणेशनगर, दीमापुर
मणिपुर	खुनुता चिंगजिन (दोवाल जिला)

*ये प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित हैं

[हिन्दी]

सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु नाबार्ड ऋण

1345. श्री पद्मसेन चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु नाबार्ड से ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नाबार्ड द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उत्तर प्रदेश में नाबार्ड की सहायता से कितनी सड़कें/पुल बनाए जा रहे हैं अथवा बनाए जाने की प्रस्ताव है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 254 पक्की ग्रामीण रोड परियोजनाओं के निर्माण के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अन्तर्गत ऋणों के लिए अनुरोध किया है जिसकी अनुमानित लागत 44.68 करोड़ रुपए बैठती है। इन परियोजनाओं हेतु नाबार्ड ने आरआईडीएफ के अन्तर्गत 40.21 करोड़ रुपए की मंजूरी का प्रस्ताव किया है और इसमें राज्य सरकार का अंशदान 4.47 करोड़ रुपए होगा।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में आरआईडीएफ के विभिन्न भागों के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा मंजूर की गई सड़क और पुल परियोजनाओं के विवरण निम्नप्रकार हैं:-

(राशि करोड़ रुपए में)

भाग	ग्रामीण सड़क		ग्रामीण पुल	
	सड़कों की संख्या	मंजूर की गई राशि	पुलों की संख्या	मंजूर की गई राशि
आरआईडीएफ-2	1525	215.99	80	112.38
आरआईडीएफ-3	1333	146.46	25	27.09
आरआईडीएफ-4	2455	340.38	102	140.06
आरआईडीएफ-5	1081	125.16	39	79.57
आरआईडीएफ-6	1217	177.79	1	0.76

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष, अंत तक, के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को संवितरित की गई राज्य-वार राशि निम्नप्रकार है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	संवितरित राशि	
	ग्रामीण सड़क	ग्रामीण पुल
1997-98	20.99	16.05
1998-99	99.20	10.45
1999-2000	153.21	30.27
2000-2001	78.74	27.69

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी बैंकों की शाखाएं खोलना

1346. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी बैंक सामान्यतया अपनी शाखाएं महानगरों अथवा बड़े शहरों में स्थापित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके लिए नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विदेशी बैंकों द्वारा अपनी शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रों के चयन का निर्णय उनके द्वारा पूर्णतया वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

[हिन्दी]

हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कारों हेतु दिशा-निर्देश

1347. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर विभाग के उन कर्मचारियों/अधिकारियों जो हिन्दी में कार्य करते हैं, को पुरस्कार देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन में जारी दिशा-निर्देशों/मानदंडों का विशेषकर गुजरात में अहमदाबाद के आयकर कार्यालय में अनुपालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन. रामचन्द्रन): (क) राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशा-निर्देश तथा मानदण्ड स्वयंमेव आयकर विभाग पर भी लागू होते हैं।

(ख) इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए जाते हैं। ये आयकर विभाग पर भी लागू होते हैं। ये मानदंड इस प्रकार हैं:-

प्रथम पुरस्कार (2 पुरस्कार) :	प्रत्येक 800 रुपये
द्वितीय पुरस्कार (3 पुरस्कार):	प्रत्येक 400 रुपये
तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार) :	प्रत्येक 300 रुपये

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रूग्ण कम्पनियों के लिए नए कानून

1348. श्री वसुदेव आचार्य:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8 फरवरी, 2000 के "दि इकोनॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्र सरकार दिवालिया और रूग्ण कंपनियों के लिए एक नया कानून बना रही है;

(ख) यदि हां, तो एस.आई.सी.ए. और बी.आई.एफ.आर. के बारे में सरकार का क्या निर्णय है;

(ग) क्या श्रम मंत्रालय के विचारों/आपत्तियों पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है;

(घ) श्रमिकों के हितों की रक्षा किस प्रकार की जा रही है;

(ङ) क्या बी.आई.एफ.आर. और एस.आई.सी.ए. को समाप्त करने के स्थान पर शोधन क्षमता कोष (सोलवेंसी फंड) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) कंपनियों के दिवालिया एवं समापन के संबंध में विधि संबंधी एराडी समिति ने सरकार को 31.8.2000 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। एराडी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ रूग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनर्वास के लिए (क) कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) (ख) कंपनियों के समापन, समामेलन योजनाओं अथवा व्यवस्था संबंधी मामलों पर उच्च न्यायालय और (ग) रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में प्रयोग की जा रही शक्तियों सहित एक राष्ट्रीय अधिकरण गठित करने का सुझाव दिया था।

एराडी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 को समाप्त करने और कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जी, हां। एसआईसीए को समाप्त करने एवं संबंधित मामलों के लिए मंत्रियों के समूह में श्रम मंत्री एक सदस्य है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का गठन करने के लिए प्रस्तावित नए कानून में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपबंध शामिल किए जाएंगे।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर अपवंचन की सूचना देने वालों को पुरस्कार

1349. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर अपवंचकों की सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने की कोई योजना मौजूद है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया और इन सूचनाओं के आधार पर सरकार को कर अपवंचकों से आयकर के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां। मुखबिरों से जो कर-अपवंचन के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करते हैं, को पुरस्कार का भुगतान "मुखबिरों को पुरस्कार की स्वीकृति हेतु दिशा-निर्देश 1993" द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल 563 लोकों को पुरस्कार स्वीकृत किया गया है तथा ऐसी सूचना के आधार पर कुल 7687.06 लाख रु. (मुंबई प्रभाग को छोड़कर) की कर राशि एकत्र की गई है।

[अनुवाद]

मंत्रालयों का बजट प्राक्कलन

1350. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालयों द्वारा अपने बजट का दोषपूर्ण और अवांछनीय रूप से बढ़ा-चढ़ाकर प्राक्कलन करने की प्रवृत्ति से न केवल धनराशि का अकुशल तरीके से प्रयोग होता है बल्कि इसके कारण अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र भी आवश्यक संसाधनों से वंचित रह जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सामान्य वित्तीय नियमावली निधियों की आवश्यकताओं के सही प्राक्कलन हेतु वर्गीकरण की व्यवस्था करती

है। अनुमोदित अनुदानों की तुलना में आधिक्य/बचतें महत्वपूर्ण नहीं रही हैं। वित्त मंत्रालय के परामर्श से संबंधित मंत्रालयों द्वारा व्यय की प्रवृत्ति की समीक्षा की जाती है और संशोधित प्राक्कलन के स्तर पर उपयुक्त समायोजन किए जाते हैं। अनुमोदित विनियोजनों की तुलना में बचतों और आधिक्यों के उदाहरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में टिप्पणियां भी की जाती हैं, जिनकी लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जाती है और उनकी सिफारिशें संसद के समक्ष रखी जाती हैं।

खिलाड़ियों की भर्ती

1351. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और उसके अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती किए गए पुरूष/महिला खिलाड़ियों का जोनवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सभी खिलाड़ी कार्मिकों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निष्पादन संतोषजनक था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्म कार्यवाही की गयी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) वर्ष 1998 से 2000 तक के दौरान कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिशों पर खेल के कोटे के प्रति मंत्रालय तथा उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केवल एक अभ्यर्थी को अवर श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति दिल्ली क्षेत्र में आती है और यह जूडो के खेल मे संबंधित है।

(ख) और (ग) मंत्रालय में नियुक्त खिलाड़ी ने दिसम्बर, 2000 के दौरान बैंकाक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूडो चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता और हरियाणा राज्य जूडो संघ द्वारा मार्च, 2000 में आयोजित वरिष्ठ जूडो चैम्पियनशिप में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसे युवा मामलों के विभाग द्वारा इस खेल में वर्ष 2000 में जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी चुना गया था, जिसे उसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जाली मृत्यु प्रमाणपत्रों पर एल.आई.सी. द्वारा भुगतान

1352. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने जाली मृत्यु प्रमाणपत्रों पर लाखों रुपयों का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार जीवन बीमा निगम के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने बताया है कि उनके ध्यान में ऐसे कुछ मामले आए हैं जिनमें जाली मृत्यु प्रमाणपत्रों के आधार पर भुगतान किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे निम्नप्रकार से हैं:-

वर्ष	पंजीकृत किए गए सतर्कता मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त पालिसियों की संख्या
1998-99	1	1
1999-2000	2	4
2000-2001	2	13

(ग) वर्ष 1998-1999 से संबंधित मामले के संबंध में उत्तरदायी एजेंटों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं और जीवन बीमा निगम की नामसूची से चिकित्सा परीक्षक को निकाल दिया गया है। जहां तक वर्ष 1999-2000 से संबंधित दो मामलों का संबंध है, इसके लिए जिम्मेदार एजेंट की सेवाओं को समाप्त कर दिया है और एक विकास अधिकारी तथा अन्य उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध जीवन बीमा निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2000-2001 से संबंधित दो मामलों के संबंध में जीवन बीमा निगम से संबंधित एक मामले की विस्तृत जांच के लिए उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को संदर्भित कर दिया है और दूसरे मामले में जीवन बीमा निगम उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में स्थित उद्योग

1353. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार बिहार में कितने सरकारी/निजी उद्योग कार्यरत हैं;

(ख) क्या बिहार में बंद पड़े उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु किसी सरकारी या गैर-सरकारी संगठन ने धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कोई प्रयास किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) 1991 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् 31 जनवरी, 2001 तक बिहार राज्य में 15 गैर-लघु उद्योग एकक स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, 31 दिसंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार राज्य में 83,073 लघु उद्योग एककों के स्थापित किये जाने की सूचना है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा रूग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुद्धार हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं, जिनमें शामिल हैं बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश रूग्ण एककों का स्वस्थ एककों में विलय; रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन। ये उपाय बिहार सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में औद्योगिक एककों के लिए लागू हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने 30 अगस्त, 2000 को बिहार सहित संपूर्ण देश में लघु उद्योग क्षेत्र के सवंर्धन एवं विकास के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ राजकोषीय/ऋण प्रोत्साहन प्रौद्योगिकीय तथा विपणन सहायता व्यवस्था है। लघु क्षेत्र के लिए केन्द्र की नीतियां दिशा-निर्देशों का कार्य करती हैं, जबकि प्रत्येक राज्य द्वारा स्वयं अपनी नीति एवं प्रोत्साहन पैकेज तैयार किये जाते हैं।

[अनुवाद]

फिल्मी हस्तियों के विरुद्ध "फेरा" मामले

1354. श्री रामजी मांझी: क्या **वित्त मंत्री** 18.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4156 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन फिल्मी हस्तियों से 11,60,000 अमरीकी डालर बरामद किए गए थे उनके विरुद्ध "फेरा" (एफ.ई.आर.ए.) के अंतर्गत कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बाकी मामलों में आकलन कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) मैसर्स सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के परिसरों से 11,60,000 अमेरीकी डालर मूल्य की फिक्स डिपोजिट रसीदें जब्त की गई थी जिन्हें निर्यात आगमों से प्राप्त होने का दावा किया गया है क्योंकि कर निर्धारिती आडियो कैसेट, सी.डी. आदि निर्माण एवं निर्यात में लगा हुआ है। इसको देखते हुए प्रथम दृष्टया यह फेरा का मामला नहीं था। ब्लाक कर निर्धारण कार्यवाहियां पहले ही आरंभ की जा चुकी हैं और कर निर्धारण को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद समुचित निष्कर्ष निकाला जाएगा।

(ख) और (ग) तलाशी के परिणामस्वरूप ब्लाक कर निर्धारण कार्यवाहियां शुरू की गई थीं और कर निर्धारण के निष्कर्ष संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

क्रमांक	मामले का नाम	तलाशी की तारीख	कर निर्धारण का ब्यौरा	
			कर निर्धारित आय (लाख रुपये में)	आज की तारीख तक संग्रहीत कर (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	जितेन्द्र कपूर (अभिनेता)	15.12.1997	156.68	15.66
2.	बसन्त कुमार पटेल (वित्त पोषक)	20.10.1997	54.20	63.58

1	2	3	4	5
3.	आर.पी. माणिकचन्द (वितरक)	20.7.1997	15.02	शून्य
4.	कृष्ण कुमार (व्यष्टि) अभिनेता। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज	10.12.1998 खंड (क) से संदर्भित	4.40 उत्तर	अभी तक कोई कर संगृहीत नहीं किया गया
5.	एम. कार्तिक	18.12.1997	50.28	18.23
6.	पी.डी. अब्राहम (निर्माता)	24.7.1997	274.00	42.00
7.	रोजा कम्बाइंस प्रोड. तथा ख्वाजा मुईनुद्दीन (निर्माता)	25.11.1997	आयकर आयुक्त (अपील) ने खंड कर निर्धारण को नए सिरे से करने के लिए रद्द कर दिया है। विभाग ने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीली अधिकरण के समक्ष अपील की है।	शून्य
8.	अकीनियाईमन (वितरक)	17.3.1998	कर निर्धारिती ने समझौता आयोग के समक्ष आवेदन पत्र दायर किया है तथा आयोग ने आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया है। समझौता आयोग को भी अंतिम आदेश पारित करने हैं।	18.16
9.	वी. शेखर (निर्देशक)	08.05.1997	7.31	3.63
10.	फाजिल (निर्देशक)	24.7.1997	129.93	28.25
11.	सुश्री एस. तमिल सेवी (वेश-भूषा डिजाइनर)	2.7.1997	8.26	1.63

उड़ीसा में कॉफी के बागान

1355. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा और अन्य राज्यों में राज्य-वार कौन-कौन से कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इन राज्यों में राज्यवार कॉफी के बाग लगाने में कितनी सफलता हासिल की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों में कॉफी उत्पादन के क्षेत्रों का विस्तार करने का था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) उड़ीसा राज्य में कॉफी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कोरापुट और फुलबनी जिले हैं। अन्य परम्परागत कॉफी उत्पादक राज्यों में प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:-

कर्नाटक : चिकमंगलूर, कुर्ग, हासन, मैसूर इत्यादि

केरल : व्यानाद, त्रावणकोर, नेल्लियामपटिस

तमिलनाडु : पलनी, नीलगिरि, शेवरॉय (सलेम), अन्नामलाई, कोयम्बटूर

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछेक गैर पारंपरिक/अपारंपरिक क्षेत्रों में भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है।

(ख) कॉफी की खेती के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र लगभग 3.40 लाख हैक्टेयर है। राज्य वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कर्नाटक	1,92,130 हैक्टेयर
केरल	84,139 हैक्टेयर
तमिलनाडु	30,681 हैक्टेयर
आंध्र प्रदेश	20,100 हैक्टेयर
उड़ीसा	1,862 हैक्टेयर
पूर्वोत्तर राज्य	8,394 हैक्टेयर
अपारम्परिक क्षेत्र	3,000 हैक्टेयर

(ग) और (घ) परंपरागत और गैर-परंपरागत दोनों क्षेत्रों में कॉफी के विकास हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कॉफी बोर्ड द्वारा अनेक योजना स्कीमें चलाई जा रही हैं। भारत सरकार कॉफी बोर्ड के जरिए गहन कृषि, पुनर्रोपण कार्यक्रम, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम और जल संवर्द्धन कार्यक्रमों को लक्षित कर अनेक योजना स्कीमों को चलाने और विकासपरक कार्यकलाप करने के अलावा कृषि अनुसंधान, विस्तार, ऋण एवं वित्त प्रबंधन के रूप में आवश्यक सहायता और रोपण प्रयोजनार्थ बीजों की आपूर्ति इत्यादि जैसी अन्य अनुपूरक सहायता भी उपलब्ध करवा रही है।

बोर्ड द्वारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए विशेष रूप से एक "विशेष क्षेत्र कार्यक्रम" चलाया जा रहा है जिसमें कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त पाए गए क्षेत्रों में कॉफी का विस्तार करने, पर्याप्त पौध संख्या के रख-रखाव के जरिए मौजूदा कॉफी जोतों की चकबंदी करने तथा गहन कृषि के साधनों को अपनाने और पल्पर और हलर्स जैसी कॉफी प्रसंस्करण मशीनों की आपूर्ति के जरिए कॉफी की गुणवत्ता का उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है। बोर्ड द्वारा कॉफी के विस्तार और समेकन हेतु 15000 रुपए प्रति हैक्टेयर की इमदाद प्रदान की जाती है। पल्पल और हलर्स जैसी कॉफी प्रसंस्करण मशीनों की लागत पर उनकी लागत के 50 प्रतिशत तक इमदाद भी प्रदान की जाती है।

सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों का निवेश

1356. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** 1.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2219 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से कितना वास्तविक ब्याज अर्जित किया गया;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंक जनता के पैसे को शेयर बाजार में भी लगाते रहे हैं और जिसमें उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इससे इन बैंकों को कुल कितना नुकसान उठाना पड़ा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज से संबंधित बैंक-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

		1999-2000	1998-1999	1997-1998
		सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज	सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज	सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज
		1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	890.27	772.51	654.19

		1	2	3
2.	आन्ध्रा बैंक	616.49	362.75	340.86
3.	बैंक आफ बड़ौदा	1397.21	1298.95	1165.72
4.	बैंक आफ इंडिया	938.34	819.48	335.02
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	589.30	360.23	340.88
6.	केनरा बैंक	1273.24	1132.69	993.75
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1409.87	1349.49	835.08
8.	कारपोरेशन बैंक	461.01	323.94	383.97
9.	देना बैंक	462.72	635.58	464.69
10.	इंडियन बैंक	805.49	708.39	572.77
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	656.45	552.88	451.89
12.	ओरि. बैंक आफ कामर्स	815.98	609.96	371.36
13.	पंजाब नेशनल बैंक	2426.34	1914.85	1822.97
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	534.21	452.72	388.66
15.	सिंडिकेट बैंक	652.99	624.10	680.60
16.	यूको बैंक	1052.15	419.72	589.21
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1074.57	926.60	799.15
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	810.00	673.00	552.64
19.	विजया बैंक	388.79	310.72	299.51
राष्ट्रीयकृत बैंकों का योग		17255.42	14248.55	12024.92
20.	स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जय.	404.82	358.12	292.16
21.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	596.20	420.45	348.85
22.	भारतीय स्टेट बैंक	7644.79	5217.63	4567.67
23.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	242.01	194.78	157.52
24.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	318.43	259.36	229.59
25.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	392.21	325.26	346.25
26.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	210.31	175.72	150.55
27.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	560.00	470.27	371.54
एसबीआई समूह का योग		10368.77	7421.59	6464.13
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योग		27624.20	21670.15	18507.05

[हिन्दी]

यूटीआई को म्युचुअल फंड में बदलना

1357. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूटीआई अधिनियम, 1963 को निरस्त कर यूटीआई को म्युचुअल फंड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यूटीआई की विभिन्न योजनाओं में पैसा लगाने वाले निवेशकों की धनराशि की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट संसद के अधिनियम द्वारा सृजित किया गया एक स्वायत्त निकाय है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार न्यासी बोर्ड अपने कार्यों, का निष्पादन करते समय यूनिट धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कारोबार सिद्धान्तों पर कार्य करता है। जुलाई 1994 के बाद भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा चलाई गई सभी योजनाएं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियामक दायरे के भीतर हैं। वर्ष 1994 से पूर्व प्रारंभ की गई अधिकांश योजनाएं भी स्वेच्छा से सेबी के पर्यवेक्षण तथा जांच एवं म्युचुअल फंडों के लिए इसके दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन लाई गई है। जुलाई, 2000 में, सरकार की सलाह पर वित्तीय क्षेत्र सुधारों तथा म्युचुअल फंड उद्योग के घटनाक्रमों की रोशनी में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक तथा वाणिज्यिक प्रास्थिति की समीक्षा करने के लिए कार्पोरेट प्रास्थिति संबंधी एक समिति का गठन किया।

[अनुवाद]

कर्नाटक को चीनी का निर्यात करने की अनुमति

1358. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार ने कर्नाटक को चीनी का निर्यात करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक की विभिन्न चीनी मिलों में पड़े चीनी के भंडार की अनुमानित कीमत कितनी है; और

(घ) चीनी के उक्त बड़े भंडारों को निपटाने और कर्नाटक से चीनी के निर्यात की अनुमति देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सरकार ने लाइसेंसिंग वर्ष 2000-2001 के दौरान देश से 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। निर्यात करने के लिए किसी भी राज्य सरकार को कोई विशिष्ट मात्रा आबंटित नहीं की गई है। सरकार की निर्यात-आयात नीति के तहत चीनी फैक्ट्रियों/ व्यापारियों द्वारा निर्यात-आयात किया जा रहा है।

(ग) चीनी फैक्ट्रियों के पास पड़े स्टाक का मूल्य खुले बाजार में खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों के साथ भिन्न-भिन्न होता रहता है और इसलिए कर्नाटक में स्थित चीनी मिलों के पास पड़े चीनी के स्टाक के मूल्य को बताना संभव नहीं है।

(घ) सरकार ने चीनी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं जिनसे चीनी के स्टाक में कमी की जा सकती है:-

(1) निर्यात की जाने वाली चीनी को लेवी की देयता से छूट दी गई है। प्रारम्भ में यह छूट 01 जून, 2000 से छः माह की अवधि के लिए दी गई थी और यह अवधि 31.3.2001 तक बढ़ा दी गई है।

(2) यह निर्णय किया गया है कि वाणिज्यिक निर्यात के लिए निर्यात की गई चीनी की मात्रा को अग्रिम खुली बिक्री की चीनी की निर्मुक्ति के रूप में माना जाये जिसका समायोजन निर्मुक्ति की तारीख से 12 माह की अवधि के पश्चात किया जाएगा।

(3) यह भी निर्णय किया गया है कि वाणिज्यिक निर्यात के लिए निर्धारित चीनी पर लेवी देयता से छूट का लाभ, यदि चीनी फैक्ट्री 1999-2000 मौसम के उत्पादन से अपनी लेवी देयता को पूरा कर देने के कारण, नहीं उठा सकी है, तो संबंधित चीनी फैक्ट्री आगामी चीनी मौसम के उत्पादन से यह लाभ उठा सकती है।

(4) चीनी के निर्यात के मूल्य जहाज तक निष्प्रभार 5% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त घरेलू बाजार में खुली बिक्री की चीनी की अधिक निर्मुक्तियां की जा रही हैं।

बैंकों द्वारा म्युचुअल फंड का व्यवसाय

1359. **श्री अनन्त नायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपना म्युचुअल फंड व्यवसाय स्थापित करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने 29 जून, 1987 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की थी जिसके द्वारा एक बैंकिंग बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 (1) (ण) के अन्तर्गत म्युचुअल फंड व्यवसाय कर सकती है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को म्युचुअल फंड व्यवसाय स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की सलाह दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार से परामर्श करके निम्नलिखित बैंकों को एक "ट्रस्ट" के रूप में म्युचुअल फंड स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था:-

(1) भारतीय स्टेट बैंक

(2) केनरा बैंक

(3) पंजाब नेशनल बैंक

(4) बैंक आफ इंडिया

(5) इंडियन बैंक

(6) बैंक आफ बड़ौदा

नागालैंड में चाय बोर्ड का कार्यालय

1360. **श्री के.ए. सांगतम:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नागालैंड राज्य में चाय बोर्ड और उसके अनुषंगी कार्यालयों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कराए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) चाय बोर्ड ने चाय संबंधी विकासात्मक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पिछले दो दशकों से नागालैंड की राज्य सरकार के साथ नजदीकी सम्पर्क बनाए रखा है, वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान तोएनसुंग, फेक, कोहिमा, झेनोवोतो तथा मोकोकचुंग जिलों में किए गए व्यवहार्यता अध्ययन से यह पता चला है कि इन क्षेत्रों में चाय की उपज के लिए मौसमी परिस्थितियां उपयुक्त हैं। मोन और मोककचुंग जिलों में कुछ हद तक चाय संबंधी क्रियाकलाप पहले से ही किए जा चुके हैं।

चाय बोर्ड के जोरहाट तथा गुवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य में चाय संबंधी विकासात्मक क्रियाकलापों की निगरानी करने तथा चालू चाय विकासात्मक योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं। इस प्रकार यह महसूस किया गया है कि नागालैंड में किसी क्षेत्रीय कार्यालय के खोले जाने की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है।

निर्यात वस्तुओं के लिए मानदण्ड

1361. **श्री किरीट सोमैया:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश व्यापार के महानिदेशक (डी.जी.एफ.टी.) का विचार कुछ नई निर्यात वस्तुओं के लिए आदान और उत्पादन संबंधी मानदण्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) जिन वस्तुओं के लिए उक्त मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के आयातकों और निर्यातकों को इन मानदण्डों से कितनी सहायता मिलेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) निर्यात एवं आयात नीति के अंतर्गत शुल्क छूट योजना के तहत डी.जी.एफ.टी. द्वारा क्रियाविधि पुस्तिका (खंड 2) में प्रकाशित मानक निविष्टि और उत्पादन मानदंडों (एस.आई.ओ.एन.) के आधार पर विभिन्न निर्यात मदों के निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त निविष्टियों के आयात की अनुमति प्रदान की जाती है। इन मानक निविष्टि और उत्पादन मानदण्डों (एस.आई.ओ.एन.) से निर्यातकों को शुल्क छूट योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त लाइसेंस को शीघ्र और एक समान आधार जारी करने में सुविधा होती है। देश में तेजी से हो रहे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी घटनाक्रमों एवं अंतर्राष्ट्रीय

व्यापार के बदलते हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए निविष्टि और उत्पादन मानदण्डों का मानकीकरण करने और उन्हें अधिसूचित करने की प्रक्रिया एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 31.3.2000 तक 4500 से अधिक निविष्टि और उत्पादन मानदण्ड मानकीकृत एवं अधिसूचित किए गए हैं, और उन्हें क्रियाविधि पुस्तिका (खण्ड 2) के रूप में प्रकाशित किया गया है। 1.4.2000 से 1.2.2001 तक की अवधि के दौरान और 279 नए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और उन्हें समय-समय पर भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-1, खंड-1 में विभिन्न सार्वजनिक सूचनाओं के जरिए प्रकाशित किया गया है।

पाटनरोधी कानूनों का इस्तेमाल

1362. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने भारत सरकार को देश में विकसित देशों द्वारा पाए जा रहे कृषि उत्पादों पर अपने पाटनरोधी कानून का प्रयोग करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उन्होंने इससे प्रभावित देशों की चिन्ताओं का समाधान करने हेतु एक अलग पैनल गठित करने का भी सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक से औपचारिक रूप से ऐसी कोई सलाह प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुप्रयोज्य आस्तियों के निपटान के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश

1363. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंको को अनुप्रयोज्य आस्तियों के सभी प्रस्तावों को सावधानीपूर्वक शीघ्रता से निपटाने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंकों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुख्य बिन्दु क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया ऋणों के निपटान हेतु भी ऐसे दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरलीकृत विवेकाधिकारहीन और अभेदमूलक तंत्र के माध्यम से अनुप्रयोज्य आस्तियों से संबंधित देयराशियों की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2000 में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखे बिना निर्दिष्ट तारीख को 5 करोड़ रुपए और उससे कम की बकाया राशि वाली सभी क्षेत्रों की अनुप्रयोज्य आस्तियां जो 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार "संदिग्ध" या "घाटेवाली" और साथ ही दिनांक 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार "अवमानक" हो गई हैं जो बाद में "संदिग्ध" या "घाटेवाली" श्रेणी की हो गई हैं।

(2) न्यायालय/डीआरटी/बीआईएफआर के समक्ष लम्बित मामले।

इन मार्गनिर्देशों में निपटान का फार्मूला, भुगतान की विधि आदि भी दी गई है। जहां तक 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक की अनुप्रयोज्य आस्तियों का संबंध है, इन मार्गनिर्देशों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा ऐसे मामले के व्यक्तिगत तौर पर पर्यवेक्षण या ऐसे मामलों के एकबारगी निपटान के लिए निदेशक मण्डल द्वारा नीतिगत मार्गनिर्देश तैयार करने या उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। ये मार्गनिर्देश दिनांक 31.3.2001 तक परिचालन में रहेंगे।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक इन मार्गनिर्देशों के अनुसार निरन्तर आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की अनुप्रयोज्य आस्तियों सहित अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली की निगरानी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ कई बैठकें की हैं कि वे इन मार्गनिर्देशों के क्रियान्वयन तथा परिचालनात्मक मामलों का स्पष्टीकरण देने तथा वसूली की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए ध्यान दें। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य कार्यपालकों को विशेष रूप से आयोजित बोर्ड की बैठक में इन मार्गनिर्देशों के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करने तथा वसूली कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए

क्षेत्रीय/अंचल/नियंत्रतक कार्यालयों में कृतिक बलों का गठन करने की भी सलाह दी है।

चाय उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1364. **श्री अमर रायप्रधान:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बोर्ड ने छोटे चाय उत्पादकों के लिए एक अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार किन राज्यों में ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान किन राज्यों में ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) चाय बोर्ड अपनी चल रही लघु उत्पादक विकास योजना में निम्नलिखित एजेंसियों के जरिए चाय के लुघ उत्पादकों के लाभार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करता है:

(1) पूर्वोत्तर राज्यों के लघु उत्पादकों के लिए असम कृषि विश्वविद्यालय।

(2) उत्तरी-बंगाल, बिहार एवं सिक्किम के उत्पादकों के लिए उत्तरी-बंगाल विश्वविद्यालय तथा चाय अनुसंधान एसोसिएशन।

(3) हिमाचल प्रदेश के उत्पादकों के लिए हिमालयन जैव-संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.) पालमपुर के अधीन एच.पी.के.वी.वी.।

(4) दक्षिण भारत में चाय के लघु उत्पादकों के लिए यूनाइटिड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया (कृषि विज्ञान केन्द्र)। वर्ष 2000 के दौरान दक्षिण भारत में लुघ उत्पादकों तथा क्रीत पत्ती फैक्टरियों के मालिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को शीघ्र ही असम तथा उत्तरी-बंगाल के लिए लागू किया जा रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच

1365. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने तीन टी.वी. चैनलों-जी, स्टार और सोनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के कथित उल्लंघन की जांच पूरी कर ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया था;

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय ने इन टी.वी. चैनलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है; और

(घ) भविष्य में इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) महोदय, प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली को सूचित किया है कि स्टार टी.वी. एवं सोनी टी.वी. की विज्ञापनों के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है। जी.टी.वी. के मामले में सी.डब्ल्यू.टी. 5369/99 के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है परन्तु सी.आर.एल.डब्ल्यू.पी. 818/98 मामले में कुछ मामले अभी तक भी लंबित हैं।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने अपने दिनांक 18.12.2000 के आदेश द्वारा आगे बिना कोई निदेश दिए सी.डब्ल्यू.पी. 5369/99 को निपटा दिया है। जहां तक सी.आर.एल.डब्ल्यू.पी. 818/98 का संबंध है मामला 23.3.2001 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

(ग) जी.टी.वी. एवं संबंधित पार्टियों के खिलाफ न्यानिर्णयन कार्रवाईयां आरंभ कर दी गई है और कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। स्टार एवं सोनी टी.वी. के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्रवाईयां करने का विचार किया जा रहा है।

(घ) जब कभी फेरा/फेमा के उल्लंघन का पता चलता है कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती हैं।

व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट

1366. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री पवन कुमार बंसल:
कुंवर अखिलेश सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) ने पूर्व रिपोर्टों के अतिरिक्त अपनी तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तीसरी रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) पूर्व रिपोर्टों के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) तीसरी रिपोर्ट में आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) आयोग की तीसरी रिपोर्ट आर्थिक कार्य विभाग तथा इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की पुनर्संरचना से संबंधित है।

(ग) जहां तक पहली रिपोर्ट का संबंध है, गेहूं तथा चावल की आर्थिक लागत के संशोधन से संबंधित सिफारिश को क्रियान्वित कर दिया गया है। शेष रिपोर्टों की जांच/क्रियान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों को पहले ही भेजा जा चुका है।

(घ) व्यय सुधार आयोग की तीसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग में सचिव/विशेष सचिव स्तर के 3 पदों, संयुक्त सचिव स्तर के 2 पदों तथा निदेशक और उससे नीचे स्तर के 44 पदों को समाप्त करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुद्रा तथा सिक्का प्रभाग में 1675 पदों को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय बचत संगठन में कर्मचारियों की संख्या 1191 से घटाकर लगभग 25 करने की घोषणा भी की गई है।

भारत-रूस संयुक्त आयोग

1367. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-रूस संयुक्त आयोग की बैठक हाल ही में मास्को में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से रुपया-रूबल व्यापार समझौते की समीक्षा से संबंधित ब्यौरा क्या है और इसकी भविष्य में क्या सम्भावनाएं हैं;

(घ) बैठक का क्या परिणाम निकला; और

(ङ) समझौतों और इसके लिए हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) व्यापार, आर्थिक वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत-रूस अंत:-सरकारी आयोग (आई.आर.आई.जी.सी.) का सांतवा सत्र 15 जनवरी 2001 को मास्को में आयोजित किया गया था।

(ख) आई.आर.आई.जी.सी. की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-रूसी संबंधों की सुदृढ़ता पर संतोष व्यक्त किया जो अक्तूबर 2000 में भारत और रूसी संघ के बीच सामरिक महत्व की सहभागिता की घोषणा पर हस्ताक्षर होने के साथ ही अनुकूल भागीदारिता के रूप में सुदृढ़ हो गयी है। आई.आर.आई.जी.सी. ने माना कि भारत और रूसी संघ के बीच व्यापारिक और आर्थिक सहयोग के विकास में सकारात्मक प्रवृत्तियां रही हैं तथापि दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा वर्तमान क्षमता के अनुरूप नहीं है और वे इसके और अधिक विस्तार और विविधिकरण के लिए उचित उपाय करने पर सहमत थे। विचार किए गए मुद्दों में भारत से रूसी संघ को चाय की अतिरिक्त मात्रा का निर्यात, कृषि वस्तुओं के निर्यात की संभावना, उच्च तकनीकी मदों के निर्यात और रूसी संघ से भारत में बिना तराशे हीरों के आयात शामिल थे। भारत और रूसी संघ के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, जिसमें उल्लेखनीय संभावनाएं हैं, पर भी विचार-विमर्श किया गया। आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों, धात्विकी, कोयला, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, तेल और गैस, फार्मास्युटिकल और संस्कृति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में समग्र प्रगति का भी जायजा लिया।

(ग) और (घ) रुपया ऋण वापसी अदायगी माध्यम के तहत उपलब्ध निधियों के उपयोग के मुद्दे पर आई.आर.आई.जी.सी. के 7वें सत्र के दौरान विचार-विमर्श किया गया। भारतीय और रूसी

पक्ष के बीच यह सहमति थी कि जब वार्षिक रुपया ऋण वापसी अदायगियां काफी कम हो जाएंगी और अंततः समाप्त हो जाएंगी तो सरकारी स्तर पर और भारतीय और रूसी व्यापारियों के बीच अधिकाधिक परस्पर विचार विनिमय के जरिए सामान्य वाणिज्यिक सारणियों के माध्यम से कारोबार के लिए तैयार होने के लिए सभी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(ङ) बैठक के अन्त में आई.आर.आई.जी.सी. के सह अध्यक्षों, भारत के वित्त मंत्री और रूसी संघीय सरकार के उपाध्यक्ष मिस्टर इल्या क्लेबानोव ने भारत-रूस अंतः सरकारी आयोग के 7वें सत्र के प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए।

सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा शुल्क का भुगतान

1368. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान प्रत्येक प्रमुख सॉफ्टवेयर कम्पनी अर्थात पेन्टा सॉफ्ट, सत्यम, एच.सी.एल., एन.आई.आई.टी. और विप्रो द्वारा कुल कितना आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क का भुगतान किया गया;

(ख) क्या उक्त कंपनियों में से किसी कम्पनी का सीमा शुल्क अपवंचन का कोई मामला पकड़ा गया है;

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन कंपनियों द्वारा किये जाने वाले कर अपवंचन के संबंध में पहले ही क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (आज तक) के दौरान इन कम्पनियों द्वारा अदा किए गए आयकर के कुल आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

कम्पनी का नाम	रुपए करोड़ों में
पेन्टा सॉफ्ट	04.16
सत्यम	30.37
एच.सी.एल. इन्फोसिस्टमस	11.00
एच.सी.एल. टेक्नोलाजीस	07.75
एन.आई.आई.टी.	36.28
विप्रो	60.73

इन कम्पनियों द्वारा अदा किए गए उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान निम्नलिखित सॉफ्टवेयर कम्पनियों के विरुद्ध सीमा शुल्क अपवंचन के दो मामलों का पता चला है जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कम्पनी का नाम	अपवंचित शुल्क (रुपए लाखों में)	की गई कार्रवाई
मै. विप्रो असेसरीज लि., बंगलौर	19.23 रुपए	मामले का न्याय निर्णय दिया गया और पार्टी ने विभेदक शुल्क दिया और शास्ति के 18.50 लाख रुपए का भुगतान किया।
मै. विपरो लि., बंगलौर	73.94 रुपए	करण बताओ नोटिस जारी किया गया।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1369. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कितना लाभ/हानि हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा ऋण के रूप में कुल कितनी राशि दी गई और उसमें से कितनी राशि वसूल कर ली गई है;

(ग) आज की तारीख में इन बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियां कितनी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन बैंकों को अनुपयोज्य आस्तियां घटाने और घाटा उठाने वाले बैंकों ने पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का लाभ/हानि, उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण तथा 30 जून, 1997, 1998 और 1999 की स्थिति के अनुसार, वसूली प्रतिशतता, से संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियां 3039 करोड़ रुपए थीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों में कमी करने और हानि उठाने वाले बैंकों को पुनरुज्जीवित करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:-

(1) प्रायोजक बैंकों ने, अनुपयोज्य आस्तियों में कमी लाने और हानि वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनरूज्जीवित करने के लिए उनके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ओर से समय-बद्ध कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए विकास कार्य योजना (डीएपी)/समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार किए हैं।

(2) आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में मार्गनिर्देश 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू किए गए थे और वर्ष को समाप्त स्थिति के संदर्भ में इन मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) की पहचान की गई है। अनुपयोज्य आस्तियां, मौलिक रूप से बैंकों की वसूली स्थिति पर आधारित होती हैं जिनसे कहा गया था कि वे पुरानी देय-राशियों की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करके एनपीए में कमी लाने हेतु रणनीतियां तैयार करें।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा गया है कि वे एनपीए की निगरानी और वसूली के लिए दीर्घकालीन प्रयास प्रारम्भ करें और नए एनपीए के सृजन से बचें।

उपर्युक्त उपायों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एनपीए में कमी आई है। गत चार वर्षों के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एनपीए में मार्च 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार 43% के स्तर से मार्च 1997 के अंत की स्थिति के अनुसार 36.8% मार्च 1998 के अंत की स्थिति के अनुसार 32.8% मार्च 1999 के अंत की स्थिति के अनुसार 27.7% और मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार 23.1% की कमी आई है।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लाभ/हानि, दिए गए ऋण और वसूली

लाख रुपए

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम	लाभ/हानि			दिए गए ऋण			30 जून की स्थिति के अनुसार वसूली का (%)		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997	1998	1999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	17.99	110.67	149.87	3329.22	3209.52	4238.75	55.07	53.44	60.18
2.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	1230.01	1355.98	1507.36	6659.00	8583.49	10459.47	87.99	85.49	86.54
3.	हिसार-सिरसा क्षे. ग्रामीण बैंक	158.06	218.67	258.03	2911.00	3025.41	4571.22	84.65	80.42	83.65
4.	अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक	85.69	109.67	176.27	2773.27	3180.63	3346.38	79.30	73.19	69.10
5.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	109.52	265.65	404.14	2549.78	3549.40	5475.27	67.71	68.89	74.94
6.	पर्वतीया ग्रामीण बैंक	46.64	116.24	160.53	603.25	733.51	906.21	72.08	69.30	71.01
7.	जम्मू ग्रामीण बैंक	507.70	713.92	531.81	1608.38	1749.87	1872.62	30.74	34.77	47.18
8.	इलाकी देहाती बैंक	-722.86	-359.13	-493.31	199.61	223.41	290.10	0.00	1.72	1.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	कामराज ग्रामीण बैंक	-299.90	-303.60	-225.33	675.00	825.00	1035.36	40.10	40.55	52.33
10.	शिवालिक क्षे. ग्रामीण बैंक	261.18	404.76	504.25	1536.00	1736.89	2141.92	65.05	76.10	80.54
11.	कपुरथला-फिरोजपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	53.34	103.10	141.32	972.66	1310.50	2014.12	39.00	48.95	70.21
12.	गुरदासपुर-अमृतसर क्षे. ग्रामीण बैंक	76.75	285.52	491.40	2084.26	2253.79	3391.60	69.30	64.76	75.96
13.	मालवा ग्रामीण बैंक	283.14	311.76	401.99	3851.43	4350.14	5098.36	95.00	94.90	94.55
14.	फरीदकोट भटिंडा क्षेत्र ग्रामीण बैंक	150.01	157.88	169.61	1287.11	1621.64	1848.22	73.33	74.85	80.89
15.	जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	-76.63	451.84	828.32	3447.65	4038.36	6417.69	53.11	55.58	65.38
16.	मारवाड ग्रामीण बैंक	65.74	137.51	268.38	4541.38	6421.70	7048.10	84.37	90.15	91.01
17.	शेखावटी ग्रामीण बैंक	33.16	113.24	255.90	2328.00	2659.11	2952.68	60.28	60.19	48.15
18.	मरूधर क्षे. ग्रामीण बैंक	-393.96	-385.18	-281.18	1152.33	1597.65	1778.56	54.38	62.19	74.09
19.	अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक	-26.07	-163.92	107.54	2146.76	2629.34	4372.39	74.18	49.91	61.35
20.	अरवाली क्षे. ग्रामीण बैंक	-234.46	-274.92	-329.80	1899.20	1675.90	1870.50	45.51	53.61	53.73
21.	हडौती क्षे. ग्रामीण बैंक	-187.58	-90.36	197.05	2259.50	2602.74	2753.55	46.19	47.70	51.66
22.	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	-105.55	-100.31	101.83	1096.37	1332.87	1703.01	49.73	55.26	61.17
23.	थार आंचलिक ग्रामीण बैंक	-104.10	-185.39	-121.66	942.57	1194.74	1452.49	60.39	61.59	64.37
24.	बुंदी-चित्तौड़गढ़ क्षे. ग्रामीण बैंक	40.38	36.19	49.11	1660.95	2520.44	2201.35	68.79	62.37	69.48
25.	भिलवाड़ा-अजमेर क्षे. ग्रामीण बैंक	108.71	137.23	270.97	2279.15	2454.41	3303.57	69.66	71.17	61.05
26.	डुंगरपुर-बंसवाड़ा क्षे. ग्रामीण बैंक	-81.75	2.24	6.39	1040.81	1188.72	1187.84	45.23	61.35	62.75
27.	श्रीगंगानगर क्षे. ग्रामीण बैंक	-38.18	3.46	93.42	2074.25	2846.77	3180.23	78.02	83.83	83.72
28.	बिकानेर क्षे. ग्रामीण बैंक	-36.55	-35.51	4.03	592.40	717.45	1100.00	60.03	78.30	77.64
29.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	8.03	20.31	55.05	1112.82	899.84	456.62	49.70	55.17	54.00
30.	प्रागज्योतिष गोयनलिया बैंक	318.45	-194.51	170.38	2068.42	2300.11	2494.92	25.03	23.62	29.48
31.	लखीमी गोयनलिया बैंक	797.06	101.01	143.53	981.56	1138.91	1389.95	22.98	61.16	62.92
32.	काचर ग्रामीण बैंक	-125.16	92.42	132.65	518.31	796.63	1268.13	32.45	33.74	52.07
33.	लागंपी देहान्गी ग्रामीण बैंक	-198.69	-131.25	-83.45	285.69	315.75	308.95	26.64	24.88	26.69
34.	सुबांसिरी गोयनलिया बैंक	65.10	176.98	74.27	195.82	336.57	485.45	18.07	18.45	11.78
35.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	-64.13	-53.30	-47.81	157.85	101.18	252.44	24.03	29.53	33.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	खासी जयंतिया ग्रामीण बैंक	312.99	292.27	344.40	800.80	892.06	981.11	32.05	41.19	41.74
37.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	64.50	61.27	34.41	481.43	387.46	528.68	63.31	58.70	63.39
38.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	3.33	7.68	7.24	21.46	23.71	51.04	54.25	32.77	48.84
39.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	-1297.52	-738.16	-669.43	1250.32	1603.87	1783.84	10.71	11.61	15.78
40.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक	466.92	408.09	431.24	3222.00	2932.50	2779.31	30.35	50.12	55.09
41.	चम्पारन क्षे. ग्रामीण बैंक	-862.82	-928.69	-568.07	430.00	730.000	1560.48	22.81	32.39	59.57
42.	मगध ग्रामीण बैंक	122.25	464.62	623.79	1636.84	2889.10	2496.72	35.38	36.10	39.66
43.	कोसी क्षे. ग्रामीण बैंक	-803.53	-587.12	-433.66	897.88	1075.38	1409.49	36.47	34.54	33.17
44.	वैशाली क्षे. ग्रामीण बैंक	-962.50	-647.58	-320.66	1668.47	1501.17	2003.30	38.40	13.18	41.18
45.	मुंगेर क्षे. ग्रामीण बैंक	12.18	-1311.46	-70.64	1025.10	1386.61	1467.00	44.26	18.67	13.90
46.	संथाल परगणा ग्रामीण बैंक	-102.66	106.35	172.53	1224.44	1343.86	913.33	18.70	28.39	21.26
47.	मधुबनी क्षे. ग्रामीण बैंक	-627.01	-541.43	-487.56	645.40	647.00	733.25	8.36	8.36	52.94
48.	नालन्दा ग्रामीण बैंक	-691.30	-537.72	-356.17	624.15	725.32	889.27	32.68	50.20	57.59
49.	सिंहभूम क्षे. ग्रामीण बैंक	19.80	22.08	6.06	1303.80	1326.20	1604.00	19.83	35.44	38.68
50.	मिथिला क्षे. ग्रामीण बैंक	-449.87	-351.26	-262.29	442.28	823.43	906.21	43.85	47.42	41.87
51.	समस्तीपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	-308.93	-91.67	200.12	1143.39	1303.67	1218.49	55.12	77.12	57.70
52.	पलामू क्षे. ग्रामीण बैंक	-331.60	-178.84	67.03	820.00	908.00	978.00	56.43	30.82	22.26
53.	रांची क्षे. ग्रामीण बैंक	-250.69	-105.15	-176.32	795.24	1010.99	1101.36	49.57	55.40	60.29
54.	गोपालगंज क्षे. ग्रामीण बैंक	252.63	424.71	449.41	451.00	614.00	770.20	16.49	20.51	60.01
55.	सारण क्षे. ग्रामीण बैंक	-385.96	-314.04	-164.00	289.00	591.40	580.00	21.05	28.62	30.85
56.	सिवान क्षे. ग्रामीण बैंक	102.70	420.15	607.25	834.00	1135.00	1264.00	36.78	59.61	57.40
57.	गिरिडीह क्षे. ग्रामीण बैंक	48.43	24.99	63.76	448.00	536.34	768.15	32.80	35.05	37.32
58.	हजारीबाग क्षे. ग्रामीण बैंक	56.25	167.03	262.61	352.00	599.59	751.00	44.95	46.41	48.83
59.	पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक	13.47	46.29	70.40	240.62	334.11	524.81	46.98	61.19	62.81
60.	भागलपुर बांका क्षे. ग्रामीण बैंक	-12.45	-92.64	-120.74	655.32	106.24	269.50	27.26	28.46	30.21
61.	बेगुसराय क्षे. ग्रामीण बैंक	14.99	2.43	47.39	218.91	284.30	342.04	40.82	42.01	36.99
62.	पुरी ग्रामीण बैंक	-933.33	-572.42	19.33	4076.73	7137.52	9761.58	72.16	74.08	78.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	बोलांगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक	-1105.71	-1074.55	-1405.46	2686.58	2923.03	3238.78	49.77	56.11	58.60
64.	कट्टक ग्रामीण बैंक	-735.65	-459.17	-209.36	2925.42	3245.25	4672.54	53.38	53.26	51.78
65.	कोरापुत पंचबटी ग्रामीण बैंक	325.49	42.79	102.19	4438.00	4555.61	4678.31	64.66	64.72	65.52
66.	कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक	-195.10	11.23	28.05	1757.00	2360.12	2512.78	56.32	61.95	64.92
67.	बैतरणी ग्रामीण बैंक	-421.59	-402.94	-164.75	1922.00	2517.61	3503.20	54.10	55.03	58.52
68.	बालासोर ग्रामीण बैंक	-793.59	-954.82	-833.50	582.00	725.28	783.77	47.05	41.89	38.21
69.	ऋषिकल्या ग्रामीण बैंक	11.45	251.55	132.73	2662.95	2930.60	3623.49	71.08	70.01	70.50
70.	धेनकनाल ग्रामीण बैंक	14.02	145.37	180.44	3300.00	3646.68	4855.00	69.40	73.41	72.34
71.	गौर ग्रामीण बैंक	-958.15	-1563.88	-831.99	2067.00	3011.13	4598.75	32.26	29.80	34.90
72.	मल्लभम ग्रामीण बैंक	-807.61	-290.22	44.33	3247.66	5043.84	6068.63	38.21	40.05	45.14
73.	मयुरक्षि ग्रामीण बैंक	-312.04	-350.77	-493.67	1828.00	2684.61	2826.67	40.74	36.97	49.14
74.	उत्तर बंगा क्षे. ग्रामीण बैंक	-595.76	-538.97	-331.38	2085.55	2948.58	5236.26	49.92	53.79	51.77
75.	नदिया ग्रामीण बैंक	-137.95	60.83	179.50	1062.21	1019.98	945.23	40.80	41.59	44.02
76.	सागर ग्रामीण बैंक	16.39	13.15	149.72	1541.16	1529.42	1780.49	35.59	39.77	41.00
77.	बर्धमान ग्रामीण बैंक	107.07	20.87	100.20	1827.88	2492.42	3043.19	50.47	48.85	49.10
78.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	104.06	109.02	29.59	1173.25	1559.14	1624.56	40.63	40.58	42.00
79.	मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक	10.93	-135.96	27.78	875.00	975.25	1312.71	36.44	58.85	59.71
80.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद	13.56	24.38	150.83	2298.00	2048.12	3206.12	52.52	43.88	60.06
81.	बिलासपुर-रायपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	-328.49	37.94	18.54	2743.28	2161.78	1974.95	68.82	69.14	68.00
82.	रिवा-सिंधी ग्रामीण बैंक	27.68	315.17	217.36	823.04	849.79	795.11	49.78	61.09	54.70
83.	बुंदेलखंड क्षे. ग्रामीण बैंक	-117.98	144.69	58.02	1027.00	1360.42	2167.09	51.01	54.49	36.89
84.	शारदा ग्रामीण बैंक	-64.30	54.18	115.37	596.91	747.81	868.01	30.03	33.04	36.18
85.	सुरगुजा क्षे. ग्रामीण बैंक	-360.17	-251.57	-75.38	538.91	627.58	851.32	21.86	26.97	37.51
86.	बस्तर क्षे. ग्रामीण बैंक	-341.06	-352.94	-445.6	828.32	756.86	680.92	55.24	54.69	61.37
87.	दुर्ग-राजनादगांव ग्रामीण बैंक	101.46	191.36	221.48	1700.42	1428.52	661.04	31.09	29.08	27.64
88.	झाबुआ-धार क्षे. ग्रामीण बैंक	-274.73	1.31	-180.06	2017.00	2813.30	3172.62	42.82	44.89	51.00
89.	रायगढ़ क्षे. ग्रामीण बैंक	-107.92	41.42	79.28	786.31	930.82	914.73	74.78	70.70	74.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	शिवपुरी-गुना क्षे. ग्रामीण बैंक	-147.29	19.57	95.01	1428.13	1805.66	1644.14	82.74	81.31	72.34
91.	दामोह-पन्ना-सागर क्षे. ग्रामीण बैंक	-226.28	73.95	127.89	1341.75	1664.01	2059.52	75.03	78.38	81.74
92.	देवास-शाजापुर क्षे. ग्रामीण बैंक	-73.12	46.83	114.90	1846.12	2617.86	1998.15	81.76	80.04	82.64
93.	निमार क्षे. ग्रामीण बैंक	30.98	53.00	40.56	1849.45	2728.47	2007.53	76.32	71.25	71.35
94.	मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-196.86	-220.94	-87.57	261.91	339.95	499.15	14.40	42.72	48.26
95.	छिंदवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-245.08	-167.01	7.78	982.60	1415.22	1681.58	43.58	41.21	43.14
96.	राजगढ़ सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-126.96	-49.31	21.82	1092.36	1961.16	1815.33	75.31	66.63	71.25
97.	शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-201.54	-272.31	-156.18	229.86	332.97	483.65	16.29	17.34	20.34
98.	रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5.90	50.07	100.03	994.46	1170.70	1649.87	59.94	64.25	61.66
99.	चंबल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-88.08	17.36	51.35	1286.00	2836.53	2678.82	45.89	91.64	93.49
100.	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-236.64	-259.28	-240.26	73.05	123.99	264.81	43.05	30.00	16.80
101.	इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3.78	33.22	109.68	1220.71	1469.42	1550.75	70.01	81.28	22.39
102.	ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-75.87	-10.48	61.11	484.00	468.33	859.18	39.72	37.14	50.36
103.	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.96	85.76	191.23	935.16	954.90	1265.03	58.83	63.10	75.48
104.	प्रथमा बैंक	1291.43	2640.31	2161.86	8230.00	9436.66	11512.07	65.87	65.93	62.00
105.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1451.55	2073.19	2668.59	5399.00	7055.89	8722.82	47.29	51.15	52.03
106.	सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1879.01	1038.56	1143.59	1864.00	2051.84	3010.62	53.79	56.08	55.81
107.	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	375.09	440.46	466.54	1434.00	1993.90	2304.69	57.28	58.08	59.77
108.	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	12.30	256.04	256.57	851.85	1160.73	1478.33	30.94	41.09	45.11
109.	फर्रुखाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	426.66	647.29	621.32	1583.00	2032.05	2402.52	50.53	50.17	50.68
110.	भागीरथ ग्रामीण बैंक	1039.89	1408.61	1622.19	1685.98	2417.02	2218.40	61.66	62.72	65.20
111.	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	171.02	721.23	533.58	1308.99	1586.37	1536.94	27.57	31.75	32.21
112.	सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	77.52	271.16	381.22	1644.00	3246.00	3565.72	40.55	40.01	42.50
113.	अवध ग्रामीण बैंक	514.09	657.68	726.10	1571.15	2752.78	3513.82	59.25	60.04	60.16
114.	कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	160.69	283.50	569.48	2125.00	2752.00	2719.00	57.17	59.34	58.38
115.	सरस्वती ग्रामीण बैंक	548.41	612.32	1234.23	1506.92	1460.00	1923.28	47.44	44.22	46.07
116.	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-355.73	94.44	210.17	632.00	796.49	402.00	34.95	29.24	52.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	किसान ग्रामीण बैंक	-65.05	23.02	76.12	745.94	898.03	983.33	57.22	64.45	64.46
118.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	-301.09	-324.52	-170.69	925.82	1220.37	1194.62	50.52	58.26	55.18
119.	काशी ग्रामीण बैंक	9.77	235.78	262.93	1127.51	1829.47	2473.34	34.89	37.68	33.67
120.	बस्ती ग्रामीण बैंक	441.38	502.21	1265.32	1388.00	1823.25	1600.57	38.79	40.72	39.69
121.	इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-770.34	34.93	265.07	970.00	1095.18	1756.55	31.69	32.74	40.30
122.	प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-137.46	147.07	212.09	1084.87	1191.96	1276.23	38.39	35.80	38.11
123.	फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	208.41	381.41	428.91	925.45	1144.83	1708.41	40.31	44.51	45.78
124.	फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-163.29	27.11	70.59	811.85	1010.37	1133.94	52.13	50.01	50.27
125.	बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.11	250.42	503.82	1304.00	2316.73	2730.22	65.83	68.54	68.65
126.	देवीपाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	253.71	484.87	708.79	946.00	1225.93	1604.74	58.74	59.29	60.50
127.	अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	736.16	1034.17	866.45	4082.55	5509.07	7113.30	71.87	72.45	73.91
128.	तुलसी ग्रामीण बैंक	193.76	144.14	357.31	1681.18	1646.83	1819.52	40.24	46.75	50.30
129.	एटा ग्रामीण बैंक	229.75	353.19	252.42	2562.56	3082.70	2800.00	75.56	78.94	77.18
130.	गौमती ग्रामीण बैंक	431.14	854.25	275.07	2274.08	2557.46	2370.83	56.23	57.84	51.26
131.	छतरसाल ग्रामीण बैंक	113.68	122.47	179.39	1029.11	1252.55	1049.81	40.12	40.10	40.08
132.	रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-295.45	-405.28	-462.45	437.37	712.12	499.16	50.74	54.52	57.41
133.	विदुर ग्रामीण बैंक	88.35	153.64	281.16	667.00	944.05	1371.38	65.36	70.06	71.53
134.	शाहजहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	146.16	458.25	568.23	1703.39	2503.39	3257.11	78.22	80.26	80.34
135.	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	76.26	204.14	354.43	1598.89	2228.36	3420.42	66.62	70.27	76.12
136.	विंध्यावंशीनी ग्रामीण बैंक	196.70	85.52	187.14	679.66	762.74	959.52	20.82	24.61	22.45
137.	सरयू ग्रामीण बैंक	347.52	492.33	593.69	1338.20	1872.49	2047.42	64.24	66.64	60.51
138.	जमुना ग्रामीण बैंक	296.05	431.62	179.09	2049.00	2402.03	1759.86	65.64	72.81	68.09
139.	मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	45.83	107.04	113.27	583.31	824.17	877.98	64.61	53.45	53.81
140.	पिथोरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	126.26	158.80	287.42	807.59	698.10	875.22	85.46	87.37	91.02
141.	गंगा यमुना ग्रामीण बैंक	16.80	56.98	68.92	742.00	841.38	992.55	54.85	61.03	62.60
142.	अलकनंदा ग्रामीण बैंक	78.21	80.06	116.71	626.97	660.55	924.84	67.82	75.30	72.09
143.	हिन्डन ग्रामीण बैंक	23.15	52.72	110.11	263.08	370.03	469.18	41.32	35.03	59.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	कच्छ ग्रामीण बैंक	123.91	219.10	274.84	1528.00	2063.37	2039.15	67.30	73.91	77.12
145.	जामनगर ग्रामीण बैंक	93.91	207.99	301.49	3059.56	3685.39	5070.38	78.68	81.81	85.19
146.	बनासकांठा मेहसाणा ग्रामीण बैंक	-192.16	-73.40	36.73	1457.27	2183.58	4031.91	69.27	70.70	72.92
147.	पंचमहल ग्रामीण बैंक	159.38	63.19	119.00	1722.51	2300.86	2881.33	52.18	60.13	60.06
148.	सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक	64.94	154.10	231.18	2010.00	2360.23	3057.42	80.24	85.05	85.36
149.	वलसाड डांग ग्रामीण बैंक	165.56	230.96	279.02	1106.57	1176.70	1512.09	53.55	55.98	54.43
150.	सूरत भरूच ग्रामीण बैंक	207.23	171.46	1.22	1720.06	2115.40	2114.82	70.56	73.63	78.05
151.	साबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक	81.84	202.81	209.75	897.79	1042.25	1104.84	60.16	63.16	65.05
152.	जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक	112.37	146.94	197.62	1635.00	1692.12	1885.03	77.73	78.47	84.03
153.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	-153.44	36.16	201.25	5044.69	7820.07	8091.96	41.33	61.22	61.94
154.	औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	57.72	76.23	533.20	1523.00	2360.00	3675.29	61.61	60.17	62.89
155.	चंद्रपुर गढ़चिरौली ग्रामीण बैंक	-189.13	-137.90	37.03	1114.96	1249.11	1546.17	53.04	58.88	61.52
156.	अकोला ग्रामीण बैंक	-162.96	-122.84	47.27	603.98	661.41	1385.00	65.18	54.70	75.00
157.	रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक	1.33	13.36	10.59	1110.29	1209.91	1386.00	71.49	71.74	71.79
158.	सोलापुर ग्रामीण बैंक	38.34	2.58	-24.78	884.49	1055.30	1512.43	70.05	73.16	72.39
159.	भण्डारा ग्रामीण बैंक	-179.54	-115.34	2.16	1095.85	1271.17	1246.42	60.93	75.32	69.17
160.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	98.99	118.70	108.91	558.24	693.05	824.39	65.55	63.61	58.49
161.	बुलढाणा ग्रामीण बैंक	25.19	29.46	117.72	886.97	1193.15	1265.18	71.07	61.50	61.19
162.	थाणे ग्रामीण बैंक	123.69	136.21	143.25	119.90	68.85	212.72	54.33	48.15	48.90
163.	नागार्जुन ग्रामीण बैंक	-84.63	146.56	298.28	4018.23	5010.63	7945.11	41.17	31.43	42.17
164.	रायलसीमा ग्रामीण बैंक	460.56	995.89	995.94	14502.02	17670.74	19423.24	43.35	52.08	55.06
165.	श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	5.93	150.34	366.35	10900.00	12500.00	14159.95	59.41	56.64	56.63
166.	श्री अनन्त ग्रामीण बैंक	741.74	936.28	918.08	7682.42	7304.00	9489.94	60.01	68.87	62.27
167.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक	202.26	271.99	385.73	7381.24	8377.92	11360.36	66.44	70.54	73.69
168.	श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	166.60	537.73	418.47	4209.25	4402.03	4860.55	65.09	60.16	56.83
169.	श्री संगमेश्वर ग्रामीण बैंक	391.10	189.41	483.51	3526.00	4215.03	6536.44	25.08	50.02	53.71
170.	मंजीरा ग्रामीण बैंक	318.33	401.82	551.22	5505.00	6397.00	9292.08	71.87	72.16	79.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	पिनाकीनी ग्रामीण बैंक	229.77	365.97	512.93	5446.86	7704.41	10606.22	68.81	70.21	70.63
172.	काकातीया ग्रामीण बैंक	-15.22	13.52	116.72	2627.19	3170.20	3945.00	51.90	39.24	57.76
173.	चैतन्य ग्रामीण बैंक	171.09	268.66	226.16	3934.00	5487.68	6333.14	68.24	70.06	66.36
174.	श्री सतवाहन ग्रामीण बैंक	161.12	206.02	208.57	2543.79	2013.23	4021.95	50.50	51.93	60.11
175.	गोलकोंडा ग्रामीण बैंक	78.43	72.06	226.50	760.29	1047.04	1722.31	50.05	61.67	63.59
176.	श्रीराम ग्रामीण बैंक	109.83	228.68	263.04	1778.47	2615.33	3042.74	59.55	56.57	61.73
177.	कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक	172.50	221.40	228.31	2292.88	2560.00	3014.92	74.58	85.75	83.96
178.	गोदावरी ग्रामीण बैंक	142.58	185.32	159.05	2789.77	3120.18	3687.00	67.78	63.01	60.86
179.	तुगंभद्रा ग्रामीण बैंक	1125.00	1200.00	1330.00	16112.00	18119.68	25258.02	72.89	66.95	80.13
180.	मालप्रभा ग्रामीण बैंक	922.18	1134.68	1848.42	13054.65	14135.34	23068.85	72.48	71.05	75.63
181.	कावेरी ग्रामीण बैंक	255.69	102.23	202.11	6799.00	8006.52	8208.48	67.94	69.24	70.71
182.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	547.90	579.27	613.62	9202.00	7551.14	9172.85	81.62	81.38	72.55
183.	चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक	223.78	286.58	122.06	5509.59	6362.13	7400.89	69.65	70.93	72.56
184.	कलपतरू ग्रामीण बैंक	135.06	182.34	261.20	2145.57	3400.62	3768.55	66.19	69.66	68.35
185.	कोलार ग्रामीण बैंक	290.37	418.87	310.60	3681.00	3824.28	4803.07	65.49	71.93	71.35
186.	बिजापुर ग्रामीण बैंक	550.50	455.58	902.48	5044.00	6212.35	8292.01	69.66	64.37	62.21
187.	चिकमंगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक	236.48	224.32	301.75	2403.97	2833.58	3302.48	68.57	60.35	56.60
188.	सहयादरी ग्रामीण बैंक	87.15	111.30	235.69	1445.75	1771.53	2610.66	62.93	72.52	76.08
189.	नेत्रावती ग्रामीण बैंक	6.89	23.24	50.25	815.58	1349.36	1897.52	67.95	85.97	88.69
190.	वर्धा ग्रामीण बैंक	100.07	123.41	132.55	1826.97	2732.88	3009.07	86.14	77.56	81.05
191.	विश्वेसरैया ग्रामीण बैंक	20.11	53.11	81.25	1522.99	1672.68	2055.27	74.18	67.99	71.26
192.	साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक	888.16	909.66	1278.47	29434.00	32499.68	42545.64	88.66	89.40	90.91
193.	नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	1059.85	1204.02	1555.36	20638.00	24400.00	34819.00	89.51	86.24	88.57
194.	पांडयन ग्रामीण बैंक	216.07	425.02	442.31	18129.76	19830.86	25203.29	79.16	79.92	81.11
195.	अधियमन ग्रामीण बैंक	133.52	181.00	169.05	2639.85	1983.77	3036.12	60.00	79.86	79.66
196.	वल्लुवर ग्रामीण बैंक	225.38	227.78	202.29	2323.33	1477.04	1623.40	85.70	76.39	79.28
	कुल	7365.30	24773.51	42995.39	466764.57	556080.59	693078.89	56.96	60.44	63.94

[अनुवाद]

डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों का निर्यात

1370. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डिब्बाबंद खाद्य सामग्रियों के निर्यात का संवर्धन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आचार और फलों के गुद्दे का निर्यात भारत को विदेशी मुद्रा के रूप में प्रत्येक वर्ष कई मिलियन डालर के अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन वस्तुओं का देश से निर्यात की मात्रा बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार प्रसंस्करण एवं डिब्बा बंद खाद्य मदों के निर्यात के संवर्धन हेतु अनेक सहायताकारी योजनाएं कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं में शामिल हैं- उत्पादों और इसके पैकेजिंग की गुणवत्ता में सुधार करना, अवस्थापना संबंधी विकास करना और विभिन्न उत्पादों का संवर्धन करने के लिए अध्ययन करना। प्रसंस्करण एवं डिब्बा बंद खाद्य मदों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

* प्रसंस्कृत अनन्नास, प्रसंस्कृत लीची, पाशन फ्रुट और हैल्थ फूड का संवर्धन करने हेतु तकनीकी एवं अन्य अपेक्षाओं को अभिज्ञात करने के लिए व्यापक अध्ययन किए गए हैं;

* चालू वर्ष के दौरान प्रशीतित फलों और सब्जियों की निर्यात पैकेजिंग में सुधार करने हेतु एक अध्ययन किया जाएगा;

* खीरे में तीन साल से अधिक समय से फैले रोग और कीट के प्रबंधन पर एक अनुसंधान परियोजना पर कार्य चल रहा है;

* निर्यातकों को फलों एवं सब्जियों के लिए कीटनाशक अवशेषों की जांच करने हेतु सहायता दी जाती है ताकि वे रोगनाशक अवशेष स्तर संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को प्रभावकारी ढंग से पूरा कर सकें;

* मैंगो पल्प प्रसंस्करण एककों को गुणवत्ता प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु सहायता दी गई है जैसे हाजर्ड क्रिटीकल कंट्रोल प्वाइंट (एच.ए.सी.सी.पी.) और इसका सत्यापन किया गया है। मैंगो प्रसंस्करण इकाइयों को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

(ग) और (घ) अचार और फ्रूट पल्प तथा अन्य प्रसंस्करण फल एवं सब्जियों जैसी प्रसंस्करण मदों के निर्यात से वार्षिक रूप से लगभग 20 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है।

(ङ) डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों के निर्यातों में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए संवर्धनात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) क्रेता विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे सवंर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(2) अलग-अलग राज्यों से निर्यात की संभावना वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क;

(3) अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जागरूकता/प्रशिक्षण/उपजकर्त्ताओं/निर्यातकों के लिए गुणवत्ता का आश्वासन और अच्छा प्रबंधन तथा खाद्य सुरक्षा प्रणाली पर तकनीकी सहायता कार्यक्रम आयोजित करना;

(4) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीत भंडारण सुविधाओं की स्थापना करना।

गेहूं का निर्यात

1371. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 20 लाख टन गेहूं के निर्यात का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में बफर स्टाक से अधिक गेहूं के अतिरिक्त भंडारण की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या निर्यात के लिए निर्धारित गेहूं की कुल मात्रा में से गेहूं का निर्यात किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जनवरी, 2001 तक देश-वार निर्यात की गई गेहूं की मात्रा और मूल्य कितना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेन्सियों के पास 84.00 लाख टन के बफर मानदण्ड की तुलना में गेहूं का 250.41 लाख टन था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात

देश	मात्रा (हजार टन में)	जहाज तक अनंतिम निष्प्रभार (मिलियन अमरीकी डालर में)
बांग्लादेश	68	7.46
मलेशिया	16	1.67
फिलीपींस	26	2.67
जोड़	110	11.8

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात

देश	मात्रा (टन में)	रुपये करोड़ में
बांग्लादेश	10,000.50	5.41
मलेशिया	2800.0	1.34
रूस	17383	8.49
जोड़	30183.5	15.24

31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार पी.ई.सी. ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन और कोरिया को कुल 3,67,849 टन भारतीय गेहूं का निर्यात किया है।

31 जनवरी, 2001 तक कुल निर्यात की गई मात्रा 508032.5 टन है।

भिन्न-भिन्न ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋण

1372. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भिन्न-भिन्न ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत गरीबों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अपने कुल अग्रिम में से न्यूनतम एक प्रतिशत ऋण दे;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा कितनी अग्रिम धनराशि दी गई;

(ग) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है;

(घ) लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। 1972 में शुरू की गई विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत बैंक-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और बैंकों को पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार बकाया अपने कुल अग्रिमों का 1% उधार देना होता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के बकाया अग्रिमों तथा कुल अग्रिमों में से डीआरआई अग्रिमों के प्रतिशत के बैंकवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सभी बैंक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विभेदी ब्याज दर योजना एक ब्याज सब्सिडी योजना है, जबकि उसके पश्चात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, मैला ढोने वालों की उन्मुक्ति एवं पुनर्वास योजना जैसी पूंजी सब्सिडी वाली सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में ऋण तथा अधिक पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है और ये उधारकर्ताओं के लिए अधिक आकर्षक हैं।

(ङ) विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले उधार में सुधार के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा है कि वे इस योजना के कार्यान्वयन के कार्य में सुधार लाने हेतु संयुक्त प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर पुन: जोर दें। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋण संवितरण संबंधी बैंक के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु तत्काल कदम उठाएं।

विवरण

वर्ष मार्च, 1998, 1999 और 2000 के लिए विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रु. में)
(खातों की संख्या लाख में)

बैंक का नाम	1998			1999			2000		
	खातों की संख्या	बकाया शेष	कुल अग्रिमों की तुलना में डी.आर.आई. का%	खातों की संख्या	बकाया शेष	कुल अग्रिमों की तुलना में डी.आर.आई. का%	खातों की संख्या	बकाया शेष	कुल अग्रिमों की तुलना में डी.आर.आई. का%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4.10	59.39	0.11	3.65	60.65	0.10	1.26	34.35	0.05
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	0.16	11.89	0.39	0.11	8.19	0.21	0.93	7.16	0.18
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.90	19.45	0.25	0.90	23.42	0.48	0.39	22.00	0.44
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0.21	8.69	0.54	0.15	7.86	0.41	0.15	6.75	0.32
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.20	6.86	0.31	0.21	11.18	0.44	0.18	4.87	0.18
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.31	13.00	0.34	0.27	8.00	0.18	0.11	5.64	0.12
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0.01	1.35	0.06	0.01	0.86	0.03	—	0.11	0.00
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.63	5.00	0.22	0.45	4.35	0.18	0.41	2.91	0.13
इलाहाबाद बैंक	0.84	21.44	0.42	0.39	22.33	0.38	0.63	31.23	0.45
आन्ध्रा बैंक	0.19	15.00	0.54	0.18	12.81	0.38	0.08	13.00	0.30
बैंक ऑफ बड़ौदा	0.45	63.85	0.51	0.35	52.09	0.40	0.30	44.51	0.33
बैंक ऑफ इंडिया	0.67	54.01	0.68	0.25	60.80	0.47	1.70	51.45	0.36
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.14	9.90	0.29	0.04	5.20	0.13	0.04	4.82	0.11
केनरा बैंक	0.86	41.00	0.36	0.84	34.20	0.25	0.90	27.70	0.18
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.81	20.10	0.22	0.56	16.90	0.16	0.41	18.70	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कॉरपोरेशन बैंक	0.03	2.37	0.11	0.02	1.10	0.04	0.02	2.35	0.05
देना बैंक	0.12	8.35	0.19	0.01	6.14	0.12	0.01	3.79	0.06
इंडियन बैंक	0.26	16.48	0.29	0.24	12.31	0.22	1.79	10.11	0.17
इंडियन ओवरसीज बैंक	0.37	32.00	0.61	0.35	31.50	0.51	0.35	32.50	0.44
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स	0.10	15.00	0.31	0.70	12.50	0.22	0.05	9.17	0.11
पंजाब नैशनल बैंक	0.91	62.70	0.45	0.68	50.57	0.32	0.49	41.93	0.23
पंजाब एंड सिंध बैंक	0.03	20.61	0.67	0.02	17.96	0.54	0.01	14.17	0.34
सिंडिकेट बैंक	0.11	23.00	0.18	0.06	12.00	0.22	0.05	15.00	0.20
युनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.18	17.70	0.22	0.16	14.73	0.16	0.15	12.46	0.13
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.51	8.00	0.21	0.06	4.00	0.10	0.04	2.89	0.06
यूको बैंक	0.67	8.40	0.19	0.28	8.14	0.16	0.20	5.00	0.09
बिजया बैंक	0.30	10.25	0.46	0.04	8.18	0.28	0.02	8.25	0.23
कुल	14.07	575.79	0.30	10.98	507.97	0.23	10.67	432.82	0.18

[हिन्दी]

देश में चीनी की उपलब्धता

1373. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में चीनी की उपलब्धता कितनी है और देश में चीनी की वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली चीनी की आपूर्ति बंद किये जाने से राज-सहायता में कितनी बचत आने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर कितना बोझ पड़ेगा;

(ग) चीनी पर 40 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक 'लेवी' कम करके चीनी मिल मालिकों द्वारा वार्षिक रूप से कितना लाभ अर्जित किए जाने की संभावना है;

(घ) देश में आवश्यकता की तुलना में अतिरिक्त चीनी की मात्रा कितनी है; और

(ङ) सरकार का अतिरिक्त चीनी का किस तरह से वितरित किए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) वर्तमान चीनी मौसम 2000-2001 के दौरान 181 लाख टन चीनी के अनुमानित उत्पादन से तथा पिछले मौसम के आगे लाए गए 92.97 लाख टन के स्टाक से चीनी की कुल उपलब्धता 273.97 लाख टन बैठती है जबकि 162.13 लाख टन चीनी की खपत होने का अनुमान है।

(ख) चीनी की सब्सिडी पर 155.13 करोड़ रुपये की बचत होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये आपूर्ति की जाने वाली चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य और खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में मामूली अन्तर है। अत: उपभोक्ताओं पर इसका मुश्किल से ही कोई प्रभाव पड़ेगा।

(ग) लेवी और खुली बिक्री की चीनी का अनुपात 40:60 से बदल कर 15:85 होने से चीनी फैक्ट्रियां अब खुली बिक्री के कोटे के अधीन खुले बाजार में 25% अधिक चीनी बेच सकेंगी। अत: आशा है कि लेवी तथा खुली बिक्री चीनी के मूल्यों में अन्तर के कारण उन्हें अधिक धनराशि प्राप्त होगी।

(घ) 273.97 लाख टन चीनी की कुल उपलब्धता में से वर्तमान चीनी मौसम के दौरान 162.13 लाख टन चीनी की आन्तरिक खपत को पूरा करने के बाद, मौसम के अन्त में अर्थात् 30 सितम्बर, 2001 को 111.84 लाख टन चीनी का इतिशेष स्टाक होने का अनुमान है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने अधिशेष चीनी की समस्या पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

1. 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है।
2. खुली बिक्री की चीनी के कोटों को विवेकपूर्ण ढंग से निर्मुक्तियां करके घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों को स्थिर रखने तथा उन्हें उचित स्तर पर बनाये रखने की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। पिछले चीनी मौसम के महीनों के दौरान की गई चीनी की निर्मुक्तियों की तुलना में इस चीनी मौसम के तदनुरूपी महीनों में चीनी की अधिक निर्मुक्तियां की गई हैं।

[अनुवाद]

आई.एफ.सी.आई. के लिए विशेषज्ञ समिति के सुझाव

1374. श्री नरेश पुगलिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एफ.सी.आई. की पुनर्गठन योजना और भावी रणनीति संबंधी विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि आई.एफ.सी.आई. को वर्तमान खुदरा वित्त बाजार में प्रवेश नहीं करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति द्वारा और क्या अन्य सुझाव दिए गए हैं;

(घ) क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि आई.एफ.सी.आई. को ए.डी.बी. और आई.एफ.सी., वाशिंगटन जैसे संस्थानों के साथ अपने आपको सहयोजित कर लेना चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) आई.एफ.सी.आई. के पुनर्गठन संबंधी विशेषज्ञ समिति की यह राय है कि आई.एफ.सी.आई. को खुदरा वित्तीय बाजार में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे न तो इस क्षेत्र का अनुभव है और न ही उसके पास खुदरा कारोबार के लिए अपेक्षित विपणन अभिविन्यास है। आई.एफ.सी.आई. का सर्वोत्तम अवसर इस कारोबार का पुनर्निर्माण करना है, जिसका उसे अनुभव था और जिसके लिए उसका अभी भी अनेक कंपनी ग्राहकों के साथ व्यापक संबंध है।

(ग) समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सुझाव दिया कि:

(1) आई.एफ.सी.आई. को कुछ समयावधि में लाइसेंसशुदा सावधि ऋणदात्री बैंक में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

(2) परियोजना वित्त के अनुपात को कम करना चाहिए और परियोजनोत्तर एवं अल्पावधि वित्तपोषण कारोबार में विविधता लानी चाहिए तथा शुल्क आधारित सेवाओं में प्रवेश करना चाहिए।

(3) नए उत्पाद और सेवाएं विकसित करके आई.एफ.सी.आई. को उचित ऋण एवं एक्सपोजर नीति निर्धारित करनी चाहिए।

(4) आई.एफ.सी.आई. के पास चालू एन.पी.ए. में प्रतिवर्ष कम से कम 500 करोड़ रुपए कमी लाने के लिए कार्पोरेट वसूली योजना होनी चाहिए।

(घ) समिति ने यह भी महसूस किया कि आई.एफ.सी.आई. के लिए समान कारोबार वाले किसी अन्य संस्थान के साथ अनुकूल भागीदारी करना बेहतर होगा। समिति ने आई.एफ.सी., वाशिंगटन या एशियाई विकास बैंक जैसी किसी संस्था के सहयोग से ऐसी भागीदारी शुरू करने पर विचार करने का सुझाव दिया।

(ङ) आई.एफ.सी.आई. के पुनर्गठन के बारे में निर्णय लेते समय आई.एफ.सी.आई. और सरकार इस सुझाव पर यथोचित ध्यान देगी।

दूरदर्शन और आकाशवाणी में कर्मचारियों की कमी

1375. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक; और

(ग) दूरदर्शन और आकाशवाणी में कर्मचारियों की संख्या कम करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन में स्टाफ कम करने संबधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में रिक्तियां

1376. डा. बलिराम: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 15 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम में विभिन्न श्रेणियों में कितनी रिक्तियां हैं;

(ख) उक्त तिथि के अनुसार उक्त निगमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित कितनी रिक्तियां हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सभी रिक्तियों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अन्य देशों से दूरदर्शन द्वारा अर्जित आय

1377. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन को देश के बाहर प्रसारण से आय का अर्जन होता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में इस माध्यम से कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(ग) क्या इसके लिए विदेशों में कोई विभागीय ढांचे का भी सृजन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार का सृजन किया गया है; और

(ङ) इस शीर्ष के अंतर्गत कितना वार्षिक व्यय किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण

1378. श्री राजो सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय द्वारा सरकार की विभिन्न गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धन उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गये हैं;

(ख) उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को जमुई, शेखपुरा, बेगुसराय और लखीसराय जिलों सहित बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित बैंकों की शाखाओं के विरुद्ध धनराशि न देने और असहयोग करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) सरकार द्वारा राज्य सहित ऊपर उल्लिखित बिहार के जिलों में स्थित बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार गरीबों को धन-प्रदान करवाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु मार्गनिर्देश जारी किए हैं। जारी किए गये मार्गनिर्देशों के नाम और तारीख हैं: (1) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), दिनांक 1.9.1999, (2) स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), दिनांक 1.12.1997, (3) वर्ष 1993 में शुरू की गई मैला ढोने वालों की उन्मुक्ति एवं पुनर्वास की योजना (4) विभेदी ब्याज दर योजना, दिनांक 3 जून, 1972 (दिनांक 6.7.1977 को जारी संशोधित मार्गनिर्देश) और (5) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) (2 अक्तूबर, 1993 से संचालन में है) (रूपान्तरित पैरामीटर दिनांक 1.4.1999 से लागू हैं)। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 19 नवम्बर, 1999 को एसजी-एसवाई के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में की जाती है और बैंकों को मार्गनिर्देशों का अनुसरण करने और लक्ष्य प्राप्त करने के निदेश दिए जाते हैं।

(ग) से (च) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक को माननीय संसद सदस्य से यह शिकायत प्राप्त होने की सूचना मिली है कि बेगुसराय, बिहार जिलों (जमुई, शेखपुरा, बेगुसराय और लखीसराय) में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत जारी निधियों का बैंकों विशेषकर जिले के अग्रणी बैंक ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों का सहयोग न मिलने के कारण समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। इस शिकायत की भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा जांच की गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने असन्तोषजनक स्थिति को सुधारने के लिए उपाय किए हैं और अग्रणी जिला अधिकारियों (एलडीओ) को संबंधित जिलों में योजनाओं की व्यष्टि स्तर निगरानी को सुदृढ़ करने की सलाह दी गई है, ताकि बैंकों द्वारा इन योजनाओं के तहत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना सुनिश्चित किया जा सके। अग्रणी जिला अधिकारी विभिन्न जिला स्तरीय बैठकों में संबंधित बैंक शाखाओं का ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय अधिकारी आवधिक रूप से प्रगति की पुनरीक्षा करता रहा है तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु नियंत्रक कार्यालयों को लिखता रहा है। एसजीएसवाई के तहत बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां बनाने हेतु लखीसराय और शेखपुरा में विशेष बैठकें आयोजित की गई थी।

[अनुवाद]

ए.एम. रेडियो क्षेत्र का निजीकरण

1379. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई.टी.यू.) के सदस्य के रूप में निजी पार्टियों को लाईसेंस जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सूचना सेवाओं पर आधारित रेडियो खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या एफ.एम. स्टेशन मामले की तरह सरकार ए.एम. रेडियो क्षेत्र में भी निजी भागीदारी की अनुमति देगी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उससे देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की जनता को किस हद तक लाभ पहुंचेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (अ.दू.सं.) का सदस्य है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में एक समन्वय एजेंसी है। अ.दू.सं. के रेडियो विनियमों के अनुसार, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एफ.एम. ध्वनि प्रसारण के लिए विशिष्ट बैन्ड आबंटित किए गए हैं। भारत सरकार ने अपने स्तर पर संगीत, मनोरंजन, सूचना और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एफ.एम. प्रसारण संबंधी कार्यकलाप को निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। प्रथम चरण में, देश के 40 केन्द्रों में 108 एफ.एम. रेडियो केन्द्र/चैनल स्थापित करने के लिए मूल्यपरक सेवाओं सहित एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवा के विस्तार की अनुमति दी गई थी।

(ख) से (घ) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत-जापान आर्थिक संबंध

1380. श्री भर्तृहरि महताब: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-जापान आर्थिक संबंधों के विस्तार हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हेतु जापान के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) जापान के साथ भारत के आर्थिक संबंध सुदृढ़ बने हुए हैं। पोखरण-2 के पश्चात घोषित जापानी प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देश इसे और सुदृढ़ बनाने के प्रयास कर रहे हैं। अगस्त, 2000 में जापान के प्रधान मंत्री मोरी की भारत यात्रा, हाल ही में आयोजित द्विपक्षीय व्यापार बातचीत तथा निवेश वार्ता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में सुधार करने की ओर किए गए कुछ सकारात्मक उपाय हैं।

ऋण बैंकों के लिए धनराशि

1381. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के तीन ऋण बैंकों इंडियन बैंक, यूको बैंक और युनाइटेड बैंक आफ इंडिया में और अधिक धनराशि लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख भारत सरकार ने तीनों कमजोर बैंकों तथा इंडियन बैंक, यूको बैंक एवं युनाइटेड बैंक आफ इंडिया द्वारा तैयार पुनर्गठित योजना की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री एस.पी तलवार की अध्यक्षता में दिनांक 22 दिसम्बर, 2000 को एक उच्च स्तरीय ग्रुप का गठन किया था। ग्रुप का कार्य अन्य बातों के साथ-साथ उन बैंकों का अर्थक्षम पुनर्गठन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित पूंजी की प्रमात्रा का विवेचनात्मक मूल्यांकन करना था। ग्रुप की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

अवसंरचना क्षेत्र हेतु बैंक ऋण

1382. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए कम बैंक ऋण दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस क्षेत्र को बैंकों ने कितना सकल ऋण उपलब्ध कराया है; और

(ग) अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आधारिक उद्योग के लिए कुल बैंक ऋण (बकाया) में संगत वृद्धि हुई है। चुने गए 50 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्षों अर्थात 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आधारिक उद्योग को कुल ऋण क्रमश: 3163 करोड़ रुपए, 5941 करोड़ रुपए और 7243 करोड़ रुपए था।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण

1383. डा. संजय पासवान: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में अंधाधुंध विनिवेश के कारण विभिन्न उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को सेवा में उपलब्ध आरक्षण सुविधाएं समाप्त की जाने वाली हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन विनिवेशित उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण उपलब्ध कराने के अपने घोषित वचन को किस प्रकार पूरा करेगी;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग सहित विभिन्न संगठनों ने इस संबंध में अपनी चिंता की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) जैसा कि वर्ष 2000-2001 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है सरकार कामगारों के हितों की रक्षा करने के प्रति वचनबद्ध है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धन नियन्त्रण हस्तांतरण होने वाले विनिवेश के मामलों में अनुकूल साझीदारी के साथ सम्पन्न किए जा रहे शेयर खरीद करार और शेयर धारक करार में उपयुक्त प्रावधान किए जाते हैं। इन करारों में विशेषकर यह वृतान्त देते हुए कहा जाता है कि अनुकूल साझीदार इस बात को स्वीकार करे कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के सम्बन्ध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों के हितों के लिए कतिपय सिद्धांतों का अनुकरण करती है और यह कि अनुकूल साझीदार ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कम्पनी को प्रेरित करने में सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इसके अलावा, कम्पनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी आने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की छंटनी अन्त में हो।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है आर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बासमती चावल का निर्यात

1384. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुशबुदार बासमती चावल के निर्यात की प्रक्रिया निर्धारित समय पर आरंभ नहीं की जा सकी और इसमें करीब दो महीने का विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मौशम के दौरान बासमती चावल की कितनी मात्रा के निर्यात का अनुमान है; और

(घ) भारतीय बासमती चावल के लिए बाजार का पता लगाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बासमती चावल के निर्यातों की संभावित मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि बासमती चावल का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू कीमतों, उपभोक्ता अधिमानों और बेची गई किस्मों पर निर्भर करेगा।

गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बासमती चावल की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
1997-98	593323	1685.62
1998-99	597793	1876.91
1999-2000 (अनंतिम)	606468	1735.94
अप्रैल-अक्तूबर 2000 (अनंतिम)	510143	1268.21

(स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस, कलकत्ता)

(घ) बासमती चावल के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं—प्रचार अभियान चलाना, विदेशों में शिष्टमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करना, संभावित क्रेताओं को आमंत्रित करना और गुणवत्ता, पैकेजिंग सुधार, उत्पादों के ब्रांड संवर्द्धन और बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

लघु उद्योग के तहत वस्तुओं को आरक्षणमुक्त करना

1385. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस समय पूर्ण रूप से लघु उद्योग इकाइयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी वस्तुओं को आरक्षणमुक्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि 1 अप्रैल, 2001 तक आरक्षण पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए;

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस मुद्दे पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में बने मंत्रियों के दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे पर क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) ये सिफारिशें किस सीमा तक पूर्ण रूपेण कार्यान्वित की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कुछ महत्वपूर्ण निर्यातोन्मुख क्षेत्रों के आगे नए निवेश और प्रौद्योगिकी के उन्नयन, हेतु, 2001-2002 के बजट में चमड़े की वस्तुओं, जूतों और खिलौनों से संबंधित अन्य 14 मदों को अनारक्षित करने का प्रस्ताव है। सरकार लघु क्षेत्र में अनन्य विनिर्माण के लिए मदों के आरक्षण/अनारक्षण के मुद्दे की निरंतर आधार पर जांच करती है और इस संबंध में निर्णय सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के बाद लिए जाते हैं?

(ग) से (ङ) चरणबद्ध एवं व्यवस्थित संक्रमण के लिए तथा राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने हेतु लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वर्तमान में आरक्षित उत्पादों के संबंध में चयनात्मक अनारक्षण की योजना पर विचार एवं उसे तैयार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने अपनी पिछली बैठक में (1) आरक्षण को जारी रखने तथा (2) अनारण की योजना तैयार करने से संबंधित निर्णय को आस्थगित कर दिया था।

फिल्मों का निर्यात

1386. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्म उद्योग को उपलब्ध कराई गई निर्यात सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके निर्यात को उदार बनाने/ और अधिक प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) विदेशी मुद्रा के अर्जक के रूप में फिल्म उद्योग की पूरी क्षमता के दोहन को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 1.4.1999 से 80 एच.एच.एफ. नाम से एक नई धारा शामिल की गई थी जिसके कारण इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के निर्यात से अर्जित लाभ इसमें निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आयकर कटौती के लिए पात्र हैं। इसके अलावा फिल्म सॉफ्टवेयर के निर्यातकर्ता प्रति अदायगी के भी हकदार हैं।

विश्व व्यापार संगठन संबंधी श्वेतपत्र

1387. **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री जय प्रकाश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विशेषज्ञों ने सरकार से विश्व व्यापार संगठन संबंधी श्वेत पत्र जारी करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जैसा कि प्रेस के कतिपय वर्गों में रिपोर्ट दी गई है, कुछ विशेषज्ञों ने भारतीय कृषि पर डब्ल्यू.टी.ओ. करारों के प्रभाव के बारे में एक श्वेत पत्र की मांग की है।

(ख) और (ग) सरकार ने अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कर दी है और कृषि संबंधी डब्ल्यू.टी.ओ. करार के बारे में व्यापक दृष्टिकोण-पत्र तथा कृषि संबंधी करार के तहत चल रही तयशुदा वार्ताओं के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. में भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए भारतीय प्रस्तावों को वाणिज्य विभाग की वेब साईट पर भी उपलब्ध किया गया है।

मुर्गे की टांगों का आयात

1388. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमेरिका से 'मुर्गे की टांगों' के आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय को लेने से पहले भारतीय उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर इन 'मुर्गे की टांगों' के प्रतिकूल प्रभाव के मुद्दे पर व्यापक विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन मुर्गे की टांगों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) मुर्गे की टांगों के आयात के कारण कुक्कुट पालक किस सीमा तक प्रभावित होंगे; और

(च) घरेलू कुक्कुट पालकों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (च) मुर्गे की टांग सहित कुक्कुट को निर्यात एवं आयात मदों के आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण के एग्जिम कोड शीर्ष संख्या 02.07 के तहत वर्गीकृत किया गया है। इस समय इस मद का आयात प्रतिबंधित है इसलिए ऊपर उल्लिखित भाग (क) से (च) तक प्रश्न नहीं उठते हैं। इसके अलावा जब कभी इस मद के आयात को मुक्त कर दिया जाएगा तब मानव, पशु, पौध सुरक्षा संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली खेपों पर प्राधिकारियों द्वारा पत्तन पर जहाज से माल उतारने और/अथवा पूर्व लादन पूर्व मनाही सहित समुचित उपायों के जरिए, जो कि इतने तक ही सीमित नहीं होंगे, उचित कार्रवाई की जाएगी।

लघु ऋण प्रवाह

1389. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लघु ऋण आवश्यकताओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु ऋण के सरल और मुक्त प्रवाह की व्यवस्था के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) क्या बैंकों ने लघु ऋण प्रवाह की व्यवस्था के संबंध में कोई नियत योजना नहीं बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो लघु ऋण के संबंध में बैंकों की इस मनोवृत्ति को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में व्यष्टि वित्त के लिए स्थापित समर्थनकारी नीति एवं विनियामक ढांचे संबंधी कृतिक बल ने उन गरीबों, जिनकी नियमित बैंकिंग माध्यमों तक पहुंच नहीं है, की ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए लगभग 15000 करोड़ रु. का मूल्यांकन किया। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने व्यष्टि वित्त क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। प्रमुख उपायों में स्व-सहायता समूहों सहित बड़ी संख्या में ऐसी व्यष्टि वित्त संस्थाओं के गठन एवं पोषण को उन्नत बनाने के लिए नीतिगत मध्यस्थता एवं कार्यनीतियां शामिल हैं, जिनमें उत्तरोत्तर 25000 बैंक शाखाएं, 4000 गैर-सरकारी (एनजीओ) और 2000 स्व-सहायता समूह परिसंघ शामिल होते जाएंगे। नाबार्ड की दीर्घकालीन कार्यनीति यह है कि 2008 तक बैंकिंग प्रणाली में एक मिलियन स्व-सहायता समूह जोड़ दिए जाएंगे। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा व्यष्टि वित्त संस्थाओं को नामावली में लेने एवं वित्तपोषित करने के लिए प्रावधान करने हेतु सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियम बनाने और उनमें संशोधन करने के लिए भी उपाय शुरू किए गए हैं।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि बैंकिंग संस्थाएं देश में व्यष्टि वित्त क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक रही हैं। दिसम्बर, 2000 के अंत की स्थिति के अनुसार, 318 बैंकों ने व्यष्टि ऋण से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया है। बैंकों के जरिए स्व-सहायता समूहों को सबसे निचले स्तर पर ऋण प्रवाह 287 करोड़ रु. बैठता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यथेष्ट परिचालनात्मक स्वतंत्रता देने के लिए मार्ग-निर्देश जारी किए हैं, ताकि वे वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के ऋण मानदंड निर्धारित कर सकें और इस संबंध में उपयुक्त ऋण एवं बचतों की व्यवस्था कर सकें। अब बैंकों को अपने स्वयं के प्रतिमान (माडल) बनाने और व्यष्टि वित्त हेतु अपने बिचौलिए चुनने की अनुमति दे दी गई है। बैंकों द्वारा तैयार की गई ऋण योजनाओं को इस क्षेत्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यष्टि वित्त विकास निधि कहे जाने वाली एक नई विकास निधि भी बनाई गई है।

[हिन्दी]

विभिन्न राज्यों को खाद्य तेलों और केरोसीन की आपूर्ति

1390. श्री रामदास आठवले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश भीषण सूखे की स्थिति और भारी विद्युत संकट का सामना कर रहे हैं और इन राज्यों ने इस समय उनको की जा रही केरोसीन आपूर्ति की मात्रा को दोगुना करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा आरम्भ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) भूकंप, सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिट्टी के तेल की उत्पन्न होने वाली आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार राज्यों को उनके अनुरोधों के आधार पर मिट्टी के तेल की तदर्थ/अतिरिक्त मात्रा का आवंटन करती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने मई, 2000 से सितम्बर, 2000 और जनवरी, 2001 से मार्च, 2001 तक राजस्थान को राज्य में सूखे की स्थिति से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति माह 15,000 किलोलीटर (11673 टन) का अतिरिक्त आवंटन किया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विनिवेश

1391. श्री के. येरणनायडू: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में विनिवेश हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विनिवेश प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर आयकर

1392. श्री रामजी मांझी: क्या **वित्त मंत्री** 1 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1997 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर अनुज्ञप्ति शुल्क संबंधी आयकर प्रभारित करने के बारे में उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुमति याचिका की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से संबंधित आकलन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के अंतर्गत पुन: कर निर्धारण के नोटिस की वैधता के संबंध में है जिसमें कर निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए कर निर्धारण को पुन: खोला गया है। विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करते समय उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय में मामले पर निर्णय होने तक सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है।

(ख) और (ग) कर निर्धारण वर्ष 1995-96 तथा 1998-99 के संबंध में कर निर्धारण कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया है जिनमें महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा दावा किए गए लाइसेंस शुल्क व्यय की अनुमति नहीं दी गई है।

प्रिंट मीडिया में निवेश

1393. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 फरवरी, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'आर.बी.आई. में बी टोल्ड टू रेन इन एफ आई आईज इन प्रिंट मीडिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एफ.आई.आई. ने भारतीय प्रिंट मीडिया में निवेश किया है जिससे मंत्रिमंडल के 1956 के संकल्प का उल्लंघन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मामलों की जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार का ध्यान दिनांक 13 फरवरी 2001 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है। मै. मिड-डे मल्टीमीडिया लिमिटेड द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों को शेयरों का निर्गम करने के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000 आर.बी. की अनुसूची 2 की शर्तों के अनुसार स्वीकृति की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब उक्त अधिसूचना में 16 फरवरी, 2001 को संशोधन कर दिया है जिसके अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों तथा विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों को प्रिंट मीडिया क्षेत्र में रत किसी भारतीय कंपनी के शेयर या परिवर्तनीय ऋणपत्र खरीदने से रोक दिया गया है।

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क

1394. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में हाल में की गई वृद्धि के प्रभाव का आकलन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य आयात को रोकना था;

(ग) यदि हां, तो इस वृद्धि के उद्देश्य की किस सीमा तक पूर्ति हुई है;

(घ) नवम्बर और दिसम्बर, 2000 में शुल्क वृद्धि किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुई है;

(ङ) 1999-2000 के दौरान खाद्य तेलों की कुल कितनी कमी हुई; और

(च) देश में खाद्य तेल उत्पादन में सुधार हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) खाद्य तेलों के आयात शुल्क में वृद्धि करने का एक उद्देश्य आयात को नियंत्रित करना है।

(ग) और (घ) डी.जी.सी.आई.एस., वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, खाद्य तेलों का आयात 1998-99 में 38.59 लाख टन से घट कर 1999-2000 में 34.55 लाख टन रह गया है।

शुल्क में वृद्धि दो प्रमुख तिलहनों नामत: मूंगफली और सरसों के मूल्यों को उनके न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक करने में भी सहायक सिद्ध हुआ है जो कुल तिलहन उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत होते हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(रुपये प्रति क्विंटल)

बीज	न्यूनतम समर्थन मूल्य	थोक बाजार मूल्य (23.2.2001 की स्थिति के अनुसार)
मूंगफली (छिलका सहित)	1220	1435
सरसों/रेपसीड	1100	1205

(ङ) 1999-2000 के दौरान खाद्य तेलों की कुल कमी लगभग 34 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(च) तिलहनों के स्वदेशी उत्पादन और इस प्रकार खाद्य तेलों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए कुछ उपाय/प्रयास इस प्रकार हैं:

(1) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अधीन किसानों को राज्य सरकारों के माध्यम से बीजों के उत्पादन और वितरण, बीजों के मिनी किटों का वितरण, छिड़काव यंत्रों, उन्नत कृषि औजारों, जिपस्म/पाइराइट्स सूक्ष्म पोषकों, राइजोबियम संवर्धन आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त किसानों के खेतों पर ही उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी के उन्नत रूप के प्रचार के लिए फ्रंटलाइन और सामान्य प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

(2) सर्वोत्तम उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन तकनीक का उपयोग करने के लिए मई, 1986 में तिलहनों पर एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया था।

(3) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनुसंधान प्रयासों को तीव्र करना।

(4) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे गैर-परंपरागत तिलहन फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, वृक्षों और वन-मूल के तिलहनों, चावल की भूसी का उपयोग करना।

(5) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम से तालमेल बैठाने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना करना।

(6) पॉम तेल विकास के लिए सहायता देना।

(7) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के माध्यम से उत्पदाकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(8) वनस्पति के निर्माण में उत्पादन के कम से कम 25 प्रतिशत स्वदेशी तेलों का मासिक आधार पर प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, वनस्पति के निर्माण में 30 प्रतिशत तक एक्सपेलर सरसों तेल के उच्च उपयोग की भी अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों से मिलने वाले बेहतर लाभ के रूप में उन्हें प्रोत्साहित करना है।

(9) उच्च मूय वर्धन के रूप में घरेलू प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खाद्य तेलों के शुल्क ढांचे को और युक्ति-युक्त बना दिया गया है। अपरिष्कृत खाद्य तेलों पर शुल्क 25 प्रतिशत (मूल) से बढ़ाकर 35 प्रतिशत (मूल) कर दिया गया है, जबकि परिष्कृत वनस्पति तेलों (नारियल तेल, आर.बी.डी. पामोलीन और उसके अंशों को छोड़कर) पर शुल्क 35 प्रतिशत (मूल) ये बढ़ाकर 45 प्रतिशत (मूल) कर दिया गया है। परिष्कृत पॉम तेल और आर.बी.डी. पामोलीन पर शुल्क 35 प्रतिशत (मूल) से बढ़ाकर 65 प्रतिशत (मूल) कर दिया गया है।

[हिन्दी]

पुराने वाहनों का आयात

1395. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुराने वाहनों के आयात की अनुमति देने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू वाहन उद्योग इन दिनों मन्दी का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या घरेलू वाहन उद्योग को आयातित पुराने वाहनों के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार नई वाहन नीति की घोषणा कब तक करने का है; और

(च) घरेलू वाहन उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) से (च) 1.4.2001 से शेष मात्रात्मक प्रतिबंधों क्वानटिटेव रिस्ट्रक्सन्स) के समाप्त होने पर पुरानी कारें आसानी से आयात योग्य हो जाएंगी। देश में मूल्यवर्द्धन और निर्माण के हित में वित्तीय वर्ष 2001 के बजट में उनकी आयात वाली कारों पर आरंभिक सीमा शुल्क की दर 105% का प्रस्ताव किया गया है जैसाकि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माणकर्त्ता सोसायटी एसआईएएम ने आंकड़े दिए हैं, के अनुसार पैसेंजर कार और वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र को छोड़कर सम्पग्र रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर ने चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल-दिसम्बर की अवधि के दौरान एक सकारात्मक वृद्धि दर दर्शाई है।

[अनुवाद]

मात्रात्मक प्रतिबंध जारी रखा जाना

1396. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने रेशम और सुपारी के आयात पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने शहतूत, कच्चे रेशम, सुपारी और खाद्य तेल जैसी कुछ वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध जारी रखने का दुबारा लगाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में और हमारे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार भी आयात प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। इस प्रकार इन मदों पर आयात प्रतिबंध दुबारा नहीं लगाए जा सकते। तथापि, टैरिफ तंत्र के उपयुक्त उपयोग के जरिए घरेलू उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। प्राप्त हुए अनेक अभ्यावेदनों के आधार पर सुपारी पर आयात शुल्क 35% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इसी प्रकार, विभिन्न खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में जून 2000 के बाद दो बार ऊर्ध्वगामी संशोधन किए गए हैं। इन उपायों से आयातों की रोकथाम करने में मदद मिलेगी।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1397. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) सरकार ने लाइसेंसिंग तथा अन्य शर्तों के अध्यधीन गेट वेज प्रदान नहीं करने वाले (उपग्रह तथा सबमेराइन दोनों केबलों के लिए) अन्तर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं (आईएसपीएस) डार्क फाइबर प्रदान करने वाले अवसंरचना प्रदाताओं (आईपी श्रेणी-1), इलैक्ट्रोनिक मेल तथा वायस मेल जैसी दूर-संचार गतिविधियों में शत प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति पहले ही दे दी है। दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण में भी शत प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

मूल, सेल्यूलर मोबाइल, पेजिंग तथा मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवा और उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन्स के मामले में दूरसंचार विभाग से लाइसेंस मिलन की शर्त के अध्यधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49 प्रतिशत तक सीमित है।

अनुप्रयोज्य आस्तियों का एक मुश्त निपटान

1398. श्री ए. कृष्णैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुप्रयोज्य आस्तियों के एक मुश्त निपटान के लिए बैंक आफ इंडिया के पास कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान बैंक ने कितने मामलों को स्वीकार/अस्वीकार किया;

(ग) क्या बैंक आफ इंडिया इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 27 जुलाई, 2000 के दिशानिर्देशों के अधीन अनुप्रयोज्य आस्तियों के एक बारगी निपटान के लिए उसके पास 150 आवेदन लंबित हैं।

(ख) बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उसने वर्ष 1999-2000 के दौरान बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की नीति के अनुसार एक बारगी निपटान करने के लिए 14660 आवेदन स्वीकार किए और 125 आवेदन स्वीकार कर दिए।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग द्वारा वनस्पति उत्पादकों को जारी किए गए मांग नोटिस

1399. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग ने वनस्पति उत्पादकों को आयातित तेल की उतनी मात्रा के लिए शुल्क की पूर्ण दर और रियायती दर के अन्तर का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं जो संयंत्रों को अभिवहन में कम प्राप्त हुई हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा किए जाने का क्या औचित्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) 50 मांग नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें लगभग 80 लाख रुपए का शुल्क अंतर्ग्रस्त है। विभेदी शुल्क की मांग तथा वसूली इसलिए की जाती है क्योंकि आयातकों ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के अधीन तथा इसके तहत बनाए गए नियमों अर्थात् सीमाशुल्क (उत्पाद शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 1996 के अधीन लगाई गई शर्तों को पूरा नहीं किया है।

स्टॉक एक्सचेंजों में पारदर्शिता लाया जाना

1400. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेबी ने स्टाक एक्सचेंजों के निदेशकों और कर्मचारियों के लिए कोई आचार संहिता घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस आचार संहिता का क्या प्रभाव हुआ है और इस निर्णय से स्टाक एक्सचेंजों के कार्य संचालन में कितना सुधार होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सेबी ने सूचित किया है कि अपने स्टाक एक्सचेंजों के निदेशकों तथा पदाधिकारियों के लिए आचार-संहिता तैयार की है, जिसमें भारतीय स्टाक एक्सचेंजों में पारदर्शिता में वृद्धि करने के लिए व्यावसायिक तथा नैतिक मानदंडों को सुस्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

(ख) आचार-संहिता की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएं हैं:

* एक्सचेंज तथा निवेशकों से संबंधित मामलों के निपटान में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता।
* एक्सचेंज के पदाधिकारियों तथा निदेशकों द्वारा किए जाने वाले प्रतिभूति लेन-देन का प्रकटीकरण।
* निर्णय किए जाने में हितों के टकराव से बचना; तथा इन पदाधिकारियों द्वारा अपने लाभकारी हित का प्रकटीकरण; तथा
* विनियामक अभिकरणों/एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित सभी नियमों/विनियमों का अनुपालन तथा कर्तव्य निष्पादन में सम्यक तत्परता बरतना।

(ग) क्रियान्वित किए जाने पर इस संहिता से एक्सचेंजों के व्यावसायिक तथा नैतिक मानदंडों के सुधार में सहायता मिलने के साथ ही उनके कार्यकरण के संबंध में निवेशकों के बीच बेहतर अवधारणा बनाने में भी मदद मिलने की प्रत्याशा है।

विश्व में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन

1401. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय फिल्मों ने विश्व व्यापक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और क्या इन फिल्मों की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्थिति का कितना लाभ उठाया गया है;

(ग) किन देशों ने भारतीय फिल्मों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में निर्यात की गई भारतीय फिल्मों की संख्या निम्न अनुसार है:-

1998-190

1999-180

2000-200

(ग) भारतीय फिल्मों में दिलचस्पी दिखाने वाले प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के., संयुक्त अरब अमीरात और मॉरीशस है।

(घ) इसके परिणामस्वरूप अर्जित की गई विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है:-

1997-98	200 करोड़ रुपये
1998-99	250 करोड़ रुपये
1999-2000	300 करोड़ रुपये

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण

1402. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी कार्यों के कंप्यूटरीकरण के लिए कोई कार्य योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए कुल कितनी राशि की मांग किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) जिला और राज्य स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य निष्पादन की मानीटरिंग करने के लिए एन.आई.सी. ने 1997 में एक सॉफ्टवेयर विकसित किया था, जो एन.आई.सी. के सभी राज्य स्तर के केन्द्रों को रिलीज कर दिया गया था। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे राज्य खाद्य और नागरिक पूर्ति विभागों को एन.आई.सी. जिला केन्द्रों के माध्यम से आंकड़े भेजना सुनिश्चित करें।

इस प्रयोजन के लिए राज्य खाद्य और नागरिक पूर्ति निदेशालय/विभागों को राज्य के अन्दर सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों को समेकित करने के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली खरीदने और निकनेट संपर्क हासिल करने के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम "प्रशिक्षण अनुसंधान और मानीटरिंग" के अधीन निधियां आबंटित की जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को उपर्युक्त स्कीम के अधीन यह कंप्यूटर खरीदने के लिए 1.50 लाख रुपये की एक मुश्त सहायता दी जाती है।

उचित दर दुकान स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों की मानीटरिंग करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में एन.आई.सी. की सहायता से पॉयलट परियोजना शुरू की गई है।

दूरदर्शन के अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. जांच

1403. श्री पी.डी. एलागगोवन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में दूरदर्शन चैनल में प्रयोजित कार्यक्रमों को (प्रसारण समय) टाइम स्लॉट दिए जाने से सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक और अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और दूरदर्शन के अधिकारियों से लाभ प्राप्त करने के लिए एन.डी.टी.वी. के भी विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच चल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डीडी-1 को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए एन.डी.टी.वी. को एक बड़ी राशि का भुगतान डीडी-1 को करना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती द्वारा यह सूचित किया गया है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान दूरदर्शन को अपने चैनलों में प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए समय स्लॉट देने से कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। 1998 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 9.1.98 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित धारा 120-ख के तहत मैसर्स एन.डी.टी.वी. और इसके प्रबंध निदेशक श्री प्रणय राय के अलावा तत्कालीन महानिदेशक दूरदर्शन तथा दूरदर्शन के अन्य अधिकारियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। यह 1990-96 की अवधि के दौरान "द वर्ल्ड दिस वीक" सहित दूरदर्शन पर विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण में दूरदर्शन द्वारा एन.डी.टी.वी. के साथ किए गए पक्षपात के कतिपय दृष्टांतों से संबंधित हैं। इसका जांच कार्य प्रगति पर है।

(ङ) और (च) दूरदर्शन ने मै. एन.डी.टी.वी. के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके द्वारा निर्मित कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण के प्रभार हेतु 18% वार्षिक ब्याज की दर सहित 4,69,53,776/- रुपये के लिए जवाबी दावा दायर किया है।

खाद्य तेलों का आयात

1404. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वी.एम. सुधीरन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न खाद्य तेलों की वर्तमान मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या इनकी मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है;

(ग) यदि हां, तो देश में विभिन्न खाद्य तेलों की आपूर्ति और वास्तविक उत्पादन के बीच कितना अंतर है;

(घ) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान बड़ी मात्रा में वनस्पति और अन्य खाद्य तेल आयात किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश-वार कितने मूल्य का आयात किया जाना है;

(च) क्या सरकार द्वारा पामोलीन के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न खाद्य तेलों की कुल घरेलू मांग और आपूर्ति क्रमश: 96.43 लाख टन और 61.50 लाख टन है।

(ख) और (ग) मांग और आपूर्ति के बीच अंतर/कमी 34.93 लाख टन है।

(घ) और (ङ) निर्यात आयात नीति के अनुसार खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है।

सालवेंट एक्ट्रेक्शन एसोसिएशन आफ इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार तेल वर्ष 2000-2001 (नवम्बर-जनवरी) के दौरान 12.33 लाख टन खाद्य तेलों का आयाता हुआ है। आयातित तेल में आर.बी.डी. पामोलीन, परिष्कृत रेपसीड तेल, परिष्कृत सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, रेपसीड/कनोला तेल और बिनोले का तेल शामिल है। खाद्य तेलों का आयात मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमरीका आदि देशों से किया गया है। खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात होने के कारण आयात की कीमत के बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) और (छ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता

1405. श्री गंता श्रीनिवास राव:
श्री बी.के. पार्थसारथी:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छह माह में ऊर्जा, ई-कामर्स और बैंकिंग के संबंध में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सितम्बर, 2000 में माननीय प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के दौरान दोनों सरकारों के स्तर पर निम्नलिखित समझौता-ज्ञापनों/आशय-विज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर किए गए:-

* समझौता ज्ञापन में दोनों देशों में वर्तमान और संभावित ऊर्जा विकास पर विचार-विमर्श, जानकारी के आदान-प्रदान तथा ऊर्जा मांग एवं आपूर्ति के पूर्वानुमानों के आकलन को सुसाध्य बनाने, ऊर्जा और संबंधित पर्यावरणीय नीतियों पर विचार विनिमय, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान की समीक्षा आदि की परिकल्पना की गई है। इस समझौता-ज्ञापन में ऊर्जा से संबंधित एक उप-मंत्रालयीन कार्य दल के गठन की भी परिकल्पना की गई है।

* स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर अध्ययन के लिए आशय-विज्ञप्ति। यह अध्ययन: (1) भारतीय कोयले और पर्यावरणीय स्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समेकित गैस-निर्माण सम्मिश्र चक्रीय प्रौद्योगिकी स्थापित करने: (2) इस प्रौद्योगिकी को भारत के लिए सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए संभावित वित्तीय ढांचों की खोज करने; और (3) भारत में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए एक समय-बद्ध कार्यान्वयन योजना बनाने का प्रयास करेगा।

* राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सहित विद्युत क्षेत्र की प्रशिक्षण संस्थाओं की दीर्घ-कालिक प्रशिक्षण क्षमता निर्मित करने के प्रयासों के लिए विद्युत क्षेत्र में क्षमता-निर्माण हेतु आशय-विज्ञप्ति।

सेंसर बोर्ड द्वारा पुनरीक्षा

1406. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने चलचित्र अधिनियम, 1981 के उस उपबंध को 'असंवैधानिक' घोषित किया है जिसके द्वारा सरकार किसी फिल्म को स्वीकृति दिए जाने के लिए सेंसर बोर्ड और अपीलीय अधिकरण के निर्णय की पुनरीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय ने इसके क्या मुख्य कारण बताएं हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई नया कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 6 (1) द्वारा केन्द्र सरकार को प्रदत्त पुनरीक्षा शक्तियों को इस आधार पर असंवैधानिक करार दिया है कि कार्यपालिका किसी अर्द्ध-न्यायिक निकाय के आदेश की समीक्षा या पुनरीक्षा नहीं कर सकती और न ही किसी संबंधित अपील की सुनवाई कर सकती है।

(ग) और (घ) सरकार मामले की जांच कर रही है।

विदेशी फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम

1407. श्री नरेश पुगलिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के कोर ग्रुप की सिफारिशों पर दिनांक 14 दिसंबर, 1998 को जारी किए गए भारत में विदेशी फर्मों के संयुक्त उद्यम संबंधी प्रैस नोट 18 में उल्लिखित 'अनापत्ति' खण्ड को हटाए जाने का प्रस्ताव रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय बाजारों को विदेशी निवेशकों के अनुचित प्रवेश से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करते समय आवेदक से इस संबंध में एक घोषणा प्राप्त की जाती है कि क्या विदेशी सहयोगकर्ता का भारत में उसी अथवा संबद्ध क्षेत्र में कोई

पहले से संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/व्यापार चिन्ह समझौता है, और साथ ही उन परिस्थितियों का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा जाता है जिनके कारण नया संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना करना आवश्यक माना जाता है और साथ ही नया उद्यम किसी प्रकार से मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा भागीदार के हितों को खतरे में नहीं डालेगा।

भारतीय कंपनियों की मौजूदा इक्विटी के अधिग्रहण हेतु स्वत: मार्ग उपलब्ध नहीं है। इक्विटी के इस प्रकार के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों पर विचार करते समय, भारतीय कंपनी के बोर्ड के संकल्प पर जोर दिया जाता है।

विभिन्न राज्यों में चीनी की मांग

1408. श्री एस.डी.एन.आर. चाडियार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 के दौरान विभिन्न राज्यों ने केन्द्रीय पूल से कितनी चीनी की मांग की है;

(ख) उपर्युक्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही में इन राज्यों को कितनी चीनी वास्तव में आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार ने चीनी से नियंत्रण हटाए जाने की नीति अपनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) चीनी का कोई केन्द्रीय पूल नहीं है। तथापि, चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी का कुछ प्रतिशत सरकार द्वारा लेवी के रूप में लिया जाता है। लेवी चीनी का आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग पर नहीं किया जाता है बल्कि कुछेक मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, वर्ष 2000 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लेवी चीनी के आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने चीनी उद्योग को चरणबद्ध रूप में विनियंत्रित करने का निर्णय लिया है। दिनांक 1.1.2000 से लेवी देयता 40% से कम करके 30% कर दी गई है। सरकार ने 1.2.2001 से लेवी देयता 30% से पुन: कम करके 15% कर दी है।

विवरण

लेवी कोटा तथा त्यौहार कोटा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लेवी चीनी का मासिक कोटा (मात्रा मी. टन में)			
		जनवरी और फरवरी 2000 @	मार्च से जून, 2000*	जुलाई से दिसम्बर, 2000#	वार्षिक त्यौहार कोटा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	28267	31712	30430	7614
2.	अंडमान निकोबार	282	377	377	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	602	809	809	94
4.	असम	15687	18114	17136	2896
5.	बिहार	36707	41707	40545	10078
6.	चंडीगढ़	391	525	158	112
7.	दादर तथा नागर हवेली	60	78	78	14
8.	दिल्ली	11973	17054	12899	2316

1	2	3	4	5	6
9.	गोवा	508	671	541	150
10.	दमन और दीव	43	59	59	12
11.	गुजरात	17557	20212	18035	4878
12.	हरियाणा	6996	8307	7530	1924
13.	हिमाचल प्रदेश	3619	4582	4330	608
14.	जम्मू और कश्मीर	5404	6796	6796	868
15.	कर्नाटक	19117	21860	20473	5350
16.	केरल	12368	13592	12858	3600
17.	लक्षद्वीप	81	112	112	22
18.	मध्य प्रदेश	28127	33294	32017	7536
19.	महाराष्ट्र	33550	38301	33741	9014
20.	मणिपुर	1288	1709	1709	208
21.	मेघालय	1239	1651	1651	200
22.	मिजोरम	483	645	645	78
23.	नागालैंड	847	1140	1140	128
24.	उड़ीसा	13456	15102	14741	3730
25.	पांडिचेरी	472	627	627	78
26.	पंजाब	8619	9896	8621	2392
27.	राजस्थान	18704	22372	21036	5092
28.	सिक्किम	287	379	379	50
29.	तमिलनाडु	23741	26033	23822	6790
30.	त्रिपुरा	1932	2586	2586	302
31.	उत्तर प्रदेश	59122	70722	69026	15936
32.	पश्चिम बंगाल	28934	33138	30326	7796
	कुल	380463	444142	415213	99950

@1991 की जनगणना के अनुसार आबादी के आधार पर

*1.3.1999 को प्रक्षिप्त आबादी पर आधारित

#आयकर निर्धारितियों को छोड़कर 1.3.1999 को प्रक्षिप्त आबादी पर आधारित

ऑटो उद्योग के लिए निर्यात वचनबद्धता

1409. श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
श्री वी. के पार्थसारथी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ऑटो उद्योग को उत्पादन की अनुमति देने के समय निर्यात की अनिवार्यता की जानकारी दी गई थी;

(ख) उद्योग के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्यात वचनबद्धता के लिए निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या चालू वर्ष की शेष अवधि के लिए निर्यात निर्धारित निर्यात वचनबद्धता के अनुसार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अभी तक कितना निर्यात किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) उत्पादन का अनुमोदन करते समय इस प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्तमान नीति के अनुसार सवारी कार के विनिर्माताओं के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है जिसके तहत वे स्वयं को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करते हैं कि सी.के.टी./एस.के.डी. किटों/संघटकों के आयातों के वास्तविक सी.आई.एफ. मूल्य तथा कारों और ऑटो संघटकों के निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के बीच मोटे तौर पर विदेशी मुद्रा संबंधी संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस निर्यात दायित्व की अवधि उत्पादन शुरू होने के तीसरे वर्ष से प्रारंभ होती है। संबंधित कंपनियों ने अपना निर्यात करना शुरू कर दिया है। निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। इसलिए, इस स्तर पर किसी कंपनी द्वारा निर्यात दायित्व पूरा नहीं किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

निर्यातानुकूल निर्यात-आयात नीति

1410. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यातानुकूल निर्यात-आयात नीति बनाने के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या निर्यातकों ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में कतिपय समस्याएं व्यक्त की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, हां। निर्यात संवर्धन परिषदों तथा शीर्षस्थ वाणिज्य मंडलों और उद्योग जगत के साथ परामर्श करके एक्जिम नीति, 1997-2000 में वार्षिक परिवर्तन तैयार किए जा रहे हैं। इन परिवर्तनों को शामिल करते हुए संशोधित एक्जिम नीति को स्थापित प्रतिक्रिया के अनुसार सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) फिओ द्वारा आयोजित की गई बैठकों में निर्यातकों ने सौदों की लागत और समय, प्रक्रियागत सरलीकरण एवं मौजूदा निर्यात संवर्धन योजनाओं में संशोधनों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। इन सभी मुद्दों की व्यापक जांच की जा रही है ताकि उन्हें एक्जिम नीति के संशोधित अंक में शामिल किया जा सके।

कृषि उत्पादों पर निर्यात संबंधी राजसहायता

1411. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एसोचेम' ने सरकार से विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को कृषि उत्पादों पर निर्यात संबंधी राजसहायता के दुष्प्रभाव को देखते हुए अप्रयुक्त राजसहायता के अग्रेषण को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता को समझाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या चैम्बर ने निर्यात ऋण, निर्यात गारंटियों और निर्यात बीमा तथा मूल्य रियायतों, जो कृषि क्षेत्र में उदारीकरण के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, पर समुचित अनुशासन लागू किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विश्व व्यापार संगठन के कई सदस्य देशों ने कुछ विशिष्ट वस्तुओं को लक्षित करने के लिए साल-दर-साल उत्पादों के लिए निर्यात राजसहायता में परिवर्तन किया है और अप्रयुक्त राजसहायता को अगले वर्ष के लिए प्रयोग किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के समक्ष रखा है और क्या अप्रयुक्त सब्सिडियों के संबंध में उपयुक्त कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जैसा कि कुछेक समाचार पत्रों में उल्लेख किया गया है एसोचेम ने अपनी प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार से कहा है कि अप्रयुक्त राजसहायता के फिर से उपयोग को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों पर जोर डाला जाए।

(ग) से (ङ) निर्यात इमदादों की व्यापार को विकृत करने की प्रवृत्ति को देखते हुए भारत ने कृषि संबंधी करार के अंतर्गत चल रही वार्ताओं के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. को प्रस्तुत किए गए अपने प्रस्ताव में क्रियान्वयन के पहले दो वर्षों में दीनों रूपों में अर्थात् इमदाद परिव्यय के रूप में और इमदाद प्राप्त मात्राओं के रूप में उनको खत्म करने की मांग की है तथा यह भी मांग की है कि संक्रमण अवधि के दौरान अप्रयुक्त राजसहायता के किसी भी पुन: उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने यह भी मांग की है कि निर्यात ऋण, गारंटियों, कीमत छूट और बीमा कार्यक्रमों सहित निर्यात इमदादीकरण के सभी स्वरूपों को निर्यात इमदादों पर लागू व्यापक नियमों के अधीन रखा जाए।

कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के मौजूदा प्रावधान अप्रयुक्त निर्यात राजसहायता के पुन: प्रयोग को नहीं रोकते हैं और इस प्रकार सदस्य देशों द्वारा अप्रयुक्त निर्यात राजसहायता का अगले वर्ष उपयोग करने और कुछ विशिष्ट मदों को लक्षित करने के लिए उत्पादों के बीच निर्यात इमदाद के अंतरण के कई उदाहरण हुए हैं। तथापि, चूंकि यह करार की भावना के विपरीत है इसलिए भारत ने अप्रयुक्त निर्यात राजसहायता का पुन: उपयोग नहीं करने तथा इन निर्यात इमदादों को खत्म करने की मांग की है।

सिक्कों की ढलाई और नोटों की छपाई

1412. श्री किरीट सोमैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से सिक्कों/करेंसी नोटों की ढलाई/छपाई/आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की;

(ख) एक रुपए, दो रुपए और पांच रुपए के प्रत्येक सिक्के के आयात से उसके परिचालन तक सरकार कितना खर्च करती है;

(ग) क्या सरकार ने देश को सिक्कों की ढलाई के संबंध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हैदराबाद में नई टकसाल खोले जाने और नोएडा टकसाल में दोहरी शिफ्ट शुरू किए जाने से सिक्कों के आयात में कुछ कमी आई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कारण से खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विदेशों से सिक्कों/करेंसी नोटों का आयात करने/ढलाई करने में खर्च की गई कुल विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है:-

सिक्के	4,09,76,546	अमरीकी डालर
	53,19,144	पौंड और
	3,10,28,606	डी.एम.
करेंसी नोट	9,52,83,944	अमरीकी डालर

(ख) 2.5 बिलियन सिक्कों के आयात के आर्डर दिए गए हैं। इन आयातों पर किया जाने वाला व्यय निम्नलिखित है:

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन अदद में)	व्यय	
1 रु.	750	86,94,837.50	अमरीकी डालर
2. रु.	750	2,30,54,625	अमरीकी डालर
5. रु.	1000	1,87,15,824	डी एम
		3,97,84,500	अमरीकी डालर

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त व्यय का लगभग 1 प्रतिशत पत्तन साज-संभाल प्रभारों और भारतीय रिजर्व बैंक तिजोरियों को सिक्कों की डिलीवरी के लिए किया जाएगा।

(ग) से (च) देश में सिक्कों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, मुम्बई, कोलकाता और हैदराबाद स्थित तीन टकसालों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। चल रहे आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप, सिक्कों का उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है। क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए टकसालों के और आधुनिकीकरण पर भी विचार किया जा रहा है। नोएडा टकसाल में दूसरी पाली शुरू करने की योजना है। इन उपायों से देश में सिक्कों का उत्पादन काफी अधिक बढ़ने की आशा है। तथापि, सिक्कों का आयात भविष्य में भारतीय रिजर्व बैंक की सिक्कों की मांग पर निर्भर करता है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय घोटाला

1413. श्री अनंत गुडे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान बागान कंपनियों द्वारा किए गए वित्तीय घोटालों की जांच की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो बागान कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के निपटने और बागान कंपनियों में ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रस्तावित दीर्घावधि नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संपूर्ण देश में और विशेषकर महाराष्ट्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा की गई वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) को विनियमित करता है जिनके माध्यम से कृषि, बागान आदि से संबंधित लिखतों के लिए निवेश मांगे जाते हैं। शीर्षस्थ 53 सीआईएस कंपनियों की विशेष लेखापरीक्षा का आदेश जनवरी, 1998 में दिया गया था। न्यायालय आदेशों के अनुसरण में अन्य दो कंपनियों की भी लेखापरीक्षा की गई थी। इसके बाद अन्य 12 कंपनियों की जांच सेबी द्वारा की गई थी। लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों से निधियों का योजनाओं से असंबंधित क्रियाकलापों में बड़े पैमाने पर विपथन जाहिर हुआ; जुटाई गई राशि का एक बड़ा भाग निधियों इत्यादि को इकट्ठा करने की लागत पर खर्च किया गया है। सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1994 जिन्हें अक्तूबर, 1999 में अधिसूचित किया गया था के अन्तर्गत, कोई मौजूदा सीआईएस कंपनी तब तक कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती है या मौजूदा योजनाओं के अन्तर्गत भी निवेशकों से कोई धन नहीं जुटा सकती, जब तक कि इसे सेबी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र न प्रदान कर दिया जाए।

सेबी ने सभी सीआईएस कंपनियों, जिन्होंने सेबी के पास पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किए थे, को अपनी योजनाएं बंद करने तथा निवेशकों को वापसी-अदायगी करने की सलाह देते हुए अलग-अलग पत्र भेजे हैं। ऐसा करने में असफल रहे सी.आई.एस. निकायों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं कि उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए।

सेबी ने 605 सीआईएस कंपनियों के विरुद्ध परिसमापन कार्यवाहियों के प्रारंभण की संस्तुति की है।

(घ) एक संपूर्ण विनियामक ढांचा स्थापित किया गया है जिसका लक्ष्य जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करना तथा सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) ठोस तथा सुव्यवस्थित आधार पर काम करें। विनियामक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ अनिवार्य पंजीकरण, नकदी वाली आस्तियों का अनुरक्षण, निवल लाभों के न्यूनतम 20 प्रतिशत का प्रारक्षित निधि को अंतरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिशानिर्देश जारी करने में समर्थ बनाना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक विपथगामी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न चूकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अन्तर्गत जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए विभिन्न कार्रवाईयां करता है। सरकार ने हाल ही में लोक सभा में एक विधेयक पेश किया है जिससे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षोपाय मिलने की उम्मीद है।

सीमा शुल्क को चरणबद्ध तरीके से घटाने संबंधी नीति

1414. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक सलाहकार परिषद् ने सरकार से तीन से चार वर्षों की अवधि के भीतर सीमा शुल्क की दरों को ईस्ट एशिया टैरिफ दलों के समतुल्य लाने के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से घटाने के लिए नीति की घोषणा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त नीति कब तक तैयार करने और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) भारतीय आर्थिक परिदृश्य इससे किस प्रकार प्रभावित होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) प्रधान मंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद ने आर्थिक सुधार संबंधी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि सरकार को चाहिए कि वह 2005 तक 5 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध ढंग से 34% के औसत आयात शुल्क स्तर में परिवर्तन करके उसे 12% के औसत स्तर तक लाने की घोषणा करे। परिषद ने यह विचार प्रकट किया है कि शुल्क संरक्षण की उच्च दरों से एक मजबूत औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने में सहायता नहीं मिलती है और ये घरेलू उत्पादन में अक्षमताओं को छिपा लेती है जिसके कारण उच्च लागत वाले औद्योगिक ढांचे का सृजन होता है जिससे पूरा घरेलू उद्योग अप्रतिस्पर्द्धात्मक हो जाता है। परिषद् ने यह भी विचार प्रकट किया है कि इसके कारण विनिमय दर का अधिक मूल्यांकन भी होता है और निर्यातोन्मुखी उद्योग कम लाभकारी बन जाते हैं।

(ग) और (घ) वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार, सरकार 20% की उच्चतम दर के साथ दरों की संख्या को कम से कम करने का कार्य 3 वर्ष के अन्दर-अन्दर उत्तरोत्तर रूप से पूरा कर लेना चाहेगी। अगले बजट के लिए इस कार्य को करने की कार्य विधि समय पर तैयार कर ली जाएगी।

विज्ञापन से राजस्व

1415. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन विज्ञापनों के प्रसारण से आय अर्जित करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दोनों संगठनों द्वारा, राज्य-वार अलग-अलग कितनी आय अर्जित की गई;

(ग) सरकार द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी की आय बढ़ाने के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग इन केन्द्रों के रख-रखाव और पुनरुद्धार पर कितना खर्च किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने राजस्व अर्जन को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्रसारक के पैरामीटरों के अन्तर्गत कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं विज्ञापन एजेंसियों तथा प्रायोजक निकायों के प्रति सकारात्मक एवं बाजार के अनुकूल रूख अपनाना; वाणिज्यिक मामलों के संबंध में क्षेत्रीय केन्द्रों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना; कार्यक्रमों के प्रभावी विपणन को सुनिश्चित करने के लिए मुम्बई में एक अपना मार्केटिंग विंग स्थापित करना आदि शामिल हैं;

खाद्यान्न की खरीद का निजीकरण

1416. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न खरीद का निजीकरण करने के लिए प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या सरकार की भारतीय खाद्य निगम को धीरे-धीरे समाप्त करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम को सौंपे गए कार्य वापस लिए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार ने खाद्यान्नों के विकेन्द्रीकृत वसूली योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण और वितरण करती है। इससे कमी या थोड़े अधिशेष वाले राज्यों को चावल अथवा गेहूं की उतनी ही मात्रा वसूल करने में मदद मिलेगी, जितनी वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए आवश्यक समझते हैं। राज्य की आवश्यकता से अधिक वसूल की गयी मात्रा भारतीय खाद्य निगम को सौंप दी जाती है। राज्य सरकार की आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य में अंतर को राज्य सरकार को राजसहायता के रूप में दिया जाता है।

खरीफ विपणन मौसम 1997-99 के दौरान इस योजना के अधीन पश्चिम बंगाल में चावल की वसूली शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गेहूं में यह योजना रबी विपणन मौसम 1999-2000 से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी इस योजना के अधीन खरीफ विपणन मौसम 1999-2000 से धान/चावल की वसूली शुरू कर दी है।

सिक्कों की कमी

1417. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता में भारत सरकार की टकसाल के आधुनिकीकरण पर 59 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद बिना ढले सिक्के और ढले हुए सिक्कों का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और टकसाल उतने ही सिक्कों की ढलाई कर रही है जिनकी ढलाई आधुनिकीकरण से पहले की जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक परिणाम हासिल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके आधार पर कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सिक्कों की कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप कोलकाता टकसाल में सिक्कों और सिक्का ब्लैंकों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे दिए गए उत्पादन संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट होता है:

(मिलियन अदद में)

वर्ष	ब्लैंकों का उत्पादन	सिक्कों का उत्पादन
1997-98	152.3600	434.1800
1998-99	255.9600	525.1100
1999-2000	356.5200	660.0900

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एक दीर्घावधिक उपाय के तौर पर कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई स्थित टकसालों को आधुनिक बनाने की योजना बनाई गई थी जो लगभग पूरी होने वाली है। नोएडा टकसाल को दो पारियों में चलाने का निर्णय भी लिया गया है। एक अल्पावधिक उपाय के तौर पर, भारतीय रिजर्व बैंक से सिक्कों की मांग और टकसालों द्वारा सिक्कों की आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए सिक्कों का आयात किया जा रहा है।

मेट्रो चैनल पर देर रात्रि में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए समय की नीलामी

1418. श्री अमर राय प्रधान: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने मेट्रो चैनल पर देर रात्रि में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए समय की नीलामी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे मेट्रो/डीडी-2 को कितनी मासिक आय होगी; और

(घ) वर्ष 2001-2002 में मेट्रो/डीडी-2 और नेशनल चैनल को कितनी आय होने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्य सरकारी क्षेत्र के एककों को नवरत्न का दर्जा दिया जाना

1419. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में कुछ सरकारी क्षेत्र के एककों को नवरत्न का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के एककों को यह दर्जा दिया गया।

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य सरकारी क्षेत्र के एककों को नवरत्न का दर्जा दिए जाने का है तथा पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त ऐसे कुछ एककों को इससे वंचित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में, सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 11 उपक्रमों अर्थात इण्डियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) तथा इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) को नवरत्न का दर्जा दिया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस समय प्रदान किए गए नवरत्न दर्जे की समीक्षा करना अथवा नवरत्नों की सूची में सरकारी क्षेत्र के नए उपक्रम शामिल करना सतत् प्रक्रिया है। इस समय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी नवरत्न उपक्रम से नवरत्न दर्जा वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सी.बी.आई. के छापे

1420. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं की अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.बी.आई. ने हाल ही में हवाई अड्डे पर छापा मारा था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाए गए सीमा शुल्क अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) छापे में जब्त किये गये माल का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जांच-ब्यूरो द्वारा 14.1.2001 को अहमदाबाद स्थित एस.वी.पी. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे पर एक जांच की गयी थी।

(ग) केन्द्रीय जांच-ब्यूरो ने चार सीमा शुल्क निरीक्षकों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है।

(घ) आकस्मिक जांच के दौरान, सम्बन्धित अधिकारियों के पास निर्धारित सीमा से अधिक नकदी पायी गयी थी। इसके अलावा, भारतीय एवं विदेशी मुद्रा तथा शराब की बेहिसाबी बोतलें पायी गयी थी, जिन्हें बाद में केन्द्रीय जांच-ब्यूरो द्वारा अभिगृहीत कर लिया गया था।

सीमेंट का उत्पादन

1421. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सीमेंट उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई; और

(ग) सरकार का सीमेंट उत्पादन में किस हद तक वृद्धि करने प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बड़े-बड़े संयंत्रों के सीमेंट के उत्पादन में 0.69 प्रतिशत की सीमान्त वृद्धि हुई है। इसका विवरण निम्न प्रकार है:-

अप्रैल, 2000-जनवरी, 2001 -	77.03 मिलियन टन
अप्रैल, 1999-जनवरी, 2000 -	76.50 मिलियन टन

(ग) 1. निवेश संबंधी वातावरण में सुधार लाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसरण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीतियों व प्रक्रियाओं का उत्तरोत्तर उदारीकरण/सरलीकरण किया गया है। इस समय स्वत:अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक क्षेत्र में, एक लघु निषेध सूची को छोड़कर, पूर्ण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

2. सरकार द्वारा शहरी अवसंरचनात्मक विकास के क्षेत्रों में की गई पहल और आवासीय क्षेत्र के लिए कर संबंधी लाभों से सीमेंट की मांग में वृद्धि होने की आशा है।

3. प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन, जिसमें कंकरीट की सड़कों के निर्माण पर बल दिया गया है, से सीमेंट क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

4. उत्पादन संबंधी अड़चनों को दूर करने और इसकी कुशलता में सुधार करने के लिए कोयला लिंकेज के संदर्भ में सीमेंट उद्योग को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान की जाती है।

5. सीमेंट संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर रेल वेगन भी उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि सीमेंट का अभाव वाले क्षेत्रों में सीमेंट की आपूर्ति की जा सके।

6. सरकार सीमेंट उद्योग में अनुसंधान व विकास संबंधी प्रयासों के लिए उपकर निधियों का आबंटन कर रही है ताकि ऊर्जा बचत के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकीयों को अपनाया, समाविष्ट और क्रियान्वित किया जा सके।

राजकोषीय सुधार

1422. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13 राज्यों ने राजकोषीय सुधारों को लाने के संबंध में उनके मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस तथ्य के चलते ऋणपाश में फंसने के प्रति आगाह किया है, कि ऋणराशि का 63 प्रतिशत भाग चालू खपत के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने योजना आयोग की जानकारी में यह बात लाई है कि इससे राज्यों में ऋण-विच्छिन्नता जैसी आपातस्थिति उत्पन्न हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने भी उच्च राजस्व घाटे और राज्यों द्वारा झेले जा रहे राजकोषीय दबाव पर ध्यान दिया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर सभी राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के 63 प्रतिशत का कारण राजस्व घाटा है।

(घ) जिन 13 राज्यों में समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं वे राजकोषीय संतुलन हासिल करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं।

पेटेंट कार्यालयों का आधुनिकीकरण

1423. श्री किरीट सोमैया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन हेतु 75.79 करोड़ रुपये की लागत पर पेटेंट कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यह परियोजना कब पूरी हो जाएगी;

(ग) क्या इस परियोजना को पेटेंट कार्यालयों की सभी शाखाओं सहित पूरी तरह प्राचलनात्मक बना दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रक्रिया और उत्पाद पेटेंट के लिए अनुदान हेतु मार्च, 2000 से आज तक पेटेंट कार्यालयों द्वारा कितने आवेदन प्राप्त किए गए और अब तक कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई;

(च) क्या उत्पादों का पेटेंट कराने के इच्छुक लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कोलकाता स्थित पेटेंट कार्यालय और इसके शाखा कार्यालयों के आधुनिकीकरण संबंधी परियोजना के अन्य बातों के साथ निम्नलिखित मुख्य अंग थे:-

- आधारभूत विकास
- मानव संसाधन विकास
- कार्य प्रणाली का कंप्यूटरीकरण और पुन: निर्माण
- वित्तीय तथा परिचालन स्वायत्ता
- बकाया पड़े पेटेंट आवेदनों का विलोपन कोलकाता उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर होने के कारण इस परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई है। इस मुकदमे के कारण परियोजना में आंशिक पुनरभि-विन्यास करने की भी आवश्यकता हुई है जो अब क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों पर है। इस समय:-
- सभी कार्यालयों में इंटरनेट से जोड़ने सहित कंप्यूटर के प्रारंभिक स्तर और ई-मेल सुविधा स्थापित कर दी गई है;
- दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के लिए अतिरिक्त आवास प्राप्त कर लिए गये हैं और कार्यालयों के डिजाइन विन्यास व फर्निशिंग करने संबंधी कार्य टर्न की आधार पर प्रगति पर हैं;
- पेटेंट सूचना प्रणाली, नागपुर के दर्जे को प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भी बढ़ाया जा रहा है और आधारभूत विकास का काम प्रगति पर है;
- फ्रंट आफिस आटोमेशन साफ्टवेयर परीक्षण कार्य प्रगति पर है और सिस्टम अपेक्षा विनिर्देशन (एस.आर.एस.) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा तैयार कर लिए गये हैं;
- पेटेंट कार्यालय को अतिरिक्त जन शक्ति दे दी गई/दी जा रही है; अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने का कार्य भी प्रगति पर है;
- पेटेंटीकरण प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण और आवेदनों का निपटान तेजी से करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य भी हाथ में ले रखा है;
- पेटेंट कार्यालय पद्धति के लिए कार्य-नियम पुस्तिका का मसौदा तैयार कर लिया गया है;

- पुराने रिकार्डों की छंटनी करने का काम पूरा कर लिया गया है और अंकीय अभिलेखों की शुरूआत कर दी गई है;

- अन्वेषण सुविधाओं में सुधार की दृष्टि से सी.डी. रोम, तकनीकी पुस्तक व पत्रिकायें प्राप्त की जा रही हैं।

(ङ) पेटेंट कार्यालय ने मार्च 2000 से जनवरी, 2001 की अवधि में 4868 आवेदन प्राप्त किये हैं और इसी अवधि के दौरान 3153 आवेदन, जिसमें पहले से बकाया आवेदन भी शामिल हैं, मंजूर किये गये हैं।

(च) और (छ) वर्तमान पेटेंट कानून में यदि पेटेंटीकृत आविष्कार से जनता की उचित मांग का समाधान नहीं होता हो अथवा जब जनता को उचित मूल्य पर पेटेंटीकृत आविष्कार उपलब्ध न होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से लाइसेंस मंजूर करने के प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त उक्त कानून में खाद्य पदार्थों, औषधों एवं रासायनिक पदार्थों के लिए समान (डीम्ड) ''लाइसेंस अधिकार'' की भी व्यवस्था है।

पहले से बकाया पेटेंट आवेदनों के विलोपन की समस्या का जहां तक संबंध है, सरकार ने पेटेंट आवेदनों के मासिक निपटान लक्ष्य को प्रत्येक जांच कर्ता के लिए 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, प्रत्येक शाखा कार्यालय के लिए प्रतिमाह 500 पेटेंट जांच रिपोर्ट तैयार करने का लक्ष्य भी निश्चित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनियों की स्थापना

1424. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रत्यक्ष विदेशी सहायता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्ण विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों को अपनी अनुषंगी कम्पनियां स्थापित करने की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में ऐसी कम्पनियां खोले जाने की सम्भावना है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) देश को इससे अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) विदेशी सहायता संबंधी नीति इस मंत्रालय द्वारा तैयार नहीं की जाती है। तथापि, जहां तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संबंध है, सरकार विदेशी स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को विनिर्माणकारी क्षेत्र (लघु उद्योग के लिए आरक्षित मदों, रक्षा, सामरिक उद्योगों, परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) फिल्मों, खनन, प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन, विद्युत (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), सड़कों राजमार्गों, वाहन पुलों, वाहन सुरंगों, पत्तनों तथा बंदरगाहों, इन्टरनैट प्रदाताओं (गेटवे को छोड़कर), डार्क फाइबर, इलैक्ट्रोनिक मेल तथा वोइस मेल उपलब्ध कराने वाले अवसंरचना प्रदाताओं, कोयला व लिग्नाइट, होटल एवं पर्यटन, पैट्रोलियम क्षेत्र, कैश एण्ड कैरी थोकबिक्री व्यापार/निर्यात व्यापार और उद्यमपूंजी निधियों में अनुमति दे रही है। विदेशी निवेश को स्वदेशी पूंजी में सहायता के लिए अपेक्षित पूंजी सहित नयी व प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकियों और प्रबंधकीय कौशल लाने के साधन के रूप में माना जाता है। विदेशी निवेश का अन्तर्वाह निवेशकों के वाणिज्यिक निर्णय, विद्युत, विकसित भूमि आदि जैसी पर्याप्त व विश्वसनीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में निवेश आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों तथा राजसहायताओं पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन कार्यक्रमों के विरुद्ध शिकायतें

1425. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 2000-2001 के दौरान दूरदर्शन कार्यक्रमों की घटिया गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के सभी चैनलों पर अश्लील फिल्मों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब तक लगाए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर शिकायत/सुझाव प्राप्त होते रहते हैं और आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित की गई फिल्मों को ही प्रसारित करता है। प्रसारण संहिता के प्रावधानों के अनुसार दूरदर्शन अपने चैनल पर फिल्मों के प्रसारण से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए फिल्मों का पूर्व दर्शन करता है कि इनमें अवांछनीय हिंसा, अश्लीलता आदि न हों। जहां तक दूरदर्शन पर अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण का संबंध है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि ये प्रसारण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप हों।

माइक्रो क्रेडिट हेतु कृतिक बल

1426. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माइक्रो क्रेडिट सिस्टम की जांच करने के लिए नाबार्ड द्वारा गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा क्या-क्या सुझाव/सिफारिशें की गई है;

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। कृतिक बल की रिपोर्ट सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 25.10.1999 को सौंप दी गई थी। कृतिक बल द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव/की गई सिफारिशें व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एमएफआई) तथा अन्य एमएफआई ढांचे को मुख्य धारा में शामिल करने, एमएफआई का विनियमन एवं पर्यवेक्षण; एमएफआई से संबंधित संगठनात्मक पहलुओं से संबंधित है।

(ग) और (घ) सरकार ने कृतिक बल की सिफारिशों के आधार पर कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ ये हैं- स्वसहायता समूह (एसएचजी) बैंक सहलग्नता योजना को बढ़ाना; एसएचजी के लिए दर निर्धारण मानदण्ड लागू करना तथा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में एसएचजी लागू करना। शुरूआती और क्षमता सर्जक निधियां बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एक व्यष्टि वित्त विकास निधि भी स्थापित की है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बफर स्टाक का रखरखाव

1427. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए खाद्यान्नों का बफर स्टाक 1993-96 और 1998 के दौरान निर्धारित मानदंडों से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप 1993-98 के दौरान 450 करोड़ और 1853 करोड़ रुपये के बीच अधिक ढुलाई लागत आई;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके अत्यधिक मात्रा में स्टाक रखने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या इस मामले की जांच करने और निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मौरिशस के लिए निर्यात में कमी

1428. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौरिशस के लिए की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं के निर्यात में कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वस्तु-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया ने मौरिशस के लिए भारत से किये जाने वाले निर्यात में हुई कमी पर चिंता प्रकट करने के लिए हाल ही में एक भारत-मौरिशस आर्थिक सम्मेलन आयोजित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एसोचेम ने डा. नवाबसिंह, जो मारीशस के प्रधानमंत्री के सलाहकार और निवेश बोर्ड (बीओआई) के अध्यक्ष हैं, के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 17 फरवरी 2001 को चुनिंदा समूह की बैठक आयोजित की थी। उक्त बैठक का उद्देश्य प्राथमिक रूप से अफ्रीकी, यूरोपीय तथा अमरीकी बाजारों को जाने वाले भारतीय उत्पादों के लिए मारीशस का एक गेटवे के रूप में उपयोग करते हुए आपसी सहयोग के जरिए निवेश के अवसरों को बढ़ाना था।

कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का घटिया स्तर का चावल

1429. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान कर्नाटक को गुणवत्ता मानदंडों में ढील (रिलेक्स्ड स्पेसिफिकेशन) के तहत आपूर्ति किया गया चावल घटिया स्तर का, खराब रंग का और टूटा हुआ था और कर्नाटक में थोक डिपुओं और उचित दर दुकानों में उस चावल को लेने वाला कोई नहीं था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को घटिया स्तर के ऐसे चावल की आपूर्ति न करने हेतु कोई निर्देश जारी कर दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं। 1997-98 और 1998-99 के दौरान छूट-प्राप्त विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल किया गया और कर्नाटक को आपूर्ति किया गया चावल, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पी.एफ.ए.) मानदण्डों के अनुरूप था। तथापि, कर्नाटक राज्य सरकार ने चावल के इन स्टाकों को स्वीकार करने के प्रति अनिच्छा दर्शाई थी।

(ख) 1997-98 और 1998-99 के दौरान चावल की एक समान विनिर्दिष्टियों में छूट दी गई थी, क्योंकि इन दो वर्षों के दौरान धान की फसल बेमौसम की बरसात के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई थी। 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान चावल की एक समान विनिर्दिष्टियों में छूट नहीं दी गई थी।

(ग) और (घ) मामले की मंत्रालय में जांच की गई थी और भारतीय खाद्य निगम को 1997-98 और 1998-99 के विनिर्दिष्टियों में छूट प्राप्त (यू.आर.एस.) चावल के स्टाक को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कर्नाटक सहित किसी भी राज्य को नहीं देने के निदेश दिए गए हैं।

राज्य सरकारों को राजसहायता बंद करना

1430. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा खाद्यान्नों पर राजसहायता के रूप में राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है;

(ख) क्या संघ सरकार ने उन राज्य सरकारों को राजसहायता बंद करने का निर्णय लिया है जो खाद्यान्नों के वितरण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तीन से चार हजार करोड़ रुपयों की राजसहायता का बिचौलियों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इमसें राज्य सरकारों के अधिकारी भी सम्मिलित हैं और उनकी बिचौलियों से मिलीभगत है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) सरकार उन राज्यों को छोड़ कर जो विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन खाद्यान्नों अर्थात् गेहूं और चावल की वसूली करने पर सहमत हो गए हैं किसी भी राज्य को सीधे राजसहायता उपलब्ध नहीं कराती है। वर्तमान में, केवल पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारें विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन खाद्यान्नों की वसूली और वितरण कर रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें रिलीज की गई/उपलब्ध कराई गई राजसहायता निम्नानुसार है:

रुपये करोड़ में

राज्य	राजसहायता की राशि
पश्चिम बंगाल	65.00
मध्य प्रदेश	50.40
उत्तर प्रदेश	261.47

(ख) और (ग) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों को पहले ही राजसहायता की बड़ी राशियां रिलीज की जा चुकी हैं। तथापि, चूंकि यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, इन राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, ताकि विभाग उनके शेष दावों का निपटान कर सके।

(घ) और (ङ) इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टी.वी. धारावाहिकों की आरंभिक कड़ियां

1431. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन महानिदेशालय के समक्ष टी.वी. धारावाहिकों की आरंभिक कड़ियां प्रस्तुत करने हेतु वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन महानिदेशालय को धारावाहिक निर्माताओं द्वारा टी.वी. धारावाहिकों की अब तक कितनी कड़ियां प्रस्तुत की गई हैं;

(ग) क्या कुछ टी.वी. धारावाहिक निर्माताओं ने आरंभिक कड़ियां कभी निर्धारित समय सीमा के बाद भी प्रस्तुत की हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी कड़ियों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि मार्ग-निर्देशों के अनुसार प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रस्तावों को सैद्धान्तिक रूप से पहले इस शर्त पर अनुमोदित किया जाता है कि अन्तिम निर्णय/मंजूरी हेतु दूरदर्शन की चयन समिति के समक्ष रखे जाने के लिए तीन महीने के अन्दर प्रकरणों का पायलट उपलब्ध करवाया जाए जिसमें असफल रहने पर प्रस्ताव को दी गई मंजूरी स्वत: ही समाप्त हो जाती है।

(ख) पिछले प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत टी.वी. धारावाहिकों के पायलट प्रकरणों की कुल संख्या निम्न प्रकार से है:

1998-196

1999-375

2000-173

चालू वर्ष-13

(ग) से (ङ) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि निर्माताओं द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद जिन 11 धारावाहिकों के लिए पायलट प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे उनमें आधुनिक समाज के नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालने वाले श्री शरत चन्द्र के उपन्यास पर आधारित मात्र एक धारावाहिक को ही दूरदर्शन द्वारा पूर्व-दर्शन के बाद प्रसारण हेतु उपयुक्त पाया गया था।

[अनुवाद]

चीनी मिलें

1432. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों से उचित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार से अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत सी चीनी मिलें बंद हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या गन्ना उत्पादकों की मदद करने के लिए संघ सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है;

(घ) क्या कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों से बकाया राशि का भुगतान प्राप्त न होने के कारण गंभीर खतरा है; और

(ङ) यदि हां, तो इन गन्ना उत्पादकों की मदद के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) केन्द्र सरकार प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य गन्ने के उत्पादन की लागत, वैकल्पिक फसलों से किसानों को लाभ तथा कृषि जिंसों के मूल्य की सामान्य प्रवृत्ति उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धता, चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती है, गन्ने से चीनी की रिकवरी आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। सांविधिक न्यूनतम मूल्य प्रत्येक मौसम में बढ़ाया जाता रहा है। तथापि, अधिकांश मिलें या तो गन्ने का राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य का अथवा सम्मत मूल्य का भुगतान करती है जो सांविधिक न्यूनतम मूल्य से काफी अधिक होता है।

(ख) गत तीन चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) से लगातार बंद पड़ी चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

चीनी मिलों का बंद होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, मिलों का अलाभकारी आकार, संयंत्र

और मशीनरी का पुराना तथा खराब स्थिति में होना, तकनीकी तथा प्रबंधकीय अक्षमता, गन्ने का अत्यधिक मूल्य जिसका चीनी की बिक्री से प्राप्त वसूली के अनुरूप न होना आदि।

(ग) केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों जैसे आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन तथा गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता मुहैया कर रही है। 31.12.2000 तक इस प्रयोजन के लिए 1687.65 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त निजी तथा सरकारी क्षेत्र की रूग्ण चीनी मिलों द्वारा स्वयं को जीवनक्षम बनाने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को लिखना होता है जबकि सहकारी चीनी मिलों को संबंधित राज्य सरकारों से संबंधित सहकारी समिति अधिनियम के अधीन उपयुक्त पुनर्स्थापन स्कीम तैयार करने के लिए सम्पर्क करना होता है।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार, गत चीनी मौसम 1999-2000 के दौरान खरीदे गए गन्ने के प्रति गन्ना के मूल्य की बकाया धनराशि की स्थिति निम्नवत थी:

क्रम. सं.	राज्य	गन्ने के कुल देय मूल्य के प्रति बकाया धनराशि की प्रतिशतता	निम्नलिखित तारीख को स्थिति
1.	कर्नाटक	6.13	12.12.2000
2.	बिहार	2.26	15.10.2000
3.	महाराष्ट्र	0.59	11.12.2000
4.	आंध्र प्रदेश	0.02	30.11.2000

(ङ) केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं ताकि चीनी फैक्ट्रियां अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकें जिससे गन्ने के मूल्य का भुगतान तुरंत किया जा सके तथा बकाया धनराशि यथाशीघ्र कम/अदा की जा सके।

1. 1.1.2000 से चीनी मिलों की लेवी देयता 40% से घटाकर 30% कर दी गई है तथा 1.2.2001 से और कम करके 15% कर दी गई है।

2. आयातित चीनी पर 850 रुपये प्रति टन के वर्तमान प्रतिशुल्क को जारी रखते हुए 9.2.2000 से सीमा शुल्क को बढ़ाकर 60% कर दिया गया है ताकि देश में चीनी की आमद को नियंत्रित किया जा सके।

3. खुली बिक्री की चीनी के कोटों को विवेकपूर्ण निर्मुक्तियां करके घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों को स्थिर रखने और उन्हें उचित स्तर पर बनाए रखने की नीति का अनुसरण करना।

4. जरूरतमंद चीनी मिलों को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां की जा रही हैं ताकि वे किसानों को गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का भुगतान कर सकें।

5. 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है।

6. 29.11.2000 से गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि वे भू-राजस्व के समान ही गन्ने के देय मूल्य की वसूली कर सकें।

7. चूंकि गन्ना मूल्य का भुगतान कराने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है, इसलिए गन्ना मूल्यों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों पर समय-समय पर दबाव डाला जाता रहा है।

विवरण

1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) में लगातार बन्द पड़ी चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाले विवरण

(स्रोत: चीनी मिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर आधारित संकलन)

राज्य/फैक्ट्री का नाम

पंजाब

1. बुढ़लाडा

उत्तर प्रदेश

2. गौरीबाजार

3. आनंदनगर

मध्य प्रदेश

4. दलौदा

5. मेहिदपुर

गुजरात

6. अमोड

7. धोराजी

महाराष्ट्र

8. डोंगारकाडा

9. संजय

10. धामनगांव

11. मौड

12. सिंदखेड़ा

13. गिरना

14. चांगदेव

बिहार

15. रयाम

16. लोहत

17. सकरी

18. समस्तीपुर

19. बनमनखी

20. लौरिया

21. सुगौली

22. मोतीपुर

23. मीरगंज

24. सिवान

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी ट्रांसमीटरों की स्थापना और उन्नयन

1433. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री पी.सी. थामस:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री रतन लाल कटारिया:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री पुन्नू लाल मोहले:
श्री जय प्रकाश:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री राजो सिंह:
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान देश में कुछ दूरदर्शन/आकाशवाणी (विविध भारती/एफ.एम. रोडियो स्टेशन/स्टूडियो) ट्रांसमीटर स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार, स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ ट्रांसमीटर परियोजनाओं के उन्नयन/विस्तार/आधुनिकीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार, स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इनके कब तक पूरा होने/काम शुरू करने की संभावना है और इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार विशेष: मध्य प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों और कितनी जनसंख्या को लिया जाएगा;

(च) चालू ट्रांसमीटर परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा होने के निर्माण में विलम्ब, के यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों के विस्तार की नीति के कार्यान्वयन के लिए कुल कितना बजट परिव्यय स्वीकृत किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। नौवीं पचंवर्षीय योजना में आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्तमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन की उन्नयन एवं आधुनिकीकरण स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और अगले दो से तीन वर्ष के दौरान इसके चरणबद्ध तरीके से पूरा हो जाने की आशा है। मौजूदा कवरेज और उपरोक्त परियोजनाओं के चालू हो जाने के फलस्वरूप कवरेज के अनुमोदित राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) और (छ) कुछ ट्रांसमीटर योजनाएं निम्नलिखित कारणों से निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं:-

1. स्थल के अधिग्रहण में देरी;
2. अनुबंधित एजेंसियों की टावल और भवनों के निर्माण में देरी;
3. उपकरणों की खरीद के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति में देरी;
4. कुछ स्थानों पर संपर्क-मार्ग, विद्युत और जल आपूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध न होना;
5. कुछ स्थानों पर कानून एवं व्यवस्था की समस्या।

(ज) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए नौवीं योजना के अन्तर्गत क्रमश: 805.40 करोड़ रुपये और 1761.65 करोड़ रुपये का अनुमोदित परिव्यय है।

विवरण-I

कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन परियोजनाओं के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

संख्या	स्थान/स्कीम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	मचरेला-3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
2.	तिरूपति-3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
दिल्ली	
3.	दिल्ली-नया प्रसारण भवन
गुजरात	
4.	हिम्मतनगर-1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. तथा स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
जम्मू तथा कश्मीर	
5.	बदरवाह-6 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो
6.	श्रीनगर-मोनो विविध भारती स्टूडियो का स्टीरियो में परिवर्तन
कर्नाटक	
7.	बंगलौर-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (स्टीरियो)
केरल	
8.	मंजेरी-3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र

	2
य प्रदेश	
	माण्डला-1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
).	राजगढ़-3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
).	सरायपल्ली-1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
ाराष्ट्र	
).	मुम्बई-5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (दूसरा चैनल)
णिपुर	
).	इम्फाल-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो
).	चुराचांदपुर-6 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
घालय	
).	शिलांग-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो
7.	शिलांग- आर.एस.टी.आई. (पी.) स्थायी प्रतिस्थापन
ाजोरम	
8.	एजवाल-6 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो
ड़ीसा	
9.	सोरो (बालासोर)- स्थानीय रेडियो केन्द्र-1 कि.मी.वे.ट्रां. तथा स्टूडियो
ाजस्थान	
0.	जयपुर-6 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो प्लेबैक सुविधा
ामिलनाडु	
1.	धर्मपुरी-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
ेपुरा	
2.	अगरतला-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो
3.	अगरतला-अपलिंकिंग सुविधा
श्चिम बंगाल	
4.	शान्ति निकेतन-3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
5.	सिलीगुड़ी-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. तथा स्टूडिया (विविध भारती)

ख-दूरदर्शन

राज्य	प्रकार	स्थान
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	स्टूडियो	बारांगल
	उ.श.ट्रां.	बारांगल*
		विशाखापत्तनम (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां.	सिरपुर
	,,	पेड़ापल्ली
	,,	कन्डूकर
		मदगुला
		मुल्मनेर
		पुंगानूर
		बेमालबड़ा
		सिरसिला
		मछलीपत्तनम
		जाहिराबाद
		मिरयालगूडा
		काकीनाडा (डीडी-2)
		नेल्लोर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां.	कानिगिरी
		दत्तालूर
		मादिपाडु
अरुणाचल प्रदेश	अ.अ.श.ट्रां.	संग्राम
		डेओमली
		इटालिन
असम	एक्सजर	गुवाहाटी
बिहार	उ.श.ट्रां.	मुजफ्फरपूर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां.	रामनगर
		किशनगंज
		बांका
		गया (डीडी-2)
छत्तीसगढ़	उ.श.ट्रां.	अम्बिकापुर*
	अ.श.ट्रां.	खरोड़
		पन्डारिया
		कोन्टा
	अ.अ.श.ट्रां.	पथलगांव
गुजरात	उ.श.ट्रां.	बड़ोदरा*
		सूरत*
गुजरात	अ.श.ट्रां.	सूरत (डीडी-2)
		बड़ोदरा (डीडी-2)
		राजकोट (डीडी-2)
		भावनगर (डीडी-2)
		जामनगर (डीडी-2)
हरियाणा	स्टूडियो	हिसार
	अ.श.ट्रां.	कुरूक्षेत्र (डीडी-2)
हिमाचल प्रदेश	अ.अ.श.	बिजली महादेव
		डलहौजी
		झाटिंगरी
		काजा
		अबाह देवी
		नेहरी
जम्मू तथा कश्मीर	स्टूडियो	लेह
	उ.श.ट्रां.	नौशेरा*
		कुपवाड़ा*
		गुरेज*
		टिथवाल*
		सांबा*
		पुंछ (डीडी-2)
		नौशेरा (डीडी-2)
		कुपवाड़ा (डीडी-2)
		गुरेज (डीडी-2)
		टिथ्वाल (डीडी-2)
		सांबा (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां.	ऊधमपुर*
		बुसान (सचल)
		मुलगाम (सचल)
		बनिहाल (सचल)
		गन्डोह (सचल)
		अवन्तीपुर (सचल)
		चौकीबल (सचल)
		राजधानी पास (सचल)
		अनंतनाग (सचल)
		काजीगुन्द (सचल)
		पटनीटॉप (सचल)
जम्मू तथा कश्मीर	अ.श.ट्रां.	फूतला (सचल)
		दरास (सचल)
	अ.अ.श.ट्रां.	बफलिआज रामकोट
		दरहाल रामनगर

1	2	3
		रिंगडोम गोम्पा सोपियां
		तराल सोनमार्ग
		अबरान सुंदरबनी
		बनिहाल तंगमार्ग
		बसोली तत्पानी
		बिलावर थाथरी
		बोनियार तिलेल
		दाह त्रेगम
		दहर युसमार्ग
		दोमचक जांगला
		गन्डोह
		गूल
		गुलबर्गा
		गुलमर्ग
		हन्डल
		हॉट स्प्रिंग
		इचार
		केरान
		खालतई
		खे
		कोटरंका
		लाती
		लिगशेड
		लोरन
		मचिल
		महोर
		मंडी
		मंजकोट
		मंसूर
		मेन्धर
		नौगांव
		पनानिक
		पेस्थ्या
		पोनी
		पुलवामा
झारखंड	उ.श.ट्रां.	जमशेदपुर*
	अ.श.ट्रां.	चत्र
		धनबाद (डीडी-2)
		जमशेदपुर (डीडी-2)
		बोकारो (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां.	रामगढ़ हिल्स
कर्नाटक	उ.श.ट्रां.	मंगलौर*
		मैसूर*
		रायचूर*
		गुलबर्गा (डीडी-2)
		धारवाड़ (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां.	मधोल
		तालिकोटा
		इंदी
		कोप्पा
		बेलथंगाडी
		मुंदारगी
		सिंधनूर
		मैसूर (डीडी-2)
		दवंगेर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां.	हुबिन हिप्पारगी
		कुडलिगी
केरल	स्टूडियो	कालीकट
		त्रिचूर
	उ.श.ट्रां.	कन्नानूर*
	अ.श.ट्रां.	मंजेरी
		कोटआरक्कारा (त्रिशूर) (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां.	इलात्तुपेट्टा
		मुंडाकायम
मध्य प्रदेश	उ.श.ट्रां.	गुना*
		शहडोल*
		जबलपुर (डीडी-2)
		ग्वालियर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां.	अलोट
महाराष्ट्र	उ.श.ट्रां.	चन्द्रपुर*
		जलगांव*
		रत्नागिरी*
		औरंगाबाद (डीडी-2)
		रावेर
	अ.श.ट्रां.	धाड़गांव
		भामरागढ़
		नासिक (डीडी-2)
		शालापुर (डीडी-2)
		अमरावती (डीडी-2)
		कोल्हापुर (डीडी-2)
		सांगली (डीडी-2)
		मालेगांव (डीडी-2)

1	2	3
		अकोला (डीडी-2)
		नांदेड़ (डीडी-2)
		धुले (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां.	अम्बेट
		सकोली
मणिपुर	उ.श.ट्रां.	चूराचांदपुर#
मिजोरम	अ.श.ट्रां.	लांगतलाई
नागालैंड	एक्सज़र	बाराबस्ती
उड़ीसा	उ.श.ट्रां.	बहरामपुर
	अ.श.ट्रां.	तुषारा
		चिकिती
		बालेश्वर (डीडी-2)
पंजाब	स्टूडियो	पटियाला
	उ.श.ट्रां.	फाजिल्का (स्थायी)**
		अमृतसर (संवर्धन)***
		अमृतसर (डीडी-2)
		जालंधर (डीडी-2)**
	अ.श.ट्रां.	लुधियाना (डीडी-2)
राजस्थान	स्टूडियो	उदयपुर
	उ.श.ट्रां.	अजमेर*
		बाड़मेर (स्थायी)**
	अ.श.ट्रां.	पिरावा
		नसीराबाद
		भीनमल
		सोजाट
		संचोर
		किशनगढ़ (अजमेर)
		विजयनगर
		बीकानेर (डीडी-2)
		अजमेर (डीडी-2)
		उदयपुर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां.	तिबी
सिक्किम	स्टूडियो	गंगटोक
	अ.अ.श.ट्रां.	जोरथांग
तमिलनाडु	स्टूडियो	कोयम्बतूर
		मदुराई
	उ.श.ट्रां.	कुंभकोणम (स्थायी)**
		कोडईकनाल (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां.	ईरोट
		पलानी
		अम्बासमुद्रम
		कल्लाकुरूची
		अम्बूर
		पोल्लाची
		तिरूचिरापल्ली (डीडी-2)
		कोयम्बतूर (डीडी-2)
		मदुराई (डीडी-2)
		वेल्लोर (डीडी-2)
		ईरोद (डीडी-2)
		सेलम (डीडी-2)
		तिरूनेलवेली (डीडी-2)
		तूतीकोरिन (डीडी-2)
		तिरूपत्तूर (डीडी-2)
त्रिपुरा	अ.श.ट्रां.	जोलईबाड़ी
		अमरपुर
		अम्बासा
उत्तर प्रदेश	स्टूडियो	मथुरा
	अ.श.ट्रां.	बान्दा*
		लखीमपुर*
		फैजाबाद*
	अ.श.ट्रां.	नरोरा
		कोसी
		बिधुना
		बरेली (डीडी-2)
		अलीगढ़ (डीडी-2)
		झांसी (डीडी-2)
		मुरादाबाद (डीडी-2)
		शाहजहांपुर (डीडी-2)
		सुल्तानपुर (डीडी-2)
उत्तरांचल	स्टूडियो	देहरादून (अंतरिम)
	अ.श.ट्रां.	धूनाघाट
		खेतीखान
		गोपेश्वर-
	अ.अ.श.ट्रां.	चमोली
		मनीला

1	2	3
		केदारनाथ
		डुगड्डा
		अरोली
	एक्सर	मसूरी (डीडी-2)
पश्चिम बंगाल	उ.श.ट्रां.	बलूरघाट*
		कृष्णनगर (स्थायी)**
		खड़गपुर*
		शांतिनिकेतन*
		आसनसोल (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां.	झालदा -
चंडीगढ़	स्टूडियो	चंडीगढ़
दिल्ली	स्टूडियो	दिल्ली (संवर्धन)
पांडिचेरी	उ.श.ट्रां.	पांडिचेरी*

नोट:

*अ.श.ट्रां. के स्थान पर उ.श.ट्रां.

**उ.श.ट्रां. (1 कि.वा.) का 10 कि.वा. में उन्नयन

-अ.अ.श.ट्रां. के स्थान पर अ.श.ट्रां/उ.श.ट्रां.

''एक्सर के स्थान पर अ.अ.श.ट्रां.

***उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.) को 20 कि.वा. में उन्नयन

विवरण-II

वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन परियोजनाओं के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण स्कीम के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	स्थान/राज्य
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
1.	हैदराबाद-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (10 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
असम	
2.	सिल्चर-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (10 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
गुजरात	
3.	बड़ोदरा-10 कि.एफ.एम.ट्रां. (10 कि.वा.मी.वे.वि.भा.ट्रा. का प्रतिस्थापन)
4.	भुज-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (10 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
5.	राजकोट-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (10 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
हरियाणा	
6.	रोहतक-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (20 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
जम्मू तथा कश्मीर	
7.	श्रीनगर-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे., वि.भा. का प्रतिस्थापन)
8.	जम्मू-50 कि.वा.शा.वे.
9.	लेह-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (10 कि.वा. का प्रतिस्थापन)

1	2
कर्नाटक	
10.	धारवाड़-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वे.वि.भा. का प्रतिस्थापन)
11.	मंगलौर-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
12.	मैसूर-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
केरल	
13.	कालीकट-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे., वि.भा. का प्रतिस्थापन)
14.	त्रिवेन्द्रम-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (10 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
मध्य प्रदेश	
15.	अम्बिकापुर-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (20 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
16.	इन्दौर-200 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (100 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
17.	नागपुर-300 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (100 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
18.	रत्नागिरी-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (20 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
मणिपुर	
19.	इम्फाल-300 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (50 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
मेघालय	
20.	तुरा-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (20 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
मिजोरम	
21.	सजवाल-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (20 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
नागालैंड	
22.	कोहिमा-100 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (50 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
उड़ीसा	
23.	कटक-300 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (100 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
राजस्थान	
24.	जोधपुर-300 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (100 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
सिक्किम	
25.	गंगटोक-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (20 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
तमिलनाडु	
26.	चेन्ने-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (10 कि.वा. का प्रतिस्थापन)

1	2
27.	तिरूनेलवली-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (10 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
उत्तर प्रदेश	
28.	अलीगढ़-2×250 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (प्रत्येक 250 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
29.	नजीबाबाद-200 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (100 कि.वा. का प्रतिस्थापन)
30.	पोर्ट-ब्लेयर-100 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (20 कि.वा. का प्रतिस्थापन)

ख-दूरदर्शन

राज्य	उ.श.ट्रां. का प्रतिस्थापन	अ.श.ट्रां. का उन्नयन (100 वा से 500 वा)	अ.श.ट्रां. का उन्नयन (10 वा से 50 वा)
1	2	3	4
असम		होजई	गुवाहाटी (एक्सर)
आंध्र प्रदेश		विजयवाड़ा (एक्सर)	
बिहार	पटना	दरभंगा बक्सर सिवान सिकन्द्रा मूंगेर	
गुजरात	द्वारका		
हिमाचल प्रदेश			खड़ापत्थर परवानू
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	पूंछ	मुलबेख पहलगांव बारामुल्ला द्रास थानामण्डी करगिल बुशोल उरी
झारखण्ड	रांची	धनबाद बोकारो सराईकेला	

1	2	3	4
केरल	त्रिवेन्द्रम	थोट्टुपुजा	
कर्नाटक		डन्डेल	
मध्य प्रदेश		नागदा	
		पिपरिया	
मेघालय		शिलांग (डीडी-2)	
महाराष्ट्रा			कारंजा
			कुरखेड़ा
उड़ीसा		बारगढ़	
		जोदा	
		राजगंगापुर	
राजस्थान		अलवर	सिकर
तमिलनाडु		नागरकोईल	
		तुतिकोरिन	
		उदगमण्डलम	
त्रिपुरा		तेलियामुरा	धर्मनगर
उत्तर प्रदेश		सुल्तानपुर	
		देवरिया	
		रायबरेली	
		गौरीगंज	
		फैजाबाद	
पश्चिम बंगाल	आसनसोल	कालना	
		मालदा	
		विष्णुपुर	
चंडीगढ़		चंडीमढ़	

विवरण-3

(क) आकाशवाणी

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	मौजूदा कवरेज		कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के बाद कवरेज	
		क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1.	राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	99	99.5	99	99.5

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	57	72	57	72
3.	असम	94.22	97.5	96.7	98.89
4.	बिहार	99*	99*	99*	99*
5.	छत्तीसगढ़	90.9	95.17	93.8	96.38
6.	गोवा	99*	99*	99*	99*
7.	गुजरात	99*	99*	99*	99*
8.	हरियाणा	99*	99*	99*	99*
9.	हिमाचल प्रदेश	50	87.4	52	88.3
10.	जम्मू एवं कश्मीर	31	98	42.5	99
11.	झारखण्ड	99*	99*	99*	99*
12.	कर्नाटक	96.2	96.8	96.4	97.2
13.	केरल	99.6	99.6	99.6	99.6
14.	मध्य प्रदेश	98.33	98.76	98.47	98.85
15.	महाराष्ट्र	98	98.8	99	99
16.	मणिपुर	48.3	80.4	94.96	98.54
17.	मेघालय	97.5	97.3	97.5	97.3
18.	मिजोरम	57.2	67.9	65.36	78.29
19.	नागालैंड	77	82.5	81.5	86
20.	उड़ीसा	98	98.8	98	98.8
21.	पंजाब	99*	99*	99*	99*
22.	राजस्थान	91.5	98.8	94	99
23.	सिक्किम	72	95	73	96.5
24.	तमिलनाडु	99*	99*	99*	99*
25.	त्रिपुरा	84.31	88	99*	99*
26.	उत्तर प्रदेश	99.3	99.75	99.3	99.75
27.	उत्तरांचल	51.8	75.2	55.59	77.52
28.	पश्चिम बंगाल	99*	99*	99*	99*

1	2	3	4	5	6
2.	संघ शासित प्रदेश				
1.	अंडमान एवं निको. द्वीपसमूह	80	85	99*	99*
2.	चंडीगढ़	99*	99*	99*	99*
3.	दादरा एवं न. हवेली	99*	99*	99*	99*
4.	दिल्ली	99*	99*	99*	99*
5.	दमन एवं दीव	99*	99*	99*	99*
6.	ल. एवं मि. द्वीपसमूह	99*	99*	99*	99*
7.	पांडिचेरी	99*	99*	99*	99*
	राष्ट्रीय कवरेज	89.49	98.81	91.45	99.03

*सामान्यत: इन राज्यों में कवरेज 100 प्रतिशत मानी जा सकती है अर्थात् कुछ परिस्थितियों में विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार किए बिना।

(ख) दूरदर्शन

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	वर्तमान कवरेज		कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के बाद कवरेज	
		क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	80.6	97.7	82.7	89.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.5	51.0	16.9	51.5
3.	असम	74.6	82.8	74.6	82.8
4.	बिहार	93.3	93.3	93.4	93.4
5.	छत्तीसगढ़	57.3	69.6	73.8	84.8
6.	गोवा	99.9	99.9	99.9	99.9
7.	गुजरात	84.3	86.0	92.6	95.8
8.	हरियाणा	96.8	98.7	96.8	98.7
9.	हिमाचल प्रदेश	42.9	67.3	44.3	68.8
10.	झारखण्ड	95.8	96.8	96.6	97.4
11.	जम्मू एवं कश्मीर	34.5	91.9	92.3	95.0
12.	कर्नाटक	69.8	75.9	75.6	81.7
13.	केरल	99.1	92.5	99.4	99.6

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	73.6	75.3	76.6	77.2
15.	महाराष्ट्र	79.6	88.6	83.1	92.1
16.	मणिपुर	32.1	67.0	36.6	73.6
17.	मेघालय	94.6	97.2	94.6	97.2
18.	मिजोरम	67.6	72.3	67.6	72.3
19.	नागालैंड	68.5	69.6	68.5	69.6
20.	उड़ीसा	87.4	92.0	88.7	93.3
21.	पंजाब	99.9	99.9	99.9	99.9
22.	राजस्थान	70.1	76.2	73.1	79.2
23.	सिक्किम	77.4	95.0	80.4	97.7
24.	तमिलनाडु	93.6	93.6	95.8	95.9
25.	त्रिपुरा	93.5	93.5	93.5	93.5
26.	उत्तर प्रदेश	88.5	95.8	89.58	96.4
27.	उत्तरांचल	54.6	80.3	57.3	81.3
28.	पश्चिम बंगाल	95.9	96.2	98.1	98.5
29.	अंडमान एवं निको. द्वीपसमूह	26.2	99.5	26.2	99.5
30.	चंडीगढ़	99.9	99.9	99.9	99.9
31.	दादर एवं नागर हवेली	65.2	65.00	65.2	65.0
32.	दमन एवं दीव	99.9	99.9	99.9	99.9
33.	दिल्ली	99.9	99.9	99.9	99.9
34.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	99.0	99.0	99.0	99.0
35.	पांडिचेरी	99.9	99.9	99.9	99.9
	राष्ट्रीय कवरेज	76.3	88.9	80.1	91.3

नोट:

1. कवरेज आंकड़ों में सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं (सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राप्ति के लिए उन्नत एन्टिना और बूस्टर अपेक्षित होते हैं)।
2. भू-भागीय स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
3. 99.9 प्रतिशत कवरेज में उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है जिनका सम्पूर्ण क्षेत्र/जनसंख्या मौजूदा/प्रस्तावित ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में पड़ते हैं। छाया क्षेत्रों के कारण इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कुछेक अगैर कवर पाकेटों की संभावना है।

[हिन्दी]

चावल और गेहूं का निर्यात

1434. श्री जय प्रकाश: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार से भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार गैर-सरकारी कंपनियों को चावल और गेहूं आदि का निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त निवेदन पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अपना निर्णय घोषित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने 31 मार्च, 2001 तक अपने पास उपलब्ध अधिशेष स्टाकों से 20 लाख टन गेहूं का राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम/लोक उद्यम विभाग/राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और नेफेड के माध्यम से निर्यात करने का निर्णय लिया है। इन एजेंसियों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए उस मूल्य पर गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य अर्थात् 4150 रुपए प्रतिटन से कम न हो। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निविदाओं कें माध्यम से 20 लाख टन चावल के निर्यात की भी अनुमति दी है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति

1435. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेलों तथा मिट्टी तेल की आपूर्ति राज्यों की मांग से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्यों द्वारा मांग की गई तथा उन्हें आपूर्ति की गई मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन वस्तुओं के आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने खाद्य तेलों की कोई मांग नहीं की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा की गई मिट्टी के तेल की मांग और उसके आवंटन के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से एकत्रित की जा रही है।

[अनुवाद]

जाली राशन कार्डों को समाप्त करना

1436. श्री के. येरननायडू:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री वीर सिंह महतो:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के अन्यत्र वितरण को रोकने हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए लिखा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से क्या प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) देश भार में जाली राशन कार्डों में संलिप्त उचित दर दुकान मालिकों के विरुद्ध आज की तिथि तक कितने मामले उठाए गए?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि जाली राशनकार्ड समाप्त करने के लिए उचित कार्रवाई करें, ताकि विपथन को न्यूनतम किया जा सके। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया है कि वे मंत्रालय द्वारा सुझाये गये सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं। इनमें सतर्कता समितियां गठित करना, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से उचित दर दुकानों की गतिविधियों की मानीटरिंग और पर्यवेक्षण करना, उचित दर दुकानों का नियमित निरीक्षण करना, जाली राशनकार्ड समाप्त करने और राशनकार्डों में जाली यूनिटें समाप्त करने के लिए घर-घर जाकर जांच करना शामिल है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र किसी माह के दौरान जारी

और रद्द किये गये राशनकार्डों की संख्या के बारे में भारत सरकार को मासिक सूचना भेजती है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा मंत्रालय को किसी उचित दर दुकान के जाली राशनकार्डों में संलिप्त होने के मामले की सूचना नहीं दी गयी है।

[हिन्दी]

गेहूं का निर्यात

1437. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं के निर्यात के स्थान पर अन्य रूप में गेहूं के मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं तलाश कर ली हैं;

(ख) क्या कतिपय एजेंसियों ने इस संबंध में सरकार को कोई प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो इनका किस रूप में निर्यात किया जाएगा और उनके निर्यात हेतु कितना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) गेहूं के उत्पादों जैसे आटा, मैदा, सूजी आदि का निर्यात करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) गेहूं के उत्पादों का निर्यात करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

पॉम ऑयल का आयात

1438. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान और आज तक किन-किन देशों से पॉम ऑयल का आयात किया गया है तथा प्रत्येक देश से अलग-अलग कितनी मात्रा में तथा किस दर पर इसका आयात किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों के हितों और देश के तेल उद्योग को ध्यान में रखते हुए इसके आयात संबंधी सीमा-शुल्क को बढ़ाने और इसके आयात को कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे निर्णय को किस तारीख से लागू किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खुला सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) में किन-किन वस्तुओं को शामिल किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) पॉम तेल का आयात प्राइवेट व्यापारियों द्वारा मुख्यत: मलेशिया और इंडोनेशिया से किया गया है। आयातित पॉम तेल की मात्रा और दरों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कुल आयातित खाद्य तेल में क्रूट पॉम तेल क्रमश: लगभग 18% और 38% है। दिसम्बर, 1999 और दिसम्बर, 2000 के दौरान आयातित क्रूड पॉम तेल की भारतीय पत्तन पर लागत बीमा भाड़े की औसत दर (अमरीकी डॉलर में) क्रमश: 350 और 229 है।

(ख) और (ग) सरकार ने 21 नवम्बर, 2000 से खाद्य तेल के शुल्क ढांचे को युक्ति-युक्त बनाया है ताकि उपभोक्ताओं, किसानों और संसाधकों के हितों में तालमेल बिठाया जा सके और साथ-साथ यथासंभव सीमा तक खाद्य तेलों के उच्च आयात को नियमित किया जा सके। सरकार देश में खाद्य तेलों के मूल्य और उपलब्धता की स्थिति पर निगाह रख रही है।

(घ) नारियल के तेल को छोड़कर खाद्य वनस्पति तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है।

[अनुवाद]

गुजरात में मिट्टी के तेल की कमी

1439. श्री दिनशा पटेल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में विशेषकर राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्रा जारी की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को किस प्रकार सहायता प्रदान करने का है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) गुजरात के भूकंप प्रभावित और अन्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल सहित पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता से संबंधित स्थिति पर ऑयल कम्पनियों द्वारा अपने गुजरात स्थित राज्यस्तरीय समन्वयक के माध्यम से कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद के कमी होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। गुजरात को मिट्टी के तेल की 69369 टन के सामान्य मासिक आवंटन के अलावा सरकार द्वारा गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए मिट्टी के तेल की 45,000 किलो लीटर की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 51 (अ) जो 18 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा निर्यातोन्मुखी एककों और निर्यात प्रसंस्करण जोन तथा विशेष आर्थिक जोनों में स्थित एककों द्वारा अनुसूचित उत्पादों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 0% (शून्य प्रतिशत) की दर से मूल्यानुसार उपकर की दर विनिर्दिष्ट की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3309/2001]

(2) (एक) भारतीय माध्यस्थम परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय माध्यस्थम परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3310/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार परिषद प्रक्रिया (संशोधन) नियम, 2000 जो 2 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3311/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौदहवां संशोधन) नियम, 2000, जो 26 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 930(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 2001, जो 11 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 17(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2001, जो 2 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 66(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 39(अ) जो 27 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे माल को, जो गुजरात राज्य में भूकंप से प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास के लिए दान में दिया

गया है अथवा नकदी दान से क्रय किया गया है, उस पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 3312/2001]

(2) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 88(अ), जो 9 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय देश के किसी भाग से गुजरात राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जाने अथवा उक्त राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्र से देश के किसी भाग में जाने के लिए एयर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइंस द्वारा निर्गत नि:शुल्क टिकट पर वायु मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को अन्तरदेशीय वायु यात्रा कर के भुगतान से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3313/2001]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 918(अ) जो 15 दिसम्बर, 2000 भारत के राजपत्र में प्राकशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 12(अ) जो 8 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तीन विनिर्दिष्ट परमाणु विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए आयातित वस्तुओं को सम्पूर्ण मूल सीमा शुल्क तथा सी वी डी से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 55(अ) जो 2 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 98(अ) जो 15 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1056(अ) जो 27 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे मे है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1057(अ) जो 27 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 1112(अ) जो 12 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 1113(अ) जो 12 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 1117(अ) जो 13 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 1118(अ) जो 13 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 1141(अ) जो 22 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 1142(अ) जो 22 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय मे रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 3314/2001]

(4) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा 7 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 38(अ) जो 27 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गुजरात राज्य में भूकम्प से प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास के लिए दान में दिए जाने वाले उस सभी माल को, जब उनका भारत में आयात किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 70(अ) जो 6 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां स निर्यातित और भारत में आयातित प्राइमरी पेंसिल सेल और बैटरियों पर, रिचार्जेबल बैटरियों को छोड़कर, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 80(अ) जो 9 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित खेलकूद के जूतों, गैर-चमड़े के खेलकूद के पैरों के पहनावों पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3315/2001]

(5) आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1159 (अ) जो 26 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि जिन मामलों में केन्द्र, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के तहत गठित अथवा स्थापित किसी प्राधिकरण अथवा निकाय का, जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन अथवा सम्प्रेषण अथवा वितरण अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलग्न है, विभाजन अथवा पुनर्गठन किया जाता है तो ऐसे विभाजन अथवा पुनर्गठन को कतिपय शर्तों के अध्यधीन अलगाव माना जायेगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आय-कर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2000 जो 27 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1167 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 81 (अ) जो 29 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1048 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2000, जो 31 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 85(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 3316/2001]

(6) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 और धारा 8 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 134(अ) जो 17 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अधिकारिता का उपयोग करने के लिए ऋण वसूली अपीली अधिकरण की चेन्नई में स्थापित की गई है।

(दो) सा.का.नि. 274(अ) जो 31 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अधिकारिता का उपयोग करने के लिए ऋण वसूली अपीली अधिकरण की इलाहाबाद में स्थापना की गई है।

(तीन) सा.का.नि. 858(अ) जो 10 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि जबलपुर में स्थित ऋण वसूली अपीली अधिकरण अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अधिकारिता का उपयोग करेगा।

(चार) सा.का.नि. 884(अ) जो 22 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि पटना में स्थित ऋण वसूली अपीली अधिकरण अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अधिकारिता का उपयोग करेगा।

(पांच) सा.का.नि. 885(अ) जो 22 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि इलाहाबाद में स्थित ऋण वसूली अपीली अधिकरण अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अधिकारिता का उपयोग करेगा।

(छह) सा.का.नि. 909(अ) जो 7 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अधिकारिता का उपयोग करने के लिए औरंगाबाद में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है।

(सात) सा.का.नि. 945(अ) जो 29 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अधिकारिता का उपयोग करने के लिए मुम्बई, औरंगाबाद और नागपुर में पांच ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 946(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में कटक में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना करने तथा कटक और पटना स्थित ऋण वसूली अधिकरणों की अधिकारिता को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(नौ) सा.का.नि. 947(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए दिल्ली में दो ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना को अधिसूचित किया गया है।

(दस) सा.का.नि. 5(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए इलाहाबाद में ऋण वसूली अपीली अधिकरण की स्थापना को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 16(अ) जो दिनांक 9 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए हैदराबाद स्थित ऋण वसूली अधिकरण के स्थान में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है।

(7) उपर्युक्त मद संख्या (6) के (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3317/2001]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 42(अ), जो 30 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें इस आशय का आदेश दिया हुआ है कि चीनी का प्रत्येक घरेलू उत्पादक और आयातकर्ता 1 फरवरी, 2001 से, यथास्थिति, उत्पादित अथवा आयातित चीनी का पन्द्रह प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार, अथवा जैसाकि लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया गया है, को बेचेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3318/2001]

(2) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत, चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2001, जो 12 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 91(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3319/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:

"मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार 22 फरवरी, 2000 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति से संबंधित निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:

कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य चौधरी चुन्नी लाल, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और प्रस्ताव करती है कि यह सभा उक्त समिति में सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को एकल-संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करे।

मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, श्री राम नाथ कोविन्द सदस्य राज्य सभा का उपर्युक्त समिति में विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूँ कि अगले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

(1) राजस्थान में निरक्षरता उन्मूलन तथा सतत् शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एवं अनुदानित अनौपचारिक शिक्षा एवं लोक जुम्बिश योजनाओं को चालू एवं नियमित रखे जाने की आवश्यकता।

(2) राजस्थान में लम्बित तथा पूर्व स्वीकृत आमान परिवर्तन एवं नई रेल लाइनें डाले जाने संबंधी योजनाओं को अधिक धनराशि जुटाकर शीघ्र क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का कष्ट करें:

"गोरखपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक नगर होने के कारण तथा प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को देखते हुए नई दिल्ली-गोरखपुर के बीच हवाई यात्रा प्रारम्भ करने के संबंध में।"

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): निम्नलिखित मदें आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल की जायें:

(एक) हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लि., जेसोप, नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन लि. तथा टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन

लि. तथा अन्य कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों और कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। सेवानिवृत्त श्रमिकों को सांविधिक देय भी अदा नहीं किये गये हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिक-कर्मचारियों को मजदूरी अदा करने के संबंध में कदम उठाए जाने चाहिए।

(दो) कृषि मजदूरों के हित संरक्षण हेतु सरकार को व्यापक विधान लाना चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जायें:

(एक) इन्स्ट्रूमेंटेशन यूनिट, बालाघाट, केरल के श्रमिकों को हो रही विभिन्न समस्याएं।

(दो) एफ ए सी टी, अल्वोप को कैप्रोलेक्टम पर शुल्क में भारी कमी के कारण हो रही गंभीर समस्याएं।

डा. ए.डी.के. जयशीलन (तिरुचेन्दूर): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जायें:

(एक) तमिलनाडु के ननगुनेटी में स्थापित किए जा रहे विशेष निर्यात जोन को देखते हुए ट्यूटीकॉर्न एयरपोर्ट के उन्नयन एवं सुधार की आवश्यकता।

(दो) कन्याकुमारी से देश के विभिन्न भागों में इसके पर्यटन केन्द्र के रूप में महत्व को देखते हुए और रेलगाड़ियाँ शुरू करने की आवश्यकता।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): निम्नलिखित मदें आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल की जायें:

(एक) न्यायिक सुधार

(दो) वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नौकरशाही की भूमिका

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आगामी सप्ताह के लिए सदन में विचारार्थ विषयों से संबंधित वक्तव्य के अंत में निम्नलिखित विषयों को भी शामिल करने का कष्ट करें:

1. देश में लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों में मंदी के कारण उनकी रुग्णता लगातार बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप रोजगार के नये अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और देश की बहुत बड़ी पूंजी अनुत्पादक होती जा रही है।

2. देश में रुपए की कीमत गिरती जा रही है, परिणामस्वरूप देश का आयात महंगा होता जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव डाल रहा है।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, निम्न विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

1. आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का व्यापक लाभ जन सामान्य को मिल सके व उक्त पद्धति के समुन्नयन को अधिक प्रभावी व जनहित मूलक बनाया जा सके, एतदर्थ स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में पृथक "आयुर्वेद संचालनालय की स्थापना हेतु चर्चा।"

2. "प्रामाणिक व गुणवत्तापूर्ण सामान्य व जीवन रक्षक औषधियों की उचित मूल्य पर सुलभता की दृष्टि से एक समीचीन सुस्पष्ट भैषज मूल्य नीति की आवश्यकता पर चर्चा।"

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): निम्नलिखित मदें आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल की जायें:

(एक) केन्द्र सरकार टिटानियम डायआक्साइड पिगमैंट पर आयात शुल्क में वृद्धि हेतु त्वरित कदम उठाए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आयात से त्रावणकोर टिटानियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड तथा केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लि. पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्हें वर्तमान निम्न दर के कारण बन्द किया जायेगा।

(दो) कालमसेरी, कोचीन में प्रदर्शनी सह-सम्मेलन केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

श्री राजीव प्रदाप रूडी (छपरा): निम्नलिखित मदें निश्चित रूप से आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल की जायें:

(एक) विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव पर चर्चा करना तथा विशेषरूप से कृषि के संदर्भ में मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने हेतु कदम उठाना।

(दो) वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर विचार करना तथा देश में चोरी छिपे शिकार की बढ़ती हुई घटनाओं पर विचार करना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय जागरूकता विकसित करना।

अपराह्न 12.09 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

रबड़ बोर्ड

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(2) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(2) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान पुनः उस मामले की ओर दिलाना चाहूंगा जो कल प्रो. मलहोत्रा ने उठाया था। हम लोग अफगानिस्तान में हो रहे भयावह घटनाक्रम पर अपनी चिंता दोहराना चाहेंगे। वहाँ पर मध्यकालीन उन्माद के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी बर्बरता नहीं होने दी जा सकती है। अफगानिस्तान के केन्द्रीय प्रांत बामियान में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा भी नष्ट की जा रही है। तालिबान मलिशिया ने यह आश्चर्यजनक तथा विकृत आदेश पारित किया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मध्याह्न भोजन के उपरांत, मंत्री महोदय सभा में वक्तव्य देंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मेरे विचार से सभा एक प्रस्ताव अवश्य पारित करे क्योंकि तालिबान अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का आग्रह नहीं सुन रही है। हम मूक दर्शक नहीं रह सकते हैं। मुझे पता है कि हमारे विदेश मंत्री के पास अच्छा सौहार्द है तथा उनका हस्तक्षेप वास्तव में सार्थक फल रहेगा। उसके अलावा, हमें एक संस्था के रूप अपनी सामूहिक चिंता व्यक्त करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह पहले ही कल उठाया गया था।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, श्री रेड्डी जी ने जो बात कही है, आज ढाई बजे स्टेटमेंट हो जाए जिसके लिए आपकी तरफ से कोई रिजोल्यूशन आए। अध्यक्षपीठ की ओर से यदि कोई संकल्प आता है आए तथा वह सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा यदि सभा सर्वसम्मत प्रस्ताव का अनुमोदन करती है तो मेरे विचार से वह काफी प्रभावी होगा।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। प्रस्ताव अध्यक्षपीठ की ओर से आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कल आपने मामला उठाया था। डा. रघुवंश प्रसाद ने भी उससे स्वयं को सम्बद्ध किया।

...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): हमें पता चला है कि राज्य सभा इस मामले पर एक प्रस्ताव पारित करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: समूची सभा इससे चिंतित है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान भारत-नेपाल सीमा और खासकर पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद तथा उसके आसपास क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं जहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जारी हैं। आज भारत-नेपाल सीमा इस देश के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होने जा रही है क्योंकि वहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और घुसपैठ जारी हैं। इन सब को देखते हुए अभी हाल ही में नेपाल में भारत के खिलाफ आन्दोलन हुए और कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा

जिस प्रकार से वहां के नौजवानों को भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त किया जा रहा है, उस ओर निश्चित ही सरकार को समय से पहले ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पूर्व गोरखपुर में जीतन यादव नाम के आदमी की हत्या की गई थी। मैं उस गांव में गया, जिस परिवार में यह हत्या हुई थी। मुझे मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की हत्या धर्मांतरण न किये जाने पर की गई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश में विदेशी ताकतों द्वारा बलपूर्वक धर्मान्तरण जारी है और लालच, लोभ तथा दबाव में इस प्रकार किया जा रहा है। सरकार इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था करे।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, पिछली 26 जनवरी को गुजरात में एक प्राकृतिक भूकम्प आने के कारण भीषण तबाही हुई लेकिन दिल्ली में मास्टर प्लान लागू करने के नाम पर पिछले कई महीनों से जो तबाही हो रही है, उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गुजरात की तबाही तो प्राकृतिक विपदा थी लेकिन दिल्ली की तबाही 'मेन मेड' है। इसलिए जब तक इस मास्टर प्लान को बदला नहीं जायेगा या इसमें संशोधन नहीं किया जायेगा, तब उचित ढंग से तक इस तबाही को रोकना मुश्किल है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं उन्हें उचित ढंग से नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या यह मानव निर्मित या जगमोहन निर्मित है?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली का दुर्भाग्य है ....

अध्यक्ष महोदय: खुराना जी, कल मेरे चैम्बर में मीटिंग हुई थी।

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली का दर्द सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह दिल्ली का दुर्भाग्य है कि लैंड और पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा शासन नहीं होगा जहां लैंड और पुलिस सरकार के अंडर न हो। केवल दिल्ली ही ऐसा राज्य है जहां लैंड और पुलिस इसके अंतर्गत नहीं आते। इसीलिए डी.डी.ए. ही नीति तय करती है।

लेकिन जवाबदार सरकार होती है। जिसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में जो अनअथाराइज्ड कालोनियां बनीं वे डी.डी.ए. के कारण बनीं, दिल्ली में घरों के बाहर तीन-चार लाख दुकानें बनीं, वे डी.डी.ए. के कारण बनीं, दिल्ली में इंडस्ट्रीज लगे तो डी.डी.ए. के कारण लगे। चूंकि जिस लैंड की जरूरत थी वह डी.डी.ए. ने सरकार को नहीं दी, वापिस ले ली। अध्यक्ष जी, मुझे याद है जब मैं दिल्ली का मुख्य मंत्री था, उस समय मैंने इन इंडस्ट्रीज के लिए लैंड ली। डी.डी.ए. ने अपने आप ही जो मास्टर प्लान बना, जो 1981 से लेकर 2001 का मास्टर प्लान है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा यह मास्टर प्लान डी.डी.ए. ने 1990 में नौ साल के बाद बनाया और हमसे कहा जाता है कि नौ साल से मास्टर प्लान ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक इंडस्ट्रीज का मामला है, कल यहां एक मीटिंग हुई थी, उसमें सभी दलों के नेता उपस्थित थे। उन सबका आग्रह था कि सबसे पहले पॉल्यूशन की परिभाषा तय होनी चाहिए। चूंकि पॉल्यूशन की परिभाषा तय न होने के कारण अफसर के मन में जो आता है वह कहीं भी सील कर देता है और जिससे पैसा मिलता है उसका सील नहीं होता है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि आज दिल्ली को बरबाद किया जा रहा है। पिछले चार महीनों से कहने को यह कहा जा रहा है कि हमने चार हजार को ही सील किया है, जबकि लगभग 20 से 25 लाख के बीच इंडस्ट्रीज को बंद किया गया है या सील किया गया है। जबकि सील के ऑर्डर गैरकानूनी हैं। इस बारे में दिल्ली हाइकोर्ट के ऑर्डर हैं कि इन्हें सील नहीं किया जा सकता, बंद किया जा सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन आपसे निवेदन करे कि आप प्रधान मंत्री जी से आग्रह करके इसके संबंध में एक मीटिंग बुलवायें, जिसमें दिल्ली की चार प्रॉब्लम्स हैं-दिल्ली में अनअथॉराइज्ड कालोनियों को नियमित करना, दिल्ली में एक और मंजिल बनाने का फैसला। दिल्ली के अंदर घरों के बाहर तीन-चार लाख दुकानें हैं, जिन्हें नियमित करना और दिल्ली में इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम को हल करना, इन चार चीजों को करने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन किया जाए। इसके बारे में सरकार ऐसी नीति बनाये और प्रधान मंत्री जी सभी पक्षों की मीटिंग बुलायें और उसमें इस पर फैसला करें, यही मेरा निवेदन है। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): भारत सरकार के मंत्री अपनी तरफ से यह सब कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खुराना ने यह मुद्दा उठाया है। सरकार भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

क्या आपको समाधान नहीं चाहिए?

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, डा. सेनगुप्ता योजना आयोग के सचिव थे। वह इस मुद्दे पर दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहते हैं। कृपया उन्हें अनुमति दीजिए *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, यह मुद्दा कल सभा में उठाया गया था। आपने शहरी विकास मंत्री तथा इस सदन के नेताओं को बुलाया था। हम सब की लम्बी बैठक हुई थी। लेकिन, दुर्भाग्यवश, उस बैठक में कोई संतोषजनक हल नहीं निकला। कल आपने भी मुझे कहा था कि मुझे प्रधान मंत्री महोदय से कहना चाहिए कि वे एक बैठक बुलायें जिसमें नेतागण, शहरी विकास मंत्री और यहाँ तक कि कुछ दिल्ली सरकार के नेतागण भी उपस्थित हो सकते हैं और मामला सुलझा सकते हैं। अब, श्री खुराना ने वही माँग की है। अत:, मैं इसे प्रधानमंत्री महोदय के ध्यान में लाऊँगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो कि नेताओं और प्रधान मंत्री जी के पास उपलब्ध है, हम यह बैठक शीघ्र अति शीघ्र करवाने का प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: उस समय, डा. सेनगुप्ता बोल सकते हैं। आज, मैं बोलने वाले सभी सदस्यों को बुलाना चाहता हूँ। कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने लेबर कांट्रेक्ट एक्ट से संबंधित मुद्दों पर विचार-विनिमय करने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपतियों की एक समिति का गठन किया था, उसमें श्री रतन टाटा, नस्ली वाडिया, जी.के. मित्तल और बिरला इन उद्योगपतियों का समावेश था। उस उच्च स्तरीय समिति ने जो सफाई मजदूर हैं, लोडर्स हैं, इनको सही करने के बारे में चर्चा की। इन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि इन लोगों को स्थायी नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि जहां रैगुलर काम है, उसमें रैगुलर काम करने वाले सफाई मजदूरों को परमानेन्ट करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा है तो इस समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उसको न मानते हुए सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए और सफाई मजदूरों और लेबरर्स को स्थायी करने के बारे में विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, भारत गोल्ड माईन्स लिमिटेड देश का प्रतिष्ठित खनन उद्योग है। यह कर्नाटक में मेरे कोलार निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है।

माननीय खान मंत्री महोदय ने विगत में यह आश्वासन दिया था कि केन्द्र "शून्य दायित्व" पर कर्मचारियों और कर्मचारी संघ को कोलार गोल्ड फील्ड सौंपने के लिए सहमत हो गया था और कर्मचारी भी इसके लिए तैयार हैं। लगभग 30 मिलियन टन के अयस्क भंडार उपलब्ध हैं और वह भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को कम से कम 20 अगले वर्षों तक चला सकते हैं। खानों में कार्य कर रहे 70 प्रतिशत मजदूर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखते हैं। 2.5 लाख लोग उस पर निर्भर हैं।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री को भेजे गए दिनांक 23 मार्च, 2000 के अपने पत्र में बी.जी.एम.एल. के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए राहत और रियायतों के एक मुख्य पैकेज का संकेत दिया है। यह पैकेज दस वर्षों के लिए अयस्क खानों पर रायल्टी को माफ करने और अगले पांच वर्षों के लिए मैसर्स बी जी एम एल के विद्युत प्रभारों को कम करने के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है।

कर्नाटक गोल्ड माइन्स कम्पनी (आस्ट्रेलिया का सहयोग प्राप्त) इस संशोधन के साथ संयुक्त उपक्रम की शर्त पर बी जी एम एल को अपने अधिकार में लेने के लिए तैयार है कि वे 2500 की कर्मचारी संख्या के साथ यूनिट को अपने अधिकार में लेने पर विचार करेंगे।

यह बात मेरे ध्यान में लाई गयी है कि एन टी सी, एच एफ सी और एफ सी आई जैसे रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके 7 मई, 1999 और 10 अप्रैल, 2000 के अन्तरिम आदेशों में यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दे और भारत सरकार को निदेश दिए हैं कि वे रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को आवश्यक धनराशि मंजूर करें। लेकिन इसे बी.जी.एम.एल. जैसे रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामले में कार्यान्वित नहीं किया गया है जिन्होंने वर्ष 1993 से संशोधित वेतनमान नहीं दिए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मुनियप्पा, आप शून्य-काल में अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की तुलना में समान वेतन का अनुरोध कर रहे हैं। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण ने इस संबंध में एक अधिनिर्णय दिया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के समान होने चाहिए। यह अधिनिर्णय वर्ष 1991 में कार्यान्वित किया गया था। तदनंतर राष्ट्रीयकृत बैंकों के संघों के साथ दो द्विपक्षीय समझौते किये गये थे और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए। लेकिन इन द्विपक्षीय समझौतों का लाभ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को नहीं दिया गया था।

महोदय, केरल तथा कर्नाटक उच्च न्यायालयों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में समानता के पक्ष में विनिर्णय दिये हैं।

तत्पश्चात्, भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना विनिर्णय 31 जनवरी, 2001 को दे दिया।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आपने यहाँ एक चर्चा आरम्भ कर दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, महोदय मैंने कोई चर्चा आरंभ नहीं की है। मैं केवल विनिर्णय से संबद्ध भाग को ही उद्धृत करना चाहूँगा। उसमें कहा गया है:

> ''हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन ढाँचे का निर्णय लेने में केन्द्र सरकार की शक्तियों के संबंध में अपीलकर्त्ताओं के तर्क को स्वीकार किया है। यहाँ, इस बात में कोई शंका नहीं हो सकती है कि यह निर्णय लेने में केन्द्र सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे के साथ समानता बनाए रखने के लिए कर्त्तव्यबद्ध होगी क्योंकि उन्होंने भी उसी भावना से निर्णय लिया है जिस भावना से न्यायमूर्ति ओबुल रेड्डी ने निर्णय लिया था और इसे वर्ष 1987 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावी किया गया था।''

महोदय, यह एक लम्बे समय से चला आ रहा मामला है। अत:, मैं यह मांग करता हूँ कि भारत सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के 31 जनवरी, 2001 को दिए गए विनिर्णय को अविलम्ब कार्यान्वित करना चाहिए जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे के संबंध में था और उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के समान वेतन देने के संबंध में था।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 26 राष्ट्रीय स्मारकों पर विदेशी पर्यटकों के लिए पांच डालर से दस डालर तक टिकट लगा दिया है। इसमें आठ स्मारक-नालन्दा, विक्रमशिला, वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती, सांची, अजन्ता और कुशीनगर, ये बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। बौद्ध तीर्थ स्थलों पर नेपाल, श्रीलंका, म्यामांर, थाईलैंड, कम्बोडिया, भूटान, जापान और दक्षिण कोरिया के बहुत उपासक आते हैं। जो और राष्ट्रीय स्मारक हैं, वहां लोग सैर-सपाटे के लिए आते हैं लेकिन यहां लोग उपासना करने के लिए आते हैं, आस्था से आते हैं। इन बौद्ध तीर्थ स्थलों पर पांच डालर से दस डालर तक का जो टिकट लगा दिया गया है, इससे पूरे विश्व में और खास तौर से बौद्ध देशों में भारत की बदनामी हुई है। मेरा आपके मार्फत सरकार से विनम्र आग्रह है कि इन बौद्ध तीर्थ स्थलों पर जो पांच डालर से दस डालर तक का टिकट लगाया है, उसे अविलम्ब वापिस लिया जाए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बनने से मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी, अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उनके विभाजन की जो नीति बनाई गई थी और मापदंड निर्धारित किये गये थे, मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार ने उन मापदंडों का पालन नहीं किया। वहां दो प्रकार के कर्मचारी हैं-एक मध्य प्रदेश की विधान सभा से विभाजित जो छत्तीसगढ़ की विधान सभा में गए हैं और दूसरे जो मध्य प्रदेश की सरकार में काम कर रहे थे, वे छत्तीसगढ़ की सरकार में गए। केन्द्र सरकार ने नीति तय की थी कि विधवा महिलाएं और वे महिलाएं जिनके पति मध्य प्रदेश में हैं, उनको नहीं भेजा जाएगा। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि केन्द्र सरकार की जो नीति है, जो मापदंड निर्धारित हुए थे, अगर उनका उल्लंघन हुआ है तो उनमें संशोधन किया जाए। केन्द्र सरकार ने जो लापरवाही बरती है, उच्च न्यायालय में जो कर्मचारी गए थे, केन्द्र सरकार ने अपना पक्ष वहां रखने में विलंब किया। इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। केन्द्र सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, आज की तारीख तक उसने कोई फैसला नहीं किया जिससे विधवा महिलाएं भी छत्तीसगढ़ गई हैं और वे महिलाएं भी जिनके पति मध्य प्रदेश में हैं, वे छत्तीसगढ़ भेज दी गई। समाचार पत्र लगातार लिख रहे हैं। उनको न न्यायालय से रास्ता मिल रहा है और न समिति फैसला कर रही है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सक्रियता बरती जाए। केन्द्र सरकार की निष्क्रियता के कारण यह सारी परिस्थिति पैदा हो रही है कि कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा। केन्द्र सरकार को निर्देश दें ताकि केन्द्र सरकार के सचिवों के स्तर के अधिकारी न्यायालय में अपना पक्ष रखें और उन्हें न्याय मिले। जो समिति तय हुई है,

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]
वह उन नीतियों के बारे में तत्काल फैसला करे ताकि उनकी प्रताड़ना को रोका जा सके।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातावाला (पोन्नानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबरी मस्जिद के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने से संबंधित गंभीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि कुछ तत्व बार-बार यह कह रहे हैं कि वे कानून यहाँ तक कि न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करके उस जगह पर मन्दिर बनाएंगे।

महोदय, यह तत्व संघ परिवार के हैं। इसी प्रकार, महाकुम्भ हुआ था और कुछ धर्म सांसदों ने वहां घोषणा की *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, यह मामला न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मेरा मुद्दा यह है कि न्यायालय के आदेशों को लागू किया जाना चाहिए। अब, यह धर्म संसद में कहा गया है कि यदि सरकार ने मार्ग प्रशस्त नहीं किया और मंदिर के निर्माण को सुविधाजनक नहीं बनाया, तो वे 12 मार्च, 2002 को अथवा उसके बाद जबरदस्ती मन्दिर का निर्माण कार्य आरम्भ कर देंगे। यहाँ तक कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को भी इस तरह की धमकियाँ दी जा रही है।

मैं सरकार से उस स्थल के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय करो और यह देखने के लिए कह रहा हूँ कि यथास्थिति बनाए रखने के न्यायालय के आदेशों का यथोचित पालन हो। कुछ स्थानों पर सामग्री तैयार हो रही है और वह सामग्री बाबरी मस्जिद स्थल के समीप पहुँचायी जा रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला: न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध यथास्थिति बहाल करने का उल्लंघन किये जाने के संबंध में कोई उपाय किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को ऐसी सभी वस्तुओं को जब्त कर लेना चाहिए। अत:, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह देखने में सतर्क रहे कि न्यायालय के आदेशों का उपयुक्त सम्मान हो और बाबरी मस्जिद को उचित संरक्षण प्रदान किया जाए। अत:, इन सभी फासिस्टवादी ताकतों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए जो कि वहाँ पर बलपूर्वक मंदिर बनाने की धमकी दे रहे हैं।

महोदय, यहाँ हमें कानून के नियम का सम्मान करना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, आप यहाँ यह मामला कैसे उठा सकते हैं जबकि यह न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़ा है?

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, सरकार द्वारा राष्ट्र को आश्वासन देना चाहिए *...(व्यवधान)* कि कानून के नियम का संरक्षण किया जाएगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यहाँ अन्य सदस्य भी हैं जो कि सभा में अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने अपना मुद्दा उठा दिया है और अब आप सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। अन्य सदस्यों का क्या होगा? आप अन्य सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने भी नोटिस दिए हैं। मैंने श्री रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको अन्य सदस्यों को भी अवसर देना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रतिलाल वर्मा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आपने अपना मुद्दा उठा लिया है और अब आप सभा में व्यवधान डाल रहे हैं। आप अन्य सदस्यों को उनके मामले उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मैं आपका तरीका नहीं समझा। आप सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, मैंने श्री बनातवाला को अनुमति दी है और वह पहले से ही मामला उठा चुके हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। मैं दो अथवा तीन वाक्य और बोलना चाहता हूँ जो कि बहुत आवश्यक है *...(व्यवधान)* वह इतना बोल चुके हैं जैसे कि उनके पास न्यायालय की अवज्ञा में बाबरी मस्जिद स्थल पर प्रस्तावित मन्दिर के लिए एक तल बनाने की सामग्री हो *...(व्यवधान)* कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, कृपया बैठ जाइए। मैंने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को पुकारा है।

श्री जी.एम. बनातवाला: मैंने अभी अपनी बात पूरी नही की है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन्होंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पूरा कर लिया है। अब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं वरिष्ठ सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि उन्हें कनिष्ठ सदस्यों की उत्सुकता का ध्यान रखना है। आप मुद्दा उठा रहे हैं और फिर सभा में व्यवधान डाल रहे हैं। कनिष्ठ सदस्यों को अपने मामले उठाने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है।

अब, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग के सामने 14 वर्षों से देशी भाषाओं की तरक्की के लिए और अंग्रेजी भाषा के खिलाफ वहां पर धरना चल रहा था। उस धरने में माननीय प्रधान मंत्री जब विपक्ष में थे, तीन-चार बार शामिल हो चुके थे। लेकिन उस धरने को पुलिस वालों ने बर्बाद करने का काम किया और धरना दे रहे लोगों का सारा सामान उठाकर फेंक दिया। कभी दिल्ली में नादिरशाही चलती थी, उस तरह का काम आज भी हो रहा है और वही जुल्म हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं देशी भाषाओं के लिए सरकार की क्या नीति है? इन्होंने जो यह कार्रवाई की है, उस धरना स्थल को ध्वस्त करके साबित होता है कि सरकार देशी भाषाओं के विरुद्ध है, यह सरकार उनको प्रमोट नहीं करना चाहती। मैं सरकार से इस पर स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं कि भारतीय भाषाओं के संबंध में इनकी क्या नीति है, नहीं तो लड़ाई जारी रहेगी। अंग्रेजी में काम नहीं होगा, फिर से देश गुलाम नहीं होगा, डा. लोहिया की यह अभिलाषा—चले देश में अपनी भाषा, चले देश में अपनी भाषा—वह दिन दूर नहीं कि 21वीं, सदी में हिन्दुस्तान में हिन्दी और दुनिया में यह विश्व भाषा के रूप में रहेगी। यह हिन्दी में क्षमता है और यह प्रभावशाली भाषा बनकर रहेगी।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इनके साथ सम्बद्ध करता हूं। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसलिए हिन्दी भाषा को तरजीह दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जाएं, आपको काफी सपोर्ट मिल गई है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, गुजरात के अंदर बछाऊ, अंजार और भुज के अंदर सरकार की ओर से तथा स्वयं सेवी संस्थाओं की ओर से मकान बनाने की व्यवस्था है। शहरों में, खासकर अमहदाबाद जिले में और शहर में बहुत सारे मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और छोटे-मोटे मकान गिर गए हैं। सरकार की ओर से सभी को घर बनाकर देना सम्भव नहीं है। लोग स्वयं अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की सीमेंट कम्पनीज द्वारा संगठित होकर दो महीने पहले सीमेंट की बोरी का जो 120 रुपए का भाव था, उसको बढ़ाकर 160-165 रुपये कर दिया है। परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग के और सामान्य वर्ग के लोगों को अपने घरों की मरम्मत कराना मुश्किल हो गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सीमेंट कम्पनीज पर कुछ नियम लागू किये जाएं और गुजरात में विशेष छूट देकर सीमेंट की बोरी का भाव 120-125 रुपए, जो पहले था, उसी भाव पर लोगों को सीमेंट उपलब्ध कराया जाए।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस माननीय सभा के ध्यान में लाने के लिए उठा हूँ जो कि दक्षिण मध्य रेलवे के नरसीपत्तनम रोड और तुनी खंडों के बीच 28 तारीख की मध्य रात्रि को रेलगाड़ी में हुई डकैतियों के संबंध में है। एक भुवनेश्वर से मुम्बई जा रही कोणार्क एक्सप्रैस थी और दूसरी हावड़ा-तिरुम्माला एक्सप्रैस थी।

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

एक घंटे के भीतर दोनों रेलगाड़ियों में डाका डाला गया और उपद्रव तथा तबाही उत्पन्न कर दी। उस रात लगभग 30 डाकुओं ने वुल्लीपाडु स्टेशन पर रेलगाड़ी में प्रवेश किया और नकदी और जेवर लेकर भाग गए। इस संभाग पर यह अक्सर होता रहता है। विगत में भी एक महत्वपूर्ण, रेलगाड़ी गोदावरी एक्सप्रैस में यह घटना घटी थी। एक बार फिर यह घटना हुई है। सरकार को यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। यह रेलवे का कर्त्तव्य है। उन्हें पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिक तैनात करने चाहिए। मेरी यह भी मांग है कि एक जांच आरंभ की जानी चाहिए। सम्पत्ति को बरामद करना चाहिए और यात्रियों के सुपुर्द किया जाना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर में हम बारह साल से उग्रवाद से त्रस्त हैं। पाकिस्तान द्वारा सृजित उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए और सर्वसाधारण समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हमारे सुरक्षा बलों ने काम किया है, वह सराहनीय है लेकिन उग्रवाद की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए पिछली बार का हमारा जो अनुभव है, वह यह है कि विलेज डिफेंस कमेटियों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। डोडा और भद्रवाह में विलेज कमेटियां बनने के बाद से उग्रवादियों को अत्याचार करने का मौका नहीं मिला। चूंकि अब संघर्ष विराम केन्द्र की ओर से है, ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि जो बॉर्डर है, उसके दो हिस्से हैं। एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है और दूसरा एल ओ सी है। दोनों के साथ बड़ी मात्रा में विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई जायें ताकि उग्रवादी गांवों में प्रवेश करके निरपराध और बेकसूर लोगों की हत्या न कर सकें। पिछले दिनों 15 गुर्जर मारे गए और उनको अपने घरों में ही जला डाला गया। ऐसे हादसों को रोका जा सकता है, इसलिए बड़ी मात्रा में उग्रवाद के मुकाबले के लिए बॉर्डर के साथ-साथ विलेज डिफेंस कमेटीज बननी चाहिए और उसके लिए केन्द्र की ओर से जितनी भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो, वह केन्द्र को देनी चाहिए।

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि आपने पिछले समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि डीडीए के वाइस-चेयरमैन के पी.एस. के पास से करोड़ों रुपया मिला है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि सेल्स टैक्स के दो ऑफिसर्स को अभी पकड़ा गया था और पिछले दिनों एक्सम्युनिसिपल कमिश्नर के यहां छापा पड़ा जिसमें करोड़ों रुपया मिला।

करप्शन का फिनॉमिना आज का नहीं है। यह वर्षों से देश के अंदर है और 1947 के बाद से लगातार इस देश में चलता आ रहा है किंतु इस पर रोक नहीं लगी है, यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि जगह-जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अधिकारी पोस्ट होते हैं, वे हर चौथे दिन दिल्ली के अंदर किसी न किसी बहाने से आए हुए होते हैं। अगर सरकार उनके बिल्स निकालकर देखे कि जो आदमी नॉर्थ ईस्ट में या दूसरे एरियाज में पोस्ट होते हैं, हर महीने में वे कितने चक्कर लगा रहे हैं? ...*(व्यवधान)* हिमाचल में या दूसरी जगह में भी जो लोग पोस्ट होते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम): अर्बन एरियाज में जितनी प्राइम लैंड है या सोसाइटीज की लैंड है, वह सब उन्हीं के पास है। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: अभी यह बता रही हैं कि अर्बन एरियाज में जितनी प्राइम लैंड है या सोसाइटीज की लैंड है, ज्यादातर इन्हीं लोगों के पास है। अभी डिसकशन हो रहा था कि सबसे ज्यादा करप्शन कहां पर है, पोलिटिशियन में हैं या ब्यूरोक्रेट्स में है या ज्युडिशियरी के अंदर है? मैं हमेशा कहता हूं कि पोलिटिशियन तो दस प्रतिशत भी करप्ट नहीं होंगे। बाकी विभागों में आप जाकर देखेंगे कि 90 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ...*(व्यवधान)* आम आदमी के काम होने बंद हो गये हैं। हर काम घूस से होता है तो आम आदमी का काम कौन करेगा? इस बारे में ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए सरकार को टाइम लिमिट फिक्स करनी चाहिए कि इतने दिनों के अंदर इस काम को पूरा किया जाएगा। ...*(व्यवधान)* मेरा राजनैतिक दलों से भी कहना है कि पोलिटिशियन्स की छवि को सुधारने के लिए एक बार सब दलों के लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। टी.वी. पर जो मर्जी शेखर सुमन कहता रहता है और जो मर्जी दूसरे कार्यक्रमों में भी आता रहता है। आपने देखा होगा कि रेल का भी 'आज तक' में एडवर्टाइजमेंट चलता है। जगह-जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब सरकार या तो इसके लिए विशेष आयोग बनाए क्योंकि आज यदि आप किसी बड़े अफसर के यहां जो पब्लिक डीलिंग में है, यदि छापा मारकर देख लीजिए तो 99 प्रतिशत मामलों में आपको लगेगा कि कुछ न कुछ दाल के अंदर काला है।

सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं या जिन लोगों के यहां छापे पड़े हैं, इस घटना के बाद उनकी सिर्फ दूसरी जगह नियुक्ति हो जाती है। लेकिन अगर एक एमपी काम नहीं करेगा, तो पांच साल या दो साल के बाद अपने आप चला जाएगा, लेकिन ब्युरोक्रेट के यहां भ्रष्टाचार फैला रहता है। ब्युरोक्रेट काम करे या न करे, ज्यादा से ज्यादा उसकी तबदीली हो जाएगी। हम सब लोगों को इसके ऊपर विचार करने की

आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए, जिसमें सभी राजनैतिक दलों के लोग भाग ले सकें। ...*(व्यवधान)* नियम 193 के अंदर भी चर्चा कराई जा सकती है।

अंत में, मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। क्या किसी आफिसर के पीएस के पास करोड़ों रुपये मिले, तो उस आफिसर की रिसपांसिबिलीटी इसलिए नहीं मानी जाएगी कि वह तो मेरा पीएस लेता था। मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां-जहां भी छापे पड़े हैं और भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए हैं, उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, उसकी रिपोर्ट सदन में उपस्थित करने का आश्वासन मैं आपके माध्यम से चाहता हूं।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, मालेगांव के नासिक जिले में काफी सूखा पड़ा हुआ है। यह प्राकृतिक आपदा है और ऐसी स्थिति में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र के मख्यमंत्री, श्री विलासराव देशमुख, अच्छा काम कर रहे हैं और नासिक जिले का प्रशासन भी काम कर रहा है, लेकिन आपूर्ति नहीं होने के कारण काम ठप्प हो गया है। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि केन्द्र से स्थिति की जानकारी लेने के लिए एक कमेटी भेजी जाए और आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाए।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की ओर खींचना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की जेलों में बन्द भारतीय नागरिकों की अदला-बदली हुई है और रूपचन्द पाल नामक व्यक्ति जेल से छूटा है। उसने बयान दिया है कि 14 लोग अभी-अभी पाकिस्तान की जेलों में हैं और उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस बात का पता लगाया जाए कि पाकिस्तान की जेलों में कितने लोग बन्द हैं और उनके साथ हो रहे अमानुषिक व्यवहार पर रोक लगवाई जाए तथा इसकी जानकारी सदन को दी जाए।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): महोदय, झारखण्ड एक पठारी क्षेत्र है और वहां जलधारा योजना के माध्यम से छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों द्वारा सिंचाई के लिए चैक डैम का निर्माण होता था। 1998-99 से इस योजना पर रोक लगा दी गई है। जिन किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया था, उनमें से कुछ किसानों को आधा पेमेंट हुआ है और दो-तिहाई इन्साटलमेंट्स के बाद फाइनल बिल भी नहीं मिला है। इससे किसानों को बहुत परेशानी है। जलधारा योजना एक मात्र सिंचाई की सुविधा है, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि इस जलधारा योजना को तुरन्त पहले की तरह चालू किया जाए, ताकि छोटे किसानों को यह सुविधा मिल सके।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं केरल के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अथवा मुद्दा उठाता हूँ। एफ.ए.सी.टी. राज्य में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के दिनों के दौरान आरम्भ किया गया था लेकिन राज्य में सामंतवादी शासन था। अब लगभग 8,000 लोग इस बड़े सरकारी उपक्रम में कार्य कर रहे हैं। इसके अनेक यूनिट भी हैं और इस प्रश्न पर मैं यह कहूँगा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया था कि वह इस उपक्रम की सहायता करेंगे और वह कैपरोलैक्टम पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए सहमत हो गए थे जो कि इस उपक्रम द्वारा उत्पादित एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। अब यह बात सामने आई है कि आयात शुल्क 25 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह सभी लोग और उनके परिवार, जो कि लगभग दो लाख है, को रोजगार से निकाल देगा। यह बहुत गंभीर स्थिति है। सबसे बड़े उपक्रम को बंद करने पर मजबूर किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, हमें बजट पर भी चर्चा करनी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, उस समय भी मैं यह मुद्दा उठाऊँगा। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। अत:, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा अन्यथा एफ.ए.सी.टी. बंद हो जाएगा। हमें एक बहुत बड़े आंदोलन का भी सामना करना होगा। इसलिए, इस तरह की विपत्ति को रोकने के लिए, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे कैपरोलैक्टम पर आयात शुल्क को कम न करें।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि ''सी एन जी टैक्सी एक्सप्लोड इन मुम्बई'' शीर्षक के अंतर्गत आज के 'पॉयनीर' में प्रकाशित हुआ है।

महोदय, जब यह सी एन जी टैक्सी पैट्रोल पम्प पर पुन: गैस भरवा रही थी तब यह दुर्घटना हुई। न केवल चार लोग मारे गए बल्कि निकट खड़े छ: वाहनो को भी नुकसान पहुँचा था।

[श्री खारवेल स्वाइं]

महोदय, सी एन जी की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है और भविष्य में सभी चौ-पहिए और दो-पहिए वाहन विशेष रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सी एन जी प्रणाली में परिवर्तित होने जा रहे हैं। लेकिन यदि सी एन जी वाहनों को कड़े सुरक्षा पैमानों में विकसित न किया गया, तो इस तरह की दुर्घटनाएं नियमित रूप से घटित होती रहेंगी और अन्ततः कोई भी यह ईंधन लेने के लिए आगे नहीं आएगा।

महोदय, माननीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री, श्री अरुण जेटली यहाँ उपस्थित हैं और सम्भवतः वह नोट कर रहे हैं। अतः, उनके द्वारा मैं माननीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री से अनुरोध करूँगा कि सी एन जी टैक्सी प्रणाली और चौ-पहिया प्रणाली में कड़े मानक सुरक्षा पैमाने विकसित किये जाने चाहिएं ताकि इस देश की जनता की जानें बचाई जा सकें और सी एन जी टैक्सी से यात्रा करना एक खतरनाक कार्य न हो।

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

महोदय, मैं आपका तथा इस सम्माननीय सभा का ध्यान सेल, वी.एस.पी. इंडियन ऑयरन एन्ड स्टील कम्पनी के कपटपूर्ण सौदों की ओर आकर्षित करती हूँ जो कि केन्द्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये की हानि पहुँचा रहे हैं।

महोदय, कार्य-प्रणाली इस प्रकार हैं:

इस्पात की छीलन खरीदी जाती है और फिर उसे स्थानीय मिलों में पुनर्वालित किया जाता है। इस इस्पात को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् इंडियन ऑयरन एन्ड स्टील कम्पनी, वी एस पी, सेल के नामों पर आई.एस.आई. प्रमाण-पत्र के साथ धोखे से बेचा जाता है।

घटिया क्वालिटी और कम मूल्य का यह इस्पात वर्ष-दर-वर्ष आंध्र प्रदेश आवास विकास निगम को बेचा जाता है। इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों की इस घोटाले में स्थानीय व्यापारियों से मिलीभगत है। परिणामस्वरूप, सरकारी-क्षेत्र के उपक्रम अपना बाजार और विश्वसनीयता खो रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार स्थानीय पुनः ढली इस्पात के अधिक मूल्य चका रही है।

महोदय, मैं मामले की जांच तथा सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की जालसाजियों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई हेतु माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर): महोदय, मैं राजस्थान के सीमा क्षेत्र से आया हूं। मैंने पूर्व में भी कई बार निवेदन किया था कि मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की एक मीटरगेज लाईन है—श्रीगंगानगर से स्वरूपसर। 1998 में माननीय वाजपेयी साहब हनुमानगढ़ गए थे। हमारे बीच में प्रमोद महाजन साहब भी उपस्थित हैं। माननीय वाजपेयी जी ने इस ब्रॉडगेज लाईन की 1998 में मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हनुमानगढ़ जिले में जाकर घोषणा की थी कि यह मीटरगेज लाईन को ब्रॉडगेज कर दिया जाएगा, लेकिन इस घोषणा के बावजूद भी आज तक इस लाईन को चेंज नहीं किया गया है।

महोदय, यह सीमा क्षेत्र की लाईन है, वहां सभी लाईनें ब्रॉडगेज हैं और भारत की सुरक्षा के मामले में भी इस लाईन का ब्रॉडगेज होना जरूरी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि यह जो 127 किलोमीटर की मीटरगेज की लम्बी लाईन हनुमानगढ़ से स्वरूपसर की है, इसे ब्रॉडगेज करने की स्वीकृति प्रदान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): महोदय, मैं केरल राज्य से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूँ। केरल गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। केरल सरकार अपने दिन-प्रतिदिन के खर्च को पूरा करने में असमर्थ होने के कारण स्पष्टतः ऋण के जाल में फंस गई है। सरकारी खजाने बारंबार बंद हो रहे हैं तथा सभी विकासपरक गतिविधियां बंद पड़ी हैं। खजानों से चैकों का नकदीकरण नहीं हो रहा है तथा सरकारी चैकों का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे कई दृष्टांत हैं, जहां सरकारी ठेकेदारों ने सरकार से पैसा न वसूल पाने की स्थिति में आत्महत्या कर ली। सरकार ठेकेदारों को करोड़ो रुपये की देनदार है। अकुशलता एवं फिजूलखर्ची के कारण केरल सरकार एक अप्रत्याशित संकट में आ पड़ी है ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, यह मामला केरल राज्य से संबंधित है। ये इस मामले को यहाँ कैसे उठा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह समस्या सभा में हमेशा होती है।

...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश: महोदय, यहाँ तक कि एमपीएलएडी के अंतर्गत विकासपरक कार्य यहाँ प्रभावित हुआ है। एमपीएलएडी

कोष को भी सरकारी खजानों में लगाया जा रहा है ...*(व्यवधान)* इसलिए, केरल में गंभीर वित्तीय संकट है। एम पी एल ए डी के अंतर्गत विकास कार्य भी केरल में प्रभावित हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कोडीकुनील सुरेश, राज्य का मामला यहाँ न उठाया जाए।

श्री कोडीकुनील सुरेश: महोदय, एम पी एल ए डी कोष भी केरल सरकार के खजानों में जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यह निराधार आरोप नहीं होना चाहिए। इसके साथ कुछ ठोस साक्ष्य भी होने चाहिए। आपको हमेशा इस तरह के निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश: महोदय, इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह केरल सरकार से रिपोर्ट मंगाने तथा बिना किसी कठिनाई के विकासात्मक गतिविधियां जारी रखने के लिए आवश्यक उपाय करे।

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): अध्यक्ष महोदय, मैं देश के हथकरघा बुनकरों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। केवल आंध्र प्रदेश में ही, राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, एपको, के ऊपर अब तक विभिन्न हथकरघा इकाईयों का 13 करोड़ रु. से ऊपर बकाया है। आंध्र प्रदेश के बुनकर कपास और रेशम के दामों में अत्यधिक वृद्धि के कारण त्रस्त हैं तथा उन्होंने मांग की है कि सरकार सस्ते दामों पर कच्चे माल की आपूर्ति करे। राज्य सरकार ने एपको को, जिसमें हानि हो रही है, बंद करने का निर्णय किया है। बुनकर संघ ने एपको को पुन: शुरू करने की मांग की है। यह भी आग्रह किया गया है कि सरकार एपको और आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प निगम को बंद करने का विचार त्याग दे। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार बुनकरों की समस्या के समाधान के लिए सभी दलों से हथकरघा बुनकरों के नेताओं की बैठक बुलाए तथा देश में बुनकरों के विकास के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की सहायता के लिए केन्द्र सरकार को ठोस प्रस्ताव भेजे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान भारत की प्राचीनतम भारतीय धरोहर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय में मंत्री जी भी स्टेटमेंट देने वाले हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: यू.एन.ओ. से सम्पर्क करके वर्ल्ड हैरीटेज की जो सम्पत्ति है, जो प्रतिमाएं हैं भारतीय सांस्कृतिक स्मारक हैं उनको बचाया जाए। इस्लाम के नाम पर तालिबान लोग जो कुछ कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यहां पर कुछ भी हो सकता है। इसलिए भारत सरकार से मेरी प्रार्थना है कि दुनिया के देशों में जनमत जाग्रत करके भारतीय सांस्कृतिक स्मारकों को बचाने का उचित प्रयास अवश्य करें।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का अरबों रुपया विलुप्त-प्राय जन्तुओं और दुर्लभ जानवरों की रक्षा पर खर्च किया जाता है लेकिन इसके परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों समाचार पत्रों में आया था कि उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में हाथियों का अवैध शिकार किया गया। आज के समाचार पत्रों में आया है कि उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क में कम से कम सात शेर मार दिए गए। वे लोग पकड़े गए हैं। हमारी व्यवस्था में खामियां हैं। मेरा अनुरोध है कि एक उच्चस्तरीय कमीशन बना कर इस मामले की जांच की जाए। व्यवस्था में जो खामियां हैं उन्हें दूर करते हुए योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए जिससे भारत सरकार इस पर जो पैसा खर्च कर रही है, उसका सही इस्तेमाल हो सके।

श्री रामचन्द्र वीरप्पा (बीदर): अध्यक्ष महोदय, आजादी के पचास साल के बाद भी देश में गोवध अभी तक बंद नहीं हुआ है। वह ज्यों का त्यों चल रहा है। स्वामी दयानन्द जी ने भारत की आजादी के समय देश के हर कोने में जादू चलाया था लेकिन आज तक संसद में स्वामी दयानन्द का फोटो लगा दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी प्रार्थना है कि स्वामी दयानन्द जी का फोटो पार्लियामेंट में लगना चाहिए। उन्होंने आजादी से पूर्व कई क्रांतियां की थीं। उनका आजादी दिलाने में पहला हाथ था। स्वामी दयानन्द जी का जितना उपकार इस देश पर है, मेरे ख्याल में अन्य लोगों का थोड़ा कम होगा। इसलिए स्वामी दयानन्द का फोटो संसद में लगना चाहिए। हमारा अपना देश और राज होने के बाद भी गोवध बंद नहीं हो रहा है। अकबर के काल में गोवध नहीं था। उस समय एक रुपये में 40 सेर दूध मिलता था लेकिन आज के युग में 14 रुपये में एक किलो दूध मिलता है। गोवध बंद होना चाहिए।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): इस देश से गोवध पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप दूसरे अन्य माननीय सदस्य के लिए व्यवधान नहीं डालेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र वीरप्पा: मेरी इस बात को इस सभा के लोग मानेंगे। स्वामी दयानन्द जी ने आजादी की जंग में सबसे पहले हिस्सा लिया था लेकिन आज तक किसी ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा। आर्य समाजी होते हुए भी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस सभा में उनका फोटो लगना चाहिए। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत: इस मामले में पूरा सदन इनके साथ है।

[अनुवाद]

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय महत्व का एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया है तथा देश भर में किसान समुदाय में यह शंका है कि यह मूल्य घटाया जा रहा है। महोदय, आप स्वयं देश के पद दलितों और किसानों के रक्षक हैं। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, डीजल, उर्वरकों, कृषि आदानों तथा कृमिनाशियों के मूल्य कई गुना बढ़ गए हैं।

इसलिए, मैं यहाँ मौजूद माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह सभा को आश्वासन दें कि जल्दी ही, एक या दो दिन में, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिये जायेंगे, क्योंकि एक महीने में कटाई का मौसम शुरू होने वाला है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की गणना के अनुसार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 750 रु. प्रति क्विंटल होता है।

मैं इस सरकार को स्मरण कराना चाहता हूँ कि उनके साथी, श्री प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के मुख्य मंत्री हैं तथा श्री चौटाला, इस संबंध में पहले ही प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। इसलिए, किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 750 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए तथा गेहूं का क्रय धान की तरह न हो क्योंकि इस मौसम के दौरान किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

धन्यवाद। ...*(व्यवधान)* क्या सरकार की कोई प्रतिक्रिया है? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक धोखाधड़ी का मामला है और मध्य प्रदेश का है। आदिम जाति कल्याण थाना ओमती, जबलपुर में 30.5.1992 को ठाकुरदीन चौधरी ने दो व्यक्तियों...* के विरुद्ध नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करके रकम ऐंठने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहां 77 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई है और पुलिस द्वारा धारा 420 के अंतर्गत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया है लेकिन आरोपियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि इसी तरह के प्रकरण में लिप्त आदिम जाति विभाग अम्बिकापुर के.....* को कलेक्टर सरगुजा ने निलम्बित कर दिया है। जबकि .....* के खिलाफ 19 लाख रुपये के गबन का मामला जिला आयुर्वेद अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में करने का, मदनमहल थाने जबलपुर में दर्ज है। वह कर्मचारी आज भी जिम्मेदारी वाले पद पर कार्यरत है। उसे तत्काल निलम्बित किया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आज हमें कई विधेयक तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित करना है। यदि सभा सहमत हो तो हम भोजनावकाश छोड़ सकते हैं तथा कार्यवाही जारी रख सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अपराह्न 1.07 बजे

न्यायिक प्रशासन विधियां (निरसन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, हम मद सं. 10 लेते हैं।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय, 22 फरवरी को मैंने न्यायिक प्रशासन विधियां (निरसन) विधेयक पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। महोदय, उसके कारण मैंने दे दिए थे। विधान के 17 खंड हैं, जो न्याय प्रशासन से संबद्ध हैं, और ये 17 विधान, नये विधानों के आने से, न्याय प्रशासन के लिए कुछ हद तक अप्रासंगिक हो गए हैं। महोदय, मैंने इनमें से प्रत्येक विधान के लिए स्पष्टीकरण दिया था। पहला है सिविल न्यायालय अमीन अधिनियम 1856 सिविल न्यायालयों में अमीनों की प्रथा काफी पहले ही समाप्त हो गई है। यह अब प्रचलन में नहीं है तथा इसलिए, विधेयक अप्रचलित, अतिशय हो गया है तथा संविधि पुस्तिका में अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अगला है मुम्बई उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट) अधिनियम,

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

1866। यह अधिनियम दो लिपिकीय त्रुटियों को सही करने के लिए पुर:स्थापित किया गया था और तत्पश्चात 1948 में किए गए संशोधनों के कारण अब यह बेमानी हो गया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: हाल ही में अमीनों के पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है तथा उनकी भर्ती हो रही है।

श्री अरूण जेटली: उनके कार्यकलाप इस अधिनियम के तहत नहीं होंगे।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: वे कुछ और कार्य कर रहे होंगे, लेकिन अमीन है।

श्री अरूण जेटली: माननीय सदस्य ने इसे उठाया है। सिविल न्यायालय अमीन अधिनियम 1856, प्रेसीडेंसी ऑव फोर्ट विलियम, पश्चिम बंगाल में सिविल न्यायालयों में अमीनों के रोजगार से संबंधित है और पश्चिम बंगाल में यह पहले ही समाप्त कर दिया गया है और इसलिए, यह अब प्रचलन में नहीं है।

बिना दावे वाले निक्षेप अधिनियम, 1866 तथा बिना दावे वाले निक्षेप अधिनियम, 1970 का न्यायक्षेत्र प्रेजीडेंसी टाउन्स थे, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं है।

1867 का कार्यकारी न्यायाधीश अधिनियम भी अपनी उपयोगिता खो चुका है क्योंकि अब संविधान के अनुच्छेद 224 के अधीन न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं।

इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय प्रक्रिया अधिनियम, 1869 हैं। उत्तर प्रदेश का कोई उच्च न्यायालय नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार, प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट (कोर्ट-फीस) अधिनियम, 1877 है। अब प्रेजीडेन्सी नगर नहीं हैं।

लाहौर उच्च न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित पंजाब न्यायालय (अनुपूरक) अधिनियम, 1919 है। फेडरल न्यायालय अधिनियम, 1937 है। फेडरल न्यायालय का अस्तित्व 1950 से समाप्त हो गया है। इसलिए, यह अब प्रासंगिक नहीं है। दि फेडरल न्यायालय अधिकारिता वृद्धि अधिनियम, 1947 की दसवीं विधि प्रासंगिक है। प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता से संबंधित ग्यारहवीं विधि अब भारत में लागू नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 बारहवीं विधि है। उच्च न्यायालय अब संविधान के अधीन है, और इसलिए यह अध्यादेश अब प्रासंगिक नहीं है।

भोपाल और विन्ध्य प्रदेश (न्यायालय) अधिनियम, 1950। मध्य प्रदेश विधान अब विंध्य प्रदेश क्षेत्र में लागू होते हैं। जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में लागू न्यायिक आयुक्त न्यायालय (उच्च न्यायालयों के रूप में घोषणा) अधिनियम, 1950 अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि न्यायिक आयुक्तों को अब समाप्त कर दिया गया है। 15वां अधिनियम मैसूर उच्च न्यायालय (कुर्ग पर अधिकारिता का विस्तारण) अधिनियम, 1952 से संबंधित है, जो अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि कर्नाटक में बंगलौर में अब उच्च न्यायालय है; मैसूर उच्च न्यायालय मौजूद नहीं है। मणिपुर कोर्ट-फीस (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1953 भी अब अप्रासंगिक हो गया है। राज्य सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी अनापत्ति दे दी है। गोवा, दमन और दीव न्यायिक आयुक्त न्यायालय (उच्च न्यायालय के रूप में घोषणा) अधिनियम, 1964, जिसे काफी पहले समाप्त कर दिया गया है। अब प्रासंगिक नहीं है।

ये सभी विधान अब पुराने हो गए हैं तथा सांविधि पुस्तिका में अब इनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मैं माननीय सभा से इन्हें निरस्त करने का अनुरोध करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मुझे इस न्यायिक प्रशासन विधियां (निरसन) विधेयक पर एक अन्य संदर्भ में चर्चा करनी है। मैं लगभग 40 वर्ष से वकालत कर रहा हूँ। अपने लंबे कार्यकाल में मैंने अनुभव किया है कि एक अधिनियम है, जो अप्रासंगिक हो चुका है और जिसे निरस्त किया जाना चाहिए; और एक नया अधिनियम लाया जाना चाहिए। मैं न्यायालय की अवमानना अधिनियम की बात कर रहा हूँ। हम न्यायालय प्रशासन की बात कर रहे हैं। इसलिए, मेरा कहना है कि न्यायालय प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। न्यायालय प्रशासन की पारदर्शिता विद्यमान न्यायालय अवमानना अधिनियम के साथ नहीं रखी जा सकती। इससे न्यायपालिका को काफी संरक्षण मिल रहा है। यह लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। यह औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित किया गया तथा लागू किया गया तथा औपनिवेशिक न्यायाधीश कहीं-न-कहीं औपनिवेशिक स्वामियों के अधीन कार्य करते थे।

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले पर विचार करें। इस अधिनियम के कारण हम अधिवक्ताओं को कुछ मामलों में बहस करने तथा निर्णय के विषय में कुछ टिप्पणियां करने में बहुत कठिनाई होती है। इसकी व्याख्या इस तरह की जाती है जो न्यायाधीशों की सुविधा के अनुकूल हो। मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए। किंतु न्यायालय की अवमानना उन मामलों में भी लागू होती है, जहाँ व्यक्तिगत आरोप नहीं हैं। यदि कोई न्यायाधीश के निर्णय की आलोचना करता है। तो न्यायाधीश कहेगा कि यह न्यायालय की अवमानना है। और उन्हें बहुत अधिक स्वविवेकी शक्तियां दी गई हैं। एक नागरिक को किसी न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणियां या आलोचना करने का अधिकार नहीं है। क्या यह लोकतंत्र है? हमें कुछ प्रतिमानों के अंतर्गत

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

निर्णय की आलोचना करने का अवसर मिलना चाहिए। हमें अधिनियम में ही कुछ दिशानिर्देश बनाने होंगे। वर्तमान अधिनियम में कोई दिशानिर्देश नहीं हैं तथा इसमें आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह एक बात है।

हम न्यायिक प्रशासन की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री भी वकालत करते हैं। मैं जानता हूँ कि वह एक अच्छे वकील हैं। मैं उन्हें यह प्रमाण-पत्र देने के लिए तैयार हूँ। यदि आप न्यायपालिका को जवाबदेह बनाएं तो न्यायालय प्रशासन पारदर्शी हो जाएगा। अब, विधायिका जवाबदेह है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। सांसद जनता के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। भारत में कोई न्यायिक जवाबदेही नहीं है। आखिरकार, हमें रामास्वामी महाभियोग का कड़वा अनुभव है, जोकि कठिन प्रक्रिया थी और जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संविधान में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का प्रावधान ही है, किन्तु इसे कभी भी कार्यरूप में परिणित कभी नहीं किया जायेगा। यह हमारा कड़वा अनुभव है। इसलिए, मैं विधि के माननीय प्रभारी मंत्री को सुझाव दूंगा कि वह न्यायपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए कोई विधान लायें।

हम जवाबदेह हैं। संसद सदस्यों को कुछ अधिनियमों द्वारा जवाबदेह बनाया गया है। मंत्री जबाबदेह हैं। लेकिन, न्यायाधीश किसके प्रति जवाबदेह हैं? क्या आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार से मुक्त है? मैं समझता हूं कोई भी समझदार व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि भारत में न्यायपालिका भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि न्यायपालिका किस हद तक भ्रष्ट हैं। मैं यह नहीं कह सकता। मैं ऐसा केवल इस सभा में कह सकता हूँ। यदि मैं यह कहता हूँ कि फलां न्यायाधीश भ्रष्ट है, तो मेरे ऊपर न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। मैं यह तब भी नहीं कह सकता जब मेरे पास अकाट्य सबूत हों कि किसी न्यायाधीश ने भ्रष्ट उद्देश्य से कोई निर्णय दिया है। मैं यह नहीं कह सकता। इस देश के नागरिकों को न्यायिक कार्यों के विषय में टिप्पणी करने का अधिकार मिलना चाहिए। अन्यथा, संसदीय लोकतंत्र के क्या मायने हैं? इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इन तथ्यों पर विचार करें तथा एक उपयुक्त विधान लाएं। ऐसा विधान न होने पर कोई कैसे कह सकता है कि हमारे देश में न्यायालय प्रशासन प्रभावशाली है?

महोदय, हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने बन्द कमरे में कार्यवाही के लिए व्यवस्था करने का प्रयास किया था।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, यह केवल निरसन विधेयक है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूँ और मुझे 2-3 मिनट तक बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: यह केवल निरसन विधेयक है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं बातों को दुहराऊंगा नहीं।

महोदय, मैं अनुरोध कर रहा था कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक घोषणा की है कि वे महत्वपूर्ण मामलों की जांच करेंगे, और इस प्रयोजनार्थ उन्होंने बन्द कमरे में कार्यवाही के लिए स्वयं कुछ नियम बनाए हैं। अब, उच्चतम न्यायालय के समक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के भ्रष्टाचार से संबंधित मामला विचाराधीन है। पूर्व विधि मंत्री ने कुछ गंभीर आरोप लगाये थे। लेकिन, इसका निर्णय कौन करेगा? कोई तंत्र नहीं है। बन्द कमरे में कार्यवाही चल रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी इस मामले में अंतिम निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार, ऐसे उदाहरण हैं जहां देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार होता है। लेकिन इसका कोई उपचार नहीं है। केवल इतना कहने से कोई फायदा नहीं है कि हम बन्द कमरे में कार्यवाही द्वारा मामले की जांच करेंगे।

महोदय, मैं अपने मित्र, माननीय विधि मंत्री से इस मामले में कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। सारा विधि समुदाय उनके साथ होगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसा कानून लाया जाए जो न्यायपालिका को जवाबदेह बनाए। हमारे लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ क्यों छोड़ा जाए? हमारे संविधान में अपनाई गई प्रक्रिया के अत्यधिक अव्यवहारिक होने के कारण ऐसा हुआ है। यह ज्यादातर उच्च न्यायिक स्तरों पर होता है, न कि निम्न न्यायिक स्तरों पर। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री के ध्यान में अगला मुद्दा यह लाना चाहता हूं कि वह न्यायालय की अवमानना अधिनियम को वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु विधान लाएं। अन्यथा कोई निष्पक्ष आलोचना कभी सामने नहीं आ पाएगी। माननीय मंत्री अप्रासंगिक हो चुकी तथा अपनी उपयोगिता खो चुकी 70 संविधियों को हटाकर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे यह साहसिक कदम उठाने की उम्मीद भी करूंगा कि वे संविधि पुस्तिका से न्यायालय की अवमानना अधिनियम को हटा दें तथा न्यायालय की अवमानना संबधी एक नया अधिनियम लाएं जिसके द्वारा नागरिकों

को अधिनियम के भीतर ही कुछ दिशानिर्देशों का उपबंध करके एक सीमा में रहकर न्यायपालिका की आलोचना की शक्तियां मिल सकें।

महोदय, मुझे यह कहने में अफसोस हो रहा है कि इस मामले को न्यायिक सुधार आयोग को नहीं सौंपा गया। यदि इस मामले को उसे सौंप दिया गया होता तो उसने निश्चय ही इस पर रिपोर्ट दी होती। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस मामले को आयोग को नहीं सौंपा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम की समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया जाये तथा इसके बाद इसके लिए एक उपयुक्त विधान लाया जाये। सारा विधि समुदाय उनके प्रयासों की सराहना करेगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत न्यायिक प्रशासन विधियां (निरसन) विधेयक, 2000 का पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में इस जनतांत्रिक एन.डी.ए. की सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने पिछले कई वर्षों से जो अधिनियम बेकार थे, आउटडेटेड थे, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी, जिनका प्रयोजन कुछ नहीं था, जो प्रचलित नहीं रह गए थे और जिनकी कोई सामाजिक या न्यायिक दृष्टि से उपयोगिता नहीं थी, उन सारे कानूनों को छांट कर, गतिशील व्यक्तित्व के धनी माननीय जेटली साहब ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं। जो 17 एक्ट हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई, वह उनका निरसन करने के लिए विधेयक लाए हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। कानून के पोथे वैसे भी बहुत बढ़ जाते हैं, कानून में जो निरर्थक हैं, उनको समय के अनुसार हटा दिया जाए। आज आई.पी.सी. में कुछ संशोधन होने चाहिए, सी.आर.पी.सी. में कुछ संशोधन होने चाहिए क्योंकि नाना प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, समाज की परिस्थितियां बहुत जटिल हो गई हैं। ऐसी स्थिति में उन परिवर्तनों को भी यह सरकार अवश्य लाएगी। 8 मई, 1998 को केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासनिक विधि पुनर्वलोकन आयोग गठित किया गया था। उस समीक्षा आयोग ने जितने भी ज्यूडीशियल एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी कानून थे, उनका भली प्रकार राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित सभी विभागों से मिल कर निरीक्षण, विचार-विमर्श किया और उसके बाद उस आयोग ने यह अभिशंसा की कि ये कानून अब प्रयोजनरहित हैं, इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, अप्रचलित हैं इसलिए इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि उस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार यह बिल लाई है। मैं इसका समर्थन करता हूं और इसके साथ केवल एक बात और कहना चाहूंगा कि न्यायिक सुधार अत्यन्त आवश्यक हैं।

अपराह्न 1.22 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए)

आज लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं—कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों में संतुलन होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक पलड़ा ज्यादा भारी हो जाता है तो दूसरे पलड़ों में असन्तुलन पैदा हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ज्यूडीशियरी हो, लैजिसलेटिव हो या ऐग्जीक्यूटिव हो, तीनों में संतुलन होना अत्यन्त आवश्यक है। न्यायिक आयोग का जो गठन किया जाने वाला है, वह शीघ्र किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायिक सुधार अत्यन्त आवश्यक है। आज देश में मुकदमों की संख्या काफी बढ़ गई है, तीन करोड़ मुकदमे लम्बित पड़े हैं। कई न्यायालयों में स्थान रिक्त पड़े हैं। उच्च न्यायालयों में जजों के स्थान रिक्त पड़े हैं, सर्वोच्च न्यायालयों में स्थान रिक्त पड़े हैं। उन सारे मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए जनता को, जनता की भाषा में सस्ता और सुलभ न्याय दिलवाने के लिए न्यायिक आयोग का गठन अत्यन्त आवश्यक है, यह मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा लाए गए इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और समझता हूं कि जिन कानूनों की उपयोगिता समाप्त हो गई है, उनका निरसन आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: सभापति महोदय, हम इन 17 अप्रचलित अधिनियमनों के निरसन का समर्थन करते हैं। इसे साथ-साथ, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान देश में लम्बे समय से लम्बित न्यायिक सुधारों की ओर दिलाना चाहूंगा। आज कानून इतना उलझा हुआ है कि आम लोगों के लिए न्याय नहीं है। आम लोग कानूनों से अनभिज्ञ हैं और कानून उनके लिए तब तक उलझा हुआ है जब तक वे किसी योग्य अधिवक्ता (वकील) की सेवायें नहीं लेते, वे कानूनी प्रक्रिया से वाकिफ नहीं हो पाते। आज देश में स्थिति अत्यधिक शोचनीय है। इसके अतिरिक्त, किसी को न्याय प्राप्त करने के लिए जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय और फिर पुन: उच्चतम न्यायालय तक की लम्बी यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ तक कि छोटे मामलों में भी विशेष अनुमति याचिका दायर करनी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति किसी ईमानदार व्यक्ति को तंग करना चाहे, तो वह विशेष अनुमति ले सकता है और उच्चतम न्यायालय तक ले जा सकता है।

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

मैं श्री वरकला राधाकृष्णन के साथ न्यायालय की अवमानना के मुद्दे पर पूरी तरह सहमत हूं। यह मुद्दा इतना दु:खदायी बन गया है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायपालिका पर अपशब्द कहता है तो उसे तुरंत कानून के कटघरे में ले जाना चाहिए।

साथ ही यह साफ तौर पर बताया गया है कि न्यायालय की अवमानना के मुद्दों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उपयुक्त अधिनियम बनाये जाने चाहिए। मैंने देखा है माननीय मंत्री महोदय अथवा किसी और ने भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय की एक या एकाधिक खण्डपीठों को स्थापित करने की आसन्न आवश्यकता है। यह स्वागत योग्य संकेत है। हमारा देश बहुत बड़ा है और किसी को भी त्रिवेन्द्रम अथवा कन्याकुमारी अथवा कश्मीर से उच्चतम न्यायालय तक जाने के लिए लम्बी यात्रा करनी पड़ती है। सभी व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय जाना चाहिए। परन्तु आम व्यक्तियों के लिए यह कैसे सम्भव है? धनवान व्यक्ति हमेशा उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका दायर करते हैं और मामले दर्ज करवाते हैं और वे उपस्थित हो सकते हैं। परन्तु आम व्यक्ति का क्या होगा?

अन्य कई देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने अन्य स्थानों पर भी खण्डपीठों को अनुमति दी हुई है। इसी प्रकार, हमारे देश में भी विभिन्न स्थानों पर उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठें होनी चाहिए।

महोदय, आज हमारे पास, एक अत्यधिक योग्य और ज्ञान सम्पन्न विधि मंत्री है। यह उपयुक्त समय है कि वह इस पर तुरंत सोचे कि उच्चतम न्यायालय की कम से कम चार स्थानों-पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर और इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी खण्डपीठें होनी चाहिए। इस मामले में, मैं आशा करता हूँ, कि केन्द्रीय स्थान हैदराबाद है। इसीलिए, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय हैदराबाद में उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने के बारे में सोचेंगे ताकि आम आदमी न्याय प्राप्त कर सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस निरसन विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह रिपील बिल है, इसलिए थोड़ा ब्रीफ में ही बोल लीजिए, और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, रिपील बिल पर ही बता रहे हैं। *...(व्यवधान)* कुछ लोगों को कितना ही जोर से बोलें अगर नहीं सुनाई देगा तो इसका क्या इलाज है, यह बताइये।

कानून मंत्री होशियार आदमी हैं, पेचपाच लगाकर पुराने कानून मंत्री को, जो इनसे ज्यादा पुराने और काबिल थे, उनको तो हटवा दिया और खुद मंत्री बन गये। सन् 1998 में जब आप राज में थे तो संयुक्त मोर्चा की सरकार ने जैन कमीशन बिठाया था और यश रासा सिंह रावत जी लूट रहे हैं, इन्हीं को धन्यवाद दे रहे हैं, होशियार आदमी हैं, काम कोई करे और यश कोई ले। लेकिन जैन कमीशन ने कहा था कि 2500 कानूनों में से 1300 कानून जाखरी कानून हैं, इनको खत्म होना चाहिए। इनको एक बिल लाकर आप खत्म करिये। ज्यूडीशियल एडमिनिस्ट्रेशन को आप पीसमील में ला रहे हैं, 17 कानूनों को आप एक बार लाये हैं, यह ठीक है, लेकिन 1300 कानूनों का इनके पास हिसाब नहीं है। भारत सरकार के कानून मंत्री को कानून का हिसाब-किताब पता नहीं है, यह मेरा आरोप है। 1300 कानूनों को एक बार में खत्म करना था, लेकिन कभी एक कानून, कभी दो कानून और इस बार 17 कानून खत्म करने के लिए लाये हैं। आप जानते हैं कि 2500 कानून तो सैण्टर के हैं और देश भर के राज्यों के कानून और जोड़े जायें तो 25,000 कानून हैं। 700-800 से कम हर राज्य में कानून नहीं हैं, अब बताया जाये कि जहां 25,000 कानून हैं, वहां क्या होगा। आप होशियार मंत्री हैं, आप कानूनों के खाली नाम ही बता दें। कानून को कानूनविद ही नहीं जानेंगे, देश का कोई काबिल आदमी नहीं जानेगा तो कानून की बात कौन जानेगा।

[अनुवाद]

"कानून का ज्ञान न होना कोई बहाना नहीं है।"

[हिन्दी]

कानून कोई नहीं जानेगा तो उसके लिए माफी नहीं है, यह किसका कसूर है। अंग्रेजी सल्तनत कानून बनाती थी और गजट में छाप देती थी तो मान लिया कि देश भर के लोग कानून को जान गये। पूरे हिन्दुस्तान के कानून यहां हम लोग बनाते हैं, रद्द करते हैं, लेकिन ये भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। ये कानून को गजट में छाप देंगे और गजट में नोटिफिकेशन हो गया तो मान लिया कि देश की 100 करोड़ की आबादी कानून जान गई। कोई मल्होत्रा ब्रदर्स उसकी किताब छापेगा। उस कानून की जरूरत होगी, कोई मुवक्किल पहुंचेगा, तब वकील साहब उस कानून की किताब को मंगाकर पढ़ेंगे, तब जानेंगे। वकीलों का यह हाल है तो आम जनता का क्या हल होगा। ज्यूडीशियरी में एक ही मान्यता है कि कोर्ट कानून नहीं जानती है और जो न्यायाधीश उसमें बैठते हैं, माना गया है कि वे कानून नहीं जानते हैं। दोनों पक्षों के वकील कानून को समझाकर उनके मगज में घुसायेंगे, तब वे कानून जानेंगे और फैसला देंगे। लेकिन आम जनता जो अनपढ़ है, कम पढ़ी-लिखी है, मान लीजिए कि वह कम कानून जानती है, 'कानून का ज्ञान न होना बहाना नहीं है'। कानून नहीं जानने से माफी नहीं है। इतना गलत कानून चल रहा है, क्या हम इसे सही कानून का

राज कह सकते हैं, नहीं कह सकते। फिर भी लोग कानून नहीं जानते, लेकिन उनको दंड दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका स्थायी समाधान हो। वकालत का पेशा कंटरवेटिव होता है, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। ये लोग देखते हैं कि दस-बीस बरस पहले किस कोर्ट ने फैसला दिया, फिर उसको कोर्ट में दिखा देते हैं। आगे सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं करते कि दुनिया कितनी प्रगतिशील है और कितनी परिवर्तनशील भी हो रही है। दस-बीस बरस पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये लोग दिखाकर वैसा फैसला करा लेते हैं, लेकिन आगे की बात नहीं सोचते कि सामाजिक परिवर्तन क्या हो रहा है। इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। कितने ही कानून संसद में पास हुए, लेकिन वे लागू नहीं हुए। लोक सभा पास कर देती है, लेकिन सवाल का जवाब देते समय मंत्री जी यहीं खड़े होकर कहते हैं कि हम पता लगा रहे हैं। अब ज्यूडिशरी के लोग बोल रहे हैं कि ज्यूडिशरी में सुधार होना चाहिए। आप देखें देश में कितने मुकदमें लम्बित हैं।

श्री अरूण जेटली: तीन करोड़।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: तीन करोड़ नहीं, पौने चार करोड़ के करीब मुकदमे देश भर की अदालतों में लम्बित हैं। कई मुकदमें तो पाच, दस और 15 बरस से लम्बित हैं। कहते हैं कि 'न्याय में देरी न्याय से मनाही है' इस तरह से न्याय में देरी होगी तो आम जनता को, गरीब आदमी को जो कम पढ़ा-लिखा है, उसको कैसे न्याय मिलेगा। इसीलिए जो अंग्रेजी सल्तनत के कानून हम ढो रहे हैं, उनको बदला जाना चाहिए। कई कानून तो 100 ई. और 1700 ई. के हैं इसलिए इनको समाप्त करो। आप 1300 ऐसे कानूनों में से सिर्फ 17 को खत्म करने के लिए यह विधेयक लाए हैं। इस तरह तो बहुत बरस लग जाएंगे। जैन आयोग ने कहा है कि इस सारे कानूनों को एक कलम से खत्म करना है। ये कानून बहुत पहले समय के हैं, इनकी अब कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए कानून विभाग चुस्त-दुरुस्त काम करे। अभी एक सदस्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बैंच दक्षिण में भी होनी चाहिए। यह सही बात है, क्योंकि इतनी दूर से यहां आने मे लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए इस पर भी विचार होना चाहिए। जो जजों की जगहें खाली हैं, उस पर भी विचार होना चाहिए। जो वकील लाखों रुपए की फीस लेते हैं, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। न्याय सुलभ और सस्ता होना चाहिए, जिससे आम आदमी को मिल सके। इस तरह के ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म्स होने चाहिए, जिससे गरीब जनता को न्याय मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पास करने का समर्थन करता हूं और अपनी बात कहता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, मंत्री जी द्वारा जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत अच्छा कदम है। मैं न्याय प्रशासन और दूसरे विवेक, इन दो बातों की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विवेक की परिभाषा क्या है? हम कहना चाहेंगे कि विवेक से तो सारे लोग काम करते हैं चाहे वे कार्यपालिका के हों, न्यायपालिका के हों या चाहे संसदीय प्रणाली में काम करने वाले लोग हों। हरेक का अपना-अपना विवेक है और सब लोग अपने विवेक से काम करते हैं लेकिन सभी के विवेक पर कहीं अंकुश है और विवेक से काम करने के बाद उस पर टीका-टिप्पणी, उस पर आपत्ति करने का अधिकार है। लेकिन न्यायपालिका के लोग जो विवेक से काम करते हैं, हम यह कहें कि वे विवेक का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं लेकिन हमें एक ऐसा उदाहरण मिला है कि हम यह कहेंगे वे अपने विवेक का दुरुपयोग भी करते हैं लेकिन हम उस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकते, हम उस पर चर्चा भी नहीं कर सकते, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। छोटी कोर्ट से अगर कोई निर्णय हो जाता है और बड़ा कोर्ट यदि उसे गलत मानता है और उस निर्णय को बदल देता है तो छोटी अदालत पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आप सरकार में रहे हैं, यहां सारे लोग बैठे हैं, लेकिन यदि सरकार में काम करने वाला कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उस विवेक पर भी न्यायपालिका अपने विवेक का प्रयोग करके कुछ न कुछ निर्णय देने के लिए सक्षम हो जाती है। उदाहरण इसी सदन में सतीश शर्मा जी का है। वह कभी मंत्री हुआ करते थे और विवेकाधीन कोटे के अन्तर्गत उन्होंने कुछ पैट्रोल पम्प वगैरह का आबंटन किया था। वह उनका विवेकाधीन कोटा था और उस पर न्यायपालिका से जुर्माना हुआ। आखिर विवेकाधीन कोटे की परिभाषा क्या होगी? आज हमें विवेकाधीन कोटे में सांसद की वजह से दो करोड़ रुपये अपनी कांस्टीट्यूएंसी में खर्च करने के लिए मिलते हैं। हम अपने विवेक से उस रूपये का उपयोग करते हैं। कल कोई न्यायपालिका में जाये कि वहां गड़बड़ी हुई है और न्यायपालिका उस पर कार्यवाही करे तो फिर विवेक का अर्थ क्या है? यदि हमारे विवेक का अर्थ है, मंत्री के विवेक का कोई अर्थ है तो हम यह कहेंगे कि न्यायपालिका के विवेक पर समीक्षा के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

जो लोग इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं और उनके विवेक का मतलब सब कुछ सही होता है, यह हम नहीं मानते हैं। जो इतनी गड़बड़ी होती है, माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि कलकत्ता में उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश श्री प्रभाशंकर मिश्र जी ने इसलिए इस्तीफा कर दिया कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। यदि इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले लोग न्यायपालिका के लिए कहते हों कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है और वे इस्तीफा करने के लिए बाध्य हैं तो फिर उसमें कौन सा सुधार करने के लिए आप कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं? इसलिए हम आपके माध्यम से कहेंगे कि इस पर और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उधर जजमेंट दिया और पांच दिन के बाद वह राज्य सभा के मेम्बर बन गये हैं। इससे क्या भ्रष्टाचार की बू नहीं मिलती? किसी न किसी व्यक्ति के विवेक के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हो और फिर दो-चार दिन के बाद राज्य सभा में उसका मेम्बर बनकर आना, इससे बड़ा और क्या भ्रष्टाचार का प्रमाण होगा? मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि जो आईएएस होते हैं, उनको न्यायपालिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। हमारे बिहार के दो आईएएस को एडीजे की कोर्ट में ट्रेनिंग के लिए गये हुए थे कि जाइए, आप कुछ सीखिये। उनमें एक महिला भी थी। वह वहां बैठी हुई थी। कोई व्यक्ति वहां आया और 100 रूपये का एक नोट पेशकार को दिया क्योंकि वह कुछ कागज लेना चाहता था। वह नहीं जानती थी कि पेशकार को ऐसे लिया दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अरे, यह क्या हो रहा है? जज साहब भी थे। वह वकील से कुछ पूछ रहे थे, वह नहीं सुन रहे थे। जब उस महिला ने दुबारा टोका तब जज साहब ने कहा कि यह न्यायपालिका की प्रक्रिया है, इस पर बोला नहीं जाता है, गवाही चल रही है, आप सुनते रहिये और देखते रहिए कि क्या हो रहा है। जो ऊंची कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उनके नीचे 100 रुपये का नोट दिया जा रहा है और इसे न्यायपालिका की प्रक्रिया कहते हैं और जिन आईएएस और आईपीएस लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, वे वही ट्रेनिंग लेते हैं कि किस तरह से सौ रुपये का नोट लिया जाता है, यह व्यवस्था है। अगर इन सब चीजों पर कहीं न कहीं से व्यवस्था नहीं करेंगे तो कानून तो आप बना ही देंगे और बनाते हैं लेकिन इस कानून के साथ आप इसे लागू करने की प्रक्रिया कितने सही ढंग से इसे लागू करते हैं और इसे कितना आप जनता के हित में करते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसका रिपील बिल है। राज्य सभा के पास हो गया है। हमारे पास और भी बिल हैं। पांच और बिल हैं। आप संक्षेप में बोलकर कंक्लूड करिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: माननीय मंत्री जी, हम चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि निचले स्तर के लोग कानून का लाभ उठा सकें और सस्ते कानून की सुविधा होनी चाहिए। रघुवंश प्रसाद सिंह जी ठीक कह रहे थे कि कानून आज बहुत महंगा हो गया है। भगवान न करे, कभी किसी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। एक बार हमें रघुवंश प्रसाद जी के चलते कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। कानून काफी महंगा है। अरुण जेटली जी को तो कभी मौका नहीं मिला है, लेकिन व्यक्ति जब वकील के पास जाते हैं, तो वे कोर्ट में जाने से पहले नकद गिनवाकर जाते हैं। मेरे विचार से इन लोगों की फीस निर्धारित होनी चाहिए। अगर फीस निर्धारित नही की जाएगी, तो देहातों में जो रहने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते-आते उनका घर बिक जाएगा। वे हक के लिए आते हैं, वे न्याय के लिए आते हैं, लेकिन हक इतना महंगा पड़ता है कि उनके पास जो हक है, वह भी समाप्त हो जाता है। मेरे विचार से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जजों के पैंडिंग पदों की नियुक्तियों की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अंत में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। आजकल जनहित याचिका की चर्चा रोज चल रही है। इस पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देश में बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं, लेकिन उन पर जजों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उन मामलों का कैसे निपटारा किया जाए। रोड बनवानी हैं, तो हाई कोर्ट के जज बनवायेंगे। नाले की सफाई करनी है, तो हाईकोर्ट के जज करायेंगे। सड़कों पर से गाय-भैंसे हटवानी हैं, तो हाईकोर्ट के जज हटवायेंगे। होता सिर्फ यह है कि अखबारों में उनका नाम छप जाता है और टीवी पर उनका चेहरा आ जाता है। ...*(व्यवधान)* दिल्ली में कम से कम 1400-1500 लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती की है और इस कार्य से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं।* उन लोगों को बेरोजगार कर दिया है, लेकिन रोजी-रोटी देने का उनको अधिकार नहीं है। इसलिए हम आपसे कहेंगे ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: *...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: *इस कदम के चलते काफी लोग बेरोजगार हुए हैं। रोजगार हम नहीं दे सकते हैं, तो बेरोजगार करने का भी हमको अधिकार नहीं बनता है।*

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, प्रोसीडिंग्स में कोर्ट का नाम हटा दिया जाए। एसपर्शन-टु-दि-जुडिशियरी प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगा। यह नियमावली में है।

सभापति महोदय: कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगी।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, न्यायपालिका भी महत्वपूर्ण प्रशासन का अंग है। किसी कलैक्टर ने गलती की, तो ध्यान दिया है। किसी बीडीओ ने गलती की, तो ध्यान दिया है, लेकिन अगर कोर्ट ने गलती की, तो अपील हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट तक हो जाती है। मेरी सरकार से विनती

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

है कि न्यायपालिका में न्याय सस्ता मिलना चाहिए और समयबद्ध मिलना चाहिए।

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर): महोदय, कानून मंत्री, श्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक प्रशासन विधियां (निरसन) विधेयक, 2000 का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं कुछ सुझाव सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। पूरे भारत में तीन करोड़ केसेज पैंडिंग हैं। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। मैं शिक्षक हूं और मुझे तनख्वाह लेने के लिए 27 साल लगे। इसी प्रकार से मिश्रा जी नाम से एक व्यक्ति हैं, जिनको 29 साल लगे हैं। मेरा सुझाव यह है कि न्याय मिलने की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

हमारा निवेदन है कि हर तालुका में एक कोर्ट बने। मेरे क्षेत्र में 16 तालुका हैं और सिर्फ छः कोर्ट हैं। ...*(व्यवधान)* अगर हर तालुका में कोर्ट हो तो अच्छा रहेगा, यही मेरा सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री अरूण जेटली: महोदय, न केवल इन 17 विधायी मामलों के संबंध में जिन्हें सुधार के लिए लाया गया है बल्कि जनहित के कुछ अन्य मामलों के संबंध में कुछ अति महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि वहाँ 1323 अधिनियम थे जिनके निरसन के लिए सिफारिश की गई थी। सरकार का प्रत्येक विभाग इनमें से प्रत्येक कानून की निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा है। कुछ मामलों में राज्य सरकारों तथा संबंधित विभागों से विभिन्न टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। इन कानूनों से बड़ी संख्या में पहले ही सुधार दिये गये हैं और कइयों की सुधार से संबंधित प्रक्रिया पहले ही चल रही है।

एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में विशेषत: श्री राधाकृष्णन ने पूछा है। इस मुद्दे की अतीत में कई बार जांच की गयी है। इस अधिनियम की कोई बहुत साफ समझदारी नहीं है कि यह सुझाव देता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा इस अधिनियम के कारण न्यायालय के निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती। न्याय अपने आप में मठ का धर्म नहीं है कि उस पर टिप्पणी न की जा सके। एक मात्र प्रतिबंध यह है कि अधिनियम का प्रभाव आलोचना पर नहीं है, न ही विरुद्ध प्पिणी पर, अथवा निर्णय पर बल्कि दोषारोपण की प्रेरणा के विरुद्ध है। दिये गये निर्णय पर किसी व्यक्ति द्वारा मिथ्या अभियोग के लिए सामान्तर कारण। न्यायालय की अवमानना से अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय की आलोचना अथवा निर्णय की आलोचना निष्फल नहीं है। इसलिए, यह सवाल उठता है कि अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जवाबदेही का तरीका क्या होना चाहिए। सहायक न्यायपालिका जो कि उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में है उसे आप जो भी मामलों के बारे में बताते हैं उन सभी के लिए अवश्य ही उत्तरदायी है।

दूसरा प्रश्न उच्च न्यायपालिका के संबंध में उठता है कि क्या कोई उत्तरदायी तंत्र प्रणाली है अथवा इन-हाउस उत्तरदायी तंत्र प्रणाली है। मैंने पिछले सप्ताह दूसरी सभा में भी बताया था कि लगभग सभी राजनैतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणापत्र में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के बनाने के बारे में उल्लेख किया है। इसके अधिकार क्षेत्र और रचना से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श होना चाहिए। यदि इस कानून प्रक्रिया पर कोई सहमति होती है जो आपने सुझावों के दौरान जो प्रश्न उठाये हैं उनमें से कुछ के उत्तर मिल जायेंगे।

यहाँ न्यायिक सुधारों से संबंधित कुछ अन्य क्षेत्र आदि हैं जो कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। सरकार विभिन्न प्रक्रियाओं के संदर्भ में युक्त तरीका अथवा योजना या दोनों को बना रही है ताकि न्यायालयों द्वारा लगाये जाने वाले समय को कम किया जा सके। जैसाकि नागरिक कानून प्रक्रिया के संबंध में है, संसद में पहले ही कानून को प्रस्तुत किया गया है। यह स्थायी समिति के समक्ष है। सरकार ने साथ ही विशेषज्ञ व्यक्तियों का समूह बनाया है जो कि आपराधिक कानून में प्रक्रियात्मक कानून को कम करने की जांच कर रहा है और जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होता है, हम माननीय सभा के समक्ष अपने सुझावों को अवश्य ही रखेंगे।

मौलिक विधान के संदर्भ में, इनमें से कई के लिए हम पहले ही संशोधनों को ला रहे हैं विशेषरूप से जहाँ बहुत से मामले लम्बित हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि इस सत्र में या आगामी सत्र में इनमें से अधिसंख्य कानूनों में संशोधन हो चुका होगा, समय सीमा को कम करने के लिए जो उन विधानों के सुधार हेतु लिया गया है।

एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा न्याय को सस्ता बनाने के संदर्भ में है।

[हिन्दी]

जो लोग न्यायपालिका में जाना चाहते हैं, उन्हें सस्ता न्याय मिल पाए, यह सुझाव दिया। इसके संबंध में नेशनल लीगल सर्विसेज अथोरिटी एक्ट है, जिसके तहत लीगल एड और लोक अदालत का प्रावधान किया गया है। उसे फंड्स भी काफी दिये गये हैं और उस कानून में संशोधन भी किया गया है ताकि इसका लाभ ऐसे लोगों को ज्यादा मिल पाए।

जो लोग खर्च नहीं कर पाते हैं, मुकदमें के दौरान ऐसा लगता है और कानून तक पहुंचने में उनको सहायता पहुंच पाए, सरकार

[श्री अरूण जेटली]

इस पर भी विचार कर रही है। सभापति जी, ये जो 17 एक्ट हैं, ये एकदम पुराने हो चुके हैं और इनको कानून की पुस्तक में बने रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए इनको रिपील करने की सदन अनुमति दे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सिविल न्यायालय अमीन अधिनियम, 1856 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेंगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

"2000" के स्थान पर

"2001" प्रतिस्थापित किया जाये (2) (श्री अरुण जेटली)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, यथा संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"इक्यावनवें" के स्थान पर "बावनवें" प्रतिस्थापित किया जाए (1) (श्री अरूण जेटली)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.54 बजे

कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 11 और 12 पर एक साथ चर्चा करेगी।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा 3 फरवरी, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्त अधिनियम, 2000 और आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2001 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार ने कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2001 की उद्घोषणा में जो तरीका अपनाया है, उससे संसद की उपेक्षा हुई है और उसके प्रति असमान प्रदर्शित हुआ है, जो अत्यधिक आपत्तिजनक है।

हम सभी जानते थे कि बजट सत्र फरवरी में शुरू होने जा रहा है। केवल कुछ दिन पहले इस अध्यादेश की उद्घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसे अब सदन के समक्ष प्रतिस्थापन के लिए रखा गया है। हम इस तरीके का समर्थन नहीं कर सकते हैं।

यह सिर्फ इस मामले में नहीं हुआ है, परन्तु अन्य कई मामलों में भी सरकार ने संसद की अवहेलना करके अध्यादेश जारी किये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात में भूकंप की स्थिति से निपटने के लिए धन जुटाने के प्रयास की सरकार कर अपवंचकों जिन्होंने सरकार को 62,392 करोड़ रुपये देने हैं, की उपेक्षा करके सिर्फ वेतनभोगी वर्ग पर ही ध्यान केन्द्रित किया है। सरकार ने पहले से ही भारी दबाव में जीवन यापन कर रहे मध्यम वर्ग पर कुछ और भार डालकर आयकर पर 2% अधिभार लगाया है। इस अधिभार से राजकोष में 1,300 करोड़ रुपये आने की आशा है।

यदि सरकार उच्च और धनी वर्ग, जिसमें करोड़पति, बड़े औद्योगिक घराने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ शामिल हैं, से कर संग्रहण करने में गंभीर होती, तो इससे एक बहुत बड़ी धनराशि एकत्रित हो सकती थी। जैसा कि मैंने कहा, यदि कोई व्यक्ति अतारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय राज्य वित्त मंत्री द्वारा की गई शीर्षस्थ कर चूककर्त्ताओं की सूची को देखे, तो धनराशि यह 62,392 करोड़ रुपये बनती है। इनको निशाना बनाने के बजाय सरकार ने सिर्फ थोड़ी सी धनराशि एकत्रित करने के लिए मध्यम वर्ग के वेतन भोगी लोगों को निशाना बनाया है। यदि सरकार गंभीर होती, तो यह देश के लिए और लाभदायक होता और सरकार गुजरात में आये भूकंप के दौरान हुई हानि की लागत को आसानी से पूरा कर लेती।

इसीलिए मैंने अध्यादेश की उद्घोषणा का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पेश किया है और इसीलिए मैं माननीय मंत्री द्वारा पेश किये गये विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, जैसा कि सदस्यों को जानकारी है, गुजरात के बहुत से क्षेत्रों में भीषण भूकंप आने से विनाश हुआ है। बहुत बड़ी जनहानि के अतिरिक्त, बहुत बड़े स्तर पर सम्पत्ति और आधारभूत ढांचें का भी विनाश हुआ है। भूकंप-पीड़ित क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए अतिरिक्त राजस्व इकट्ठा करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए जिन व्यक्तियों की आय 60,000 रुपये से अधिक है उनकी और घरेलू कम्पनियों की आय पर 2% अधिभार लगाया जाये और राजस्व इकट्ठा किया जाये। यह भी उपबन्ध करने का निर्णय लिया गया कि 30 सितम्बर, 2001 को या उससे पहले आयकर विभाग में पंजीकृत धमार्थ संस्थाओं को दिये गये दान पर शत प्रतिशत कर से छूट मिलेगी। यदि इस प्रकार की सहायता राशि भूकंप पीड़ितों को राहत पहुँचाने के लिए दी जाये। गुजरात राज्य सरकार द्वारा भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए किसी भी स्थापित निधि को शत प्रतिशत करमुक्त किया जायेगा। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, और संसाधन जुटाने की तत्काल आवश्यकता थी। अत: 3 फरवरी, 2001 को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2001 की उद्घोषणा की गई। कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 का आशय कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को प्रतिस्थापित करना है।

मैं इस माननीय सभा में विचारार्थ विधेयक का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा 3 फरवरी, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

"कि वित्त अधिनियम, 2000 और आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अपराह्न 2.00 बजे

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[श्री रमेश चेन्नितला]

महोदय, आमतौर पर, अध्यादेश को बदलने के लिए यहां आना कोई अच्छी प्रथा नहीं है। जब संसद का सत्र चल रहा हो तब सरकार को सीधे संशोधनकारी विधेयक लेकर संसद में आना चाहिए तथा विधेयक पारित करवाना चाहिए। परन्तु यह असाधारण स्थिति है जिसे हम भी समझ सकते हैं।

26 जनवरी, 2001 को आया भूकम्प हमारे देश के इतिहास में अत्यन्त दु:खद घटना है तथा देश के भूकम्प पीड़ितों की पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। यद्यपि यह एक अच्छी प्रथा नहीं है फिर भी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। इस प्रकार की असाधारण परिस्थिति में, अध्यादेश की उद्घोषणा करना सरकार के लिए बाध्यकारी था। सामान्य परिस्थिति में, सरकार इस प्रकार के उपायों का विकल्प नहीं चुनेगी जो हमारी संसदीय प्रथा में सहायक नहीं होगा। यह बेहतर है कि उस प्रकार के अध्यादेश से बचा जाए। परन्तु जैसा कि वित्त मंत्री ने स्पष्ट बताया है कि यह भूकम्प पीड़ितों के लिए पुन: निर्माण और पुनर्वास के लिए धनराशि एकत्र करने के लिए है।

चूंकि इस विधेयक में मात्र दो मुद्दे हैं इसलिए इस पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। पहली, बात यह है कि कम्पनियों सहित उन लोगों पर 2% सरचार्ज लगाना जिनकी आय 60,000 रुपये से अधिक है। दूसरी बात उन संगठनों और धमार्थ संस्थाओं की छूट के संदर्भ में है जो आयकर विभाग में राशि प्राप्त करने के लिए पंजीकृत हैं और उन्हें 100% छूट दी जाती है।

इस संदर्भ में, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम का उल्लेख करना चाहता हूँ। भूकम्प आने के पश्चात्, बहुत से संगठन, संस्थाएं, समाचार-पत्र और अन्य एजेंसियां भूकम्प पीड़ितों के लिए सामग्री तथा धन एकत्र करने के लिए आगे आई हैं। इस तरह से स्थगित की गई राहत सामग्री का कोई लेखा जोखा नहीं है। विभिन्न संगठनों द्वारा भारी धनराशि एकत्र की गई है, परन्तु उन्होंने कितनी धनराशि एकत्र की है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है और वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इस पहलू पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता परंतु इस प्रकार के अवसरों का दुरुपयोग होने की सम्भावना है। महोदय, इस आयाम पर सोचने का यह उचित समय है। मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता। यह सही नहीं है कि इस सभा का उपयोग किसी पर आक्षेप लगने के लिए किया जाए। परन्तु वहाँ पर इस धन के दुरुपयोग की संभावना है। लोग उदार है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी प्रतिक्रिया दिखाई है वे संकट की इस घड़ी में हमारे साथ हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश और अन्य देशों ने प्रतिक्रिया दिखाई और वे हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा के प्रति एकता और सहानुभूति दिखाई है। उन्होंने गुजरात के भूकम्प पीड़ितों हेतु पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की सहायता दी है और अधिक धन की आवश्यकता है। बहुत सारे संगठन सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। निस्सन्देह, यह अच्छी बात है। परंतु, इसके साथ ही सरकार की इस बात पर विचार करना चाहिए तथा विभिन्न संगठनों द्वारा इस प्रकार से धन संग्रहण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों में कुछ शंकाएं पैदा हुई हैं।

इसलिए, मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वहां पर इस प्रकार का निरीक्षण होना चाहिए, दान संग्रहण पर नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार का तंत्र होना चाहिए। निस्सन्देह, यह वित्त मंत्री के कार्य क्षेत्र में नहीं आयेगा। परंतु जब हम इस अत्यंत दुखदायी घटना पर चर्चा कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि गुजरात में सहायता के संबंध में संचालन तंत्र उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ। बहुत सी एजेंसियाँ सहायता सामग्री ला रही हैं। कई एजेंसियां गुजरात में किए जाने वाले समुचित राहत कार्यों के लिए दवाइयाँ, नकदी तथा अन्य वस्तुएं ला रहे हैं। दुर्भाग्यवश सरकार तथा वहाँ पर उपलब्ध अन्य मशीनरी के बीच समुचित समन्वय का अभाव है। वे इन प्रयासों के बीच समुचित समन्वय नहीं रख पा रहे हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वहाँ पर काम कर रही इन एजेंसियों को कुछ निदेश दिये जाएं ताकि वे अपने प्रयास में समन्वय कर सकें। वास्तव में, एकत्र की गई तथा रेलवे के माध्यम से भेजी गई सामग्री लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। अभी भी भूकंप से वास्तविक रूप से प्रभावित लोगों को सभी एजेंसियों के वहाँ रहते हुए भी उचित राहत नहीं मिल रही हैं। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। कई संगठनों ने इसमें योगदान दिया है। दुर्भाग्यवश, लोगों के बीच राहत सामग्री उचित रूप से वितरित नहीं की जाती है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): सभापति महोदय, इस बारे में एक बार बात हो गई है। इन्होंने देखा नहीं है और कह रहे हैं कि वहां चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। यह हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। यह क्या है?

सभापति महोदय: आप अपना आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला: मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)* मेरा यह कहना है कि उचित समन्वयन तथा समुचित पुनर्वास की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, सरकार की तरफ से अपनी बात कहने में सक्षम हैं।

श्री रमेश चेन्निथला: जितनी जल्दी संभव हो, पुनर्वास उपायों में तेजी लायी जानी है। उसके लिए, बेहतर समन्वयन की आवश्यकता है। गुजरात राज्य को और अधिक धन और सहायता दी जानी चाहिए ताकि इन कार्यक्रमों को त्वरित ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। निश्चित रूप से, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इस संशोधन द्वारा मुझे विश्वास है कि राज्य के समुचित पुनर्वास हेतु और ज्यादा धन एकत्र और उपलब्ध कराया जा सकता है।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह उल्लेख किया गया है कि 60,000 रु. से अधिक की आय वाले व्यक्तियों तथा घरेलू कम्पनियों से 2 प्रतिशत अधिभार लिया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है:

> ''यह उपबन्ध करने का निर्णय लिया गया है कि आयकर विभाग के पास पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाएं 30 सितंबर को या उसके पूर्व किए गए दानों पर शत प्रतिशत कटौती किये जाने के हकदार होंगी यदि ये दान भूकंप पीड़ितों को राहत देने के लिए की जाती है।''

दूसरी बात यह है कि इसमें भूकंप पीड़ितों की राहत पहुँचने हेतु गुजरात राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई किसी निधि में दिये गए दानों में शत प्रतिशत कटौती करने का भी प्रावधान है। दो प्रतिशत अधिभार लगाने से, 60,000 रु. से 1.5 लाख रु. के बीच की आय हेतु प्रभावी दर 22.4 प्रतिशत होगी तथा 1.5 लाख रु. से ऊपर यह 38.1 प्रतिशत होगी। निगमित करके मामले में यह 39.55 प्रतिशत होगी।

60,000 रु. से 1.5 लाख रु. के बीच व्यक्तिगत आयकर पर 360 रु. का अतिरिक्त वार्षिक भार होगा जिसका भुगतान दो मासिक किश्तों में किया जायेगा तथा 1.5 लाख रु. से ऊपर व्यक्तिगत आयकर पर प्रत्येक अतिरिक्त 10,000 रु. पर यह 60 रु. होगी। इससे 1500 करोड़ रु. का राजस्व अर्जन होगा। यह श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा उल्लेख किए गए 1.3 करोड़ रु. नहीं है।

मैं खुश हूँ तथा माननीय वित्त मंत्री का पूरी तरह समर्थन करता हूँ जो यह अध्यादेश लाये हैं। 26 जनवरी को यह भयंकर भूकंप आया। संसद का सत्र लगभग एक माह दूर था। माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार को अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए और एक माह का इंतजार करना चाहिए था। मैं उनका दृष्टिकोण नहीं समझ पाया। यह सरकार की तरफ से उठाया गया अच्छा कदम था कि उन्होंने औपचारिकताएं पूरा करने का इंतजार नहीं किया तथा उन्होंने तुरन्त अध्यादेश की उद्घोषणा कर दी ताकि अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकें।

अब, भारत तथा विदेशों से भूकंप पीड़ितों को मिलने वाली सभी दानों पर 100% कर राहत मिलेगी। इस्पात, सीमेंट, कंबल तथा टेंट सहित सभी राहत एवं पुनर्वास के उद्देश्य वाली घरेलू उद्योगों द्वारा किसी भी सामग्री पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। राहत तथा पुनर्वास उपायों हेतु आयातित निर्माण सामग्रियों सहित सभी सामग्रियों को सीमा शुल्क से छूट मिलेगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूँ कि गुजरात भूकंप पीड़ितों हेतु उन्हें केवल 2 प्रतिशत कर ही नहीं लगाना था वरन् अतिरिक्त संसाधनों हेतु कुछ अन्य उपाय भी करने थे। मेरे विचार में यह दो प्रतिशत अतिरिक्त कर का देश की अर्थव्यवस्था या बाजार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं दो या तीन सुझाव देना चाहूँगा। लातूर का उदाहरण लें। कई वर्ष पूर्व जब वहां भयंकर भूकंप आया तब वहाँ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहायता भेजी गई तथा लातूर में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। वहाँ पर अधिक सामग्री से समस्या पैदा हो गई। मेरे विचार में यही गुजरात में होने जा रहा है। मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि गुजरातियों को स्वादिष्ट कंद-मूल के सूप तथा डेनिस मोजना तथा मांस एवं सीरा में डूबे हुए अन्नानास के टुकड़ों की आपूर्ति की जा रही है। जबकि गुजराती लोग चावल, दाल, कढ़ी, भुजिया तथा इसी प्रकार की अन्य चीजें पसंद करते हैं, ऐसी सूचना मिली है कि उन्हें सैलोग का कॉर्न फ्लेक्स दिया गया है। अधिकांश लोग नहीं जानते थे कि टिन में बन्द वस्तुओं पर क्या लिखा था। टिन में बन्द वस्तुएं कई देशों से मंगाई गई थी तथा विवरण डेनिस, फ्रेन्च तथा अरबी में लिखी थी। मेरे कहने का मतलब है कि चीजों का उचित उपयोग होना चाहिए। विपुलता की समस्या नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों के पास घरों में 20 कम्बल हों तथा उन्हें काले बाजार में बेचा जाये जैसा कि लातूर में हुआ।

भविष्य में भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, हम किस प्रकार कमी को पूरा करेंगे? क्या हम हर बार कर लगाये जायेंगे

[श्री खारवेल स्वाइं]

जब-जब प्राकृतिक विभीषिका आएगी? यह दो प्रतिशत कर लगाने से उड़ीसा में वेमनस्य बहुत ज्यादा हो गया है।

अब उड़ीसा के लोग यह अनुभव करते हैं कि केन्द्र सरकार ने उड़ीसा राज्य के साथ भेदभाव किया है क्योंकि डेढ़ साल पहले जब उड़ीसा में उच्च तीव्रता वाली प्राकृतिक आपदा आई थी तब भारत सरकार ने कोई कर नहीं लगाया था परन्तु जब गुजरात में ऐसा हुआ तब भारत सरकार ने 2 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार लगाया। इसलिए वह सोचते हैं कि उनकी उपेक्षा की गई है। यद्यपि मैं भी उसी पार्टी से हूँ जिससे माननीय वित्त मंत्री हैं, फिर भी मैं उनसे अपील करूँगा कि वे उड़ीसा के लोगों की गलतफहमी को दूर करें।

अंत में, मुझे खुशी है कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति गठित की है। मैं यह आग्रह करूंगा कि आंध्र प्रदेश की ही तरह केन्द्र स्तर पर एक और समिति बनाई जाए जो किसी राज्य में किसी बड़ी तीव्रता वाले प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, श्री स्वेन ने इस बिल का समर्थन किया और कहा कि सरकार ने आर्डिनैंस लाकर बहुत अच्छा काम किया है। सदन कब आहूत हुआ-19 फरवरी से सदन शुरू हुआ है और 21 दिन पहले सदन आहूत हो जाता है मतलब एक तारीख से पहले राष्ट्रपति द्वारा सदन की शुरूआत की घोषणा कर दी गई। यह 3 फरवरी का आर्डिनैंस लाए हैं। कोई सभ्य सरकार इस तरह व्यवहार करे कि सदन आहूत होने के बाद आर्डिनैंस लागू कर दे, 15-16 दिन तक सदन की प्रतीक्षा न करे, कौन सी अफरा-तफरी थी, हम इस संबंध में सरकार से जवाब चाहते हैं।

टैक्स बढ़ाने वाला और टैक्स बढ़ने वाला प्रपोजल आर्डिनैंस से हो, यह किसी सभ्य सरकार को शोभा नहीं देता।

जिस समय भूकम्प आया, अफरा-तफरी हुई, तबाही मची, विपत्ति आई, वित्त मंत्री बराबर दावा करते रहे कि हमारा वित्त बहुत दुरूस्त है, वित्त विधेयक की हालत बहुत दुरूस्त है लेकिन इनका विभाग एक भी धक्का नहीं सह सका। इन्होंने उस समय बयान दिया है कि हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, विपत्ति का मुकाबला बिना टैक्स लगाए करेंगे। प्रधानमंत्री जी को वित्त विभाग का इनसे ज्यादा ज्ञान है या इनको वित्त का ज्यादा ज्ञान है, प्रधान मंत्री जी ने बयान किया कि बिना टैक्स बढ़ाए काम नहीं चलेगा। सदन को किस तरह धोखा-धड़ी में रखने का काम हो रहा है। प्रधान मंत्री का बयान कुछ और वित्त मंत्री का बयान कुछ और है। ममता जी ने बयान दिया कि हम भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे। प्रधान मंत्री ने उस समय बयान दिया था कि भाड़ा बढ़ाए बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जिदबाजी में ममता जी जीत गई और उन्होंने रेल का भाड़ा नहीं बढ़ाया। प्रधान मंत्री जी ने जो बयान दिया, उसका खंडन हो गया। लेकिन इसमें वित्त मंत्री जी ने जो बयान दिया कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही मुकाबला कर लेंगे, इनका खंडन हो गया और प्रधान मंत्री जी का बयान लागू करने के लिए यह बिल ले आए। हम कैसे इसका समर्थन करें। मौका पाकर कि गुजरात में भूकम्प है, इतनी बर्बादी हुई, इसमें कोई नहीं बोलेगा, टैक्स बढ़ा दो। यह आपका चुस्त-दुरूस्त वित्त विभाग है कि आप प्राकृतिक आपदा का एक धक्का नहीं सह सकते और आपको टैक्स बढ़ाना पड़ा। यदि भूकम्प पीड़ितों की सहायता करनी है, श्री स्वेन चले गए, उड़ीसा में दस हजार करोड़ रुपये की बर्बादी हुई थी और मदद पचास करोड़ रुपये की थी।

इनकी 20,000 करोड़ रुपये की बर्बादी हुई तो मदद 500 करोड़ रुपये की दी गई। अखबारों ने लिखा कि प्रधान मंत्री ने खजाना खोल दिया। इस देश में फैडरल स्ट्रक्चर है, केन्द्र सरकार से सब के साथ न्याय होता है, देश के हर हिस्से के साथ सम्यक दृष्टि रखी जाती है। इससे भी हमें लगता है कि भेदभाव होता है, कर लगाने में भी भेदभाव होता है। अब तो आफत है, अब इन्होंने पाले पटक दिये कि हमारे पास टैक्स बढ़ाने के सिवा कोई उपाय नहीं तो हम लोग कैसे कहें कि टैक्स मत बढ़ाइये, गुजरात की त्राहि-त्राहि करती पीड़ित जनता इसी तरह छोड़ दिया जाये। हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, इसलिए इसको जो ये आर्डिनैंस में ले आये हैं, इसको डांट-फटकार करके पास करने के अलावा सदन के पास क्या उपाय है, कोई उपाय नहीं है। इस परिस्थिति में इन्होंने पाले पटक दिये कि टैक्स बढ़ाये बिना कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो टैक्स देने वाले लोग हैं, उन पर टैक्स बढ़ाया जाये और जो टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं, उनसे टैक्स वसूल न करें, इसमें भी सरकार की आलोचना करना चाहता हूं। 52,000 करोड़ रुपया बड़े आदमियों पर इन्कम टैक्स बकाया है...*(व्यवधान)* वह बढ़कर 62,000 करोड़ रुपये हो गया, चक्रवर्ती साहब रिकार्ड बताते हैं। उसको कड़ाई से वसूल कर लें, लेकिन उससे आपूर्ति नहीं कर सकते। एन.पी.ए. में भी इनका 62,000 करोड़ रुपया हो गया होगा। उस समय 58,000 करोड़ रुपये था, अब वह भी 62,000 करोड़ रुपये हो गया होगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने दावा किया कि हमने 800 करोड़ रुपया वसूल कर दिया। इनका जो 62,000 करोड़ रुपये डूबा हुआ है, उसमें से ये कहते हैं कि 800 करोड़ रुपये हमने वसूल कर लिया। आप बहुत वाहवाही लूट रहे हैं कि बहुत बढ़िया बजट बनाया है।

हमारा सरकार को सुझाव है कि फिजूलखर्ची को कम करके भी आफत से मुकाबला किया जा सकता है। फिजूलखर्ची में आपने

क्या किया, कहते हैं कि हम अपने विभाग में सैक्रेटरीज की संख्या घटा रहे हैं। क्या फिजूलखर्ची का यही मैय्यर है? आपके मंत्री सरकारी खर्चे पर अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन निकालते हैं, क्या वह आपको फिजूलखर्ची नहीं लगती है? वे करोड़ों रुपया उसमें झोंक रहे हैं। उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। हम इस बार हिसाब खोजेंगे कि एक-एक विभाग में कितने करोड़ रुपये ये लोग आडम्बर दिखाकर खर्च कर रहे हैं। आप उसको रोकने का काम नहीं करते। यह गरीब देश है। ये गरीबी के चलते कहते हैं कि आफत आई तो हम टैक्स पेयर पर टैक्स लगाएंगे। हम कड़ाई करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, हम उससे ज्यादा पैसा लेंगे, लेकिन फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का इनकी तरफ से कोई उपाय नहीं हो रहा है। लोगों की इनके साथ कैसे सहानुभूति होगी कि यह सरकार ठीक है। इसलिए ये तमाम सवाल हैं कि इस देश में विपदा का मुकाबला करने के लिए स्थाई व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे इनको बराबर टैक्स बढ़ाने का मौका नहीं मिला, सरचार्ज बढ़ाने का मौका नहीं मिला, इसका प्रबन्ध होना चाहिए और देश की जनता पर कर का भार कम होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): सभापति महोदय, आपदा के बाद शीघ्र इस अध्यादेश को लाने के लिए हमें माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं।

इस मामले में न केवल इस देश ने वरन् पूरे विश्व ने प्रतिक्रिया दिखलाई है। यह सुनिश्चित करना हम सबका कर्तव्य है कि हम इस प्रयोजनार्थ अपनी सहानुभूति व्यक्त करें और अपना योगदान दें। इस दो प्रतिशत कर से कुछ हद तक सहायता मिलेगी।

महोदय, ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया है कि हम किसी राष्ट्रीय आपदा में कोई अस्थाई कर लगा ही सकते हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस प्रयोजनार्थ हमारे पास कोई स्थायी प्रकार का कर हो सकता है। क्योंकि ऐसा नियमित रूप से होता है।

किसी ने सरकार पर आज यह दोषारोपण किया है कि उड़ीसा का उचित ध्यान नहीं रखा गया। मैं जानता हूं कि ऐसे राज्य हैं जहां चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखे आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती हैं तथा हमें विदेशों की सहायता के बिना ही उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। उन्हें उचित सहायता तथा उचित समर्थन देना हमारी जिम्मेवारी है।

उन्होंने यह भी कहा है कि इतने दान की सौ प्रतिशत छूट दी जायेगी। आज वर्तमान परिस्थितियों में, यदि हम दान के लिए 100 प्रतिशत छूट की बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि सरकार का योगदान 30 प्रतिशत है, तथा योगदान देने वाले का अंश 70 प्रतिशत है। मैं अनुभव करता हूं कि आप इसे 120 प्रतिशत कर सकते हैं ताकि काफी लोग ऐसे होंगे जो मदद करने के लिए आगे आऐंगे क्योंकि इस प्रकार की आपदा के लिए और ज्यादा सहायता की आवश्यकता है। आज, अनुसंधान और विकास हेतु, हम कुछ विशेष छूट दे रहे हैं यहां तक कि 150% तक दे रहे है। यह ऐसा मामला है जहां हमें और ज्यादा लोगों को और ज्यादा रूचि के साथ आगे लाने की आवश्यकता है तथा वे इस प्रकार की सहायता देने के लिए आगे आऐंगे तथा सहायता देंगे।

अन्य सदस्यों ने भी उन विभिन्न सहायताओं का उल्लेख किया है कि जो निर्माण कार्य के लिए दी गई हैं। गुजरात को सीमेंट तथा अन्य चीजें देने वालों की उत्पाद शुल्क तथा विदेश से अंशदान देने वालों की सीमाशुल्क में छूट दी गई है। ये सभी कदम उन लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए उठाए गए हैं जो आगे आते हैं तथा इस प्रकार की आपदा में सहायता प्रदान करते हैं।

कुछ लोगों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है जिस तरह कि यह चलाई जा रही है। मेरे अनुसार सहायता राशि के उपयोग की निगरानी तथा मार्ग निर्देशन के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई जानी चाहिए। यह सबसे अच्छा तरीका है ताकि कोई किसी पर दोषारोपण न कर सके, कोई किसी पर शक न कर सके तथा कोई किसी से कुछ नहीं कह सके।

चक्रवात के मामलों में हम अग्रिम उपग्रह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम चक्रवात रोकने में सफल न हों लेकिन कम से कम चक्रवात के संबंध में अग्रिम सूचना हमें कुछ हद तक सावधानियां बरतने के लिए समय दे सकती हैं। लेकिन भूकंप के मामले में कोई व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। सबकुछ एक मिनट से कम समय में हो जाता है। लोग हमेशा दोष देते हैं। दोष देना आसान है लेकिन ऐसा कहना काफी कठिन है कि क्या घटित होने वाला है। हमें किसी ऐसी तंत्र या प्रणाली की आवश्यकता है जिसके आधार पर हम भूकंप के संबंध में भविष्यवाणी या पुर्वानुमान लगा सकें। मेरा यह भी मानना है कि जापान से इस प्रकार की सहायता ली जा सकती है क्योंकि जापान भूकंप प्रवण क्षेत्र है। वे इसे वर्दास्त करते रहे हैं और पुनरुद्धार करते रहे हैं। उस प्रकार की प्रौद्योगिकी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हमें उस प्रकार की सहायता मिल सकती है ताकि हम जो भी व्यय कर रहे हैं वह भविष्य के लिए समुचित रूप से की जाय तथा जरूरतमंद लोगों के लिए हम सहायता पहुंचा रहे हैं।

इस अवसर पर, मैं यह बताना चाहूंगा कि रामकृष्ण मिशन तथा अन्य संगठनों जैसी धमार्थ संस्थाएं हैं जो सचमुच में अच्छी सेवाएं कर रही है। मैं जानता हूं कि कुछ स्थानों पर उनकी सेवाएं वास्तव में काफी प्रशंसनीय हैं। हम इस प्रकार की आपदाओं हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

[डा. बी.बी. रमैया]

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रामकृष्ण मिशन तथा कुछ अन्य संगठनों को छूट देने हेतु कोई प्रावधान हैं लेकिन समाचार पत्र दान एकत्र कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में, आपको कुछ इन संगठनों को भी पहचानना चाहिए जो वास्तव में आश्चर्यजनक सेवा प्रदान कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री इन चीजों पर विचार करेंगे।

यह अध्यादेश सराहनीय कदम है जिसे उचित समय पर लाया गया है तथा यह महान सभा इस विधेयक को अवश्य पारित करे।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैंने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में ही उन कारणों को बताया जिसके चलते सरकार को इस प्रकार का अध्यादेश लाना पड़ा तथा इसकी क्या तात्कालिकता थी। यह सही है कि संसद की दोनों सभाओं को समवेत करने की अधिसूचना 31 जनवरी को जारी की गई तथा यह अध्यादेश 3 फरवरी को प्रस्थापित किया गया था। यह काफी अस्वाभाविक है तथा मैं केवल इतना कहूंगा कि यदि दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वाभाविक घटना नहीं घटी होती तो सरकार ने इस प्रकार का रास्ता नहीं अपनाया होता।

मुझे इस संबंध में संविधान की परंपरा का भी ज्ञान है। अतएव, मैं सरकार की तरफ से कहना चाहूंगा कि विवादित और असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर सरकार का अध्यादेश जारी करने की कोई ईच्छा नहीं है तब और भी नहीं जब संसदीय सत्र को समवेत करने की सूचना जारी कर दी गई हो। हम ससंद के सत्र का इंतजार इसलिए नहीं कर सके क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। वे सभी जो प्रत्यक्ष कर देते हैं—आयकर तथा निगमित कर सहित—वे अब देना शुरू करेंगे। यदि हमने संसदीय सत्र का इंतजार किया होता तथा एक विधेयक लाए होते तो उम्मीद यह होती कि हम न केवल वे पैसे जो हम एकत्र कर पाए एकत्र नहीं कर पाते तथा करदाताओं को दी जाने वाली सूचना इतनी अल्पकालिक होती इतनी अपर्याप्त होती कि उन्हें काफी कठिनाई होती। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि हम अध्यादेश का रास्ता अपनाते हुए गुजरात में राहत कार्य तथा पुनर्वास हेतु कोशिश करें तथा पैसा एकत्र करें।

अन्य मामले उठाए गए हैं। मैं उनमें नहीं जाऊंगा कि इस सभा, दूसरी सभा की तरह, ने गुजरात में राहत एवं निर्माण कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा की है। प्रधान मंत्री तथा मेरे सहयोगी कृषि मंत्री ने उठाए गए मुद्दों का पर्याप्त उत्तर दिया। इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं सभा का समय लेकर उन मामलों को दुहराऊं।

लेकिन मैं एक या दो महत्वपूर्ण मामलों को छूना चाहूंगा जो उठाए गए हैं। माननीय सदस्य, श्री अजय चक्रवर्ती ने इस अध्यादेश तथा विधेयक का इस आधार पर विरोध किया है कि हम बकाया एकत्र नहीं कर रहे हैं तथा यदि शायद आयकर का बकाया एकत्र किया जाता तो ऐसे विधान की कोई आवश्यकता नहीं होती। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी इसका उल्लेख किया है। इसका सबसे आसान उत्तर है कि इस राशि का प्रत्येक रुपया इनकी प्रत्येक मांग किसी न किसी स्तर पर कानूनी दांव-पेंच के अन्तर्गत है। उद्धृत की गई 62,000 करोड़ रु. की राशि काफी प्रभावी लगती है। अतएव, जब तक कि हमारे पास दूसरे प्रकार की सरकार न हो जो बंदूक लेकर जो भी चाहे एकत्र कर ले एक प्रजातंत्र में कानून के शासन के अंतर्गत हमने कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। तथा उस कानूनी प्रक्रिया के लिए मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकार, विशेषरूप से मेरा मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है कि कर वंचन या कर बचाने वाला कोई भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही से बच न जाए। हम इसे देख रहे हैं। अतएव, हम इस आशा में गुजरात के लोगों को राहत देने का इंतजार नहीं कर सकते थे कि बकाया कर किसी दिन एकत्र कर लिए जाएंगे।

जहां तक रमेश चेन्नित्तला द्वारा उठाए गए मुद्दों का संबंध है, मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि इस अधिभार के अंतर्गत या इसके माध्यम से एकत्रित किये गये प्रत्येक रुपये का लेखा-जोखा रखा जायेगा। आयकर विभाग में सभी अधिभार का अलग से लेखा-जोखा रखा जाता है। हम यह जानेंगे कि हमने कितना पैसा एकत्र किया है। चूंकि यह पैसा गुजरात के भूकंप पीड़ितों की राहत तथा पुनर्वास के लिए एकत्र किया जाता है जब मैं संसद में अपने लेखे के साथ आऊंगा तब यह काफी पारदर्शी होगा। हम यह सिद्ध कर पाएंगे कि पैसे किस तरह से खर्च किए गए। वास्तव में सरकार ने कर का रास्ता क्यों अपनाया?

वास्तव में, यदि माननीय सदस्य याद करें तो संसद के पिछले सत्र में ही मैं वित्त अधिनियम के दूसरे संशोधन के साथ आया था तथा मैंने सभा को एक प्रतिशत उपकर लगाने की अनुमति देने की बात कही थी। वह एक प्रतिशत की राष्ट्रीय आपदा निधि के लिए थी जिसे हमने बढ़ाया था ताकि हम अन्य राज्यों में विभिन्न आपदाओं से निबट सकें।

वास्तव में, गुजरात एक अपवाद था तथा मैं अपने सहयोगी श्री खारबेल स्वाइं को सूचित करना चाहूंगा कि जब उड़ीसा में महाचक्रवात आया था तब ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई यह व्यवस्था नहीं थी। लेकिन तब भी हम उड़ीसा को राहत कार्य हेतु 878 करोड़ रु. उपलब्ध कराने में सफल हुए; आठ करोड़ रु. सीधे तब दी जानी जाने वाली राष्ट्रीय आपदा निधि से गई थी तथा

[हिन्दी]

रघुवंश प्रसाद जी इस बात को नोट कर लें वह राशि 50 करोड़ रु. नहीं थी, 825 करोड़ रु. है, जो उड़ीसा को भारत सरकार के खाते से दी गई। इसके अलावा, उड़ीसा के लिए वर्ल्ड बैंक से भारत सरकार ने बात की थी और 100 मिलियन डालर यानि 450 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए, उड़ीसा के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा जो हमें केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध करानी थी वह योजना आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गई है।

[अनुवाद]

हमने उड़ीसा सरकार को कहा था कि राहत तथा पुनर्वास कार्य के लिए धनराशि अड़चन नहीं होगी। ऐसा कुछ भी अस्वाभाविक नहीं था जो हमने उड़ीसा सरकार के साथ किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री से बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि वह यह नहीं देखें कि पैसा कहां से आ रहा है, वरन् पैसे को खर्च करें क्योंकि हमने भारतीय रिजर्व बैंक को कहा था—जैसा कि हमने गुजरात के मामले में किया—कि तौर-तरीके की सीमा नहीं लगाई जायेगी तथा कि उड़ीसा सरकार—जैसा कि अब गुजरात सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी राहत कार्य हेतु कितना भी पैसा निकाल सकते हैं।

अतएव ऋण कटौती के अलावा हमने उड़ीसा सरकार से ऋण की वसूली स्थगित कर दी। वह राशि 547 करोड़ रु. थी जिस पर 6 माह के लिए रोक लगा दी गई। ग्रेट ब्रिटेन की फॉरेन इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड विभाग 75 करोड़ रु. उपलब्ध कराये गए थे।

अतएव यह कहना उचित नहीं होगा कि उड़ीसा के साथ भेदभाव किया गया। मुझे मालूम है कि व्यथा या दुख की तुलना नहीं की जा सकती है।

हमें शायद इस प्रकार की बातों से ईमानदारी से बचना चाहिए मगर चूंकि श्री खारबेल स्वाइं द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है, मैं इन तथ्यों को माननीय सभा को बताने को मजबूर हूं।

हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे खुशी है कि बजट पेश करने के बाद यह अध्यादेश लाया जा रहा है क्योंकि मैंने अगले वर्ष के लिए भी अधिभार को जारी रखा है। इस वर्ष हमें आशा है कि हमें करीब 1300 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। हमें आशा है कि इस निधि के अंतर्गत पृथक रूप से 1300 करोड़ रुपये से 1400 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि राष्ट्रीय आपदा कोष के लिए निधि जुटाने के लिए बजट में मैं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर एक प्रतिशत शुल्क लगा रहा हूं। मैंने 500 करोड़ रुपये अलग रखे थे—इस एक प्रतिशत शुल्क से 350 करोड़ रुपये जुटाए थे। भारत सरकार द्वारा 850 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। हालांकि ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत सम्पूर्ण व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। राज्यों के आपदा राहत कोष को 6000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है और ग्यारहवें वित्त आयोग ने आपदाओं, जो दुर्भाग्यवश राज्यों को सामना करना होता है, से निपटने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी है। मगर इस वर्ष हमने 850 करोड़ रुपये जुटाए और इसे जरूरतमंद राज्यों को उपलब्ध कराया।

गुजरात का भूकंप हम सभी के लिए सदमा था। गुजरात की त्रासदी अब तक की सबसे बड़ी थी और इसलिए सरकार ने अपने विवेक से दो प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार लगाने का निर्णय लिया। हम इसे अगले वर्ष भी जारी रखेंगे। यह पैसा राहत तथा पुनर्वास कार्य के लिए गुजरात सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा।

महोदय, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को पुनः यह बताते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो माननीय प्रधान मंत्री ने कहा और जो मैंने कहा उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हमने माननीय प्रधान मंत्री के साथ बिल्कुल ही भिन्न संदर्भ में बैठक की थी। मगर चूंकि बैठक 26 जनवरी के बाद गुजरात भूकंप के पश्चात हुई थी मीडिया ने अनुमान लगाया कि हमने बैठक कोई अधिभार लगाने के लिए की थी। जब मीडिया ने मेरे से पूछा तो मैंने कहा, "मैं अटकल बाजी पर टिप्पणी नहीं करूंगा"

[हिन्दी]

आपने जो बात इतनी लच्छेदार भाषा में कही कि मैंने प्रैस को क्या कहा। रघुवंश बाबू, मैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूं और जिम्मेदारी के साथ हर जगह बोलता हूं। वैसा मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि यह आपका स्पेकुलेशन है, इस पर मुझे तत्काल कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मीडिया ने जो स्पेकुलेशन किया है में उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उसे मीडिया ने इस तरह रखा, जैसे कि हमने टैक्स लगाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद सरकार ने फैसला किया और उसके बाद यह टैक्स लगा है, इसलिए इसमें कोई कांट्राडिक्शन नहीं है।

महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो गुजरात की भूकम्प से प्रभावित जनता है, उसके पुनर्वास के लिए, उसे राहत पहुंचाने के लिए हमने यह कदम उठाया है और उस रास्ते उठाया है जो रास्ता 11वें फाइनेंस कमीशन ने हमारे लिए तय किया है, यह एक आवश्यक कदम था। मैं सदन के सारे माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को हम बिना किसी विवाद के पास करें।

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): सभापति महोदय, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वो इसे दो वर्ष तीन वर्ष या कब तक जारी रखेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं।

श्री अजय चक्रवर्ती: वे इसके प्रस्तुतकर्ता हैं।

...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, दो स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

यह चालू वर्ष, जो 31 मार्च को समाप्त होगा, से संबंधित है। जहां तक अगले वर्ष का संबंध है वह प्रावधान पहले ही वित्त विधेयक में शामिल किया गया है, और जब हम वित्त विधेयक पर बहस करेंगे तो हम इस मुद्दे को भी उठाएंगे।

जहां तक राज्यों के लिए आपदा राहत कोष का संबंध है ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि हम 75 प्रतिशत तथा राज्य केवल 25 प्रतिशत का योगदान देंगे। यह राष्ट्रीय आपदा के मामले में केन्द्र के अंशदान के अलावा है।

एक और स्पष्टीकरण है जो श्री किरीट सोमैया ने मांगा है। मैं कहना चाहूंगा कि आयकर अधिनियम में दो प्रावधान हैं। एक वह है जो धर्मार्थ न्यासों की आय पर छूट प्रदान करता है, अर्थात 10 (23 सी) तथा धारा 11 के तहत। दूसरा प्रावधान है 80 जी जिसके तहत उस न्यास को दिया गया अंशदान आयकर से मुक्त है। अत: दो विभिन्न मामले हैं—न्यास की आय, न्यास को दिया गया अंशदान तथा उन पर छूट। हम यहां यह करने का प्रयास कर रहें हैं जैसा कि श्री रमेश चेन्नितला द्वारा सही कहा गया है, कि आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत शत-प्रतिशत छूट की अनुमति होगी।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व): आयकर अधिनियम की धारा 10 एवं 11 के अन्तर्गत पंजीकृत शैक्षिक तथा चिकित्सा संस्थाओं को अनुमति नहीं होगी। इसीलिए मैं यह स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: जी नहीं, यह लाभ पाने के लिए शैक्षिक तथा चिकित्सा संस्थाओं धारा 80 जी के अन्तर्गत पंजीकरण कराना होगा।...*(व्यवधान)* हमें इस संबंध में सावधानी बरतनी होगी। जैसा कि इस सभा में बताया गया है अनेक कोष स्थापित किए गए हैं। वे पैसा संग्रह कर रहे हैं। इसमें से कुछ पैसे का दुरूपयोग होने का खतरा है। मगर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत वो सभी कोष भी यदि धारा 80 जी के तहत आयकर आयुक्त से अनुमति लेते हैं, तथा जो अंशदान करते हैं तो वो आयकर अधिनियम के अंतर्गत इस छूट के पात्र होगें।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैं इस विधेयक के उद्देश्यों से सहमत हूं। हम सब जानते हैं कि गुजरात के लोग काफी मुसीबत में हैं। हम गुजरात का तत्काल पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैंने सरकार के तरीके तथा प्रक्रिया पर आपत्ति की है। दूसरा सरकार कामगार वर्ग तथा मध्यम वर्ग बेतन भोगी लोगों के प्रति मंत्री ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया चूककर्ताओं के विरुद्ध कठोर कदम उठाएं। उनमें से अधिकतर बड़े व्यवसायिक घराने हैं। वो बड़े व्यवसायिक घरानों के तथा व्यक्तियों के नाम जानते हैं जो भारी राशि के चूककर्ता हैं। अत: चूककर्ताओं से पैसा संग्रह करने के लिए उन्हें कठोर कदम उठाने चाहिए। यह गुजरात के लोगों के लिए बहुत सहायक होगा।

मंत्री महोदय, पश्चिम बंगाल के लोगों पर भी बहुत कठोर रहे हैं। खैर, गुजरात के लोगों की खातिर मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति महोदय: क्या सांविधिक संकल्प वापस लेने के लिए माननीय सदस्य को सभा की अनुमति है?

सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्त अधिनियम, 2000 तथा आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड वार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 9 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: अब मंत्री प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.48 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

तालिबान का अफगानिस्तान में बौद्ध अवशेषों को नष्ट करने का अभियान

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह वक्तव्य देंगे।

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): सार्वभौम चिंता के चलते और कुछ ऐसे कदम उठाये जाने के विरुद्ध विरोधों और चेतावनियों के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि तालिबान, बामियान में बुद्ध की अनुपम और अद्वितीय मूर्तिंवों को नष्ट करके समस्त मानव समाज की सभ्यतामूलक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति गंभीर अपराध, जो वास्तम में मानवता के प्रति द्रोह है,करने पर आमदा है। यह दुख की बात है कि इस कार्य के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध के बावजूद अफगानिस्तान की मूर्तियों, कलाकृतियों और पुरातात्विक धरोहरों को नष्ट किये जाने के अनेक अन्य कृत्यों में सबसे अधिक बर्बरतापूर्ण यह कृत्य किया जा रहा है।

अपराह्न 2.49 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

मध्यकालीन बर्बरता में वापसी की यह स्थिति ठीक वही है जिसके बारे में अन्य देशों के साथ मिलकर भारत लंबे समय से विश्व को चेतावनी देता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एकमत से तालिबान के ऐसे सैद्धांतिक दृष्टिकोणों की निंदा की है और उन्हें अस्वीकार किया है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और मानवाधिकारों के उल्लंघन, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति, के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहे तालिबान क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी रहे हैं।

इतने विलंब के बाद भी हम यह कहना चाहेंगे कि मानव समाज की सांस्कृतिक धरोहर की इन अमूल्य अभिव्यक्तियों के निवाश को रोका जाना चाहिए। यदि तालिबान इस धरोहर को अपने पास नहीं रखना चाहता तो भारत को इन सभी कलाकृतियों को भारत में लाये जाने की व्यवस्था करने में प्रसन्नता होगी, जहां कि इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा और समस्त मानव-समाज के लिए पूर्ण जानकारी और इस स्पष्ट समझ के साथ संरक्षित रखा जाएगा कि ये कृतियां सबसे पहले अफगानिस्तान के लोगों की ही धरोहर हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा दूसरी सभा में दिए गए वक्तव्य के मद्देनजर, जिसे दूसरी सभा के सर्वसम्मति से स्वीकार किया, इसे इस सभा द्वारा इसी प्रकार अपनाए जाने के लिए निर्णय आपको लेना है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, मैं अफगानिस्तान में जारी मध्ययुगीन कला विध्वंस कार्यक्रम के विरुद्ध चिंता व्यक्त करने खड़ा हूं। हमारे विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का मैं पूर्णत: समर्थन करता हूं। मध्ययुगीन बर्बरता के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि विश्व की सबसे लंबी मूर्ति सहित भगवान बुद्ध की सभी मूर्तियां नष्ट हो जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी, सभा की ओर से मैं एक संकल्प पेश करता हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं संकल्प पेश करने का आप से अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 2.52 बजे

अफगानिस्तान में बामियान में बुद्ध की प्रतिमाओं तथा बौद्ध पूजा स्थलों को नष्ट करने के सुनियोजित कार्य की भर्त्सना के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य मैं इस संबंध में यह संकल्प सभा के समक्ष पेश करता हूं।

"आज इस नयी सहस्त्राब्दि में, जब कि सभी सभ्यताएं संवाद और समान आदर्शों के जरिये एक दूसरे के समीप आ रही हैं, हम मानव संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध धार्मिक कट्टरवाद और आकंतवाद के जानबूझकर किये जाने वाले कृत्यों के संबंध में तालिबान की घोषणाओं से स्तब्ध हैं। उन्होंने मानव सृजनशीलता के महानतम स्मारकों में से एक स्मारक को नष्ट करने के लिए टैंकों और बन्दूकों का प्रयोग किया है। बमियान में बुद्ध की दो हजार वर्ष पुरानी प्रतिमाओं और बौद्ध पूजा

स्थलों को नष्ट करने की यह मंशा सांस्कृतिक कलाकृतियों के ध्वंस का एक चकित कर देने वाला कृत्य है।

यह सभा अफगानिस्तान में तालिबान की इस बर्बरता और सभ्यता विरोधी मंशा की कड़े से कड़े शब्दों में सर्वसम्मति से भर्त्सना करती है। हम आशा करते हैं कि विश्व समुदाय और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र इस पर ध्यान देगा और अफगानिस्तान में तालिबान पर इस विवेकहीन विनाशकारी कृत्य से बाज आने के लिए दबाव डालेगा''।

मैं यह मानता हूं कि संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.54 बजे

विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 13 पर विचार करेंगे। इस विधेयक पर चर्चा के लिए सभा को समय नियत करना है क्योंकि समय नियत नहीं किया गया है।

क्या हम एक घंटा नियत करें?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

[हिन्दी]

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने रेगुलेटरी कमीशन 1998 को पारित किया था। इसके तहत कानून में ऐसे प्रावधान थे जिससे हर राज्य को रैगुलेटरी कमीशन का गठन करना था। इसके बाद कई राज्यों ने इस तरह के रैगुलेटरी कमीशन का गठन किया।

ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने अपने खुद के कानून पारित करके इस इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन का गठन किया है। केन्द्र सरकार के पास ऐसे कई राज्यों के रिप्रेजेंटेशन्स आये हैं जिसमें कहा गया है कि कई ऐसे छोटे राज्य हैं जिनके लिये रैगुलेटरी कमीशन बनाना आप्रेशनली ज्यादा इफैक्टिव नहीं होगा। इसलिये, इस बात को ध्यान में रखते हुये हमने इस तरह का कानून लाने का निर्णय किया है जिसमें एक से ज्यादा छोटे राज्यों के लिये जाइंट रैगुलेटरी कमीशन का गठन करना संभव होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिल को पहले स्टैंडिंग कमेटी को रैफर किया था और उसने अपनी रिकमैंडेशन्स दे दी हैं जिन्हें इस बिल में सम्मिलित करके इस बिल को सुधार करके सदन में लाये हैं। मेरी सदन से प्रार्थना है कि जिस तरह पहले इस बिल को पारित किया था, उसी तरह इस बिल को भी पारित किया जाये ताकि एक से ज्यादा छोटे राज्यों के लिये यह रैगुलेटरी कमीशन का गठन करना सम्भव हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

''कि विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, मैं केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों में संशोधन करने वाले प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विद्युत विनियामक आयोग विधेयक 1998 में अधिनियम बना। इस विधेयक की भूमिका बहुत समिति है। विधेयक में छोटे राज्यों के संबंध में नहीं सोचा गया था जो राज्य विद्युत विनियामक आयोग स्थापित करने की स्थिति में नहीं थे। क्योंकि प्रत्येक राज्य में विद्युत विनियामक आयोग के पास भवन, एक आयोग तथा अन्य साज-सामान जैसी अन्य कई चीजें होनी चाहिए। एक छोटे राज्य के लिए इस पर इतना पैसा व्यय करना बहुत मुश्किल है। विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य इस पर इतना पैसा व्यय करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए यह विधेयक पेश किया गया है और मैं तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं।

मेरे विचार से केन्द्रीय तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यकरण के अध्ययन का हमारे लिए यह अवसर भी है। यह विधेयक सही है। इस विधेयक में छोटी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि यदि पांच पूर्वोत्तर राज्य एक साझा राज्य विद्युत विनियामक आयोग चाहते हैं तो इसका अध्यक्ष कौन होगा आदि। बारी-बारी से इसके एक सदस्य को अध्यक्ष होना होगा। इससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इससे छोटी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं जैसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा आदि उन्हें यह निर्णय लेना होगा। अगर वो इस पर सौहार्दपूर्वक निर्णय लेते हैं तो मेरे विचार से किसी को भी इस संबंध में कोई समस्या नहीं होगी। इसमें केवल तीन सदस्य हैं।

यदि पांच राज्यों से तीन सदस्य होंगे तो उन्हें यह निर्णय लेने में समस्या हो सकती है कि कौन सदस्य होगा और कौन नहीं यह उन पर छोड़ दिया गया है और वो इसे सर्वसम्मति से सुलझा लेंगे। तथापि, मैं इसे व्यापक परिदृश्य में देखता हूं।

महोदय, यह पहला विधेयक है जिसका मार्गदर्शन हमारे नए विद्युत मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा किया जा रहा है। मेरे विचार से कई अन्य मुद्दों का हल निकालने में उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

इस देश में विद्युत सबसे बड़ी समस्या है। विद्युत के बिना कोई काम नहीं होता है। यद्यपि श्री यशवन्त सिन्हा ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है लेकिन यदि विद्युत नहीं है या विद्युत अथवा ऊर्जा में कमी है तो कोई प्रगति नहीं होगी। सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य उद्योग भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। हम विद्युत के बिना कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं कर पाएंगे।

महोदय, मैं, माननीय मंत्री को एक बात पर धन्यवाद देना चाहता हूं। वह वास्तव में इस पर मेहनत से कार्य कर रहें हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यह पता चला है कि माननीय मंत्री इस प्रकार की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की अनेक समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हालांकि एन.टी.पी.सी. तथा एन.एच.पी.सी. जैसी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी आशा के अनुरूप नहीं है। कमी केवल इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी उस प्रकार नहीं है जैसी होनी चाहिए थी।

महोदय, मैं इसके लम्बे इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मै प्रतिभूति तथा प्रति-गारंटी जैसे अन्य मुद्दों पर भी नहीं जाना चाहूंगा। यह इसलिए क्योंकि इस विधेयक का क्षेत्र बहुत समिति है। मैं केवल केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा पिछले ढ़ाई वर्षों के दौरान इसकी उपलब्धियों पर ही बोलना चाहता हूं। इस आयोग को 1998 में स्थापित किया गया था। हमें देखना यह है कि क्या आयोग वास्तव में सफल रहा है? क्या इसने वास्तव में लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। इस आयोग को क्यों स्थापित किया गया था? इस आयोग की हमें जरूरत क्यों है? क्या यह अपना कार्य कर रहा है। इन सब प्रश्नों पर आज हमें विचार करना होगा।

अपराह्न 3.02 बजे

(श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए)

महोदय, इस आयोग द्वारा पारित कुछ आदेशों को न्यायालयों में चुनौती दी गई है। उन्होंने 'उपलब्धता आधारित शुल्क' आदेश निकाला था। मैं आज इस विषय पर बोलना चाहूंगा। 'उपलब्धता आधारित शुल्क' को एन.टी.पी.सी. द्वारा चुनौती दी गई है तथा इसे भविष्य में भी चुनौती दी जाएगी। एन.टी.पी.सी. के लिए यह 'उपलब्धता आधारित शुल्क' वास्तव में है क्या? आदेश का मूल उद्देश्य उत्पादन कंपनियों के लिए उपलब्धता के स्तर के मानदण्ड को पूर्व में स्थापित 68.49 प्रतिशत 'प्लांट लोड फैक्टर' को बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना है।

महोदय, पूर्व में इस संबंध में टी.आर.ए.आई. के साथ कुछ समस्याएं थी। इसीलिए, विनियामक आयोग के इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि मंत्रालय को शामिल किया जाएगा तथा वह विनियामक आयोग को निदेश भी दे सकेगा, जिससे कि टी.आर.ए.आई. को होने वाली समस्याओं को विद्युत क्षेत्र में भी न दोहराया जाए।

मैं महसूस करता हूं कि इस संबंध में मंत्रालय चिंतित नहीं है। यदि मंत्रालय को चिंता होती तो वो देखते कि ऐसे आदेश पारित न हों। एन.टी.पी.सी. के विरुद्ध आदेश क्यों पारित किया गया? कल यह एन.एच.पी.सी. के विरुद्ध भी पारित किया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम सफल हैं और उनके द्वारा अर्जित लाभ को विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए वापस निवेश किया जा रहा है मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। ऐसे आदेशों को पारित किए जाने के संबंध में मैं महसूस करता हूं कि मंत्रालय की ओर से किसी प्रकार का निदेश सी.ई.आर.सी. को जरूर दिया जाना चाहिए।

विनियामक आयोग को स्थापित किए जाने का एक कारण यह था कि शुल्क ढ़ांचे को देखने के लिए हम एक स्वायत्त निकाय चाहते थे। आज समस्त राज्य बिजली बोर्ड असफल हो गए हैं। वे सब घाटे में चल रहे हैं। क्योंकि राज्य बिजली बोर्ड को भुगतान नहीं कर पाये हैं। यदि राज्य बिजली बोर्ड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं और यदि वो घाटे में चल रहे हैं तो इस उद्योग में और भी समस्याएं होंगी। इन सभी मामलों पर ध्यान देने के लिए सी.ई.आर.सी. तथा एस.ई.आर.सी. स्थापित किए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एस.ई.आर.सी. को कोई भी आदेश द्वारा वास्तव में अब तक शुल्क वसूली पर ध्यान दिया गया है? यदि वो ऐसा करने में असफल हुए हैं तो यह राजसहायता राशि को कौन भुगतान करेगा?

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर]

यह विशेष विधेयक बहुत छोटा विधेयक है और मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूं। मैं व्यापक संदर्भ में कहूंगा कि सी.ई.आर.सी. तथा एस.ई.आर.सी. वास्तव में सफल नहीं रहे हैं। मंत्री को हमें इसी विषय में स्पष्टीकरण देना होगा।

इन्ही शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पवन कुमार बंकल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, यह विधेयक राज्यों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना करने में समर्थ बनाने की आवश्यकता और मांग को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह स्वागत योग्य कदम है।

संयोग से विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों का कथन' गल्ती से आपत्तियों और कारणों का कथन छप गया है।

श्री सुरेश प्रभु: आपकी आपत्ति स्वीकार की जाती है।

श्री पवन कुमार बंसल: धन्यवाद, वह संयोग से हुआ था।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का कथन उस पत्र के संदर्भ में था जो भारत सरकार को चार राज्यों—असम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के लिए संयुक्त उत्तर-पूर्वी विद्युत विनिमयन आयोग के गठन के लिए नागालैंड सरकार से प्राप्त हुआ था। हमें बताया गया है कि नागालैंड के अतिरिक्त सिक्किम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों ने भी धन, कार्मिकों, प्रतिभा इत्यादि के अभाव जैसे तथ्यों के कारण अलग आयोगों की स्थापना में आने वाली समस्याओं का संकेत दिया है। इसलिए, यह विधेयक समय की आवश्यकता है, यदि हम वाकई मुख्य विधान के उद्देश्य की उपयोगिता चाहते हैं।

इसके अलावा, इस विधेयक के जरिए हम विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग का रास्ता भी खोल सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि राज्यों की सीमा झगड़े की जड़ बनती जा रही है। मेरा मानना है कि विद्युत विनियामक आयोग की शुरूआत जैसे मामलों के साथ संयुक्त निकायों की स्थापना में राज्यों के बीच सहयोग से एक बहुत उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा, और ये सीमाएं, वास्तव में, वह स्थान बन जाएंगी जहां एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों के लोगों में मैत्रीपूर्ण मुस्कान के साथ मिलेंगे।

महोदय, ऐसा कहकर मैं उस स्थान की जहां से मेरा संबंध हैं, की कुछ खास समस्याओं को उठाने का अवसर प्राप्त करना चाहता हूं। हम छोटे राज्यों की बात करते हैं। मैं एक छोटे संघराज्य क्षेत्र से हूं। दुर्भाग्यवश संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की आवश्यकता को उस ढंग से नहीं समझा गया जैसाकि समझा जाना चाहिए था। सालों पहले, हमें चण्डीगढ़ में ही जैनरेशन प्लांट के लिए आश्वासन दिया गया था। अब हमें बताया गया कि यह व्यवहार्य नहीं होगा तथा यह एक मुश्किल प्रस्ताव होगा। यद्यपि मैं चाहूंगा कि चंडीगढ़ में प्लांट हो, तथापि इस संबंध में सरकार के मूल्यांकन पर विवाद पैदा करने का मेरा इरादा नहीं है।

लेकिन, महोदय, मैं वास्तव में यह स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हम बरसों से नहीं, वरन दशकों से भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की सदस्यता के रूप में अपनी भागीदारी की उचित मांग उठाते रहे हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भी यह हमारा वैध अधिकार है। लेकिन शायद पंजाब और हरियाणा इन दो राज्यों के बड़े भाई जैसा रवैया अपना लिया है और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में चंडीगढ़ की सहायता का विरोध किया है। इस तथ्य के बावजूद कि वितरण और संसाधन सृजन के मामले में भी कई तरह से चंडींगढ़ का उत्कृष्ट रिकार्ड है। जबकि पंजाब जैसे राज्य- जैसाकि हम पूर्व में देख चुके हैं—अपने संसाधन लोकप्रिय उपायों पर व्यय करते रहते हैं, और फिर भी अपनी कोई गल्ती न होते हुए भी चंडीगढ़ को सहना पड़ा है। जब भी टैरिफ निर्धारण की बात उठती है, हमें कहा जाता है, "ठीक है, पड़ोसी राज्य पंजाब में ये दरें प्रचलित हैं। इसलिए चंडीगढ़ में यही दरें होनी चाहिए।" इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। लेकिन हम चंडीगढ़ के लोग असहाय हैं।

हमारे पास विधान सभा जैसी कोई प्रतिनिधि निकाय नहीं हैं जो लोगों की आकांक्षाओं इच्छाओं और आवश्यकताओं को आवाज दे सके। हमें उससे ही संतुष्ट होना पड़ता है जो भारत सरकार यहां निर्णय करती है तथा अंतत: चंडीगढ़ के अपने कार्यालयों के जरिए लागू करती है।

महोदय, यदि चंडीगढ़ को भांखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की सदस्यता मिल जाती है, तो चण्डीगढ़ को कम दरों पर बिजली मिलेगी।

सभापति महोदय: चूंकि यहां सभापति का कोई पैनल नहीं है, और क्योंकि मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित होना है, यदि सभा की सहमति हो तो मैं श्री जी.एम. बनातवाला से सभापति के पद पर पीठासीन होने का अनुरोध करूंगा।

कुछ माननीय सदस्य: अवश्य, महोदय।

अपराह्न 3.14 बजे

(श्री जी.एम. बनातवाला पीठासीन हुए)

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति महोदय, यदि चंडीगढ़ को भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की सदस्यता दे दी जाती है, तो

चंडीगढ़ को मिलने वाली बिजली दरें नीचे आ पाएंगी, परिणामस्वरूप लोगों को बिजली सस्ती दरों पर मिलेगी। आप प्रशासन पर छोड़ दें कि वह उस पर होने वाली हानि को वहन न करे। वह ठीक है लेकिन लोगों को बिना वजह परेशानी में नहीं डाला जाना चाहिए, बल्कि, उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।

पूर्व में हमने देखा है कि संघ राज्य क्षेत्र में जब भी बिना सोचे-समझे बिजली का टैरिफ बढ़ाया गया है, न्यूनतम निर्धारित प्रभारों में भी हमेशा तीव्र वृद्धि रही है। मैं उद्योग और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए न्यूनतम प्रभारों के निर्धारण की परिकल्पना को समझ सकता हूं।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम प्रभार रखने के और वो भी असामान्य रूप से उच्चदरों पर, कल्पना औचित्य से परे है। चंडीगढ़ में लोगों के घर एक एकड़ या एक एकड़ से भी अधिक में बने है।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता (कोंटाई): लेकिन गृह कर का भुगतान नहीं करते।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं इस प्रश्न पर बात करूंगा कि चंडीगढ़ के लोग उसका अलग से भुगतान क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें चंडीगढ़ आने के लिए फुसलाया। ललचाया गया। शायद माननीय सदस्य उन परिस्थितियों के विषय में नहीं जानते कि जिनमें चंडीगढ़ बनाया गया। पंडित नेहरू ने इसमें दिलचस्पी ली, सरदार प्रताप सिंह कैरों ने इसमें दिलचस्पी ली। वास्तव में उन्होंने लोगों को चंडीगढ़ जाने और वहां बस जाने के लिए उससे कहीं ज्यादा का वायदा किया। जितना वे लोग आज वहां प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह यह शहर बसाया गया।

मैं न्यूनतम प्रभारों की दरों में असामान्य वृद्धि की बात कर रहा था। बड़े-बड़े घरों में रह रहे ज्यादातर लोग सामान्यत: सेवानिवृत्त लोग हैं। इन घरों में केवल दो बुजुर्ग सेवानिवृत्त-पति और पत्नी-लोग हैं जिनके बच्चे दूसरे स्थानों पर रहते हैं। एक तरफ हम लोगों से बिजली की बचत चाहते हैं। इन घरों के लिए स्वीकृत लोड ज्यादा हो सकता है किन्तु सरकार की सलाह के अनुसार तथा समाज की बिजली बचाने की आवश्यकता के अनुसार जब वे घर से बाहर जाते हैं तो बिजली बंद कर देते हैं और वापस आने पर पंखा चलाते हैं। इस तरह, जहां संभव हो वे बिजली बचाते हैं। लेकिन उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उस पर लादे गए प्रभार उनके द्वारा इस्तेमाल की गई बिजली से कहीं बहुत अधिक हैं। क्या ऐसे मामलों में यह उचित है? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि जहां तक घरेलू उपभोक्ताओं का संबंध है, उन पर ऐसा भार न लादा जाए तथा लोगों को अपने घरों में वास्तविक उपभोग के अनुसार बिल दिया जाए।

जब हम संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना के लिए पड़ोसी राज्य के साथ संघ राज्य क्षेत्र के लिए भारत सरकार की मध्यस्थता की बात करते हैं, चंडीगढ़ की स्थिति क्या होगी? और आपके औचित्यीकरण की संकल्पना क्या होगी? या, क्या आप पड़ोसी राज्य पंजाब से संघ राज्य क्षेत्र के साथ संयुक्त आयोग के गठन के लिए कहेंगे, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रभार आप वहन करेंगे? मेरे सामने यह स्पष्ट नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस उद्देश्य के साथ इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि जब आप बिजली टैरिफ के औचित्यीकरण की बात करते हैं, आपको चंडीगढ़ वासियों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए।

आजकल हम आने वाले दशकों के मंत्र के रूप में सुधारों की बात करते हैं। हम अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है। अभी कल ही हमें बताया गया कि श्रम क्षेत्र में सुधारों का मतलब है कि जब आप चाहें, श्रमिकों की छटनी कर सकते हैं। मैं इसे समझने में वास्तव में असमर्थ हूं। लेकिन जहां तक बिजली का संबंध हैं। हम समझते हैं कि देश का बिजली उत्पादन देश की प्रगति का मापने का मापदंड है।

मैं सहमत हूं और इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि यह बुनियादी ढांचे के लिए अन्य विभिन्न आवश्यकताओं का निर्णय करता है। अब हम किसी भी रूप में बिजली की चोरी या दुरूपयोग को नजरअंदाज करना गवारा नहीं कर सकते। मैं इससे सहमत हूं। इस तरह से शायद हम सभी गांवों में बिजली मुहैया कराने की गति तेज कर सकते हैं, विशेषत: बिहार जैसे राज्य में जहां वर्तमान अनुमानों के अनुसार राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने में 700 वर्ष से अधिक लगेंगे। मुझे आशा की किरण नजर आ रही है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सरकार की कथनी और करनी एक समान हो अब जबकि माननीय वित्त मंत्री जी ने कल कहा है कि वे अगले सात वर्षों में सभी गांवों में बिजली पहुंचाना चाहते हैं। इस मोर्चे पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं तथा हम उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देंगे। लेकिन मैं जिस मुद्दे को उठाना चाहता हूं, वे यह है कि इस प्रक्रिया में और ऐसे सुधार लाने की चिंता में हमें निर्धनतम की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

यह कहना हम लोगों के बीच फैशन हो गया है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोग समाज के लिए बोझ हैं मैं चाहता हूं कि हम अपने इस दृष्टिकोण को छोड़ दें। हमारी संपूर्ण टैरिफ संरचना में क्रास-सब्सिडाइजेशन का तत्व होना चाहिए। हम प्रगति और विकास की तब ही बात कर सकते हैं जब यह

[श्री पवन कुमार बंसल]

सुनिश्चित कर सकें कि देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता का सुख उठा सके। उनकी देखभाल करना हमारा कर्त्तव्य है।

ऐसे भी लोग हैं, जिनके घरों में दस-दस एअर कंडीशनर हैं। अगर वे इस दर पर भुगतान कर सकते हैं, तो गरीब आदमी को भी इस दर पर भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए? आप ऐसा तर्क देते हैं। यह उचित नहीं होगा। चंडीगढ़ जैसी जगहों के लोग मेरे पास आते हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें मीटर उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन हम उन्हें मीटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं करते। जब कोई कुण्डी कनेक्शन लेता है, तो हाय तौबा होती है। कोई भी बिजली की चोरी नहीं करना चाहता और हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन हम यह अवश्य चाहेंगे कि सरकार गरीबों के लिए योजना अवश्य बनाए। एक इंदिरा कुटीर ज्योति योजना थी। उसका क्या हुआ? भारत सरकार ने वचन दिया था कि प्रत्येक घर में कम-से-कम एक पाइंट मुहैया कराएगी उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? मैं यह केवल इस तथ्य पर जोर देने के लिए पूछ रहा हूं कि जब आप दरें निर्धारित करते हैं, तब क्रास-सब्सिडाइजेशन का एक तत्व जरूर होना चाहिए। लोग जो समृद्ध हैं, और वे लोग जो यह तक नहीं जानते कि बिजली का बिल क्या होता है यदि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा अधिक देना पड़े कि इससे वंचितों के अंधेरे घरों में रोशनी आएगी, तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही उदार उद्देश्य होगा जो कि सरकार पूरा करेगी।

मैं मंत्री महोदय, से अनुरोध करूंगा कि विधेयक का समर्थन करते समय वह उन कठिनाईयों को ध्यान में रखें जो चंडीगढ़ जैसे संघ राज्य क्षेत्रों के सामने आती हैं। उनके पास कहीं और से बिजली लेने के अलावा बिजली उत्पादन का कोई स्रोत नहीं है, बदले में वे पड़ोसी राज्यों की सेवा करते हैं। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की सांझी राजधानी है। चंडीगढ़ में केन्द्र सरकार के भी काफी अधिकारी हैं। इसे मुख्य पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की क्षमता है। यह दुनिया भर में अपने रॉक गार्डन के लिए विख्यात है। इसे सम्मेलन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है और यह दिल्ली के बाद दूसरा ऐसा स्थान हो सकता है, जहां आप बैठकें और सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। आज की तारीख में चंडीगढ़ के महत्व को देखते हुए, कृपया चंडीगढ़ के लोगों की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज न करें। इसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): मैं विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह संशोधन विधेयक लाने पर बधाई देता हूं। यह समय पर लाया गया तथा कई छोटे राज्यों, जिनकी आर्थिक व्यवहार्यता तब मूलभूत मुद्दा होती है, जब हम कुछ अधिनियम लाते हैं, अत: उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सुविचारित विधेयक है। यद्यपि मूल विद्युत विनियामक आयोग 1998 में लाया गया था, परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों जैसे कुछ छोटे राज्यों ने समस्या प्रकट की कि यह उनके लिए विनियामक आयोग के व्यय को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से बहुत भारी होगा। चूंकि योग्य कार्मिकों, प्रतिभाओं और धन की कमी है, इसलिए नागालैंड सरकार ने चार राज्यों नामत: असम, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम के लिए संयुक्त विनियमन आयोग के गठन के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। इस विधेयक में संयुक्त राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान है।

महोदय, इस विधेयक को ऊर्जा की स्थायी समिति को भेजा गया था। इस पर विस्तृत चर्चा हुई तथा इस पर विभिन्न कोणों से विचार विमर्श किया गया। माननीय मंत्री महोदय ने भी इस पहलू विशेष में काफी दिलचस्पी ली तथा यह महसूस किया गया कि इस विधेयक में संशोधन लाया जाए।

मैं भी स्थायी समिति का सदस्य हूं उसमें एक मुद्दा, जिसपर विस्तृत चर्चा की गई यह है कि चूंकि दो राज्य संयुक्त रूप से यह आयोग बना रहे है और इसमें अध्यक्ष साहब तीन सदस्यों के साथ केवल एक अध्यक्ष हैं, तो समय के साथ-साथ कुछ राज्य आयोग में प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यह सर्वसम्मति का प्रश्न है कि जहां तक इसकी सदस्यता का संबंध है सभी सदस्य-राज्य बारी-बारी से हो सकते हैं। यहां तक कि, अध्यक्ष के संबंध में इसे कैसे रोटेट किया जा सकता है जबकि मुख्यालय लोकेट किए जाने हैं तथा समय-समय पर सामने आने वाले अनुपूरक और वृद्धयात्मक मुद्दे भी इस आयोग विशेष की बैठकों में सुलझाएं जा सकते हैं। इसलिए, मैं नहीं सोचता कि इस मोर्चे पर कोई समस्या होगी क्योंकि वे सर्वसम्मति से होते हैं और आयोग के मुख्यालय की पहुंच या अन्य उपलब्ध सुविधाओं के ऊपर भी निर्भर होते हैं। यह निश्चित रूप से किसी भी अन्य राज्य विनियामक आयोग की तरह व्यवहार्य होगा।

हम चाहते हैं कि इन विनियामक आयोग के साथ अधिकांश राज्य जो वित्तीय आकस्मिकताओं से गुजर रहे हैं, को इससे मुक्त रखा जाना चाहिये। अब तक हमारा अनुभव यह रहा है कि ज्यादातर विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो बिजली के एन.टी.पी.सी. के बिलों का भुगतान भी करने की स्थिति में नहीं हैं से भी आहरित किए हुए हैं। सुधारों की प्रक्रिया के रूप में विनियामक आयोग होने से मैं समझता हूं, ऐसी आकस्मिकताओं, ऐसी स्थितियों से निपटा जा सकेगा और राज्य क्रास-सब्सिडाइजेशन तथा अन्य चीजों सहित बिजली के उत्पादन, वितरण, ट्रांसमिशन तथा बिल विनियमित करने में समृद्ध हो सकेंगे।

इन चंद शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: हम सभी जानते हैं कि 3.30 बजे का समय गैर-सरकारी विधेयकों पर विचार करने का समय है। हम लगभग इस विधेयक के निष्कर्ष पर हैं, जो इस समय चल रहा है। मुझे विश्वास है कि सभा न केवल इस विधेयक को पूरा करने के लिए अपितु श्री जोशी के नाम, मद सं. 14 के रूप में अगले विधेयक पर विचार करने के लिए सहमत होंगे।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय: सभी को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। प्रश्न यह है, कि सभा इस विधेयक को पूर्ण करने तथा अगले विधेयक जो सूची में क्रम सं. 14 पर है के लिए सहमत है, और उसके बाद हम गैर-सरकारी विधेयकों पर विचार करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

श्री रमेश चेन्नितला: सभापति महोदय, यह विधेयक सीमित उद्देश्य के लिए है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग हमारे देश में हैं। यह विधान इसलिए लाया गया है क्योंकि छोटे राज्य संयुक्त विनियामक आयोग चाहते थे। यह प्रस्ताव नागालैंड सरकार से पूर्वोत्तर विद्युत विनियामक आयोग हेतु प्राप्त हुआ क्योंकि उनके पास अपने विनियामक प्राधिकरणों को गठन करने हेतु पर्याप्त धनराशि विशेषज्ञता तथा मानवशक्ति नहीं है।

महोदय, इस अवसर पर मैं एक या दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। विनियामक आयोगों को गठन करने के उद्देश्य क्या हैं? क्या ये विनियामक आयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हुए हैं। यदि ये उचित रूप से कार्य करते होते तो विद्युत बोर्डों को इतनी अधिक हानि नहीं हुई होती। राज्य विद्युत बोर्डों की हालत बेहद खराब है। आप प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड की जांच करें। प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड की स्थिति काफी शोचनीय तथा दयनीय है। वे काफी घाटा उठा रही हैं।

इस विनियामक आयोग के उद्देश्य क्या हैं? यह विद्युत शुल्क को संगत करने, पारदर्शी नीतियों, राजसहायता का निर्धारण करने, कार्यकुशलता तथा पर्यावरणीय नीतियां बनाने के लिए है। मैं अपने माननीय सहयोगी श्री सुरेश प्रभु से जानना चाहूंगा कि क्या ये सामान्य उद्देश्यों को इन नियामक आयोगों द्वारा पूरा किया गया है। इन विद्युत् आयोगों को गठन करने के पीछे ये महान उद्देश्य हैं। महोदय, क्या ये आयोग उचित रूप से कार्य कर रहे हैं? अतएव विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत विनियामक आयोग के कार्य-निष्पादन की जांच तथा मूल्यांकन करने के लिए यही उचित समय है। जहां तक मेरी जानकारी है विद्युत आयोग ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं। दशकों से उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। मेरा विचार है, सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिये। बात यह है कि राज्य विनियामक आयोग भी ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। अतएव यह जानने के लिए कि क्या वे अपने उद्देश्य पूरे कर रहे हैं। उनके समग्र कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में विद्युत उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तथा प्रत्येक राज्य में विद्युत की काफी कमी है। महोदय, आप राष्ट्रीयता विद्युत निगम से अच्छी तरह परिचित हैं। एक समय केरल के पास फालतू बिजली होती थी। हम तमिलनाडु तथा कर्नाटक को विद्युत देते थे क्योंकि हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं। पनबिजली हमारी ताकत थी। लेकिन आज केरल को विद्युत की अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे प्रयास से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम स्थापित किया गया है। नाप्था आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना हमारे राज्य में आई। यह हमारे लिए वरदान था। लेकिन दुर्भाग्यवश नाप्था का अधिक मूल्य के कारण राज्य सरकार को प्रतिदिन विद्युत पाने के लिए एक करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है।

राज्य को विद्युत की इतनी भारी आवश्यकता है। राज्य रियायती दर पर लोगों को विद्युत प्रदान करने के लिए प्रतिदिन एक करोड़ रुपया व्यय कर रहा है। विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण ये तीन प्रक्रियाएं हैं। इसमें शामिल हैं। पारेषण हानि बढ़ रही है तथा वितरण में चोरी भी बढ़ रही है। हमें इन चीजों को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि समग्र मूल्यांकन किया जाये तथा मंत्री को नियामक प्राधिकरणों के कार्यनिष्पादन की जांच करनी चाहिये तथा उन राज्यों, जिन्हें बिजली की वास्तव में आवश्यकता है, की मांगों की सहानुभूतिपूर्वक जांच करनी चाहिए। उन राज्यों को और ज्यादा सहायता देनी चाहिए जिन्हें विद्युत की भारी आवश्यकता है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत विद्युत विनियामक आयोग संशोधन विधेयक 1999 का पुरजोर समर्थन करता हूं। जैसा कि बताया गया कि 1998 में विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया गया था और जिन

[प्रो. रासा सिंह रावत]

विषयों को लेकर इसका गठन किया गया, वह सही था। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के पास होने के बाद सैंट्रल विद्युत विनियामक आयोग और बाद में राज्य विनियामक आयोग की स्थापना हुई। गुजरात, मध्य प्रदेश, यू.पी., पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान आदि राज्यों में इस प्रकार के आयोग की स्थापना हुई लेकिन सिक्किम और उत्तर पूर्व के जो छोटे राज्य थे, उन चार-पांच राज्यों ने मिल कर नागालैंड की तरफ से केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव रखा कि हमारे पास चूंकि निधि की कमी है, विशेषज्ञ हमारे पास नहीं हैं और प्रति वर्ष इसके लिए जो कार्मिक होने चाहिए, वे भी उपलब्ध नहीं हैं, इन कारणों से उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। अब तीन-चार राज्य मिल कर आयोग का गठन करना चाहते हैं। 1998 में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था इसलिए विद्युत विनियामक आयोग संशोधन विधेयक 1999 लाया गया। इसके द्वारा केन्द्र और दो-तीन राज्य मिलकर अथवा दो-तीन राज्य अपने आप मिल कर या केन्द्र शासित प्रदेश और अन्य राज्य मिल कर अपना संयुक्त विनियामक आयोग गठित कर सकते हैं। विद्युत व्यवस्थाओं को संचालित करने, टैरिफ आदि तय करने, सरलीकरण और पारदर्शिता बनाए रखने, पर्यावरण को बनाए रखने में और तत्संबंधी विषयों पर निर्णय लेने में अब ये सक्षम होंगे। जैसा सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया, मैं भी इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

विद्युत विनियामक आयोग कुछ उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था। दो-ढ़ाई वर्ष का समय हो गया है। आज बहुत युवा, जोशिले, गतिशील व्यक्तित्व के हाथों में इसका भार है। वह इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहन जयवन्ती जी स्वयं बहुत अनुभवी हैं। ये मिल कर विद्युत के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं लेकिन मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। कभी एक साथ उत्तरी ग्रिड फेल हो जाता है जिससे पूरी दिल्ली और उत्तर के चार-पांच राज्यों में अंधेरा हो जाता है। इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। उड़ीसा, बंगाल और पूर्वी राज्यों में बिजली की बहुलता थी लेकिन अब वहां ट्रांसमिशन के साधन नहीं हैं। राजस्थान में बिजली की कमी है। अगले महीने विनियामक आयोग मूल्य बढ़ाने वाला है। वे मूल्य इतने ज्यादा बढ़ेंगे कि जनता में उसे लेकर अभी से हाहाकार मचा है। वह किसानों की सब्सिडी खत्म करके मनमाने ढंग से रेट बढ़ा देगा। राजस्थान में अकाल और सूखा पड़ा है। गुजरात में भूकम्प आया है। ऐसी स्थिति में विनियामक आयोग वस्तु स्थिति पर बिना नजर रखे सबको एक लाठी से आंकना चाहता है।

राज्यों में विनियामक आयोग से कैसे काम चलेगा? एक तरफ राज्य विद्युत बोर्ड्स हैं जिन पर करोड़ों रुपया उधार है, वे चुका नहीं पा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके पास साधनों का अभाव है, वे मशीनरी नहीं बदल पाते हैं। एक तरफ से प्लान्स बनाते हैं तो दूसरी तरफ मशीनरी पुरानी हैं। राजस्थान में कोटा के पॉवर स्टेशन का कभी एक यूनिट चालू रहता है तो दूसरा बंद हो जाता है और कभी दूसरा चालू हो जाता है तो पहला बंद हो जाता है। कभी-कभी तो दोनों यूनिट खराब हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, दूसरे राज्यों से विद्युत लेनी पड़ती है।

सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों को 6-8 घंटे बिजली दी जायेगी लेकिन 2-3 घंटे ही मिल पाती है। कभी बिजली चली भी जाती है, इसका पता नहीं रहता है। रात के अंधेरे में कड़कड़ाती सर्दी में सब आराम से सो रहे होते हैं लेकिन किसान रातभर खेत में रहता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से प्रार्थन करना चाहूंगा कि यह विनियामक आयोग देश हित में बिजली का अधिक से अधिक उत्पादन करने के क्षेत्र में उन्नति करने, उसका विस्तार करने, घाटे को कम करने के लिये और मूल्यों को तय करने में बहुत अच्छा सिद्ध हो, ऐसी कामना करता हूं लेकिन किसानों के हित में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये और उन्हें विद्युत पहुंचाने के लिये सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरजोर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। भारत के सभी राज्यों को विद्युत उत्पादन में भूमिका निभानी होगी। पहले, इस क्षेत्र में केन्द्रीय हस्तक्षेप नहीं था। राज्यों को विद्युत उत्पादन में पूर्ण स्वायत्तता थी तथा उन्हें नीतिगत निर्णय लेने में भी पूर्णत: स्वतंत्रता थी। हाल ही में केन्द्रीय सरकार नियामक अधिनियम लाई। प्रारंभ में इस विधेयक को राज्यों में परिचालित किया जाता ताकि वे अनिवार्य रूप से इसका अनुपालन कर सकें। इस उपाय के माध्यम से यह प्रत्येक राज्य विनियामक आयोग ला रहा था। कुछ राज्यों ने संविधान के संघीय ढांचे पर अतिक्रमण के कारण इसका विरोध किया। कुछ राज्य इसके खिलाफ थे। बाद में विद्युत मंत्री, स्वर्गीय श्री पी.आर. कुमारमंगलम ने यह पसंद उनके ऊपर छोड़ते हुए कहा कि यह राज्यों पर निर्भर करता है कि या तो वे विनियामक आयोग का गठन करें या कोई दूसरी व्यवस्था करें।

महोदय, सभा के समक्ष प्रस्तुत बजट में यह कहा गया है कि संभवत: अधिकांश राज्यों की ओर राशि बकाया है। यह भी बताया गया है कि राष्ट्र में विद्युत संकट है। यही वर्तमान स्थिति है। अतएव बदले हुए परिवेश में केरल राज्य में हाल ही में एक विद्युत विनियामक आयोग गठित किया गया है। विभिन्न राज्यों में केरल राज्य ही एकमात्र राज्य है जिसे केंद्र को कोई राशि नहीं

देनी है। यह केन्द्रीय पूल से विद्युत ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद केन्द्रीय सरकार केरल राज्य को आवश्यकता के समय विद्युत नहीं प्रदान कर रही है।

यह काफी गंभीर मामला है। केन्द्र विद्युत आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। केन्द्र राज्यों को कह रहा है कि वह उन्हें केन्द्रीय पूल से विद्युत आपूर्ति बंद कर देगा क्योंकि उनकी ओर काफी धनराशि बकाया है। लेकिन जहां तक केरल का संबंध है उसकी ओर कोई बकाया राशि नहीं है। यह एक स्वीकृत तथ्य है। लेकिन, इसके बावजूद केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय पूल से विद्युत आपूर्ति करने में इन्कार किया है। केवल यही नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की कि कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना एक पूर्ण विकसित परियोजना होगी। वह वचन अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। नाप्था का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत पनबिजली परियोजना से उत्पादित विद्युत से तीन या चार गुणी अधिक होगी। हमारे राज्य में विद्युत केवल 1.5 रुपये से 1.6 रुपये प्रति यूनिट है। कायमकुलम परियोजना से ली जाने वाली बिजली 3.5 रुपये प्रति यूनिट होगी। इसका मूल्य भी काफी ज्यादा है। लेकिन केन्द्र सरकार इसे पूर्ण विकसित 2000 मेगावाट की परियोजना बनाने का तैयार नहीं है। इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इन मामलों में केन्द्रीय सरकार का रवैया सौतेला है। इसके अलावा वे सभा में एक नया विनियामक विधेयक ला रहे हैं जो राज्यों से अधिकार छीनने का एक स्पष्ट उदाहरण है तथा राज्य सरकार की स्थिति एक मजाक के रूप में हो जायेगी। केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग जो कुछ स्वायत्तता के साथ चल रही है, तस्वीर में नहीं रहेगी। यदि वर्तमान विधेयक सभा में पारित हो जाता है, तो सब कुछ निर्णय केन्द्रीय स्तर पर होगा।

केवल केरल ही नहीं वरन् सभी राज्य इसका विरोध करेंगे क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। इसके अलावा, यह राज्यों की शक्तियों पर स्पष्ट अतिक्रमण है। अतएव, मैं विद्युत मंत्री से सभा के समक्ष प्रस्तुत विद्युत नियामक आयोग पर आगे कार्यवाही नहीं करने का आग्रह करता हूं। हम इसका जमकर विरोध करेंगे। विभिन्न राज्यों की शक्तियां घटाई गई हैं। मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक अपनाई गई नीति का विरोध कर रहा हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी रेगुलेटरी बिल सदन में लाये हैं और उन्होंने दावा किया है कि बिजली की इर्रेगुलेरिटीज को हम रेगुलेटरी बिल लाकर दुरूस्त करेंगे। हम लोगों को सूचना दी गई कि कुछ राज्यों में और केन्द्र में यह बिजली नियामक आयोग बन गया, लेकिन कुछ छोटे-छोटे राज्यों में नहीं बन सका। इसलिए राज्य सरकारों ने इन्हें प्रार्थना की कि हमें कठिनाई है तो उस कठिनाई को हल करने के लिए बिजली का संयुक्त कमीशन बनाने का यह प्रस्ताव लाये हैं। लेकिन ये सारे कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है।

अपराह्न 3.48 बजे

(डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

आपके वित्त मंत्री जी बजट लाये हैं, बिजली में सर्वप्रथम चीज हैं, जनरेशन, बिजली का उत्पादन। जिसका उन्होंने बजट में जिक्र भी नहीं किया है। हमने पूरा बजट पढ़ा है, बिजली का उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया है। बिजली के मामले में कोई कुछ कहे, लेकिन बिजली के मामले में जनरेशन एक नम्बर पर होता है। लेकिन उसका बजट में जिक्र ही नहीं है। कुछ देर पहले यहां वित्त मंत्री थे। हमने निर्णय किया था कि आज उनकी ठीक से खिंचाई करेंगे कि कैसे उन्होंने बिजली की उपेक्षा की है। कोई यह बताये कि क्या बिजली के बिना राज्यों में कोई विकास संभव हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार मन बनाये बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और इसमें भी जनरेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। आज जनरेशन के मामले में देश के सामने क्या सवाल है। देश में तमाम पावर शॉर्टेज चल रही है। हम लोग वी.आई.पी. एरियाज में रहते हैं जहां बिजली की कटौती नहीं होती है। इसलिए हम नहीं जानते हैं कि लोगों की क्या पीड़ा है। लेकिन आप दिल्ली में ही देहातों में चले जाइये, जहां बिजली कटती रहती है और लोग त्राहि-त्राहि करते हैं। गांवों में लोग बिजली के जाने पर त्राहि-त्राहि करते हैं। इसलिए जनरेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए बजट उपबंध होना चाहिए जबकि बजट में इसका जिक्र ही नहीं है।

सभापति महोदय, इन्हें दस वर्ष में बिजली की एडीशनल कैपेसिटी के तहत एक लाख मेगावाट बिजली चाहिए और एक मेगावाट बिजली बनाने पर चार करोड़ रुपये लगते हैं।

चार लाख करोड़ रुपया पूंजी चाहिए-जनरेशन इजटु ट्रांसमिशन, इजटु डिस्ट्रिब्यूशन, इजटु इलेक्ट्रिफिकेशन-इनके लिए चाहिए 4 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया,

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

1 लाख करोड़ रुपया-यानी कुल 8 लाख करोड़ रुपया पूंजी चाहिए। कहां से पैसा आएगा? पहले आया ऐनरॉन। ऐनरॉन आने से देश संकट भुगत रहा है। उस समय सबने कहा कि ऐनरॉन आने से बिजली के मामले में अच्छा होगा लेकिन क्या हुआ? ऐनरॉन क्या रैगुलेटरी कमीशन में आता है? उसका टैरिफ कभी 8 रुपये यूनिट और कभी 9 रुपये यूनिट हो जाता है। कभी 24 रुपये यूनिट तक भी चला जाएगा। हम बिजली नहीं भी खर्च करें फिर भी वह वसूल कर लेगा। पावर पर्चेज ऐग्रीमेंट जो बना, वह बिल्कुल चौपट है और देश की जनता के खिलाफ है। जनरेशन में भी भगवान ने हमें हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर को पोटेन्शियैलिटी दी लेकिन अभी तक के योजनाकारों ने, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों ने देश के साथ धोखा किया है। मैं कह सकता हूं कि प्लानिंग कमीशन को ज्ञान नहीं है कि हिन्दुस्तान क्या चीज है। इसलिए हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर की जो पोटन्शियैलिटी हमारे पास है, उत्तर में हिमालय रीजन में हिमाचल प्रदेश से लेकर नॉर्थ ईट तक के सात-आठ राज्यों में नदियों द्वारा लाखों मैगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, लेकिन वह पानी बेकार बह जाता है। उसमें केवल मैकेनिज्म लगा देने से बिजली मिलेगी। हम सोना-चांदी और हीरा चलाकर बिजली पैदा करते हैं लेकिन पनबिजली की उपेक्षा करके हैं। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं सरकार, योजनाकारों और विशेषज्ञों का कि देश में अगर विकास का काम रूक भी जाए तो कोई परवाह नहीं लेकिन पनबिजली की जो क्षमता है, उसमें पर्याप्त पूंजी देकर पनबिजली की क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए, तब देश में पावर शॉर्टेज दूर हो सकती है। अभी देश में बहुत पावर शॉर्टेज है।

विद्युतीकरण पर हमने देखा माननीय मंत्री जी का ध्यान है और इन्होंने कहा है कि छः वर्षों में तमाम गांवों का विद्युतीकरण कर देंगे। 85 फीसदी गांवों में विद्युतीकरण हुआ 15 फीसदी गांवों में नहीं हुआ। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल सब में सौ फीसदी गांवों में बिजली पहुंच गई लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा बंगाल, असम, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सभी गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। इसलिए जो डीपीएपी कार्यक्रम में जहां रुपया दिया है, 1500 करोड़ रुपये बढ़ाए हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण को भी प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में जोड़ने का काम इन्होंने किया है। हम एक और मांग करते हैं कि बिजली को बेसिक मिनिमम सर्विसेज में अभी तक क्यों नहीं रखा गया है? सरकार की आंख क्यों नहीं खुल रही है? बेसिक मिनिमम सर्विसेज में उसको जोड़कर रखना चाहिए, तब इस इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का जितना भी ज्ञान है वह काम का है। जो राज्य बिजली के मामले में पिछड़े हुए हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो डीपीएपी प्रोग्राम है और ग्रामीण विद्युतीकरण प्रोग्राम है जिसमें सौ प्रतिशत विद्युतीकरण गांवों का हो गया लेकिन जिन राज्यों में नहीं हुआ है, उनको विशेष सहूलियत और सुविधाएं देकर काम करना चाहिए।

एक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में 6200 करोड़ रुपया दिया गया। दूसरे राज्यों में विद्युतीकरण के लिए भी 6200 करोड़ रुपये चाहिए। बिहार को कितना दिया गया है 1999-2000 में 3000 करोड़ रुपये दिये हैं देश भर में और बिहार को शून्य। 1998-99 में देश भर में 2000 करोड़ रुपये दिये और बिहार को शून्य। 1997-98 में देश भर में 1100 करोड़ रुपये दिये और बिहार को 1 करोड़ 47 लाख रुपये विद्युतीकरण के लिए दिये।

श्री सुरेश प्रभु: उस समय सरकार किसकी थी 1997-98 और 1998-99 में?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उस समय कम था लेकिन एक करोड़ था।...*(व्यवधान)* बाकी राज्यों को तो दिया लेकिन बिहार को दिया शून्य।

अब कैसे चलेगा।...*(व्यवधान)*

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता: उस समय आप मंत्री थे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मंत्री थे तभी कुछ तो दे दिया लेकिन आपके राज में तो शून्य हो गया। यह कहते हैं कि बकाया दे दीजिए तब हम पैसा देंगे और विकास करेंगे। जो बकाया नहीं दे सकेगा, सरकार की क्या नीति है, जो पिछड़ जाए, उसे और रसातल में कर दिया जाए। हमारा संविधान कहता है कि समाज में आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग है, उनको आरक्षण देने का कानून है कि विशेष सुविधा देकर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए। देश का जो हिस्सा पिछड़ जाए, उसे और खत्म कर दिया जाए, क्या आपकी सरकार का यह सिद्धान्त है? इसलिए मैं मांग करता हूं कि बिहार पर जो बकाया है, उसे माफ कर दें और नया काम शुरू करवाएं। 1996-97 में आर.ई.सी. ने हमरा जो चालीस करोड़ रुपया मंजूर कर दिया, प्रधान मंत्री जी, ग्रामोदय योजना से करवा दीजिए।

देशभर में भगवान महावीर की जयन्ती मनाई जा रही है, श्री अनन्त कुमार जी मना रहे हैं। उसमें सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ। हमने मांग की है कि उनकी सौवीं जयन्ती में 2600 गांवों में विद्युतीकरण का काम किया जाए। भगवान महावीर की जयन्ती के नाम पर देशभर में काम करें तो अच्छा है लेकिन वैशाली में तो उनका जन्म हुआ था, इसलिए उसके आस-पास के गांवों का प्रस्ताव आपके यहां पड़ा हुआ है, उसे मंजूर कीजिए और कुछ मदद करवा दीजिए जिससे वहां भी विद्युतीकरण का काम हो जाए। बिहार कमीशन बनाने में पीछे चल रहा है। ऐसी मदद कीजिए कि वह भी कोई न कोई आयोग बना कर, उसकी बिजली का सुधार लागू हो और पिछड़े क्षेत्रों को ज्यादा सहूलियत देकर मदद की जाए। मैं यह अपेक्षा करता हूं। माननीय मंत्री जी ने उस पर कुछ प्रयास किया

है और हम लोग भी लगे हुए हैं। हमको लगता है कि मिल-जुल कर काम हो जाएगा।

श्री सुरेश प्रभु: सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। विधेयक पारित होने के बाद जो छोटे-छोटे राज्य हैं, खास कर पूर्वोत्तर भारत के, जहां उनका खुद का रैगुलेटरी आयोग बनाने में दिक्कत आ रही है, यह विधेयक ऐसे छोटे राज्यों को राहत देने का काम करेगा। इसलिए सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और समर्थन किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बात सही है, कई सदस्यों ने पूछा, मेरे मित्र श्री चेन्नितला ने भी पूछा है कि जो पहला बिल 1998 में पारित हुआ, क्या उसके होने के बाद हमने कोशिश की है कि जो रैगुलेटरी कमीशन पूरे देश में बने, उनकी किस तरह प्रक्रिया चली, कार्यान्वयन हुआ, उसकी समीक्षा करने का कष्ट सरकार ने किया है या नहीं? वैसे तो कानून बनने के बाद सैंट्रल रैगुलेटरी कमीशन बनाना भारत सरकार का कर्तव्य था, उसे हमने पूरा किया लेकिन साथ ही सभी राज्यों के लिए यह भी आवश्यक था कि वे भी इस तरह के कमीशन को कार्यान्वित करें। आज तक अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वैस्ट बंगाल, ऐसे पन्द्रह राज्यों में इसका गठन किया। इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां उसको सही मायने में कार्यान्वित करने का काम उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आर्डर ईशू हुए, टैरिफ कमीशन ने जो आर्डर दिया, उस आर्डर के ऊपर भी कार्यवाही नहीं की। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नोटीफाई किया लेकिन उसके बाद अध्यक्ष बनने के काम को पूरा नहीं किया। इसलिए में सभी सदस्यों के साथ सम्मिलित हूं कि उसकी समीक्षा होने की जरूरत है। कानून में वैसा प्रावधान नहीं है लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की एक समीक्षा सभी राज्यों की रैगुलेटरी कमीशन्स की की जाएगी।

अपराह्न 4.00 बजे

हम यह भी कोशिश करेंगे कि यह चर्चा करने के बाद यदि ऐसी कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत होगी जिसके तहत इस कमीशन को सही मायने में कार्यान्वित कर सकेंगे तो वह पॉलिसी भी हम सदन के सामने ले आएंगे। यदि बिल की जरूरत होगी तो वह भी हम लोक सभा के सामने लाएंगे। पहले तो अलग-अलग सदस्यों ने समर्थन किया है, उनको धन्यवाद देते हुए इस बात को भी मैं साफ कर देना चाहता हूं कि पहले इस कमीशन की जरूरत महसूस नहीं हुई। देश में जितनी बिजली पैदा होती है, यदि वह बिजली लोगों तक पहुंचाई जाती है, जैसा हमारे मित्र रघुवंश बाबू ने कहा कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रिब्यूशन, सब-ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन और बाद में उसकी खपत होती है लेकिन जब खपत होती है और जब जितनी बिजली बेची जाती है तो उसकी पूरी कीमत जब बिजली बेचने वाले को नहीं पहुंचेगी तो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो आज हालत हुई है, वह और खराब होती जाएगी। इसलिए हमारी यह चिंता और कोशिश होनी चाहिए कि हमारे सामने जो चिंता है, उसका सामना हमें किस तरह से करना चाहिए जिससे स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत को हम सुधार सकें। इसके लिए दो कदम उठाने की जरूरत है। एक तो कॉस्ट ऑफ सप्लायर है। जनरेशन के बाद खपत तक जो पूरी चेन होती है, उसकी पूरी चेन में जो कॉस्ट लगती है, उसको किस तरह से कम किया जाये, उसमें चोरी भी सम्मिलित है और उसके लिए मीटरिंग की जरूरत है, वे सब प्रावधान भी अलग तरह से हम कर रहे हैं लेकिन साथ-साथ टैरिफ जो पे किया जाता है, उसका भी आयोजन सही मायन में ज्यूडिशियस भी किया जाये, यह भी चिंता करने की जरूरत है। यदि ज्यूडिशियस करने की जरूरत है तो आज तक ज्यूडिशियस करने का काम स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड सही मायन में नहीं कर सकता था, इसलिए हमने तय किया कि रेगुलेटरी कमीशन का गठन करने की जरूरत है। यह फैसला 1966 में यूनाइटिड फ्रंट की जब सरकार थी, उस समय सभी राज्यों की ऊर्जा मंत्रियों की जो परिषद् हुई, उसमें ही यह फैसला किया गया और उसको कार्यान्वित करने का काम 1998 में जब हमारी सरकार आई तो हमने किया लेकिन सही मायने में नेशनली एकसैप्टेड कंसेनसस के तहत यह फैसला हुआ क्योंकि सभी राज्यों ने इसका समर्थन किया जब यूनाइटिड फ्रंट की सरकार थी। उस समय इस पर विचार किया गया और उसके ऊपर हमने कार्यान्वित करने का काम किया।

इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारे सम्मानित सदस्य राधाकृष्णनन जी ने कहा कि इससे राज्यों के अधिकारों का कुछ अतिक्रमण हो रहा है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि जब राज्यों को ही आयोग का गठन करना है तो उनके अधिकारों का अतिक्रमण कैसे होगा? श्री वी.पी. सिंह जी ने कहा कि आज जो पॉवर सैक्टर के सामने चुनौतियां हैं, उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना जरूरी है। वह हमारी कंसलटेटिव कमेटी के भी सदस्य हैं और वह महत्वपूर्ण सदस्य हैं, इसलिए उसकी चर्चा हम अपनी कमेटी में जरूर करेंगे लेकिन आज जो बात कही कि सैन्ट्रल रेगुलेटरी कमीशन के कई ऑर्डर्स को एनटीपीसी संख्या ने चैलेंज किया है, मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के कदम एनटीपीसी कैसे उठा सकती है? एनटीपीसी सरकार का ही एक अंग है, यह बात सही है। लेकिन उसके बावजूद भी वह सैपरेट एनटिटी है और रेगुलेटरी कमीशन एक सैपरेट एनटिटी है। हम यह नहीं चाहते कि एनटीपीसी को कुछ नुकसान हो रहा है तो इसलिए सरकार उसमें हस्तक्षेप करे

[श्री सुरेश प्रभु]

ताकि सरकार के अंग को ज्यादा लाभ हो। यह रेगुलेटरी कमीशन का काम है कि सही मायने में सभी संस्थाओं को एक ही तरह से तालमेल करे और उसके बाद निर्णय ले। उसके लिए किया था कि किसी भी हालत में रेगुलेटरी कमीशन का रेगुलेशन होने के बाद हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन यह भी सही है कि सरकार के पास अधिकार है। सैक्शन 38 (1) ऑफ रेगुलेटरी एक्ट यह कहता है कि सरकार डाइरेक्शन भी दे सकती है लेकिन इन अधिकारों से हम ज्यादा से ज्यादा दूर रहना चाहेंगे अन्यथा रेगुलेटरी कमीशन सही मायनों में काम नहीं कर सकेगा। लेकिन यह बात भी सही है कि जहां तक पॉलिसी का जब सवाल हो तो वह पॉलिसी बनने के बाद रेगुलेशन हो सकता है, इसीलिए सरकार पॉलिसी तय करेगी, रेगुलेशन करने के बाद रेगुलेटरी कमीशन करेंगे और उसके बाद यदि कोई पार्टी एग्री होती है तो जिम्मेदारी होती है कि वे हाइकोर्ट में जा सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी यदि चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए जान बूझकर हमने इंटरफेअरेंस नहीं किया।

हमारे बंसल साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। चंडीगढ़ देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत सरकार उसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार भी है और आप उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इन तीन बातों को ध्यान में रखकर हमें चंडीगढ़ की ओर खास ध्यान देने की जरूरत है।

भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के सदस्य न होने के बावजूद भी आज चंडीगढ़ को यहां से पावर दी जाती है लेकिन उसे किस तरह उसमें सम्मिलित किया जाए। उसके लिए सभी राज्यों से चर्चा करके हम उसमें जरूर कदम उठाएंगे। राधाकृष्णन जी कह रहे थे कि राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए राज्यों से ही चर्चा करके हमें कदम उठाने की जरूरत है। उसमें जो कदम उठाने की जरूरत होगी, वे हम जरूर उठाएंगे। यदि चंडीगढ़ में रेगुलेटरी कमीशन बनेगा तो जो पंजाब, हरियाणा कंटीजेंसी स्टेट्स हैं, उनकी सहायता से ही बन सकता है। लेकिन यदि वह बनेगा तो फिर केन्द्र सरकार उसे कोई आदेश नहीं देगी। टैरिफ रेगुलेट करना टैरिफ रेगुलेटरी कमीशन का काम होगा। चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, फिर भी टैरिफ सेटिंग का काम रेगुलेटरी कमीशन एक इंडिपेंडेंस अथोरिटी के तहत करेगा। उसके जो आदेश होंगे उसका पालन भारत सरकार करेगी, इस संबंध में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

महोदय, बंसल साहब ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं और यह कहा है कि हमारे देश की जो गरीब आबादी है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना जरूरी है। इसी चिन्ता को ध्यान में रखते हुए हम जो बिजली क्षेत्र के सुधार की चर्चा कर रहे हैं, यदि कोई चर्चा का हमारा लक्ष्य होगा तो वह गरीब जनता ही है। 52-53 साल स्वतंत्रता मिलने के बाद कम से कम 80 हजार गांव आज ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची, कम से कम 70 प्रतिशत घरों तक बिजली नहीं पहुंची। चार लाख ऐसी बस्तियां हैं जहां आज भी लोग बिजली का एहसास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इसमें बदलाव करने की जरूरत है तो पूरे बिजली क्षेत्र में सुधार लाने होंगे। आज ज्यादातर गरीब लोग बिजली के अभाव में सफर कर रहे हैं, यदि उनके लिए कोई पीड़ा नहीं होती तो इसमें सुधार की जरूरत नहीं होती। आज सुधार की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम गरीबों को ठीक से बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे। आज जो किसान बाहर रास्तें में सोते हैं उनके लिए सिर्फ किसान के नाम पर बिजली की चर्चा होती है, उनको बिजली कभी पहुंचती नहीं। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुधार की जरूरत है। जो सुधार हम ला रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे लिए यदि कोई लक्ष्य होगा तो सिर्फ किसान और गरीब लोग ही होंगे। उनकी चिन्ता को दूर करने के लिए हम इस सुधार को लाएंगे। हमारे रेड्डी जी ने कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि आज जो राज्यों की आर्थिक स्थिति हैं उसमें सुधार लाने के लिए भी शायद बिजली क्षेत्र में सुधार लाने की जरूरत है।

महोदय, दो दिन पहले हमारे वित्त मंत्री जी ने भाषण करते हुए कहा था कि आज जो राज्यों की स्थिति, फिजिकल सिचुएशन नाजुक बन गई है, उसमें यदि कोई कांट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा तो वह है- स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड की बहुत बुरी स्थिति। बजटरी सपोर्ट देना पड़ता है, लॉस देने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी स्थिति इतनी खराब है। आज स्टेट गारंटीस को भी ऑनर करने के लिए बाहर के लोग तैयार नहीं हैं। इसलिए भी इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। कल तीन तारीख को दिल्ली में माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें इस विषय पर हम चर्चा करेंगे।

मेरे मित्र चेन्नितला जी ने जो सवाल उठाए हैं, उसमें उन्होंने यह भी कहा कि जो नॉवल ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उन्हें पूरा किया गया है या नहीं। उन्हें पूरा करने का काम आगे आने वाले समय में सब रेगुलेटरी कमीशंस करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इसका हम इवेल्यूएशन भी करेंगे। उसके बावजूद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए रेगुलेटरी कमीशन सेटअप किए गए थे उन्हें फुलफिल करने में कुछ कमियां आ रही हैं, वे कमियां दूर करने का काम आगे आने वाले दिनों में करेंगे, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। केरल की स्थिति की ओर भी आपने और हमारे मित्र चेन्नितला जी ने ध्यान आकर्षित किया है। केरल में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है। उसे पूरी तरह केरल स्टेट को डेडीकेट किया गया है और शायद ऐसे बहुत कम राज्य हैं जहां पूरे स्टेट को डेडीकेट किया गया है। नार्मली जो सेंट्रली स्पोंसर्ड प्रोजेक्ट होते हैं और सेंट्रल

पब्लिक यूटिलिटीज प्रोजेक्ट बनाते हैं वे रीजनल प्रोजेक्ट होते हैं। साउथ में होंगे तो साउथ के जो भी रीजनल स्टेट्स हैं उन्हें उसका लाभ मिलता है और वेस्टर्न में होगा तो पूरे पश्चिमी राज्यों को उसका लाभ मिलता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): हमारा अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा मंहगा है।

श्री सुरेश प्रभु: मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं।

यह समस्या क्यों आई? जब इस तरह के प्रोजैक्ट्स बनने की शुरूआत है तो नाफ्ता के ऊपर ही वे बनेंगे। उस समय जो पावर प्रोजैक्टस एग्रीमेंट राज्यों के साथ किया गया उसमें भी कहा गया है कि इसकी दो कीमत होंगी। एक तो स्थिर कीमत होगी और दूसरी वैरीएबल कीमत होगी। वैरीएबल कीमत में जब नाफ्ता के दाम बढ़ेंगे तो इसके भी दाम बढ़ेंगे। लेकिन हम इसमें भी कोशिश करें कि किसी तरह से नाफ्ता के बढ़ते हुए दामों को कम किया जाए। अपने सहयोगी मंत्री जी से मैंने प्रार्थना की है कि नाफ्ता के दामों में कमी लाने की जरूरत है जिससे हमारे पावर सैक्टर को ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केरल राज्य के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी। लेकिन हर राज्य को यह भी सोचना होगा कि जो हमारे राज्यों में मांग है उसमें से 60-65 प्रतिशत मांग राज्यों की जैनरेशन कैपेसिटी से ही पूरी की जाए। यदि हम नैशनल ग्रिड पर ही निर्भर करेंगे तो आने वाले समय में राज्यों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज राज्यों की स्थिति यह है कि वहां ठीक से बिजली जैनरेशन नहीं हो रही है।

माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा कि आज 50 हजार करोड़ रुपया कॉस्ट ऑफ सप्लाई और रेट कॉस्ट टैरिफ के बीच का अन्तर है। यदि यह 50 हजार करोड़ रुपया हम इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड तक पहुंचा सकते हैं तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड खुद के ही रिसोर्सेज से जैनरेशन कर पाएंगे और आज की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन स्थिति को बदलने के लिए कुछ और चीजें करने की भी जरूरत है। उसमें भी रैगूलेटरी कमीशन का गठन करना जरूरी है। इसलिए मैं इसको भी आपसे कहना चाहूंगा।

हमारे माननीय रावत साहब ने ठीक ही कहा है कि किसान और बिजली का जो संबंध है वह केवल चर्चा तक ही सीमित है। आज किसान को सही मायने में बिजली नहीं मिलती है और जो बिजली चोरी होती है वह भी किसानों के सिर पर डाली जाती है। इसमें सुधार होने के बाद एक स्थिर और सस्टेनिंग बेसेज पर बिजली मिल सकेगी। अगर यह हुआ तो मैं मानूंगा कि हमारे सुधार सफल हुए।

माननीय राधाकृष्णन साहब ने जो कहा है, मेरी उनसे विनती रहेगी कि आप इसका समर्थन करें।

हमारे मित्र रघुवंश प्रसाद जी हमारे सदन के ऐसे सदस्य हैं जिनके विचार बिहार और देश के हित में हमेशा रहे हैं। बिहार हमारे देश का हिस्सा है और बिहार का हित देश का हित है। लेकिन मेरी उनसे विनती है कि बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ एग्रीमेंट करना चाहा था। आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से निकले हैं। लेकिन पटना और दिल्ली में इतना अंतर नहीं है कि वह फासला दूर नहीं किया जा सकता है। मेरी विनती है कि आप जल्दी उनको बुलाएं। हम उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे और जो भी धन की जरूरत होगी वह धन हम आपको देंगे। साथ ही आपने इस सवाल को उठाया कि हमारे 80 हजार गांवों में बिजली कैसे पहुंचेगी। हमने कहा था कि 7 सालों में मिलेगी। अभी तक तो अलग-अलग सरकारें रहीं। सन् 1996 तक कांग्रेस रही, बाद में आपकी सरकार थी लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो तीन महीने पहले कहा था उसको पूरा करने का काम हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने आपके लिए पैसों का ऐलान करके पूरा किया है। इसलिए हमारी सरकार जो कहती है उसको पूरा करने का भी काम वह करती है, उस पर आप विश्वास करें। बिहार के ज्यादा से ज्यादा गांवों में बिजली मिलेगी लेकिन वह आर.ई.सी. से ही बोर्टिंग करके नहीं मिलेगी, बल्कि हमने जो पॉलिसी में अंतर किया है उससे और गांवों को भी मिलेगी। भगवान महावीर जी की जयंती के नाते जो 2600 गांव हैं उनमें भी हम बिजली देने का काम जल्दी ही करेंगे, यह मैं ऐलान करना चाहता हूं। अब मैं सदन के माननीय सदस्यों से विनती करता हूं कि वह बिल का समर्थन करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन: सभापति महोदय, गैर सरकारी सदस्यों का कार्य सभा के कार्य का महत्वपूर्ण भाग है।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): सभापति जी, यह सदन की सहमति से, राय से हो रहा है। सदन की राय पहले ही ली जा चुकी है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: गैर सरकारी सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण और कुछ नहीं वरन् असंसदीय है तथा यह अधिकारों का उल्लंघन है। हम लोग सरकारी कार्य के लिए क्यों बैठें जब सदन के समक्ष गैर सरकारी सदस्यों का कार्य है?

सभापति महोदय: आपके प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री ने पहले ही दे दिया है। यह उचित तरीका नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: सहमति हो सकती है क्योंकि वे बहुमत हैं लेकिन गैर सरकारी सदस्यों के दिन से अभिप्राय गैर सरकारी सदस्यों का कार्य है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभा ने पहले ही निर्णय लिया है। सभा ने निर्णय लिया है।

यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय: सभा ने पहले ही निर्णय ले लिया है। यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

नियम 80 (एक) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री सुरेश प्रभु: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि हम सभा लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।''

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि हम सभा लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड-2

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

''2. विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में,-

(क) खंड (ग) में, ''या राज्य आयोग'' शब्दों के स्थान पर ''या राज्य आयोग या संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग'' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ख) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

'(ङक) ''संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग'' से धारा 21क के अधीन गठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है''।' (3)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नया खण्ड-2 विधेयक अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड-2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-2

धारा 2 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,-

''2 विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अध्याय 4 के पश्चात्'', के स्थान पर ''3. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात्'', प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 1, पंक्ति 8, –

''राज्य'' के स्थान पर ''विद्युत'' प्रतिस्थापित किया जाये। (5)

पृष्ठ 1, पंक्ति 10,–

''निकटवर्ती'' का लोप किया जाये। (6)

पृष्ठ 1, पंक्ति 11 और 12,–

''ऐसे संघ राज्यक्षेत्र या संघ राज्यक्षेत्रों के निकटवर्ती'' का लोप किया जाये। (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,–

''राज्य'' के स्थान पर ''विद्युत विनियामक'' प्रतिस्थापित किया जाये। (8)

पृष्ठ 2,–

पंक्ति 6 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये–

''(2) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के एक सदस्य से मिलकर बनेगा और अध्यक्ष, सदस्यों में से सर्वसम्मति से और उसमें असफल रहने पर चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जायेगा;'' (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 9,–

''राज्य'' के स्थान पर

''विद्युत विनियामक'' प्रतिस्थापित किया जाये (10)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,–

''राज्य'' के स्थान पर

''विद्युत विनियामक'' प्रतिस्थापित किया जाये। (11)

पृष्ठ 2, पंक्ति 12,–

''चक्रानुक्रम में'' के स्थान पर

''सर्वसम्मति से और उसमें असफल रहने पर चक्रानुक्रम में'' प्रतिस्थापित किया जाये। (12)

पृष्ठ 2, पंक्ति 13,–

''राज्य'' के स्थान पर

''विद्युत विनियामक'' प्रतिस्थापित किया जाये। (13)

पृष्ठ 2, पंक्ति 18,–

''राज्य'' के स्थान पर

''विद्युत विनियामक'' प्रतिस्थापित किया जाये। (14)

पृष्ठ 2, पंक्ति 19,–

''संयुक्त राज्य'' के स्थान पर (15)

''संयुक्त विद्युत विनियामक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विद्यमान खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विद्यमान खण्ड-2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (एक) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री सुरेश प्रभु: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।''

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 की

सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4

संशोधन किया गया:

धारा 29 का संशोधन

पृष्ठ 2, पंक्ति 28 के पश्चात, निम्नलिखित अत:स्थापित किया जाये-

'4. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जायेगा अर्थात:-

''परंतु राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया गया है, वहां ऐसा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग भाग लेने वाले राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए भिन्न टैरिफ अवधारित करेगा।'' (16)

(श्री सुरेश प्रभु)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 4, विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

''1999'' के स्थान पर ''2001'' प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

''पचासवें'' के स्थान पर ''बावनवें'' प्रतिस्थापित किया जाये? (1)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय। विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव करें।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।''

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।''

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय महोदय मंत्री से एक साधारण प्रश्न पूछना चाहूंगी। इस सभा में सभी तर्क ऊर्जा उत्पादन के बारे में हैं जो कि देश भर में अपर्याप्त है। जब हम बिहार पर आते है विशेष रूप से क्योंकि बिहार, अब बिहार और झारखंड में बंट गया है माननीय मंत्री यह जानते हैं कि इस समय बिहार में ऊर्जा

उत्पादन की कोई भी इकाई नहीं है। हमारे पास एक अच्छा कार्यक्रम जिसका प्रारम्भ 1989 में सुपर थर्मल पावर परियोजना के रूप में मध्य बिहार के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के नवीनगर में हुआ। इस परियोजना को पूरा क्यों नहीं किया गया जबकि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इसके बावजूद, एक नई परियोजना जो कि सभी आवश्यकता जरूरतों को पूरा नहीं करती है, को आगे बढ़ाया गया। मेरा विचार है कि यह थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण रवैया है। यह अच्छा होगा कि माननीय मंत्री नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना पर विचार करें।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.22 बजे

ओरोविल (आपात उपबंध) निरसन विधेयक

[हिन्दी]

मानव संसधान विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि ओरोविल (आपात उपबंध) अधिनियम, 1980 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, 1968 में ओरोविल तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में पांडिचेरी के आसपास स्थापित किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना महर्षि अरविंद की प्रमुख शिष्या जिन्हें हम मदर के नाम से जानते हैं, ने की थी। और ओरोविल का चार्टर बहुत महत्वपुर्ण है।

[अनुवाद]

(एक) ओरोविल विशेष रूप में किसी भी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ओरोविल सम्पूर्ण मानव जाति से संबंध रखता है। ओरोविल में रहने के लिए धार्मिक मानसिकता का अनुयायी होना चाहिए।

(दो) ओरोविल सतत् शिक्षा और कभी न वृद्धा होने वाली युवा का निरन्तर प्रगति स्थान है।

(तीन) ओरोविल भूत और भविष्य के मध्य पुल का कार्य करना चाहता है, इसके बिना और इसके बीच से सभी खोजों से लाभ उठाते हुये। ओरोविल भावी अनुभूतियों को साकार करने के लिए दृढ़ कदम उठायेगा।

(चार) ओरोविल वास्तविक मानव एकता की जीवन्त मूर्त रूप देने के लिए भौतिक और अध्यात्मिक अनुसंधान का स्थान होगा।

[हिन्दी]

यह एक ऐसी संस्था थी जिसके कार्यकरण में बहुत सी अनियमितितायें पाई गई। इसलिये सरकार ने 1980 में उसकी सोसायटी को अधिगृहीत कर लिया और उसके स्थान पर यह अधिनियम लाकर वहां एक नयी व्यवस्था स्थापित की। 7-8 वर्ष तक उस व्यवस्था ने वहां काम किया और 1988 में ओरोविल के बेहतर प्रबन्धन और आगे विकास के लिए ओरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 द्वारा ओरोविल के उपक्रमों को अधिगृहीत कर लिया गया और ओरोविल प्रतिष्ठान में निहित कर दिया गया जिससे 1980 का बिल निरर्थक हो गया। ओरोविल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। उस संस्था के माननीय सदस्य बहुत अच्छे लोग हैं जो इसे चला रहे हैं। श्री किरीत जोशी इसके अध्यक्ष हैं और डा. डी.पी. चट्टोपाध्याय, डा. सुभाष काश्यप, डा. एल.एम. सिंघवी, मि. रोजर एंगर, श्री जी.एम. देव, श्रीमती ज्योति मधोक इस संस्था के माननीय सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारी भी इसके सदस्य हैं। 1988 का अधिनियम ठीक ढंग से काम कर रहा है, इसलिये 1980 का विधेयक निरस्त करना सर्वथा आवश्यक है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस अधिनियम को निरस्त किया जाये।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि ओरोविल (आपात उपबंध) अधिनियम, 1980 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, मैं माननीय मंत्री को अवश्य बताना चाहता हूं कि मैं पांडिचेरी से हूं और इसलिए, मैं जानता हूं कि चीजें सही दिशा में जा रही हैं।

जब ओरोविल स्थापित हुआ था, मैं उन लोगों में से एक था जिन्होंने उस कार्यक्रम में भाग लिया था और साथ ही मैं उस समय मुख्यमंत्री था। इसलिए, इसकी स्थापना और उदभव के समय से लेकर इसकी वृद्धि तथा साथ ही इसके वर्तमान स्तर तक मैं इससे जुड़ा हुआ था।

मदर ने जिस विचार को स्थापित किया था, वह प्रशंसनीय है।

[श्री एम.ओ.एच. फारुक]

परन्तु महोदय, मेरी निराशा यह है कि इस बीच मैं देख सकता हूं कि वहां पर विवाद था। हम सभी इससे निराश थे। वास्तव में, आप सारे इतिहास को जानते हैं। मुझे आपको यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर विदेशियों तथा ओरोविल वासियों के बीच में विवाद था, ओरोविल में रहने वाले विदेशी और हमारे स्थानीय लोग जो कि सभी चीजों का नेतृत्व कर रहे थे। इसी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया और इसका परिणाम यह था कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और तब इस कानून को पारित किया। अन्ततः, हम सभी ने बातचीत की और उन लोगों के बीच एक समझौता करवाना चाहते थे, परन्तु हम उसमें सफल नहीं हो सके, हम उस स्तर तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके, और सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और यह अधिनियम पारित हुआ। अब, आप इस अधिनियम को निरस्त करने के बारे में सोच रहे हैं।

यह संस्था भली भांति कार्य कर रही है, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह संस्था इस क्षेत्र को छोड़कर देश के सम्पूर्ण भागों में जीवन के सभी पहलुओं की विचारधारा के विकास के भावना से अवगत क्यों नहीं कराती। इस विचार का ओरोविल को आकर्षण के केन्द्र में रखते हुये, इस देश के विभिन्न भागों में विकास करना है।

महोदय, यहां कुछ बातों पर मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। ओरोविल का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के पश्चात् इस पर केन्द्र सरकार ने कितना रूपया खर्च किया है। यदि माननीय मंत्री यह बताने में समर्थ हैं, तो मैं प्रसन्न होऊंगा। अन्यथा, वे इसे मेरे पास भेज सकते हैं। मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। अब यह एक संस्था में बदल गई है। मैं प्रसन्न हूं कि यह एक संस्था में बदल गई है। बहुत से लोग जो इस संस्था से जुड़े हुये हैं बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अपने शब्दों में उन्होंने इसे स्वीकार किया।

मेरे पास उन्हें बताने के लिए सिर्फ एक बात है। एक गल्ती जो हमारे यहां वो लोग कर रहे हैं कि इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा। यह लोग एक बड़ी गल्ती कर रहे हैं। मैं इसे प्रारम्भ से ही कह रहा हूं। क्या वे बता सकते है कि क्या इस फाउंडेशन (संस्था) में अभी तक किसी भी पांडिचेरी के व्यक्ति को शामिल किया गया है? किसी भी व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से कोई हिस्सा चाहते हों, परन्तु वो लोग जिनकी इस नीतिशास्त्र (आचार नियम) में रूचि है। वे क्यों नहीं उन दिशाओं में सोचें और इसे करने का प्रयास करें। मेरा यही एक छोटा सा सुझाव है।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब, वे अनुदान दे रहे हैं और तब कार्यों को करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भविष्य में, यदि यह प्रक्रिया चलती रहती है और यदि लड़ाई उन दिशाओं में लगातार चलती रहे जैसे कि अभी तक चलती आ रही है—क्योंकि इसने एक प्राकृतिक रास्ता अपनाया है और तब, संस्था उभर कर वहां आई—क्या उनकी सरकार में इसको नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था है और तब इसे ठीक-ठाक बनाये? सिर्फ यह एक बात है जिसे मैं उनसे पूछना चाहता था। महोदय, मैं इस बात को उन्हें कहना चाहता हूं, और एक बार फिर उन लोगों को जो वहां उपस्थित हैं। श्री किरीत जोशी मेरा अच्छा दोस्त है। श्री कर्ण सिंह वहां उपस्थित थे। महोदय, मैं सिर्फ आप से बात कर रहा हूं। मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। इसलिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि यह एक स्तुतियोग्य बात है। मैं चाहता हूं कि यह सही दिशा में आगे बढ़े और पूरे विश्व से वस्तुयें वहां पर आनी चाहिए। इसलिए, मैं चाहूंगा कि पांडिचेरी के लोगों को जो कि इसमें रूचि रखते हैं, इस संगठन से संबद्ध किया जाये।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, हमारे प्राइवेट मैम्बर बिल का क्या होगा। मंत्रीगण तथा अन्य लोग अपना-अपना खत्म करके चले जायेंगे। हमारा तथा सभापति महोदय आपका बिल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अब तक मंत्री लोग बैठे रहेंगे।

सभापति महोदय: प्राइवेट मैम्बर बिल इसके बाद लेंगे। सब लोग बैठे रहेंगे। मंत्री लोग भी बैठे रहेंगे।

श्री रामानन्द सिंह: सभापति महोदय, हमारा बड़ी मुश्किल से बैलट में आता है। हमारा शुरू करवा दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: विधेयक को पारित करने के पश्चात् हम गैर-सरकरी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, मैं ओरोविल (आपात उपबंध) निरसन विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि ओरोविल फाउंडेशन को एक निगमित निकाय के रूप में गठित किया गया था अतः वर्तमान ओरोविल (आपात उपबंध) निरसन विधेयक निरर्थक हो गया है और इसलिए यह ओरोविल (आपात उपबंध) निरसन विधेयक माननीय मंत्री द्वारा पेश किया गया है। यह विधेयक आवश्यक है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

ओरोविल फाउंडेशन पांडिचेरी की एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संस्था है और यह सम्पूर्ण देश को आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहा है और इसने विश्व में भी एक अग्रणी संस्था बन गई है।

आन्ध्र प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र तेनाली में कृष्णा नदी के ऊपर बने पुल को नाम 'ओरोविल वरदीह' का रखा गया है क्योंकि विशेषरूप से उस ओरोविल दार्शनिकता के शिष्य मेरे क्षेत्र में हैं।

इस तरह से जब से ओरोविल फाउंडेशन बना है, वह इस संस्था की पूरी कार्यप्रणाली और रख-रखाव के कार्य को देख रहे हैं। अत: यह ओरोविल (आपात उपबंध) निरसन विधेयक आवश्यक है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को मुबारकवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: श्रीमान् जो धनराशि हमने ओरोविल फाउंडेशन के लिए पिछले तीन सालों में दी है, उसके आंकड़े तो मैं दे सकता हूं लेकिन उसके पहले की जानकारी चाहिए तो वह मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

1997-98 में हमने प्लान मनी 50 लाख रुपये सैंक्शन किया था लेकिन जो खर्च हुआ, वह 28,80,000 रुपये था। नॉन प्लान में 37 लाख रुपये हमने सैंक्शन किया था और खर्च हुआ 29 लाख रुपये। 1998-99 में प्लान मनी 50 लाख रुपये था जो उनको पूरा रिलीज कर दिया गया, और उन्होंने पूरा 50 लाख रुपये खर्च किया। नॉन प्लान 35 लाख रुपये था जिसमें उन्होंने 30,74,868 खर्च किया। 1999-2000 में प्लान में 60 लाख रुपये था और 60 लाख रुपये ही रिलीज कर दिया गया था। नान प्लान में 35 लाख रुपये था लेकिन वह खर्च बढ़कर 58 लाख रुपये हुए। 2000-2001 में प्लान का 50 लाख रुपया उनको सैंक्शन करके कमेटी ने दिया, खर्च कितना किया वह 31 मार्च को पता चलेगा। नॉन प्लान में रिवाइज्ड ऐस्टिमेट उनका 62 लाख रुपये है। इस तरह से हम उत्तरोत्तर इस राशि को बढ़ा रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि ओरोविली लोकल या स्थानीय संस्था नहीं है बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसका प्रभाव और उसका मॉडल अन्य स्थानों पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ओरोविली ठीक से चले और उसके बारे में जो पुरानी भ्रांतियां थी, वे दूर हो जाएं और वहां के लोग ठीक ढंग से काम करने लगें, उसके लिए एक इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष श्री किरीट जोशी हैं। इसके मैम्बर्स के रूप में प्रोफेसर नॉर्मन मेयर्स मिसेज मेरी किंग और डा. ए.टी. आर्य रत्ने हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भी उसमें नामित किया गया था लेकिन उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया है। यह इंटरनेशनल ऐडवाइजरी कमेटी है जिससे औरोविली की इंटरनेशनल छवि बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका वह निभाती रहे। स्थानीय लोगों के मामलों को ठीक करने के लिए और प्रबंध ठीक करने के लिए रेजिडेन्ट्स की असेम्बली है। उसकी वर्किंग कमेटी बनाई गई है। उसके सदस्य हैं—श्री औरोकृपा बोर्ग जिनका जन्म औरोविला में ही हुआ था। अरगेन पुट्ज जर्मनी के हैं। मीता राधाकृष्णन भारत की हैं। पॉल विन्सेन्ट बैपटिस्टे फ्रांस के हैं और मिस्टर राय च्योट ब्रिटेन के हैं। इस प्रकार विभिन्न राष्ट्र के लोग आकर वहां के प्रबंध में काम कर सकें, उसका अवसर भी दिया गया है। यह कहना कि पांडिचेरी का कोई व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं है, यह बात नहीं है कि पांडिचेरी के लिए हमारे मन में किसी प्रकार की उपेक्षा का भाव है बल्कि इसको नेशनल और इंटरनेशनल स्वरूप देना है। पांडिचेरी के आंगन में ही औरोविला बना हुआ है, सारी पांडिचेरी उसकी देखभाल के लिए उसके साथ असोसियेटेड रहती हैं, लेकिन उस ओरोविल में और लोगों का भी सहयोग हो। क्योंकि संख्या सीमित है इसलिए पांडिचेरी का कोई सम्मानित व्यक्ति उसमें नहीं आ पाया। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके सहयोग में सरकार को किसी प्रकार का गुरेज होगा। उनके जितने भी सुझाव होंगे, वह सब हम समिति के सामने प्रस्तुत करेंगे और समिति से भी यह कहेंगे कि जो भी महानुभाव वहां से उपयोगी हो, उनका सहयोग अवश्य लें, उनको शामिल करें, उनकी राय और शक्तियों का उपयोग करें। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके अतिरिक्त यदि और भी कोई महानुभाव उसमें भाग लेने के लिए तैयार होंगे तो मैं उसके अध्यक्ष श्री किरीट जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन सबकी क्षमताओं, योग्याताओं और अनुभव का लाभ उठाएं। सरकार का इरादा यह है कि यह फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे, मानवता और अध्यात्मिकता का बड़ा केन्द्र बना रहे और इस रूप में इसका विकास हो। इसलिए आपके जितने भी सुझाव होंगे, वह आप प्रस्तुत कर दें, हम उन पर इस अवश्य कमेटी को विचार और अमल करने के लिए कहेंगे। मैं समझता हूं कि पुराने 1980 के अधिनियम का निरसन करना बिल्कुल उचित है और सदन उसे पूरे रूप से सहमति दे और इस बिल को निरस्त करें।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि ओरोविल (आपात उपबंध) अधिनियम, 1980 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड-2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-1

संक्षिप्त नाम

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

'2000' के स्थान पर "2001" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(डॉ. मुरली मनोहर जोशी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड-1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1-

'इक्यावनवें' के स्थान पर

"बावनवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(डॉ. मुरली मनोहर जोशी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.38 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के (बारहवें) प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 1.3.2001 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 1.3.2001 को सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.40 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निधियों का अल्प उपयोग

सभापति महोदय: अब सभा 15 दिसम्बर, 2000 को डा. वी. सरोजा द्वारा पेश किये गये संकल्प पर आगे चर्चा शुरू करेगी।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय सभापति महोदय, मुझे अपना भाषण शुरू करने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, पूना समझौते पर सितम्बर, 1932 में महात्मा गांधी और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। आरक्षण दान के रूप में नहीं दिया गया है। यह दलितों और शोषितों का संवैधानिक अधिकार है जो कि उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के सृजन के स्थान पर प्रदान किया गया है।

डा. अम्बेडकर की शताब्दी के समारोहों के एक भाग के रूप में हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री वी.पी. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसका कार्य वर्ष 1950 से 1990 तक दलितों के समग्र उत्थान के स्तर का आलोचनात्मक आकलन करना था। समिति की एक कार्य-सूची थी। एक कार्य-योजना तैयार की गई थी। भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का चहुंमूखी विकास सुनिश्चित करने के लिए 45 सूत्रीय कार्य योजना का अनुमोदन किया था और उसे स्वीकार किया था। उस 45 सूत्री कार्य-योजना के छह प्राथमिक शीर्ष थे और वे निम्न प्रकार हैं:

1. सरकारी सेवा तथा शिक्षा में आरक्षण के संबंध में संसद के किसी अधिनियम का अधिनियमन।
2. विशेष भर्ती अभियान चलाकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बकाया रिक्त पदों को भरना।
3. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी स्तरों के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए योजना बनाना और निधि का सृजन।
4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में उनके चहुंमूखी विकास के लिए राष्ट्रीय राजकोष की धनराशि का आबंटन।
5. व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, बैंकिंग और निजी क्षेत्र के सभी कार्यकलापों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
6. भूमि सुधार का प्रभावी कार्यान्वयन।

इस कार्य योजना की स्वीकृति के दस वर्ष बाद, मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

महोदय, राष्ट्रीय जन तान्त्रिक गठबन्धन सरकार के सरकारी तंत्र का कार्य 43 मंत्रालयों में आबंटित किया गया है। किन्तु देश में 140 मिलियन अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई मंत्रालय नहीं है। अनुसूचित जाति के लोगों की योजना आयोग द्वारा भी पूर्णतः उपेक्षा की गई है। जनजातियों के लोगों, जिनकी जनसंख्या देश में लगभग 67.76 मिलियन, के कल्याण के लिए एक मंत्रालय है। भारतीय जनसंख्या में उनकी जनसंख्या 8.8 प्रतिशत है। मुझे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। मैं जनजातियों के विकास के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाने के निर्णय का स्वागत करती हूं।

लेकिन महोदय, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत से 24.8 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति जी, जिनकी डिबेट है. वह मंत्री नदारद हैं। यह डिबेट महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)* मैं भले ही सत्तादल से हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री को यहां इस डिबेट में रहना चाहिए।...*(व्यवधान)* आप तो यहां पर हैं, ठीक है लेकिन उनको भी यहां होना चाहिए था। यह अच्छी बात नहीं है। मैडम सरोजा जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उससे संबंधित मंत्री यहां बैठे हैं।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): कोई भी एक मंत्री ही उत्तर देंगे।...*(व्यवधान)* उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं. इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): सभापति महोदय, श्री रामानन्द सिंह ने यह बिल्कुल ठीक कहा। संबंधित मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं है।...*(व्यवधान)*...आप माननीय मंत्री को निदेश दे कि वह सभा में उपस्थित रहें।...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): महोदय, वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): यह बहुत बड़ा विभाग है। आप तो इसके एक पार्ट के मंत्री हैं।...*(व्यवधान)* मेनका गांधी जी का सही मायनों में इस विभाग से संबंध है वह यहां उपस्थित नहीं हैं। उनको यहां उपस्थित रहना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भड़ाना (मेरठ): हाउस की कुछ गरिमा नहीं रह गई है।...*(व्यवधान)* इस हाउस को दुनिया की कुछ परवाह नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह: सभापति जी, कई मंत्री तो 6-6 महीने तक हाउस को नहीं देखते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हमारी विदूषी महिला सदस्य बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जे.एस. बराड़: मंत्री महोदय, हम आपका सम्मान करते हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि अन्य मंत्री भी यहां उपस्थित रहें। *...(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, आप माननीय मंत्रियों को यहां उपिस्थत रहने का निदेश दें...*(व्यवधान)*...सरकार गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को गंभीरता से नहीं ले रही है।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे सभी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और वे उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इतना बड़ा विभाग है।...*(व्यवधान)* यह उससे संबंधित मंत्री नहीं हैं। हम तो इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जुएल उराम: आपको कैबिनेट मंत्री रिप्लाई दें या स्टेट मिनिस्टर रिप्लाई दें, यह बराबर होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. वी. सरोजा, कृपया अब अपना भाषण जारी रखें।

श्री जे.एस बराड़: सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, क्या यह उचित है? कृपया आप कैबिनेट मंत्रियों के लिए यहां उपस्थित होने का निर्देश दें...*(व्यवधान)*... यह सभा की अवमानना है।

सभापति महोदय: परन्तु संबंधित मंत्री यहां उपस्थित हैं।

..(व्यवधान)

डा. वी. सरोजा: सभापति महोदय, मैं इस माननीय सभा के माननीय सदस्यों की भावनाओं से अपने आपको जोड़ती हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री जगमोहन भी यहां उपस्थित हैं। श्री अरुण शौरी भी यहां उपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अरुण शौरी जी और जगमोहन जी यहां बैठे हैं।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: उनको तो डिसइंवेस्टमेंट से ही फुर्सत नहीं है। आप उन्हें इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने धनराशि को दूसरी मदों पर खर्च किये जाने के बारे में आश्वासन दिया था और सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, कि माननीय प्रधानमंत्री सभा में आये और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। हमारे माननीय नेता, डा. पुराची पलैवी ने एक नोट भेजा था जिसका माननीय प्रधानमंत्री को इस सभा में उत्तर देने की आवश्यकता है। मैं ठोस उत्तर चाहती हूं।

महोदय, मैं, भारत की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की लगभग एक तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हूं। मैं उन लोगों के लिए वचनबद्ध हूं। मैं उन लोगों के हित के लिए वचनबद्ध हूं। इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से सभा में आने और मेरे प्रश्नों के उत्तर देने का निवेदन करती हूं।

महोदय, जहां तक बजट आबंटन का संबंध है। कुछ दिन पहले, 28 फरवरी 2001 को, माननीय वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट पेश किया था।

उन्होंने वर्ष 2000-2001 के लिए, 140 मिलियन की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए बजट आबंटन को 709 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 790 करोड़ रुपये किया है। अनुसूचित जनजाति की 68 मिलियन की जनसंख्या के लिए, उन्होंने बजट आबंटन का 78 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 96 करोड़ रुपये किया है। परन्तु, आदिम

जनजातियों जिनकी जनसंख्या 1.2 मिलियन है के लिए बजट में कोई आबंटन नहीं किया गया है। यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि बजट आबंटन जनसंख्या के अनुपात में नहीं किया गया है। और इतने वर्षों से जो सभी योजनाएं और कल्याणकारी उपाय शुरू किए गए उनसे कोई सुधार नहीं हुआ है। सामाजिक, शैक्षणिक अथवा समग्र सुधार भी नहीं हुये हैं। यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनतान्त्रित गठबन्धन सरकार इस समुदाय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

मेरे पास बजट आबंटन दर्शाने वाले उस समय के आंकड़े हैं जब हमारी नेता डा. जे. जयललिता मुख्य मंत्री थी। मेरे पास वर्ष 1991 से पहले के दस वर्षों के आंकड़े हैं, जब डा. पुराची थलैवी तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे और तब समुदाय के लिए आबंटित धनराशि समुदाय के कल्याण के लिए व्यय की गई थी। परन्तु, डी.एम. के सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है। उन्होंने इस धनराशि का उपयोग समथुवापुरम के लिए किया है। मैंने इस मामले पर माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है कि मामले को देखा जाये और जांच की जाये परन्तु, मुझे अभी सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला है। मुझे अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे सिर्फ पावती प्राप्त हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा पत्र प्राप्त हो गया है। मैं इस माननीय सभा में इसके लिए उत्तर चाहती हूं। हमारे नेता ने दिनांक 12.1.2001 को एक पत्र लिखा था परन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। आज तक कोई भी जांच आयोग नहीं बना है।

तमिलनाडु में, मैंने सलेम और नामाक्कल जिलों जहां मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, के कलैक्टरों को लिखा है। मैंने मुख्य सचिव और टी.एच.ए.डी.सी.ओ. (थाडको) के प्रबंध निदेशक को भी लिखा है। उन्होंने बजट आबंटन और आरम्भ की गई योजनाओं के संबंध में मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया है। मेरे पास सूचना है कि भारत सरकार ने दो और तीन बार तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखे हैं परन्तु तमिलनाडु सरकार ने उन पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने इस धनराशि का उपयोग समथुवापुरम परियोजना के लिए किया है जहां गैर-अनुसूचित जाति के लोग भोगी धनराशि का उपयोग कर रहे है।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं इसे नहीं मानती हूं।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वह नहीं मान रही है...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): महोदय, माननीय सदस्य सभा को गुमराह कर रही हैं।

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं सभा को गुमराह नहीं कर रही हूं।

सभापति महोदय: डा. सरोजा ने जो कहा उसके अलावा कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

डी. वी. सरोजा: मैं इसे नहीं मान रही हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया आप बैठिये।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यह उचित तरीका नहीं है। कृपया आप बैठिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आपका एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया आप बैठ जाईये।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप सभा में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपना और सभा का भी समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं हो रहा है। वह नहीं मान रही हैं और मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया आप बैठ जाईये।

*...(व्यवधान)**

डा. वी. सरोजा: यह वह पत्र है जो मैंने 22.12.2000 को माननीय प्रधान मंत्री को दिया है तथा इसकी प्रतिलिपियां उपाध्यक्ष योजना आयोग, माननीय वित्त मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जनजातीय मामलों के मंत्री को भी भेजी गई हैं मैं इसकी एक प्रति विचारार्थ सभा पटल पर रखना चाहती हूं।

1774.21 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग नहीं हुआ है। भारत सरकार ने यह कहते हुये तमिलनाडु सरकार को लिखा है:

> "तमिलनाडु सरकार आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं कर रही है मामले के शीघ्र निपटारे के लिए दिनांक 25.8.2000 और 25.9.2000 को तमिलनाडु सरकार को अनुस्मारक भेजे गये हैं।"

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. वी. सरोजा]

परन्तु उन्होंने अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। मैं इसे सभापटल पर रखना चाहती हूं।

महोदय, मैं यहां एक और बात कहना चाहती हूं। मैं यहां इस मुद्दे को राजनैतिक रंग देने के लिए नहीं खड़ी हुई हूं। मैं यहां कोई राजनैतिक लाभ भी नहीं उठा रही हूं। मै लोगों की सेवा करने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं मांग करती हूं कि एक जांच आयोग गठित किया जाये, जैसा कि हमारे नेता, डा. पुराची थलैवी ने निवेदन किया है। उन्होंने भी लिखित में दिया है। उन्होंने यह नोट मुझे दिया था। अभी तक, उन्होंने कोई जांच आयोग गठित नहीं किया है। मैं भारत सरकार से तत्काल एक जांच आयोग गठित करने का निवेदन करती हूं।

जहां तक जनजातीय विकास का संबंध है, जनजातीय मामलों संबंधी माननीय मंत्री ने सभी माननीय सदस्यों से अपने राज्यों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उनके विकास के लिए सुझाव और प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। मैं पुन: एक और बात का उल्लेख करना चाहती हूं। 28 नवम्बर, 2000 का पत्र है जिसमें जनजातीय विकास मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को धनराशि आबंटित की है।

उदाहारणार्थ आन्ध्र प्रदेश के संबंध में आवंटन 2.75 करोड़ रुपये था, गुजरात के लिए यह 10.8 करोड़ रु. तथा असम के लिए 8.5 करोड़ रु. है। हम पाते हैं कि तमिलनाडु सरकार को केवल 86 लाख रुपये मिले हैं। इससे आदिवासी विकास के प्रति तमिलनाडु सरकार के ढुलमुल रवैये तथा उसके अपेक्षित उत्साह में कमी का पता चलता है।

योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में महिला घटक योजना आरम्भ की है ताकि धन और लाभों में महिलाओं को उचित हिस्सा प्राप्त हो सके। भारत में लगभग 25-26 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग है। इन लोगों के 81 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अर्थात 25-26 जनसंख्या में से 13-14 प्रतिशत महिलाएं थी। वर्ष 2001 महिला शक्तिकरण वर्ष है। योजना आयोग ने महिला घटक योजना आरम्भ की है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 13 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण भारत की कृषि मजदूर हैं तथा महिलाओं के लिए स्वत: सहायता ग्रुप तथा माइक्रो ऋण योजना आरम्भ की गई है। भारत सरकार को राज्यवार, क्षेत्रवार तथा लिंगवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के समग्र विकास की योजनाओं पर विशेष ध्यान के साथ राष्ट्रीय महिला नीति तैयार करनी चाहिए। यह महिलाओं के शक्तिकरण के लिए आवश्यक है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सम्पूर्ण शक्तिकरण के लिए हमने नौवीं योजना में तीन नीतिया बनाई हैं, अर्थात नीतियां तीन शीर्षों के अन्तर्गत बनाई गई हैं-सामाजिक शक्तिकरण, आर्थिक शक्तिकरण तथा सामाजिक न्याय और राजनैतिक शक्तिकरण।

अपराह्न 5.00 बजे

अनुच्छेद 14, 15, 17 और 340 में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46, 275 (1) और 335 आर्थिक शक्तिकरण, राजनैतिक शक्तिकरण तथा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के प्रशासनिक नियंत्रण के अनुरूप हैं। अनुच्छेद 224 और 329 में लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। यद्यपि संवैधानिक सुरक्षोपाय उपलब्ध हैं। तथापि हमने उस स्तर तक सुधार नहीं किया है जिस तक कि हमें करना चाहिए था। संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त देश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास वित्त निगम भी हैं जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 1974 से अनुसूचित जनजाति के लिए आदिवासी उपयोजना, एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, 1990 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, आदिवासी विकास के लिए एक अलग मंत्रालय, भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त निगम हैं। परन्तु इन सभी से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समग्र जीवन स्तर में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है।

क्या मैं सरकार से अनुरोध कर सकती हूं कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों तथा योजनाओं की समीक्षा करे? हमें इन योजनाओं पर पुन: विचार करना होगा। हमें निचले स्तर से क्रियान्वयन करना होगा। इसे ऊपर से करने के बजाय हमें निचले स्तर से क्रियान्वयन करना होगा ताकि आगे से हम कुछ परिणाम प्राप्त कर सकें। मैं दूसरी बार इस सभा का सदस्य चुनकर आयी हूं और मैं स्थायी समिति की सदस्य भी रही हूं। मैं समिति की बैठक में उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के बीच क्षेत्रीय असंतुलन से दुखी होती हूं। यदि आप आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो आप पायेंगे कि इस प्रणाली में

तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कि केन्द्रीय आरक्षण अधिनियम नहीं बनाया जाता। मुझे याद है कि राज्य अधिनियम 1993 के अन्तर्गत सीटों, शिक्षा संस्थाओं में तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, सेवाओं में नियुक्तियां और पद को संविधान की नौवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 257, (क) में शामिल करने के पश्चात भारत के संविधान का 19.7.1994 में संशोधन किया गया था।

मैं इस सभा को सूचित करना चाहती हूं कि मेरे नेता डा. पुराची थलैवी इस आरक्षण अधिनियम के पथ प्रदर्शक हैं। किसी भी अन्य राज्य में यह नहीं किया गया है। यद्यपि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार ने राज्य विधान बनाये हैं, इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसी कारण से क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह संसद में एक केन्द्रीय आरक्षण अधिनियम प्रस्तुत करे और इसे पारित कराए ताकि कम से कम संभव समय में क्षेत्रीय अंसतुलन को ठीक किया जा सके।...*(व्यवधान)*

तमिलनाडु में डा. पुराची थलैवी इस आरक्षण अधिनियम को लाए थे जिसमें 69% आरक्षण का प्रावधान है। यह केवल तत्कालीन मुख्य मंत्री डा. पुराची थलैवी द्वारा किया गया था। भारत में किसी अन्य मुख्य मंत्री ने इसे नहीं किया है। तमिलनाडु राज्य को इसका श्रेय जाता है। परन्तु वर्तमान तमिलनाडु सरकार ने जनता के लिए क्या किया है।

वे दलित विरोधी है। उन्होंने सरकारी आदेश सं. 44 निकाला है जिसमें कहा गया है कि वे मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे। कुछ समय बाद तमिलनाडु सरकार ने अन्तर-विभागीय आदेश के द्वारा डा. अम्बेडकर द्वारा दिये गए संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया। इस आदेश के द्वारा तमिलनाडु में सभी शैक्षणिक और संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। अत: मैं आरोप लगाता हूं कि उन्हें राज्य में शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वे दलित विरोधी हैं तथा उनके पास दलितों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रित गठबंधन सरकार के पास उन राज्यों के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करने की राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भलाई की योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, और उड़ीसा जैसे राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित धनराशि को अन्य मदों में खर्च कर दिया है। स्थायी समिति ने एक विवरण प्रस्तुत किया है कि इन सभी तीन राज्यों में एक अन्तरिम आयोग गठित किया जाए। भारत सरकार ने इस संबंध में कुछ कार्यवाही आरम्भ की है। मैं भारत सरकार से शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध करती हूं ताकि दलितों के साथ अन्याय न हो। गल्ती करने वाले सभी राज्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री आदि शंकर: महोदय, सदस्य सभा को गुमराह कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित धनराशि को डी.आर.डी.ए. को आवंटित कर दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने श्री साहू को बुलाया है। वे मान नहीं रहे हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): मैं डा. सरोजा द्वारा उठाये गए मुद्दों पर बोलने से पूर्व क्या मैं कह सकता हूं कि देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वृहतर दृष्टिकोण के सामने क्षेत्रीय दृष्टिकोण नहीं लाये जाने चाहिए और उस दृष्टि से यह अनुचित होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप अपना नाम भेज सकते हैं।

श्री अनादि साहू: महोदय, इस समय यहां किसी विशेष क्षेत्र की कठिनाइयों तथा छोटे आदिवासी मामलों पर विचार करना अनुचित होगा। मैं समझता हूं कि उससे मेरे उन मित्रों की समस्या का समाधान होगा जो अब विरोध कर रहे हैं।

मैं अपनी बात आरम्भ करने से पूर्व एक वाक्यांश कहना चाहता हूं, 'एक छोटे से तिनके से बड़ी आग लगाई जाती है' और इस कमजोर तिनके से एन.डी.ए. सरकार द्वारा गत दो वर्ष में अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्य किये गए हैं। भारत के प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया है। और उन्होंने इसका कार्य मेरे राज्य के एक जनजातीय नेता को सौंपा है। मुझे गर्व है कि मेरे राज्य का जनजातीय नेता इस नये मंत्रालय का प्रभारी मंत्री बना है। जिस मामले पर विशेष ध्यान देन की आवश्यकता है उस पर ध्यान दिया गया है।

जहां तक डा. सरोजा के वक्तव्य का संबंध है, मैं उन पर एक-एक कर आऊंगा तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास की प्रशंसा भी करूंगा।. जब हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में

[श्री अनादि साहू]

सोचते हैं तब भूमि जोत का चित्र हमारे मस्तिस्क में आता है। चूंकि कृषि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, भूमि जोत भारतीय के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने धनराशि के उपयोग का जिक्र किया है। जब हम धनराशियों के उपयोग पर आते हैं, हम आधार के विषय में अवश्य सोचें तथा आधार भूमि है। सभी सदस्य परिचित हैं कि अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा परेशान है। उनके पास भूमि नहीं है। इसलिए दुर्गम स्थानों पर चल कृषि, झुम खेती, कृषि योग्य भूमि को खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास से आदिवासियों के लिए अपने लायक भूमि जोत खोजने में काफी कठिनाई होती है।

सयम-सयम पर अनुसूचित जनजातियों के लिए की गई बन्दोबस्त उनके लिए काफी ज्यादा उपयुक्त नहीं रही है और न ही प्रवासी अ.जा. के लिए। जहां तक भूमि जोतों का संबंध है, क्या मैं आपकी अनुमति से यह बताऊं कि भारत में अनु.जा. एवं अनु. जनजाति के पास किस प्रकार की भूमि जोत है?

जहां तक भूमि का संबंध है, ऐसा देखा गया है कि अनुसूचित जातियों 8.06 प्रतिशत, उनमें से मेरे राज्य में लगभग 13 से 14 प्रतिशत के पास भूमि नहीं है। 17% से ज्यादा अ. जनजातियों के पास कोई भूमि नहीं है, आधा एकड़ भी नहीं। 5.28 प्रतिशत अ.जा. एवं 4.22% अ. जनजातियों के पास आधा एकड़ भूमि है। यह उस प्रकार की कठिनाइयों को दर्शाता है जो एक अ.जा. एवं अ. जनजा. का व्यक्ति अनुभव करता है जब भी वित्तपोषण की बात की जाती है। हम लोगों को ऋण देने के विषय में सोच रहे हैं तथा हम अगल-बगल की मांग कर रहे हैं। जब कुछ ऋण दिया जाता है तो इसके लिए बराबर के जमानत की आवश्यकता होती है। भूमि का काफी कम पारिश्रमिक है तथा अ.जा. तथा अ. जनजातिय ऋण योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। काफी कम पारिश्रमिक से कोई भी व्यक्ति इस प्रतिस्पर्द्धात्मक तथा कठोर दुनियां में नहीं जी सकता है। इसीलिए हम कर रहे हैं कि यद्यपि हमने अ.जा. एवं अ. जनजातियों के लिए काफी सुविधाएं दी है, यह उन लोगों तक नहीं पहुंचती है जिनके लिए ये दी गयी हैं।

मैं उन दो महत्वपूर्ण बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो रा.ज.ग. सरकार द्वारा गत दो वर्षों में की गई हैं। पहली योजना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है जिसमें योजना की 22.5 प्रतिशत अ.जा. एवं. अ. जनजा. के लिए आवंटित की जायेगी तथा दूसरी योजना, जो काफी महत्वपूर्ण है, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनाएं जिसमें राशि का 50% अ.जा. एवं अ.ज. जाति को दिया जायेगा।

जैसा कि मैंने पहले कहा, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषण काफी अच्छे ढंग से किया जाता है। जब रोजगारनीयता होती है परन्तु रोजगार नहीं होता है तब यह आवश्यक होता है कि कुछ रोजगार दिया जाये। योजना आयोग द्वारा यह पाया गया कि जिसके पास कुछ भूमि हो लगभग एक हेक्टेयर भूमि, अर्थात ढ़ाई एकड़ भूमि अधिक से अधिक एक व्यक्ति को 200 दिनों तक का रोजगार मिल सकता है और जो सीमांत किसान हैं, उन्हें 100 दिनों से ज्यादा रोजगार नहीं मिलता। अतएव रोजगार योग्य व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करना काफी कठिन कार्य है। तथा अ.ज.जा. के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वे विषम परिस्थिति में रह रहे हैं। उनके लिए रोजगार योग्य होना काफी कठिन काम है तथा इसलिए एक नया मंत्रालय बनाया गया कि उन्हें रोजगार सुविधाएं दी जाएं। गत वर्ष 800 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। यह नया मंत्रालय था। अब यह 950 करोड़ रु. है। 500 करोड़ रु. की राशि से आदिवासियों को ऋण सहायता दी जानी है तथा क्रियान्वयन शुरू हो गया है।

जैसा कि मैंने कहा रोजगार सृजन एक महत्वपूर्ण मानदंड है। इसलिए स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना का उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जाना है ताकि अ.जा. बेहतर रूप से रोजगार पा सकें। जब भी हम रोजगार सुविधाओं की बात सोचते हैं, हमें अ.जा. एवं अ.जा. जातियों के लिये साक्षरता के विषय में सोचना पड़ता है।

वर्षों से ऐसा देखा गया है कि इन लोगों में साक्षरता बढ़ रही है। मेरे पास 1961 तथा 1991 की जनगणना के आंकड़े हैं। उस समय देश में सामान्य साक्षरता 24% थी जबकि अ.जा के बीच 10.3% तथा अ.ज.जा. के बीच यह 8.3% थी। अब सामान्य साक्षरता 52.2% है तथा अ.जा. के बीच यह 37.4% तथा अ.ज.जा. के बीच यह 29.6% है। जहां तक अ.ज.जा. का संबंध है महिला साक्षरता में काफी गिरावट आई है। मेरे राज्य उड़ीसा में अ.ज.जा. की 95% बालिकाएं पांचवी कक्षा में स्कूल छोड़ देती हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा आदिवासी कल्याण मंत्री ने गत वर्ष बालिकाओं के लिए आवासीय आदिवासी स्कूल स्थापित करने के लिए 16 करोड़ रु. आबंटित किए। इस वर्ष भी आई.टीए. परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है। मेरा आधा चुनाव क्षेत्र आई.टी.डी.ए. में शामिल हैं तथा 64 लाख रु. इस वर्ष दिया गया है ताकि विभिन्न कार्य शुरू हो सके, संचार स्थापित किए जा सके, उच्च विद्यालय स्थापित किए जा सके तथा आदिवासियों की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सेवाश्रम स्थापित किए जा सकें।

आदिवासी महिलाओं के लिए सबसे कठिन कार्य पेयजल प्राप्त करना है। वे उस स्थान पर रहते हैं जहां पेयजल उपलब्ध नहीं होता है विशेषरूप से भयंकर गर्मी में एक महिला या बच्चे को पर्वत से उतरकर पानी का घड़ा लाना होता है। चूंकि कभी-कभी उन्हें पानी का एक घड़ा भी उपलब्ध नहीं होता है उन्हें

खजूर के जल या सलप्प के रस से काम चलाना पड़ता है जो उन्हें नशे में चूर कर देता है। दूरस्थ क्षेत्र में जहां अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लोग रहते हैं वहां पेयजल पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष शुरू की गई त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना को देश के इन क्षेत्रों में पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाये। मैं किसी क्षेत्र विशेष पर कोई विशेष ध्यान देने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस समस्या का क्षेत्रीयकरण नहीं कर रहा हूं जैसा कि मेरे सहयोगी ने विषय पर बोलते हुए किया। हमें इस विषय पर निबटते समय वृहत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा यह देखना है कि सीमांत लोगों को उन लोगों को जिन्हे उचित लाभ नहीं मिला है, की आवश्यकता क्या है।

जहां तक वित्तपोषण का संबंध है, राज्यों को यह जाता है। जब राज्यों को वित्त जाता है, उन्हें यह समुचित रूप से सोचना होता है यह देखने के लिए कि सदियों से सीमांत हुए लोग और ज्यादा दुख नहीं झेलें। जब हम इन पहलुओं पर विचार करते हैं तो हम विभिन्न वित्तपोषण के तरीके पर भी अवश्य विचार करें। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा छोटे वन उत्पाद केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाए जाए तथा एक समान प्रसंस्करण पद्धति अपनाई जाए ताकि वन उत्पाद पर कोई राजस्व कर न लगे या कोई प्रतिबंध न लगे।

चूंकि समय सीमा है, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। इन शब्दों के साथ महोदय मैं आपको धन्यावाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, डॉ. वी. सरोजा ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं जिसमें मांग की गई है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो धन का आबंटन होता है, उसका सही उपयोग नहीं होता।

यह बात सही है कि देखने में आया है कि कमजोर वर्गों के लिए जो धन आवंटित होता है, वह पूरा पैसा खर्च नहीं किया जाता। सवाल यह है कि उनके लिए जो धन आवंटित होता है, वह सही तरह से खर्च हो और दूसरे, इस देश में 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। विभिन्न प्रान्तों से जिन जातियों का जीवन स्तर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसा है, तमाम और जातियां भी बराबर मांग करती रही हैं कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाए। कुल मिला कर पूरे देश का एक-चौथाई हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का है। जैसे डा. सरोजा ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, इन वर्गों के लिए जो धन का आवंटन होता है, योजना में धन का जो प्रावधान किया जाता है। वह नहीं के बराबर है। यह कनसौलीडेटेड फंड है जो पिछले वर्ष 709 करोड़ रुपये था, और इस बार 790 करोड़ रुपये है। दसवीं कक्षा तक के सौलह लाख विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, उनकी शिक्षा पर 155 करोड़ रुपये व्यय होंगे। योजना बजट में 408 करोड़ रुपये, और जिस तरह यह प्रस्ताव है, उस हिसाब से देखने में आया है कि 2000-2001 में 181.33 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति पर व्यय होना था, लेकिन मात्र 157 करोड़ रुपये व्यय हुए। यह बहुत गंभीर मामला है और गंभीर इस दृष्टि से है कि जब इस सदन में और सदन के बाहर चर्चा होती है तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बन जाता है कि अनुसूचित जाति की समस्या मात्र आरक्षण तक सिमट कर रह गई है जबकि सही मायने में हकीकत यह है कि अगर कमजोर वर्गों की माली हालत ठीक नहीं होगी, उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधारेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकता। आज उसी विषय पर जाने की आवश्यकता है।

जहां तक आरक्षण का सवाल है, श्री अरुण शौरी चले गए, कल ही बालको पर यहां चर्चा हुई थी। जिस तरह श्री संतोष गंगवार सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्रों को बेच रहे हैं, उससे आरक्षण तो और कम होगा। आप जानते हैं कि सरकारी उपक्रमों में 22 लाख लोग काम करते थे जो संख्या घट कर अब 18 लाख रह गई है। आगे आने वाले समय में यह संख्या और कम होगी। इस सबके बावजूद भी विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने प्रदेशों में आरक्षण के सवाल पर कानून बनाए हैं। लेकिन भारत सरकार का आरक्षण के सवाल पर कोई एक्ट नहीं है। आरक्षण के सवाल पर इस संसद को एक्ट बनाना चाहिए और उसे नौवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। इस देश में जो आरक्षण है और जो नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों के चलते पूरा काम जो निजी क्षेत्र में जाने वाले है, उससे हमारे देश में रोजगार और कम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1990 में डा. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह का सरकार ने आयोजन किया। अन्य महापुरूषों चाहे महात्मा गांधी हों या जवाहरलाल नैहरू हों, मैं जानता हूं कि एक वर्ष तक उनके जन्म शताब्दी समारोह के बड़े कार्यक्रम हुए। डा. अम्बेडकर का जन्म शताब्दी समारोह लगातार तीन वर्षों तक हुआ।

जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री थे, वे उसके अध्यक्ष रहे, रामविलास जी बाद में उपाध्यक्ष हो गये थे। जब चनद्रशेखर जी प्रधान मंत्री बने तो मैं उनके साथ कल्याण मंत्री थी, मैं उपाध्यक्ष हुआ। फिर सीताराम केसरी जी और नरसिम्हाराव जी के जमाने तक वह महत्वपूर्ण अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति रही। सभी चीफ मिनिस्टर और सभी प्रोमिनेण्ट लोग उसमें थे। उस समारोह समिति ने छः उपसमितियां बनाई थीं, एक समिति आर्थिक विकास के लिए, एक शिक्षा के लिए, एक भूमि सुधार के लिए, दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए और आरक्षण से

[श्री रामजीलाल सुमन]

संबंधित समिति, योजनाएं और कार्यक्रम। बहुत परिश्रम करने के बाद जो उस समिति के संयोजक थे, उन्होंने अपनी संस्तुति की. पूरा काम करने के बाद एक 45 सूत्री कार्यक्रम बना, जो इस समय मेरे पास है। मुझे जो जानकारी है, केबिनेट ने भी इसको मंजूर किया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं से संबंधित कोई विषय ऐसा नहीं है, जो इस 45 सूत्री कार्यक्रम में शामिल न हो। लेकिन इस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया। किसी विभाग ने इस पर आज तक कोई अमल नहीं किया। ''डा. अम्बेडकर शताब्दी समारोह: योजना हेतु संस्तुत कार्यक्रमों की स्थिति'' पर सरकार कोई कार्रवाई करती तो मैं समझता हूं कि इसके जरूर अच्छे परिणाम निकल सकते थे। संसद का जो अनुसूचित जाति और जनजाति का फोरम है, उस फोरम के 150 सांसदों ने लिखकर प्रधान मंत्री जी को दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए अमुक-अमुक काम करिये, लेकिन कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पहले भी आपसे कहा था और फिर कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति या दलितों का आरक्षण एक मुद्दा है, लेकिन उनके जो सवाल हैं, खास तौर से भूमि सुधार का, उस भूमि सुधार का काम कायदे से हुआ ही नहीं। इनको पट्टे भी मिल जाते हैं, लेकिन असरदार लोग उन पट्टों पर कब्जा ही नहीं होने देते। सरकार के पास जो फालतू जमीन है, उसका भी प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, कुल मिलाकर हालत यह है कि जिस तरह से इनकी माली हालत ठीक हो सकती है, उसका कोई व्यवस्थित तरीके से प्रयास हमारे देश में नहीं हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जो कारोबार इनके हाथ में है, उसको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये जो उत्पादन करते हैं, उसके लिए कोई मार्केट नहीं है। आगरा में जूता बनाने का काम होता है। अल्पसंख्यक और दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में इस काम को करते हैं। एक तरह से यह कुटीर उद्योग है। मैं जानता हूं कि जब पूरा परिवार परिश्रम करता है और शाम को जूता तैयार करने के बाद, जिसने जूता बनाया है, वह एक डलिया सिर पर रखकर हींग की मंडी में ले जाता है। जूता बेचना उसकी शर्तों पर नहीं होता, मीडिएटर वह जूता खरीदता है। उसका नकद भुगतान नहीं होता, एक पर्ची उसको दे दी जाती है। वह पर्ची लेकर बराबर उसके परिवार का ही आदमी बैठता है और कहा जाता है कि पर्ची आपको मिल गई। आज इसका भुगतान नहीं होगा। फलां तारीख को जब वह भुगतान लेने जाता है तो उसमें भी कट लगाया जाता है, तिकड़मबाजी की जाती है। जो जूता 300-400 रुपये में बनता है, जिसमें उसे 25-30 रुपये प्रोफिट होता है। जिसके पास वह जूता लेकर गया, उसने बढ़िया सा डिब्बा और ट्रेडमार्क लगाया तो मुंबई और कोलकता में वही जूता 4-5 हजार रुपये में बिकता है। इनके हाथ में जो कारोबार है, उसको आप संरक्षण नहीं देंगे, इनके लिए वित्तीय व्यवस्था नहीं करेंगे, उसके लिए बाजार का इन्तजाम नहीं करेंगे तो कोई अच्छे परिणाम उसके नहीं निकलने वाले हैं।

मैं फिर एक बार डॉ. वी. सरोजा को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा संकल्प, सामयिक संकल्प वे इस सदन में लाई। हम सब मिल बैठकर अगर यह प्रयास कर सकें कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने में, उनकी माली हालत ठीक करने में, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो प्रदत्त सुविधाएं हैं, उन तक सही रूप में पहुंचाई जाएं। उनकी भलाई के लिए जो पैसा यहां से दिया जाता है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इस पर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि वह पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाता। इससे लगता है कि कहीं हमारी नीयत में खोट है।

इसके साथ ही मैं डा. वी. सरोजा जी द्वारा रखे प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उनको इस प्रस्ताव को रखने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): सभापति महोदय, डा. वी. सरोजा जी ने जिस स्प्रिट के साथ यह प्रस्ताव रखा है, मैं उससे सहमति व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इस देश में मुद्दतों से हुआ है, उस बारे में सारा देश चिंतित रहा है। मुझे गर्व है कि कांग्रेस पार्टी के महान लीडर, जिन्होंने देश की जंगे आजादी में हिस्सा लिया, उन्होंने अपना सारा ध्यान समाज के कमजोर वर्ग की ओर लगाया। हमें यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि बेशक आज भी कमजोरियां हैं, लेकिन जिस दूरअंदेशी नजरिये से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस वर्ग का ध्यान रखा, वह बहुत सराहनीय है।

में आज इस सदन में 25 जनवरी, 2001 को देश के सर्वोच्च नागरिक, महामहिम राष्ट्रपति श्री नारायणन की एक तकरीर का जिक्र करना चाहूंगा। वे एक गरीब और दलित परिवार में पैदा होकर देश के प्रथम व्यक्ति बने, राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपनी तकरीर में खुले दिल से विश्वास और निश्चय के साथ एक बात कही कि हम विकास के नाम पर और आगे बढ़ने के नाम पर जो गरीब बच्चा है, जिसको न दूध मिला है, न रोटी मिली है, जिसके परिवार में शाम को रोटी की चिंता होती है, अगर उसको दबाकर आगे निकलेंगे तो यह देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। मैडम सरोजा ने तहेदिल से इसका जिक्र किया है कि किस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ जो यहां से सरकारी फंड जाता है, भेदभाव किया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके साथ नौकरियों में अन्याय होता है और उनको परमोशन में जानबूझकर जलील किया जाता है। इन सब बातों का जिक्र इस प्रस्ताव के जरिये किया है।

मुझे एक बात का फख्र है। जब इस देश में यह रिवाज था कि उच्च जाति के लोग अन्य लोगों को कुओं से पानी पीने की इजाजत नहीं देते थे, घोड़े पर चढ़ने की मनाही थी, तो पंजाब में, जहां कि अनुसूचित जाति के लोगों की काफी तादाद है, वहां

हमारे महान गुरुओं ने जिस प्रकार का रोल अदा किया, वह सारे देश के लिए एक आदर्श है। पहले कहा जाता था कि गरीब बैठकर रोटी नहीं खा सकता, हमारे द्वार पर नहीं आ सकता। उनके मान और मर्यादा को जिस प्रकार से इन दस गुरुओं ने स्थापित किया, यह सराहनीय बात है। यहां मंत्री महोदय उपस्थित हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर वह विचारधारा जो उन गुरुओं ने कही—जिनकी वर्ण और कुलमाही, सरदारी न पई कडाणी, मुझे मान है कि अब इस सदन में भी पंजाबी भाषा के ट्रांसलेशन का भी प्रबंध है। गुरुवाणी में जो यह कहा है, जिसका मतलब है कि जिनको कभी कोई सरदार मानने को तैयार नहीं था—इन्हीं को सरदार बनाऊं, तभी गोविंद साहिब नाम कहाऊं—यह सिखों के दसवें गुरु, गुरू गोविन्द सिंह साहिब जी ने कहा था और मानस की जात सब एक ही पहचान का नारा दिया। उस प्रकाश में आज आपको अपनी नीतियों को तय करने की जरूरत है।

मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि पंजाब में जो सरकार है, वह हमारी विरोधी पार्टी की सरकार है लेकिन माननीय मंत्री महोदय मेरी इस बात को ध्यान से सुने और मुझे अफसोस है कि सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी को देश के पशुओं के बारे में बहुत चिंता है लेकिन आम लोगों के बारे में कितनी चिंता है, इसके बारे में आज की उनकी गैर-हाजिरी से यह प्रकट होता है। पंजाब में आज जिसके पास पचास ट्यूबवैल कनैक्शन चलते हैं, उनकी बिजली माफ है जिसका एक लाख रुपये का बिल आता है और लाखों की तादाद में 26 प्रतिशत गरीबों ने मौके की सरकार के गलों में हार डाले दिलों के एक बल्ब जहां किसी गरीब की कोठरी में जलता है, वहां पांच-पांच हजार रुपये का बिल उन गरीबों को आता है। यह बिल्कुल साफ भेदभाव हो रहा है, यह दूर होना चाहिए। यशवंत सिन्हा जी ने बजट में तकरीर करते हुए कहा है कि 27 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे वैसे ही जीती है। यह गिनती मेरे ख्याल से 40 प्रतिशत से ऊपर है लेकिन उनके आंकड़ों के अनुसार 28 प्रतिशत जो लोग पंजाब में हैं जिनका कोई यलो कार्ड नहीं है, जिनको कोई सहूलियतें नहीं दी गई हैं, और जिनकी कोई आस्था, मर्यादा कायम रखने के लिए कुछ नहीं किया गया है। मैं आपसे यह कहूंगा कि कम से कम पंजाब की सरकार को देश की हुकूमत की तरफ से लिखें कि उस 28 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों का इन मुद्दों पर कम से कम वह ध्यान रखें क्योंकि जब बड़े सरदारों की हुकूमत होती है तो उसमें गरीब वर्ग के लोग दबते हैं और मरते हैं। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि कारगिल के युद्ध में लाइट इंफैंट्री जिसमें सबसे ज्यादा कुर्बानियां गरीब से गरीब, कुचले हुए और दबे हुए सिख परिवारों ने दी हैं तथा जिन्होंने 17000 फुट की ऊंचाई से कुर्बानियां दी हैं। पंजाब के अनुसूचित जाति के वर्ग ने 1962, 1965 और 1971 में और कारगिल इन चारों युद्ध में इस देश की प्रभुसत्ता, सम्पन्नता और देश की आजादी को बरकरार रखा है। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि लाइट इंफैंट्री डिवीजन के बहादुर अनुसूचित जाति के जो गरीब हैं, जो देश को बचाने के लिए मरने के लिए ही फौज में जाते हैं, वह संख्या भी फौज में घटाकर कम कर दी है।

जहां तक फंडिंग और सोशल एजुकेशनल एमपॉवरमेंट का ताल्लुक है, यह भी इनके एम्प्लॉयमेंट से ताल्लुक रखने वाली बात है। मशरिख के एक बहुत ही मशहूर शायर अलामा इकबाल हुए हैं जिन्होंने कहा है:

'उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो,
ताज व उमरा की दर-व-दीवार को हिला दो,
गुरबा व गुलामों के साज-ए-यकीं से,
गोशा जमी कां शाही से लड़ा दो।
जिस खेत से मुयस्सर ना हो बेहतर रोटी,
उस खेत के हर गोशा-ए-गन्दम को जला दो।'

एक समय आएगा कि जिनका हम अपमान कर रहे हैं और जिनके बारे में श्री के.आर. नारायणन, हैड ऑफ स्टेट कह रहे हैं कि हम उनकी भावनाओं को दबा रहे हैं। मुझे खुशी है कि भाजपा के अध्यक्ष अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखते हैं लेकिन आर.एस.एस. के जो आजकल पंजाब और देश के गांवों में सरकुलर जा रहे हैं, उनका अनुसूचित जाति से ताल्लुक है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं कि जो सरकुलर जा रहे हैं, उनमें यह है कि अम्बेडकरियों के ऊपर निगाह रखी जाये, और दलितों के ऊपर निगाह रखी जाये। मेरे माननीय मित्र श्री रमेश चेन्नितला साहब बैठे थे।

हमें गर्व है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं उनकी किताब ''वर्शिपिंग फाल्स गॉड्स'' का जिक्र मैं इस समय नहीं करना चाहता, लेकिन उस पार्टी की विचारधारा का सारांश है कि गरीबों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, वह इस बात से प्रकट होती है। *...(व्यवधान)*

महोदय, आखिर में सरोजा जी की भावनाओं का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए मैं यह बात कहना चाहूंगा कि जब संविधान की समीक्षा की बात होती है तो उसके पीछे मूल भावना अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिले हुए जो अधिकार थे, उनसे वंचित करने की जो साजिश थी उसे नाकाम करने में सारे देश के गरीब वर्ग और गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों में जिस प्रकार दीवार बन कर संविधान समीक्षा के मूल पाठ को बदलने की जो भावना थी, उसके लिए मैं सरकार को और मंत्री जी को विनती करना चाहूंगा कि यह आग से खेलना है। आप संविधान

[श्री जे.एस. बराड़]

की समीक्षा के मुद्दे पर जो मर्जी करें लेकिन जिनके साथ मुद्दतों से जुल्म हो रहा है और प्राईवेटाइजेशन तथा डिसइनवेस्टमेंट के नाम पर जिस प्रकार हमारे माननीय भाई-बहनों की तरफ से भावनाएं व्यक्त की गई हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो एम्प्लॉमेंट कम हुई हैं, अभी जैसे मेरे भाई सुमन जी ने कहा कि 22 लाख से कम होकर 18 लाख रह गई हैं। अगर यही हालत रही तो यह खिलवाड़ हम और गरीबों का अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के साथ करेंगे, इसका हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए।

मैं अंत में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि देश में चुनाव होते हैं, इलैक्टोरल रिफार्म की बात होती है, परन्तु इसका ताल्लुक भी अनुसूचित जातियों के साथ है। मैं इसे रिकार्ड में रखना चाहता हूँ। मैं आपको फरीदकोट लोक सभा का उदाहरण देना चाहता हूं, जहां से मुख्य मंत्री पंजाब आते हैं और उनका बेटा वहां मंत्री था। वहां के तीन लाख गरीब वर्ग के लोगों को धोखे से खरीदने का, उन्हें एक्सप्लायट करने का, उनके वोट न डलें, उन्हें ट्रकों में बैठा कर बाहर ले जाने का प्रोग्राम अगर पंजाब की हुकूमत के एक सर्वोच्च मुख्य मंत्री जी करें तो मैं समझता हूं कि गरीब वर्ग को उसके वोट डालने से वंचित करने का जो सबसे बड़ा गुनाह है, इससे खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती कि पुलिस के जरिये गरीब आदमी को अपना वोट डालने से रोका जाए। इस युग में, 21वीं सदी के आरम्भ में अगर यह प्रोग्राम बने कि कोई ताकतवर और सरमायेदार तथा जिन लोगों के पास पैसा है, जैसे कहते हैं-"जिनके पास दाने, उनके कमले भी सयाने" अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बना तो मैं कमजोर तबके से नहीं हूँ, यह मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन इन तथ्यों को प्रकट करने में मुझे गर्व हो रहा है। जिन लोगों ने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी की है, देश के इतिहास और परम्परा में इतना बड़ा ऐतिहासिक रोल अदा किया है, जिनके साथ समय-समय पर धोखा होता रहा है वह दूर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरोजा जी के इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मैं सरोजा जी के इस संकल्प के साथ अपने को सम्बद्ध करती हूं और साथ ही उनके द्वारा जिस उद्देश्य से इस संकल्प को प्रस्तुत किया गया है, उस उद्देश्य के साथ अपनी सहमति जताते हुए अपेक्षा करती हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान की कल्पना जो की गयी थी लेकिन आजादी को मिले अब 52 वर्ष हो गये हैं लेकिन उसके बावजूद भी आज इन जातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की कल्पना बहुत अधूरी है और पिछली सरकारों ने जो भी जवाबदेही इन पक्षों पर रखी, मुझे लगता है कि उन्होंने विकास को केवल मात्र धन के पैमाने से नापा है। यदि विकास को ज्ञान के पैमाने से नापा जाता तो अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति जो आज बनी हुई है वह न होती।

मैं एनडीए की सरकार और माननीय वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति का अलग से मंत्रालय बनाकर इस समुदाय के विकास की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए कोई संकल्प किया है। मैं, एक पक्ष जो छूट गया है उसकी तरफ भी हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आज सामाजिक न्याय और अधिकार का मंत्रालय किसी भी स्थिति में हमारे कल्याण की बात नहीं कर सकता क्योंकि इसका क्षेत्र और उद्देश्य बहुत विस्तृत है। अनुसूचित जनजाति का जिस तरह अलग से मंत्रालय बना और हमें यह उम्मीद हुई कि अब इस समुदाय का कल्याण होगा। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जाति का भी एक स्थाई मंत्रालय बने और उसमें ऐसे व्यक्ति न हों कि "जाके पैर न फटी बैवाई, वो क्या जाने पीर पराई"। लेकिन ऐसे लोगों को ऊपर बैठा दिया जाता है जो हमारे समुदाय के लोगों की चिंता नहीं करते। यदि नियति ने उन पर जिम्मेदारी डाली है तो उसका अहसास उनके दिल और दिमाग में भी होना चाहिए कि जिस पद और जगह पर वे बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी को वे पूरा करें। मेरे सहयोगी सदस्यों और भाई-बहनों ने इशारा किया है और मेरा इशारा भी आप समझ गये होंगे कि जब तक हमारे ये कर्णधार हमारी चिंता नहीं करेंगे और हमारी वेदनाओं को इस सदन में बैठकर भी नहीं सुनेंगे तो बाहर बैठा कौन व्यक्ति हमारी वेदना को सुनेगा? इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आज जितने भी हमारे मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्कीमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए रखी हुई हैं और उनके लिए निर्धारित बजट भी है। चाहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हो, मानव संसाधन मंत्रालय के विभिन्न विभाग हों, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा-स्वास्थ्य, राष्ट्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला समाज कल्याण बोर्ड या विभिन्न प्रकार के हमारे आयोग हों, एससीएसटी या सफाई आयोग हो। इसके साथ मैं यह भी कहूंगी कि इन आयोगों और विभागों के माध्यम से जितनी भी प्रकार की योजनाएं एससीएसटी लोगों के कल्याण के लिए हैं उनकी समीक्षा भी शायद हम नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मात्र शिक्षा विभाग की एक स्कीम के बारे में मंत्री जी को बताना चाहती हूं। हम जो योजनाएं केन्द्र से प्रसारित करते हैं उनके कार्यान्वयन की सच्चाई को हम नहीं देखते हैं। यदि केन्द्र परिवर्तित योजनाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों या कुछ ऐसे प्रतिनिधियों

को जिनके दिल में इसके विकास का दर्द है उसको जगह देकर उनकी क्रियान्विति को परखा जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिल सकता है। एससीएसटी के बालकों और बालिकाओं के लिए हमारे मंत्रालय के माध्यम से कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको मैंने देखा है। मैंने गांव के स्तर पर काम किया है।

मैंने आंगनवाड़ी वर्कर्स से लेकर शिक्षा के विभिन्न पदों पर काम किया। महिला एवं बाल विकास के विभिन्न पदों पर काम किया। उस समय पाया कि वही बात है। उन के मन में इनके प्रति पीड़ा नहीं है। वे मात्र धन को पूरी तरह से उपयोग में लेने के लिए कोरे आंकड़ों का जाल सरकारों के समक्ष प्रस्तुत करते आए हैं। वे आंकड़ों के जाल कभी भी इनकी उन्नति में सहायक नहीं हो सकते। पहले भी इस बात पर चर्चा हुई थी और सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय की प्रभारी मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। मैंने उनको यह इशारा दिया कि अनुसूचित जाति के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के नाम पर सरकार को एक विद्यालय की स्थापना पर 25 बालक-बालिकाओं के लिए तीन लाख रुपये के लगभग खर्चा करना पड़ता है। यह एक हंसने वाली बात है और एक आश्चर्यजनक बात है लेकिन यह हमारे लिए एक पीड़ा की बात है। उनको केवल छः बरस की आयु में फीस के पैसे दिये जाते हैं। केवल एक बरस मात्र अध्ययन कराने के बाद और कक्षा दो में आने के बाद कह दिया जाता है कि अब आप सक्षम हो गए जबकि इन आवासीय विद्यालयों में बी.पी.एल. फैमिली के बच्चे और अन्त्योदय योजना के अंतर्गत जो परिवार आते हैं, उनके बच्चे और बच्चियां अध्ययन करते हैं। उन्हें मात्र छः से सात बरस की आयु में एक बरस पढ़ाने के बाद दूसरी क्लास में कह दिया जाता है कि अब आपके लिए कोई धन नहीं है क्योंकि इस स्कीम में इतना ही धन है और इतना ही प्रावधान है। आप इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण नियमों की जब तक समीक्षा नहीं करेंगे, इनका पूरा लाभ इन समुदायों को नहीं मिलेगा और केन्द्र और राज्य सरकारों के माध्यम से इनके ऊपर जो धन व्यय हो रहा है वह नाली में बह जाएगा। जितनी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण की योजनाएं हैं चाहे वह शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, ग्रामीण रोजगार की हों या स्वर्ण जयन्ती रोजगार की कोई योजना हो या किसी भी मंत्रालय के माध्यम से इनको कोई भी सुविधाएं दी गई हों, उन सभी सुविधाओं को एक जगह से नियंत्रित करते हुए इनके कार्यान्वयन की ओर जरूर सतर्कता बरतनी पड़ेगी अन्यथा वोटों की राजनीति के नाम से अनुसूचित जाति और जनजाति का जो बार-बार नाम लिया जाता है, यदि उनका वही हाल रहा तो आगे उनका कल्याण होना सम्भव नहीं है। माननीय वाजपेयी जी ने जिस तरह इस बात को लिया है और ऐसी बात नहीं है कि हमने सामूहिक रूप से प्रयास न किया हो। देश के विभिन्न प्रांतों में इनकी प्रगति की आज समीक्षा करने की आवश्यकता है। यदि ऐसी समीक्षा नहीं हुई तो अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण नहीं होगा। उनके कल्याण के नाम पर जो एन.जी.ओज. की बीमारी चली है और जो संस्थाएं बनी हैं, उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि न वह इतने पढ़े-लिखे हैं, न चतुर हैं और न ही उनमें इतना ज्ञान है। यदि एक-दो खड़े होकर आगे बढ़े हैं, विकास के लिए हाथ बढाया है तो उनके हाथ को थामने वाला कोई नहीं है। गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण की जिन योजनाओं को चलाया जा रहा है उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जनजाति के लोग जंगलों में रहते हैं। वे जंगली वस्तुओं का संग्रह करके और धनोपार्जन करके अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। आप उत्तर भारत के कुछ राज्यों को देखें चाहे वह राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन राज्यों में ऐसे लोग कृषक या कृषि श्रम और मेसन वर्क से जुड़े हैं। इनमें हमारे भाई-बहन काम करते हैं। अशिक्षा की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। एक सांसद भाई ने कहा कि उनके वोट ठक्के में ठेके हो जाते हैं। जब से यह प्रथा चली है तब से उनका शोषण हो रहा है। पिछले पचास वर्ष में जिस पार्टी ने यह प्रथा डाली यह एक दुर्भाग्य की बात है। उम्मीद है कि इनके बारे में जो भी मेरी भावनाएं हैं उनको इस संकल्प के साथ जोड़ेंगे।

सभापति महोदय, जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद भाई आज बहुतायत संख्या में हैं। यदि उन सभी सांसदों को उन क्षेत्रों में इन कल्याणकारी योजनाओं से आबद्ध किया जाता है तो ये चौकसी बरतेंगे। निस्संदेह उस क्षेत्र में रहने वाले भाई-बहनों के प्रति संवेदनशील होकर उनके विकास पर इस धन को खर्च करना और उन तक सुविधायें पहुंचाने के लिए यह संकल्प अवश्य हो सकता है।

मैं अपनी भावनाओं के साथ एक बात और कहना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए केवल दो मंत्रालयों के माध्यम से धन नहीं जाता। आज हमारे जितने मंत्रालय हैं, चाहे कृषि हो, चाहे खनन हो या कोई और मंत्रालय हो, उन से जाता है। मेरी आज ही पेट्रोलियम मंत्री से बात हुई थी और उनसे कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास धन नहीं है। आपने उनको कोटा तो आबंटित कर दिया लेकिन पैसे वाले लोग, उच्च आय वर्ग के लोग और पढ़े लिखे लोग उनसे अंदर ही अंदर समझौता कर लेते हैं। इन लोगों से हस्ताक्षर सहित एफिडेविट ले लेते हैं ताकि ये गरीब बाद में क्लेम न करें। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह

[श्रीमती जसकौर मीणा]

स्थिति सारे हिन्दुस्तान में है। इन बातों को हमें विस्तार से देखना पड़ेगा। यदि हमने उन लोगों के लिए दूर की नहीं सोची और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बजट आबंटित कर दिया तो केवल धन के अनुपात से हम उनके विकास को नहीं नाप सकते। वास्तव में जो उन लोगों का विकास होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक है। उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे यहां जो सामाजिक एक्ट लागू होता है, उसके चलते महिलायें अपने बच्चों के साथ रहकर जिस तरह से गुजारा करती हैं, वे सामाजिक प्रताड़नाओं का शिकार हो जाती हैं। यदि सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में चल रही स्कीमों से खुद को जोड़ना भी चाहे तो उसे इनका ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन महिलाओं की जो दुर्दशा होती है, उसका मैं बखान नहीं कर सकती। मैं कहना चाहूंगी कि कम से कम इस संकल्प के माध्यम से डा. सरोजा ने जिन बातों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है, जितनी भी कल्याणकारी योजनायें हैं, उसका सारा धन इन पर खर्च होना चाहिये यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो इन योजनाओं की समीक्षा के लिए कोई न कोई माकूल व्यवस्था अवश्य करें।

सभापति महोदय, अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि यदि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मेरी बात सुन रही हैं और इस संकल्प की भावनाओं को सीधे-सीधे समझ रही हैं तो उनके मन की कठोरता कहीं कहीं जरूर पिघलती होगी और वे इन महिलाओं को न्याय देने के लिए सोचेंगी। जैसा कहा गया है 'जाके पांव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।" आशा है मेरी भावनाओं को संकल्प के साथ सम्बद्ध करते हुये हमें लाभ दिलायेंगे और विकास की राह की किरण दिखायेंगे।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): माननीय सभापति महोदय, मैं डा. वी. सरोजा देवी द्वारा लाये गये इस संकल्प का समर्थन करता हूं और उन्हें मुबारकबाद देता हूं। सही मायने में आज तक केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को छला है। यह सही है कि केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो फंड्स जाते हैं, वे वहां फाइलों में दबकर रह जाते हैं। यह भी सही है कि जिस अनुपात में इन लोगों के लिए फंड्स जाने चाहिये, वे जा नहीं पाते।

सभापति महोदय: पहले सदन की सहमति हो गई थी कि सरकारी बिल पास होने के बाद गैर-सरकारी संकल्प लिया जायेगा। चूंकि यह व्यवस्था पहले हो गई थी, इसलिए हाउस चलता रहेगा। अब 6 बजे हैं, इसलिए उस बात का हवाला देते हुये सदन को बताना चाहूंगा कि यह हाउस 7.10 बजे तक चलेगा।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक: यदि हमें यह पता होता तो हम इन विधेयकों को पारित नहीं होने देते।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान: सभापति महोदय, हम कह रहे थे कि एस.सी., एस.टी. के लिए जो फंड जाता है उसमें उनके हितों की काफी अनदेखी होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, उसमें पहली बात यह है कि वह समुचित नहीं है और दूसरे जो छात्रवृत्ति दो-तीन महीने में मिलनी चाहिए वह साल में एक बार ही मिलती है। जबकि महंगाई के दृष्टिकोण से छात्रवृत्ति की जो रकम नियत की गई है यानी प्रति माह इतनी छात्रवृत्ति दी जायेगी, प्रथम से लेकर सप्तम कक्षा तक और सप्तम से लेकर मैट्रिक कक्षा तक तथा मैट्रिक से लेकर एम.ए. स्तर तक, निश्चित रूप से उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, ताकि जो छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को मिलती है, उसमें वे सही ढंग से पढ़ सकें।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो भी योजनाएं केन्द्र सरकार की या राज्य सरकार की हों, जहां तक मुझे जानकारी है एक भी जनप्रतिनिधि चाहे वह सांसद हो या विधायक हो, किसी के पास उसका समुचित लेखा-जोखा नहीं रहता है। हम लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन सी योजना अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्टेट में चल रही हैं या केन्द्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप प्रत्येक सांसद को बता दीजिए कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कौन सी योजनाएं हैं और राज्य सरकारों के द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी योजनाएं हैं, ताकि हम लोगों को भी पता लगे कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इन जातियों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं।

सभापति महोदय, मैं गांव से आता हूं। गांवों में शिक्षा की दयनीय स्थिति है। अभी भी गांवों के स्कूलों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के 25 प्रतिशत बच्चे मुश्किल से ही पढ़ पाते हैं। 75 प्रतिशत बच्चों को गरीबी के कारण उनके मां-बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। मैं इसके पूर्व भी लोक सभा में कह चुका हूं, मैं अमीरों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं गरीबों के बारे में बोल रहा हूं और

एस.सी.एस.टी. के/ जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, उनके लिए सही मायने में प्रथम से लेकर बी.ए. तक की शिक्षा अनिवार्य की जाए। जब तक इनके लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी, तब तक मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की पंक्ति में अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चे नहीं आ सकते। यह मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप प्रदेश सरकारों को निर्देश दें कि वे ऐसा पैकेज प्रोग्राम बनायें, जिससे कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के गरीब बच्चों को प्रथम से लेकर बी.ए. स्तर तक की शिक्षा आवासीय सुविधा के साथ मिले।

सभापति महोदय, प्रदेशों में जिला स्तर पर जो भी अफसर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए रहते हैं, आप देखें कि उनमें ज्यादातर पदाधिकारी उच्च वर्ग के होते हैं। मेरा ऐसा मानना है और सरकार से आग्रह है कि जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए इसी जाति का पदाधिकारी रहे। निश्चित रूप से हमें इसके लिए नियम बनाना चाहिए।

आजादी के 52 वर्षों से ज्यादा बीतने के बाद भी गांवों में अभी भी ''बासगीत' का एक पर्चा होता है। अभी भी लगभग 40 से 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास 'बासगीत' नहीं है। कोई पीडब्ल्यूडी की जमीन पर रह रहा है, कोई रेलवे की जमीन पर बसा हुआ है मगर किसी के पास 'बासगीत' का पर्चा नहीं है। जब इतने सालों में कोई व्यवस्था नहीं हुई तो हम क्या उम्मीद करें कि कितने वर्षों बाद सिर ढकने के लिए गरीब को अपना घर मिलेगा? एक सर्वे राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाए कि कितने लोगों को 'बासगीत' का पर्चा नहीं मिला है।

सभापति महोदय, गांवों में जो सामतंवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को झूठमूठ के केसों में फंसाकर तबाह और बरबाद करते हैं और वर्षों के लिए उनको जेल भिजवा देते हैं। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको गलत केस में फंसाकर परेशान न किया जाए। हम लोग हमेशा यह चर्चा करते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जो भी व्यक्ति हैं वे सही मायने में गरीब हैं या नहीं। पर वास्तविकता यह है कि जो वास्तव में गरीब हैं, उनके पास गरीबी प्रमाण पत्र भी नहीं है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में तो 40 से 50 प्रतिशत गरीब लोगों का गरीबी रेखा सूची में नाम भी नहीं है। जो भी कर्मचारी और अधिकारी गरीबी रेखा की सूची की जनगणना के लिए जाते हैं तो सामन्ती और बड़े लोगों के यहां बैठकर सूची तैयार कर लेते हैं और आधे से ज्यादा गांवों में लोगों का नाम गरीबी रेखा सूची में नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से सभी प्रदेशों में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश जारी हों कि गरीबी रेखा सूची में जिन गरीबों का नाम नहीं है, उनका पुन: सर्वेक्षण करके उनका नाम गरीबी रेखा सूची में सम्मिलित करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए, क्योंकि मंत्री महोदय को उत्तर देना है और प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता को भी उत्तर देना है।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान: सभापति महोदय, आज देश की आबादी में अनुसूचित जाति और जनजाति का 22 प्रतिशत है लेकिन आबादी के रेशियों में जिस ढंग से उसको विकास के अवसर मिलने चाहिए वह नहीं मिलते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आजादी के 52 साल बीतने के बाद भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं, वहां विकास के काम होने चाहिए।

मै अंत में यह कहना चाहूंगा कि वोट के समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कई बार वोट नहीं डालने दिया जाता है। हमारे यहां ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी लोगों को वोट डालने का अवसर मिले। एक मामला और है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों में अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलॉग अभी तक नहीं भरा गया है चाहे वह रेल विभाग हो, या कोई दूसरा विभाग हो। इसलिए जहां-जहां भी अनुसूचित जाति और जनजाति की वैकेन्सियों का बैकलॉग है, उसको निश्चित रूप से शीघ्र पूरा किया जाए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं डा. सरोजा द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निधियों के उचित उपयोग संबंधी संकल्प का पूरा समर्थन करता हूं। वास्तव में हमारे देश के अंदर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना अत्यन्त आवश्यक है और उनके लिए सरकार द्वारा जो निधियां निश्चित की गई हैं, उनका जो पूरा उपयोग होना चाहिए, जो नहीं हो पाता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन निधियों का पूरा उपयोग हो और पर्याप्त निधियां आवंटित की जाएं। वास्तव में यह उनके ऊपर सरकार या किसी का एहसान

[प्रो. रासा सिंह रावत]

नहीं है। पिछले सैंकड़ों वर्षों से हमारे समाज में जब समता की स्थिति नहीं रही, अशिक्षा, अंधविश्वास या किन्हीं अन्य कारणों से जाति व्यवस्था और ऊंच-नीच की भावना पनपी, उसके कारण कमजोर वर्गों के ऊपर उच्च वर्गों द्वारा जो अत्याचार किए गए, यह एक प्रकार से उनका प्रायश्चित या पश्चाताप है। मैं समझता हूं कि हमारे भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है, यह सर्वथा उचित है। यद्यपि पहले दस वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी लेकिन वह धीरे-धीरे पचास वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है। उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हमें चिन्तन करना पड़ेगा कि आजादी के 53 वर्षों के बाद और गणतंत्र दिवस की स्वर्ण जयन्ती मनाने के पश्चात् भी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो समाज का अभिन्न वर्ग है, जिनके उत्थान के लिए इतनी योजनाएं बनीं, इतना पैसा खर्च हुआ लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में मुट्ठीभर लोगों को छोड़ कर, जो व्यापक परिवर्तन आना चाहिए, वह क्यों नहीं आ पाया, इसके क्या कारण हैं, इसके बारे में भी समीक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है। हमारी कल्याणकारी सरकार है। मैं जिस दल से संबंधित हूं और जिस दल के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस वर्ग से हैं। यह पार्टी जो कहती है, वह करती है। अभी हमारे माननीय सदस्य आर.एस.एस. की बात कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि आर.एस.एस. ऊंच-नीच में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, समाज के सब लोगों को साथ लेकर सामाजिक समरसता, महत्व की भावना पैदा हो, हम एक समाज से आए हैं, एक भारत माता के बेटे हैं, ''सं गच्छध्व सं वदध्वं'' का जो सिद्धान्त है या ''समानो मंत्र: समिति समानी'' और ''सहना ववंतु सहनौ भुनक्तु'' साथ बैठ कर खाएं, साथ बैठ कर उठें, साथ बैठ कर समाज में आगे बढ़ें, इस भावना को आगे लेकर चलता है। समीक्षा आयोग के नाम पर जो कांग्रेसी मित्र भ्रान्ति की भावना फैला रहे हैं कि हम संविधान के मूल आधारभूत तथ्यों को बदलना चाहते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है। बार-बार सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत के संविधान में जो आरक्षण प्रदान किया गया है, आधारभूत तथ्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने की इस सरकार की कोई मंशा नहीं है। जिस पार्टी ने संविधान में इतने सारे संशोधन कर लिए लेकिन इतनी बार संशोधन करने के बाद भी उसमें परिवर्तन लाने का काम नहीं हुआ। इसलिए आज देश की जरूरत और परिस्थिति के अनुरूप हम आवश्यक संशोधन करने जा रहे हैं तो ऐसे समय में उनको यह चिन्ता सता रही है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और वे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की जो व्यवस्था की है, वह संविधान का अधिकार है। जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा, जनजाति कल्याण एक अलग विभाग बना दिया गया और उसके मंत्री भी जनजाति से संबंधित के हैं जो और विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रावत जी, मूल रूप से केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि का राज्यों द्वारा ठीक से उपयोग न करने का संकल्प है।

प्रो. रासा सिंह रावत: केन्द्र सरकार जो राशि दे रही है, उसमें एक प्रकार से बढ़ोत्तरी करें, उस राशि का समुचित रूप से उपयोग होना चाहिए, इसमें तनिक मात्र भी दो राय नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि हम सबका कर्त्तव्य है कि अपने-अपने राज्यों में जहां जिस प्रकार की सरकार है, हम सबका प्रयास होना चाहिए।

हम समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहें और इन निधियों का उनके कल्याण के लिए उपयोग करें।

मैं अंतिम बात कहकर आज्ञा चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण का बहुत बड़ा दावा करते हैं, वे कई-कई महीनों से अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कालरशिप का वितरण नहीं कर रहे हैं, उस राशि को अन्य मदों में खर्च कर देते हैं। विद्यालयों के माध्यम से उन गरीब तबके के छात्रों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं। उनके छात्रावासों में जैसी स्थिति है, मैंने देखी है। आर्य समाज का पदाधिकारी होने के नाते मेरा अपना भी एक निराश्रित बालकों के लिए सदन चलता है, हमारे बालकों की स्थिति और एक सरकारी छात्रावास चलता है, वहां जाकर देखा जाये तो आकाश-पाताल का अन्तर नजर आता है। वहां के बालकों की ऐसी स्थिति है कि वहां छुट्टियां होते ही उनको घर भेजा जाता है और उनकी कोई सुध नहीं ली जाती है। हमारे बालकों में प्रत्येक जाति और अनुसूचित जाति के बच्चे भी हैं। उनमें बहुत स्वाभिमान और स्वावलम्बन की भावना आती हैं। यहां मैं प्रार्थना करूंगा कि जो लोग विशेष रूप से उनके हितैषी बनते हैं कि हम ही उनके खैरख्वाह हैं, उन लोगों पर उनकी राज्य सरकारें पूरा खर्चा नहीं कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सारा पैसा कल्याण के लिए यहां से जाता है। ये सारी निधियां जिन लोगों के लिए जाती हैं, उन्हीं के विकास के लिए खर्च होनी चाहिए और उनका डाइवर्सीफिकेशन किसी ढंग से नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, प्रस्ताव है:

''यह सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त

बनाने के लिए नियत निधि के अल्प उपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त करती है....''

अब, मैं इस प्रस्ताव को एक अन्य परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान दस वर्ष के लिए ही किया था; यह हमेशा के लिए नहीं था। दूसरे शब्दों में, विधायिका, संसद, में यह आरक्षण और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर भी विशेष ध्यान देने का मामला शाश्वत नहीं है। उन्होंने विचार किया कि यह दस वर्षों के लिए अस्थायी उपाय था। अलबत्ता, हमने राज्य विधान सभाओं और संसद में आरक्षण के प्रावधान को पांच बार 1960, 1970, 1980, 1990 और 2000 में संशोधित किया है। मैं नहीं जानता कि यदि इसी तरह के हालात रहे तो क्या हम इस प्रक्रिया को इक्कीसवीं सदी के अंत तक जारी रखेंगे। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक तौर पर उन्नत किया जाये, आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाये, तब, अवश्य ही, हमें आगे दस वर्षों तक आरक्षण बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु वर्तमान स्थिति इस तरह है कि अकसर, राज्य विधान मण्डलों और संसद अथवा लोक सभा को एक और शताब्दी के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को दबाव के तहत बढ़ाना होगा। डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने इस तरह की स्थिति के बारे में कभी भी विचार नहीं किया था। यह हमारा ही दोष है कि हम अभी भी आरम्भिक स्थिति में ही हैं।

यह जनजातीय विकास का मामला नहीं है। हमारे पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पर्याप्त विकास कार्यक्रम है। कितने ही कार्यक्रम बनाये गये, परिचालित किये गये और उनकी चर्चा राज्य विधान मंडलों और संसद में की गई, लेकिन मुख्य प्रश्न उनके कार्यान्वयन का है।

जहाँ तक स्वालोचना के मामले का संबंध है, मैं संसद के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों और राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों को पूछता हूँ: ''इन मामलों में उनकी क्या भूमिका है?'' मैं साधारणतया यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वे सत्ता में सहभागी हो रहे हैं। उनका दस प्रतिशत आरक्षण है, कभी-कभार, न केवल राज्य विधान मण्डलों में बल्कि संसद में भी, यह अधिक हो सकता है।

अब अनुसूचित जाति और जनजाति के ये सदस्य कमोवेश अपनी पार्टी से निर्देशित होते हैं। राजनीतिक दल उनकी उम्मीदवारी के प्रायोजक हैं। उनकी निष्ठा उस राजनीतिक दल के प्रति है और उनका उद्देश्य जिस दल ने उनकी उम्मीदवारी को प्रायोजित किया है उसके निर्णयों को लागू करना है। इसलिए, वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के मामले में एकता नहीं बरत सकते। राज्य विधानण्डलों अथवा संसद में आने के पश्चात् प्रथम बात जिसकी आवश्यकता है वह यह है कि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपने दलों की सम्बद्धता से ऊपर उठकर इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एकजुट होना चाहिए। यह सोचना व्यर्थ है कि अन्य लोग उसके लिए करेंगे, शायद कुछ अच्छे लोग इसे करने के लिए इच्छुक हो, परन्तु कोई भी व्यक्ति उनके लिए सेवा नहीं करेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्य अथवा राज्य विधानमण्डल के सदस्यों को पहला और महत्वपूर्ण कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पद दलित लोगों को सामाजिक ढांचे में समान स्तर पर कैसे लाया जाये। मैंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इन संसद सदस्यों से पूछा कि क्या मुद्दा था जिसकी संसद और राज्य विधानण्डलों में समीक्षा होनी है। ये सदस्य इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार कार्य कर सकते हैं?

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। माननीय मंत्री को वाद-विवाद का भी उत्तर देना है।

श्री चरकला राधाकृष्णन: इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न विकास कार्यक्रमों अथवा किसी परियोजना के अभाव के बारे में नहीं है बल्कि राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव के बारे में है। असली मुद्दा राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव का है। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति तभी नजर आती है जब चुनाव आसपास होते हैं लोग प्रचार करते हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए खड़े होते हैं। चुनावों के खत्म होने के पश्चात् राजनीतिक इच्छा शक्ति भी गायब हो जाती है। यहां तक कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधि भी इसके बारे में भूल जाते हैं। अभी तक कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए, मुख्य बात यह है कि हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। संसदीय प्रजातंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को इन सभी समस्याओं के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने इस प्रस्ताव के समर्थन में बहुत सारी बातें सुनी। मैं यहाँ एक और दो बातें कहना चाहता हूँ। मेरे पास अर्थपूर्ण वाद-विवाद सुनने के पश्चात् इस पर कहने के लिए अधिक कुछ नहीं है।

महोदय, मुझे केन्द्रीय सेवाओं के सेवा कार्मिकों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। अनेक बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारी जब नौकरी और प्रोन्नति के लिए पात्र हो जाते हैं तब भी उन्हें उचित रूप से आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है।

[श्री के.ए. सांगतम]

महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें कुछ अधिकारी नियुक्त करने चाहिए, जो कि न केवल इस मंत्रालय में इस समस्या पर गौर करेंगे बल्कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में अधिकारियों के साथ समन्वय रखेंगे ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है उस पर ध्यान दिया जा सके और ऐसे अधिकारी समय पर प्रोन्नति पा सकें। जब से इस पहलू को मेरे ध्यान में लाया गया है, मैं इस मामले को माननीय मंत्री के ध्यान में ला रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री निश्चय ही इस सूचना को विभिन्न विभागों को प्रेषित करेंगे ताकि इस समस्या का सही निदान किया जा सके।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम: सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डा. वी. सरोजा द्वारा रखे प्रस्ताव पर बहुत ही महत्वपूर्ण एवम् रचनात्मक सुझाव रखे। मैं कोशिश करूंगा कि सभी सदस्यों का उत्तर दूं।

यह बात कही गई है कि फंड्स का अंडर-यूटिलाइजेशन हुआ है, जिसका ब्यौरा दे रहे हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूं। आंकड़ों के तौर पर मैं सोशल जस्टिस एमपॉवरमेंट जो हमारे एससी और बाकी के, जो डील करते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 86 प्रतिशत तक फंड्स का यूटिलाइजेशन हर स्कीम में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राईबल अफेयर्स का प्रत्येक स्कीम में 75 प्रतिशत तक फंड्स का यूटिलाइजेशन हुआ है। पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राईबल अफेयर्स का 810 करोड़ रुपये का फंड अलॉटमेंट था। उसमें से 590 करोड़ रुपये का फंड हम लोग डिसबर्स कर चुके हैं। बाकी प्रोसैस में है। हमें उम्मीद है कि इस साल का अलॉटमेंट का फंड्स 90 प्रतिशत तक यूटिलाइज हो जाएगा। सोशल जस्टिस और एमपॉवरमेंट का भी 95-96 प्रतिशत तक फंड्स यूटिलाइजेशन होगा।

यहां यह चर्चा भी उठाई गई कि श्रीमती मेनका गांधी जी की यहां रिप्लाई देने में रुचि नहीं हैं, इसलिए वह नहीं आई हैं। यह बात सच नहीं है। पिछले सत्र में शुक्रवार को उत्तर देने के लिए मैं भी यहां उपस्थित था और वह भी उपस्थित थीं और मैडम सरोजा जी ने चर्चा प्रारम्भ की लेकिन विशेष असुविधा के कारण आज वह दिल्ली में ही नहीं हैं। यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि वह दिल्ली में हैं और यहां नहीं आ रही हैं और इसीलिए मैं उत्तर दे रहा हूं, यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए। मैं पूरा-पूरा उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

यहां दो-तीन आंकड़ों के बारे में बात हुई है जिनकी जानकारी मैं देना चाहता हूं। लिटरेसी रेट देखने के बाद यह प्रकट होगा कि ट्राईबल और एससी के लिटरेसी रेट में कितना परिवर्तन आ रहा है। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1961 में एससी का लिटरेसी रेट टोटल 52 प्रतिशत ऑल इंडिया एवरेज था तो एससी और ट्राईबल लिटरेसी रेट 37.4 प्रतिशत 1991 में था। 29.6 प्रतिशत से 37.4 होना बढ़ोतरी की झलक दे रहा है। ट्राईबल लिटरेसी रेट लगभग तीन गुना है। ऑल इंडिया लैवल पर लिटरेसी रेट में ही दो गुना की बढ़ोत्तरी हो रही है तो ट्राईबल और एससी में तीन गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी हो रही है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि ट्राईबल और अनुसूचित जातियों के लोगों में पढ़ाई में ज्यादा रुचि हो रही है। फंड के यूटिलाइजेशन के बारे में केन्द्र का ही पूरा दायित्व है, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि ट्राईबल सब प्लान एप्रोच पांचवें प्लान से शुरू हुई। ट्राईबल या एससी या पिछड़े वर्ग के लिए कुछ भी प्रतिशत खर्च कर दीजिए, ऐसा ही एक डाइरेक्टिव था।

उसमें देखा गया कि एक प्रतिशत से भी कम पैसा खर्च हो रहा था। इसलिए जब पांचवें प्लान के बाद टीएसपी एप्रोच हुआ, यह टीएसपी एप्रोच क्या है, यह भी मैं सदन में बताना चाहता हूं। केन्द्र सरकार की हर मिनिस्ट्री में, हमारे ट्राइबल की 19 मिनिस्ट्रीज हैं—एस.सी. के लिए 13 मिनिस्ट्रीज हैं। टीएसपी एप्रोच के लिए एक कमेटी है। यह बीच-बीच में रिव्यू करती है कि एस.सी. और एस.टी. पापुलेशन का जो पैसा है वह उस वर्ग के लिए खर्च हो रहा है या नहीं। उसे वे स्वयं रिव्यू करते हैं। उसके साथ-साथ हम लोग जो पैसा देते हैं उस पैसे की भी बीच-बीच में समीक्षा होती है। जब हमारे मंत्री जाते हैं तो उनके साथ सैक्रेट्री भी जाते हैं। एक एस.सी./एस.टी. कमीशन है, जिसके चेयरमैन भूरिया जी हैं। सब देखते हैं कि इस पैसे का ठीक से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। प्लानिंग कमीशन वाले भी बीच-बीच में रिव्यू करते हैं। मिडटर्म एप्रेजल होता है कि ये पैसा ठीक डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। इस पैसे का ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं। इसमें कुछ परिवर्तन करना है या नहीं, ये सब चीजें देखते हैं।

महोदय, सरोजा जी ने प्रश्न उठाया है कि तमिलनाडु को 84 लाख रुपए ट्राइबल मिनिस्ट्री से क्यों दिए गए। मैडम की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में ट्राइबल का पापुलेशन एक प्रतिशत है। हम जो आंध्र प्रदेश का बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को इतना क्यों दिया गया, यह पापुलेशन के हिसाब से दिया जाता है। इसलिए इसमें कम करना या ज्यादा करना किसी के हाथ में नहीं है। यह हर साल रेगुलरली दिया जाता है। दूसरी बात आप यह कह रही थीं कि फंड्स का खर्च ठीक से नहीं हो रहा है या ज्यादा नहीं हो रहा है। इसमें दो पहलू

हैं, अगर हम ज्यादा फंड्स दे दें और यूटिलाइजेशन न मांगें तो भी आप कह सकते हैं कि इनका यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग बीच-बीच में तीन फेज में रिलीज करते हैं। पहले फर्स्ट फेज में करते हैं, फिर हम इंसिस्ट करते हैं कि उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट हो। उस काम की प्रोग्रेस क्या है, उसकी हम रिपोर्ट मांगते हैं। उसके बाद हम आगे दूसरा इंस्टालमेंट रिलीज करते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस संकल्प पर दो घंटे का समय निर्धारित था और दो घंटे पूरे हो रहे हैं। अभी मंत्री जी अपना उत्तर समाप्त करेंगे, उसके बाद सरोजा जी बोलेंगी तो इस पर 15 मिनट का समय और चाहिए। इसलिए अगर सदन की अनुमति हो तो इस पर 15 मिनट का समय बढ़ा दिया जाए।

सभी माननीय सदस्य: ठीक है, आप समय बढ़ा दीजिए।

श्री जुएल उराम: महोदय, सरोजा जी ने कहा है कि नेशनल एस.सी., एस.टी. फाइनेंस कार्पोरेशन एस.सी., एस.टी. के लिए अलग हो गए हैं। उससे कोई लाभ नहीं मिला है, हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। 1997-98 में हमने 9,978 एस.सी. पापुलेशन को फाइनेंशियल सहायता दी है। इससे हम क्या फाइनेंस करते हैं, उस बारे में मैं बताना चाहता हूं—छोटे आइटम से लेकर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किए हैं, जिनसे गांवों के लोगों को इंकम हो सकती है। हम कमांडर जीप, कार आदि देते हैं। एस.टी. का पापुलेशन 3383 है। 1998-99 में कितनी बढ़ोत्तरी हुई-13388 एस.सी. का है और ट्राइबल के लिए 3432 है।

सन् 1999-2000 में 14130 एस.सी. हैं और एस.टी. के लिए 4702 हैं। सर, ऐसा हम देते हैं। अभी नयी कॉरपोरेशन बनी है। अगर सरकार की मंशा साफ नहीं होती तो हम एक नया कॉरपोरेशन, नयी मिनिस्टरी नहीं बनाते। एस.सी. और एस.टी. की समस्याएं अलग हैं, यह कहना ठीक नहीं होगा। वे आर्थिक हो सकती हैं। लेकिन ट्राइबल्स का रहन-सहन और समस्याएं अलग हैं। अगर अलग से इन पर ध्यान दिया गया होता तो माननीय राधाकृष्णन जी जो बोल रहे थे वह एक्सटेंशन बार-बार देना नहीं पड़ता। यह बात इस सरकार के आने के बाद क्लीयर है, कैबीनेट वगैरह में क्लीयर है।

सर, कुछ आक्षेप लगाये गये हैं कि हमारी पार्टी आदिवासी लोगों को महत्व नहीं देती है। आप भी और माननीय जगजीत सिंह जी भी बता चुके हैं कि हमारे नेशनल प्रैसीडेंट एस.सी. हैं। मैं उड़ीसा स्टेट से भारतीय जनता पार्टी से हूं। माननीय बाबू लाल मरांडी जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। माननीय गोपी नाथ मुंडे जी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। हमारी पार्टी या सरकार में कोई भी जाति या धर्म के आधार पर नहीं देखा जाता है, वह तो कैपेबिलिटी क्या है, उसका आवश्यकता क्या है और वह पिछड़े वर्ग से है, उसके हिसाब से दिया जाता है। आज की कैबिनेट में एस.सी.एस.टी. के जितने सदस्य हैं वह एक हिस्ट्री बन गयी है। चार कैबिनेट मिनिस्टर एस.सी.एस.टी. समुदाय से हैं और बाकी पांच स्टेट मिनिस्टर हैं। इस तरह से इस समुदाय के 9 मिनिस्टर हैं और जो आज तक का एक रिकार्ड है।

सर, यह बात कहना कि बहुत सारा पैसा डायवर्ट होने जा रहा है और कुछ इस तरह की रिपोर्ट भी आई है। इसके कारण हैं। मैंने मिनिस्टरी का चार्ज लेने के बाद, माननीय मेनका जी के साथ प्रयास किया और उस प्रयास के कारण एस.सी.एस.टी. समुदाय के मंत्रियों की तीन दिन की बैठक हुई थी जिसमें सभी मंत्रियों ने अपने-अपने सुझाव दिये। उसके बाद सभी स्टेट के सैक्रेट्रीज को बुलाकर हमने बात की है। उनके साथ दो बार, दो-दो दिन की मीटिंगें ली गयीं। उसके बाद मिनिस्टरों को बुलाया गया। मैंने प्रत्येक एम.पी. को पत्र लिखा था कि आपके प्रदेश के मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है और एस.सी.एस.टी. के बारे में कुछ प्रोग्राम फाइनलाइज होगा। आप समय पर आकर अपने-अपने सजैशन्स दें। उनको कहा गया कि राज्य सरकार की तरफ से मंत्री और सैक्रेट्रीज आ रहे हैं तो आप भी आइये। उसके बाद 23 प्रदेशों में से 18 प्रदेशों ने उत्तर दिया। माननीय सांसद भी आये थे और उन्होंने सुझाव दिये थे। मैंने इस बारे में उनको पत्र भी लिखा है।

एक पाइंट माननीय पासवान जी बोले कि जो भी स्कीम इम्प्लीमेंट होती हैं उसकी एक बुकलैट हो। मैं अपनी मिनिस्टरी से प्रिंटेड करके बुकलैट पहले ही सर्कूलेट कर चुका हूं। फिर भी यदि आवश्यक हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। हर स्कीम का ब्यौरा उसमें दिया हुआ है। लड़कों और लड़कियों के होस्टल के लिए, आश्रम के लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। खाली इतना ही नहीं है उसमें और भी बहुत है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कैसे इस खर्च में योगदान हो, उसके लिए भी व्यवस्था है। हर प्रदेश में ट्राइबल्स एडवाइजरी कौंसिल हो। जहां ट्राइबल्स एडवाइजरी कौंसिल है वहां एस.सी.एस.टी. दोनों कैटेगिरी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और जिसके चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं।

साल में दो बार उनका बैठना अनिवार्य है। वे दो बार बैठते हैं। एम.पी. और एम.एल.ए. उसके मैम्बर हैं। जो भी सुझाव होते हैं वे उसमें डिसकस होते हैं। फंड्स का यूटिलाइजेशन हो और पालिसी का इम्प्लीमैंटेशन हो इन सब के बारे में वहां चर्चा होती है। इनके बारे में मिनिस्ट्री ब्यूज लेती हैं। जो सिफारिशें और सुझाव होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। इसके साथ-साथ शेडयूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की खास तौर पर जिम्मेदारी गवर्नर की है। इस बारे में राष्ट्रपति जी को गवर्नर हर साल खास तौर पर

[श्री जुएल उराम]

रिपोर्ट देता है। वह भी मिनिस्ट्री के पास आता है। इसके बारे में मिनिस्ट्री के क्या व्यूज हैं, उनका गम्भीरता से जायजा किया जाता है। इसके बाद हम आगे का काम करते हैं।

पासवान जी ने कहा कि एलीमैंट्री एजुकेशन को जोरदार तरीके से इम्पलीमैंट किया जाए। आज के समय में स्कूल होना आवश्यक है। स्कूल की बिल्डिंग बनाना, सरकारी तौर पर उन्हें नौकरी में लगाना आवश्यक है। यदि ऐसा प्रावधान किया जाए तो हमारे पास धन पर्याप्त नहीं होगा। उन तक सरल तरीके से एजुकेशन पहुंचाई जाए, इसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। मेरे पास ये सब चीजें डिटेल में हैं लेकिन इसकी चर्चा हो चुकी है।

एक प्वाइंट मीणा जी ने एलीमैंट्री एजुकेशन का उठाया। उन्होंने कहा कि कक्षा एक में आने के बाद उन्हें आगे नहीं पढ़ाया जाता है। इसके लिए कस्तुरबा गांधी स्वतंत्र विद्या मिशन का आगे काम चल रहा है। यह हमारे कंसिडरेशन में है। एक बार उन्हें पढ़ाने के बाद आगे उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में सोचा जाएगा। हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल क्लीयर है। पहले की सरकारें केवल भाषण देती थीं। यह सही बात है कि उनके पास केवल स्लोगन थे। वे केवल आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भाषण देते थे और उनके वोट लेने के बाद उन्हें भूल जाते थे। अब ऐसी कोई बात नहीं है। एस.सी. और एस.टी. के लोग इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के लोग हैं। हम उन्हें पैट्रोल पंप बना कर देते हैं। उन्हें हैंड्रेड परसैंट सामान खरीद कर और मशीन टैस्ट करके दी जाती है। उन्हें बैंक से फाइनेन्स करके पैसा दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल के लिए कितना फाइनान्स करना है, इन सब का इन्तजाम किया जाता है। यह कहना ठीक नहीं है कि फंड्स ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। हम सत्ता में आने के बाद बार-बार इस बारे में कोशिश कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं।

आई.टी.डी.ए. का माडा है, माइक्रो प्रोजैक्ट है। यहां कहा गया कि पी.टी.जी. के लिए अलग व्यवस्था नहीं है। ऐसी बात नहीं है। 75 परसैंट अभी भी प्रीएग्रीकल्चर स्टेज में है। जिन्हें वस्त्र पहनना नहीं आता, बाकी दुनिया के लोगों से बात करना नहीं आता, इनके बारे में हमने विशेष तौर पर सोचा है। इनके लिए अलग प्रावधान किया है। पी.टी.जी. के लिए माइक्रो प्रोजैक्ट है। उनके लिए ऑफिसर और एन.जी.ओज. हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह कहना ठीक नहीं है। इस बारे में कितनी प्रगति हुई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। फंड्स का भी पूरा यूटिलाइजेशन हुआ है। 1997-98 में स्पैशल सैंट्रल असिस्टैंट के लिए 3 करोड़ रुपए का एलाटमैंट किया गया था। हमने 329.6 करोड़ रुपए का खर्चा किया। आप इससे सोच सकते हैं इसमें कितनी प्रगति हुई। 1998-99 में 380 करोड़ रुपए का एलोकेशन था। हमने 380 करोड़ रुपए डिसबर्समैंट किए। 1999-2000 में 400 करोड़ रुपए का एलोकेशन था और 400 करोड़ रुपए दिए। हर स्कीमवाइज प्रॉग्रेस हुई है लेकिन ये सब बताने का अभी समय नहीं है। स्पैशल कम्पोनैंट प्लान को देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ऐंड एम्पावरमैंट कर रहा है।

उसका 100 परसेंट है। हमारी जो स्कीम्स हैं, उसके तहत कालेज में पढ़ने वाले 22 लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप दिया जाता है और इसको कैसे ज्यादा बढ़ाया जाये, यह मामला विचाराधीन है। यह कहना कि नहीं दिया जा रहा है, ठीक नहीं है। यहां पर रिजर्वेशन इंपलीमेंटेशन की बात उठायी गई है सभापति जी, आप जानते हैं कि हम स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए डायरैक्टिव देते हैं और रिक्रूटमेंट में जितना बैकलॉग है, उसको बीच-बीच में रिव्यु किया जाता है। सरकार यह सोचती है कि इनको कैसे आगे बढ़ाया जाये, इसकी कोशिश करते हैं। जहां तक लेट डिस्ट्रीब्यूशन आफ स्टाइपंड की बात है, उसके लिए हम एडवांस में पैसा देते हैं, पैसा रेमिट करते हैं लेकिन प्रोसैस करने में देर लग जाती है और कभी-कभी टाइम ज्यादा लग जाता है। चूंकि यह बात यहां उठायी गई है, मैं इस बारे में सदन को अवगत करा रहा हूं।

सभापति जी, यहां पर संविधान समीक्षा, चुनाव सुधार की बात उठायी गई है। मैं ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूं। यदि आप देखें तो मालूम होगा कि जब तक एस.सी.एस.टी. परिचित नहीं होता है, चाहे वह नौकरी कर रहा हो या कालेज में पढ़ रहा हो, उसके टेलेंट का मान-सम्मान किया जाता है लेकिन जब यह बताया जाता है कि एस.सी.एस.टी. से है, लोग तुरंत कहते हैं कि रिजर्वेशन से आया होगा। यह लोगों की मानसिकता है, यह वातावरण बना हुआ है जिसमें परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। यह कहना कि संविधान की समीक्षा की जा रही है, चुनाव सुधार कर रहे हैं, इसलिए वीकर सैक्शन निगेटिव में जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं रिकार्ड पर बताना चाहता हूं कि बी.जे.पी. एक ऐसी पार्टी है जिसने ट्राइबल बैल्ट से लोक सभा में हमें चुनकर भेजा है, इसलिए हमारी मंशा साफ है कि खाली रिजर्वेशन देने की बात नहीं, यहां भेजा भी है। रिजर्वेशन के साथ-साथ प्रापर इंप्लीमेंटेशन हो, हर कोई इस बात को समझे कि सोशल रिक्वायरमेंट है कि किसी की गलती से ये लोग पीछे हो गये हैं। सामाजिक, आर्थिक रूप से इनको आगे लाना है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठीक नहीं होगा। मैं आपको बी.पी.एल. के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री, बढ़ा हुआ समय भी अब खत्म होने जा रहा है। मुझे सभा के समय को पांच से दस मिनट बढ़ाने के लिए अनुमति लेनी होगी।

क्या प्रस्तुतकर्ता द्वारा उत्तर समाप्त होने तक संकल्प का समय बढ़ाया जा सकता है?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हाँ।

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम: सभापति जी, बी.पी.एल. डाउन हो रहा है। इसके साथ ही यदि देखा जाये तो ओलम्पिक में पहला कांस्य पदक जीतने वाली महिला भी ट्राइब्ल ही है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुद्दे यहां उठाये गये हैं, उसका मैंने क्लीयर जवाब दिया है। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं मैडम वी. सरोजा देवी से अनुरोध करूंगा कि वे सरकार की मंशा को देखते हुए अपना संकल्प वापस लें।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: सभापति महोदय, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ जो अ.जा. एवं अ.ज.जा. के समग्र उत्थान के लिए अच्छे सुझाव लेकर आए हैं। श्री अनादि साहू ने अनुसूचित जाति वन उत्पाद निगरानी प्रणाली के बारे में कहा। मैं कहना चाहूंगी कि वन संरक्षण अधिनियम, 1984 का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इन उत्पाद का अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लाभ के लिए उचित रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्हें वन अधिकारियों तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है। मैं अनुरोध करती हूँ कि भूमि सुधार उचित रूप से लागू किये जाने चाहिए तथा विपणन सोसायटियाँ संबद्ध क्षेत्रों में अवस्थित होनी चाहिए।

विशेष योजनाएं लाई जानी चाहिए ताकि आर्थिक अधिकारिता एवं स्वयं सेवी ग्रुपों की अधिकारिता सुनिश्चित हो। जहाँ तक स्वयंसेवी ग्रुपों का संबंध है उन्हें आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रित किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था वर्ष 2001 महिला अधिकारिता वर्ष है। महिलाओं की अधिकारिता का स्तर आदिवासी क्षेत्रों में स्वयंसेवी समूहों के स्तर पर निर्भर करता है। मैं यह भी कहती हूँ कि अ.जा. के नेतृत्व में स्वयंसेवी समूह वह जुगत है जिसकी सहायता से कोई महिला या स्वयंसेवी समूहों की आर्थिक अधिकारिता का आकलन कर सकता है।

मैंने इस मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की बैठक में हिस्सा लिया। मैंने माननीय वित्त मंत्री से इस संबंध में बजट आबंटन बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि यह 500 करोड़ रु. से बढ़कर 5000 करोड़ रु. कर देने का प्रस्ताव है। यदि ऐसा है तो माननीय आदिवासी कल्याण तथा न्याय एवं अधिकारिता मंत्रियों को पर्याप्त मात्रा में पैसा केवल पीड़ित वर्ग के लाभ के लिए आवंटित नहीं करना चाहिए बल्कि इससे महिलाओं की अधिकारिता भी सुनिश्चित हो। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वे एक साल बाद आएँ तथा हमें यह सूचित करें कि किस स्तर तक महिलाओं की अधिकारिता प्राप्त की गई हैं। यह सरकार का अधिकार एवं कर्त्तव्य है।

महिला अधिकारिता संबंधी समिति ने भी कुछ सुझाव दिये हैं। क्या मंत्री इन सुझावों को सही रूप में अपनायेंगे? मंत्री महोदय को महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उनके सशक्तिकरण की ओर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन ने चर्चा किये जाने वाले कुछ मूलभूत मुद्दे सुझाए हैं। मैं उनसे सहमत हूँ। सभी संबद्ध संसद सदस्यों को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। हम अनुसूचित जाति एवं अ.ज.जा. के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं का वैयक्तिकरण इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे जनसामान्य नहीं हैं। उनकी समस्याएं एक चुनाव क्षेत्र से दूसरे चुनाव क्षेत्र में अलग-अलग हैं। अतएव, उनकी समस्याओं पर स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा की जानी चाहिए। स्थानीय सांसदों को स्थानीय विधायकों तथा स्थानीय अधिकारियों यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत स्तर पर अधिकारिता समिति से कम से कम प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वे हमारे साथ चर्चा करने में हिचकिचाते हैं। वे स्वयंसेवी ग्रुपों को सहायता प्रदान करने में भी हिचकिचाते हैं। तमिलनाडु में 60,000 स्वयंसेवी समूह हैं।

महोदय, मैं तमिलनाडु से दोबारा निर्वाचित होने वाली एकमात्र महिला सांसद हूं। मुझे अंधेरे में रखा गया। स्वयंसेवी समूहों में कैसे लोग हैं? वे हर प्रकार का लाभ उठा रहे हैं। मुझे अंधेरे में रखा गया। मुझे एक स्थान दिया जाना चाहिए। संसद सदस्यों को एक भूमिका दी जानी चाहिए। उन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे लोगों से प्रश्न पूछ सकें। आखिरकार हम लोग लोगों से प्रतिबद्ध हैं। हम लोग लोगों से निर्वाचित होते हैं तथा लोगों के लिए काम करते हैं।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे आदेश पारित करें कि संसद के सभी अ.जा. एवं अ.ज.जा. के सदस्यों को इन निकायों में एक भूमिका मिले। उन्हें अपने राज्यों में योजना को अंतिम रूप देने में जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व मिलना चाहिए। उन्हें स्वयंसेवी समूहों में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

महोदय, श्री जे.एस. बराड़ ने काफी अच्छा सुझाव दिया है। जब पुरुचि थलैवी डा. जे. जयललिता मुख्य मंत्री थे, उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को चर्चा के लिए बुलाया

[डा. वी. सरोजा]

था। उन्होंने इन लोगों के लिए एक योजना बनाई तथा उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दुगुनी कर दी थी। उन्होंने शैक्षिक संस्थाओं को शुरु करने के आदेश जारी किए ताकि स्वतंत्रता सेनानियों एवं भूतपूर्व सैनिकों का ख्याल रखा जा सके।

महोदय, मेरी बहन कुमारी मीना ने काफी अच्छा सुझाव दिया है। मैं उससे सहमत हूँ कि एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इन समुदायों के लिए कुछ नहीं किया है। इसने कुछ नहीं बनाया है। मंत्री की कोई जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व नहीं है। इस संकल्प के माध्यम से, जो देश के एक तिहाई जनसंख्या के लिए है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वे अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाएँ।

सभापति महोदय: जैसाकि माननीय मंत्री ने अनुरोध किया है, क्या आप अपना संकल्प वापस ले रही हैं?

डा. वी. सरोजा: महोदय, यद्यपि अनिवार्य शिक्षा मूलभूत अधिकार है, हम अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं। जहाँ तक इन लोगों के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक उत्थान का संबंध है, यह अपेक्षित स्तर तक नहीं है। आरक्षण के बल पर बहुत कुछ नहीं होने वाला है। गत 50 वर्षों में, हमने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पांच बार आरक्षण बढ़ाया है। उसके बावजूद, हम अपेक्षित स्तर तक सुधार नहीं कर पाए हैं।

महोदय, मैं अपने माननीय मित्र, श्री राधाकृष्णन द्वारा उठाई गई आपत्तियों से सहमत हूँ। अ.जा. एवं अ.ज.जा. समुदाय के संसद सदस्यों को इस उद्देश्य के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही उन्हें इस समाज के उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक ईच्छा शक्ति का अभाव है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। मुझे संकल्प को सभा के समक्ष रखना है।

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं माननीय मंत्री से सहमत हूँ कि कई योजनाएं हैं। लेकिन वे सभी कागज पर हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इसमें से कितनी योजनाएं निचले स्तर तक पहुँची है। आपको प्रत्येक राज्य में योजनावार सर्वेक्षण करना है। महोदय, मैं मंत्री महोदय से इस पुस्तक की उपलब्धि पर एक श्वेत पत्र के साथ सभा में आने की अपेक्षा रखती है।

महोदय, ऐसा बताया जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत घट रहा है। लेकिन में जानना चाहूँगी कि यह किस हद तक घट रहा है। किस जुगत की सहायता से आप इस गरीबी से नीचे की रेखा खींच रहे हैं। आपने गरीबी रेखा से नीचे की लाइन को परिभाषित नहीं किया है। अतएव मुझे यह कहते हुए काफी दुख हो रहा है कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हो सकती हूँ कि यह नीचे जा रही है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं उन सभी सदस्यों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने सकारात्मक सुझाव दिये हैं। मैं माननीय मंत्री से हमारे द्वारा सुझाए गए स्थायी तथा उपयोगी सुझावों की ओर ध्यान देने का अनुरोध करूँगी। महोदय, मैं माननीय मंत्री से अपनी सारी भावनाएँ माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का अनुरोध करती हूँ। महोदय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अ.जा. एवं अनु. जनजाति हेतु एक अलग मंत्रालय स्थापित किया जाना चाहिए तथा ये सभी योजनाएँ प्रधानमंत्री कार्यालय से क्रियान्वित की जानी चाहिए।

सभापति महोदय: क्या आप अपना संकल्प वापस ले रही हैं?

डा. वी. सरोजा: महोदय, यदि माननीय मंत्री यह वचन दें कि वे सभी मामलों पर विचार करेंगे तथा वे उन पर मा. प्रधानमंत्री के साथ मिलकर विचार-विमर्श करेंगे तो मुझे अपना संकल्प वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री जुएल उराम: महोदय, मैं निश्चित रूप से इन सभी सुझावों को देखूंगा तथा माननीय सदस्यों की भावनाओं से माननीय प्रधानमंत्री को अवगत कराऊंगा। ...*(व्यवधान)*

सायं 7.00 बजे

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह उचित प्रक्रिया नहीं है।

क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य: जो हाँ।

संकल्प सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सायं 7.01 बजे

[हिन्दी]

(दो) लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन

श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह पिछले कई वर्षों से लम्बित सभी परियोजनाएं समय पर पूरी करने के लिए पर्याप्त निधि आवंटित करते हुए एक कार्यक्रम तैयार करे तथा यह सुनिश्चित करे कि नई योजनाओं को केवल तभी आरम्भ करें जब उनके लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जा चुकी हो ताकि उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जा सके।"

यह संकल्प समूचे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह संकल्प मुझे इस सदन में इसलिए प्रस्तुत करना पड़ा कि अभी पहली पंचवर्षीय योजना के भी कुछ प्रोजैक्ट्स इस देश में अधूरे पड़े हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लेकर पांचवीं, छठीं पंचवर्षीय योजनाओं के सिंचाई, बिजली, रेलवे, विभिन्न विकास की योजनाओं में अभी भी अधूरे पड़े हैं जबकि हमारी आजादी को बावन वर्ष हो गए और नौवीं पंचवर्षीय योजना समाप्ति के कगार पर है। राज्य सभा में 16 मई, 2000 को श्री जनेश्वर मिश्र, श्री स्वराज कौशल तथा श्री नानाजी देशमुख के प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी आई है, आठवीं योजना के अंत तक इस देश में सिंचाई के 162 मेजर और 240 मीडियम प्रोजैक्ट पैंडिंग पड़े हैं। गत 30-35 वर्षों में केवल मेजर प्रोजैक्ट और एक मिडियम प्रोजैक्ट नौवीं योजना तक पूरा होने वाला है। 162 मेजर प्रोजैक्ट्स में से केवल 11 मेजर प्रोजैक्ट और 240 मीडियम में से केवल एक मीडियम प्रोजैक्ट। पैंडिंग सिंचाई योजनाओं की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है-पहला आंकड़ा मेजर प्रोजैक्ट और दूसरा मीडियम प्रोजैक्ट का है। मध्य प्रदेश-23, 32, महाराष्ट्र-33, 39, आंध्र प्रदेश-12, 18, बिहार-19, 26, उत्तर प्रदेश-17, 2, उड़ीसा-5, 10, कर्नाटक-11, 12, गुजरात-9, 8, असम-4, 9, पश्चिम बंगाल-3, 17, राजस्थान 5, 17, मणिपुर-2, 1, हरियाणा-5 मेजर, मीडियम नहीं, जम्मू कश्मीर-1, 9, त्रिपुरा-3 मीडियम, केरल-5, 2, गोवा-1, 1, हिमाचल-1 मीडियम। ये सिंचाई के प्रोजैक्ट्स हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना के इस देश के विभिन्न राज्यों में अभी तक पैंडिंग हैं। हमारे हिन्दुस्तान का सिंचाई का जो रकबा है उससे भी आधा सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश का है। मैं मध्य प्रदेश के सिंचाई के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ। 26.4.2000 के प्रश्न संख्या 4965 के उत्तर में है। प्रश्नकर्ता श्री एस.एन.आर. वाडियार, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, लोक सभा, श्री पुन्नू लाल मोहिले के उत्तर में मध्य प्रदेश के सिंचाई पैंडिंग वर्क्स इस प्रकार हैं-बाण सागर यूनिट नम्बर 1, यह पांचवीं योजना से प्रारम्भ है, बाण सागर यूनिट नम्बर 2 पांचवीं योजना से, रानी अवन्तीबाई सागर बर्गी एल.बी.डी.ए. पांचवीं योजना से, रानी अवन्तीबाई बर्गी डिवीजन एल.बी.डी.ए. आठवीं योजना से।

भांडेर केनाल प्रथम पंचवर्षीय योजना से, वामा योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, पैरी योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से, महानदी रिजर्वायर चौथी पंचवर्षीय योजना से, कोलार चौथी पंचवर्षीय योजना से, जोंक चौथी पंचवर्षीय योजना से, सिंध फेज वन चौथी योजना से, राजघाट यूनिट वन पांचवीं योजना से, राजघाट यूनिट टू पांचवीं योजना से, बरिहारपुर पांचवीं योजना से, उर्मिल पांचवीं योजना से, मान, माही, सिंध, महान, इन्दिरा सागर योजनाएं छठी योजना से प्रारम्भ हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण लगभग 300 छोटी और मध्यम सिंचाई योजनाएं पैंडिंग हैं, जिन पर मध्य प्रदेश सरकार ने अरबों रुपया खर्च किया हुआ है। भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय यहां से उनको क्लियरेंस नहीं दे रहा है, इससे मध्य प्रदेश को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसमें पटना जलाशय योजना, सतना जिला, पाठा जलाशय योजना, पन्ना जिला, पुटकीघर जलाशय योजना, सीधी जिला, सुमेरी जलाशय योजना, गुना जिला, अर्जुनगंज्ञ जलाशय योजना, शिवपुरी जिला, सुल्तानपुर खरगौन जिला, बिजासेन खरगौर जिला योजनाएं पैंडिंग हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग राज्य बन गया है, उसकी निम्न योजनाएं पैंडिंग हैं: पी.वी. 103 बस्तर, भैरों जलाशय रायपुर, कौसमी जलाशय रायपुर और चापी जलाशय बिलासपुर। इस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 250 के करीब लघु सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण पैंडिंग पड़ी हैं। उनका काम बन्द है जबकि मध्य प्रदेश सरकार का अरबों रुपया इन योजनाओं पर खर्च हो चुका है। जैसे पटना जलाशय योजना, सतना पर 95 लाख रुपये का काम हो गया है, केवल हैड वर्क्स का 10 लाख रुपया का काम 1980 से आज तक पैंडिंग है। यह आदिवासी जिला है। जो लोग पहले कुछ जमीन सींच भी लेते थे, वह भी अब बन्द हो गया है और लोगों को बड़ी परेशानी है।

इसी तरह चार राज्यों के विद्युत प्रोजैक्ट्स का लोक सभा में जो उत्तर आया है, उसके आधार पर मैं पैंडिंग परियोजनाओं की जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में मारीखेड़ा एचईपी 2 गुणा 20 मैगावाट की 106.94 करोड़ की, महेश्वर एचईपी 10 गुणा 40 की। 1216.95 करोड़ की, ओंकारेश्वर एचईपी 3 गुणा 65 की 106.95 करोड़ की, बीना टीपीएस दो गुणा 298 मैगावाट की 1820.627 करोड़ की, नरसिंहपुर सीसीपीपी की 166 मैगावाट की 293.617 करोड़ की, पेंज टीपीएस 2 गुणा 250 मैगावाट की 1172.155 करोड़ की, गुना सीसीजीटी 347.25 मैगावाट की 984.86 करोड़ की, भांडेर सीसीजीटी 342 मेगावाट की 346.514 करोड़ की ....

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप अपना भाषण आगे जारी रख सकेंगे, अब समय हो गया है।

श्री रामानन्द सिंह: कृपया बिजली वाले प्रोजैक्ट्स को पूरा करने दें।

सभापति महोदय: अब सभा बुधवार, 7 मार्च, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 7 मार्च, 2001/16 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।